



भारत के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का

31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

प्रतिवेदन संख्या - 2

(सिविल एवं वाणिज्यिक)



झारखण्ड सरकार

भारत  
के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष  
का प्रतिवेदन

प्रतिवेदन संख्या-2

(सिविल एवं वाणिज्यिक)

---

झारखण्ड सरकार

---

## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
<b>अध्याय-I</b> <b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
<b>ग्रामीण विकास विभाग</b>		
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1.1	1
<b>स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग</b>		
राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, राँची का क्रियाकलाप	1.2	23
<b>समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग</b>		
समेकित बाल विकास सेवार्य योजना	1.3	48
<b>अध्याय- II</b> <b>लेन-देन की लेखापरीक्षा</b>		
<b>सरकारी धन का गबन/हानि/धोखाधड़ी</b>	<b>2.1</b>	<b>67</b>
<b>ग्रामीण विकास, कृषि एवं गन्ना विकास तथा पथ निर्माण विभाग</b>		
अग्रिम का वसूली नहीं होना एवं गबन	2.1.1	67
<b>पेयजल एवं स्वच्छता विभाग</b>		
सरकार को हानि	2.1.2	69
<b>स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग</b>		
सरकार को हानि	2.1.3	70
<b>ग्रामीण कार्य विभाग</b>		
कपटपूर्ण भुगतान	2.1.4	71
<b>कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग</b>		
अवसूलनीय अग्रिम	2.1.5	72
<b>आधिक्य/अपव्ययी/निष्फल व्यय</b>	<b>2.2</b>	<b>74</b>
<b>पथ निमाण, जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और भवन निर्माण विभाग</b>		
आधिक्य भुगतान	2.2.1	74
<b>पथ निर्माण विभाग</b>		
आधिक्य भुगतान	2.2.2	75
<b>भवन निर्माण विभाग</b>		
आधिक्य भुगतान	2.2.3	76
<b>पथ निर्माण विभाग</b>		
निरर्थक व्यय	2.2.4	77
निरर्थक व्यय	2.2.5	79
<b>कल्याण विभाग</b>		
निरर्थक व्यय	2.2.6	81
<b>कृषि एवं गन्ना विकास विभाग</b>		
निष्फल व्यय	2.2.7	82

<b>निष्फल/अप्राप्ति/अनुचित व्यय</b>	<b>2.3</b>	<b>84</b>
<b>पथ निर्माण विभाग</b>		
निष्फल व्यय	2.3.1	84
<b>नागर विमानन विभाग</b>		
निष्फल व्यय	2.3.2	85
<b>स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग</b>	<b>2.3.3</b>	<b>86</b>
निष्फल व्यय		
<b>वन एवं पर्यावरण विभाग</b>		
निष्फल व्यय	2.3.4	87
वर्तमान निवल मूल्य एवं वनरोपण क्षतिपूर्ति लागत का कम/नहीं वसूली होना	2.3.5	88
<b>पथ निर्माण विभाग</b>		
संवेदक को अनुचित सहायता	2.3.6	90
<b>निधि का अवरोधन</b>	<b>2.4</b>	<b>92</b>
<b>पर्यटन विभाग</b>		
निधि का अवरोधन	2.4.1	92
<b>सामान्य</b>	<b>2.5</b>	<b>93</b>
<b>लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई</b>		
व्याख्यात्मक टिप्पणी (कृत कार्रवाई) का उपस्थापन नहीं किया जाना	2.5.1	93
लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं किया जाना	2.5.2	94
प्रतिक्रिया का अभाव	2.5.3	94
लेखापरीक्षा समिति का गठन	2.5.4	94
<b>अध्याय-III</b>		
<b>मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा</b>		
<b>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग</b>	<b>3.1</b>	<b>97</b>
<b>अध्याय-IV</b>		
<b>सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यकलाप</b>		
लोक क्षेत्र उपक्रमों का विहंगावलोकन	4.1	113
<b>झारखण्ड में विद्युत उत्पादन उपक्रमें</b>		
झारखण्ड में विद्युत उत्पादन उपक्रमों के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	4.2	123
<b>लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन</b>		
<b>झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड</b>		
कार्य का अनियमित आवंटन	4.3	152
<b>झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद</b>		
ब्याज के रूप में ₹ 3.13 करोड़ की हानि के साथ ₹ 10.50 करोड़ की निधि का अवरोधन	4.4	153
मांग प्रभार के कम अवरोपण के कारण ₹ 94 लाख की राजस्व हानि	4.5	155
कम्प्यूटरकृत विपत्र में सूचनाओं के अभाव में ₹ 1.36 करोड़ का परिहार्य व्यय	4.6	156
ताम्बे के केबल की ₹ 2.29 करोड़ की अनुचित अधिप्राप्ति तथा परिणामतः ₹ 79 लाख ब्याज की हानि	4.7	157
स्पेस क्लाइमा की अधिप्राप्ति तथा उसके उपयोग न कर पाने के कारण ₹ 40.47 लाख का अलाभकारी व्यय	4.8	158

परिशिष्ट			
परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
1.1	जे.एस.आर.आर. डी.ए. द्वारा पी.आई.यूज. को विमुक्त निधि और उसके उपयोग से संबंधित विवरणी	1.1.7.1	161
1.2	सॉयल्टी का कम कटौती से संबंधित विवरणी	1.1.7.5	163
1.3	कालातीत बैंक गारंटियों की विवरणी	1.1.7.6	169
1.4	बीमाकृत नहीं किये गये सड़कों की विवरणी	1.1.7.7	171
1.5	कार्य का फेजवार प्रगति एवं पी.आई.यूज. नमूना जाँचित व्यय को दर्शानेवाली विवरणी	1.1.8.1	175
1.6	बीजकों के स्पेयर/डुप्लीकेट/क्रॉस कॉपी पर भुगतान	1.1.8.6	177
1.7	सी.एन.सी.पी.एल. में योजना के विरुद्ध अतिरिक्त लंबाई कार्यान्वित को दर्शाने वाली विवरणी	1.1.8.9	178
1.8	लिव्किडेटेड हानि का कम/नहीं आरोपन को दर्शानेवाली विवरणी	1.1.8.10	184
1.9	अपूर्ण कार्यों पर निष्फल व्यय का ब्यौरा दर्शानेवाली विवरणी	1.1.8.12	190
1.10	बिटुमिनस कार्य नहीं किये जाने के कारण व्यर्थ व्यय	1.1.8.12	192
1.11	बिना पुल वाले अंतराल के साथ पथों पर की गयी व्यय को दर्शानेवाली विवरणी	1.1.8.14	193
1.12	पी एम एस एस वाई के अंतर्गत हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा आपूर्ति यंत्र जिसकी स्थापना नहीं हुई का ब्यौरा	1.2.9	196
1.13	मार्च 2010 के लिए वार्डों में दवाओं की कम आपूर्ति	1.2.10.4	197
1.14	वर्ष 2005-10 के दौरान लिए गए असैनिक कार्यों की विवरणी	1.2.12.3	198
1.15	वर्ष 2005-10 के दौरान संग्रहित और त्यागे गए रक्त का विवरणी	1.2.12.6	199
1.16	रिम्स में क्वार्टर्स की उपलब्धता और कमी का विवरणी	1.2.12.7	199
1.17	मूल सेट-अप	1.3.2	200
1.18	बजट प्रावधान, आबंटन एवं व्यय की विवरणी	1.3.7	201
1.19	पूरक पोषण के वितरण में व्यवधान की अवधि	1.3.9.2	202
1.20	राष्ट्रीय योजना के तहत किशोरी बालिका लाभुकों को अन्न वितरण की अवधि	1.3.15	202
2.1	अदेय मदों पर प्रीमियम दर की स्वीकृति के कारण अधिक भुगतान	2.2.1	203
2.2	पी टी एफ ई रूफिंग कार्य के लिए संवेदक का “संविदा प्राप्ति” और वस्तुओं आदि के साथ कार्यान्वयन की लागत को दर्शानेवाली विवरणी	2.2.3	204
2.3	फैब्रिक रूफ का आयात और संवेदक द्वारा सीमा शुल्क का भुगतान को दर्शानेवाली विवरणी	2.2.3	205
2.4	वर्तमान कुल मूल्य के लिए मांग की कम वृद्धि को दर्शानेवाली विवरणी	2.3.5	205
2.5	क्षतिपूरक वनरोपण की लागत के लिए कम/नहीं मांग का आरोपन को दर्शानेवाली विवरणी	2.3.5	206

2.6	30 जून 2010 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ	2.5.3	207
3.1	मार्च के महीने में व्यय का प्रवाह	3.1.7.6	208
3.2	सरकार द्वारा अनियमित भुगतान	3.1.7.7	209
3.3	निर्माण कार्यों के पूर्ण होने में विलंब का ब्यौरा	3.1.8.1	210
4.1	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2009 को भुगतान की गई पूँजी, बकाया ऋण तथा मानवशक्ति की अद्यतन विवरणी)	4.1.7	211
4.2	अद्यतन वर्ष के लिए लेखे तैयार किए गए थे, के लिए सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम।	4.1.14	213
4.3	मार्च 2010 की समाप्ति पर गारंटी प्रतिबद्धता एवं वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य सहायता एवं अनुदान, प्राप्त गारंटियाँ, बकायों की माफी, अपलिखित ऋण तथा इक्विटी में परिवर्तित ऋण को दर्शाने वाली विवरणी	4.1.10	215
4.4	राज्य सरकार द्वारा उन लोक क्षेत्र उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया में है, में किए गए निवेश दर्शाने वाली टिप्पणी	4.1.22	217
4.5	सांविधिक निगम का वित्तीय परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी	4.1.14	219
4.6	चालू परिणाम के विवरण	4.2.7	220
4.7	संचालित निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी (झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड)	4.2.12	222
4.8	संचालित निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी (तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड)	4.2.12	223
4.9	टी.वी.एन.एल. में कोयला भंडार में कमी को दर्शाने वाली विवरणी	4.2.24	224
4.10	पी.टी.पी.एस. और टी.वी.एन.एल. में विस्तृत स्टेशनवार/वर्ष वार डिजाईन के अनुसार ऊर्जा उत्पादन, वास्तविक उत्पादन और संयंत्र भार कारक (डिजाईन और वास्तविक दोनों) के अनुसार दर्शाने वाली विवरणी	4.2.29	224
<b>शब्दावली</b>			<b>225</b>

## प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. अध्याय-I में निष्पादन लेखापरीक्षा में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण; ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभागों के साथ विहित है। अध्याय-II में लेन देन लेखा परीक्षा में कृषि एवं गन्ना विकास; कला संस्कृति, खेल और युवा मामले; भवन निर्माण, नागरिक विमानन, पेयजल और स्वच्छता; वन एवं पर्यावरण; स्वास्थ्य, चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण; ग्रामीण विकास; पथ निर्माण; समाज कल्याण; महिला एवं बाल विकास; पर्यटन; जल संसाधन और कल्याण विभाग निहित हैं। अध्याय-III में मुख्य नियंत्रक पदाधिकारी आधारित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लेखा-परीक्षा पर टिप्पणियां निहित है।
3. अध्याय-IV में सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियाँ शामिल है। सरकारी कंपनियों के लेखा की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत संचालित होती है।
4. प्रतिवेदन में शामिल (अ) राज्य सरकार के वित्त पर अभ्युक्तियाँ और (ब) राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियाँ अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।
5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से है जो वर्ष 2009-10 के दौरान लेखा के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा उनमें से जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, वर्ष 2009-10 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक है, भी सम्मिलित किए गए हैं।



## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के चार अध्यायों में चार निष्पादन लेखापरीक्षा, 26 लेन-देन लेखापरीक्षा कंडिकार्यें एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्य नियंत्रक पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा शामिल है।

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग हेतु विहित लेखा-परीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा संचालित की गयी है। लेखापरीक्षा नमूनों का चयन, सांख्यिकीय नमूना प्रणाली के साथ-साथ विवेक के आधार पर किए गये हैं तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा अनुशंसार्यें सरकार के मंतव्यों को ध्यान में रखकर की गयी हैं।

कुछ सरकारी विभागों एवं कार्यक्रमों के प्रदर्शन के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यकलाप पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

### 1. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाइ.), एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना, दिसम्बर 2000 में लागू किया गया। पी.एम.जी.एस.वाइ. का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य असंयोजित निवासों को सभी मौसम (वर्ष भर संचालित आवश्यक पुलिया और तिर्यक नालियों ढांचों के साथ) के द्वारा संयोजन प्रदान करना था। विभाग लक्षित निवासों को संयोजन प्रदान करने में विफल रहा। 2005-10 अवधि के दौरान सभी मौसम सड़कों के साथ केवल नौ प्रतिशत निवासों को ही संयोजित किया गया था। यह पाया गया कि संवेदकों द्वारा बिट्टूमिन के प्रापण के लिए बीजकों के जाली/रेखांकित/द्वितीयक प्रतियों को प्रस्तुत किया गया। बिट्टूमिन के वास्तविक प्रापण के साथ-साथ मापी पुस्तिका में गलत इन्द्राज द्वारा कार्य के वास्तविक क्रियान्वयन के बिना सरकारी राशि का गबन किया गया। क्षतिपूर्ति हर्जाना की वसूली, मोबिलाइजेशन अग्रिम और उपकरण अग्रिम देने में संवेदक का समर्थन किया गया। राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुश्रवक/राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक द्वारा प्रतिवेदित खराबियों में सुधार नहीं करने के साथ-साथ बिट्टूमिन के संदेहास्पद प्रापण के कारण सड़कों की गुणवत्ता से समझौता किया गया।

[कंडिका 1.1]

### 2. राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, राँची का कार्यकलाप

राज्य सरकार द्वारा राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान (रिम्स) 2002 में स्थापित किया गया था। इसे विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के लिए अस्पताल के रूप में कार्य करते हुये चिकित्सा अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में कल्पित किया गया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में प्रारम्भित एक राष्ट्रीय योजना में रिम्स को मार्च 2010 तक शीर्षस्थ-विशेषज्ञ अस्पताल के रूप में उन्नयन के लिए भी चयनित किया गया था। रिम्स के कार्यकलाप पर निष्पादन लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि यह कोई भी उद्देश्य जिसके लिए स्थापित किया गया था को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा। पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत दन्त चिकित्सा महाविद्यालय शीर्षस्थ-विशेषज्ञ विभागों की स्थापना और विद्यमान विभागों के उन्नयन जैसे मुख्य लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया। रोगियों को दिये जाने वाले सेवायें घटिया थी क्योंकि बाहरी रोग विभाग में मानवशक्ति रोगियों के बहाव के अनुसूच नहीं था। बिस्तर क्षमता अत्यधिक अपर्याप्त थी जिससे रोगियों को वार्ड/कॉरिडोरों के सतह पर लेटने को बाध्य होना पड़ा।

[कंडिका 1.2]



### 3. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

एकीकृत बाल विकास सेवा (आइ.सी.डी.एस.) योजना, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, छः वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य अवस्था में सुधार और बच्चों के पोषण जरूरतों और सामान्य स्वास्थ्य के देखभाल करने के लिए उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिये, माँ की क्षमताओं में बढ़ोतरी की दृष्टि से, राज्य में लागू किया गया था। अपर्याप्त निधि प्रबंधन, आंगनबाड़ी केन्द्रों में आधारभूत संरचना का अभाव, अनुपूरक पोषण का अनियमित और अपर्याप्त पोषक मान और स्वास्थ्य जाँच और आवश्यक सेवायें प्रदान करने में विफलता के कारण राज्य में योजना के कार्यान्वयन में बाधा सहन करना पड़ा।

[कंडिका 1.3]

### 4. लेनदेन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सरकार के विभिन्न विभागों और उनके क्षेत्र इकाईयों के वित्तीय लेन देन की नमूना जाँच लेखापरीक्षा से हानि, संदेहास्पद दुर्विनियोग, बेकार व्यय, परिहार्य भुगतान, निष्फल व्यय आदि का पता चला जैसा कि नीचे दिया है :

- सरकारी राशि ₹ 9.01 करोड़ का गबन/हानि/छल-कपट, ग्रामीण विकास विभाग (₹ 34.80 लाख), पेयजल और स्वच्छता विभाग (₹ 4.48 करोड़), कला संस्कृति, खेल और युवा मामले (₹ 2.60 करोड़) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग (₹ 28.81 लाख) कृषि और गन्ना विभाग (₹ 3.39 लाख) ग्रामीण कार्य विभाग (₹ 1.26 करोड़) और पथ निर्माण विभाग (₹ 0.40 लाख) में पाया गया।

[कंडिका 2.1]

- आधिक्य/व्यर्थ/निष्फल व्यय ₹ 44.00 करोड़ का पथ निर्माण विभाग (₹ 16.59 करोड़), भवन निर्माण विभाग (₹ 18.99 करोड़), कल्याण विभाग (₹ 3.18 करोड़), कृषि और गन्ना विभाग (₹ 3.32 करोड़), ग्रामीण कार्य विभाग (₹ 56 लाख), पेय जल एवं स्वच्छता विभाग (₹ 45.68 लाख) और जल संसाधन विभाग (₹ 8.54 लाख) पाया गया।

[कंडिका 2.2]

- निष्फल/अवसूलनीय/अदेय व्यय ₹ 18.48 करोड़ का पथ निर्माण विभाग (₹ 4.29 करोड़), नागर विमानन विभाग (₹ 3.98 करोड़), वन एवं पर्यावरण विभाग (₹ 9.71 करोड़) और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग (₹ 50 लाख) में पाया गया।

[कंडिका 2.3]

- पर्यटन विभाग में ₹ 3.20 करोड़ के निधि का अवरोधन पाया गया।

[कंडिका 2.4]

## 5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्य नियंत्रक पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का लक्ष्य जनाधार के बीच गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देने और राज्य के विद्यार्थियों को सरल पहुँच प्रदान करने के लिए, विभाग द्वारा नये संस्थानों जैसे प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पोलिटेक्निकों और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विभागों में उन्नतिशील उच्चयनों के केन्द्र जैसे नये संस्थानों के स्थापना सहित कार्यक्रम चलित तकनीकी पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिये योजना बनाया गया। विभाग में अभावग्रस्त संचालन नियंत्रण पाया गया। संचालन संवर्गों में भारी पैमाने पर रिक्तियाँ थी। प्रभावपूर्ण शिकायत निवारण, निगरानी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अनुपस्थित थे। हस्तगत विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन और उनका अनुश्रवण प्रभावशाली ढंग से नहीं किया गया था।

### [कंडिका 3.1]

## 6. सरकारी कम्पनियां और सांविधिक निगम

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के द्वारा संचालित की जाती है। राज्य के सरकारी कम्पनियों के लेखाओं का अंकेक्षण सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। सी.ए.जी. द्वारा भी इन लेखों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया जाता है। सांविधिक निगमों का लेखापरीक्षा उनमें अपना-अपना विधायी प्रक्रियाओं द्वारा संचालित की जाती है। 31 मार्च 2010 तक, झारखंड राज्य में एक सांविधिक निगम सहित 11 पी.एस.यू. कार्यरत थे, जिनमें 8,385 कर्मचारी कार्यरत थे। अद्यतन पूर्व लेखा के अनुसार इनका वर्ष 2009-10 के लिये ₹ 1565.52 करोड़ का टर्न ओवर था। यह टर्न ओवर राज्य जी.डी.पी. का 1.88 प्रतिशत था जो राज्य की अर्थव्यवस्था में गैरमहत्वपूर्ण स्थान रखता था। राज्य पी.एस.यू. को उनके अद्यतन पूर्ण लेखा के अनुसार ₹ 442.43 करोड़ की सकल हानि वहन करना पड़ा।

### पी.एस.यू. में निवेश

31 मार्च 2010 तक, 11 पी.एस.यू. में निवेश (पूँजीगत और लम्बी अवधि का ऋण) ₹ 4900.87 करोड़ था। निवेश 2004-05 में ₹ 815.69 करोड़ से 500.82 प्रतिशत बढ़ गया था। पी.एस.यू. निवेश का केन्द्र मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था जो 2009-10 में कुल निवेश का 99.17 प्रतिशत था। 2009-10 के दौरान सरकार द्वारा शेयर, ऋण और अनुदान/सहायता के रूप में ₹ 767.31 करोड़ का अंशदान दिया गया।

### पी.एस.यू. का प्रदर्शन

अद्यतन पूर्ण लेखा के अनुसार, तीन पी.एस.यू. को ₹ 446.48 करोड़ की हानि हुई और चार पी.एस.यू. द्वारा ₹ 4.05 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया। मुख्य रूप से हानि में रहने वाले निगम/कम्पनी, झारखंड राज्य विद्युत परिषद (₹ 374.13 करोड़) और तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 70.94 करोड़) थे।

पी.एस.यू. की हानियों के लिए वित्तीय प्रबंधन, योजना, परियोजना का कार्यान्वयन, उनके परिचालन और अनुश्रवण में कमियों को मुख्यतः उत्तरदायी ठहराया गया। सी.ए.जी. की तीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि राज्य, पी.एस.यू. द्वारा ₹ 2978.89 करोड़ की हानि को वहन करना पड़ा और ₹ 74.71 करोड़ का निष्फल निदेश किया गया। पी.एस.यू. की कार्य प्रणाली एवं घाटे को कम करने में सुधार की प्रबल गुंजाईश थी और उनके

के परिचालन में पेशेवर तौर तरीके और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी।

### बकाया लेखे

सितम्बर 2010 तक सभी 11 कार्यरत पी.एस.यू में 46 लेखे बकाया थे। बकाया 1 से 16 वर्ष के थे। लेखा के मुख्य बकाया टी.वी.एन.एल. 1994-95 से और जे.एस.इ.बी. 2002-03 से थे। यद्यपि सम्बद्ध प्रशासनिक विभागों और सरकार के अधिकारियों को लेखों की पूर्णता में बकाया का नियमित रूप से सूचित किया जाता था, लेकिन कोई महत्वपूर्ण उपाय नहीं किया गया।

### [कड़िका 4.1]

## 7. झारखंड में उर्जा उत्पन्न करने वाली उपक्रमों पर निष्पादन समीक्षा

ऊर्जा जीवन के सभी पहलुओं के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है और मूल आवश्यकता के रूप में मान्यता दिया गया है। झारखंड में, ऊर्जा का सृजन झारखंड सरकार द्वारा पूर्णतया स्वयं की कम्पनी झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.इ.बी.) और तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल.) द्वारा किया जाता है। जे.एस.इ.बी. के पास क्रमशः 840 मेगावाट (घटायी गयी क्षमता 770 मेगावाट) और 130 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ एक विद्युत ताप घर और जल विद्युत घर था। टी.वी.एन.एल. की स्थापित क्षमता 420 मेगावाट थी।

2009-10 में जे.एस.इ.बी. द्वारा ऊर्जा घरों में उत्पन्न ऊर्जा के विक्रय से ₹ 196.26 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि टी.वी.एन.एल. में यह ₹ 377.73 करोड़ था। 31 मार्च 2010 तक पी.टी.पी.एस. और एस.आर.एच.पी. में कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 1486 और 148 थी। 31 मार्च 2010 तक टी.वी.एन.एल. में मानव शक्ति 651 था।

### क्षमता बढ़ोत्तरी

2009-10 के दौरान राज्य में 780 मेगावाट के ऊर्जा आवश्यकता के विरुद्ध राज्य में वास्तविक सृजन 336 मेगावाट ही था। यद्यपि 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान क्षमता में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई गया जबकि भारत सरकार द्वारा राज्य में ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए जे.एस.इ.बी. और टी.वी.एन.एल. को छः कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया था। भारत सरकार द्वारा स्थापित मानदण्डों के अनुसार इन कोयला ब्लॉकों को विकसित नहीं किया गया था। फलस्वरूप, भारत सरकार द्वारा कोयला ब्लॉकों का आवंटन खत्म किया जा सकता है।

### परिचालन प्रदर्शन

वर्तमान में स्थापित ऊर्जा घरों का प्रदर्शन सामग्री, मानवशक्ति एवं संयंत्रों की क्षमता पर निर्भर करती है जिससे संयंत्रों के लम्बी अवधि परिचालन को प्रभावित किए बिना अधिकतम संभावित ऊर्जा उत्पादित की जा सके। परिचालन प्रदर्शन के लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्न का पता चला:-

### कोयला का प्रापण

ऊर्जा उत्पन्न करने वाली उपक्रमों टी.वी.एन.एल. एवं जे.एस.इ.बी. ने कोयला की आपूर्ति के लिये कोयला कम्पनियों से अनुबंध नहीं किया था। उन्हें 49.28 लाख मी.ट. (26.51 प्रतिशत) कोयला प्राप्त हुआ जो स्टैंडिंग लिंकेज कमिटी द्वारा आवंटित मात्रा से कम थी। कोयला कम्पनी द्वारा दावों के गैर-अनुमति के कारण भी उन्हें, ₹ 21.82 करोड़ की हानि सहना पड़ा। उन्हें सी.इ.आर.सी. के मानदंडों से अधिक मूल्य ₹ 11.63 करोड़ का कोयला के परिवहन

पर हानि सहना पड़ा और वास्तविक आपूर्ति से उच्चतर ग्रेड का कोयला के भुगतान के कारण ₹ 169.21 करोड़ का अधिक व्यय वहन करना पड़ा।

### कोयला का उपभोग

राज्य में ताप बिजली घरों में मानदंडों से इतर कोयला के उपभोग के परिणामस्वरूप ₹ 223.40 करोड़ के 21.32 लाख मी.ट. कोयला का आधिक्य उपभोग हुआ।

### मानवशक्ति की तैनाती

पी.टी.पी.एस. में मानवशक्ति ₹ 50.35 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के साथ सी.इ.ए. के मानदंडों से अधिक थी। यद्यपि, तकनीकी संवर्गों में 915 पदों की रिक्तियाँ थीं। इसके परिणामस्वरूप जनवरी से मार्च 2010 के दौरान इसका एक इकाई परिचालित नहीं किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.69 करोड़ के मूल्य का उत्पादन में हानि हुई। यद्यपि टी.वी.एन.एल. में मानवशक्ति सी.इ.ए. के मानदंडों से कम थी, लगभग 600 कर्मचारी इस अवधि के दौरान अनुबंध के आधार पर ₹ 28.27 करोड़ की लागत पर नियुक्त थे।

### उत्पादन क्षमता

ऊर्जा के उत्पादन के लिए जे.एस.ई.बी. और टी.वी.एन.एल. द्वारा निर्धारित 20,833 एम. यू. के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उत्पादन समीक्षा अवधि के दौरान मात्र 14,613 एम. यू. (70 प्रतिशत) था।

वैसे ही, टी.वी.एन.एल. और पी.टी.पी.एस. द्वारा 45,377 एम.यू. के कुल अनुमानित उत्पादन के विरुद्ध वास्तविक उत्पादन 14,613 एम.यू. (32 प्रतिशत) था।

पी.टी.पी.एस. और टी.वी.एन.एल. में संयंत्र भार वाहक पी.एल.एफ. के राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम था जिसके कारण ₹ 4821.92 करोड़ मूल्य के 25,386 एम.यू. के उत्पादन में अनुमानित कमी सहन करना पड़ा।

### निम्न संयंत्र उपलब्धता

समीक्षा अवधि के दौरान, टी.वी.एन.एल. और पी.टी.पी.एस. की औसत संयंत्र उपलब्धता क्रमशः 62.6 प्रतिशत और 22.91 प्रतिशत थी।

कृत्रिम बंदी मानदंडों से अधिक रही, जो अगर शामिल किया जाये तो अतिरिक्त ₹ 3.16 लाख परिचालन घंटों के लिए संयंत्र की उपलब्धता आवश्यक होगी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5,600 करोड़ मूल्य के 30,884 एम.यू. का उत्पादन होगा।

### अतिरिक्त उपभोग

राज्य में ताप विद्युत घरों में अतिरिक्त उपभोग मानदंडों से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 73.58 करोड़ मूल्यित 396.24 एम.यू. की हानि हुई।

### मरम्मत और अनुरक्षण

पी.टी.पी.एस. के इकाई सं. 3, 5, 6, 8 और 9 के अधिकतम अनुरक्षण का कार्य 6 से 10 वर्ष के लिए विलंबित हुआ। इकाई सं. 3 और 5 क्रमशः अगस्त 2003 और अप्रैल 2004 से बंद पड़ा था और मरम्मत नहीं किया गया था जिसके कारण ₹ 104.60 करोड़ मूल्य के 582.38 एम. यू. का उत्पादन हानि सहन करना पड़ा।

इकाई सं. 9 व 10 का पुनर्स्थापन, जो आग लगने की घटना के बाद अगस्त 2006 से ही बंद पड़ा हुआ था, झारखंड सरकार द्वारा पर्याप्त निधि के प्रावधान नहीं करने के कारण 4 वर्षों से अधिक के बाद भी पूर्ण नहीं किया गया जिसके कारण ₹ 141.10 करोड़ मूल्य के 661.91 एम.यू. का उत्पादन हानि हुआ।

### **पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण**

पी.टी.पी.एस. के 9 इकाईयों और एस.आर.एच.पी. के 2 इकाईयों का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण अपेक्षित होने के बाद भी प्रारंभ नहीं किया गया।

### **परिचालन एवं संधारण**

अवधि के दौरान ₹ 121.30 करोड़ का परिचालन एवं संधारण व्यय को जे.एस.ई.आर. सी. द्वारा गैर अनुमत्य किया गया जो मानदंड से अधिक था।

### **वित्तीय प्रबंधन**

झारखंड सरकार द्वारा योजनागत पूंजीगत योजनाओं/परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधि प्रदान नहीं किया गया था। जे.एस.ई.बी. द्वारा पूंजीगत योजनाएं या तो प्रारंभ ही नहीं किया गया या पूर्ण नहीं किया गया और इकाईयों का पूंजीगत संधारण योजनापूर्ण और सामयिक ढंग से नहीं किया जा सका था।

टी.वी.एन.एल. द्वारा जे.एस.ई.बी. पर बिजली विपन्न के पूर्ण राशि की वसूली नहीं किया जा सका और 31.03.2010 तक कुल बकाया ₹ 555.50 करोड़ तक हो गया। ऊर्जा क्रय अनुबंध में विशिष्ट प्रावधान के अभाव में कुल बकाया ₹ 1106 करोड़ के डी.पी.एस. दावा की भी वसूली नहीं हो सकी है।

### **शुल्क निर्धारण**

शुल्क याचिका नहीं दायर करने के कारण, 2005-06 के दौरान ₹ 5.68 करोड़ के राजस्व की हानि टी.वी.एन.एल. को सहन करना पड़ा।

### **पर्यावरण मामले**

टी.वी.एन.एल. द्वारा जनवरी 2006 से ही अपने ताप विद्युत केन्द्र को जे.पी.एस.सी.बी. से हवा और पानी के सहमति के बिना परिचालन किया जाता था। यद्यपि, जे.पी.एस.सी.बी. द्वारा पी.टी.पी.एस. को अपने ताप विद्युत केन्द्र द्वारा मात्र 80 मेगावाट तक बिजली उत्पादन की अनुमति प्रदान किया था, यह सीमा को अवहेलित कर बिजली उत्पादन कर रहा था। टी.वी.एन.एल. और पी.टी.पी.एस. दोनों द्वारा एम.ओ.इ.एफ. द्वारा इच्छित राख के उच्चतर उपयोग के लिए सूखा राख संग्रहण प्रणाली का स्थापना नहीं किया गया था।

### **सर्वोच्च प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण**

टी.वी.एन.एल. के अध्यक्ष का पद लगभग 25 महीनों के विभिन्न अवधियों के लिए रिक्त पड़ा था और निदेशक मंडल का बैठक नियमित रूप से नहीं होता था। समीक्षा अवधि के दौरान, प्रबंध निदेशक का पद भी 207 दिनों के लिए रिक्त पड़ा था। परिणामस्वरूप शीर्ष स्तर पर कम्पनी के मामलों का प्रभावी अनुश्रवण नहीं हो पाया।

### **उपसंहार एवं अनुशंसा**

समीक्षा अवधि के दौरान ऊर्जा उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हो पाया। परियोजना की क्षमता में वृद्धि आर.एण्ड एम./एल.इ. इकाईयों का पूंजीगत संधारण और बंद पड़े इकाईयों के

पुनर्स्थापन के लिए झारखंड सरकार द्वारा पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं कराया गया। विद्युत केन्द्रों के मरम्मतों में कमी/अपर्याप्त परिचालन के कारण जे.एस.ई.बी./ टी.वी.एन.एल. के वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों से उत्पादन बहुत ही कम था। राज्य के पुराने और जीवित संयंत्रों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण/जीवन अवधि बढ़ाने हेतु और पर्याप्त पूंजीगत संधारण नहीं किया गया था। समीक्षा में सात अनुशंसायें शामिल थे जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं का कार्यान्वयन, पी.टी.पी.एस. के इकाइयों के पुनरुत्थान/पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निधि का अनुप्रापन, पी.टी.पी.एस. के इकाइयों के योजनागत और सामयिक पूंजीगत मरम्मत/पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण और संधारण सम्मिलित था।

[कंडिका 4.2]

### 8. लेन-देन की लेखापरीक्षा का निष्कर्ष

इस प्रतिवेदन में लेन-देन की लेखापरीक्षा निष्कर्ष में पी.एस.यू. के प्रबंधन की विशिष्ट कमियाँ जो वित्तीय प्रभाव डालती हैं, शामिल हैं। महत्वपूर्ण अनियमिततायें मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं- मीटर बॉक्सों/केबुलों के क्रय में वित्तीय औचित्यता के अभाव और मीटर बॉक्सों की स्थापना नहीं होने के कारण ₹ 3.13 करोड़ के ब्याज की हानि के साथ ₹ 10.50 करोड़ के निधियों का अवरोधन हुआ।

[कंडिका 4.4]

कम्प्यूटरीकृत बिलों में सूचनाओं के समकालीकरण नहीं होने के कारण ₹ 1.36 करोड़ के निधियों का परिहार्य व्यय।

[कंडिका 4.6]

### 1.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

#### विशिष्टताएँ

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), एक शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना, को दिसम्बर 2000 में प्रारंभ किया गया था। पी.एम.जी.एस.वाई. का प्राथमिक उद्देश्य सभी असंयोजित ग्रामीण क्षेत्रों के वास स्थानों को सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों (आवश्यक पुलियों और तिर्यक जल निकास संरचना, जो सालों भर चलता रहे के साथ) से इस प्रकार संयोजन करना था कि तीन वर्षों (2000-03) में 1000 लोगों और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी असंयोजित वासस्थानों को एवं दसवें योजना अवधि (2007) के अन्त तक 500 और उससे अधिक की जनसंख्यावाले सभी असंयोजित वास स्थानों का आच्छादन हो जाय। विभाग लक्षित वासस्थानों को संयोजना प्रदान करने में विफल रहा और 2005-10 के दौरान सभी मौसमी पथों के साथ मात्र नौ प्रतिशत वासस्थानों को संयोजित किया गया।

2005-10 के दौरान 5 और 67 प्रतिशत के मध्य योजना निधि अनुपयोगित पड़ा रहा। राज्य सरकार द्वारा व्यापक नवीन संयोजन प्राथमिकता सूची/व्यापक उन्नत प्राथमिकता सूची को तैयार करने में विफलता के कारण वर्ष 2005-07 के लिए भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं को अनुमति प्रदान नहीं किया गया।

(कंडिका 1.1.7.1 और 1.1.8.1)

2005-10 के दौरान 5,427 लक्षित वासस्थानों को संयोजन प्रदान करने के लिए 1,957 ग्रामीण पथों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 496 वासस्थानों को संयोजना प्रदान करती मात्र 164 पथों का निमाण कार्य पूर्ण हुआ।

(कंडिका 1.1.8.3)

प्रतियोगितात्मक नीलामी बोली को सुनिश्चित किये बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सलाहकार अभियंताओं को कार्य आवंटित किया गया। सरकार को सेवा कर के रूप में ₹ 35 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 1.1.8.3)

पाँच संवेदकों द्वारा जाली बीजक प्रस्तुत कर बिटुमिन के लागत के रूप में ₹ 1.07 करोड़ का दुर्विनियोग किया गया। उसी प्रकार अस्वीकार्य बीजकों के प्रस्तुतीकरण के विरुद्ध बिटुमिन के लागत के रूप में तीन संवेदकों को भी ₹ 2.33 करोड़ का कपटपूर्वक भुगतान किया गया।

(कंडिका 1.1.8.6)

एक कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई के अधिकारियों के गुप्त सहयोग से कार्य के वास्तविक क्रियान्वयन के बिना ही संवेदकों को ₹ 63.30 लाख का भुगतान कर दिया गया।

(कंडिका 1.1.8.6)



राज्य निधि से पहले से ही निर्मित पथ के विरुद्ध संवेदक को ₹ 68.69 लाख का कपटपूर्वक भुगतान किया गया।

(कंडिका 1.1.8.6)

व्यापक नवीन संयोजन प्राथमिकता सूची में योजनागत पथों के कुल लम्बाई के विरुद्ध ₹ 79.14 करोड़ मूल्य के 261.30 कि.मी. पथ का आधिक्य लम्बाई निर्मित किया गया।

(कंडिका 1.1.8.9)

चूककर्ता संवेदकों से, जो नियत समय के अन्दर कार्य पूरा करने में विफल रहे, क्षतिपूर्ति हर्जाने के रूप में ₹ 13.51 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

(कंडिका 1.1.8.10)

पथ के 61 पैकेज अपूर्ण पड़े रहे या 24 महीने से अधिक के काफी विलम्ब के बाद पूर्ण हुए।

(कंडिका 1.1.8.13)

बिना पूर्णों के 86 पथ कार्यों पर ₹ 96.11 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जिससे पी.एम.जी.एस.वाई. का लक्षित वास स्थानों के सभी मौसम संयोजन प्रदान करने का उद्देश्य विफल हुआ।

(कंडिका 1.1.8.14)

### 1.1.1 प्रस्तावना

ग्रामीण पथ संयोजना ग्रामीण विकास का एक मूल अवयव है जिससे आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पहुँच को बढ़ावा मिलता है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार अवसर और कृषि आय में बढ़ोत्तरी की सृष्टि होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) शतप्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना को दिसम्बर 2000 में प्रारंभ किया गया था। पी.एम.जी.एस.वाई. का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य असंयोजित वासस्थानों का इस प्रकार संयोजन करना था कि तीन वर्षों (2002-03) में 1000 और अधिक की जनसंख्या वाले सभी असंयोजित वास स्थान एवं दसवें योजना अवधि (2007) के अन्त तक 500 और अधिक की जनसंख्या वाले सभी असंयोजित वास स्थान सभी मौसमी पथ (आवश्यक पुलियों और तिर्यक-नाली ढाँचा जो वर्ष भर संचालित रहे सहित) के द्वारा संयोजित हो जाय। जनजातीय (सूची-V) क्षेत्रों में 250 और अधिक की जनसंख्या वाले वासस्थानों के संयोजन का भी उद्देश्य था। पी.एम.जी.एस.वाई. ने उन जिलों जहाँ सभी योग्य वासस्थानों को पहले ही सभी मौसमी पथ संयोजन प्रदान किया जा चुका था के विद्यमान पथों के उन्नयन की अनुमति दी।

### 1.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (आर.डी.डी.) झारखण्ड राज्य ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (जे.एस.आर.आर.डी.ए.) के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में क्रियाशील, योजना कार्यान्वयन के कार्यभारित पदाधिकारी होते हैं और जिन्हें एक अधिकारयुक्त पदाधिकारी और एक मुख्य अभियंता द्वारा सहयोग किया जाता है। जे. एस.आर.डी.ए की स्थापना (2004) स्वायत्त अभिकरण के रूप में भारत सरकार (जी.ओ.आई.), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ. आर.डी.) से निधि प्राप्त करने और योजना कार्यान्वयन इकाईयों (पी.आई.यू.) को निधि प्रदान

करने के लिए हुई थी। यह राज्य में ग्रामीण सड़कों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए समर्पित अभिकरण के रूप में कार्यशील है। जे.एस.आर.डी.ए. के मुख्य अभियंता (सी.ई.) को ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंताओं (एस.ई.) और कार्यपालक अभियंताओं (ई.ई.) द्वारा सहयोग किया जाता है।

प्रत्येक जिले में ई.ई. योजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) के परियोजना पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

राज्य तकनीकी अभिकरण (एस.टी.ए.) परियोजनाओं के तकनीकी विशिष्टताओं पर संवीक्षा एवं राय देता है और पथों के प्रस्तावित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी.पी.आर.) का मूल्यांकन करते हैं। वित्त, वन, पंचायती राज, लोक कार्य, राजस्व, ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग के सचिवों को समाविष्ट कर बनायी गयी राज्य-स्तरीय स्टैन्डिंग समिति (एस.एल.एस.सी.) के प्रधान, मुख्य सचिव होते हैं। एस.एल.एस.सी. मुख्य नेटवर्क और व्यापक नवीन संयोजन प्राथमिकता सूची (सी.एन.सी.पी.एल.), व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची (सी.यू.पी.एल.), के जाँच एवं राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (एन.आर.आर.डी.ए.) को भेजे गए वार्षिक परियोजना प्रस्तावों के निस्तारण और योजनाओं के संपूर्ण अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होता है।

### 1.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- सभी मौसम पथ संयोजन प्रदान करने के लिए आयोजना उपयुक्त था;
- योजना का वित्तीय प्रबंधन प्रभावशाली था;
- कार्यों का क्रियान्वयन और उनका अनुरक्षण कुशलतापूर्वक किया गया था और
- अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त था।

### 1.1.4 लेखापरीक्षा के मापदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए निम्न लेखापरीक्षा मापदंड को अपनाया गया:

- भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा निर्गत पी.एम.जी.एस.वाई की मार्गदर्शिका;
- जिला ग्रामीण पथ योजना (डी.आर.आर.पी.), कोर नेटवर्क, सी.एन.सी.पी.एल. और सी.यू.पी.एल.;
- पी.एम.जी.एस.वाई. का संचालन नियमावली और मानक बोली दस्तावेज (एस.बी.डी.) के उपबंध;
- झारखण्ड लोक कार्य संहिता, सरकारी संकल्प, निर्देश और समय-समय पर निर्गत आदेश;
- गुणवत्ता नियंत्रण और अनुश्रवण प्रणाली; और
- झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियम, 2004 ।

### 1.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

मुख्य अभियंता, जे.एस.आर.आर.डी.ए के कार्यालय, सिंपल रैण्डम पद्धति द्वारा चयनित 28 पी.आई.यू. से 10<sup>1</sup> और 24 जिलों से 8<sup>2</sup> के अभिलेखों के नमूना जाँच द्वारा 2005-10 अवधि के लिए योजना का निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित (मार्च से जुलाई 2010) किया गया।

जे.एस.आर.आर.डी.ए. राँची के सचिव-सह-मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (सी.ई.ओ.) के साथ एक प्रारंभिक बैठक आयोजित (मार्च 2010) किया गया जिसमें लेखा परीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा मापदंडों और लेखा परीक्षा पद्धति पर चर्चा किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर चर्चा सचिव-सह-सी.ई.ओ. के साथ अन्तिम आयोजित बैठक अक्टूबर 2010 में हुआ। सचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि नियमों और कार्यपद्धतियों के अनुसार जहाँ आवश्यक हुआ सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं।

#### लेखापरीक्षा निष्कर्षों

### 1.1.6 योजना

कार्यक्रम के उद्देश्यों के सुव्यवस्थित और लागत प्रभावशाली ढंग से प्राप्ति के लिए उपयुक्त योजना अत्यावश्यक है। जिला ग्रामीण पथ योजना (डी.आर.आर.पी.) और कोर नेटवर्क के तैयारी के लिए नियमावली में योजना प्रक्रिया के उपाय और मध्यवर्ती पंचायत, राज्य स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी (एस.एल.एस.सी.) के साथ-साथ जिला पंचायत सहित विभिन्न अभिकरणों की भूमिका निर्धारित है। डी.आर.आर.पी. प्रत्येक जिले में सम्पूर्ण विद्यमान पथ नेटवर्क को बताता है और असंयोजित वास स्थानों तक संयोजन प्रदान करने के लिए प्रस्तावित पथों को भी चिन्हित करता है।

कोर नेटवर्क को प्रत्येक योग्य वासस्थानों तक आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के मौलिक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पथों को चिन्हित करना था। परिणामस्वरूप, प्रत्येक जिला का कोर नेटवर्क कुछ विद्यमान पथों के साथ साथ पी. एम. जी. एस. वाई के अन्तर्गत नये निर्माण के लिए प्रस्तावित पथों से बनाया जाता था। पुनश्च योग्य असंयोजित वासस्थानों वाले सभी जिलों को लक्षित जनसंख्या में 1000 एवं अधिक, 550-999 और 250 एवं अधिक को प्राथमिकता के सामान्य क्रम में उनको समूह में, पी.एम.जी.एस.आई. के अन्तर्गत सभी प्रस्तावित पथों को प्रखंड और जिला स्तर पर सी.एन.सी.पी.एल. और सी.यू.पी.एल. करना था। पी.एम.जी.एस.वाई. मार्गदर्शिका के कंडिका 6.11 के अनुसार, प्राथमिकता का क्रम और सी.एन.सी.पी.एल./ सी.यू.पी.एल. प्रस्ताव तैयार करने के दोहरा आधार थे। जहाँ प्राथमिकता के उच्चतर क्रम का पथ कार्य अभी भी करना बाकी हो, उसी जिला में प्राथमिकता के निम्नतर क्रम का कार्य नहीं लिया जाना था। यद्यपि निम्नतर प्राथमिकता के पथों के प्रस्तावों को भेजने पर उनका कारण अभिलिखित करना था।

<sup>1</sup> बोकारो, चाईबासा, चक्रधरपुर, डाल्टेनगंज (पलामू), देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुमला, राँची और हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्सन लि. (केन्द्रीय अभिकरण) राँची।

<sup>2</sup> बोकारो, डाल्टेनगंज (पलामू), देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुमला, राँची और पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)।

नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य में पंचायत का चुनाव अपने स्थापना के बाद से नहीं हुआ था, अतः पंचायती राज प्रणाली के अभाव में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जी.आर.डी.ए.) द्वारा जी.आर.आर.पी. को अनुमोदित किया गया था। नमूना जाँचित पी.आई.यू. अपने कोर नेटवर्क की अनुमोदित प्रतियाँ और सी.एन.सी.पी.एल. / सी.यू.पी.एल. की प्रखण्ड स्तर पर अनुमोदित प्रतियाँ प्रस्तुत करने में विफल रहें। उससे यह प्रदर्शित हुआ कि ग्रामीण सड़कों के लिए योजना का सम्पूर्ण प्रक्रिया क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के सम्मिलित हुये बिना जिला स्तर तक ही केन्द्रित था। आगे, यह देखा गया कि एन. आर.आर.डी.ए. से अनुमोदन के लिए सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को भेजते वक्त, सी.एन. सी.पी.एल. में दर्शित सड़कों के प्राथमिकता का क्रम कायम नहीं रखा गया और निम्नतर प्राथमिकता वाले सड़कों को पहले लिया गया जबकि उच्चतर प्राथमिकता की सड़कें निर्माण के लिए पड़ी थी। इसके लिए अभिलेखों में कोई कारण अभिलिखित नहीं था।

### 1.1.7 वित्तीय प्रबंधन

#### 1.1.7.1 आवंटन एवं व्यय

पी.एम.जी.एस.वाई., एक शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना, द्वारा परियोजना प्रस्ताव का तरीका अपनाया गया था जिसके अन्तर्गत सड़क कार्यों को नियत समय के अन्दर पूर्ण करना था। 2005-10 के दौरान भारत सरकार और झारखण्ड सरकार से प्राप्त निधियों और विहित व्यय को नीचे तालिका 1 में दिया गया है:-

तालिका-1: पी.एम.जी.एस.वाई. के आवंटन एवं व्यय प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि	राज्य की विमुक्ति	बैंक का व्याज	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अंतिम शेष	अनुपयोगित शेष (प्रतिशत)
2005-06	30.71	150.49	शून्य	3.63	184.83	67.01	117.82	64
2006-07	117.82	56.83	शून्य	10.43	185.08	60.45	124.63	67
2007-08	124.63	शून्य	0.40 <sup>3</sup>	8.81	133.84	69.67	64.17	48
2008-09	64.17	208.67	शून्य	1.84	274.68	215.34	59.34	22
2009-10	59.34	417.74	शून्य	9.03	486.11	460.00	26.11	05
<b>Total</b>		<b>833.73</b>	<b>0.40</b>	<b>33.74</b>		<b>872.47</b>		

(स्रोत: जे.एस.आर.आर.डी.ए, राँची)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- 2005-10 के दौरान उपलब्ध निधि पर अनुपयोगित निधि की प्रतिशतता 5 और 67 प्रतिशत के मध्य था। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान उपयोग नहीं किया गया निधि क्रमशः 64 और 67 प्रतिशत के मध्य थी जिसके कारण वर्ष 2007-08 में भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किया गया।
- आवंटन एवं व्यय के विवरणी के अनुसार, मार्च 2010 तक ₹ 26.11 करोड़ अनुपयोगित पड़ी थी। अन्य अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ₹ 78.89 करोड़<sup>4</sup> बैंकों में बचत/चालू खाता में या मियादी जमा के रूप में अनुपयोगित (मार्च 2010) पड़ी थी जिसके कारण ₹ 52.78 करोड़ का सामंजस्य नहीं हुआ।

<sup>3</sup> ₹ 40 लाख विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) की तैयारी के लिए विमुक्त किया गया।

<sup>4</sup> ₹ 78.50 करोड़ संचित लम्बी मियादी जमा (सी.एल.टी.डी.) संख्या (i) 30750234259 (ii) 30959188863 (iii) 30558979869 (iv) 30144994674 (v) 30356504953 (vi) 30700492390 भारतीय स्टेट बैंक के हटिया शाखा, राँची में पड़ा था और बाकी बचत/चालू बैंक खाता में शेष था।

<sup>5</sup> ₹ 78.89 करोड़ घटाव ₹ 26.11 करोड़।

2005-10 के दौरान योजना निधियों की अनुपयोगिता 5 और 67 प्रतिशत के मध्य थी

अतिरिक्त संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि 2005-10 के दौरान जे.एस.आर.आर.डी.ए. द्वारा नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. को ₹ 477.88 करोड़ उपलब्ध कराया गया था, जिसके विरुद्ध ₹ 407.06 करोड़ को योजना के क्रियान्वयन पर व्यय किया गया और ₹ 69.71 करोड़ जे.एस.आर.आर.डी.ए. को प्रत्यार्पित किया गया। फलस्वरूप, ₹1.11 करोड़ चार पी.आई. यू.<sup>6</sup> के पास अनुपयोगित (मार्च 2010) पड़ी थी जिसको बैंक अनुमोदन प्रणाली के अंगीकरण के पश्चात प्रत्यार्पित कर देना था (परिशिष्ट-1.1)।

#### 1.1.7.2 वसूला गया सरकारी राजस्व का सरकारी खाता में नहीं जमा किया जाना

आयकर अधिनियम, 1961 के नियम-201 के उप-नियम (1ए) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति, प्रधान पदाधिकारी या कम्पनी जो इस उप धारा में संदर्भित है द्वारा इस नियम के अन्तर्गत कर नहीं काटा या काटने के बाद, कर भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे उस कर की राशि पर उस दिन से जिस दिन कर काटा जाना था, से वास्तविक रूप से भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत का सरल ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान है। आगे, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सरकार (फरवरी 1979)<sup>7</sup> के आदेश के अनुसार राज्य प्राप्ति को प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर सरकारी लेखों में जमा करने के लिए उत्तरदायी माना जाना था।

जे.एस.आर.डी.ए के तुलन-पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने से ज्ञात हुआ कि 2008-10 के दौरान सात ग्रामीण कार्य प्रमंडलों<sup>8</sup> द्वारा संवेदक के विपत्र से आयकर, बिक्रीकर, रायल्टी और लेबर सेस के रूप में ₹ 1.84 करोड़ की कटौती की राशि का सरकारी खाते में जमा नहीं कर जे.एस.आर.डी.ए. द्वारा रख लिया गया था जैसा कि तालिका-2 में दिया गया है।

तालिका-2 : सरकारी प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	वर्ष	आयकर	बिक्री कर	रायल्टी	लेबर सेस	कुल
1	देवघर	2009-10	0.04	0.03	-	-	0.07
2	पूर्वी सिंहभूम	2009-10	0.01	-	-	-	0.01
3	गिरिडीह	2009-10	शून्य	0.10	0.27	-	0.37
4	हजारीबाग	2009-10	-	-	0.07	-	0.07
5	जामताड़ा	2009-10	-	0.03	-	-	0.03
6	खूँटी	2008-09	0.33	0.21	0.08	-	0.62
		2009-10	0.07	0.10	0.11	0.05	0.33
7	रामगढ़	2009-10	-	0.13	0.21	-	0.34
कुल			0.45	0.60	0.74	0.05	1.84

(स्रोत:जे.एस.आर.आर.डी.ए., राँची)

आगे, नमूना जाँच किये गये 10 पी.आई.यू. में, गुमला के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि संवेदकों के विपत्र से कटौती किया गया ₹ 84.48 लाख<sup>9</sup> सरकारी लेखे में जमा नहीं किया गया जैसा कि आयकर (शीर्ष"0021") वाणिज्य कर (शीर्ष"0040") रायल्टी (शीर्ष"0853", और लेबर सेस (शीर्ष"0230")।

प्रमंडल पदाधिकारी वसूली का वर्ष और कार्य जिसके विरुद्ध वसूली किया गया था, का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षा द्वारा चूक कर्ता पदाधिकारियों द्वारा भुगतेय ब्याज की राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

<sup>6</sup> चक्रधरपुर, डाल्टेनगंज, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और राँची।

<sup>7</sup> मेमो सं.टी-2-101/78/1946 दिनांक 14.2.79.

<sup>8</sup> देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, खूँटी और रामगढ़

<sup>9</sup> आयकर (₹ 23.26 लाख), बिक्री कर (₹ 23.47 लाख), रायल्टी (₹ 33.95 लाख), और लेबर सेस (₹ 3.80 लाख)।

### 1.1.7.3 मोबिलाईजेशन अग्रिम का असमायोजन

2005-10 की अवधि के लिए जे.एस.आर.आर.डी.ए, राँची के तुलन-पत्र देखने पर यह भी ज्ञात हुआ कि सड़क कार्य के क्रियान्वयन के लिए संवेदको को ₹ 8.80 करोड़ का अग्रिम दिया गया था जिसमें मोबिलाईजेशन अग्रिम (₹ 5.08 करोड़) और उपकरण अग्रिम (₹ 3.72 करोड़) के रूप में था, जो मार्च 2010 तक असमायोजित पड़ा हुआ था।

### 1.1.7.4 विश्व बैंक सहायता का अनुपयोग

जे.एस.आर.आर.डी.ए, राँची के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विश्व बैंक (डब्ल्यू.बी.) ट्रॉन्व-॥ द्वारा 33 सड़कों के निर्माण के जरिये से 93 वासस्थानों को संयोजन प्रदान करने के लिए ₹ 44.90 करोड़ मूल्य के सड़कों के 19 पैकेजों<sup>10</sup> को अनुमति प्रदान की गई लेकिन राज्य सरकार द्वारा निविदा प्रीमियम के अतिरिक्त लागत को वहन नहीं करने के कारण इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। विश्व बैंक के नियमों के अन्तर्गत कार्य का पुनर्निविदा अनुमत्य नहीं था। परिणामस्वरूप, राज्य ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 44.90 करोड़ के विश्व बैंक सहायता से वंचित हुआ और इन सड़कों का लागत भार पी.एम.जी.एस.वाई. निधि पर पड़ गया।

### 1.1.7.5 रॉयल्टी की कम कटौती

झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (जे.एम.एम.सी.) नियम 2004 के अन्तर्गत, कार्य संवेदको को लघु खनिजों का केवल पट्टाधारियों/परमिटधारको और अधिकृत व्यापारियों से ही क्रय करना आवश्यक था। आगे, नियम में प्रदत्त था कि कार्य संवेदक द्वारा विपत्र के साथ प्राप्त मात्रा और भुगतित मूल्य, खनिज के क्रय के स्रोत का ब्योरा फार्म 'पी' और फार्म 'ओ' में शपथ-पत्र का प्रस्तुतीकरण करना होगा। कार्य विभाग द्वारा खनन विभाग को प्रस्तुत ओ.आर.पी. की छायाप्रतियों की ब्योरों की जाँच के लिए अग्रसारित करना अनिवार्य था। यदि प्रस्तुत ब्यौरा या तो पूरे तौर पर या आंशिक तौर पर झूठा पाया गया तो यह माना जायेगा कि खनिज गैरकानूनी खनन द्वारा प्राप्त किये गये थे और चूककर्ताओं को जुर्माना के रूप में दुगुने दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि संवेदकों द्वारा न तो विहित फार्म प्रस्तुत किया गया और न ही पी.आई.यू. द्वारा इन्हे मांगा गया। परिणामस्वरूप, लघु खनिजों की गैर कानूनी खनन से प्राप्ति से इन्कार नहीं किया जा सकता था। 197 कार्यों में उपयोग किये गये खनिजों के विरुद्ध रॉयल्टी के रूप में वसूलनीय ₹ 3.97 करोड़ में से, मात्र ₹ 1.90 करोड़ ही चार पी.आई.यू. द्वारा वसूला गया। परिणामस्वरूप, संवेदको से ₹ 2.07 करोड़ का कम उगाही हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-1.2** में दिखाया गया है।

### 1.1.7.6 व्ययगत बैंक गारंटी

मानक बोली दस्तावेज (एस.बी.डी.) के कंडिका 32 और 46 के अनुसार, सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र प्राप्त होते ही ढाई प्रतिशत का निष्पादन जमानत के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से नियोक्ता के नाम से या तो बैंक गारंटी (बी.जी.) के रूप में या मियादी जमा रसीदों के रूप में जमा करना था। बैंक गारंटी की बैधता अवधि पहले एक वर्ष की ही रहनी थी, लेकिन विभाग को यह सुनिश्चित करना था कि बी.जी. को इस प्रकार विस्तारित किया जाये कि यह नियोक्ता के पास पाँच वर्ष के दोष दायित्व अवधि के समाप्ति के दिन से 45 दिनों तक उपलब्ध रहे।

<sup>10</sup> दुमका-जे.एच. डब्ल्यू.बी.-0501 से 0507, पूर्वी सिंहभूम-जे.एच. डब्ल्यू.बी. 0601 से 0606, हजारीबाग- जे.एच. डब्ल्यू.बी.1101 से 1103, रामगढ़- जे.एच. डब्ल्यू.बी.2401 से 2403।

सात पी.आई.यू.<sup>11</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सड़क कार्यों के 23 पैकेजों के विरुद्ध 20 संवेदकों द्वारा निपादन जमानत के रूप में ₹ 2.83 करोड़ मूल्य का प्रस्तुत किया गया बी.जी. पाँच वर्षों के दोष दायित्व अवधि के अन्दर ही (दिसम्बर 2004 से जनवरी 2010) व्ययगत हो गये जैसा कि **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा न तो वैध अवधि के अन्दर बैंक गारंटी के मूल्य को भुनाया गया और न ही दोष दायित्व अवधि को आच्छादित करता बैंक गारंटी का पुनर्वैधता ही कराया गया। इसके कारण, यदि दोष दायित्व अवधि के दौरान कार्य में कोई खराबी पाई गई और संवेदक अपना संवेदकीय बाध्यताओं को पूर्ण करने में विफल रहे तो सरकार वसूली करने में असहाय हो जायगी।

#### 1.1.7.7 निर्माणाधीन सड़कों का बीमा से आच्छादित नहीं होना

संविदा (एस.बी.डी. की कंडिका 13.1) के शर्तों के अनुसार, संवेदक को अपने स्वयं के लागत से नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से कार्य के प्रारंभ की तिथि से पूर्णता की तिथि तक प्रभावी कार्य के टूट-फूट या हानि, व्यक्तिगत चोट और मशीन एवं उपकरण की खराबी के लिए बीमा प्रदान करना था। संवेदक को कार्य के खराबी या हानि और व्यक्तिगत चोटों के विरुद्ध बीमा के लिए संविदा मूल्य का दो प्रतिशत बीमा किश्त और मशीन एवं उपकरण के खराबी के लिए उपकरण मूल्य का दो प्रतिशत बीमा किश्त के रूप में भुगतान करना था।

नमूना जाँच किये गये 10 पी.आई.यू. में से सात<sup>12</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि किसी भी संवेदक द्वारा किसी भी सड़क के लिए बीमा आच्छादन प्रदान नहीं किया गया और न ही कार्यपालक अभियंताओं द्वारा संविदा के उपबंधों के पालन के लिए संवेदकों पर दबाव डाला गया।

परिणामस्वरूप जैसा कि **परिशिष्ट 1.4** में दर्शित है, ₹ 3.90 करोड़<sup>13</sup> के बीमा किश्त जो कि कार्य के खराबी एवं हानि और व्यक्तिगत चोटों के विरुद्ध बीमा के लिए आवश्यक था, प्रदान नहीं किया गया। उपकरण के बीमा आच्छादन के किश्त की राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि संवेदकों द्वारा उपकरण का लागत प्रस्तुत नहीं किया गया था। संविदा में अंकित शर्तों का अनुपालन करवाने में विफलता के कारण संवेदक को अनुचित सहायता प्रदान किया गया।

### 1.1.8 कार्यक्रम का कार्यान्वयन

#### 1.1.8.1 लक्ष्य एवं प्राप्ति

2005-10 के दौरान परियोजनाओं का सुनिश्चित मूल्य, प्राप्त व्यय के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि और योग्य वासस्थानों को संयोजन प्रदान करती कार्यों को **तालिका-3** में दिखाया गया है।

तालिका-3 भारत सरकार द्वारा सड़कों के प्रस्तावों का निष्पादन

वर्ष	फेज संख्या	भारत सरकार द्वारा निष्पादित प्रस्ताव				राशि विमुक्त	कार्य पूर्ण एवं प्राप्त व्यय				उपलब्धि में हास (हास का प्रतिशत कोष्ठ में दिखाया गया है)		
		संयोजन योग्य वास स्थान	सुनिश्चित सड़कों की संख्या	सड़कों की लम्बाई (कि.मी. में)	निष्पादित प्रस्तावों का मूल्य (₹ लाख में)		भारत सरकार	संयोजित वास स्थान	पूर्ण सड़कों की संख्या	सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	वहिले व्यय (₹ करोड़ में)	संयोजन के लिए बचे वास की संख्या	अपूर्ण सड़कों की संख्या
2005-06		भारत सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव निष्पादित नहीं किया गया											
2006-07		भारत सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव निष्पादित नहीं किया गया											
2007-08	V	1127	353	1679.78	499.49	249.74	469	151	933.98	319.94	658 (58)	202 (57)	745.80 (44)
2008-09	VI	2431	669	3122.40	973.12	305.13	27	13	492.48	315.34	2404 (99)	656 (98)	2629.92 (84)
2009-10	VII	466	279	1026.42	280.21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	466 (100)	279 (100)	1026.42 (100)
	VIII	1403	656	2255.20	601.87	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1403 (100)	656 (100)	2255.20 (100)
<b>कुल</b>		<b>5427</b>	<b>1957</b>	<b>8083.80</b>	<b>2354.69</b>	<b>554.87</b>	<b>496</b>	<b>164</b>	<b>1426.46</b>	<b>635.28</b>	<b>4931</b>	<b>1793</b>	<b>6657.34</b>

(स्रोत: जे.एस.आर.आर.डी.ए. राँची)

<sup>11</sup> चाईबासा, चक्रधरपुर, डाल्टेनगंज, दुमका, गिरिडीह, गुमला और राँची।

<sup>12</sup> बोकारो, चाईबासा, डाल्टेनगंज, देवघर, दुमका, गिरिडीह और गुमला।

<sup>13</sup> मामलों के आधार पर संविदा मूल्य के दो प्रतिशत के दर पर परिकलित किया गया।



तालिका दिखाता है कि:

- राज्य सरकार द्वारा जिलों का सी.एन.सी.पी./एल.सी.यू.पी.एल. तैयार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005-07 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) द्वारा सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव का निष्पादन नहीं किया गया। सी.एन.सी.पी.एल./सी.यू.पी.एल. को तैयार नहीं करने का कोई कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया।
- 2007-10 के दौरान अनुमोदित सड़कों के लिए ₹ 2354.69 करोड़ के सुनिश्चित मूल्य के विरुद्ध पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत सड़क के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा ₹ 554.87 करोड़ (24 प्रतिशत) विमुक्त किया गया जिसका कारण जिलों का सी.एन.सी.पी.एल./सी.यू.पी.एल. को तैयार नहीं करना और कार्य की धीमी प्रगति थी।
- 2005-10 के दौरान निर्माण के लिए 1,957 ग्रामीण सड़कों के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 164 (आठ प्रतिशत) को ही पूर्ण किया गया।
- 2007-10 के दौरान 5,247 वास स्थानों को संयोजित करने के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 496 निवासों (नौ प्रतिशत) को संयोजित किया गया।

आठ जिलों में 10 नमूना जाँचित पी.आई.यू. के पी.एम.जी.एस.वाई के प्रगति प्रतिवेदन और सी.एन.सी.पी.एल. की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि प्रत्येक 1000 से अधिक जनसंख्या वाले 448 सड़कों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध मार्च 2010 तक मात्र 351 सड़कों को ही निर्माण के लिए लिया गया। इसी तरह, प्रत्येक 500 और अधिक जनसंख्या वाले 960 सड़कों के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 126 सड़कों को ही निर्माण के लिए लिया गया। ब्यौरा तालिका-4 में दिया गया है।

तालिका-4- नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. में सड़क के निर्माण का लक्ष्य एवं प्राप्ति

जिला का नाम	वास स्थानों को आच्छादित करती सड़कों की संख्या		निर्माण के लिए ली गयी सड़कें		बची हुई सड़कें (प्रतिशत कोष्ठ में दिखाया गया)	
	1000+	500+	1000+	500+	1000+	500+
बोकारो	99	85	90	-	09	85
डाल्टेनगंज	119	102	78	-	41	102
देवघर	42	149	33	05	09	144
दुमका	22	174	04	13	18	161
गिरिडीह	110	148	103	-	07	148
गुमला	20	120	10	23	10	97
रौंछी	31	103	30	24	01	79
पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा और चक्रधरपुर)	05	79	03	61	02	18
<b>कुल</b>	<b>448</b>	<b>960</b>	<b>351</b>	<b>126</b>	<b>97 (21)</b>	<b>834 (87)</b>

(स्रोत: नमूना जाँचित पी.आई.यू. द्वारा प्रदत्त आँकड़ा)

उपरोक्त तालिका में दर्शित है कि नमूना जाँचित पी.आई.यू. दसवीं योजना अवधि (2007) तक लक्षित निवासों को संयोजन प्रदान करने जो पी.एम.जी.एस.वाई के मार्गदर्शिका में सन्निहित था, से बहुत पीछे थी।

एन.आर.आर.डी.ए. द्वारा अनुमोदित सड़कों के निर्माण के लिए फेजवार परियोजना और उनके विरुद्ध उपलब्धियाँ **परिशिष्ट-1.5** में दर्शित है जिससे पता चला कि 2007-08 में मात्र 58 प्रतिशत सड़कों का ही निर्माण किया गया।

### 1.1.8.2 ट्रान्सेक्ट वॉक का व्यवस्था नहीं होना

पी.एम.जी.एस.वाई. मार्गदर्शिका के कंडिका 8.4 के अनुसार प्रत्येक पी.आई.यू. को ग्राम पंचायत के प्रणाली के तहत स्थानीय समुदाय के सलाह से बहुत ही उपयुक्त संरेखन वन भूमि सहित भूमि की उपलब्धता और विपरीत सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे विवादों को हल करना था। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पी.आई.यू. को प्रत्येक परियोजना के लिए अनौपचारिक ट्रान्सेक्ट वॉक<sup>14</sup> की व्यवस्था करनी थी। प्रत्येक वॉक के अन्त पर, वॉक के दौरान उठे विवादों और विवादों के निपटारों के लिए की गयी कार्रवाई को अभिलिखित करने के बाद संरेखण को अंतिम रूप देना था। सम्बद्ध पंचायत के सचिव के द्वारा इसको एक दस्तावेज में अभिलिखित करना था और पंच/प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना था। अन्तिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.)<sup>15</sup> के साथ इस दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करना था।

नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. के डी.पी.आर. की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ट्रान्सेक्ट वॉक से संबंधित कोई वैसा दस्तावेज डी.पी.आर. के साथ संलग्न नहीं था जो इस तथ्य की तरफ इशारा करता कि जैसे ट्रान्सेक्ट वॉक की बहुसंभवतः व्यवस्था किया ही नहीं गया था।

### 1.1.8.3 प्रतियोगितात्मक बोली आमंत्रित किये बिना कार्य का आवंटन

सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों और ग्रामीण सड़क नियमावली के अनुसार प्रत्येक पी.आई.यू. द्वारा प्रत्येक प्रस्तावित सड़क कार्य के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करना था। झारखण्ड लोक कार्य संहिता के नियम 158 और उसके अन्तर्गत निर्गत आदेशों के अन्तर्गत नियत था कि ₹ 50,000 से अधिक राशि के सभी कार्यों के लिए निविदा प्राप्त करना आवश्यक था। आगे, समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 के धारा 65 (41) और 67 के साथ पठित धारा-66 के अनुसार सलाहकार अभियंताओं द्वारा प्रदत्त अभियंत्रण सलाहकार सेवाओं पर उस समय पर लागू दर पर सेवा कर भारित किया जाना था। झारखण्ड लोक कार्य लेखा संहिता के नियम 78 के साथ पठित नियम-64 के अनुसार सभी भुगतान जहाँ पदाधिकारी चेक बनाने के लिए अधिकृत हों, वहाँ यथासंभव चेक द्वारा ही भुगतान होना था।

सभी नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2005-10 के दौरान प्रस्तावित सड़कों के डी.पी.आर. तैयार करने के लिए जे.एस.आर.आर.डी.ए. द्वारा ₹ 3.32 करोड़ विमुक्त किया गया। निधि प्राप्त होते ही, का.अभि. द्वारा शीघ्रतापूर्वक प्रतियोगितात्मक बोली के लिए निविदा आमंत्रण किये बिना डी.पी.आर. की तैयारी के लिए सलाहकार अभिकरणों को कार्य आवंटित कर दिया गया।

व्यय के प्रमाणपत्र की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सलाहकार अभिकरणों जिन्हें कार्य सौंपा गया था भारत सरकार के केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर विभाग में निबंधित ही नहीं थी। रोकड़ मेमो/विपत्र पर क्रमसंख्या मुद्रित नहीं थे और जे.ई./ए.ई. द्वारा उन फर्मों को चेक के बजाय नगद में भुगतान किया गया। यह प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता पर संदेह का सृजन करता था।

प्रतियोगितात्मक बोली को सुनिश्चित करने के संहितात्मक प्रावधानों के अनुपालन और नियत

प्रतियोगितात्मक बोली सुनिश्चित किये बिना डी.पी.आर. की तैयारी के लिए सलाहकार अभिकरणों को कार्य आवंटित किया गया

<sup>14</sup> भूमि विवादों, विपरीत सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को हल करने के लिए सामुदायिक सदस्यों/अधिकारियों के साथ चलना।

<sup>15</sup> झारखण्ड पी.डब्ल्यू.डी. संहिता के नियम 112 के अनुसार डी.पी.आर. में (ए) प्रतिवेदन, (बी) विशिष्टताएँ, (सी) आकलन गणना के साथ, (डी) दरों का विश्लेषण और (ई) आरेख के अन्तर्गत सूचीबद्ध बातें सन्निहित होती हैं।

मानदंडों के उल्लंघन में अनिबंधित फर्मों को कार्य सौंपे जाने के परिणामस्वरूप 12.36 प्रतिशत की दर से ₹ 2.81 करोड़ के व्यय पर आरोप्य सेवा कर के रूप में ₹ 35 लाख के राजस्व की हानि हुई।

#### 1.1.8.4 निविदा प्रक्रिया में अनियमिततायें

ग्रामीण विकास विभाग के आदेशों के अनुसार प्रतिबंधित/काली सूचीबद्ध संवेदको को कार्य नहीं देना था और निविदा प्रक्रिया में एकल बोली सहभागिता को अस्वीकार कर स्वच्छ निविदा को आमंत्रित करना था।

- 10 नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. में पी.आई.यू. में से डाल्टेनगंज में यह पाया गया कि फेज-V के अन्तर्गत ₹ 12.27 करोड़ के लागत के सड़क कार्य तीन पैकेजों<sup>16</sup> में वैसे संवेदकों को आवंटित किया गया (मार्च और अप्रैल 2008) जो सी.ई., जे.एस.आर.आर.डी.ए., राँची के आदेश<sup>17</sup> द्वारा प्रतिबंधित (5 अक्टूबर 2006) थे। कार्य संवेदको को विभाग के आदेशों का उल्लंघन कर आवंटित किया गया।
- तकनीकी बोली के तुलनात्मक विवरणी को देखने से ज्ञात हुआ कि ₹ 4.81 करोड़ के लिए फेज-IV के पैकेज सं. जे.एच.1701 के तकनीकी बोली में दो संवेदकों<sup>18</sup> द्वारा भाग लिया गया (नवम्बर 2006)। दो में से एक संवेदक (मेसर्स अभय इन्टरप्राइजेज) सी.ई. के आदेश (5 अक्टूबर 2006) के द्वारा न केवल प्रतिबंधित था बल्कि अग्रघन की राशि और अन्य दस्तावेजों को भी जमा करने में विफल रहा था। परिणामस्वरूप, केवल एक संवेदक था जिसकी बोली पर विचार किया जाना था। इसके बावजूद, एकल बोली को स्वीकार किया गया और ₹ 4.81 करोड़ का कार्य विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए स्वच्छ निविदा आमंत्रण के बिना एकल बोली बोलने वाले को अनियमित रूप से आवंटित कर दिया गया।

#### 1.1.8.5 एन.आर.आर.डी.ए. के अनुमोदन के बिना विशिष्टियों में परिवर्तन

पी.एम.जी.एस.वाई. मार्गदर्शिका के कंडिका 11.1 के अनुसार राज्य तकनीकी अभिकरण (एस.टी.ए.) द्वारा संवीक्षित और मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित सभी परियोजनाओं को मूल रूप में निविदित करना था और राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण(एन.आर.आर.डी.ए.) के पहले अनुमोदन के बिना कार्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना था।

मुख्य अभियंता (सी.ई.), जे.एस.आर.आर.डी.ए. राँची द्वारा दो सड़कों<sup>19</sup> के निर्माण के लिए ₹ 3.75 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (सितम्बर 2006) और ₹ 3.32 करोड़ का कार्य एक संवेदक (मेसर्स आदर्श कंस्ट्रक्सन, पलामू) को आवंटित किया गया (नवम्बर 2006)। पी.आई.यू. गुमला के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इन सड़कों के डी.पी.आर. की विशिष्टियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण डी.पी.आर. को तदनुसार संशोधित किया गया और

<sup>16</sup> ₹ 4.10 करोड़ पर जे.एच. 1702 मेसर्स अभय इन्टर प्राइजेज को ₹ 3.00 करोड़ पर जे.एच. 1704 मेसर्स चंडी इन्टरप्राइजेज को और ₹ 5.17 करोड़ पर जे.एच. 1706 मेसर्स कलावती कन्स्ट्रक्सन को।

<sup>17</sup> झारखण्ड सरकार, ग्रामीण विकास विभाग का पत्र सं. 8808 दिनांक 5.10.06।

<sup>18</sup> मेसर्स अभय इन्टरप्राइजेज और मेसर्स अरविन्द कन्स्ट्रक्सन।

<sup>19</sup> अम्बाटोली से सिकरी भाया पपुरा सड़क (लम्बाई 6 कि.मी.) और आर.ई.ओ. सड़क नटवाल से दीना वाया काटेगम (लम्बाई 8 कि.मी.) फेज-IV का पैकेज सं. जे.एच.100।

एन.आर.आर.डी.ए. के पूर्व अनुमोदन के बिना ₹ 4.19 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी (अगस्त 2007)। यह भी अवलोकित हुआ कि संवेदक को ₹ 3.15 करोड़ के भुगतान के पश्चात कार्य को पहले ही बंद<sup>20</sup> कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ। यह मार्गदर्शिका के प्रावधानों का साफ उल्लंघन था जिसमें विशिष्टियों के किसी परिवर्तन के मामले में एन.आर.डी.ए. की पूर्व अनुमोदन आवश्यक था।

#### 1.1.8.6 दुर्विनियोग/कपटपूर्ण भुगतान/कार्यों का संदेहास्पद क्रियान्वयन

झारखण्ड सरकार द्वारा मार्च 2002 में एक संकल्प पारित किया गया जिससे पथ कार्यों में संलग्न संवेदक सीधे सरकारी तेल कम्पनियों से बिटूमिन प्राप्त कर सकते थे। कार्य के आवंटन के बाद, सम्बद्ध प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक का नाम, कार्य का नाम, बिटूमिन की आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता/विशिट कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए तेल कम्पनी को प्राधिकार पत्र जारी करना था। सम्बद्ध प्रमंडल की सूचना के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र के विरुद्ध तेल कम्पनी संवेदक को बिटूमिन बिक्री करना था। संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंताओं को 48 घंटों के अंदर बिटूमिन प्राप्ति की सूचना और तेल कम्पनी से कार्यस्थल पर लाये गये बिटूमिन की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक था। जैसे ही बिटूमिन कार्यस्थल पर लाया गया कार्यपालक अभियंता या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि, कनीय अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा बिटूमिन के क्रय के प्रमाणक के रूप में प्रस्तुत किये गये बीजक (इनवायस) के साथ-साथ मात्रा, गुणवत्ता और विशिटियों की जाँच हेतु बिटूमिन का भौतिक सत्यापन करना था और कार्यपालक अभियंता को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। लेखा परीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) बीजकों के सृजन के लिए टी.डी.एम./सैप का उपयोग करती थी जिसमें से 15 अंको की विशिट वर्ण संख्या धारित एक से अधिक बीजक का बनाना अनुमत नहीं था। केन्द्रीय उत्पाद नियम, 2002 के नियम-11 के अंतर्गत उप-नियम-3 के अनुसार आई.ओ.सी. द्वारा बीजकों को तीन प्रतियों में तैयार किया जाता है जैसे कि (i) क्रेता के लिए मूल (ii) वाहक के लिए द्वितीय और (iii) निर्धारिती के लिए तीसरी। इंडियन ऑयल द्वारा निर्गत बीजकों की रेखांकित/पुनः मुद्रित प्रतियाँ बीजकों की अतिरिक्त प्रतियाँ थी और ग्राहकों द्वारा भुगतान के दावे के लिए उपयुक्त नहीं थी।

नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. में निम्न अनियमिततायें पायी गयी थीं:-

बिटूमिन के लागत के रूप में ₹ 1.07 करोड़ का दुर्विनियोग हुआ

(क) दस पी.आई.यू. में से छः<sup>21</sup> के अभिलेखों की नमूना जाँच से दर्शित था कि पाँच संवेदकों द्वारा सड़क कार्य के सात पैकेजों<sup>22</sup> के निर्माण के लिए बिटूमिन के 408.451 एम.टी. के क्रय के प्रमाण में 43 बीजकों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें से 34 बीजकों को जाली पाया गया जैसा कि तेल कम्पनी द्वारा बताया गया। परिणामस्वरूप ₹ 85.64 लाख का दुर्विनियोग हुआ। बचे हुए नौ बीजकों में, ₹ 21.51 लाख, अभिकरणों को कपटपूर्ण ढंग से भुगतान किया गया जहाँ या तो बिटूमिन वास्तविक रूप में कार्य पूर्ण होने के बाद प्राप्त किया गया था या आवश्यक मात्रा के क्रय को सही ठहराने के लिए एक ही बीजक की दो प्रतियाँ प्रस्तुत की गयी थीं या मूल प्रति एक कार्य में प्रस्तुत किया गया और रेखांकित (अतिरिक्त)

<sup>20</sup> पत्रांक सं. जे.एस.आर.आर.डी.ए.-306/08/1412 (संलग्न) दिनांक 03.04.2010 ।

<sup>21</sup> चक्रधरपुर, डाल्टेनगंज, देवघर, गुमला, गिरिडीह और राँची।

<sup>22</sup> सात पैकेजों- चक्रधरपुर -जे.एच.-2204 फेज-III, डाल्टेनगंज-जे.एच.1707 फेज-V, देवघर -जे.एच.0304 फेज- III, गिरिडीह-जे.एच.-0803 फेज-III, जे.एच.0802 फेज- IV, गुमला-जे.एच.1002 फेज-V, राँची जे.एच.-1802 फेज- IV ।

प्रति अन्य कार्य में प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप, कुल ₹ 1.07 करोड़ का दुर्विनियोग हुआ जैसा कि तालिका-5 में ब्योरा दिया गया है।

तालिका-5: संवेदकों द्वारा प्रस्तुत जाली बीजक

क्रम सं.	पी.आई.यू. का नाम	फेज सं.	पैकेज सं.	अधिकरण का नाम	बीजको की संख्या	बिटूमिन की मात्रा एम.टी. में	राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
1	गुमला	V	जे.एच. 1002	गंगा कस्ट्रक्सन	08	72.000	23.55	बीजक 15 अंको <sup>23</sup> की विशेष वर्ण संख्याधारित थी, जो तेल कम्पनी द्वारा निर्गत बीजकों के उचित फार्म में नहीं पाये गये। इन बीजकों के तिर्यक-जाँच के दौरान तेल कम्पनियों के सम्बद्ध डिपो द्वारा बताया गया कि इन बीजकों को उनके अभिलेख के अनुसार उनके द्वारा निर्गत नहीं किया गया था।
2	डाल्टेनगंज	V	जे.एच. 1707	-वही-	08	72.616	20.13	
3	राँची	IV	जे.एच. 1802	-वही-	17	154.309	40.33	
4	देवघर	III	जे.एच. 0304	भूपेन्द्र इंजिनियरिंग कस्ट्रक्सन प्रा. लि.	01	9.077	1.63	बीजकों का तेल कम्पनियों द्वारा कार्य में पूर्णता के बाद निर्गत किया गया।
5	देवघर	III	जे.एच. 0304	भूपेन्द्र इंजिनियरिंग कस्ट्रक्सन प्रा. लि.	3	27.144	6.70	
6	चक्रधरपुर	III	जे.एच. 2204	गिरीश कुमार सिंह	02	35.995	6.28	रेखांकित और मूल बीजक एक ही कार्य में उपयोग किया गया।
7	गिरिडीह	III	जे.एच. 0803	सुरेन्द्र प्रसाद एंड कम्पनी	02	16.590	3.41	मूल बीजक एक कार्य में दिखाया गया अर रेखांकित प्रति अन्य कार्य में
8	गिरिडीह	IV	जे.एच. 0802	मेसर्स एनो ब्रिज कस्ट्रक्सन	02	20.720	5.12	अन्य कार्यों से संबंधित बीजक को इस कार्य में दिखाया गया था।
कुल					43	408.451	107.15	

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

अयोग्य बीजकों के उपस्थापन के विरुद्ध संवेदकों को ₹ 2.33 करोड़ भुगतान

(ख) दस पी.आई.यू. में से छः<sup>24</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 11 संवेदकों द्वारा सड़क कार्यों के 14 पैकेजों में उपयोगित दर्शाये गये बिटूमिन के 963.524 एम.टी के प्राप्ति के विरुद्ध 76 बीजक प्रस्तुत किया गया जो कि या तो रेखांकित/पुनःमुद्रित/वाहकों के लिए थे। रेखांकित/पुनःमुद्रित/वाहकों के लिए द्वितीयक प्रतियाँ तेल कम्पनी से बिटूमिन के वास्तविक प्राप्ति को प्रमाणित नहीं करती थीं क्योंकि वे अतिरिक्त प्रतियाँ थीं। प्रमंडल आधारभूत जाँच करने में विफल रहा और अयोग्य बीजकों के विरुद्ध भुगतान की अनुमति दिया, जिसके फलस्वरूप संवेदकों को बिटूमिन के लागत के रूप में ₹ 2.33 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान किया गया (परिशिष्ट-1. 6)।

(ग) दस पी.आई.यू. में से चार<sup>25</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि बीजकों को प्रस्तुत किये बिना, जो कि बिटूमिन के प्राप्ति और उपयोग के प्रमाण में आवश्यक था, बिटूमिन के 822.17 एम टी की लागत के रूप में संवेदकों को ₹ 1.54 करोड़ का भुगतान किया गया। आगे, लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि आठ (कार्य. अभि.)<sup>26</sup> संवेदकों द्वारा 1,661.981 एम.टी के बजाये बिटूमिन के मात्र 1,199.489 एम.टी का बीजक प्रस्तुत किये गये तथ्यों के बावजूद कार्य में बिटूमिन के 1,661.981 एम.टी के उपयोग के विरुद्ध संवेदकों

<sup>23</sup> प्रथम चार अंक वित्तीय वर्ष के द्योतक है अगले चार अंक स्थान कूट के द्योतक, अक्षर बी बिक्री बीजक के लिए लागू होता है और अंत में छः अंक एक मात्र विशिष्ट संख्या का द्योतक है।

<sup>24</sup> बोकारो, चाईबासा, चक्रधरपुर, दुमका, देवघर और गिरिडीह।

<sup>25</sup> चाईबासा, डाल्टेनगंज, दुमका और गुमला।

<sup>26</sup> बोकारो, चक्रधरपुर, डाल्टेनगंज, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुमला और राँची।

को बिटूमिन कार्यों (फेज-III से फेज-V के 20 पैकेजों) के लिए भुगतान किया गया। इसके फलस्वरूप संवेदकों को 462.492 एम.टी (1,661.981-1,199.489) के बिटूमिन लागत के रूप में ₹ 1.46 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान किया गया जो बीजकों से प्रमाणित नहीं थे।

परिणामस्वरूप, बीजक जो आवश्यक थे के प्रस्तुतीकरण के बिना बिटूमिन के लागत के रूप में संवेदकों को ₹ 3 करोड़ (₹1.54 करोड़ + ₹1.46 करोड़) का कपटपूर्ण भुगतान किया गया।

आगे, लेखापरीक्षा द्वारा अवलोकित किया गया कि कार्यस्थल पर बिटूमिन का आगमन, कंडिका (क),(ख) एवं (ग) में बताये गये सभी मामलों में, संवेदको द्वारा कार्य.अभि. को प्रतिवेदित नहीं किया गया। यह भी अवलोकित किया गया कि कार्यों में उपयोग से पूर्व बिटूमिन का न तो भौतिक सत्यापन और न ही गुणवत्ता जाँच सम्पादित किया गया था। इससे बिटूमिन के वास्तविक प्राप्ति और किये गये कार्यों के गुणवत्ता पर गंभीर संदेह पैदा किया। प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा आवश्यक जाँच करने में विफलता के फलस्वरूप 2656.637 एम.टी.<sup>27</sup> के बिटूमिन के संदेहास्पद प्राप्ति के लागत के रूप में संवेदकों को ₹ 6.40 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान हुआ जिससे ₹ 110.10 करोड़ लागत के कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ा था।

कार्य के वास्तविक क्रियान्वयन के बिना ₹ 63.30 लाख का भुगतान

(घ) नमूना जाँच किये गये 10 पी.आई.यू. में से पी.आई.यू. डाल्टेनगंज के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि फेज- V पैकेज सं. जे.एच.1708 के अंतर्गत गोडारमा से नवगढ़ (लम्बाई 6.10 कि.मी.) सड़क के निर्माण के लिए ₹ 1.86 करोड़ के लिए एक अनुबंध (8एफ2/2008-09) मेसर्स त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, डाल्टेनगंज के साथ कार्य प्रारम्भ का दिनांक 1 अक्टूबर 2008 और पूर्णता का नियत दिनांक सितम्बर 2009 कार्यान्वित किया गया (अक्टूबर 2008)। मापी पुस्तिका (सं. 2964) के लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि दर्शाये गये कार्यों (13 अक्टूबर 2008) के विरुद्ध प्रथम लेखा विपत्र (वाउचर सं. 5 दिनांक 25 अक्टूबर 2008) के द्वारा ₹ 37.21 लाख संवेदक को भुगतान किया गया, और दर्शित किये गये कार्य (5 जनवरी 2009) के विरुद्ध द्वितीय लेखा विपत्र (वाउचर संख्या 2 दिनांक 17 फरवरी 2009) के द्वारा संवेदक को ₹ 26.09 लाख का भुगतान किया गया। राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुश्रवण जाँच (एन.क्यू.एम.) के निरीक्षण के अनुसार ग्रेनुलर सब बेस (जी.एस.बी.) का कार्य 14 दिसम्बर 2008 तक प्रारंभ ही नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप, कार्य के वास्तविक कार्यान्वयन के बिना संवेदक द्वारा ₹ 63.30 लाख का गबन कर लिया गया। जून 2010 तक न तो संवेदक के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई की गई थी और न ही का.अ./स.अ. के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई की गई।

राज्य निधि से पहले से ही निर्मित सड़क के क्रियान्वयन के विरुद्ध ₹ 68.69 लाख का कपटपूर्ण भुगतान हुआ

(ङ) नमूना जाँच किये गये 10 पी.आई.यू. में से पी.आई.यू., बोकारो के अभिलेखों के संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि फेज- VI पैकेज सं. जे.एच.0107 के अन्तर्गत पाँच सड़कों को पाँच वर्षों के लिए सड़कों के अनुरक्षण सहित ₹ 4.82 करोड़ का कार्य मेसर्स डी.डी.कन्स्ट्रक्सन को आवंटित किया गया (फरवरी 2009)। इनमें से एक सड़क ₹ 79.39 लाख के आकलित लागत पर गंगजोरी मोड़ से बरमसिया तक (2.60 कि.मी. लम्बाई) बरमसिया गाँव के निवासियों को संयोजन प्रदान करने के लिए निर्मित किया जाना था।

<sup>27</sup> जाली बीजकों के विरुद्ध: ₹1.07 करोड़ का 408.451 एम.टी., रेखांकित/ पुनः मुद्रित/द्वितीयक बीजकों के विरुद्ध ₹ 2.33 करोड़ का 963.524 एम.टी. और बीजक के बिना ₹ 3 करोड़ का 1284.662 एम.टी (822.17 एम.टी. + 462.492 एम.टी.)!



आगे, मापी पुस्तिका और अन्य संबद्ध अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सड़क के क्रियान्वयन के विरुद्ध संवेदक को ₹ 68.69 लाख का भुगतान किया गया। पी.आई.यू., बोकारो के "2515-मरम्मति एवं रखरखाव" (राज्य प्रायोजित योजना) के अभिलेखों के तिर्यक-जाँच से ज्ञात हुआ कि कथित सड़क राज्य निधि से पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका था (मार्च 2008)। परिणामस्वरूप, पी.आई.यू. के अधिकारियों के गुप्त सहयोग से ₹ 68.69 लाख का दुर्विनियोग किया गया। इससे यह भी इंगित हुआ कि डी.पी.आर. और आकलन स्थल के वास्तविक क्षेत्र सत्यापन के बिना तैयार किया गया था।

(च) पश्चिमी सिंहभूम, सी.एन.सी.पी.एल. अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 'पीचुआ' गाँव के निवासियों को संयोजन प्रदान करने के लिए नाईटोला से मुण्डासाई (सात कि.मी.) सड़क के निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया था। आगे, संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि लक्षित वासस्थान पहले ही आर.ई.ओ. सड़क से 'पीचुआ' तक सड़क निर्माण द्वारा फेज-IV के पैकेज सं. 2206 के अन्तर्गत संयोजित था।

मापी पुस्तिका के संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि नाईटोला से मुण्डासाई सड़क के निर्माण के विरुद्ध संवेदक को ₹ 1.44 करोड़ का भुगतान किया गया। यद्यपि, पी.आई.यू. चाईबासा के पदाधिकारियों को लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण (जून 2010) के दौरान यह अवलोकित हुआ कि सड़क का विस्तार (एक कि.मी. लगभग), जो रेल लाईन को काटती थी, निर्मित नहीं किया गया था फिर भी कपटपूर्ण ढंग से पी.आई.यू. के पदाधिकारियों के गुप्त सहयोग से इस विस्तार के लिए ₹ 27.21 लाख संवेदक को भुगतान कर दिया गया। आगे, सी.एन.सी.पी.एल. में आर.ई.ओ. सड़क से पीचुआ तक का सड़क नहीं था फिर भी कार्य लिये जाने के निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन कर, पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत इसे निर्मित किया गया। संयुक्त क्षेत्र सत्यापन के दौरान दो वासस्थानों नाईटोला और मुण्डासाई का अस्तित्व निर्मित सड़क के पास पाया ही नहीं गया।

#### 1.1.8.7 उपकरण अग्रिम का अनियमित अनुदान और मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली नहीं होना

पी.एम.जी.एस.वाई के मानक बोली दस्तावेज (एस.बी.डी.) के कंडिका 45.1 और 45.2 के अनुसार, नियोक्ता संविदा मूल्य के पाँच प्रतिशत तक मोबिलाइजेशन अग्रिम तथा नये उपकरणों को स्थल पर लाने हेतु उसके लागत के 90 प्रतिशत तक उपकरण अग्रिम जो बिना शर्त बैंक गारंटी (बी.जी.) के प्रस्तुतीकरण के विरुद्ध संविदा मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत जो अग्रिम के वसूली तक वैध रहेगा, के रूप में अग्रिम भुगतान कर सकता था। संवेदक द्वारा अभियंता को यह दिखाया जाना था कि अग्रिमों का उपयोग उपकरण के क्रय और कार्य को गतिशीलता के लिए उपयोग किया गया था।

10 नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. में से पी.आई.यू. चाईबासा के संवीक्षा से ज्ञात हुआ (जून 2010) कि तीन संवेदकों के साथ सड़क कार्यों (तीन पैकेजों<sup>28</sup> के अंतर्गत) के निर्माण के लिए ₹ 8.50 करोड़ का तीन अनुबंध कार्यान्वित किया गया। बी.जी. के प्रस्तुतीकरण के विरुद्ध ₹ 84 लाख के उपकरण/मशीन अग्रिम और ₹ 42 लाख मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में संवेदकों को कुल ₹ 1.26 करोड़ अग्रिम (नवम्बर 2004 और मार्च 2005 के बीच) दिया गया था। ₹ 1.26 करोड़ में से, ₹ 13.36 लाख<sup>29</sup> जून 2010 तक संवेदक से वसूला नहीं गया था और मोबिलाइजेशन अग्रिम के विरुद्ध प्रस्तुत बी.जी. पहले ही व्ययगत हो गया था। आगे, अभिलेखों

<sup>28</sup> फेज-III में पैकेज सं. जे.एच.2201, 2202 और 2203 ।

<sup>29</sup> पैकेज सं. जे.2201 का ₹ 2.26 लाख और पैकेज सं. 2203 का ₹ 11.10 लाख।



की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ₹ 84 लाख का उपकरण अग्रिम अनियमित था और संवेदक को अनुचित सहायता प्रदान किया गया था क्योंकि कोई दस्तावेज या बीजक अभिलेखों में नहीं पाया गया जो दर्शाता था कि उपकरणों के विरुद्ध दिया गया अग्रिम का उपयोग नये उपकरण क्रय करने के लिए किया गया था। अतः कार्यपालक अभियन्ता बी.जी.को पुनः वैधता दिलाने में और ₹ 13.36 लाख अग्रिम की प्राप्ति करवाने में विफल रहे।

#### 1.1.8.8 बिटूमिन का अतिरिक्त लागत

बिटूमिन के लागत के बढ़ोत्तरी के मामलों में, संवेदक को बिटूमिन पर अतिरिक्त लागत भुगतान था यदि कार्य संवेदक द्वारा प्रस्तुत कार्य कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित किया गया हो और बिटूमिन की प्राप्ति भी बिटूमिन के बीजकों द्वारा समर्थित हो।

10 नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. में से तीन पी.आई.यू.<sup>30</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ (जून और जुलाई 2010) कि छः पैकेजों<sup>31</sup> के सड़क कार्यों के क्रियान्वयन के लिए ₹ 13.51 करोड़ के लिए पाँच संवेदकों के साथ छः अनुबंध किया गया। कार्यों में उपयोग किया दर्शाये गये ₹ 5817 प्रति एम.टी की दर से 545.352 एम.टी के विरुद्ध बिटूमिन के अतिरिक्त लागत के रूप में संवेदक को ₹ 31.72 लाख का भुगतान किया गया। हालांकि अतिरिक्त लागत का भुगतान अनियमित और संदेहात्मक था क्योंकि कार्य का कार्यान्वयन न तो कार्य के कार्यक्रम के अनुसार हुआ था और न ही संवेदक द्वारा बिटूमिन प्राप्ति के समर्थन में कोई बीजक ही प्रस्तुत किया गया था। कार्यपालक अभियन्ता, आर.डब्ल्यू.डी., चाईबासा द्वारा उत्तर दिया गया (जून 2010) कि तदनुसार वसूली किया जायेगा।

#### 1.1.8.9 आधिक्य लम्बाई की निर्मित सड़कें

सी.एन.सी.पी.एल में योजनागत सड़कों की लम्बाई के विरुद्ध ₹ 79.14 करोड़ लागत का 261.30 कि.मी. आधिक्य लम्बाई के सड़क का निर्माण किया गया था

प्रत्येक प्रखंड और जिला के लिए सी.एन.सी.पी.एल./सी.यू.पी.एल पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत संयोजित होनेवाले वासस्थानों और सड़कों के ब्यौरे के साथ पूर्ण स्थल सत्यापन के पश्चात् वर्ष 2006 में तैयार किया गया था। ये सी.एन.सी.पी.एल./ सी.यू.पी.एल. एस.टी.ए. द्वारा उचित ढंग से सत्यापित, एस.एल.एस.सी. द्वारा सूक्ष्मता से जाँचित और एन.आर.आर.डी.ए. द्वारा अनुमोदित थे।

दस नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. में से नौ<sup>32</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अनुमोदित सी.एन.सी.पी.एल. में वर्णित 731.96 कि.मी. लम्बाई के विरुद्ध 993.27 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण दिखाया गया था। जो 261.31 कि.मी. (परिशिष्ट-1.7) के आधिक्य लम्बाई के क्रियान्वयन के विरुद्ध भुगतान किया गया ₹ 79.14 करोड़ के दुर्विनियोग की संभावना की ओर इंगित करता था। सचिव द्वारा सुनिश्चित किया गया कि सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे।

#### 1.1.8.10 क्षतिपूर्ति हर्जाने की वसूली नहीं होना

संवेदकों से जो नियत समय के अन्दर कार्य पूर्ण करने में विफल रहे, क्षतिपूर्ति हर्जाना के रूप में ₹13.51 करोड़ की वसूली नहीं की गई

संविदा के शर्तों के अनुसार, यदि संवेदक नियत अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण करने में विफल रहता है तो संवेदक द्वारा नियोक्ता को प्रारंभिक संविदा मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत का क्षतिपूर्ति हर्जाना का भुगतान करना होगा। नियोक्ता संवेदक को देय भुगतान से भी क्षतिपूर्ति हर्जाने की कटौती कर सकता था।

<sup>30</sup> चाईबासा, चक्रधरपुर और राँची ।

<sup>31</sup> चाईबासा-जे.एच.2202 फेज-III, जे.एच.2203 फेज-III, चक्रधरपुर- जे.एच.2204 फेज-III, जे.एच-2205 फेज-III, राँची-जे.एच.1804 फेज- III, जे.एच.1806 फेज-III ।

<sup>32</sup> बोकारो, चक्रधरपुर, चाईबासा, डाल्टेनगंज, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुमला और राँची।

दस नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. में से सात<sup>33</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि नियत समय के अन्दर सड़क कार्यों के 50 पैकेजों की अपूर्णता के कारण ₹ 14.49 करोड़ के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हर्जाने के रूप में मात्र ₹ 0.98 करोड़ की ही वसूली की गयी। का.अ. संविदा के उपबंधों को लागू करने में और संवेदक से ₹ 13.51 करोड़ का क्षतिपूर्ति हर्जाना वसूली करने में विफल रहे (**परिशिष्ट-1.8**)।

#### 1.1.8.11 सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना अनुमोदन के भुगतान

दस नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. में से पी.आई.यू. डाल्टेनगंज (पलामू) में यह देखा गया (मई 2010) कि फेज-IV पैकेज सं. जे.एच.1702 अन्तर्गत सिगसीगी से लाहेरबंजारी (पाण्डपुरा) सड़क के भाग के निर्माण के लिए ₹ 1.66 करोड़ के अनुमोदित परिमाण विपत्र मूल्य पर निविदा आमंत्रित किया गया जिसमें दो बोली बोलने वालों ने भाग लिया। यद्यपि, निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार कर दिया गया। लागत बढ़ोतरी के कारण कार्य को ₹ 1.88 करोड़ के बढ़े दर पर कार्य को पुनः निविदित (13 जुलाई 2006) किया गया। मुख्य अभियंता (सी.ई.) द्वारा दरों के अनुमोदन के बिना ₹ 1.77 करोड़ के कार्य मेसर्स अरविन्द कन्स्ट्रक्सन, डाल्टेनगंज को आवंटित कर दिया गया (अक्टूबर 2006)। यद्यपि, ई.ई. द्वारा ₹ 1.77 करोड़ पर अनुबंध कार्यान्वित किया गया (अक्टूबर 2006) और किये गये कार्यों के विरुद्ध संवेदक को ₹ 1.77 करोड़ का भुगतान किया गया।

परिणामस्वरूप, बिना कोई कारण बताये प्रथम निविदा का अस्वीकार और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमादेन किये बिना दरों की वृद्धि के फलस्वरूप संवेदक को ₹ 1.77 करोड़ का अनाधिकृत और अनियमित भुगतान हुआ।

#### 1.1.8.12 निष्फल व्यय

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एमओईएफ) भारत सरकार, द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका (जनवरी और अप्रैल 2005) के अनुसार वन क्षेत्रों में कच्चे सड़कों को कालीकृत सड़कों में उन्नयन के लिए पहले पर्यावरण अनुमति आवश्यक था और नये निर्माण के मामलों में, पहले भारत सरकार के अनुमति की आवश्यकता थी। झारखण्ड लोक कार्य लेखा संहिता<sup>34</sup> में प्रदत्त था कि कार्य का प्राक्कलन तैयार करने से पहले वन क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण का कार्य का निपटारा हो जाना चाहिए। आगे, नवम्बर 2008 के भारतीय रोड कांग्रेस विशिष्टियों के कंडिका 4.8.2 के अनुसार, जल बंध मैकाडम (डब्ल्यू.बी.एम.) स्तर तक निर्मित सड़कें, बिटुमिन सतह द्वारा आच्छादित किये बिना परिवहन के संचालन के लिए उपयुक्त नहीं थी।

- जे.एस.आर.आर.डी.ए के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ₹ 34.01 करोड़ के व्यय और पाँच वर्षों से अधिक के बीत जाने के बाद भी कार्य को बंद कर दिया जाना, डब्ल्यू.बी.एम. स्तर के बाद का कार्य का न किया जाना, वन भूमि की अनुमति का प्राप्त न होना आदि के कारण मार्च 2010 तक 30 सड़क कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 1.9** में विस्तृत है। परिणामस्वरूप ₹ 34.01 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।
- दस नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. में से छः<sup>35</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल से जुलाई 2010) से ज्ञात हुआ कि ₹ 30.28 करोड़ के लिए पी.एम.जी. एस.वाई. के

<sup>33</sup> बोकारो, चाईबासा, डाल्टेनगंज, देवघर, दुमका, गिरिडीह और गुमला।

<sup>34</sup> परिशिष्ट 'अ' - मंत्री मंडल सचिवालय और समन्वय विभाग (निगरानी कक्ष) संकल्प सं.948 दिनांक 16 जुलाई 1986, कंडिका 4.5 और 6.3।

<sup>35</sup> बोकारो, चाईबासा, डाल्टेनगंज, दुमका, गिरिडीह और गुमला।

अन्तर्गत फेज-IV और V के 10 पैकेजों<sup>36</sup> के सड़क कार्यों के निर्माण के लिए का.अ. द्वारा 10 अनुबंधों को कार्यान्वित किया गया। कार्यों को अक्टूबर 2007 और नवम्बर 2009 के मध्य पूर्ण करना नियत था। मार्च 2010 तक डब्ल्यू बी.एम. स्तर तक ₹ 16.26 करोड़ का व्यय वहन करने के बाद कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 16.26 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-1.10** में दर्शाया गया है। कार्य पूर्ण करवाने के लिए विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। दोषी संवेदकों के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया था।

- दस नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. में से चार<sup>37</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि पाँच पैकेजों<sup>38</sup> के सड़क निर्माण के लिए ₹ 15.73 करोड़ के लिए पाँच अनुबंधों को कार्यान्वित किया गया, जिन को जून 2005 और जुलाई 2009 के मध्य पूर्ण करना नियत था। ₹ 5.58 करोड़ के व्यय वहन करने के बाद, विभिन्न कारणों जैसे वनभूमि का अनुमति नहीं होना, रेलवे की भूमि, भूमि विवाद और पी.आई.यू. का निरस्तेज व्यवहार के कारण कार्यों को मध्य में ही छोड़ दिया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 5.58 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

### 1.1.8.13 कार्यों के क्रियान्वयन में पर्याप्त विलम्ब

61 पैकेजों के कार्य अपूर्ण रहे या अत्यधिक विलम्ब से पूर्ण हुए

पी.एम.जी.एस.वाई. मार्गदर्शिका के कंडिका 13.1 के अनुसार, परियोजनाओं को पी.आई.यू. द्वारा क्रियान्वित करना था और कार्यादेश के निर्गत होने की तिथि से नौ महीने की अवधि के अन्दर पूर्ण करना था। क्रियान्वयन अवधि के मामलों में मानसून द्वारा विपरीत प्रभाव या पैकेज में एक सड़क कार्य से अधिक कार्य होने पर इन सड़कों के पूर्णता के लिए कुल समय 12 कैलेन्डर माह से अधिक नहीं होना चाहिए।

चयनित पी.आई.यू. के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि फेज-III से V के अन्तर्गत ₹ 141.01 करोड़ के लिए गये 67 पैकेजों में से 61 अपूर्ण पड़ी थी या अत्यधिक विलम्ब के बाद पूर्ण हुई जैसे **तालिका 6** में विस्तृत है।

तालिका-6 : कार्यों के क्रियान्वयन में नियत तिथि से अधिक का विलम्ब

नियत समय के दौरान अपूर्ण पैकेजों की कुल संख्या	पैकेजों के पूर्णता में विलम्ब		
	12 महीनों से कम	12 महीनों से अधिक लेकिन 24 महीना से कम	24 महीने से अधिक
61	40	17	04

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. से प्राप्त सूचना)

का.अ. और कनीय अभियंताओं द्वारा उचित अनुश्रवण का अभाव, स्टेकधारियों के साथ सहायक अभियंता द्वारा ट्रांसेक्ट वाक का व्यवस्था न करना और चूककर्ता संवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफलता इन कार्यों के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलम्ब के मुख्य कारण थे।

### 1.1.8.14 पुलियों/पुलों को प्रदान करने में विफलता के कारण वासस्थान सभी मौसम संयोजन से वंचित हुई

पुलों के बिना 86 सड़क कार्यों पर ₹ 96.11 करोड़ का निफल व्यय परिणामस्वरूप लक्षित वासस्थानों को सभी मौसम संयोजन प्रदान करने में विफलता

मार्गदर्शिका के कंडिका 8.5 (V) के अनुसार, पी.आई.यू. को उचित बांध /निकास-व्यवस्था, रास्ता, पुलिया और पुलों को सुनिश्चित करना था जहाँ लक्षित वासस्थानों को सभी मौसम संयोजन प्रदान करना आवश्यक था।

<sup>36</sup> बोकारो - जे.एच.0106, फेज-V, जे.एच.0111 फेज-V, और जे.एच.0115 फेज-V, चाईबासा-फेज-IV जे.एच.2206, डाल्टेनगंज- जे.एच.1704 फेज-V एवं जे.एच.1702, दुमका- जे.एच. 0501 फेज-V एवं जे.एच.-0502 फेज-V, गुमला-फेज-V जे.एच.1004 और गिरिडीह फेज-V जे.एच.0814 ।

<sup>37</sup> डाल्टेनगंज, देवघर, गिरिडीह और राँची

<sup>38</sup> डाल्टेनगंज-फेज- III जे.एच.1705, देवघर-फेज-IV जे.एच.0305 एवं जे.एच.0303, फेज-V गिरिडीह-फेज-V जे.एच.0802 और राँची-फेज-V जे.एच.1807 ।

दस नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. में से आठ<sup>39</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि एक और 420 मीटर के मध्य के विभिन्न चौड़ाई में पुलिया/पुलों को प्रदान किये बिना जबकि डी.पी.आर. में पहले से ही योजनागत थे, ₹ 96.11 करोड़ के व्यय को वहन करने के बाद फेज-II से VII के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत 86 सड़कों को निर्मित किया गया जैसा कि **परिशिष्ट-1.11** में ब्यौरा दिया गया है। परिणामस्वरूप, योजना का असली उद्देश्य ही असफल हो गया क्योंकि ये सड़कें ₹ 96.11 करोड़ के व्यय किये जाने के बाद भी लक्षित वासस्थानों को सभी मौसमी संयोजन प्रदान करने में अक्षम हुई।



(बिना पुल के अन्तराल- एन.एच.23 होली क्रॉस स्कूल से धरमपुरा, बोकारो-सड़क को निर्मित किया गया लेकिन यह बिना पुल के अन्तराल के कारण सभी मौसम संयोजन प्रदान करने में विफल हुआ।)

### 1.1.9 पी.एम.जी.एस.वाई. का अनुरक्षण निधि

पी.एम.जी.एस.वाई. मार्गदर्शिका के कंडिका 17.2 के अनुसार सभी पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों को मानक बोली दस्तावेज के अनुसार उन्हीं संवेदकों के साथ जिनसे सड़कों के निर्माण का संविदा किया गया था के साथ पाँच वर्षों तक आच्छादित अनुरक्षण का संविदा करना था। संविदा सेवा के लिए अनुरक्षण निधि राज्य सरकार को देना था और एक पृथक अनुरक्षण लेखा में एस.आर.आर.डी.ए. के अधिकार में रखना था।

संविदा के शर्त के अनुसार, संवेदक को कार्य के नैत्य मरम्मत के लिए नीचे दिये गये मानदंडों को पालन करना आवश्यक था:

- (क) संवेदक को अभियंता को मरम्मत अवधि के शुरू हो जाने के तिथि से सड़क के नैत्य मरम्मत के लिए प्रत्येक माह विपत्र प्रस्तुत करना था जो संवेदक के मासिक निरीक्षण और अभियंता से प्राप्त अन्य निर्देशों के अभिलेखों के प्रति द्वारा समर्थित होना था।
- (ख) पूर्व के छः माह के दौरान प्राप्त मासिक विपत्रों के लिए छमाही भुगतान करना था।
- (ग) यदि महीने का विपत्र संवेदक से परवर्ती महीने के 10 वें दिन तक प्राप्त नहीं होता था या/और यदि अभियंता द्वारा संवेदक के ध्यान में लाये गये दोषों को विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य किया गया का प्रमाण अभियंता द्वारा नहीं दिया गया हो तो उस महीने के लिए संवेदक को कोई भुगतान नहीं किया जाना था।
- (घ) यदि अभियंता द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर संवेदक मरम्मत करने में विफल रहता हो तो उस महीने के लिए संवेदक को किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं था।

<sup>39</sup> बोकारो, चक्रधरपुर, डाल्टेनगंज, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुमला और राँची।

- जे.एस.आर.आर.डी.ए., राँची के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2007-08 में इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹ 50 लाख विमुक्त किया गया था। इस राशि में से, ₹ 10.70 लाख जे.एस.आर.आर.डी.ए. द्वारा तीन पी.आई.यू.<sup>40</sup> को वर्ष 2009-10 में विमुक्त किया गया और मई 2010 तक उपलब्ध निधियों पर पाये गये ब्याज ₹ 3.09 लाख सहित ₹ 42.39 लाख अनुपयोगित ही पड़ा रहा। अतिरिक्त, नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि पी.एम.जी.एस.वाइ. के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के साथ इसके अनुरक्षण के अनुबंध ई.ई. द्वारा कार्यान्वित किया गया लेकिन ई.ई., राज्य/जे.एस.आर.आर.डी.ए द्वारा निधि को विमुक्त नहीं किये जाने के कारण इन सड़कों के अनुरक्षण हेतु अनुबंधीय दायित्वों को पूर्ण करने में विफल रहे थे।



(सड़को के अनुरक्षण न होने के कारण बोकारो जिला में गलगलटांड से अनडीहा सड़क (दायें) और देवघर जिला में नावाडीह से बोनडिया सड़क (बायें) का क्षतिग्रस्त और बदतर अवस्था)

- दस नमूना जाँच किये गये पी.आई.यूज में से पी.आई.यू. राँची के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि दो पैकेजों के सड़कों के नैत्य मरम्मत के लिए ₹ 26.06 लाख के दो अनुबंध<sup>41</sup> कार्यान्वित किये गये (जनवरी 2009) थे। 2006-09 वर्षों के नैत्य मरम्मत कार्यों के क्रियान्वयन केवल सितम्बर 2009 के माह के एम.बी. में परिलक्षित हुई थी और संवेदक को ₹ 9.66 लाख का भुगतान किया गया था। तीन वर्षों (2006-09) के मरम्मत कार्यों की मापी एक विशेष महीना (सितम्बर 2009) में किया गया था, नियमित मापी लेने के लिए एस.बी.डी. के प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने से मरम्मत कार्यों के वास्तविक क्रियान्वयन पर संदेह उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप, ₹ 9.66 लाख के दुर्विनियोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

### 1.1.10 अन्य रोचक बिन्दुएं

लेखा परीक्षा में निम्न बातें भी अवलोकित हुईं:-

- मार्गदर्शिका के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के लागत पर सड़क के दोनों हिस्सों पर फलदार वृक्ष और अन्य समुचित वृक्षों को लगाना था, लेकिन राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए कोई निधि प्रदान करने में विफल रहा जिसके फलस्वरूप वृक्षों का रोपण नहीं हुआ।

<sup>40</sup> जमशेदपुर- ₹ 0.86 लाख, गोड्डा- ₹ 0.65 लाख और राँची - ₹ 9.19 लाख

<sup>41</sup> अनुबंध सं. - जे.एच. 0105 (एस) 2008-09 ₹ 12.82 लाख और जे.एच. 0104 (एस) 2008-09 ₹ 13.24 लाख। पैकेज सं. - जे.एच. 1804 और जे.एच. 1806 (फेज-III)।



- पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत नये ग्रामीण संयोजन प्रदान के प्रभाव पर स्वतंत्र अध्ययन के लिए 100 प्रतिशत सहायता एन.आर.डी.डी.ए. को प्रदान करना था। राज्य में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत नये ग्रामीण सड़क संयोजन प्रदान के प्रभाव का निर्धारण किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा सम्पादित नहीं किया गया।
- (एस.बी.डी. के कंडिका 58.1) के शर्त के अनुसार संवेदक द्वारा कार्य के प्रारंभ, मध्य के प्रगति और पूर्णता का फोटोग्राफ लेना था और आगे के संदर्भ के लिए पी.आई.यू. को सौंप देना था। नमूना जाँच किये गये पी.आई.यू. के लेखा परीक्षा से ज्ञात हुआ कि वैसे फोटोग्राफ अभिलेख में नहीं थे और का.अ. संविदा के उपबंधों को लागू करने में विफल रहे थे।

### 1.1.11 अनुश्रवण और मूल्यांकन

#### 1.1.11.1 अनुश्रवण

राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एस.एल.एस.सी.) राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्पूर्ण अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी थे। यद्यपि, 2005-10 के दौरान इसका केवल एक ही बैठक (जुलाई 2008) हुआ। भारत सरकार मंत्रालय द्वारा जिला निगरानी और अनुश्रवण समिति (डी.भी.एम.सी.) का कार्य के निगरानी करने और प्रगति के अनुश्रवण के लिए संगठित किया गया। यद्यपि, डी.भी.एम.सी. द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई. के अनुश्रवण दर्शाता पी.आई.यू. में कोई अभिलेख नहीं पाया गया। संवेदक के साथ अन्तिम विपत्र का निपटारा कार्यों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के अनुश्रवण का एक अवयव था। पी.आई.यू. के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि 61 पैकेजों को कोई कारण अभिलिखित किये बिना अन्तिम रूप नहीं दिया गया। जे.एस.आर.आर.डी.ए. स्तर पर आंतरिक अंकेषकों को लेन-देन के शुद्धता की जाँच के लिए नियुक्त नहीं किया गया था।

#### 1.1.11.2 गुणवत्ता नियंत्रण

पी.एम.जी.एस.वाई. में तीन स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली था। प्रथम स्तर पी.आई.यू./का.अ. थे, दूसरा स्तर राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक (एस.क्यू.एम.) थे और तीसरा स्तर राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुश्रवक (एन.क्यू.एम.) थे। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एस.क्यू.सी.) को नियुक्त किया गया जिसको सुनिश्चित करना था कि कार्यों का कम से कम तीन स्तरों पर निरीक्षित किया जाए और प्रतिवेदन एन.क्यू.एम./एस.क्यू.एम. को सौंपा जाये। सभी कार्य जो “असंतोषजनक” मूल्यांकित हो, को एस.क्यू.सी. से परिशोधन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद एन.क्यू.एम. या एस.क्यू.एम. द्वारा पुनः निरीक्षित किया जाना था।

- एस.क्यू.सी./जे.एस.आर.आर.डी.ए. के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि एन.क्यू.एम. और एस.क्यू.एम. द्वारा 821 सड़कों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से एन.क्यू.एम. और एस.क्यू.एम. द्वारा क्रमशः 210 (26 प्रतिशत) और 230 (34 प्रतिशत) सड़कों “असंतोषजनक” प्रतिवेदित किया गया था। एन.क्यू.एम. द्वारा 210 सड़कों में से 73 को “असंतोषजनक” प्रतिवेदित और एस.क्यू.एम. द्वारा 230 सड़कों में से 191 को “असंतोषजनक” प्रतिवेदित के विरुद्ध एस.क्यू.सी. द्वारा कोई कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- जे.एस.आर.आर.डी.ए. के अभिलेखों के संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2005-10 के दौरान पूर्ण की गई 246 सड़कों में से ₹ 82.81 करोड़ मूल्य की 79 सड़कों को न तो एन.क्यू.एम.

द्वारा और न ही एस.क्यू.एम. द्वारा ही निरीक्षण किया गया था। अतः, इन सड़कों की गुणवत्ता दूसरे और तीसरे स्तर के गुणवत्ता नियंत्रण अनुश्रवकों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अतः, उन सड़कों के घटिया गुणवत्ता द्वारा निर्माण से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

### 1.1.12 उपसंहार

पी.एम.जी.एस.वाई. के प्राथमिक उद्देश्य दसवें योजना अवधि (2007) के अन्त तक सभी असंयोजित वासस्थानों को सभी मौसम सड़क के द्वारा संयोजन प्रदान करना अप्राप्त ही रह गया क्योंकि 2005-10 के दौरान लक्षित 5,427 में से मात्र 496 (नौ प्रतिशत) वास-स्थानों को ही संयोजित किया जा सका। विवादों को हल करने के लिए ट्रान्सेक्ट वॉक की व्यवस्था नहीं की गयी थी। निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार सड़कों को निर्मित नहीं किया गया था। एक सिरा से दूसरे सिरे तक के संयोजन प्रदान करने के लिए सड़कों में पुलों को भी निर्मित नहीं किया गया था। संवेदकों द्वारा बीजकों के जाली/रेखांकित द्वितीयक प्रतियों के प्रस्तुतीकरण द्वारा बिट्टुमिन का संदेहास्पद के साथ-साथ राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुश्रवक/राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक द्वारा प्रतिवेदित दोषों को अ-परिशोधन के कारण सड़कों के गुणवत्ता से समझौता किया गया। मापी पुस्तिका में झूठा इन्द्राजों द्वारा कार्य के वास्तविक क्रियान्वयन के साथ-साथ बिट्टुमिन के वास्तविक प्रापण के बिना सरकारी राशि का गबन किया गया। क्षतिपूर्ति हर्जाना की वसूली, मोबिलाईजेशन अग्रिम और उपकरण अग्रिम के वसूली में संवेदक को समर्थन दिया गया था। संवेदकों द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटियों की राशि के भुनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और बैंक गारंटियों को व्ययगत होने के लिए अनुमत किया गया। अपने निर्माण अवधि के दौरान किसी सड़क का बीमा नहीं कराया गया था। निधि उपलब्धता के बावजूद जे.एस.आर.आर.डी.ए./राज्य सरकार द्वारा निधि को विमुक्त नहीं किये जाने के कारण सड़कों को मरम्मत नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र अभिकरण द्वारा योजना का प्रभाव निर्धारण करवाना आवश्यक था पर किसी भी अभिकरण द्वारा कोई प्रभाव निर्धारण नहीं किया गया था। किये गये अंतिम बैठक (अक्टूबर 2010), में सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया कि नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार जहाँ आवश्यकता होगी सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे।

### 1.1.13 अनुशंसायें

- सी.एन.सी.पी.एल. के प्राथमिकता सूची का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब को खत्म किया जाना चाहिए।
- कार्यों के पूर्णता के नियत तिथि और लक्षित वास स्थानों को संयोजन प्रदान करने के अनुपालन के लिए कठोर कदम उठाये जाने चाहिए;
- राज्य सरकार द्वारा नैत्य मरम्मति के लिए निधि का बजटीय प्रावधान किया जाना चाहिए और तदनुसार निधि को विमुक्त किया जाना चाहिए;
- निर्माण के दौरान सड़क कार्य बीमित होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये बैंक गारंटियों को समय पर पुनःवैधता प्राप्त हो जाय।
- बिट्टुमिन के प्रापण के लिए विद्यमान प्रणाली में एवं सड़क निर्माण में उनके उपयोग में त्रुटियों को चिन्हित कर उनके खामियों को दूर करना चाहिए;
- सड़क के निर्माण का गुणवत्ता विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए; और
- योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरी स्थायी समिति की बैठक वर्षवार की जानी चाहिए।



# स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग

## 1.2 राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, राँची का क्रियाकलाप

### विशिष्टतायें

राज्य सरकार द्वारा 2002 में राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान को स्थापित किया गया था। इसे विशेष चिकित्सा सेवाओं के लिए अस्पताल के रूप में कार्य करने के साथ चिकित्सा अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में कल्पना किया गया था। प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में शुरुआत किया गया एक राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत मार्च 2010 तक ₹ 120 करोड़ की लागत के साथ शीर्षस्थ विशेषज्ञ अस्पताल के रूप में उन्नयन के लिए रिम्स का भी चयन किया गया था। रिम्स के क्रियाकलापों के निष्पादन लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि यह स्थापित किये गये उद्देश्यों में किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत मुख्य लक्ष्य जैसे दन्त महाविद्यालय का सृजन, शीर्षस्थ विशेषज्ञ विभागों की स्थापना और विद्यमान विभागों का उन्नयन प्राप्त नहीं किया गया। रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता असंतोषजनक थी।

2005-10 के दौरान, योजना शीर्ष के अन्तर्गत अव्ययित शेष 36 और 84 प्रतिशत के मध्य और गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत 7 और 61 प्रतिशत के मध्य था। पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत, 100 प्रतिशत निधि अनुपयोगित पड़ी थी।

[कंडिका 1.2.7.1]

रोकड़ बही में ₹ 1,23,681 की कमी को लेखाकरण नहीं हुआ जिसके लिए व्यय का प्रमाण नहीं उपलब्ध कराया गया जो गबन का सूचक था।

[कंडिका 1.2.7.4]

रोकड़बही में ₹ 80.85 लाख के लिए रिम्स के रोकड़पाल द्वारा लेखाकरण नहीं किया गया जो रोग विज्ञान और विकिरण संबंधी परीक्षणों के लिए प्राप्तियों को संग्रहण और जमा करने के लिए उत्तरदायी अभिकरण से प्राप्त हुआ था। यह गबन का सूचक था।

[कंडिका 1.2.7.9]

2006 से 2009 से चार बैचों में, किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना 729 विद्यार्थियों को 24 विभिन्न पारामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया जिसके कारण विद्यार्थियों का भविष्य अनिश्चित हो गया।

[कंडिका 1.2.8.3]

रिम्स अधिनियम में जबकि दंत महाविद्यालय का सृजन कल्पित था, इसे राज्य सरकार द्वारा निधि के प्रथम आवंटन से चार वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद और ₹ 6.80 करोड़ का व्यय वहित करने के बाद भी प्रारंभ नहीं किया जा सका था।

[कंडिका 1.2.8.5]

पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत रिम्स के उन्नयन के योजना के साथ-साथ शीर्षस्थ विशेषज्ञ विभागों की स्थापना का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा उपकरणों और सिविल कार्यों पर ₹ 30.97 करोड़ के व्यय के बावजूद प्राप्त नहीं किया जा सका था।

[कंडिका 1.2.9]

वाह्य रोगी विभाग भारी संख्या में रोगियों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए पूर्णतः सुसज्जित नहीं थे और 2005-10 के दौरान आवश्यक के लिहाज से वास्तविक रूप में खरीदी गयी आवश्यक दवाईयों की संख्या जो 24 और 33 प्रतिशत के मध्य पायी गयी थी।

[कंडिकाएं 1.2.10.1 और 1.2.10.4]

उचित चिकित्सा अभिलेखों के रख-रखाव नहीं होने के फलस्वरूप उचित रोगी देखभाल सुनिश्चित करने में विफलता थी।

[कंडिका 1.2.10.2]

औषधि परीक्षण प्रणाली अपर्याप्त थे। 2006-07 के दौरान ₹ 5.22 लाख मूल्य की सैफट्राई एकजोन इन्जेक्सन के 20,000 वायलों जिन्हें औषधि निरीक्षक द्वारा घटिया घोषित किया गया था रोगियों पर प्रयोग किये गये।

[कंडिका 1.2.10.4]

विभिन्न संवर्गों में चिकित्सकों/शिक्षण संकायों में 44 से 89 प्रतिशत की कमी पायी गई जिसके कारण शिक्षण एवं अस्पताल के गतिविधियों दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना बाध्य था।

[कंडिका 1.2.11.1]

विस्तर क्षमता अत्यन्त अपर्याप्त थी और वार्डों में बहुत भीड़ थी जिससे रोगियों को बलात ढंग से वार्डों/गलियों की सतह पर लेटना पड़ा।

[कंडिका 1.2.12.1]

रिम्स में न तो अनुश्रवण और मूल्यांकन और न ही निगरानी प्रणाली थी।

[कंडिकाएं 1.2.13 और 1.2.14]

### 1.2.1 प्रस्तावना

राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची राज्य विधान मंडल के एक अधिनियम<sup>42</sup> के तहत स्वायत्त संस्था के रूप में 2002 में विद्यमान नर्सिंग महाविद्यालय और नर्सिंग विद्यालय के साथ पूर्व का राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल (1959 में स्थापित) को विलय कर स्थापित किया गया था। अधिनियम में बनाये गये निम्न उद्देश्यों के साथ यह श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में कल्पित था :

- (i) स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उच्च मानदंडों को प्राप्त करना;
- (ii) चिकित्सा शिक्षा और सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में शैक्षिक और अनुसन्धान गतिविधियों को प्रोत्साहित करना;
- (iii) दन्त चिकित्सा पर शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधायें और प्रोत्साहन उपलब्ध कराना;
- (iv) परम्परागत और कला के रूप में सुविधाओं के तहत लागत लाभ रूप में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवार्यें प्रदान कराना; और
- (v) सेवाओं ओर सुविधायें प्रदान करने में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना।

<sup>42</sup> राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान (रिम्स) अधिनियम, 2002

रिम्स पाँच मंजिला भवन में संचालित था। शिक्षण के लिए जगह के साथ साथ केन्द्रीय सुविधायें पर्याप्त थीं। महाविद्यालय, अस्पताल और सभी सहायक सुविधाओं के लिए कुल उपलब्ध भूमि 200 एकड़ था जिसमें से महाविद्यालय और अस्पताल भवन कुल 16.613 एकड़ भूमि पर बने हुये थे। बचे हुए शेष भूमि पर छात्रावास, आवासीय क्वार्टर, मुर्दा घर, पशु गृह, इनसीनेरेटर, जेनेरेटर सुविधा, कैंटीन, जिमनेजियम, आडिटोरियम आदि स्थित हैं।

### 1.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

अध्यक्ष के रूप में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण झारखण्ड के मंत्री और उपाध्यक्ष के रूप में सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के साथ 13<sup>43</sup> पूर्व पदेन सदस्यों का एक शासी निकाय (जी.बी.) रिम्स के कार्यों और अन्य मामलों से संबंधित नीतियों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है। निदेशक, रिम्स मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जिन्हें एक उप निदेशक (प्रशासन), एक अधीक्षक, एक लेखा पदाधिकारी, एक उपाधीक्षक और एक चिकित्सा पदाधिकारी (स्टोर) का सहायता प्राप्त है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का पद यद्यपि अधिनियम में कल्पित है, रिम्स के प्रारम्भ से ही रिक्त है।

### 1.2.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि

- आयोजन प्रक्रिया पर्याप्त था और रिम्स के उद्देश्यों के अनुरूप था,
- रिम्स के वित्त का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रबंधन किया जा रहा था,
- शैक्षिक, प्रशिक्षण के साथ-साथ अनुसंधान गतिविधियों को वांछित महत्त्व प्राप्त था,
- अस्पताल का आधारभूत संरचना पर्याप्त था और कुशलतापूर्वक और प्रभावपूर्ण रूप से उपयोगित था,
- रोगियों को दिया जाने वाला सेवा पर्याप्त था, और
- आन्तरिक नियंत्रण, अनुश्रवण और निगरानी प्रणाली पर्याप्त और प्रभावपूर्ण थे।

### 1.2.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा में अंगीकृत निम्न मापदण्ड थे -

- रिम्स के स्थापना के उद्देश्यों,
- भारत के चिकित्सा परिषद के मापदण्ड और निर्देश,
- शासी निकाय के निर्णयों,
- पारामेडिकल, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण और शैक्षणिक कैलेण्डर,
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) के मार्गदर्शिका, और
- बायोमेडिकल अवशेष (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 1998 ।

<sup>43</sup> स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण के मंत्री, सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण, वित्त आयुक्त, वाईस चान्सलर, राँची विश्वविद्यालय, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली, प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, निदेशक, रिनपास, राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक चिकित्सा विशेषज्ञ एस.सी/एस.टी का एक प्रतिनिधि, राँची निर्वाचन क्षेत्र एम.पी. का प्रतिनिधि, काँके निर्वाचन क्षेत्र के एम.एल.ए. का प्रतिनिधि, और निदेशक रिम्स।

### 1.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी और जुलाई 2010 के मध्य सम्पादित किया गया और 2005-10 के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, रिम्स और सिविल कार्यों को क्रियान्वित करने वाली अभिकरणों जैसे सम्बद्ध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.इ.पी.) और भवन निर्माण विभाग (बी.सी.डी.) प्रमण्डलों के अभिलेखों का परीक्षण किया गया। लेखा परीक्षा अभिलेखों के परीक्षण, प्रश्नावली सूचना/आँकड़ों संग्रहण और भौतिक सत्यापन के द्वारा सम्पादित किया गया।

मार्च 2010 में सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के साथ एक प्रारंभिक बैठक में लेखा परीक्षा के उद्देश्य, मापदण्ड और पद्धति पर चर्चा किया गया। अक्टूबर 2010 में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ अंतिम बैठक हुई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों, उपसंहार और अनुशंसाओं पर विचार विमर्श किया गया। प्रधान सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया कि नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार जहाँ आवश्यक है, समुचित सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को परवर्ती कंडिकाओं में विमर्शित किया गया है।

### 1.2.6 आयोजन

जी.बी.द्वारा उचित रूप से अनुमोदित वार्षिक योजना के आवश्यक प्रस्तुती के बाद सहायक अनुदान के रूप में योजना और गैर योजना शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार से रिम्स को निधि प्राप्त होता था। शीर्षस्थ विशेषज्ञ अस्पताल के रूप में इसके उन्नयन के लिए भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा शुरुआत किये गये पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत उसने केन्द्रीय सहायता 2004 में प्राप्त की। पी.एम.एस.एस.वाई मार्च 2010 तक कार्यान्वित कर देना था, जिसके लिए रिम्स को प्रापण/अधिष्ठापन के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुये एक विस्तृत लम्बी अवधि की योजना तैयार करनी थी। लेखा परीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि;

- रिम्स द्वारा पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत अपने उन्नयन के लिए कोई लम्बी अवधि की योजना प्रतिपादित नहीं किया गया था जबकि योजनाओं को मार्च 2010 तक कार्यान्वित करना था।
- रिम्स द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रापण और सिविल गतिविधियों के दर्शाने वाली वार्षिक योजना बनायी गयी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया।
- रिम्स अधिनियम के धारा-12 के अनुसार, रिम्स के कार्य संबंधित सभी मामलों में सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्राधिकार शासी निकाय (जी.बी.) के पास था। 2007-09 के वार्षिक योजना के संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि रिम्स की योजना में तददर्शता थी। यह पाया गया कि 2008-09 के वार्षिक योजना में दो सिविल कार्यों को अनुमोदित किया गया हालांकि ये कार्य 2007-08 के दौरान पहले ही ले लिया गया था। आगे यह पाया गया कि जी.बी. के विचार के बिना निदेशक/रिम्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण सह-अध्यक्ष जी.बी. द्वारा सीधे ही तीन सिविल कार्यों को अनुमोदित (2008-09) कर दिया गया।

- जी.बी. द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का रिम्स में बिस्तरों की संख्या 991 से 1,500 की वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया (अगस्त 2004) लेकिन तथ्यों पर विचार करने पर कि 991 से 1,500 बिस्तरों की वृद्धि के लिए भवन, उपकरण, फर्नीचर, मानवशक्ति आदि आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लम्बा समय लगेगा, इसके द्वारा निदेशक, रिम्स को इसके लिए बजट प्रावधानों के साथ एक विस्तृत योजना को विकसित करने और इसी बीच 2004-05 के बजट आवंटन से 150 अतिरिक्त बिस्तरों के व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया (अगस्त 2004)। तदनन्तर, जी.बी. द्वारा बिस्तरों की क्षमता 991 से 1500 बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया (दिसम्बर 2006) जी.बी. के अनुमोदन के बावजूद, रिम्स प्रशासन द्वारा वार्षिक योजनाओं/बजट प्रावधानों में इसे सम्मिलित नहीं किया गया और मई 2010 तक एक भी अतिरिक्त बिस्तर की व्यवस्था में विफल रहा।

### 1.2.7 वित्तीय प्रबंधन

#### 1.2.7.1 बजट, आवंटन एवं व्यय

2005-10 के दौरान रिम्स द्वारा प्रस्तुत और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्रस्तावों की अवस्था तालिका-1 में दिया गया है-

तालिका -1: प्रस्तुत किये गये और अनुमोदित किये गये बजट की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रस्तावित बजट	राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तविक बजट	कटौती	कटौती की प्रतिशत
2005-06	32.92	11.00	21.92	67
2006-07	73.05	11.00	62.05	85
2007-08	71.15	20.00	51.15	72
2008-09	81.35	13.75	67.60	83
2009-10	90.32	5.00	85.32	94
<b>Total</b>	<b>348.79</b>	<b>60.75</b>	<b>288.04</b>	

(स्रोत - रिम्स का वार्षिक बजट प्रस्ताव, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान)

2005-10 के दौरान योजना शीर्ष के अन्तर्गत खर्च नहीं किया गया शेष 36 और 84 प्रतिशत के मध्य था और गैर योजना शीर्ष के अन्तर्गत 7 और 61 प्रतिशत के मध्य था

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि 2005-10 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 67 और 94 प्रतिशत के मध्य योजना आकार में कटौती किया गया। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 11वें पंचवर्षीय योजना 2007-12 में राज्य सरकार द्वारा रिम्स को सहायता अनुदान के लिए ₹ 75 करोड़ के लागत का प्रावधान किया गया और रिम्स के लिए वार्षिक योजना बजट में राज्य बजट में रिम्स के लिए लागत का प्रावधान के अनुसार कटौती किया गया। यह स्पष्टतया इंगित किया कि रिम्स अवास्तविक योजना बजट तैयार करता था जिसका राज्य बजट के साथ कोई सह संबंध नहीं था।

दूसरे तरफ, यह भी अवलोकित हुआ कि रिस्स कटौती के बाद का भी आवंटन को उपयोग करने में सक्षम नहीं था जो 2005-10 के दौरान जी.बी. द्वारा अनुमोदित योजना का मात्र 20 प्रतिशत था जैसा कि तालिका 2 में वर्णित है।

तालिका-2 : आवंटन और खर्च की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखे का शीर्ष	आरंभिक शेष	आवंटन	कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय	अंतिम शेष	कुल उपलब्ध निधियों के प्रतिशत के रूप में अन्तःशेष
2005-06	योजना	22.47	17.00	39.47	15.44	24.03	61
	गैर-योजना	13.35	58.27	71.62	27.80	43.82	61
2006-07	योजना	24.03	13.00	37.03	5.93	31.10	84
	गैर-योजना	43.82	32.05	75.87	40.87	35.00	46
2007-08	योजना	31.10	20.00	51.10	21.99	29.11	57
	गैर-योजना	35.00	29.17	64.17	38.75	25.42	40
2008-09	योजना	29.11	13.75	42.86	17.36	25.50	59
	गैर-योजना	25.42	44.00	69.42	52.36	17.06	25
2009-10	योजना	25.50	5.00	30.50	19.61	10.89	36
	गैर-योजना	17.06	64.00	81.06	75.38	5.68	7
कुल	योजना	22.47	68.75	91.22	80.33	10.89	12
	गैर-योजना	13.35	227.49	240.84	235.16	5.68	2

(स्रोत: रिस्स द्वारा प्रदत्त आँकड़ा)


परिणामस्वरूप, 2005-10 की अवधि के दौरान अन्तःशेष योजना शीर्ष के अन्तर्गत 36 और 84 प्रतिशत के मध्य और गैर योजना शीर्ष के अन्तर्गत 7 और 61 प्रतिशत के मध्य था।

#### 1.2.7.2 पी.एम.एस.एस.वाई. का निधिकरण पैटर्न

पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत 100 प्रतिशत निधि अनुपयोगित पड़ी रह गयी

पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत 100 प्रतिशत निधियाँ (2008-09 के दौरान प्राप्त केन्द्रीय हिस्से का ₹ 8.51 करोड़ और राज्य हिस्से का ₹ 20 करोड़) अनुपयोगित रह गयी। पी.एम.एस.एस.वाई. का कुल लागत ₹ 120 करोड़ का विश्लेषण निम्न था।

पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत उन्नयन के लिए निधिकरण पैटर्न दर्शाता हुआ बार चार्ट



(स्रोत : रिस्स द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

भारत सरकार को केन्द्रीय हिस्से के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ प्रदान करना था और ₹ 3.66 करोड़ की कमी राज्य द्वारा पूरा करना था। केन्द्रीय हिस्से में से ₹ 57 करोड़ को सी.पी.डब्ल्यू.डी द्वारा

शीर्षस्थ विशेषज्ञ खण्डों के निर्माण पर व्यय करना था जिसके लिए भारत सरकार द्वारा निधि इसे सीधे विमुक्त किया जाना था। उच्च प्रयोजन और सामान्य उपकरण (112 श्रेणी) हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड (एच.एल.एल.) के जरिये भारत सरकार द्वारा सीधे आपूर्ति करना था। जबकि निम्न प्रयोजन और असमान्य उपकरण (148 श्रेणी) के लिए रिम्स को उत्तरदायित्व दिया गया था जिसके लिए भारत सरकार द्वारा रिम्स को ₹ 8.51 करोड़ प्रदत्त (फरवरी 2009) किया गया और राज्य सरकार द्वारा ₹ 20 करोड़ आवंटित किया गया (अगस्त 2008), जिसे मार्च 2009 के दौरान रिम्स द्वारा कोषागार से आहरित किया गया। यह अवलोकित हुआ कि, रिम्स द्वारा योजना शीर्ष के अन्तर्गत अपने आवंटित निधि का उपयोग नहीं किया जा सका था, जिससे उसके उन्नयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा जिसे इस प्रतिवेदन के **कंडिका 1.2.9** में विमर्शित किया गया है।

### 1.2.7.3 वार्षिक लेखे की तैयार नहीं किया जाना

रिम्स अधिनियम के धारा 22 और रिम्स नियमावली 2002 के नियम 22 के अन्तर्गत, रिम्स को प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च के अन्त तक के लिए तुलन-पत्र के साथ वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करना अनिवार्य था जिसे महालेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित करना था। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ प्रमाणित लेखे को रिम्स द्वारा प्रत्येक वर्ष के 30 दिसम्बर से पहले राज्य सरकार को सौंपना था और राज्य सरकार द्वारा उसे विधान सभा के समक्ष रखना था। यह पाया गया कि 2002 में रिम्स के सृजन से कभी भी वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, राज्य विधान मण्डल और सरकार रिम्स के अत्यन्त महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ा/सूचना से वंचित हुये थे जिसका उपयोग बेहतर योजना और/या नीतिगत निर्णय जैसे बजट लागत इत्यादि के लिए किया जा सकता था। सरकार द्वारा अश्वासन दिया गया कि उचित सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे।

### 1.2.7.4 रोकड़ बही में त्रुटि

25 नवम्बर 2003 को रोकड़ बही का अंत शेष ₹ 15,15,74,640 था। अगले कार्य दिवस (27 नवम्बर 2003) को रोकड़ बही का आरंभिक शेष यद्यपि, बैंक विवरणी के आधार पर ₹ 13,90,03,338 लिया गया। परिणामस्वरूप, 27 नवम्बर 2003 को रोकड़ बही ₹ 1,25,71,302 के कमी के साथ शुरूआत किया गया था जिसे सामंजस्य नहीं किया गया था (जून 2010)। लेखा परीक्षा द्वारा त्रुटियों के विश्लेषण करने का एक प्रयास किया गया और पाया गया कि निम्न भुगतानों/प्रेषणों को रोकड़बही के भुगतान के हिस्से में इन्द्राज ही नहीं किया गया था: स्टॉक पंजी में (फरवरी 2003) में प्रविष्ट और उचित ढंग से पारित भंडार के क्रय के ₹ 85,920 के वाउचर, भवन निर्माण विभाग प्रमण्डल II, राँची को ₹ एक करोड़ का अग्रिम, (सितम्बर 2003) अधिकारियों से स्रोत पर ₹ 11,43,217 की आयकर कटौती और आयकर विभाग में जमा, कोषागार चालान के अनुसार कोषागार में प्रेषित ₹ 11,88,484 राशि के छः प्रेषणों और दो व्यक्तियों को दिये गये अग्रिम की राशि ₹ 30,000 परिणामस्वरूप, उपरोक्त भूली गई राशि के समायोजित करने के बाद भी ₹ 1,23,681 की राशि रोकड़ बही में अलेखाकृत रह गयी जिसके लिए रिम्स के लेखा अनुभाग द्वारा कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जा सका था, जो गबन का सूचक था।

₹ 1,23,681 की कमी रोकड़ बही में अलेखाकृत रह गयी जिसके लिए कोई वाउचर रिम्स द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था जो गबन का सूचक था

### 1.2.7.5 गैर अनुमत्य प्रयोजनों पर व्यय का वहन

अधिनियम के धारा-6 (xv) में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार, रिम्स द्वारा फीस और अन्य प्राप्तियों के रूप में आंतरिक प्राप्तियाँ अर्जित की जाती थीं, जिससे रिम्स के विकास के लिए व्यय वहित किया जा सकता था। यह अवलोकित हुआ कि 2005-10 के दौरान, रिम्स की कुल



आंतरिक प्राप्तियों<sup>44</sup> ₹ 8.48 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 2.35 करोड़ एम.सी.आई द्वारा निरीक्षण के लिए कर्मचारियों के वेतन/दैनिक मजदूरी के भुगतान और अन्य कार्यालय प्रयोजनों इत्यादि पर खर्च किया गया यद्यपि राज्य सरकार का कोई ऐसा निर्देश उपलब्ध नहीं था।

#### 1.2.7.6 जूनियर रेजीडेन्ट्स (शैक्षिक) को आधिक्य भुगतान

शासी निकाय द्वारा रिम्स में जूनियर रेजीडेन्ट्स (शैक्षिक) के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.) के पैटर्न पर रेजीडेन्सी (निवास) योजना अंगीकृत किया गया (सितम्बर 2004), जिसे स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग द्वारा तदनुसार अनुमोदित (अक्टूबर 2004) किया गया। यह, यद्यपि पाया गया कि एम्स में निर्धारित (सितम्बर 2004) क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए अन्य भत्तों सहित कुल मासिक पारिश्रमिक, ₹ 9,400, ₹ 9,725 और ₹ 10,050 के विरुद्ध रिम्स द्वारा 1 मई 2004 से प्रभावी अन्य भत्ते सहित ₹ 11,456, ₹ 11,808 और ₹ 12,161 का पारिश्रमिक निर्धारित किया गया (अक्टूबर 2004)। पारिश्रमिक के गलत निर्धारण के कारण, मई 2004 से दिसम्बर, 2005 के दौरान ₹ 1.30 करोड़ का आधिक्य भुगतान हुआ। बाद में, वेतन पुनर्निर्धारण के बाद, उच्चतर पारिश्रमिक को 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से नियमित किया गया, लेकिन दिसम्बर 2005 तक भुगतान किये गये आधिक्य राशि के वसूली के लिए कोई कारवाई नहीं की गयी। इसमें राशि का अवसूलनीय हो जाने का जोखिम भरा था क्योंकि इनमें से अधिकतम लोग रिम्स में अपने पाठ्यक्रम के पूरा हो जाने के बाद रिम्स छोड़कर कहीं और सेवारंभ कर सकते थे।

#### 1.2.7.7 अस्थायी अग्रिमों का अ-समायोजन

विविध कार्यालय खर्चों, ईंधन, एम.सी.आई निरीक्षणों पर खर्च वहन करने इत्यादि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए 182 अधिकारियों को ₹ 8.15 लाख की राशि का अस्थायी अग्रिम मार्च 2004 और फरवरी 2010 के दौरान दिया गया था जो मई 2010 तक असमायोजित पड़ा था। इन अग्रिमों को रिम्स के आंतरिक प्राप्तियों से नियमित रूप से दिया जाता था। लम्बी अवधि के लिए अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन दुर्विनियोग के खतरों से परिपूर्ण था।

#### 1.2.7.8 अतिशयोक्तिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र

सरकार द्वारा परवर्ती अनुदान प्रदान करने लिए रिम्स को सरकार का अनुदान विमुक्ति के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत करना अनिवार्य था। यह देखा गया कि 2005-10 के दौरान योजना शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध ₹ 91.22 करोड़ के कुल राशि के विरुद्ध राज्य सरकार को ₹ 80.33 करोड़ के लिए यू.सी. प्रस्तुत किया गया यद्यपि, कार्य प्रमण्डलों द्वारा क्रियान्वित सिविल कार्यों के नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 2005-10 के दौरान सिविल कार्यों के क्रियान्वयन के लिए उन्हें दिये गये ₹ 32.69 करोड़ के सम्पूर्ण अग्रिम के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया, जबकि किये गये कार्य का मूल्य ₹ 10.28 करोड़ ही था। अतः ₹ 22.41 करोड़ का अतिशयोक्तिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि के वास्तविक रूप से उपयोग किये बिना प्रमण्डलों द्वारा प्रस्तुत किया गया जो गलत प्रतिवेदित था।

<sup>44</sup> आन्तरिक प्राप्तियों में सन्निहित है विद्यार्थियों से शुल्क का संग्रहण, निबंधन शुल्क और रोगात्मक एवं अन्य जाँचों का शुल्क।

### 1.2.7.9 सरकारी राशि का गबन

वाह्य स्रोतवाली अभिकरण से जिसे रोग विज्ञान/रेडियोधर्मी जाँच के प्राप्तियों के संग्रहण और जमा सौंपा गया था से प्राप्त ₹ 80.85 लाख रोकड़पाल द्वारा लेखाकृत नहीं किया गया और अतः गबन हुआ

शासी निकाय द्वारा निश्चित (सितम्बर 2005) किया गया कि रिम्स के प्रयोगशालाओं में विभिन्न रोग विज्ञान/रेडियोधर्मी जाँचों के लिए प्राप्तियों के संग्रहण के लिए रिम्स में केन्द्रीकृत रोकड़ काउन्टर के लिए साफ्टवेयर और हार्डवेयर को बाहरी स्रोतों से प्राप्त किया जाय। यद्यपि, निदेशक, रिम्स द्वारा मानव शक्ति के लिए कार्य आदेश जारी किया गया जो शासी निकाय के निर्णय के अनुसार नहीं था। एकल निविदा के आधार पर जमशेदपुर स्थित एक फर्म मेसर्स इनफोनेट लिंक का चयन किया गया (अक्टूबर 2005)। दिन पर दिन का संग्रहण रोकड़पाल के पास जमा किया जाना था। रोकड़पाल को वाह्य स्रोतीय अभिकरण से प्राप्त प्राप्तियों का उचित लेखाकरण सुनिश्चित करने के बाद उसे बैंक खाते में जमा करना था।

रिम्स के रोकड़पाल द्वारा संधारित प्राप्ति पंजी/रोकड़बही और जनवरी 2008 और दिसम्बर 2009 के मध्य रोकड़पाल के रसीद द्वारा उचित रूप से समर्थित रोकड़पाल को दैनिक रोकड़ जमा दर्शाती अभिकरण के विवरणी की संवीक्षा में रोकड़पाल एवं अभिकरण के विवरणियों के मध्य विभिन्नता पायी गयी जो तालिका 3 में वर्णित है।

तालिका-3 : रोकड़पाल एवं एजेन्सी-मेसर्स इनफोनेट लिंक की विवरणियों में अन्तर

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अवधि	अभिकरण मेसर्स इनफोनेट लिंक के अनुसार रोकड़पाल को जमा किया गया रोकड़	रोकड़पाल द्वारा प्राप्ति पंजी में लिया गया राशि	अलेखाकृत राशि की विभिन्नता
1	18-01-2006 से 31-12-2006	85,84,674	85,77,646	7,028
2	01-01-2007 से 31-12-2007	1,46,08,247	1,13,84,948	32,23,299
3	01-01-2008 से 31-12-2008	1,55,39,900	1,25,80,162	29,59,738
4	01-01-2009 से 31-12-2009	1,63,96,260	1,46,65,569	17,30,691
5	01-01-2010 से 31-03-2010	46,26,948	44,62,688	1,64,260
	कुल	5,97,56,029	5,16,71,013	80,85,016

(स्रोत: रिम्स एवं वाह्य स्रोत की एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत ऑकड़ें)

उपरोक्त ब्यौरे से यह स्पष्ट था कि रोकड़पाल द्वारा ₹ 80.85 लाख की प्राप्ति को प्राप्ति पंजी और रोकड़ बही में लेखाकरण नहीं किया था। झारखण्ड वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार रोकड़पाल द्वारा प्राप्त सभी रोकड़ों को बिना किसी विलम्ब के प्राप्ति पंजी और बाद में रोकड़ बही में लेखाकृत करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। अतः अभिकरण द्वारा जमा वास्तविक राशि और प्राप्ति पंजी/रोकड़बही में रोकड़पाल द्वारा लेखाकृत किये गये प्राप्ति के बीच विभिन्नता को संभवतया गबन कर लिया गया। आगे, वाह्य स्रोत अभिकरण को निर्गत कार्यादेश के अनुसार अभिकरण को विपत्रों के प्रस्तुतीकरण किये जाने से पहले रिम्स के, रोकड़पाल, मुख्य रोकड़पाल और लेखा पदाधिकारी से रोकड़ काउन्टर के संतोषजनक संचालन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना था। यह यद्यपि देखा गया था कि रोकड़ चालन कार्य को कभी भी मुख्य रोकड़पाल और लेखा पदाधिकारी रिम्स द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त निदेशक द्वारा रोकड़ का भौतिक सत्यापन भी सम्पादित नहीं किया गया जिससे चूक सुसाध्य बन गया।

### 1.2.8 शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियाँ

रिम्स को चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में कल्पित किया गया था। इसे चिकित्सा और अन्य सहायक विषयों के क्षेत्र में शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था। शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियों के लेखा परीक्षा संवीक्षा से निम्न कमियों का पता चला:

### 1.2.8.1 चिकित्सा पाठ्यक्रमों की मान्यता

एम.सी.आई. रिम्स के निरीक्षण के बाद, परवर्ती वर्षों के लिए उपलब्ध पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है। संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि एम.सी.आई द्वारा एम.डी. (एनेस्थेसिया) पाठ्यक्रम की मान्यता रद्द कर दिया (अक्टूबर 2009) गया और रिम्स को एसोसिएट प्रोफेसर/वरिष्ठ रेसीडेंट के संवर्ग में रिक्तियों और एक एसोसिएट प्रोफेसर का अनियमित पदोन्नति के कारण शैक्षणिक सत्र 2010-11 के लिए नामांकन को बंद करने का निर्देश दिया।

यह भी देखा गया कि एम.सी.आई द्वारा शिक्षण संकायों और रेजीडेंट डाक्टरों की भारी कमी के कारण एम.बी.बी.एस. डिग्री की मान्यता रद्द करने के लिए कारण बताओ अधिसूचना निर्गत (मई 2008) किया था। फरवरी 2010 तक स्थिति में कोई सुधार नहीं था जैसा कंडिका 1.2.8.1 में विमर्शित किया गया। व्यंगात्मक रूप से रिम्स द्वारा एम.बी.बी.एस में सीटों की संख्या वर्तमान 90 से 150 तक वृद्धि के लिए प्रस्ताव भेजा था (मई 2008) जिसे शिक्षण संकायों में कमी के कारण एम.सी.आई. द्वारा रद्द कर दिया गया (जून 2008)।

### 1.2.8.2 पुस्तकालय

किसी भी शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान के लिए एक समृद्ध पुस्तकालय रीढ़ होता है। रिम्स में शैक्षिक क्षेत्र में एक केन्द्रीय पुस्तकालय संधारित है जिसमें 52,890 पुस्तकें और 45 विदेशी और 34 भारतीय जर्नल थे। केन्द्रीय पुस्तकालय अभिलेखों की संवीक्षा से निम्न कमियों का पता चला:

- रिम्स के प्रारंभ से ही पुस्तकालय में कोई नियमित पुस्तकाध्यक्ष पदस्थापित नहीं था। पुस्तकों का कोई विषय/श्रेणीवार सारणी पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं था।
- चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशुपालन, पोलिटेकनिक इत्यादि के लिए पुस्तकों के अनुपलब्धता को कम करने के अभिप्राय से 1992-93 के दौरान कल्याण विभाग के जरिये से भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अनुसूचित जन जातियों (एस.टी.) विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक योजना का प्रारम्भ किया गया था। योजना का उद्देश्य उन विद्यार्थियों के पढ़ाई छोड़ने के उदाहरण को कम से कम करने और उच्च शिक्षणस्तर सुनिश्चित करने के लिए एस.सी./एस.टी को आवश्यक पुस्तक प्रदान करना था। योजना के अन्तर्गत, स्नातक स्तर पर प्रत्येक दो एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों को पुस्तकों का एक सेट और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक एस.सी./एस.टी विद्यार्थी को एक सेट पुस्तक बिना मूल्य को प्रदान करना था। यह, यद्यपि, देखा गया कि कल्याण विभाग द्वारा रिम्स को इस योजना के अन्तर्गत 2005-10 के दौरान ₹ 2.28 करोड़ मूल्य के 13,330 पुस्तकों की आपूर्ति की गई जिन्हें केवल एस.सी./एस.टी विद्यार्थियों को प्रदान करने के बजाये केन्द्रीय पुस्तकालय के सामान्य वर्ग में मिला दिया गया था।
- पुस्तकों को रिम्स के शैक्षणिक संकाय सदस्यों को निर्गत किया जाता था। कोई आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली जैसे कि एक समय अवधि में पुस्तकों की वापसी, स्मारपत्र निर्गत करने इत्यादि यथा स्थान नहीं था। लेखा परीक्षा में, निर्गत पंजी से यह देखा गया कि मई 1972 से जून 2010 के दौरान 178 संकाय सदस्यों को निर्गत किये गये 1,407 पुस्तकों को केन्द्रीय पुस्तकालय को वापस नहीं किया गया (जुलाई 2010)। इस संकाय सदस्यों में से अधिकतर या तो पहले ही सेवानिवृत्त या मर गये थे। निर्गत पुस्तकों को वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

### 1.2.8.3 पारा चिकित्सीय पाठ्यक्रम

स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा तीन<sup>45</sup> चिकित्सा महाविद्यालयों में पारा चिकित्सीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया था और रिम्स उनमें से एक था। रिम्स में मार्च 2007 (2006 बैच) में कुल 24 पारा चिकित्सीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना और जानकार एवं दक्ष पारा मेडिकल चिकित्सक पैदा करना था जो राष्ट्र के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक संपत्ति बनें।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि रिम्स द्वारा पारा चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ के लिए तीन आधारभूत आवश्यकताओं के लिए कार्ययोजना तैयार किया गया जिसमें विद्यालय और उसके कार्यालय के लिए भवन, संकाय सदस्यों और क्लिनिक सुविधायें थीं। यद्यपि, पाठ्यक्रमों को अन्य दो आवश्यकताओं भवन और संकाय सदस्यों के परिपूर्णता के बिना केवल रिम्स में उपलब्ध विद्यमान इलाज संबंधी सुविधाओं के साथ प्रारम्भ किया गया। इसके फलस्वरूप, पारा चिकित्सीय विद्यालय बिना अपने स्वयं के भवन और संकाय सदस्यों के चल रहा था। इसके बावजूद, 729 विद्यार्थी द्वारा (2006 में 176, 2007 में 184, 2008 में 257 और 2009 में 112) दो वर्षों की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लिया गया और उनसे फीस के रूप में ₹ 11.27 लाख की उद्ग्रहण हुआ। रिम्स में किसी बिना विश्वविद्यालय से संबद्धता के पारा चिकित्सीय पाठ्यक्रम चल रहा था। न तो पाठ्यक्रम ए.आई.सी.टी.ई<sup>46</sup> से मान्यता प्राप्त थे और न ही राज्य सरकार द्वारा कोई परिषद् का गठन किया गया। इसके परिणामस्वरूप, पारा चिकित्सीय विद्यालय से एक भी बैच पास नहीं कर सका था जबकि इस समय तक कम से कम 2006 और 2007 के दो बैचों को पास कर जाना चाहिए था। मान्यता प्राप्त करने या संबद्धता प्राप्त करने में विफलता के कारण अभिलेख में नहीं पाया गया। अतः रिम्स प्रबंधन के अकर्मण्यता के कारण इन सभी विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया।

### 1.2.8.4 ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र

एम.सी.आई. मार्गदर्शिका के अनुसार, रिम्स में सामुदायिक अभिमुख प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और इसमें संलग्न समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए तीन ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र (आर.एच.टी.सी.) और एक शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र (यू.एच.टी.सी.) थे। लेखा परीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कांके और नामकुम आर.एच.टी.सी. प्रायोगिक रूप से अक्रियाशील थे क्योंकि कोई आधारभूत सुविधा/मानव शक्ति उपलब्ध नहीं था। ओरमाड़ी आर.एच.टी.सी. जैसे तैसे ढंग से बहुत ही अस्थिर अवस्था में चल रहा था। भवन जर्जर अवस्था में था और शिक्षण प्रयोजनों के लिए पी.एच.सी. पर आश्रित था। आगे, एम.सी.आई मानदण्डों के अनुसार 29 पदों की आवश्यकता के विरुद्ध, इसका स्वीकृत बल मात्र 10 का था। ये 10 पदों भी भरी हुई नहीं थी और वास्तविक रूप में कार्यरत बल मात्र पाँच था।

यू.एच.टी.सी., डोरण्डा के मामले में, यह पाया गया कि यह रिम्स के साथ-साथ जिला स्वास्थ्य प्रशासन के दोहरे नियंत्रण में था।

### 1.2.8.5 दन्त चिकित्सा महाविद्यालय का सृजन

रिम्स अधिनियम की धारा 6 (VI) के अनुसार, रिम्स को दन्त चिकित्सा के छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपकरणों से सज्जित दन्त महाविद्यालय स्थापित करना था। 2005-07 के दौरान राज्य सरकार द्वारा रिम्स को ₹ आठ करोड़ (जनवरी 2006 में ₹ छः करोड़

<sup>45</sup> महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल (एम.जी.एम.सी. एवं एच.) जमशेदपुर, पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल (पी.एम.सी.एच.), धनबाद और रिम्स, राँची।

<sup>46</sup> अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद।

हालाँकि दन्त चिकित्सा महाविद्यालय का सृजन रिम्स अधिनियम में कल्पित था, राज्य सरकार द्वारा निधि के प्रथम आवंटन से चार वर्षों से अधिक बीत जाने और ₹ 6.80 करोड़ का व्यय बहन के बाद भी इसे स्थापित नहीं किया जा सका था

और जुलाई 2006 में ₹ दो करोड़) दन्त चिकित्सा महाविद्यालय के भवन के निर्माण करने के लिए आवंटित किया गया था।

निदेशक, रिम्स के अनुरोध (मई 2007) पर एन.आर.इ.पी-II प्रमण्डल, राँची द्वारा दन्त चिकित्सा भवन के निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार किया गया (अगस्त 2007) जिसकी तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 2007) मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, विशेष क्षेत्र द्वारा एवं रिम्स के अध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन सितम्बर 2007 में प्रदान किया गया। प्रमण्डल को ₹ चार करोड़ का अग्रिम एवं 18 महीने के नियत समय यानि मार्च 2009 तक पूरा करने का कार्यादेश दिया गया (सितम्बर 2007)। उसके बाद, दो और अग्रिम ₹ 2 करोड़ (मई 2009) और ₹ 0.80 करोड़ (फरवरी 2010) यानि ₹ 6.80 करोड़ का कुल अग्रिम राशि प्रमण्डल को दिया गया। यद्यपि, कार्य को अभी भी प्रमण्डल द्वारा पूर्ण करना था (मई 2010)। अतः दन्त चिकित्सा महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निधि प्रथम आवंटन से चार वर्षों से अधिक के बीत जाने के बाद भी स्थापित नहीं किया जा सका था जिसका पहला कारण निदेशक, रिम्स द्वारा कार्यकारी अभिकरण से प्राक्कलन तैयार करने के लिए अनुरोध करने में अत्यधिक विलम्ब और दूसरा कार्यकारी अभिकरण द्वारा नियत पूर्णता की तिथि के पालन में विफलता था।

#### 1.2.8.6 अनुसंधान गतिविधियाँ

रिम्स द्वारा पिछले पाँच वर्षों में एक भी अनुसंधान कार्य नहीं किया गया

रिम्स के स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण उद्येश्य चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था। यह, यद्यपि अवलोकित हुआ कि रिम्स द्वारा 2005-10 के दौरान कोई राशि आवंटित नहीं किया गया और न ही कोई अनुसंधान गतिविधियाँ को शुरू किया हालाँकि विशेषज्ञ डॉक्टर वेतन लेकर कार्यरत थे। संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि डॉक्टर प्रबंधन के अनुमति से रिम्स के बाहर महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं में संलग्न थे।

#### 1.2.9 पी.एम.एस.एस.वाई. का कार्यान्वयन

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.), एक राष्ट्रीय परियोजना, को देश में 13 विद्यमान चिकित्सा संस्थानों को शीर्षस्थ विशेषज्ञ अस्पतालों में उन्नयन और छः एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 2004 में प्रारम्भ किया गया था। झारखण्ड में, रिम्स को ₹ 120 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा - ₹ 100 करोड़ और राज्य अंश - ₹ 20 करोड़) की लागत पर शीर्षस्थ विशेषज्ञ अस्पताल के रूप में उन्नयन के लिए चयन किया गया। योजना को 2009-10 तक कार्यान्वित करना था। योजना के अन्तर्गत, रिम्स को शीर्षस्थ विशेषज्ञ स्तर तक स्थापित/उन्नयन के लिए छः विभाग, नामित कार्डियोलॉजी/ कार्डियोथोरासीस, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी/ न्यूरोसाइन्सेज, नेफ्रोलॉजी/ पेडियट्रीक सर्जरी और ऑनकोलोजी/ऑनकोसर्जरी को चिन्हित किया गया (मई 2007)।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि उन्नयन योजना समय सारणी से पिछड़ी हुई (मार्च 2010) थी। भारत सरकार को 305 उच्च प्रयोजन उपकरणों की आपूर्ति करनी थी जिसमें से 207 उपकरण रिम्स को जुलाई 2009 से अप्रैल 2010 के दौरान आपूर्ति किये गये। इसमें से मात्र 16 उपकरणों का अधिष्ठापन मई 2010 तक हुआ। इस प्रकार ₹ 10.68 करोड़ लागत के 191 उपकरणों का अधिष्ठापन नहीं हुआ। (परिशिष्ट-1.12) सी.पी.डब्ल्यूडी, राँची केन्द्रीय प्रमण्डल, राँची-2 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अभिकरण को ₹ 43 करोड़ की कुल लागत पर चिन्हित विभागों के लिए शीर्षस्थ विशेषज्ञ ब्लाकों को निर्माण करना था। अभिकरण द्वारा 20 महीनों (जून 2011) के पूर्णता समय के साथ केवल सितम्बर 2009 में ही संवेदक को कार्य आदेश दिया गया जबकि अभिकरण द्वारा मार्च 2008 में ही प्रशासनिक

अनुमोदन और प्राक्कलन स्वीकृति प्राप्त किया गया था। संवेदक द्वारा कार्य आरम्भ केवल अक्टूबर 2009 में ही किया गया था जिसके परिणामस्वरूप शीर्षस्थ विशेष ब्लॉक भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरण की स्थापना के लिए समय पर (अप्रैल 2010) तैयार ही नहीं थे।

आगे, संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ऑनकोलोजी के लिए शीर्षस्थ विशेषज्ञ ब्लॉक आणविक ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड (ए.इ.आर.बी) से भवन के स्मरेखा के अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब और उपकरण की आपूर्ति के लिए वेन्डर का चयन न होने के कारण स्थापित नहीं किया जा सका था (मई 2010)। यह देखा गया कि ए.इ.आर.बी. के अनुमोदन प्राप्ति के लिए विहित प्रपत्र सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निदेशक, रिम्स को भेज दिया गया (जून 2008) जिसे पूर्ण किया गया और 11 महीने के विलम्ब से ए.इ.आर. बी.(मई 2009) को भेजा गया। ए.इ.आर.बी के अनुमोदन (जून 2009) के बाद, सी.पी.डब्ल्यू डी. द्वारा ऑनकोलॉजी ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया (अक्टूबर 2009) जो रिम्स द्वारा वेन्डर के चयन नहीं करने के कारण लंबित था (मई 2010)। यह एक महत्वपूर्ण विफलता था क्योंकि हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के प्रापण योजना के अनुसार भारत सरकार मार्गदर्शिका में रिम्स को तैयार रहने की आवश्यकता थी जिससे उपकरणों को अधिष्ठापन किया जा सके।

आगे, रिम्स द्वारा प्राप्त किये जाने वाले निम्न प्रयोजन उपकरण की विशिष्टियों और सूची का अन्तिमीकरण और उन उपकरणों के सामयिक प्रापण और अधिष्ठापन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार मार्गदर्शिका निर्गत (मई 2008) किया। लेखा परीक्षा संवीक्षा में, यद्यपि पता चला कि रिम्स द्वारा ऐसा कोई विस्तृत योजना नहीं बनाया गया और भारत सरकार द्वारा निम्न प्रयोजन और असामान्य<sup>47</sup> उपकरण के क्रय के लिए रिम्स को ₹ 8.51 करोड़ प्रदान किया गया (फरवरी 2009) जिसका उपयोग नहीं किया जा सका था (मई 2010) क्योंकि रिम्स क्रय किये जाने वाले उपकरण के विशिष्टियों/सूची को अन्तिमीकरण नहीं कर सका था। उपकरण क्रय के लिए ₹ 20 करोड़ का राज्य के अंश का भी उसी कारण से उपयोग नहीं किया जा सका था।



15 जून 2010 को लिया गया फोटोग्राफ जिसमें भारत सरकार द्वारा पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत निर्गत मशीनों एवं उपकरणों का पेडीएट्रीक सर्जरी इकाई में डिब्बों में बन्द पड़ा है।

भारत सरकार द्वारा निर्देशिका निर्गत होने के 24 महीने बीत जाने के बाद भी रिम्स द्वारा न तो प्राप्त किये जाने वाले उपकरणों की विशिष्टियों/सूची का और न ही वेन्डर का अन्तिमीकरण किया जा सका था। यह उन्नयन के तहत रिम्स प्रबंधन के अभावग्रस्त मनोवृत्ति के साथ-साथ योजना के पूर्ण विफलता का सूचक था जो यदि पूर्ण हो जाता तो परिणामस्वरूप, गरीब और जरूरतमंद रोगियों को भारी चिकित्सीय लाभ होगा। अतः भारत सरकार द्वारा सिविल कार्यों (₹ 20.29 करोड़) और उपकरण की आपूर्ति के लिए (₹ 10.68 करोड़) ₹ 30.97 करोड़ के व्यय के बावजूद शीर्षस्थ विशेषज्ञ विभाग के स्थापना के साथ-साथ उन्नयन योजना का रिम्स का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

<sup>47</sup> रिम्स को विशिष्ट उपकरण



### 1.2.10 रोगियों को दी जानेवाली सेवायें

रिम्स द्वारा रोगियों को या तो वाह्य रोगी विभाग द्वारा या अन्दरूनी रोगियों के रूप में उनके भर्ती द्वारा चिकित्सीय देखभाल प्रदान करता था। चिकित्सीय सेवा में विशेष सलाह रोगजनित/रेडियोधर्मी जाँच, भर्ती, औषधि, भोजन इत्यादि का आपूर्ति सम्मिलित था।

रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के लेखा परीक्षा से निम्न कमियों को पता चला:

#### 1.2.10.1 बाह्य रोगी विभाग

वाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) द्वारा उन रोगियों को चिकित्सीय सेवा प्रदान किया जाता था जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं थी। प्रत्येक ओ.पी.डी. को एक विशेषज्ञ डॉक्टर के देखरेख में एक दिन में छः घंटों के लिए चलना था। रिम्स, राज्य में प्रमुख चिकित्सीय संस्थान है जिसे सुदूर ग्रामीण स्थानों के साथ-साथ राज्य के सभी भागों से रोगी प्राप्त होते हैं अतः रोगियों के भारी प्रवाह के अनुरूप से सक्षम और योग्य ओ.पी.डी, जो रोगियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक था, विशेषतया गरीब व्यक्तियों को जो निजी अस्पतालों की खर्चीली चिकित्सा को वहन नहीं कर सकते थे। यह, यद्यपि, अवलोकित हुआ कि ओ.पी.डी. रोगियों की भारी संख्या के जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्णतया सज्जित नहीं थे। इसे दिखाने के लिए एक तालिका जो चिकित्सा प्राप्त रोगियों की संख्या, विशेषज्ञों की उपलब्धता की संख्या और नौ ओ.पी.डी. में मार्च 2010 के दौरान प्रति रोगी दिया गया औसत समय प्रदर्शित करता है तालिका-4 में दिया गया है।

तालिका-4 : ओ.पी.डी. में रोगियों की संख्या एवं प्रति रोगी दिया गया समय दर्शाता विवरणी

क्र.सं	ओ.पी.डी. का नाम	मार्च 2010 में रोगियों की कुल संख्या	मार्च में ओ.पी.डी. के दिनों की कुल संख्या	ओ.पी.डी. अवधि (घंटों में)	प्रतिदिन विशेषज्ञों की संख्या जिन्होंने ओ.पी.डी. में समय दिया	प्रति विशेषज्ञ प्रति घंटा में देखा गया रोगियों की संख्या	प्रतिरोगी दिया गया समय (मिनटों में)
1	आँख	2,693	26	6	1	17	3.5
2	इ.एन.टी.	1,840	26	6	1	12	5
3	औषधि	5,113	26	6	1	32	1.87
4	न्यूरोसर्जरी	1,268	13	6	1	16	3.75
5	अर्थोपेडिक	2,381	26	6	1	15	4
6	ओबस्ट्रेटिक्स और गाइनोकोलॉजी	1,925	26	6	1	12	5
7	पेडियट्रीक्स	2,333	26	6	1	15	4
8	स्कीन और एस.टी.डी.	2,178	26	6	1	14	4.28
9	सर्जरी	1,753	26	6	1	11	5.5

(स्रोत - रिम्स के चिकित्सा अभिलेख विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

उपरोक्त तालिका से जैसा कि देखा गया कि प्रति घंटा औसतन 11 से 32 रोगियों का जाँच किया जाता था। प्रतिरोगी 1.87 मिनट से साढ़े पाँच मिनट लेते हुए किया जाता था। यद्यपि, औषधि ओ.पी.डी. में कार्य भार अधिकतम उच्च था जिसके कारण एक रोगी को देखने के लिए प्रायोगिक रूप में न के बराबर समय दिया जाता था। यह भी देखा गया कि ओ.पी.डी. में रोगियों को विशेषज्ञों द्वारा सलाह के लिए रिम्स प्रबंधन द्वारा कोई मानक समय/मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया था।



### 1.2.10.2 अन्तरंग रोगी

उचित चिकित्सीय अभिलेख के संधारण नहीं किये जाने के कारण अन्तरंग रोगियों को गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा देखभाल में कमी हुई

रिम्स के चिकित्सीय अभिलेख विभाग (एम.आर.डी.) में रखे गये रोगियों के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि रोगी को आवंटित बिस्तर संख्या इंगित करता केवल बिस्तर शीर्ष टिकट और अन्तरंग रोगियों के संबंध में वार्डों में डाक्टरों का नुस्खा ही संधारित किया जाता था। इन अभिलेखों में ब्यौरा जैसे कि मामले का सामान्य इतिहास, प्रगति टिप्पणी और चिकित्सा पदाधिकारी का आदेश ऑपरेशन/जाँच का चार्ट, खाने का विवरण, डाक्टरों के आने का सार, रोगी को छोड़ने का सार इत्यादि समाहित नहीं था। अस्पताल में इन अभिलेखों/ब्यौरों के संधारण न होने के कारण उचित रोगी देख भाल सुनिश्चियन में विफलता हुआ। जनवरी 2008 से अप्रैल 2010 तक का मेट्रॉन कार्यालय में संधारित एम.आर.डी. द्वारा प्रस्तुत आँकड़ा और केन्द्रीय अन्तरंग रोगी पंजी के अतिरिक्त संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अवधि के दौरान अस्पताल में प्रविष्ट 1,73,789 रोगियों में से 5416 रोगियों ने चिकित्सीय सलाह (एल.ए.एम.ए. मामले) के विरुद्ध अस्पताल छोड़ दिये। मुफ्त/कम लागत की चिकित्सा उपलब्ध रहने पर भी रोगियों का रिम्स में चिकित्सीय सलाह के विरुद्ध अस्पताल छोड़ने का कारण अभिलेखित नहीं था।

### 1.2.10.3 रोगियों को आहार की आपूर्ति

अस्पताल दैनिक आहार सेवा द्वारा अस्पताल में भर्ती सभी रोगियों को खाना प्रदान किया जाता है। इस सेवा में निम्न कमियों को पाया गया:-

- चौंतीस स्वीकृत बल के विरुद्ध, किचेन में केवल 21 व्यक्ति थे, जो दो पालियों में कार्य करते थे जो प्रति पाली औसतन बल, 10 व्यक्ति रूपान्तरित करता था। अतः प्रति पाली लगभग 1000 रोगियों के लिए खाना पकाने के लिए किचेन कर्मचारियों पर न केवल भारी कार्यभार था परन्तु भोजन की गुणवत्ता से समझौता का भी खतरा था। यह पाया गया कि शासी निकाय के 16 वीं बैठक में ₹ 60 लाख की अनुमोदित लागत पर 1,000 चपाती प्रतिघंटा बनाने वाली मशीन के क्रय के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया (नवम्बर 2007) गया परन्तु उचित शीर्ष के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता नहीं रहने के कारण प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया जा सका था। अतः मशीन के क्रय नहीं होने के कारण, किचेन पर भारी कार्यभार को कम नहीं किया जा सका था।
- अपराह्न 2 बजे के बाद प्रविष्ट रोगियों को पूरे दिन के लिए कोई आहार प्रदान नहीं किया जाता था क्योंकि वार्ड से प्रवेश प्रतिवेदन सिस्टर इन चार्ज द्वारा किचेन को अगले सुबह को ही भेजा जाता था और उसके बाद के प्रविष्टों का नाम सम्मिलित करने का कोई प्रावधान नहीं था। आहार पंजी और मेट्रॉन पंजी के वर्ष वार तुलना से ऐसे रोगियों के आहार से वंचित करने का पता चला जो तालिका -5 में ब्योरित है।

तालिका-5 : आहार नहीं प्रदान किये गये रोगियों को दर्शाता विवरणी

कैलेन्डर वर्ष	मेट्रॉन पंजी के अनुसार अस्पताल में उपस्थित रोगियों की संख्या	आहार पंजी के अनुसार रोगियों को प्रदत्त आहार की संख्या	रोगियों को प्रदत्त नहीं की गयी आहारों की संख्या	रोगियों की प्रतिशतता जो आहार से वंचित रहे
2008	4,13,381	3,82,624	30,757	7
2009	3,90,102	3,42,546	47,556	12
2010 (अप्रैल तक)	1,30,029	1,15,843	14,186	11
कुल	9,33,512	8,41,013	92,499	10

(स्रोत - रिम्स द्वारा प्रदत्त आँकड़ा)

उपरोक्त तालिका, से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि गलत प्रतिवेदन प्रणाली के कारण 10 प्रतिशत प्रविष्ट रोगी आहार के लाभों से वंचित कर दिये गये।

#### 1.2.10.4 औषधियों का प्रापण और आपूर्ति

रिम्स द्वारा क्रमशः आई.पी.डी. और ओ.पी.डी. रोगियों के लिए औषधि पर ₹ 20 और ₹ 5 प्रति रोगी प्रतिदिन (अक्टूबर 2001 में निर्धारित) प्रदान किया जाता था। अनिवार्य औषधियों के लिए आवश्यकता सम्बद्ध विभागों के प्रधान (एच.ओ.डी.) से मांगा जाता और इस प्रयोजन के लिए बनायी गयी क्रय समिति की वार्षिक बैठक में निविदा के अन्तिमीकरण के बाद क्रय किया जाता था। 2005-10 के दौरान निविदा प्रक्रिया से औषधियों की उपलब्धता और वितरण तक में पायी गयी कमियों को नीचे विमर्शित किया गया है।

- विभाग के प्रधान द्वारा निर्धारित औषधि आवश्यकता को क्रय समिति द्वारा औषधियों की संख्या कम कर (32 से 47 प्रतिशत) दर अनुमोदित किया जा रहा था और औषधियों का वास्तविक क्रय और भी कमतर संख्या (24 से 33 प्रतिशत) में किया गया था जैसा तालिका 6 में दिखाया गया है।

तालिका-6: अनिवार्य औषधियों का अनुमोदन एवं क्रय विवरणी

क्र. सं.	वर्ष	विभाग के प्रधान द्वारा क्रय के लिए प्रस्तावित अनिवार्य औषधियों की संख्या	क्रय समिति द्वारा अनुमोदित औषधियों की संख्या	अनुमोदित औषधियों की प्रतिशतता	वास्तविक रूप में क्रय की गई औषधियों की संख्या	आवश्यकता के अनुसार वास्तविक क्रय की गई औषधियों की प्रतिशतता
1	2005-06	356	166	47	117	33
2	2006-07	501	194	39	136	27
3	2007-08	601	234	39	160	27
4	2008-09	601	234	39	160	27
5	2009-10	609	192	32	149	24

(स्रोत: रिम्स द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

अतः रिम्स द्वारा प्रदान किये जाने वाले मुफ्त औषधियों के लाभों से रोगी वंचित हुये। क्रय समिति की बैठक के कार्यवृत्त विवरण में भी अनिवार्य औषधियों के आवश्यक संख्या में अनुमोदन क्रय नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं पाया गया। लेखा परीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि निधि की कमी कोई कारण नहीं था क्योंकि 2005-10 के दौरान प्रत्येक वर्ष गैर-योजना के अन्तर्गत भारी अन्तशेष था जैसा कि कंडिका 1.2.7.1 में विमर्शित है।

औषधियों का प्रापण सु-योजनागत नहीं था जबकि औषधियों की भारी संख्या का स्टॉक शून्य पाया गया, वहीं कतिपय औषधियों का भारी अन्त स्टॉक भी था। केन्द्रीय औषधि भण्डार के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान औषधियों की भारी संख्या का शून्य स्टॉक पाया गया जैसा कि तालिका 7 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका - 7: स्टॉक से बाहर दर्शाता औषधियों की विवरणी

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान क्रय किये गये अनिवार्य औषधियों की कुल संख्या	केन्द्रीय भण्डार में अनुपलब्ध अनिवार्य औषधियों की संख्या (प्रतिशत)	औषधियों के शून्य स्टॉक की अवधि
1	2005-06	117	8 (7)	2 महीने से 11 महीने
2	2006-07	136	13 (10)	2 महीने से 11 महीने
3	2007-08	160	29 (18)	2 महीने से 11 महीने
4	2008-09	160	34 (21)	2 महीने से 11 महीने
5	2009-10	149	55 (37)	2 महीने से 11 महीने

(स्रोत: स्टॉक पंजी से संग्रहित आँकड़े)

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि वर्ष के दौरान जीवन रक्षक औषधि सहित सात से 37 प्रतिशत औषधियाँ दो से 11 महीनों के लिए स्टॉक से बाहर रही। ऐसे लम्बे अवधि के लिए औषधियों की भारी संख्या में अनुपलब्धता घटिया स्टॉक प्रबंधन और सामान सूची नियंत्रण का सूचक था जिसके कारण जरूरतमंद रोगी लाभों से वंचित हो गये। दूसरी तरफ, स्टॉक पंजी और निर्गत पंजी की संवीक्षा से भी ज्ञात हुआ कि 2005-10 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त पर विशेष औषधियों का भारी अन्त शेष था जो अति संचय का सूचक था। वास्तव में, 2005-06 के वर्षान्त का स्टॉक के लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 13 औषधियाँ तीन से 24 महीनों के लिए अति संचय की गई थी। अतः इन औषधियों का क्रय जरूरत पर आधारित नहीं था।

- रिम्स में सर्जरी विभाग के अन्तर्गत दिसम्बर 2008 में एक ऑनकोलॉजी इकाई स्थापित किया गया। इस इकाई में कैंसर रोगियों को केवल कीमोथेरेपी दिया जाता था जो मई 2009 के दौरान प्रारम्भ किया गया था। दवाओं की सूची देखने से पता चला कि 2009-10 के दौरान कीमोथेरेपी के लिए आवश्यक 26 औषधियाँ क्रय के लिए सूचीबद्ध थी। यद्यपि, इन औषधियों के लिए क्रय समिति द्वारा दर अनुमोदित नहीं किया गया था जिसके लिए कोई कारण अभिलेख में नहीं था। वर्ष 2009-10 के दौरान 79 कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी दिया गया था जिसके लिए रोगियों को स्वयं ही औषधियों को क्रय करना पड़ा था क्योंकि रिम्स औषधियों को प्रदान नहीं कर सका था। इससे गरीब रोगियों पर भारी वित्तीय भार पड़ा जिन्हें मंहगी औषधियाँ बाजार से खरीदना पड़ा था

2006-07 के दौरान सेफ्ट्रीक्सओन इन्जेक्शन के 20,000 वायल्स औषधि निरीक्षक द्वारा घटिया घोषित किए गए जो रोगियों को प्रदान किए गए थे

- ड्रग और कार्मेटिक अधिनियम, 1940 की धारा-22 एवं 23 के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त औषधि निरीक्षक को वैसे परिसर जहाँ कोई औषधि निर्मित, बिक्री, स्टॉक या वितरित किया जाता है, की निरीक्षण एवं जाँच के लिए औषधियों का नमूना संग्रहित करने की शक्ति प्राप्त है। अधिनियम या ड्रग और कार्मेटिक नियम 1945, यद्यपि, ऐसे निरीक्षणों/नमूनों के संग्रहणों की बारम्बारता या कोई समयवधि प्रदान नहीं करता है। यह देखा गया कि रिम्स में औषधि निरीक्षक राँची-1 द्वारा समय-समय पर जाँच के लिए औषधियों के नमूनों का संग्रहण किया जा रहा था। प्रत्येक वर्ष के क्रयित औषधियों के 100 से अधिक किस्मों के विरुद्ध 2005-10 के दौरान छह नमूना संग्रहित किया गया। आगे, यह पाया गया कि 2006-07 के दौरान मेसर्स मेधावी एसोसिएट्स, राँची से ₹ 5.22 लाख मूल्य का बैच संख्या सी.एफ.बी.आई.-68 के सेफ्ट्रीक्सओन इन्जेक्शन<sup>48</sup> (1 ग्राम) के 20,000 वायल्स क्रय किया गया (अक्टूबर 2006 से फरवरी 2007)। औषधि निरीक्षक, राँची-1 द्वारा संदेह व्यक्त किया गया (दिसम्बर 2006) कि वायल्स के ढक्कन दो विभिन्न रंगों (लाल और गुलाबी) के थे और लेबल में भी विभिन्नता थी। परिणामस्वरूप, प्रत्येक रंग के पाँच वायलों को अन्वेषण के लिए जब्त कर लिया गया (दिसम्बर 2006)। रिम्स को सितम्बर 2008 में औषधि निरीक्षक द्वारा जब्त औषधि का जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें इन्जेक्शन के सम्पूर्ण बैच को घटिया घोषित किया गया था। औषधि निरीक्षक द्वारा इन्जेक्शन के सम्पूर्ण बैच के वापस करने का आदेश (सितम्बर 2008) दिया गया लेकिन अधीक्षक द्वारा सूचित किया गया कि मार्च 2007 तक पहले ही औषधि का तमाम स्टॉक उपभोग कर लिया गया था। अतः रोगियों को घटिया इन्जेक्शन (20,000 वायलों) प्रदान किया गया था। यह देखा गया कि रिम्स द्वारा औषधियों के क्रय करने से पहले गुणवत्ता जाँच नहीं किया जाता था। अतः, रिम्स में प्रभावशाली गुणवत्ता नियंत्रक तंत्र नहीं होने के कारण रोगियों को घटिया औषधियों की आपूर्ति से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

<sup>48</sup> मेसर्स.लेबोरेट फार्मा, हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्मित।

- तीन महत्वपूर्ण विभागों (न्यूरोसर्जरी, ई.एन.टी.और सर्जरी) के पाँच वार्डों में मार्च 2010 के माह में औषधियों के इन्डेन्ट, केन्द्रीय औषधि भंडार का निर्गत पंजी और औषधियों के स्टॉक पंजी के नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि बिना कोई कारण बताये भंडार में उनकी उपलब्धता के वावजूद वार्डों में औषधियों का कम आपूर्ति हुआ (**परिशिष्ट 1.13**)। अतः रोगियों को मुफ्त औषधियों के लाभों से वंचित किया गया।

### 1.2.10.5 रोग विज्ञान और रेडियोधर्मिता जाँचें

रिम्स अपने प्रयोगशाला में रोग विज्ञान और रेडियोधर्मिता जाँच कर रही थी और इन जाँचों का शुल्क बाहरी अभिकरण (मेसर्स इनफोनेट लिंक) द्वारा अग्रिम में संग्रहित किया जाता था। यह अवलोकित किया गया कि अभिकरण द्वारा अग्रिम से संग्रहित शुल्कों की वापसी या तो रिम्स के बिना कोई अधिकरण के या कभी-कभी रिम्स के लेखा पदाधिकारी के अनुमोदन के द्वारा किया जा रहा था। लेखा परीक्षा द्वारा अग्रिम में संग्रहित शुल्कों की वापसी, वापसी की परिस्थिति, वापसी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी इत्यादि के प्रावधान/प्रणाली/प्रक्रिया ब्यौरे के बारे में पूछा गया था लेकिन लेखा परीक्षा को ऐसा ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतिरिक्त संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि रिम्स के पास किसी पंजी, प्रयोगशाला प्रतिवेदनों इत्यादि के रूप में वापसी का कोई अभिलेख नहीं था। बाहरी अभिकरण द्वारा मात्र जनवरी 2009 से मार्च 2010 के दौरान किये गए वापसियों का ब्यौरा प्रदान किया जा सका था। इन ब्यौरों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 3,25,433 मामलों में ₹ 2.40 करोड़ के प्राप्तियों में से रोगियों द्वारा 16,273 मामलों (पाँच प्रतिशत) में ₹ 29.20 लाख (12 प्रतिशत) की वापसी के लिए दावा किया गया और बिना किसी सत्यापन के अभिकरण द्वारा वापसी कर दिया गया। बिना किसी सत्यापन के रेडियोधर्मी और रोग विज्ञानी जाँचों में वापसी मामलों की भारी संख्या इस प्रमुख संस्थान द्वारा न केवल चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने में अक्षमता दर्शाती थी परन्तु राशि के अनाधिकृत वापसी के खतरों को भी इंगित करता था।

सरकार द्वारा आश्वासन दिया (23 अक्टूबर 2010) गया कि उचित सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे।

### 1.2.10.6 गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों की विशेष चिकित्सा

रिम्स, जीवन संतर्जक रोगों से ग्रसित चिन्हित गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के रोगियों को विशेष चिकित्सा के लिये, झारखण्ड राज्य रोग सहायता निधि प्रबंधन समिति द्वारा प्रदत्त अनुदानों को प्राप्त कर रहा था।

यह पाया गया कि 2003-09 के दौरान रिम्स द्वारा 105 रोगियों के लिए ₹ 50.95 लाख की राशि का अनुदान प्राप्त किया गया। यद्यपि, केवल ₹ 16.95 लाख उपयोग किया गया और 52 रोगियों जिन्हें कोई चिकित्सा प्रदान नहीं किया गया के लिए ₹ 23.17 लाख सहित ₹ 34 लाख, वापस कर दिया गया (मई 2010)। रिम्स प्रबंधन चिन्हित बीपीएल को चिकित्सा प्रदान नहीं करने और अनुदानों को वापस करने का कोई कारण नहीं बताया।

### 1.2.11 मानव संसाधन की स्थिति

#### 1.2.11.1 डॉक्टर और शिक्षण संकाय

डॉक्टरों और शिक्षण संकायों (फरवरी 2010) के स्वीकृत बल और कार्यरत बल जैसा नीचे

तालिका 8 में दर्शाया गया है

तालिका -8: फरवरी 2010 में डॉक्टरों और शिक्षण संकाय के स्वीकृत बल और कार्यरत बल दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	संवर्ग	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त पद	रिक्तियों का प्रतिशत
<b>चिकित्सा महाविद्यालय का संकाय</b>					
1	प्रोफेसर	77	39	38	49
2	एसोसिएट प्रोफेसर	133	59	74	56
3	सहायक प्रोफेसर	195	74	121	62
4	ट्यूटर	75	42	33	44
5	वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सक	150	23	127	85
6	चिकित्सा पदाधिकारी	109	12	97	89
<b>कुल</b>		<b>739</b>	<b>249</b>	<b>490</b>	<b>66</b>
<b>नर्सिंग महाविद्यालय का संकाय</b>					
7	नर्सिंग महाविद्यालय के प्राध्यापक/उप-प्राध्यापक	2	0	2	100
8	नर्सिंग प्रोफेसर	7	0	7	100
9	नर्सिंग प्रोफेसर	7	1	6	86
10	नर्सिंग लेक्चरर	9	0	9	100
11	नर्सिंग नैदानिक ट्यूटर	17	6	11	65
<b>कुल</b>		<b>42</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>83</b>
<b>सकल योग</b>		<b>781</b>	<b>256</b>	<b>525</b>	<b>67</b>

(स्रोत: रिम्स द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट था कि विभिन्न संवर्गों में डाक्टरों शिक्षण/संकायों की कमी 44 से 89 प्रतिशत तक थी। अपर्याप्त कर्मचारियों से शैक्षिक और अस्पताल की गतिविधियों दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना, बाध्य था और एम.सी.आई. द्वारा एम.बी.बी.एस. और एम.डी. पाठ्यक्रमों का मान्यता रद्द करने, घटिया रोगी देखभाल इत्यादि जैसे गंभीर दूरगामी प्रभाव पड़ा जो इस प्रतिवेदन के कंडिकायें 1.2.9.1 और 1.2.11 में विमर्शित है। नर्सिंग महाविद्यालयों के मामले में विभिन्न संवर्गों में शिक्षण संकाय की कमी 65 से 100 प्रतिशत थी।

आगे, नर्सिंग महाविद्यालय, राँची विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध भी (अगस्त 2010) नहीं था, यद्यपि विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक नर्सिंग पाठ्यक्रम (सत्र 2008-12) को प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत (मार्च 2008) किया गया था। इन कमियों के बावजूद, सत्र 2008-12 के लिए 80 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। अपर्याप्त कर्मचारी और सम्बद्धता के अभाव के कारण नर्सिंग महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थियों का कैरियर संभावित तौर पर संकट में पड़ गया था।

### 1.2.11.2 नर्सों की तैनाती

पिछले 5 वर्षों में अन्तरंग रोगियों की देख-भाल के लिए स्वीकृत बल के विरुद्ध तैनात नर्सों की संख्या तालिका 9 में दिया गया है।

तालिका- 9: नर्सिंग कर्मचारियों का स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल का विवरण

वर्ष	स्वीकृत बल (स्थायी)		फरवरी 2002 में संविदा के आधार पर सृजित नये पद (नर्सिंग स्टाफ)	कुल	नर्सिंग स्टाफ का कार्यरत बल			कमी		स्वीकृत बल के अनुपात में प्रतिशत कमी		
	नर्सिंग स्टाफ	नर्स			सर्विदित	कुल	नर्सिंग स्टाफ	नर्स	नर्सिंग स्टाफ	नर्स		
											स्थायी	नर्सिंग स्टाफ
2005-06	183	69	516	768	134	0	398	532	167	69	24	100
2006-07	183	69	516	768	135	0	394	529	170	69	24	100
2007-08	183	69	516	768	134	0	390	524	175	69	25	100
2008-09	183	69	516	768	131	0	384	515	184	69	26	100
2009-10	183	69	516	768	118	0	379	497	202	69	29	100

(स्रोत: रिम्स द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि नर्सिंग कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुशंसाओं के अनुसार, नर्स और रोगी अनुपात नर्सिंग कर्मचारी के लिए 1:3 और नर्सों के लिए 1:25 होनी चाहिए। इन मानदंडों को रिम्स में वास्तविक कार्यरत बल के साथ तुलना से ज्ञात हुआ कि 2005-10 के दौरान नर्सिंग कर्मचारियों की कमी 50 प्रतिशत के लगभग थी, 1:3 के आवश्यकता के विरुद्ध वास्तविक अनुपात 1:6 (991 बिस्तर शक्ति के लिए प्रति पाली नर्सों की औसत संख्या 166 से 177 के बीच परिवर्ती थी) थी। नर्स के संवर्ग में 100 प्रतिशत की कमी थी क्योंकि 40 के आवश्यकता के विरुद्ध कोई नर्स नहीं थी। नर्सिंग कर्मचारियों की कमी के कारण रोगियों के दिये जानेवाले सेवा पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।

### 1.2.12 अस्पताल की आधारभूत संरचना

रिम्स में विभागों, वार्डों और अन्य सुविधाओं की लेखा परीक्षा संवीक्षा में निम्न कमियाँ ज्ञात हुईं:

#### 1.2.12.1 अपर्याप्त बिस्तर क्षमता

रिम्स में रोगियों की संख्या के उचित अनुपात में बिस्तर क्षमता नहीं थी और वार्डों में भारी भीड़ के कारण रोगियों को वार्डों/गलियारों के सतह पर लेटने के लिए बाध्य होना पड़ा

अन्तरंग रोगियों के लिए विशेषतया उचित सेवा प्रदान करने और गुणवत्तापूर्ण रोगी देखभाल/चिकित्सा का एक मूलभूत आवश्यकता है कि अस्पताल में रोगियों के लिए बिस्तरों का पर्याप्त प्रावधान हो। विभिन्न वार्डों के अन्तर्गत रिम्स में उपलब्ध स्वीकृत बिस्तरों की संख्या 991 थी। 2008-09 (कैलेण्डर वर्ष) अवधि के लिए मेट्रॉन पंजी की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 991 बिस्तर के स्वीकृत बल के विरुद्ध बिस्तरों की वास्तविक दखलकारी नीचे तालिका 10 में दिया गया है।

तालिका-10: बिस्तरों की कुल उपलब्धता के विरुद्ध अन्तरंग रोगियों का दखलकारी विवरण

कैलेण्डर वर्ष	उपलब्ध बिस्तरों की कुल संख्या	शत प्रतिशत उपलब्धता के लिए आवश्यक कुल संख्या (बिस्तरों की संख्या x दिनों की संख्या/वर्ष)	उपलब्धता की वास्तविक संख्या (मेट्रॉन रजिस्टर के आधार पर)	उपलब्धता का प्रतिशत
2008	991	3,62,706	4,13,381	114
2009	991	3,61,715	3,90,102	108
2010 (अप्रैल तक)	991	1,18,920	1,30,029	109

(स्रोत: रिम्स द्वारा प्रदत्त एवं मेट्रॉन पंजी से संग्रहित आँकड़े)

अतः, बिस्तर क्षमता रोगियों की संख्या के उचित अनुपात में नहीं था और वार्डों में भारी भीड़ थी। परिणामस्वरूप, रोगियों को वार्डों/गलियारों के सतह पर लेटने के लिए बाध्य होना पड़ा।



दिनांक 7 जून 2010 को आर्थो वार्ड-सी में जमीन पर लेटे अन्तरंग रोगी एवं दिनांक 22 मई 2010 को न्यूरो सर्जरी डी-2 वार्ड में प्रसाधन के सामने जमीन पर लेटे अन्तरंग रोगी का लिया गया फोटोग्राफ




"योजना" पर पहले ही कंडिका 1.2.6 में जैसा बताया गया, दिसम्बर 2006 में शासी निकाय के अनुमोदन के बावजूद बिस्तर क्षमता में 991 से 1,500 तक वृद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।

### 1.2.12.2 मशीन एवं उपकरण का उपयोग

2005-10 के दौरान रिम्स द्वारा अपने योजना के साथ-साथ गैर योजना शीर्ष से ₹ 9.54 करोड़ मूल्य के मशीन और उपकरण का क्रय किया गया था। लेखा परीक्षा के दौरान, उपकरणों के उपयोग, स्थापना और क्रियाशीलता में विभिन्न अनियमिततायें पायी गयी जिसे नीचे विमर्शित किया गया है:-

- ऑनकालॉजी इकाई में आपरेशन थियेटर के क्रियाशील नहीं होने के कारण दिसम्बर 2007 से अगस्त 2009 के दौरान ₹ 35.64 लाख मूल्य के राज्य योजना के अन्तर्गत ऑनकोलोजी विभाग के लिए चार मशीन और उपकरण (एक कार्डियक डीफाइब्रीलेटर, वेन्टीलेटर्स का तीन सेट, दो ओटी टेबल और दो ओटी लाइट) बेकार पड़ा था (जून 2010) अतः, उपकरण के प्रापण के साथ आधारभूत संरचना सृजन का सामंजस्य बैठाने में विफलता के कारण कैंसर के ज़रूरतमंद रोगियों को सेवा से वंचित रखा गया।



24 मई 2010 को लिया गया फोटो। कमरा सं.364 में बेकार पड़े तीन भेंटीलेटर्स एवं ऑनकोलॉजी इकाई में बेकार पड़े ओ.टी.टेबुल को दिखाता (ऑनकोलॉजी)

- मई 2005 के दौरान ई.एन.टी. के ऑपरेशन थियेटर में ₹ 25.50 लाख मूल्य का अधिष्ठापित एन.डी. याग लेसर<sup>49</sup> नामक एक मशीन अधिष्ठापन के दिन से ही उपयोग नहीं किया गया जिसका कोई कारण अभिलेखित नहीं था। मशीन के उपयोगकर्ता नियमावली के अनुसार, एन.डी. याग लेसरों का ऑपथलमोलॉजी, ऑनकोलॉजी, गाइनोकोलॉजी, कार्समेटिक सर्जरी और दन्त चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। लम्बी अवधि से बेकार पड़े रहने के कारण ई.एन.टी. में स्थापित मशीन को स्थायी रूप से खराब हो जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था।
- न्यूरो सर्जरी, रेडियोलॉजी और आर्थोपेडिक विभागों के लिए ₹ 37.49 लाख के मूल्य के पाँच टुकड़ों का छह सेट उपकरण<sup>50</sup> पिछले एक वर्ष से खराब पाया गया। अतः रोगी वांछित सुविधाओं से वंचित हुये।
- अक्टूबर 2008 में ₹ 3.30 करोड़ की लागत से कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरासीस विभाग में स्थापित कैथ लैब विशेषज्ञ कार्डियक सर्जन के अभाव में मार्च 2010 तक बेकार पड़ा था और कार्डियोलोजी विभाग में कार्डियक सर्जन की नियुक्ति के बाद केवल अप्रैल 2010 से ही उसका उपयोग प्रारम्भ हुआ।

<sup>49</sup> न्योडाईमीयम डाब्ड एट्रीम अल्यूमीनियम गारनेट ।

<sup>50</sup> क्रोनियल ईलेक्ट्रीकल ड्रील (1 सेट), क्रोनीओटॉमी (2 सेट), 3 डी भोल्वूम अल्ट्रा साउण्ड मशीन (1 सेट), डीजीटल डायथर्म (1 सेट) और अल्ट्रा इन्स्ट्रुमेन्ट क्लीनर (1 सेट)



- रिम्स में स्थापित सी.टी.स्कैन मशीन जुलाई 2008 से खराब पड़ी थी। मशीन अगस्त 2008 तक मेसर्स फिलिप्स मेडिकल सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता के साथ व्यापक अनुसंधान अनुबंध (सी.एम.सी.) के तहत थी, जो जुलाई 2008 में खराब हो गया। यद्यपि फैंक्स के जरिये से प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2008) फर्म द्वारा खराबी के विवरण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और सी.एम.सी. अवधि व्ययगत होने दिया गया। रिम्स प्रबंधन द्वारा मशीन की मरम्मत के लिए कोई प्रभावपूर्ण कार्यवाही अबतक (जून 2010) नहीं किया गया था।
- रिवर्स ओसमोसिस मेमब्रेन सेपेरेशन सिस्टम (सामान्यतया आर.ओ. प्लांट के रूप में जाना जाता है) और डी.एम. प्लांट सहित हीमोडायलिसिस के चार इकाईयों के आपूर्ति और अधिष्ठापन के लिए टर्न-की आधार पर ₹ 23.40 लाख के मूल्य पर क्रय आदेश एक आपूर्तिकर्ता को दिया गया (फरवरी 2005)। फर्म द्वारा आर.ओ.प्लांट और डी.एम. प्लांट नामक दो अति महत्वपूर्ण अवयवों की आपूर्ति किये बिना अक्टूबर 2005 में मशीनों का अधिष्ठापन कर दिया गया। मशीनों को 1999 में पहले उसी तरह के मशीनों के स्थापना के दौरान आपूर्तित पुराने आर.ओ. प्लांट और डी.एम. प्लांट के उपयोग द्वारा क्रियाशील बनाया गया। चूंकि ये अतिमहत्वपूर्ण अवयव बहुत पुराने थे, प्रणाली में जंग के साथ प्रदूषित जल भरा जाता था जिससे रोगियों को बहुत सी जटिलतायें आईं और जिसने उनके जीवन को खतरे में डाला। लेखापरीक्षा अन्वेषण से ज्ञात हुआ कि फर्म को आर.ओ. प्लांट और डी.एम. प्लांट के अनापूर्ति के संबंध में बिना किसी कटौती के ₹ 23.40 लाख का पूर्ण अनुबंध मूल्य का भुगतान किया गया। अतः वैसे उपकरण जो रिम्स में प्राप्त ही नहीं हुआ, के लिए कपटपूर्ण भुगतान किया गया।

### 1.2.12.3 अपूर्ण असैनिक कार्य

रिम्स द्वारा योजनाशीर्ष के अन्तर्गत दन्तचिकित्सा महाविद्यालय का भवन, ऑडिटोरियम, सामुदायिक हॉल, पार्किंग, छात्रावास इत्यादि के निर्माण के लिए सिविल कार्य कराये जा रहे थे। 2005-10 के दौरान ₹ 41.83 करोड़ के अनुमानित लागत पर 13 कार्यों को एन.आर.ई.पी.-1 एवं II प्रमंडलों, भवन निर्माण प्रमंडल-II और जिला परिषद् राँची (**परिशिष्ट 1.14**) को दिया गया। आठ कार्यों (अनुमानित लागत ₹ 38.77 करोड़) के नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि रिम्स द्वारा इन कार्यों के लिए ₹ 32.69 करोड़ का अग्रिम दिया गया था। आठ कार्यों में से, मात्र एक कार्य सामुदायिक हॉल का निर्माण ही पूर्ण किया गया और रिम्स को अप्रैल 2010 में हस्तगत कराया गया। शेष सात कार्य (अनुमानित लागत ₹ 37.39 करोड़) मई 2010 तक अपूर्ण पड़े थे जबकि छः कार्यों के पूर्णता की नियत तिथि जनवरी 2009 और फरवरी 2010 के मध्य था और एक कार्य के लिए मई 2011 था। कार्यकारी अभिकरणों द्वारा सात कार्यों के लिए प्रदत्त ₹ 31.31 करोड़ के अग्रिम से ₹ 10.28 करोड़ व्यय (मई 2010) किया गया और उनके पास ₹ 21.03 करोड़ का असमायोजित अग्रिम बच गया। अतः छः कार्य पूर्णता के नियत तिथि से 3 से 16 महीनों के बीत जाने के बाद भी (मई 2010) अपूर्ण पड़े थे। यह रिम्स प्रबंधन द्वारा शीर्षस्थ विशेषज्ञ अस्पताल के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के पूर्ण करने में उचित अनुश्रवण का अभाव प्रदर्शित करता था जो रोगियों के उन्नत चिकित्सीय सहायता के लाभों और डॉक्टरों और चिकित्सीय कर्मचारियों के कौशल विकास से वंचित करता था।

### 1.2.12.4 इनसिनेरेटर

उत्पादित जैव चिकित्सीय अवशिष्ट का निपटान, अस्पताल के अंदर एवं चारों तरफ के वातावरण के सुरक्षा एवं सुधार के लिए निर्णायक था। वातावरणीय प्रदूषण के सामना हेतु बनाये गये वातावरणीय कानून की मांग का अनुपालन भी उतना ही महत्वपूर्ण था।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्गत जैव चिकित्सीय वेस्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 1998 के अनुसूची-VI नियम-5 के साथ पठित के प्रावधानों के अनुसार, 500 या उससे अधिक बिस्तर क्षमता वाले सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स जो 30 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में कार्यरत हैं उनके द्वारा उत्पन्न जैव-चिकित्सीय वेस्टों के संसाधित करने के लिए उन्हें 30 जून 2000 तक अपने परिसर में इनसिनेरेटर प्लांट की स्थापना करना अनिवार्य था। तदनुसार, रिम्स परिसर में लगातार किस्म का इनसिनेरेटर 50 किलो प्रतिघंटा क्षमता का ₹ 11.65 लाख के व्यय पर जून 2000 में स्थापित किया गया। अतः रिम्स द्वारा अस्पताल के आधारभूत संरचना का अधिकतम मूल तत्व, वर्ष 2000 में अपने आप ही सृजित कर लिया गया था। यद्यपि, रिम्स अधिनियम, 2002 की धारा 6 (xxiv) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अस्पताल के किसी मूल सेवा को बाहर से करवाना प्रतिबंधित था, जैव-चिकित्सीय वेस्ट से विमुक्ति के लिए रिम्स को अनुभवी मानवशक्ति के अभाव के कारण एक निजी संवेदक का बाहरी मदद लेना पड़ा जो रिम्स के मूल आधारभूत संरचना का उपयोग कर रहा था। अभिकरण द्वारा जून 2009 तक रिम्स के इनसिनेरेटर का उपयोग कर जैव चिकित्सीय वेस्ट के निपटान का कार्य किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2005-10 (जून 2009) की अवधि के दौरान बाहरी अभिकरण को ₹ 1.19 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जो न केवल अनियमित था बल्कि इसमें अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन भी सम्मिलित था।

आगे, इनसिनेरेटर जुलाई 2009 से ही अक्रियाशील पड़ा था। तब से, जैव-चिकित्सीय वेस्ट बाहरी अभिकरण द्वारा जलाकर/गढ़े में निपटान के जरिये प्रबंधित होता रहा था।

### 1.2.12.5 एम्बुलेन्स

एम्बुलेन्स अस्पताल के आधारभूत संरचना का अधिकतम मूल तत्व में से एक था। रिम्स के पास पाँच एम्बुलेन्स थे जिसमें से चार एम्बुलेन्सों का लॉग बुक लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया गया। विभिन्न प्रयोजनों (भी.आई.पी.कर्तव्यों के अलावे) के लिए इन एम्बुलेन्सों द्वारा किये गये फेरों का ब्यौरा नीचे तालिका-11 में दिया गया है।

तालिका-11: विभिन्न प्रयोजनों के लिए एम्बुलेन्सों के उपयोग को दर्शाता विवरणी

क्र. सं.	वाहन सं.	परिचालन की अवधि	सरकारी उद्देश्य के लिए फेरों की संख्या	चिकित्सकों को ढोने के लिए फेरों की संख्या	रोगियों को ढोने के लिए फेरों की संख्या	फेरों की कुल संख्या
1	जे.एच.01सी. 3635	01-01-2005 से 13-03-2006	9	87	9	105
2	जे.एच.01ई. 8490	06-01-2003 से 21-02-2010	16	2	27	45
3	जे.एच.01के. 3089	03-02-2005 से 31-03-2010	363	502	218	1,083
4	जे.एच.01के. 3091	03-02-2005 से 31-03-2007	121	250	59	430
<b>कुल</b>			<b>509(31)</b>	<b>841(50)</b>	<b>313(19)</b>	<b>1,663</b>

(स्रोत: रिम्स द्वारा उपलब्ध कराये गये लॉग बुक से प्राप्त आंकड़े)

(कोष्ठ में अंक प्रतिशत बतलाते हैं)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि एम्बुलेन्स का कार्यालय प्रयोजन के लिए 509 बार (31 प्रतिशत), डॉक्टरों को ढोने के लिए 841 बार (50 प्रतिशत) और रोगियों को ढोने के लिए मात्र 313 बार (19 प्रतिशत) उपयोग किया गया था। अतः, जोखिम था कि एम्बुलेन्स रोगियों को ढोने के प्राथमिक प्रयोजन जिसके लिए उनका प्रापण किया गया था, आवश्यकता/आपातकाल के समय रोगियों को उपलब्ध नहीं हुआ होगा।

### 1.2.12.6 ब्लड बैंक

ब्लड बैंक अस्पताल का एक अनिवार्य भाग होता है। ब्लड बैंक द्वारा जरूरतमंद रोगियों को सर्जरी या किसी आपातकाल के दौरान ब्लड का आपूर्ति किया जाता है। ब्लड बैंक में, ब्लड यूनिटों को दाताओं से संग्रहण किया जाता है और जरूरत के समय पर रोगियों को आपूर्ति के लिए भंडारित किया जाता है। रिम्स में एक ब्लड बैंक था जिसे ब्लड के सभी श्रेणियों के लिए मार्च 2011 तक लाइसेंस प्राप्त था। ब्लड बैंक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि 2006-09 के दौरान 699 ब्लड यूनिट बेकार हो गये थे जिसका कारण हीमोलाइसेड ब्लड (176 यूनिट), 35 दिनों के अन्दर उपयोग नहीं करने के कारण बेकार ब्लड (35 यूनिट) और ब्लड संग्रहण से पहले आवश्यक जाँचों को नहीं करने से बेकार ब्लड (488 यूनिट) (परिशिष्ट-1.15)। अतः रिम्स के भाग में चूक के कारण मूल्यवान ब्लड यूनिट बेकार हो गये।

### 1.2.12.7 स्टॉफ क्वार्टर

एम.सी.आई.मार्गदर्शिता के अनुसार, 100 प्रतिशत नर्सिंग स्टॉफ और रेजीडेन्ट डॉक्टरों तथा शिक्षण और वर्ग IV स्टॉफों के 50 प्रतिशत के लिए क्वार्टरों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। इसके विरुद्ध, रिम्स में क्वार्टरों की उपलब्धता स्वीकृत बल की तुलना में 52 से 98 प्रतिशत तक कमी और कार्यरत बल के तुलना में 30 से 97 प्रतिशत तक की कमी थी (परिशिष्ट-1.16)।

### 1.2.13 अनुश्रवण और मूल्यांकन

रिम्स के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कोई उचित अनुश्रवण और मूल्यांकन तंत्र विकसित नहीं था

रिम्स के बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सु-योजनागत अनुश्रवण तंत्र की आवश्यकता थी। यह देखा गया कि न तो रिम्स अधिनियम, 2002 और न ही झारखण्ड सरकार द्वारा रिम्स के सृजन के लिए अधिसूचना में रिम्स अनुश्रवण के लिए कोई विशिष्ट उपधारा प्रदत्त था। वर्ष में होने वाली शासी निकाय बैठकों की संख्या का भी अधिनियम में अंकित नहीं था। यह अंकित किया गया कि बेहतर प्रबंधन के लिए रिम्स के उच्चतर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का कोई अनुसूची नहीं था। कमियाँ जो इस प्रतिवेदन में विमर्शित हैं, जैसे कि दुर्विनियोग/गबन, पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत उपकरण का अ-प्रापण स्थापित नहीं होना, अतिमहत्वपूर्ण उपकरणों का बेकार हो जाना, सिविल कार्यों के पूर्णता में विलम्ब को एक अनुश्रवण तंत्र द्वारा हल किया जा सकता था जो रिम्स में विद्यमान नहीं था।

### 1.2.14 निगरानी तंत्र

कपट, दुर्विनियोग और गबन का पता लगाने के लिए कोई स्वयं का बनाया हुआ निगरानी तंत्र विकसित नहीं था

किसी भी संगठन के लिए कोई कपट, दुर्विनियोग, राशि के गबन आदि को पता लगाने के लिए एक स्वयं का बनाया गया निगरानी तंत्र की आवश्यकता होती है। रिम्स के सृजन के लिए सरकारी अधिसूचना में भी शासी निकाय द्वारा रिम्स में निगरानी पदाधिकारी की नियुक्ति कल्पित था। यद्यपि शुरुआत से ही रिम्स में किसी निगरानी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी थी। अतः उचित निगरानी तंत्र के अभाव में, कपट के मामले, दुर्विनियोग, गबन इत्यादि का पता नहीं किया जा सका था जैसा पहले इस प्रतिवेदन में विमर्शित है।

### 1.2.15 उपसंहार

रिम्स उन उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रहा जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा रिम्स के योजना आकार में कटौती एवं उपलब्ध निधि के अनुपयोग से इसके

उन्नयन योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ा। रिम्स के सृजन से ही वार्षिक लेखा नहीं तैयार किया गया था। गलत योजना के कारण पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत कोई शीर्षस्थ-विशेषज्ञ विभाग स्थापित नहीं किया गया था। शिक्षण संकायों की भारी कमी थी जिससे एम.सी.आई. द्वारा पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द करने का खतरा था। कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया गया। अस्पताल में आधारभूत संरचना जैसे बिस्तरों की क्षमता, बाह्य रोगी विभाग, मशीन एवं उपकरण की उपलब्धता, एम्बुलेन्स, ब्लड बैंक इत्यादि की कमी थी, जिससे रोगियों की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा और देखभाल से वंचित होना पड़ा। आन्तरिक नियंत्रण/अनुश्रवण तंत्र के अभाव के कारण वित्तीय के साथ-साथ प्रशासनिक कमी भी थी।

### 1.2.16 अनुशंसायें

- एक मजबूत प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन प्रणाली वित्तीय अनियमितताओं के निवारण के लिए यथा स्थान होना चाहिए।
- इस प्रतिवेदन में उल्लेखित निधियों के दुर्विनियोग के मामले का उचित रूप से अन्वेषण एवं उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाना चाहिए।
- पी.एम.एस.एस.वाई. के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कारगर कदम उठाना चाहिए। मशीनों/उपकरणों और औषधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- रोगियों के भार को कम करने के लिए बिस्तर क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ ओ.पी.डी. के सशक्तीकरण के लिए कदम उठाया जाना चाहिए।
- एम.सी.आई. मानदण्डों के अनुसार मानवशक्ति की स्थिति, विशेषतया शिक्षण संकाय और नर्सिंग स्टाफ का सशक्तीकरण किया जाना चाहिए।
- दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना और विद्यमान नर्सिंग महाविद्यालय और रिम्स में चल रहे पारा चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में सुधार लाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाया जाना चाहिए।
- रिम्स को श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुसंधान गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- उचित अनुश्रवण के साथ-साथ निगरानी तंत्र को विकसित करना चाहिए।

# समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

## 1.3 समेकित बाल विकास सेवायें योजना

### विशिष्टतायें

राज्य में समेकित बाल विकास सेवायें (स.बा.वि.से) एक केन्द्र प्रायोजित योजना, छः वर्ष तक के बच्चों के पौष्टिक एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार और समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा माताओं की क्षमता में वृद्धि कर बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण की आवश्यकता की देखभाल के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अपर्याप्त निधि प्रबंधन, आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत संरचना की कमी, अनियमित एवं पूरक पोषाहार में पौष्टिक तत्वों की कमी एवं स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवायें उपलब्ध कराने में असफलता के कारण योजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

विभाग 2005-10 के दौरान योजना के लिये आवंटित राशि का उपयोग नहीं कर सका। अव्यवहृत राशि ₹ 15.11 करोड़ और ₹ 63.36 करोड़ के बीच रही।

(कंडिका 1.3.7)

पोषाहार कार्यक्रम के अधीन ₹ 446.32 करोड़ रुपये के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल निकाले गये जिनमें से केवल ₹ 295.53 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत किये गये।

(कंडिका 1.3.7.4)

जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों ने ₹ 32.01 करोड़ अग्रिम दिये और उसे अंतिम व्यय के रूप में इन्द्राज कर दिया।

(कंडिका 1.3.7.5)

लाभार्थियों को निर्धारित मानक से कमतर मान के पूरक पोषाहार उपलब्ध कराये गये।

(कंडिका 1.3.9.1)

आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रसवपूर्व एवं प्रसव पश्चात् कार्ड माताओं को निर्गत नहीं किये गये एवं आंगनबाड़ी सेविका द्वारा प्रसव के पश्चात् माताओं के पास जाने का अभिलेख संधारित नहीं था।

(कंडिका 1.3.10)

विभाग ₹ 9.44 करोड़ की राशि के आवंटन के बावजूद 2005-10 के दौरान औषधि मंजूषा एवं विद्यालय पूर्व मंजूषा क्रय करने में असफल रहा।

(कंडिकाएँ 1.3.11 एवं 1.3.12)

तेईस आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों एवं एक मध्यम स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र के विरुद्ध केवल 15 आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र मार्च 2010 तक कार्यरत थे।

(कंडिका- 1.3.16.2)

### 1.3.1 प्रस्तावना

बच्चों के पौष्टिक एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार और समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा माताओं की क्षमता में वृद्धि कर बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण की आवश्यकताओं की देखभाल के उद्देश्य से एक केन्द्र प्रायोजित योजना समेकित बाल विकास सेवायें योजना (स.बा.वि.से.) अक्टूबर 1975 में प्रारंभ की गई थी। यह भारत के अपने बच्चों की प्रति

प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम प्रतीक है तथा कुपोषण, रूग्णता, सीखने की क्षमता की कमी एवं मृत्यु के दोषपूर्ण चक्र को तोड़ने के लिये प्रत्युत्तर है। इस योजना की सेवाओं में पूरक पोषाहार कार्यक्रम, प्रतिरक्षण, विद्यालय पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवायें तथा महिलाओं के लिये पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित है। छः महीने से छः वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें एवं 11 से 18 वर्ष के बीच की किशोरी बालिकायें इस योजना के लाभार्थी हैं। ये सेवायें लक्षित लाभार्थियों को आँगन बाड़ी सेविकाओं (आँ.बा.से.) एवं आँगनबाड़ी सहायिकाओं (आँ.बा.सहा.) द्वारा आँगनबाड़ी केंद्रों (आँ.बा.के.) पर प्रदान की जाती है।

### 1.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

योजना के राज्य स्तर पर कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखंड सरकार केंद्रक अभिकरण है। निदेशक, समाज कल्याण द्वारा सचिव की सहायता की जाती है। जिला स्तर पर उपायुक्त (डी.सी.) के नियंत्रण में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (जि.स.क.प.) इस योजना का पर्यवेक्षण करते हैं जैसा कि परिशिष्ट 1.17 में दिया गया है।

### 1.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- योजना के क्रियान्वयन के लिये आयोजन पर्याप्त था;
- योजना के अधीन प्रावधान की गई राशि मानक के तहत व्यय किये गये;
- योजनान्तर्गत सेवाओं के प्रभावपूर्ण वितरण के लिये आधारभूत संरचना पर्याप्त थी;
- योजनान्तर्गत सेवाओं के पैकेज लाभार्थियों को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रदान किये गये थे;
- कर्मियों की तैनाती एवं कौशल उन्नयन के लिये प्रशिक्षण योजना माँग के आधार पर थी; एवं
- कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की प्रणाली अस्तित्व में एवं प्रभावी थी।

### 1.3.4 लेखापरीक्षा के मापदंड

स.बा.वि.से. योजना के विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदण्डों के संदर्भ में की गई:

- आँगनबाड़ी स्थापित करने एवं लाभार्थियों के चयन हेतु भारत सरकार एवं झारखंड सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं अनुदेश ;
- पूरक पोषाहार एवं सेवाओं के विभिन्न पैकेजों के वितरण के मानक; एवं
- सरकार द्वारा स्थापित अनुश्रवण प्रणाली।

### 1.3.5 लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेशमेंट पद्धति द्वारा चयनित समाज कल्याण निदेशालय, 24 जिला समाज कल्याण पदाधिकारी में से 6<sup>51</sup> तथा 66 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (बा.वि.प.प.) में से 22<sup>52</sup> 2005-10 के अवधि के अभिलेखों के नमूना जाँच के द्वारा स.बा.वि.से

<sup>51</sup> बोकारो, देवघर, पाकुड़, पलामू, राँची और पश्चिमी सिंहभूम।

<sup>52</sup> बी.एस.सीटी., विश्रामपुर, चास (ग्रामीण), चाईबासा (सदर) चैनपुर, चंदनक्यारी, डालटेनगंज (ग्रामीण), डालटेनगंज (शहरी), देवघर (ग्रामीण), देवघर सह जसीडीह, हिरणपुर, जगन्नाथपुर झींकपानी, कांके, मांडर, मंझारी, महेशपुर, नामकुम, ओरमांझी, पकुडिया, राँची (सदर) और सारठ। बेरमो, गोमिया एवं नवाडीह।

योजना का निष्पादन लेखा परीक्षा अप्रैल और जुलाई 2010 के बीच की गई। 98 आंगनबाड़ी केंद्रों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया।

सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ प्रारंभिक बैठक मार्च 2010 में हुई थी जिसमें लेखा परीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा के मापदण्ड तथा पद्धति पर चर्चा हुई। विभाग के सचिव के साथ अक्टूबर 2010 में अंतिम बैठक हुई जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्ष साथ ही साथ अनुशांसाओं पर चर्चा हुई।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 1.3.6 आयोजन

चिन्हित लाभार्थियों को स.बा.वि.से. योजना के अधीन पूरक पोषाहार एवं विभिन्न पैकेजों के कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार जिम्मेदार थी। भारत सरकार द्वारा तय मानक के अनुसार, 400 एवं 800 के आबादी पर क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी परियोजना के लिये तथा 300 एवं 800 आबादी पर आदिवासी परियोजना में आंगनबाड़ी स्थापित करना था। 150 और 400 की आबादी पर ग्रामीण एवं शहरी परियोजना में तथा 150 और 300 की आबादी पर आदिवासी परियोजना में लघु आंगनबाड़ी स्थापित करना था। आंगनबाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों के स्थापना से पहले समाज के कमजोर वर्ग के टोला/गांव को चिन्हित कर परियोजना का खाका तैयार किया जाना केंद्रों के ससमय परिचालन के लिये आवश्यक था।

संवीक्षा से पता चला कि क्षेत्रीय कार्यालय से आंगनबाड़ी स्थापित करने हेतु प्रस्तावों को प्राप्त करने के बाद विभाग को भारत सरकार से 6089 आंगनबाड़ी केंद्र/लघु आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति (दिसंबर 2008) प्राप्त हुई। नये आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रस्ताव बिना समुचित सर्वेक्षण के किये गये थे। यह इस तथ्य से प्रमाणित था कि छः नमूना जाँच किये गये जिलों में से एक (बोकारो) में प्राधिकारियों ने तीन<sup>53</sup> परियोजनाओं के माँग पर विचार किये बिना नये आंगनबाड़ी केंद्रों के लिये प्रस्ताव तैयार किये जबकि तीन<sup>54</sup> परियोजनाओं में 55 आंगनबाड़ी केंद्रों एवं 27 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को इस आधार पर कि इनकी जरूरत नहीं है प्रत्यार्पित (अप्रैल 2010) कर दिया। यह दर्शाता है कि तैयार किये गये प्रस्तावों एवं जमीनी हकीकतों में असंगति थी।

#### 1.3.7 वित्तीय प्रबंधन

2005-06 के दौरान 51 परियोजनाओं के संबंध में विश्व बैंक एवं शेष 153 परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा पूरक पोषाहार को छोड़कर स.बा.वि.से. के अधीन सेवायें पूर्णतः वित्त पोषित थीं। 2006-09 के दौरान सभी 204 परियोजनायें पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित थीं लेकिन वर्ष 2009-10 से भारत सरकार ने वित्तीय पैटर्न को राज्य सरकार के साथ 90:10 के भागिदारी प्रणाली में रूपान्तरित कर दिया। पूरक पोषाहार में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 2005-06 से 50: 50 के अनुपात में हिस्सेदारी थी।

झारखंड बजट मैनुअल के नियम 65 एवं 112 के अनुसार बजट आकलनों के अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभाग द्वारा समेकित किया जाना था। बजट अनुमानों को यथासंभव शुद्ध होना था और बचत की अवस्था में ससमय पुनर्विनियोग/प्रत्यार्पण को सुनिश्चित कराना विभाग के नियंत्री पदाधिकारी (सी.ओ.) की जिम्मेदारी थी। लेखा परीक्षा की

<sup>53</sup> बेरमो, गोमिया एवं नवाडीह।

<sup>54</sup> चन्दनक्यारी, कश्मार एवं पेटरवार।



संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों से कोई माँग प्राप्त नहीं हुए और विभाग ने निधि के वास्तविक माँग को अभिनिश्चित किये बिना बजट तैयार किये।

### तालिका-1: बजटीय प्रावधान, आबंटन, व्यय एवं बचतों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	आबंटन	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2005-06	266.63	229.84	211.16	18.68	08
2006-07	297.70	270.80	207.44	63.36	23
2007-08	296.49	291.58	276.47	15.11	05
2008-09	362.36	327.57	292.10	35.47	11
2009-10	491.80	478.70	416.06	62.64	13
<b>कुल</b>	<b>1714.98</b>	<b>1598.49</b>	<b>1403.23</b>	<b>195.26</b>	

(स्रोत: समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड)

योजना के अवयव वार विस्तृत बजटीय प्रावधान, आबंटन एवं व्यय जैसा **परिशिष्ट 1.18** में दिये गये हैं।

विभाग 2005-10 के दौरान ₹ 15.11 करोड़ एवं ₹ 63.36 करोड़ के मध्य की आवंटित राशि उपयोग करने में विफल रहा

2005-10 के दौरान आबंटन में से ₹ 15.11 करोड़ और ₹ 63.36 करोड़ के बीच की राशि को विभाग उपयोग करने में असफल रहा एवं बचतें 5 और 23 प्रतिशत के बीच रही। इसे जब महत्वपूर्ण अवयवों जैसे विद्यालय पूर्व मंजूषा, औषधि मंजूषा तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार पर व्यय नहीं थे, के परिपेक्ष्य में देखा गया तो अल्प कार्यान्वयन और दोषपूर्ण बजटीय तंत्र परिलक्षित हुआ जैसा कि इस प्रतिवेदन के **कंडिकाएं 1.3.11** से **1.3.13** में विमर्शित है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य पुरक पोषाहार कार्यक्रम के अलावे अन्य सेवाओं पर 2009-10 के दौरान खर्च का अनुपात 90:10 था। यह देखा गया कि 2009-10 के दौरान कुल खर्च ₹ 142.10 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार ने अपने आवश्यक अंश ₹ 14.21 करोड़ के बदले सिर्फ ₹ 10.17 करोड़ ही खर्च किया। कार्यक्रम पूरक पोषाहार के अलावे योजनान्तर्गत ₹ 4.04 करोड़ का कम खर्च योजना के उद्देश्यों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता में कमी को दर्शाया।

लेखापरीक्षा में अवलोकित वित्तीय अनियमिततायें निम्न प्रकार से थे:

#### 1.3.7.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र का अनियमित प्रस्तुतीकरण

अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि पूरक पोषाहार के लिये उपयोगिता प्रमाण पत्र वास्तविक व्यय के बजाय कोषागार से निकासी के आधार पर भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये। 2009-10 के दौरान नमूना जाँच किये छ: जिले में से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू ने ₹ 6.19 करोड़ पूरक पोषाहार पर व्यय किया जबकि निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अनियमित रूप से भारत सरकार को ₹ 12.81 करोड़ सहित ₹ 123.40 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किये थे जो कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा पूरे वर्ष में की गई निकासी थी।

#### 1.3.7.2 अव्यवहृत निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखना

झारखंड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिये। आबंटन के व्ययगत होने से बचाने के लिये राशि को कोषागार से निकासी कर जमा करने की अनुमति नहीं है। लेखा परीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि संहिता प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नमूना जाँच किये गये परियोजनाओं एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के यहाँ अव्यवहृत शेष के रूप में मार्च 2010 तक ₹ 52.22 करोड़ थे। इसमें से ₹ 46.68 करोड़ बैंकों में जमा थे, ₹ 4.49 करोड़ अग्रिम दिये गये थे, ₹ 44 लाख असमायोजित अभिश्रव के रूप में तथा ₹ 61 लाख रोकड़ के रूप में हाथ में थे।

मार्च 2010 तक ₹ 52.22 करोड़ का अव्यवहृत शेष था

### 1.3.7.3 विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल का अप्रस्तुतीकरण

झारखंड कोषागार संहिता के नियम 319 एवं 320 के अनुसार, प्रत्येक महीने की 10वीं तिथि के बाद जमा किये गये प्रथम संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (ए.सी. बिल) के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र कि पिछले महीने की अंतिम तिथि तक निकाले गये संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (ए.सी. बिल) के लिये विस्तृत व्यय बिल (डी.सी. बिल) नियंत्री पदाधिकारी के पास प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया है, संलग्न कर महालेखाकार (ले. एवं हक) को प्रस्तुत किया जाना है। किसी भी हालत में महीने की 10वीं तिथि के बाद बिना प्रमाण पत्र के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल का नकदीकरण नहीं होना चाहिए।

2005-10 के दौरान, जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों ने पूरक पोषाहार के तहत ₹ 446.32 करोड़ संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (ए.सी. बिल) पर निकाले जिसके विरुद्ध केवल ₹ 293.53 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल ही प्रस्तुत किया। इस प्रकार ₹ 152.79 करोड़ का विस्तृत आकस्मिक बिल (डी.सी. बिल) जिसमें से ₹ 119.08 करोड़ 2005-09 से संबंधित है को प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि संहिता प्रावधानों के प्रतिकूल था। बकाया राशि में से ₹ 41.51 करोड़ नमूना जाँच किये गये जिलों के दो जि.स.क.प.<sup>55</sup> एवं 35 बा.वि.प.प. थे। आगे दो जिलों (बोकारो एवं पाकुड़) के नमूना जाँच की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (ए.सी. बिल) निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-38) के अलावा अन्य प्रपत्र पर कोषागार से निकासी की गई। परिणाम स्वरूप कोषागार ए.सी.बिल को पता लगाने में असफल रहा जिससे सरकारी राशि के गबन और दुर्विनियोग जैसी वित्तीय अनियमिततायें हो सकती थी। अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि बा.वि.प.प. हिरनपुर ने 2009-10 के दौरान 11 संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल पर ₹ 1.18 करोड़ निकासी किये जिसमें से ₹ 40.73 लाख, निर्धारित प्रपत्र के अलावा अन्य प्रपत्र पर पूर्व के ए.सी. बिल के लिए कोषागार पदाधिकारी को डी.सी. बिल का गलत प्रमाणपत्र जमा कर निकासी किये।

### 1.3.7.4 आँगनबाड़ी सेविका को आँगनबाड़ी केंद्र के किराये का अनियमित भुगतान

नमूना जाँच किये गये जिलों में परिचालित 12,473 आँगनबाड़ी केंद्रों में से 4,812 आँगनबाड़ी केंद्र किराये के मकान में चल रहे थे। 22 नमूना जाँच किये गये परियोजनाओं में से 10<sup>56</sup> में 2005-10 के दौरान बा.वि.प.प. मकान किराया भुगतान के लिए ₹ 1.62 करोड़ निकासी कर आँ.बा.से. के खाते में अंतरण कर दिया। घर मालिकों का नाम और पता बा.वि.प.प. के पास उपलब्ध नहीं थे। आगे वितरण के लिये आँगनबाड़ी सेविका को वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं थे। विभाग द्वारा किराये के भुगतान के लिये मार्गदर्शिका या अनुदेश जारी नहीं किये गये थे। इसे इंगित करने पर बा.वि.प.प. ने उत्तर दिया कि उच्चतर प्राधिकारियों से विशिष्ट अनुदेशों के अभाव में किराये की राशि का भुगतान आँ.बा.से. को दिया जाता था। आँगनबाड़ी केंद्रों के किराये का भुगतान मकान मालिकों के बजाय आँगनबाड़ी सेविकाओं को करना दुर्विनियोग/गबन के खतरे से परिपूर्ण था।

### 1.3.7.5 अग्रिम को व्यय के रूप में इंद्राज किया जाना

झारखंड कोषागार संहिता भाग-I के नियम 210 के अनुसार एक सरकारी सेवक जिसे राशि के भुगतान करने का कार्य सौंपा गया, को प्रत्येक भुगतान के लिये आदाता से हस्ताक्षरित अभिश्रव लेना जरूरी है जिसमें इसके लेखाओं में समुचित वर्गीकरण एवं पहचान के लिये दावे का पूर्ण एवं स्पष्ट ब्यौरा और सभी सूचना उपलब्ध हो। छः नमूना जाँच किये गये जि.स.क.प. में से तीन<sup>57</sup> और 22 नमूना

जि.सं.क.प. एवं  
बा.वि.प.प. ₹ 32.01  
करोड़ का अग्रिम दिया  
एवं उसे अन्तिम व्यय के  
रूप में इंद्राज कर दिया

<sup>55</sup> बोकारो, पाकुड़।

<sup>56</sup> विश्रामपुर, बी.एस.सीटी., चैनपुर, चन्दनकियारी, डालटेनगंज (शहरी), देवघर सह जसीडीह, मांडर, नामकुम ओरमांझी और सारठ।

<sup>57</sup> देवघर, पलामू और राँची।

जाँच बा.वि.प.प. में से तीन<sup>58</sup> में ने आँगन बाड़ी सेविका एवं अन्य को ₹ 32.01 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया और उसे बिना अभिश्रव प्राप्त किये ही अंतिम व्यय इंद्राज कर दिया गया जिसका विवरण निम्न है:

जि. स. क. प., देवघर ने 2005-06 के दौरान ₹ 23 लाख कार्यपालक अभियंताओं, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को 24 चापानल के अधिष्ठापन के लिये अग्रिम दिया तथा जि.स.क.प., पलामू ने बा.वि.प.प. को आगे आँगनबाड़ी सेविकाओं को अंतरित करने के लिये पूरक पोषाहार के तहत 2006-07 में ₹ 6.67 करोड़ अग्रिम दिये एवं अग्रिम को व्यय के रूप में दर्ज किया। आगे जि.स.क.प., राँची ने ₹ 18.51 करोड़ सीधे आँगनबाड़ी सेविकाओं को 2007-09 के दौरान अग्रिम दिये साथ ही बा.व.प.प. को अनुदेश दिये कि अग्रिम के समायोजन का अनुश्रवण करेंगे एवं अभिश्रव पारित करेंगे। नमूना जाँच किये गये बा.वि.प.प. ने आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा प्रस्तुत अभिश्रव को नहीं पारित किया और न ही आँगनबाड़ी सेविकाओं के विरुद्ध बकाया अग्रिम के निर्धारण के लिये अग्रिम पंजी/खाता संधारित किया। झींकपानी परियोजना में बा.वि.प.प. ने पूरक पोषाहार का ₹ 62.83 लाख आँगनबाड़ी सेविकाओं के बैंक खाते में अंतरित कर दिया तथा अभिश्रवों, जो लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये, के बजाय बैंक एडवाइस को ही भुगतान के लिए पारित कर दिया। चास ग्रामीण एवं चास शहरी में बा.वि.प.प. ₹ 5.11 करोड़ एवं ₹ 86 लाख के अभिश्रव प्रस्तुत करने में असफल रहे। इसे इंगित करने पर जि.स.क.प., राँची ने लेखा परीक्षा में कहे गये तथ्य को स्वीकार किया (जुलाई 2010) और कहा कि आँगनबाड़ी केंद्रों को अंतरित निधियों को अंतिम व्यय की तरह व्यवहृत किया गया था।

### 1.3.7.6 निधियों का विचलन

जि.स.क.प., देवघर ने ₹ दो लाख की राशि को पूरक पोषाहार की निधि (मुख्य शीर्ष 2236) से विचलन (सितंबर 2005) किया और उसका उपयोग प्रतिप्रेषण गृह देवघर (मुख्य शीर्ष 2235) को भुगतान के लिये किया। जि.स.क.प., राँची औषधि मंजूषा क्रय करने की राशि ₹ 2.40 लाख का विचलन (फरवरी 2008) बर्तन क्रय के लिये किया। इसे बतलाने पर जि.स.क.प., देवघर ने प्रतिप्रेषण गृह के लेखे से राशि वसूलने की सहमति (मई 2010) दी और जि.स.क.प., राँची ने कहा कि निधि की प्राप्ति के प्रत्याशा में राशि का विचलन किया गया।

### 1.3.8 आधारभूत संरचना सुविधायें

#### 1.3.8.1 आँगनबाड़ी केंद्रों एवं परियोजना कार्यालयों में अपर्याप्त सुविधायें

दिसंबर 2008 तक भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 38432 आँगनबाड़ी केंद्रों/लघु आँगनबाड़ी केंद्रों में से 410 केंद्र जून 2010 तक प्रारंभ नहीं किये गये थे। निदेशालय ने कहा कि आँगनबाड़ी सेविका/आँगनबाड़ी सहायिका के चयन में विवाद इसका कारण था। उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है जैसे 82 अपरिचालित आँगनबाड़ी केंद्र (जैसा कि **कंडिका 1.3.6** में चर्चा की गई) के दोषपूर्ण प्रस्ताव दिये गये थे। आँगनबाड़ी का अपरिचालन योजना के विस्तार पर विपरीत प्रभाव डालता है। राज्य द्वारा मानक आकलन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के प्रभावपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक आँगनबाड़ी भवन में एक हॉल (16' x 20'), एक बरामदा (7.2' x 10') एक रसोईघर (6.5' x 10') एक भंडार (10' x 6') और एक शौचालय (4' x 4') पीने के पानी की सुविधा के सहित बनाया जाना था। राज्य में परिचालित 38022 आँगनबाड़ी

भारत सरकार द्वारा  
2008-09 तक स्वीकृत  
38432 अ.बा.के./लघु  
अ.बा.के. में से 410 केंद्र  
चालू नहीं किये जा सके  
थे

<sup>58</sup> चास ग्रामीण, चास शहरी और झींकपानी।

केंद्रों में भवन, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा की भौतिक स्थिति नीचे तालिका-2 में है:

**तालिका - 2 : आँगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत संरचना**

आँगनबाड़ी केंद्र जिनके अपने भवन हैं		किराये के भवन			खुले जगह में आँगनबाड़ी केंद्र	बिना शौचालय सुविधा के	बिना पीने के पानी के सुविधा के	बिना रसोई के उपकरणों के	परिचालित आँगनबाड़ी केंद्र
पक्का	कच्चा	अ.ब.से./ अ.ब.सहा. के घर में	अन्य	समुदायिक भवन के आ.ब.के. को आवंटित					
8088 (21)*	370 (01)	14102 (37)	3398 (09)	11218 (30)	846 (02)	30978 (81)	26724 (70)	5679 (15)	38022

(स्रोत: समाज कल्याण निदेशालय, झारखंड सरकार)

\* कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत को इंगित करते हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 38022 आँगनबाड़ी केंद्रों में से, 21 प्रतिशत पक्का भवन में एक प्रतिशत कच्चा भवन में, 76 प्रतिशत किराये के भवन में एवं दो प्रतिशत खुले जगह में संचालित (मार्च 2010) हो रहे थे। आगे, पेयजल सुविधा तथा शौचालय क्रमशः 26724 (70 प्रतिशत) तथा 30978 (81 प्रतिशत) आँगनबाड़ी केंद्रों में नहीं थे। साथ ही सरकारी भवन से अलग संचालित आँगनबाड़ी केंद्र बिना रसोई सुविधा और 5679 (15 प्रतिशत) आँगनबाड़ी केंद्रों में खाना बनाने के उपकरण नहीं थे।

संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 22 नमूना जाँच किये गये परियोजनाओं में से 14 के लिये अपना भवन था, तीन<sup>59</sup> परियोजनायें किराये के भवन में संचालित हो रहे थे, चार<sup>60</sup> परियोजनायें दूसरे कार्यालय के साथ हिस्सेदारी द्वारा संचालित हो रहे थे तथा देवघर-सह-जसीडीह परियोजना एक सरकारी भवन में पथ कर कार्यालय के साथ अवस्थित था। ये परियोजनायें बिना पर्याप्त आधारभूत संरचना के चल रही थी। शौचालय और जल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। यह भी देखा गया कि परियोजना कार्यालय के लिये ₹ 4.94 लाख की लागत के नये भवन का प्रभार लेने (फरवरी 2009)के बावजूद बा.वि.प.प., चास शहरी ने अपना कार्यालय स्थानांतरित नहीं किया था तथा भवन 17 महीनों से अधिक समय से खाली था।

### 1.3.8.2 आँगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में अतिरिक्त भार का सृजन

विभाग ने 2862 आँगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिये निधि की स्वीकृति (2005-10) दी थी, जिनमें से केवल 141 जून 2010 तक पूर्ण हुए। ₹ 23.41 करोड़ के विमुक्ति के विरुद्ध जून 2010 तक केवल ₹ 3.36 करोड़ व्यय किये गये थे। बाकि की राशि कार्यकारी अभिकरणों के पास थी जिसके विवरण विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि माँगे गये थे। अन्य अनियमिततायें जो अवलोकित हुईं, निम्नवत हैं;

- राज्य ने 2007-08 के दौरान 162 आँगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिये ₹1,91,900 प्रति केंद्र की दर से ₹ 3.11 करोड़ का आवंटन (जून 2007) किया था। उपायुक्त के द्वारा जारी कार्यदेश से यह अवलोकित हुआ कि कार्यकारी अभिकरणों द्वारा तीन महीनों के भीतर आँगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण किया जाना था। निदेशालय ने जिलों को राशि निर्गत (नवम्बर 2007) की थी। विभाग द्वारा आँगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिये आकलन को 2,32,300 प्रति इकाई पर पुनरीक्षित (दिसम्बर 2007) किया। निदेशालय द्वारा जिलों को निधि निर्गत करने में विलंब (पाँच महीने) के परिणामस्वरूप

<sup>59</sup> चैनपुर, चन्दनक्यारी और राँची सदर।

<sup>60</sup> (ग्रामीण), डाल्टेनगंज (शहरी), देवघर (ग्रामीण) और सारठ।

₹ 65.45 लाख (₹ 40,400 x 162 आँगनबाड़ी केंद्र) का अतिरिक्त भार पड़ा जिसे परिहार किया जा सकता था।

- निदेशक, समाज कल्याण ने ₹ 2,32,300 प्रति केन्द्र की अनुमानित लागत पर पाकूड़ एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों में 29 आँगनबाड़ी केंद्रों के लिये ₹ 67.37 लाख आबंटित (2008-09) किये थे। राशि की निकासी (मार्च 2009 तथा मार्च 2010) कोषागार से की गई थी और विभिन्न कार्यकारी अभिकरणों को तीन से 12 महीनों की विलंब से निर्गत किये गये थे। आगे, विभाग द्वारा आकलन को ₹ 4,32,000 प्रति इकाई पर पुनिरिक्षित (दिसंबर 2009) कर दिया गया था। जि.स.क.प. ने आकलित लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त निधि की माँग की थी। इस प्रकार आँगनबाड़ी के निर्माण में विलंब के फलस्वरूप ₹ 57.91 लाख का अतिरिक्त भार पड़ा।

### 1.3.8.3 निधियों का उपयोग नहीं करना

संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग ने परियोजना कार्यालयों में दूरभाष के लिये प्रावधान किया था लेकिन नमूना जाँच किये गये 22 परियोजना कार्यालयों में से केवल दो<sup>61</sup> में ही दूरभाष सुविधा थी। 2005-10 के दौरान नमूना जाँचित परियोजनाओं में दूरभाष के लिये ₹ 4.8 लाख का आबंटन में से 20<sup>62</sup> परियोजनाओं ने ₹ 4.6 लाख प्रत्यार्पित (96 प्रतिशत) कर दिया था जो दर्शाता है कि बजट बनाने की प्रक्रिया जमीनी सत्यता से मेल नहीं खाती थी।

### 1.3.8.4 आंतरिक विद्युतीकरण

विभाग ने आँगनबाड़ी के निर्माण के पुरीक्षित आकलन में "आंतरिक विद्युतीकरण" का ₹ 10,586 प्रति आँगनबाड़ी केंद्र की दर से प्रावधान (दिसम्बर 2007) किया था। इसने राज्य में 426 आँगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिये नवंबर 2007 एवं नवंबर 2008 में निधि निर्गत किया था।

लेकिन नमूना जाँचित आँगनबाड़ी केंद्रों<sup>63</sup> से प्राप्त सूचना से उद्घाटित हुआ कि बावजूद इसके कि भवनों को पूर्ण दिखाया जा रहा था, आंतरिक विद्युतीकरण नहीं किये गये।

निदेशालय ने आंतरिक विद्युतीकरण पर हुए वास्तविक व्यय संबंधी सूचना नहीं दी थी जबकि माँगे गये थे।

### 1.3.9 सेवाओं का आदाता

#### 1.3.9.1 निर्धारित मानक से कम कैलोरी के पूरक पोषाहार का वितरण

पूरक पोषाहार का लक्ष्य छः माह से छः वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलायें, धात्री माताओं और किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार था। 2006-07 से वर्तमान आहार माड्यूल जिसमें मुरही, सत्तु एवं गुड़ सम्मिलित थे, को बच्चों में आहार को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिये खिचड़ी (चावल और दाल का पका हुआ मिश्रण) से बदल दिया गया था। आगे, हरी सब्जियों एवं सोया बरी के साथ खिचड़ी के अतिरिक्त दलिया या चीनी

<sup>61</sup> वा.वि.प.प. चाईबासा सदर और महेशपुर।

<sup>62</sup> बी.एस.सीटी, विश्रामपुर, चैनपुर, चन्दनकियारी, चास (ग्रामीण), डालटेनगंज (ग्रामीण), डालटेनगंज (शहरी), देवघर (ग्रामीण), देवघर सह जसीडीह, हिरणपुर, जगन्नाथपुर, झींकपानी, कांके, मांडर, मंझारी, नामकुम, ओरमांझी, पाकुड़िया, राँची सदर और सारठ।

<sup>63</sup> दरगाग-I, कुल्हीपुर-I और पीपरदाग।

सहित सत्तु लड्डु के रूप में नाश्ते का प्रावधान (जनवरी 2010) तीन से छः वर्ष के आयु के बच्चों के लिये किया गया। इस श्रेणी के अलावा छः माह से तीन वर्ष के आयु वर्ग के बीच के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरी बालिकाओं के लिये टेक होम राशन (टी.एच. आर.) का प्रावधान किया था। पूरक पोषाहार कार्यक्रम का अर्थ छः माह से छः वर्ष के आयु के बीच के बच्चों को 300 कैलोरी एवं 10 ग्राम प्रोटीन तथा उसी श्रेणी के कुपोषित बच्चों के लिये दूगुनी मात्रा उपलब्ध कराया जाना था। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरी बालिकाओं को 500 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाना था। छः माह और छः वर्ष के आयु के बीच के बच्चों के लिये 500 कैलोरी तथा 12-15 ग्राम प्रोटीन, कुपोषित बच्चों के लिये 800 कैलोरी तथा 20-25 ग्राम प्रोटीन और गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिये 600 कैलोरी तथा 18-20 ग्राम प्रोटीन तक पौष्टिक मानक को पुनरीक्षित (जनवरी 2010) किया गया था।

संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि मुरही, गुड़, सत्तु तथा खिचड़ी वाले आहार माड्यूल की पूर्ति (अप्रैल 2005 से दिसंबर 2009) के दौरान बच्चों के लिये आठ ग्राम परिकृत वनस्पति (प.व.) तेल (72 कैलोरी) और गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिये 16 ग्राम प.व. तेल (144 कैलोरी) का प्रावधान किया गया था जिसकी आपूर्ति कोओपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलिफ एवरीव्हेयर (केयर) द्वारा की जानी थी। संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि न केयर द्वारा प.व. तेल की आपूर्ति की गई न ही सरकार द्वारा प.व. तेल के लिये कोई प्रावधान ही किया गया फलस्वरूप लाभार्थियों को निर्दिष्ट कैलोरी से नीचे पूरक पोषाहार की पूर्ति की गई थी।

- नये आहार माड्यूल में, विभाग ने छः माह से तीन वर्ष के बच्चों के लिये चावल- 60 ग्राम, मसूर दाल- 15 ग्राम, सोया बरी-10 ग्राम, प.व. तेल- पाँच ग्राम और चीनी- 38 ग्राम तथा किशोरी बालिकाओं के लिये चावल-60 ग्राम, मसूर दाल- 10 ग्राम, सोया बरी-पाँच ग्राम, प.व. तेल- तीन ग्राम से सम्मिलित टी एच आर निर्धारित (जनवरी 2010) किया था। यह पाया गया कि ये प्रावधान, छः माह से तीन वर्ष के बीच के बच्चों को 500 कैलोरी की आवश्यकताओं के विरुद्ध केवल 484 कैलोरी तथा किशोरी बालिकाओं को 500 कैलोरी की आवश्यकता के विरुद्ध 290.98 कैलोरी की पूर्ति कर सकते थे। इसके फलस्वरूप लाभार्थियों को अल्प कैलोरी की पूर्ति की गई।
- संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि नये आहार माड्यूल में बच्चों, गर्भवती महिलाओं/धात्री माताओं और किशोरी बालिकाओं के लिये क्रमशः छः पैसे, आठ पैसे और चार पैसे प्रति लाभार्थी प्रति दिन माइक्रोन्यूट्रियेंट के तहत प्रावधान था (दिसम्बर 2009)। माइक्रोन्यूट्रियेंट के तहत आपूर्ति किये जाने वाले वस्तुओं के लिये विभाग से निर्देश के अभाव में आँगनबाड़ी केंद्रों ने लाभार्थियों को कोई माइक्रोन्यूट्रियेंट उपलब्ध नहीं कराई। इसके अलावा लाभार्थियों को निर्धारित मानक से कमतर मान के पूरक पोषाहार उपलब्ध कराये गये थे।

### 1.3.9.2 लक्षित पोषण दिवस का अप्राप्त होना

पूरक पोषाहार लाभार्थियों को प्रति माह 25 दिन और एक वर्ष में 300 दिन के लिये उपलब्ध कराया जाना था। नमूना जाँच किये गये 22 परियोजनाओं में से चार<sup>64</sup> में पूरक पोषाहार, 2005-10 के दौरान, प्रति वर्ष मार्च के मासिक प्रगति प्रतिवेदन (मा प्र प्र) के आधार की गणना

नमूना जाँचित 22 परियोजनाओं में से चार में 2005-10 के दौरान 132 दिनों एवं 297 दिनों के मध्य का पोषाहार उपलब्ध कराये गये

<sup>64</sup> चास ग्रामीण, झींकपानी, महेशपुर और राँची सदर।



पर, 132 और 297 दिनों तक उपलब्ध कराये गये थे। किये गये व्यय/ निर्गत अग्रिम का विवरण तालिका-3 में नीचे दिया गया है।

तालिका-3 : अपर्याप्त पूरक पोषाहार की पूर्ति का विवरण

परियोजना का नाम	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	व्यय की राशि	लाभार्थियों के लिये प्रतिदिन के व्यय की आवश्यकता	पोषण दिवस जिसके लिये व्यय की गई राशि पर्याप्त थी # (4+5)	निर्धारित मानक से पोषण दिवस में कमी
			( ₹ में )			
1	2	3	4	5	6	7
झींकपानी	2007-08	12,254	48,95,339	25,575.10	191	109
चास ग्रामीण	2008-09	24,325	1,23,31,645	50,446.10	244	56
महेशपुर	2008-09	24,679	1,45,49,949	51,301.70	284	16
राँची सदर	2005-06	9,964	47,46,081	17,375.00	273	27
	2006-07	10,266	62,48,725	21,393.20	292	08
	2007-08	15,623	96,57,075	32,507.60	297	03
	2008-09	15,649	53,64,339	32,585.90	165	135
	2009-10	44,939	1,49,81,682	1,13,319.00	132	168

(स्रोत- नमूना जाँच परियोजनाओं से लिये गये आँकड़े)

# भोजन दिवस की संख्या: - व्यय की आवश्यकता प्रतिदिन से किये गये व्यय को भाग देकर

उपरोक्त चार नमूना जाँच परियोजनाओं में 3 से 168 दिनों तक पूरक पोषाहार की पूर्ति नहीं की गई थी इसलिये लक्षित पोषण दिवस को पाने में असफल रहे। आगे, नमूना जाँच किये गये नौ आंगनबाड़ी केंद्रों के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि लाभार्थियों को 100 और 184 दिनों (परिशिष्ट 1.19) तक लगातार अवधि के लिये पूरक पोषाहार की पूर्ति नहीं की गई थी। इसे बताने पर संबंधित बा.वि.प.प. द्वारा यह कहा गया कि व्यवधान का मूल कारण 2005-06 के दौरान खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं किया जाना था तथा बाद के वर्षों में निधि की कमी थी।

### 1.3.9.3 पूरक पोषाहार कार्यक्रम के वित्तीय मानक के पुनरीक्षण में विलंब

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III एवं राष्ट्रीय पोषण अनुश्रवण व्यूरो का प्रतिवेदन कहता है कि जब पहली बार 1975 में स.बा.वि.से. के लिये पौष्टिक मानक तय हुए थे तब से अब कैलोरी एवं माइक्रोन्यूट्रियेंट के अंतर के स्तर में परिवर्तन हो गया था। अनुशंसित दैनिक आहार भत्ता और औसत आहार ग्रहण के बीच के पौष्टिक अंतर को पाटने के लिये, जैसा कि उसमें प्रतिवेदित है, भारत सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिये पूरक पोषाहार कार्यक्रम के कैलोरी एवं वित्तीय मानक को पुनरीक्षित (नवंबर 2008) किया था। पूरक पोषाहार कार्यक्रम की वर्तमान दर 2006-07 से दिसंबर 2009 के दौरान (i) बच्चों (छ: से 72 माह) के लिये ₹ दो (ii) अत्यंत कुपोषित बच्चों छ: से 72 माह के लिये ₹ 2.70 और (iii) गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के लिये ₹ 2.30 थी। हाँलाकि राज्य सरकार ने केवल जनवरी 2010 के प्रभाव से पुनरीक्षित वित्तीय मानक अंगीकृत किया और दरों को क्रमशः ₹ चार, ₹ छ: और ₹ पाँच तक पुनरीक्षित किया।

आगे, यह पाया गया कि राज्य के मा.प्र.प्र. के आँकड़ों के अनुसार कुपोषित बच्चों की संख्या 2008-09 में 20,064 तथा 2009-10 में 27,474 थी। पूरक पोषाहार कार्यक्रम के मानक के पुरीक्षण में 14 माह का विलंब स्पष्ट रूप से राज्य में कुपोषित बच्चों की बड़ी संख्या के संदर्भ में योजना के कार्यान्वयन में विभाग की उदासीनता दर्शाती है। मानकों के पुनरीक्षण में 14 माह का विलंब से लक्षित लाभार्थी बहुमूल्य पोषण से वंचित रह गये।



### 1.3.9.4 बाजार दर से कमतर दर पर अनाज का क्रय

लाभार्थियों को बिना व्यवधान के पूरक पोषाहार की आपूर्ति तथा मध्यस्थों की समाप्ती को सुनिश्चित करने के लिये उपलब्ध कराये गये अग्रिम निधि का उपयोग कर खिचड़ी बनाने के लिए स्थानीय बाजार से अनाज क्रय करने का निर्देश (अगस्त 2006) सम्बन्धित आ.ब.से. को दिया गया। विभाग ने चावल ₹ 12 प्रति किलो ग्राम (किग्रा) और दालें ₹ 30 प्रति किग्रा की अनुमानित दर तय (अगस्त 2005) किया था। इसे क्रमशः ₹ 18 और ₹ 58 प्रति किग्रा तक पुनरीक्षित किया गया।

संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि नयी दर तय होने (जनवरी 2010) तक आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा चावल और दाल के क्रय के समर्थन में एक रूप अभिश्रव, यथा चावल ₹ 12 प्रति किग्रा एवं दालें ₹ 30 प्रति किग्रा प्रस्तुत किये गये थे। आश्चर्यजनक रूप से गृह विभाग (जेल) ने चावल (₹ 10.50 से ₹ 20) और दालों (₹ 24 से ₹ 65) के प्रापण की दर को पुनरीक्षित (जनवरी 2006 और मार्च 2010 के बीच) किया। अभिश्रवों से यह प्रमाणित होता है कि आँगनबाड़ी सेविकाओं ने 2005-10 के दौरान प्रचलित बाजार दरों से काफी कमतर दरों पर खरीदारी की थी। यह क्रय की गुणवत्ता/ मात्रा, अनाजों की विशिष्टता और लाभार्थियों की संख्या, के प्रतिवेदन पर संदेह उत्पन्न करता था विशेषकर साक्षात्कार (कंडिका 1.3.18) के संदर्भ में देखे जाने पर जिसमें लाभार्थियों ने कहा था कि टी एच आर में प्राप्त मात्रा निर्धारित मात्रा से कमतर थी।

### 1.3.9.5 आहार सामग्री एवं ईंधन का आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा उधार पर प्रापण

लाभार्थियों के बीच पूरक पोषाहार के अबाध प्रावधान के लिये आँगनबाड़ी केंद्रों में निधि कि अग्रिम तौर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये राज्य सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिये थे। इसके लिये यह भी निर्देश था कि उपायुक्त कोषागार से छः माह के लिये निधि का अग्रिम निकासी करेंगे और परियोजना कार्यालयों को आगे आँगनबाड़ी सेविकाओं/आँगनबाड़ी सहायिकाओं के बैंक खाते में आने वाले माह के 10वें दिन से पहले अग्रिम तौर पर अंतरण के लिये, तीन माह के लिये निधि उपलब्ध करायेंगे।

संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि नमूना जाँच किये गये छः जिलों में से चार<sup>65</sup> में वर्ष 2009-10 के दौरान आहार सामग्री क्रय करने के लिये आँगनबाड़ी सेविकाओं को अग्रिम उपलब्ध नहीं कराये गये थे। निधियाँ सात माह तक के बाद उपलब्ध कराये गये जबकि आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा आहार सामग्री का क्रय बाजार से उधार पर किया गया था। इससे आँगनबाड़ी सेविकाओं पर उन्हें भुगतान की गई मानदेय की राशि से चार गुणा तक का मासिक भार पड़ा। उन्हें मानदेय एक से 15 माह के विलंब से भुगतान किये गये थे। रोचक रूप से यह देखा गया कि बा.वि.प.प. चास शहरी ने 2007-10 के दौरान अनाज के क्रय के लिये ₹ 1.46 करोड़ का अग्रिम दो माह के विलंब से दिया यद्यपि आहार सामग्री पहले ही उधार पर क्रय कर ली गई थी।

### 1.3.9.6 योग्य लाभार्थियों/कुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार की पूर्ति नहीं की गई

सर्वोच्च न्यायालय के अक्टूबर 2004 के आदेश के अनुसार आँगनबाड़ी केंद्र तक आनेवाले सभी योग्य लाभार्थियों को पूरक पोषाहार की पूर्ति की जानी थी। निदेशालय के मा.प्र.प. की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि विभिन्न श्रेणियों (बच्चे, गर्भवती महिलायें, घात्री मातायें) के 22 से 36 प्रतिशत लोगों को नामांकित नहीं किया गया था तथा जिन्हें नामांकित किया गया उनमें छः से 11 प्रतिशत को पूरक पोषाहार आपूर्ति नहीं की गई थी।

<sup>65</sup> बोकारो, पाकुड़, पलामू और राँची।

आगे, निर्धारित मानक के अनुसार प्रत्येक चिन्हित कुपोषित बच्चे को 800 कैलोरी तथा 20-25 ग्राम प्रोटीन पाना था। निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2010 तक कुपोषित के तौर पर 12338 ग्रेड<sup>66</sup> III और 1252 ग्रेड IV चिन्हित किये गये बावजूद विभाग ने इन चिन्हित कुपोषित लाभार्थियों को निर्दिष्ट पोषण के स्थान पर केवल 500 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन की पूर्ति की थी। यह बतलाने पर निदेशालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2010) कि अनुदेश जारी किये जा रहे थे। इसलिये योजना लक्षित लाभार्थियों के 46 प्रतिशत तक पहुँचने में असफल रही।

### 1.3.10 स्वास्थ्य जाँच, प्रतिरक्षण एवं रेफरल सेवायें

ऑगनबाड़ी केंद्रों द्वारा माताओं को प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात कार्ड निर्गत नहीं किये गये और ऑगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा प्रसव पश्चात माताओं तक भ्रमण का कोई अभिलेख संघारित नहीं था

योजना के अधीन स्वास्थ्य जाँच के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल, धात्री मातायें और छः वर्ष से कम के वैसे बच्चों का देखभाल सम्मिलित है जो कि छूत की बीमारी के साथ जन्में हों या अत्यधिक कुपोषित हों। प्रसवपूर्व एवं प्रसव पश्चात देखभाल के अभिलेख कार्ड में संघारित किये जाने थे। आगे स.बा.वि.प. के मार्गदर्शिका के अनुसार परियोजना क्षेत्र के छः वर्ष की आयु से नीचे के सभी बच्चों को डिथीरिया, कुकुरखाँसी, टेटनस, पोलियो, यक्ष्मा एवं खसरा के विरुद्ध प्रतिरक्षित करना था। सभी गर्भवती महिलाओं को भी टेटनस के विरुद्ध प्रतिरक्षित करना था।

संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि ऑगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रसवपूर्व और प्रसव पश्चात कार्ड माताओं को जारी नहीं किये गये थे तथा प्रसव के बाद माताओं तक ऑगनबाड़ी सेविकाओं के भ्रमण के अभिलेख संघारित नहीं थे। पुनः परियोजना कार्यालयों के मा.प्र.प. दर्शाता है कि रेफरल सेवाओं का अभाव था। आगे, कुपोषण उपचार केंद्र (कु.उ.के.) देवघर एवं पाकुड़ के अभिलेखों से यह देखा गया कि केंद्र में भर्ती रोगियों में से छः माह से छः वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को ऑगनबाड़ी केंद्र के तंत्र के द्वारा रेफर नहीं किये गये थे।

लक्षित 69,40,977 लाभार्थियों के स्वास्थ्य जाँच के केवल 29,82,359 जाँच की किये गये जो 43 प्रतिशत के अल्प सफलता का द्योतक था

यह बतलाने पर जि.स.क.प., देवघर के द्वारा यह कहा गया कि आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। 2005-10 के दौरान नमूना जाँच किये गये 22 में से 10<sup>67</sup> परियोजनाओं में 69,40,977 लाभार्थियों के लक्षित स्वास्थ्य जाँचों में से केवल 29,82,359 स्वास्थ्य जाँच किये गये थे, जो 43 प्रतिशत के अल्प सफलता का द्योतक था। उसी प्रकार नमूना जाँच किये नौ<sup>68</sup> परियोजनाओं में 2005-10 के दौरान 11,75,932 लाभार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 8,73,424 (74 प्रतिशत) लाभार्थियों को प्रतिरक्षित किया गया।

### 1.3.11 औषधि मंजूषा की आपूर्ति नहीं की गई

स्वास्थ्य जाँच की आवश्यक सेवाओं के महत्वपूर्ण निवेश के लिए सामान्य बिमारियों जैसे सर्दी-खाँसी, चर्म संक्रमण इत्यादि के लिये प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्र को प्रत्येक वर्ष ₹ 600 की लागत पर आसानी से उपयोग एवं देने योग्य औषधि मंजूषा उपलब्ध कराई जानी थी।

2005-09 के दौरान ₹ 5.38 करोड़ की निधि आबंटन के बावजूद औषधि मंजूषा की क्रय में विभाग असफल रहा

संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग 2005-09 के दौरान ₹ 5.38 करोड़ का आवंटन रहने के बावजूद औषधि मंजूषा के प्राप्ति के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में असफल (2005-10) रहा। क्रय समिति ने जुलाई 2005 में क्रय की अनुशंसा की लेकिन उसे विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। उसके लिये पुनर्निविदा की गई लेकिन क्रय समिति ने बोली प्रभावनीय नहीं

<sup>66</sup> ग्रेड III (6,7,8,5,9,75 और 11 कि.ग्रा., क्रमशः 1 से 5 वर्ष के लिए) और ग्रेड IV (5, 6,25, 7,25, 8,25 और 9,25 कि.ग्रा. क्रमशः 1 से 5 वर्ष के लिए) यह बच्चों के उम्र एवं शारीरिक वजन के तुलना के लिए है।

<sup>67</sup> विश्रामपुर, चैनपुर, चन्दनक्यारी, डालटेनगंज (ग्रामीण), डालटेनगंज (शहरी), देवघर (ग्रामीण), देवघर (शहरी), नामकुम, ओरमांझी और सारठ।

<sup>68</sup> विश्रामपुर, चैनपुर, चन्दनक्यारी, डालटेनगंज (ग्रामीण), डालटेनगंज (शहरी), देवघर (ग्रामीण), देवघर (शहरी), नामकुम और सारठ।

रहने के आधार पर पुनः पुनर्निविदा की अनुशंसा कर दी। विभाग द्वारा इस पर आगे कार्रवाई नहीं की गई। इसके फलस्वरूप निधि के उपलब्धता के बावजूद आंगनबाड़ी केन्द्रों को औषधि मंजूषा की आपूर्ति नहीं की गई जिससे लक्षित लाभार्थियों को सामान्य बीमारी के लिये स्वास्थ्य जाँच की आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता से वंचित रहना पड़ा। यह बतलाये जाने पर निदेशालय ने कहा कि औषधि मंजूषा के शीघ्र क्रय के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

### 1.3.12 विद्यालय पूर्व मंजूषा का प्रापण नहीं

स.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत विद्यालय पूर्व शिक्षा अवयव, योजना के अंतर्गत वर्णित सेवाओं के पैकेजों में से एक निर्णायक अवयव है जो विद्यालय जाने की इच्छा एवं शिक्षा के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति के विकास को अभिप्रेत करता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में तीन से छः वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अनौपचारिक और खेलकूद पद्धति से आनंदपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के तरीके द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराना था। विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने में सहायता करने के लिए ₹ 500 (2008-09 तक) एवं ₹ 1,000 (2009-10 से) के मूल्य के विद्यालय पूर्व मंजूषा प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र को प्रति वर्ष उपलब्ध कराना था।

2006-09 के दौरान ₹ 4.06 करोड़ निधि की उपलब्धता के बावजूद आ.ब.के. को 2005-10 के दौरान विद्यालय पूर्व मंजूषा की खरीदगी एवं वितरण नहीं किया गया

यद्यपि 2006-09 के दौरान विभाग ने ₹ 4.06 करोड़ आंगनबाड़ी को विद्यालय पूर्व मंजूषा के क्रय के लिये मुहैया कराया, क्रय समिति ने मार्च 2009 में ₹ 499.96 प्रति मंजूषा के वार्ता द्वारा तय दर पर क्रय की अनुशंसा की। विधान सभा चुनाव, 2009 के कारण विभाग द्वारा क्रय आदेश को टाल दिया गया था। लेखापरीक्षा तिथि (जुलाई 2010) तक क्रय आदेश जारी नहीं किये गये थे और 2005-10 के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्यालय पूर्व मंजूषा का वितरण नहीं किया गया था परिणामस्वरूप योजना के विद्यालय पूर्व शिक्षा अवयव को प्रदान नहीं किया गया। यह बतलाये जाने पर निदेशालय ने कहा (अगस्त 2010) कि विद्यालय पूर्व मंजूषा के शीघ्र क्रय के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

### 1.3.13 सूचना, शिक्षा और संचार तथा सामुदायिक संग्रहण अवयव का कार्यान्वयन नहीं होना

योजना के सूचना, शिक्षा और संचार तथा सामुदायिक संग्रहण अवयव (आई.ई.सी.) का उद्देश्य (i) स.बा.वि.से. कार्यक्रमों की छवि बनाना और जागरूकता उत्पन्न करना (ii) स.बा.वि.से. की माँग बढ़ाना, (iii) बच्चे की देखभाल, पोषण एवं स्वास्थ्य में मनोवृत्ति और व्यवहारिक परिवर्तन को प्रभावित करने एवं कायम रखने (iv) सामुदायिक हिस्सेदारी को एकत्र करने एवं कायम रखने का था। इन उद्देश्यों की सफलता के लिये विभिन्न गतिविधियों जैसे गृह भ्रमणों, सामूहिक बैठकें, संगोष्ठियाँ, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सत्रों, स्लाइडों, कार्ड, फलीप, चार्ट/पुस्तकों, फ्लानेल ग्राफ इत्यादि का प्रयोग एवं वितरण तथा अन्य श्रव्य-दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्तेमाल करने थे। इस उद्देश्य के लिये भारत सरकार ने प्रत्येक परियोजना कार्यालय में इसके कार्यान्वयन के लिये ₹ 25,000 प्रति वर्ष की दर के मानक को निर्धारित किया था।

संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि विभाग ने ₹ 2.55 करोड़<sup>69</sup> की आवश्यकता के विरुद्ध केवल ₹ 62 लाख का बजट प्रावधान (2005-10) किया था। आगे बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 38 लाख आबंटित (2006-10) किये गये थे जिसमें से केवल ₹ 10 लाख ही खर्च (2008-09) हुए थे। निदेशालय के रोकड़ पुस्त से यह भी पाया गया कि सूचना, शिक्षा एवं संचार की ₹ 12.75 लाख

<sup>69</sup> ₹ 25000 x 204 (परियोजनाओं की संख्या) x 5 वर्ष।

की राशि कोषागार से निकासी (मार्च 2008) की गई जिसमें से केवल ₹ 95,506<sup>70</sup> व्यय किये गये थे और शेष ₹ 11,79,494 को कोषागार (मार्च 2009) में प्राप्ति लेखा शीर्ष "0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण" के अंतर्गत जमा कर दिया गया था। निदेशालय के कथनानुसार (अगस्त 2010) निधि के उपयोग नहीं होने का कारण वर्ष के बिलकुल अंत में राशि की प्राप्ति थी। हालांकि यह एक वर्ष तक निधि के अनावश्यक रोक को न्यायोचित ठहराने में असफल रहा।

### 1.3.14 किशोरी शक्ति योजना

किशोरी शक्ति योजना (कि.श.यो) 2000-01 में भारत सरकार द्वारा स.बा.वि.से. के एक अवयव के रूप में प्रारंभ की गई थी। यह झारखण्ड में मार्च 2002 में 11 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की लड़कियों के लिये उनके पौषणिक एवं स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करने, आवश्यक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्रदान करने; गृह आधारित और व्यवसायिक कौशल के सुधार/उन्नत करने के लिये उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सज्जित करने, स्वास्थ्य, साफ-सफाई, पोषण और परिवार कल्याण, गृह प्रबंधन और बच्चे की देखभाल के लिए जागरूकता बढ़ाने, उनके जीवन को प्रभावित करने वाले वातावरण से सम्बंधित सामाजिक बातों की अच्छी समझ बढ़ाने और उत्पादी होने के विभिन्न गतिविधियों के लिये उन्हें पहल करने के लिये और समाज के उपयोगी सदस्य होने के लिये उत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। कि.श.यो. के कार्यान्वयन के लिये प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में किशोरी मंडल<sup>71</sup> बनाने थे।

नमूना जाँच किये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों के अभिलेख की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 282 चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 10 में किशोरी मंडल नहीं बने थे। आगे 42 आंगनबाड़ी केन्द्रों में किशोरी मंडल की गतिविधियाँ नहीं चली थी। मार्गदर्शिका के अनुसार किशोरी मंडल की साप्ताहिक बैठक में किशोरी बालिकाओं के बीच लौह तत्व की गोलियाँ बाँटी जानी थी और इस वितरण का इंद्राज उनके किशोरी शक्ति कार्ड में किया जाना आवश्यक था। हालांकि 282 में से 224 आंगनबाड़ी केन्द्रों में किशोरी बालिकाओं के बीच लौह तत्व की गोलियाँ नहीं बाँटी गयी थी और गोलियों को बाँटे जाने से सम्बंधित कार्ड संधारित नहीं थे।

### 1.3.15 किशोरी बालिकाओं के लिये पोषण कार्यक्रम

जि.स.क.प. पश्चिमी सिंहभूम 2003-09 के दौरान ₹ 5.48 करोड़ की निकासी किया, पर बचे हुए निधि ₹ 4.25 करोड़ को 18 से 48 महीनों के बाद कोषागार में जमा कर दिया

किशोरी बालिकाओं के लिये पोषण कार्यक्रम (एन.पी.ए.जी.) भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत की सहायता पर प्रारंभ में दो वर्ष (2002-04) के लिये देश के 51 जिलों में पायलट आधार पर प्रारंभ की गई थी। झारखण्ड में एन.पी.ए.जी. के लिये पश्चिम सिंहभूम जिले का चुनाव हुआ था। भारत सरकार ने योजना को 2008-09 तक आगे बढ़ा दिया। इस योजना अंतर्गत, 11 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के 35 कि.ग्रा. से कम वजन की किशोरी बालिकाओं को उनके परिवार के वित्तीय स्थिति से असंबद्ध रूप से चिन्हित करना था और प्रति बालिका प्रतिमाह 6 कि.ग्रा. अनाज निःशुल्क मुहैया कराना था। चिन्हित बालिकाओं को लगातार तीन माह के लिए उचित मूल्य की दूकान (उ.मू.दू.) के द्वारा मुहैया कराना था। आगे तीन माह बाद उनका पुनः वजन लेना था और यदि उनका वजन 35 कि.ग्रा. से कम पाया गया तो अगले तीन माह के लिये अनाज मुहैया कराना था।

अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि जि.स.क.प., पश्चिम सिंहभूम ने 2003-09 के दौरान ₹ 5.48 करोड़ की निकासी की थी जिसमें से ₹ 1.11 करोड़ का अंतरण (2006-10)राज्य खाद्य निगम (रा.खा.नि.) को भारतीय खाद्य निगम से अनाज के क्रय के लिये अग्रिम के तौर पर

<sup>70</sup> विश्व स्तन पान सप्ताह पर लगाये गये होर्डिंग्स।

<sup>71</sup> किशोरी के बाल गतिविधियों के लिए किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय स्थल के रूप में उसका गठन होता है।

किया गया ₹ 11 लाख आकस्मिकताओं पर व्यय किये गये और एक लाख रूपये जि.स.क.प. के पास अव्यवहृत निधि के रूप में रखी थी। जि.स.क.प. ₹ 4.25 करोड़ (77 प्रतिशत) की शेष निधि का उपयोग करने में असफल रहा और उसे कोषागार में प्राप्ति शीर्ष"0235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अंतर्गत 18 से 48 माह के बाद जमा (मई 2008 और जुलाई 2009 के बीच) कर दिया। यह एक बड़ी वित्तीय अनियमितता थी क्योंकि इसके फलस्वरूप विभाग की पिछले वर्षों के व्यय के आँकड़े और 2009-10 में प्राप्ति शीर्ष के आँकड़ों में कृत्रिम रूप से बढ़ोतरी हुई। यह उन सभी वर्षों में लेखाओं का असत्यकरण सिद्ध किया जो कार्यपालिका के उपर विधायिका के नियंत्रण को कमजोर करने का प्रभाव डाला। आगे, अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि सितंबर 2006 एवं जून 2010 के बीच अनाज का वितरण, मासिक वितरण के स्थान पर लंबे अंतराल (**परिशिष्ट- 1.20**) पर किया गया। जि.स.क.प. अव्यवहृत अनाजों के पता ठिकाना बताने में असमर्थ रहे। अव्यवहृत अनाज के विवरण का संधारण नहीं होना अनाज के दूर्विनियोग के संभावना के खतरे से पूर्ण था क्योंकि लेखापरीक्षा अनाज के क्रय की सत्यता का जाँच पड़ताल नहीं कर सका। जि.स.क.प. का अनाज के ससमय वितरण में असफल रहना कार्यक्रम के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन को प्रभावित किया।

महिला पर्यवेक्षिका को एन.पी.ए.जी. के अन्तर्गत पाँच प्रतिशत बालिकाओं के वजन की जाँच करना था। आँगनबाड़ी सेविकाओं के साथ-साथ वे भी उ.मू.दू. से अनाज के नियमित वितरण के प्रतिवेदन एवं अनुश्रवण के लिये उत्तरदायी थे। साथ ही बा.वि.प.प. को रैण्डम रूप से एक प्रतिशत मामले की जाँच करनी थी। उ.मू.दू. पर अनाज के अनियमित आपूर्ति के मामले में महिला पर्यवेक्षिका या बा.वि.प.प. को उपयुक्त स्तर पर मामले को रखकर समस्या का निवारण करना था।

आँगनबाड़ी केन्द्रों और बा.वि.प.प. कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि मानकों को उल्लंघन करते हुए बालिकाओं को नियमित रूप से वजन नहीं किया गया। साथ ही महिला पर्यवेक्षिकाओं और बा.वि.प.प. द्वारा सत्यापन नहीं किये गये थे।

### 1.3.16 मानव संसाधन विकास

#### 1.3.16.1 मानव शक्ति प्रबंधन

स.बा.वि.स. की गुणवत्ता और दक्षता, अधिकांश पर्यवेक्षी संवर्ग यथा बा.वि.प.प. और महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि स.बा.वि.स. के अंतर्गत आँगनबाड़ी सेविकाओं और आँगनबाड़ी सहायिकाओं को छोड़कर अन्य संवर्गों के स्टाफ की स्थिति मार्च 2010 तक निम्न प्रकार से तालिका 5 में दिया गया है:

तालिका-5 : स्वीकृत पद और कार्यरत बल

क्र.सं.	पद का संवर्ग	स्वीकृत पद की संख्या	कार्यरत बल	रिक्तियाँ	रिक्तियों का प्रतिशत
1	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	204	132	72	35
2	महिला पर्यवेक्षिका	1205	756	449	37
3	सांख्यिकीय सहायक	214	133	81	38
4	लिपिक	224	186	38	17
5	लेखापाल-सह भण्डारपाल	09	09	शून्य	शून्य
6	चालक	78	78	शून्य	शून्य
7	अनुसेवक	276	249	27	10

(स्रोत- समाज कल्याण निदेशालय)

उपरोक्त तालिका से यह प्रमाणित होता है कि राज्य में मार्च 2010 को बा.वि.प.प. महिला पर्यवेक्षिकाओं और सांख्यिकीय सहायकों के संवर्ग में क्रमशः 35,37 और 38 प्रतिशत रिक्तियाँ थीं। महत्वपूर्ण मानव संसाधन में कमी से सेवाओं को प्रदान करने पर विपरीत प्रभाव पड़ने को खारिज नहीं किया सकता था।

### 1.3.16.2 प्रशिक्षण

मार्च 2010 तक अनुशंसित 23 आ.प्र.के. और एक म.प्र.के. के विरुद्ध केवल 15 आ.प्र.के. कार्यरत थे

योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार स.बा.वि.से.यो. के कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा दिया जाना था। आँगनबाड़ी सेविकाओं, आँगनबाड़ी सहायिकों, महिला पर्यवेक्षिकाओं और बा.वि.प.प. को तीन प्रकार के नियमित प्रशिक्षण यथा प्रारंभिक नियुक्ति पर प्रवेशिका प्रशिक्षण केवल आंगनबाड़ी सेविका के लिये, जॉब उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सेवा अवधि के दौरान एक बार और पूनश्चर्या प्रशिक्षण सेवा काल में प्रत्येक दो वर्ष पर एक बार देना था। बा.वि.प.प. का प्रशिक्षण राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एन.आई.पी.सी.सी.डी.) द्वारा कराना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि 23 आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र (आ.प्र.के.) और एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (एम.एल.टी.सी.) के विरुद्ध मार्च 2010 तक केवल 15 आ.प्र.के. कार्यरत थे। शेष आठ आ.प्र.के. एवं एक एम.एल.टी.सी. के कार्यरत न होने का कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया यद्यपि माँगे गये थे। यह पाया गया कि 2005-10 के दौरान स.बा.वि.से. के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण देने के लिये उद्दिष्ट किये गये ₹ सात करोड़ में से विभाग केवल ₹ 5.97 करोड़ ही व्यय कर सका। स.बा.वि.से. के जमीनी कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी नीचे तालिका 6 में दर्शाया गया है।

तालिका-6 : मार्च 2010 तक प्रशिक्षण का लक्ष्य एवं सफलता

संवर्ग	लक्ष्य	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित जॉब/ उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (प्रतिशत)	रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का बैकलॉग
महिला पर्यवेक्षिका	694	328*	366 (53)	अनुमान्य नहीं
आँगनबाड़ी सेविका	38296	32182	6114 (16)	18149
आँगनबाड़ी सहायिका	35800	30279	5521 (15)	31499

(स्रोत - राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना, समाज कल्याण निदेशालय) (\* झारखण्ड के गठन के पहले से प्रशिक्षित)

एम.एल.टी.सी. के अभाव में 2005-10 के दौरान कोई महिला पर्यवेक्षिका प्रशिक्षित नहीं हुई थी। यह देखा गया कि 694 महिला पर्यवेक्षिकाओं में से केवल 328 प्रशिक्षित थीं और सभी राज्य के गठन (नवम्बर 2000) के पहले से प्रशिक्षित थे। अलावे, 15 कार्यरत आ.प्र. के. 16250 आँगनबाड़ी सहायिकाओं के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 12839 आँगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रशिक्षण दे सका था। यह देखा गया कि 2006-10 के दौरान एन.आई.पी.सी.सी.डी. में रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये प्रतिनियुक्त 127 बा.वि.प.प. में केवल 92 (72 प्रतिशत) ही कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। निदेशालय ने उत्तर दिया कि आठ आ.प्र.के. की स्थापना तथा अप्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण अतिशीघ्र आयोजित कराये जायेंगे।

### 1.3.17 अन्य रोचक बिंदुएँ

- जि.स.क.प. राँची ने ₹ 2,32,300 की दर से पाँच<sup>72</sup> आँगनबाड़ी के निर्माण के लिये ₹ 11.62 लाख की कोषागार से ₹ 11.62 लाख के निर्माण सामग्री<sup>73</sup> के अभिश्रव प्रस्तुत कर निकासी (जुलाई अगस्त 2009) की। रोचक पूर्ण ढंग से यह देखा गया कि पाँच आँगनबाड़ी केन्द्र में से तीन गढ़ हुसीर, मसमानों पाहन टोली और चोरेया उराँव टोली के लिये स्थल चयन नहीं हुआ था (जुलाई 2010), यद्यपि सामग्री का क्रय हुआ था।

<sup>72</sup> वस्का डांगर टोली (मांडर), चमनीया पानो (चान्हो), चोरेया उराँव टोली, गढ़ हुसीर और मसमानो पाहन टोली।

<sup>73</sup> ईट, सिमेंट, चीप्स, बालू और स्टील।



- जिला परिषद्, राँची ने प्रतिवेदित किया कि हरमू हरिजन टोली, इरगू रोड कुम्हार टोली और हेसल उराँव टोली में तीन आँगनबाड़ी केन्द्र ₹ 14.28 लाख व्यय होने के पश्चात पूर्ण हो गये जबकि बा.वि.प.प., राँची सदर और वार्ड पार्श्वों ने प्रतिवेदित किया कि इस प्रकार का कोई आँ.बा.के. नहीं बना है। अंकेक्षण दल ने स्थल निरीक्षण किया और पाया कि आँ.बा.के. नहीं बने थे इसलिये जो कार्य नहीं हुआ उसके लिये ₹ 14.28 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया। आगे बा.वि.प.प. राँची सदर ने हेहल टंगरा टोली में आँगनबाड़ी के अपूर्ण निर्माण को प्रतिवेदित किया जबकि जिला परिषद् ने प्रतिवेदित किया कि वह ₹ 4.76 लाख के व्यय होने के पश्चात पूर्ण हो गया
- बा.वि.प.प. सिल्ली ने प्रतिवेदित किया कि पिपरदाग में आँगनबाड़ी का निर्माण 2007-08 में ₹ 2.32 लाख पर किया गया जबकि जिला परिषद् राँची ने भी प्रतिवेदित किया कि उसी जगह पर पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत ₹ 4.76 लाख रूपये पर आँ.बा.के. का निर्माण किया गया।
- बा.वि.प.प. राँची ने प्रतिवेदित किया कि हिन्दपीड़ी तीसरी गली में जिला परिषद् राँची द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण हुआ। हाँलाकि ₹ 4.76 लाख की लागत पर इसका निर्माण नाले पर हुआ देखा गया। आँगनबाड़ी केन्द्र की अवस्थिति के कारण आँगनबाड़ी सेविका ने केन्द्र का प्रभार लेने से इंकार कर दिया।
- पेय जल एवं स्वच्छता प्रमंडल, पाकुड़ के अभिलेखों से देखा गया कि सबमर्सिविल मोटर पंप सहित जलापूर्ति प्रणाली का अधिष्ठापन पाँच<sup>74</sup> आँगनबाड़ी केन्द्रों में किया गया था लेकिन वहाँ उसके लिए कोई विद्युत संपर्क नहीं थे।

### 1.3.18 आँगनबाड़ी केन्द्र संयुक्त निरीक्षण के फल

नमूना जाँच परियोजना में 98 आँगनबाड़ी केन्द्रों का संयुक्त भौतिक सत्यापन परियोजना के कर्मियों एवं लेखापरीक्षा कर्मियों द्वारा किया गया जिसका परिणाम निम्नवत् है:-

- 98 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से छः<sup>75</sup> भ्रमण के समय बंद पाये गये यद्यपि दल ने उस समय आँगनबाड़ी का भ्रमण किया था जिस समय उसे कार्यरत रहना चाहिये था। छः आँगनबाड़ी में कोई बच्चा नहीं पाया गया यद्यपि उपस्थिति पंजी में उन्हें उपस्थित बताया गया था। 40 आँगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति नामांकन से 50 प्रतिशत कम थी।
- यह भी देखा गया कि हिरणपुर परियोजना में आँगनबाड़ी केन्द्र बाबुपुर-I गौशाला के रूप में उपयोग किया जा रहा था। ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि टी.एच.आर. पिछले दो माह से मुहैया नहीं कराया जा रहा था।



(आँगनबाड़ी केन्द्रों का दृश्य जो मालखाना और गौशाले के रूप में उपयोग किये जा रहे थे)

<sup>74</sup> अधौल, चाँदपुर, चापाडंगा (पाकुड़), महेशपुर और मालीपारा।

<sup>75</sup> भुईया टोली, चियाँकी (डाल्टनगंज ग्रामीण), विपतपुर, पहाड़ी टोला (राँची सदर), रामनाथपुर पहाड़ी टोला (हिरणपुर), सवदा (चन्दनक्यारी) और तोराई II ।



- पलामू में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चैनपुर ने अनधिकृत रूप से आँगनबाड़ी केन्द्रों, शाहपुर दक्षिण-II (कोड 96) को दखल कर लिया और दो कार्यालय यथा नरेगा का कार्यालय और पंचायत आँगनबाड़ी के साथ उसी भवन में कार्यरत पाये गये।
- दो आँगनबाड़ी केन्द्रों अर्थात् रामपुर (कोड-23) और हरीपुर (कोड-18) (सारठ परियोजना) में विद्यालय पूर्व शिक्षा, आँगन में दी जा रही थी।
- 98 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 39 में खिचड़ी उसी कमरे में पकाया जा रहा था जहाँ विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जा रही थी।
- टी.एच.आर. में वितरित अनाज का परिमाण तय नहीं किया जा सका क्योंकि तराजू के बजाय बर्तन से अनाज मापा जा रहा था।
- आठ<sup>76</sup> आँगनबाड़ी केन्द्रों में साक्षात्कार के दौरान लाभार्थियों ने कहा कि टी.एच.आर. दो से तीन माह के विलंब से मुहैया कराया गया था। लाभार्थियों ने आगे कहा कि टी.एच.आर. की मात्रा निर्धारित परिमाण से कमतर था। सराय टोली, नामकुम में चीनी के स्थान पर गुड़ मुहैया कराया गया था।
- चाईबासा सदर परियोजना में चूर्ण किया एवं भूना चावल, दाल, चीनी एवं प.व. तेल का मिश्रण दिया गया जो कि लाभार्थियों, विशेषकर बच्चों के स्वीकार्य नहीं था।
- चिकित्सा पदाधिकारियों ने नौ<sup>77</sup> आँगनबाड़ी केन्द्रों पर, जहाँ कि लाभार्थियों का साक्षात्कार किया गया था, भ्रमण नहीं किया था यद्यपि ए.एन.एम. ने केन्द्र का भ्रमण किया था।

### 1.3.19 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

समन्वय समिति को कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। राज्य में कोई उच्च स्तरीय समिति का गठन नहीं हुआ था। सभी स्तरों पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण अपर्याप्त था

प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के साथ साथ योजना के कार्यान्वयन में संबद्ध विभिन्न विभागों, के बीच समन्वय को सुनिश्चित करने के लिये अनुश्रवण समिति का गठन प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर करना था। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाना था एवं योजना का अनुश्रवण मंत्री स्तर के उच्चस्तरीय समिति द्वारा किया जाना था।

यह देखा गया कि यद्यपि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन (जून 2005) किया गया था, कोई बैठक अब तक नहीं हुई थी। राज्य में उच्चस्तरीय समिति का गठन नहीं हुआ था सरकार के अधिसूचना (जून 2005) के अनुसार राज्य में जिला, प्रखंड और ग्राम स्तरीय समितियों का गठन किया गया था। आँगनबाड़ी केन्द्रों के समुचित संचालन सुनिश्चित करने, स.बा.वि.से. के अन्य सेवाओं के कार्यान्वयन के लिये अन्य विभागों के साथ समुचित समन्वय और अभिसरण करना, आँगनबाड़ी सेविकाओं/आँगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्तियों को भरना, आँगनबाड़ी केन्द्रों का औचक भ्रमण और आँगनबाड़ी केन्द्रों के विरुद्ध शिकायतों को देखना इन समितियों का उत्तर दायित्व था। यद्यपि, प्रखंड और जिला स्तरीय समितियाँ गठित थे, बैठक नहीं की जा रही थी।

आगे, योजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिये बा.वि.प.प. एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को क्रमशः 30 एवं 40 आँगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण प्रति माह करना था। संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि बा.वि.प.प. एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा किये गये भ्रमण 2005-10 की संख्या 14<sup>78</sup> नमूना जाँच किये गये परियोजनाओं में लक्ष्य 21,360 और 89,240 की तुलना में 14,405 (67 प्रतिशत) और 67,943 (76 प्रतिशत) था।

<sup>76</sup> अमलाबाद, प्रेमनगर, अमलाबाद महतो टोला, अमलाबाद उपर कुल्ही (चन्दनक्यारी), अमलाबाद रोहनिया टांड, बाबुपुर, बिपतपुर (हिरणपुर), सुकुरहुट्ट महतो टोली, कांके-टोराई -II हिरणपुर।

<sup>77</sup> दीपाटोली सराईटोली (नामकुम), जेलहाता (डाल्टेनगंज शहरी), हरतु-1 (नामकुम), नरसंडा बाड़ागुट्ट साई (चाईबासा सदर), नगरी सड़क टोला (कांके) सोमारटांड-I और सोमार टांड (चैनपुर), सुफलासाई (चाईबासा सदर) और सुकुरहुट्ट महतो टोली (कांके)

<sup>78</sup> विश्रामपुर, चैनपुर, चन्दनक्यारी, डाल्टेनगंज (ग्रामीण), डाल्टेनगंज (शहरी), देवघर सह जसीडीह, हिरणपुर, कांके, महेशपुर, मांडर, नामकुम, ओरमांझी, पाकुरिया और सारठ।

### 1.3.20 उपसंहार

राज्य में स.बा.वि.स. योजना का कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं था। आँगनबाड़ी भवनों के संदर्भ में आधारभूत संरचना अपर्याप्त थी और बड़ी संख्या में आँगनबाड़ी केन्द्र किराये के मकान के साथ खुली जगहों में चल रहे थे। पूरक पोषाहार की आपूर्ति अनियमित थी और निर्धारित कैलोरी की कमी थी। कुपोषित बच्चों को निर्धारित राशन की आपूर्ति अपर्याप्त थी। औषधि मंजूषा एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा मंजूषा का प्रापण नहीं किया गया था। विभिन्न स्तरों पर प्रभावशाली अनुश्रवण का अभाव था। अतः योजना के उद्देश्य को पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं किया जा सका था।

### 1.3.21 अनुशंसायें

विभाग को निम्न बातें सुनिश्चित करना चाहिये:

- आँगनबाड़ी केन्द्र को निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये पूरक पोषाहार कार्यक्रम के निधियों का समय पर निर्गत करना;
- लाभार्थियों को मानकों के अनुसार आवश्यक कैलोरी की उपलब्धता प्रदान करना;
- आहार सामग्री के दरों का बाजार दर के अनुरूप पुनरीक्षण किया जाना;
- सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों/लघु आँगनबाड़ी केन्द्र पर मूलभूत आधारभूत सुविधायें प्रदान करना;
- आँगनबाड़ी केन्द्र के समुचित संचालन के लिये औषधि मंजूषा एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा मंजूषा की आपूर्ति किया जाना;
- बा.वि.प.प. महिला, पर्यवेक्षिकाओं और सांख्यिकी सहायकों के रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरना; तथा
- आँगनबाड़ी केन्द्रों का प्रभावशाली पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण।

## 2.1 सरकारी धन का गबन/हानि/धोखाधड़ी

### ग्रामीण विकास, कृषि एवं गन्ना विकास तथा पथ निर्माण विभाग

#### 2.1.1 अग्रिम का वसूली नहीं होना एवं गबन

वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 20.15 लाख अग्रिम की वसूली नहीं होने के अतिरिक्त ₹ 18.44 लाख का गबन।

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) (खण्ड- I) के नियम 86 (ii), (iii), (iv) एवं (v) के अनुसार सभी मौद्रिक लेन-देन घटित होने के उपरान्त यथाशीघ्र रोकड़ बही में दर्ज किया जाना चाहिए जो कार्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित हो। आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी (आ.स.प.) द्वारा रोकड़ बही को प्रतिदिन बंद करने से पूर्व अंतशेष की जाँच करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आ.स.प. द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन करना आवश्यक है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो सके कि रोकड़ बही में दिखाये गये रोकड़ शेष, भौतिक रूप से सत्यापित शेष के बराबर है। आ.स.प. रोकड़ बही में दर्ज राशि को अभिप्रमाणित करने से पहले कोषागार पदाधिकारी या चालान या बैंक पावती या उनका पासबुक को जाँच कर स्वयं संतुष्ट हो लें कि वास्तव में कोषागार या बैंक में राशि जमा हुई है। इसके अतिरिक्त, झा.को.स. के नियम 210 के अनुसार सरकारी कर्मचारी जिन्हें राशि भुगतान करने का कार्य सौंपा गया हो, को सरकार को पूर्व में प्रस्तुत राशि के पुनर्भुगतान सहित उनके द्वारा किये गये प्रत्येक भुगतान के लिए एक स्पष्ट एवं उचित पहचान एवं वर्गीकरण के आवश्यक पूर्ण विवरण सहित प्रमाणक प्राप्त करना चाहिए। प्रस्तुत प्रमाणक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत दावा अग्रसारित करने वाले व्यक्ति या जिसके बदले में दावा अग्रसारित किया गया हो, का हस्ताक्षर युक्त भुगतान की एक पावती या प्रमाणक के साथ एक पावती होनी चाहिए। भुगतान के समय ही पावती प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

चार कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2008 एवं मई 2010 के मध्य) में ₹ 18.44 लाख की सरकारी राशि का गबन/हानि प्रकटित हुआ जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

कार्यालय का नाम	गबन की गई राशि (₹ लाख में)	अभियुक्ति
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (प्र.वि.प.), साहेबगंज	5.50	प्र.वि.प., साहेबगंज, इंदिरा आवास योजना (इ.आ.यो.) के अंतर्गत ₹ 5.50 लाख का एक चेक प्राप्त (अप्रैल 2006) किया एवं युनाईटेड कॉमर्शियल (यूको) बैंक, साहेबगंज (लेखा संख्या-8137) में जमा किया (मई 2006)। प्र.वि.प., साहेबगंज के कार्यालय के रोकड़ बही में उसका न तो प्राप्ति में और न ही भुगतान की ओर लेखे में इन्द्राज किया गया तथा अगस्त 2008 तक सरकारी लेखे से बाहर रखा गया था। इसके अतिरिक्त, कथित राशि को रोकड़ बही में प्राप्ति सितम्बर 2008 में दर्ज की गई थी एवं रोकड़ बही के अंतशेष में ₹ 5.50 लाख की भी बढ़ोत्तरी की थी जबकि यह कथित राशि पहले से ही यूको बैंक के शेष में सम्मिलित था। बैंक में राशि जमा करने के बाद बैंक लेखा एवं रोकड़ बही के मध्य ₹ 5.50

		लाख की विसंगति प्रकट हो रही थी परन्तु भौतिक शेष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था (मई 2010 तक)। प्र.वि.प., साहेबगंज द्वारा कहा गया (मई 2010) कि इ.आ.यो. के लेखे में ₹ 5.50 लाख की कमी देखा गया था एवं तदनुसार उचित कार्रवाई की जा रही थी।
प्र.वि.प., बिश्नुपुर, गुमला	9.15 <sup>1</sup>	प्र.वि.प., बिश्नुपुर, गुमला द्वारा (मई 2001 के पूर्व) ₹ 20.15 लाख (बकाया अग्रिम ₹ 4.67 लाख + योजना अग्रिम ₹ 15.48 लाख) विभिन्न कर्मचारियों को अग्रिम दिया गया था जो नवम्बर 2009 तक बकाया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिन कर्मचारियों को अग्रिम का भुगतान किया गया था उनकी विवरणी एवं अग्रिम पंजी कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावे, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मई 2001 के पूर्व तक रोकड़ बही में ₹ 5.88 लाख मूल्य के असमायोजित वाउचर दिखाया गया था जो जुलाई 2002 तक बढ़कर ₹ 9.04 लाख हो गया था। इसके उपरान्त, ₹ 9.04 लाख की अंतिम शेष को लेकर एक नई वाउचर पंजी प्रारंभ की गई थी एवं एक प्रमाण पत्र दर्ज किया था कि जुलाई 2002 से पूर्व की अवधि का भुगतान समर्थित वाउचर एवं वाउचर पंजी कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार रोकड़ पंजी के अन्त शेष में दर्शाये गये ₹ 9.04 लाख असमाशोधित रह गये। इसके अतिरिक्त, ₹ 2,333 एकल ताले में एवं बैंक में 8,500 की घोषित राशि भी भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थी (जुलाई 2002 से)। प्र.वि.प., बिश्नुपुर द्वारा कहा गया कि मामले की जाँच की जायेगी।
जिला कृषि पदाधिकारी (जि.कृ.प.), पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	3.39	कृषि के लिए किसान मेला का आयोजन करने के लिए कृषि निदेशक, राँची द्वारा निर्गत ₹ 3.39 लाख का एक पेयी चेक जि.कृ.प., पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा प्राप्त किया गया था (मार्च 2006)। उल्लेखित चेक अप्रैल 2010 तक न तो बैंक में जमा किया गया था और न ही रोकड़ बही में लिया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त चेक की निकासी (अप्रैल 2006) जि.कृ.प चाईबासा द्वारा उसी बैंक से की गई जिस बैंक से चेक निर्गत था। रोकड़ बही में इस राशि को (प्राप्ति की ओर) इन्द्राज नहीं किया गया था। व्यय के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कृषि निदेशक की भूमिका की असफलता को भी दर्शाता है जो जि.कृ.प. को दिये गये अग्रिम की राशि को समायोजन सुनिश्चित करने में विफल रहे।
कार्यपालक अभियंता (का.अ.), पथ निर्माण प्रमंडल, देवघर	0.40	का.अ., प.नि.प्र., देवघर के रोकड़ बही के संवीक्षा के दौरान यह प्रकट हुआ कि 17 मार्च 2005 को कोषागार में विपत्र संख्या 128, 131 एवं 132 के विरुद्ध कुल ₹ 1,59,917 की राशि की निकासी की गई थी परन्तु रोकड़ बही की प्राप्ति की ओर केवल ₹ 1,19,917 की कुल राशि ही दर्ज की गई थी। इसके बावजूद, का.अ. द्वारा रोकड़ बही के अंतशेष एवं दर्ज राशि को सत्यापित किया गया एवं इस बात का प्रमाण पत्र अभिलेखित किया गया था कि रोकड़ बही के दोनों ओर की राशि को सत्यापित किया गया था एवं ठीक पाया गया था। इस प्रकार, ₹ 40,000 का गबन किया गया था। मामले को सरकार के पास प्रतिवेदित किया गया था। नवम्बर 2010 तक विभाग द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
<b>कुल</b>	<b>18.44</b>	

इस प्रकार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने के कारण उस समय के प्र.वि.प./ जि.कृ.प./ का.अ. द्वारा ₹18.44 लाख के सरकारी धन को गबन करना सुगम हुआ था।

मामलों को सरकार के पास प्रतिवेदित किया गया था (मई एवं जुलाई 2010 के मध्य)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

<sup>1</sup> ₹ 9.15 लाख = ₹ 9.04 लाख + ₹ 2333 + ₹ 8,500 ।

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

### 2.1.2 सरकार को हानि

संवेदक से उत्पाद शुल्क की वसूली में विभाग की विफलता के कारण ₹ 4.48 करोड़ की हानि।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 47/2002 दिनांक 6 सितम्बर 2002 द्वारा जल संशोधन संयंत्र (ज.सं.सं.) की स्थापना के लिए वांछित सभी अवयवों पर पूर्ण रूप से उत्पाद शुल्क में छूट दिया गया है। स्रोत से असंशोधित जल ज.सं.सं. तक एवं संशोधित जल को भंडारण तक आपूर्ति हेतु आवश्यक पाइपों पर भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त था। उत्पाद शुल्क से छूट ज.सं.सं. स्थापित किये गये जिलों के कलक्टर/जिला दंडाधिकारी/उपायुक्तों द्वारा प्रमाणिकता पर आधारित था।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा मेसर्स नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कं. लिमिटेड को एक इनटेक चैनल, एक इनटेक कुँआ सह असंशोधित जल पम्प घर, असंशोधित जल उठाव मैथन से प्रस्तावित जल संशोधन संयंत्र धनबाद तक और वहाँ से धनबाद एवं गोविन्दपुर में विद्यमान वितरण प्रणाली तक संशोधित जल की आपूर्ति हेतु रायजिंग मेन के लिए कार्यादेश निर्गत किया गया (जुलाई 2004)। कार्य को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि सहित ₹ 109.83 करोड़ की कुल लागत पर आबंटित किया गया। कार्य में ₹ 68.24 करोड़ के कुल मूल्य पर 250 मि.मी. और 1000 मि.मी. के मध्य विभिन्न व्यासों के 79,000 मीटर डी.आई. पाईपों की आपूर्ति का दर आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क के साथ इस कारण से अनुमोदित किया गया था कि निर्माताओं द्वारा सेनवेट जमा नियमों के नियम-6 के अनुसार शुल्क योग्य और गैर-शुल्क योग्य इनपुट की जानकारी के लिए पृथक लेखा का संधारण नहीं किया गया था। यद्यपि, उत्पाद विभाग के निर्देशों के अनुसार, निर्माताओं द्वारा कार्य आबंटन से पहले जून 2004 से ही शुल्क योग्य एवं गैर-शुल्क योग्य वस्तुओं का पृथक लेखों का संधारण किया जा रहा था। सेनवेट जमा नियमों के अनुसार, ऐसी अवस्था में, छूट घोषित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क भुगतान नहीं था। इसके अतिरिक्त संविदा के शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार इन लेखा-जोखा पर उत्पाद विभाग को भुगतान के प्रमाण के लिए निर्माता द्वारा निर्गत केन्द्रीय उत्पाद चालान सह बीजक में आधार मूल्य का आठ प्रतिशत की उत्पाद शुल्क की राशि प्रतिबिंबित होना था। तदनुसार संवेदक द्वारा मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील कॉस्टिंग लिमिटेड, कोलकाता को 79,000 मी. डी.आई. पाईपों का आपूर्ति आदेश दिया गया (जुलाई 2004)। दर लागू उत्पाद शुल्क सहित थे। संवेदक द्वारा 33वें चलंत लेखा विपत्र तक वास्तविक रूप में 82,999.69 मी. डी.आई. पाईपों की आपूर्ति और अधिष्ठापन किया और इसके लिए ₹ 70.90 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया गया।

कार्यपालक अभियंता (ई.ई.), डी.डब्ल्यू. एवं एस. प्रमंडल-1, धनबाद के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल/मई 2009) से निम्न ज्ञात हुआ:

- डी.आई. पाईपों के 82,999.69 मी. पर उत्पाद शुल्क से छूट के लिए संवेदक और निर्माता के पक्ष में उपायुक्त, धनबाद द्वारा यथा हस्ताक्षरित पाँच प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत किया गया।
- संवेदक द्वारा "शून्य" उत्पाद शुल्क इंगित करता निर्माता द्वारा निर्गत चालान सह- बीजक प्रस्तुत किया गया। संविदा में प्रावधान के बावजूद सरकार को भुगतान किये गये उत्पाद शुल्क का कोई प्रमाण नहीं था। उत्पाद शुल्क के भुगतान के प्रमाण के अभाव में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा- 11 बी की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा केन्द्रीय उत्पाद विभाग से शुल्क की वापसी का दावा नहीं किया जा सका। यह पाया गया

कि संवेदक के विपत्र में पहले ही भुगतित उत्पाद शुल्क की राशि की उगाही/वसूली के लिए कोई कार्रवाई किये बिना ही डी.आई. पाईपों के आपूर्ति और अधिष्ठापन के लिए कार्यपालक अभियंता द्वारा ₹ 70.90 करोड़ का भुगतान कर दिया गया।

लेखापरीक्षा पृच्छा के उत्तर में ई.ई. द्वारा बताया गया (मई 2009) कि सेनवेट जमा नियम 2002 और उच्चतर प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार कार्य क्रियान्वित किया गया और भुगतान किया गया। ई.ई. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ई.ई. द्वारा 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क सहित पूर्ण दरों पर पाईप के लिए भुगतान किया गया लेकिन वह संविदा की शर्तों के अनुसार संवेदक से उत्पाद शुल्क के भुगतान का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विफल रहे।

इस प्रकार, संवेदक से उत्पाद शुल्क जैसे अवयव की वसूली में विभाग की विफलता के कारण ₹ 4.48 करोड़ की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, किसी प्रमाण-पत्र के अभाव में, संवेदक द्वारा किया गया उत्पाद शुल्क का भुगतान अभिलेख में नहीं पाया गया और इस लेखा-जोखा में संवेदक को हुए अनुचित लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 2010)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2010)।

## स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

### 2.1.3 सरकार को हानि

निविदा प्रक्रिया या प्रतियोगी बोली के अनुपालन के बिना एक्स-रे फिल्म एवं दवाओं की अत्याधिक मात्रा की अविवेकी क्रय के कारण दवाओं /एक्स-रे फिल्म के कालातीत होने से ₹ 28.81 लाख की सरकार को हानि।

झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 129 के अनुसार लोक सेवा की निश्चित आवश्यकता के लिए सभी तरह के क्रयों को अत्यन्त किफायती ढंग से किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 160 के अनुसार धन के सर्वोत्तम मूल्य के लिए सभी सरकारी क्रयों को पारदर्शी, प्रतियोगी एवं परिष्कृत होना चाहिए।

सदर अस्पताल, दुमका द्वारा 2004-06 में ₹ 7.60 लाख में 400 पैकेट एक्स-रे फिल्मों का क्रय किया गया था जबकि महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (म.गां.चि.म. एवं अ.), जमशेदपुर द्वारा 2006-07 में ₹ 26.70 लाख में 11,27,900 पैकेट दवायें क्रय की गई थीं।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी एवं नवम्बर 2009 के मध्य) में यह पाया गया कि सदर अस्पताल, दुमका में वर्ष 2002-05 के दौरान एक्स-रे फिल्मों की औसत वार्षिक खपत 26.2 पैकेट एवं म.गां.चि.म. एवं अ., जमशेदपुर में विगत तीन वर्षों के दौरान दवाओं की खपत मात्र 30,207 पैकेट था, इसके बावजूद उपर्युक्त क्रय किये गये।

इसके अतिरिक्त अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी एवं नवम्बर 2009 के मध्य) में यह पाया गया कि ₹ 5.69 लाख मूल्य के 302 पैकेट एक्स-रे फिल्म एवं ₹ 23.12 लाख मूल्य की 8,38,787 पैकेट दवाओं की समयावधि उपयोग के बिना खत्म हो गई थी। इस प्रकार बिना आवश्यकता के ही अत्याधिक मात्रा में क्रय किया गया था।

यह भी अवलोकित हुआ कि प्रधान तकनीशियन द्वारा 17 अगस्त 2005 को एक्स-रे फिल्म क्रय करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था जिसे अधीक्षक, सदर अस्पताल, दुमका ने अनुमोदित करते हुए बिना कोई निविदा प्रक्रिया या प्रतियोगी बोली आमंत्रित किये उसी दिन एक गैर-सरकारी अपूर्तिकर्ता को आदेश दिया था।

इसे बताये जाने पर (फरवरी 2009) अधीक्षक, सदर अस्पताल, दुमका द्वारा कहा गया कि विभागीय कार्यवाही की जायेगी जबकि अधीक्षक, म.गां.चि.म. एवं अ., जमशेदपुर द्वारा (नवम्बर 2009) लेखापरीक्षा आपत्तियों को मान लिया गया और कहा गया कि भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा।

इस प्रकार आवश्यकता का मूल्यांकन किये बिना एक्स-रे फिल्मों एवं दवाओं (बिना निविदा प्रक्रिया/प्रतियोगी बोली के) के क्रय करने के कारण सरकार को ₹ 28.81 लाख की परिहार्य हानि हुई।

मामले सरकार के पास (जून 2010) प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

## ग्रामीण कार्य विभाग

### 2.1.4 कपटपूर्ण भुगतान

उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा समुचित अनुश्रवण के अभाव एवं संहितीय प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जाँचों को अपनाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 56 लाख का अपव्ययी व्यय एवं ₹ 1.26 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान।

झारखण्ड लोक कार्य संहिता के नियम 24 एवं 245 के अनुसार, अपने अंचल के अधीन विभिन्न कार्यों के अवस्था का निरीक्षण करना अधीक्षण अभियंता का कर्तव्य था। उनके द्वारा यह भी देखना वांछित था कि मापी समुचित ढंग से दर्ज थी और किये गये कार्य जिसके लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, का वास्तविक मापी का पूर्ण अभिलेख था। इसके अतिरिक्त झारखण्ड लोक कार्य संहिता<sup>2</sup> के अनुसार वन क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण का निपटारा आकलन तैयार करने/कार्य प्रारंभ होने से पहले ही हो जाना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता (ई.ई.), ग्रामीण कार्य विभाग, लोहरदगा के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2008 और मई 2010 के मध्य) से ज्ञात हुआ कि जून 2007 तक पूर्णता के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.-फेज-IV) के अंतर्गत फतेहपुर-ईमु सड़क (लम्बाई 15.32 कि.मी.) के निर्माण के लिए एक संवेदक के साथ ₹ 3.52 करोड़ का अनुबंध कार्यान्वित किया गया (सितम्बर 2006)। चतुर्थ चलन्त लेखा विपत्र तक सितम्बर 2006 और जनवरी 2008 के मध्य ₹ 1.82 करोड़ मूल्य का कार्य क्रियान्वित दिखाया गया था जैसा कि कनीय अभियंता द्वारा मापी किया गया था और सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा उचित ढंग से जाँच और पारित किया गया था। वन विभाग द्वारा बीच में ही कार्य को बंद करवा दिया गया (जनवरी 2008) क्योंकि सड़क का सम्पूर्ण क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत था और नियम के अनुसार वन विभाग से पूर्व में ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। वन विभाग द्वारा पूर्णता के नियत दिनांक के बहुत बाद में अर्थात् जनवरी 2009 में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।

<sup>2</sup> परिशिष्ट ए - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (निगरानी प्रकोष्ठ) संकल्प संख्या 948 दिनांक 16 जुलाई 1986, कंडिका 4.5 एवं 6.3।



लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि ई.ई. के उत्तराधिकारी द्वारा स्थल/कार्य का निरीक्षण किया गया (फरवरी 2008) और प्रतिवेदित किया गया कि कार्य आवश्यक मानदंडों से नीचे था और मापी पुस्तिका में जाली मापी दर्ज किया गया था। ई.ई. द्वारा इसे इंगित करने के पश्चात्, उपायुक्त लोहरदगा द्वारा शिकायत को अन्य विभाग<sup>3</sup> के पदाधिकारियों के दल द्वारा छानबीन करवाया गया (जुलाई 2008) और प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2008) कि संवेदक द्वारा मात्र ₹ 56.20 लाख मूल्य का कार्य क्रियान्वित किया गया था। परिणामस्वरूप, संवेदक को ₹ 1.26 करोड़ का भुगतान क्रियान्वित वास्तविक कार्य से अधिक था। ई.ई. द्वारा पूर्व ई.ई., ए.ई., जे.ई. और संवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया (नवम्बर 2008)। पुलिस के छानबीन के परिणाम की प्रतीक्षा थी (अक्टूबर 2010)। आगे ई.ई. (नवम्बर 2008), एस.ई. (दिसम्बर 2008) और मुख्य अभियंता, झारखण्ड राज्य सड़क विकास प्राधिकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को अनुशंसित किया गया (जुलाई 2009) कि संवेदक को काली सूची में डाल दिया जाये। यह भी पाया गया (मई 2010) कि विभाग जाली मापी अभिलेखित करने के लिए गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई उत्तरदायित्व निर्धारित करने में विफल रहा बल्कि कपटपूर्ण भुगतान के पता चलने से दो वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद संहितीय प्रावधानों<sup>4</sup> के अधीन संवेदक को काली सूची में डालने और वास्तविक किये गये कार्य से अधिक की भुगतित राशि के वसूली के लिए कोई कार्रवाई करने में भी विफल रहा। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया (मई 2010) कि संवेदक पी.एम.जी.एस.वाई. के चरण-V (पैकेज नं. जे.एच.-1501 और जे.एच.-1503) में अभी भी कार्य कर रहा था। यह भी अवलोकित किया गया (मई 2010) कि संवेदक द्वारा कार्यों के विरुद्ध ₹ 26.71 लाख की राशि का जमानत जमा राशि भी, जो विभाग के पास उपलब्ध था, को भी जब्त नहीं किया गया था। विभाग, गलती करने वाले ई.ई. जो 31 जनवरी 2008 को सेवानिवृत्त हो गये, के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि फरवरी/जुलाई 2008 में कपटपूर्ण भुगतान के पता चलने के बहुत बाद जुलाई 2009 में उनके पेंशन एवं सेवानिवृत्त लाभों को स्वीकृत कर दिया गया।

इस प्रकार, संबद्ध अधिकारियों और संवेदक के विरुद्ध विभाग द्वारा संवेदक को कार्रवाई करने में विफलता के कारण संवेदक के साथ सांठ-गांठ में अभियंताओं द्वारा संवेदक को ₹ 1.26 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान की वसूली नहीं हो सकी। इसके अलावे, अपूर्ण सड़कों पर ₹ 56 लाख का अपव्ययी व्यय हुआ क्योंकि ग्रामीण लोगों को सर्व मौसम सड़क प्रदान करने का परियोजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2010)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

## कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग

### 2.1.5 अवसूलनीय अग्रिम

**ठेकेदार को सूदरहित मोबलाइजेशन अग्रिम के रूप में ₹ 2.60 करोड़ का अनुचित लाभ से अग्रिम अवसूलनीय हुआ।**

राज्य सरकार के आदेशानुसार ठेकेदार को मोबलाइजेशन अग्रिम के भुगतान की व्यवस्था नहीं है। केन्द्रीय निगरानी आयोग (के0नि0आ0) द्वारा जारी (दिसम्बर 2004 एवं अप्रैल 2007)

<sup>3</sup> अभियंता, जिला परिषद्, एन.आर.ई.पी., लघु सिंचाई और जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा।

<sup>4</sup> परिशिष्ट "बी" - जे.पी.डब्ल्यू.डी. कोड का 18 (11)

निर्देशानुसार<sup>5</sup> सूदरहित अग्रिम को बढ़ावा नहीं देना है परन्तु कुछ विशेष मामलों में यदि प्रबंधन इसकी आवश्यकता को अनुभव करता है, तो निविदा कागजातों में परिष्कृत रूप से यह निर्दिष्ट होना चाहिये एवं इसकी वसूली निश्चित समयावधि में होना चाहिये तथा इसे कार्य की प्रगति से नहीं जोड़ना चाहिये। अग्रिम की वसूली निश्चित रूप से होना चाहिये ताकि इस तरह के अग्रिम को कम किया जा सके। मोबालाइजेशन अग्रिम के विरुद्ध वसूलनीय प्रस्तावित किस्तों के लिये कई बैंक प्रतिभूतियाँ लेना चाहिये एवं यह प्रत्येक किस्त राशि के बराबर होना चाहिये। इस तरह अग्रिम की वसूली निश्चित करने के लिये बैंक प्रतिभूतियों को भुनाया जा सकेगा।

राष्ट्रीय खेल संगठन समिति (रा0खे0सं0स0), झारखंड ने 15 से 28 फरवरी 2009 के दौरान 34वाँ राष्ट्रीय खेल संगठित करने का निश्चय किया था। इसके लिये मेसर्स वीजक्राफ्ट इंटरनेशनल इंटरटेन्मेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई के साथ घटना प्रबंधन हेतु ₹ 8.65 करोड़ का संविदा (नवम्बर 2008) किया गया था एवं इनको मोबालाइजेशन अग्रिम के रूप में ₹ 2.60 करोड़ का भुगतान (दिसम्बर 2008) किया गया था।

रा0खे0सं0स0 के अभिलेखों की संविधा (नवम्बर/दिसम्बर 2009) में पाया गया कि के0नि0आ0 के परिपत्र में उल्लेखित नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते हुये इनके द्वारा ₹ 2.60 करोड़ का सूदरहित मोबालाइजेशन अग्रिम जो निविदा मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर था का भुगतान किया था। निविदा सूचना आमंत्रण (सं0सू0आ0) में मोबालाइजेशन अग्रिम के रूप में दी जानेवाली राशि एवं मोबालाइजेशन अग्रिम पर लगाये जाने वाली ब्याज दर के संबंध में कुछ भी चर्चा नहीं किया गया था। के0नि0आ0 के परिपत्र में उल्लेखित नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते हुये, रा0खे0सं0स0 ने ठेकेदार को बैंक प्रतिभूति के स्थान पर ₹ 2.60 करोड़ का उत्तर दिनांकित चेक प्रस्तुत करने का अनुमति दिया था। लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त यह भी पाया कि जब कि कथित ठेकेदार द्वारा मोबालाइजेशन अग्रिम के विरुद्ध दी गई बैंक प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत ₹ 2.60 करोड़ के उत्तर दिनांकित चेक की ग्राह्यता अवधि पहले ही समाप्त हो गई थी रा0खे0सं0स0 ने 5 अक्टूबर 2009 को संविदा को एकतरफा समाप्त कर दिया था। परिणामस्वरूप, रा0खे0सं0स0 ने कथित चेक को भुना नहीं सका। जबकि यह कथित संविदा के विरुद्ध बैंक ड्राफ्ट एवं बयाना जमा राशि के रूप में पड़े हुये सुरक्षित जमा राशि ₹ 86.51 लाख को भुनाने की स्थिति में था परन्तु अभिलेखों में पाया गया कि इस तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई थी (दिसम्बर 2009)।

उत्तर में, रा0खे0सं0स0 ने कहा (दिसम्बर 2009) कि दिनांकित चेक को पुनर्वैधीकरण करने के लिये पत्राचार किया जा रहा है परन्तु मेसर्स वीजक्राफ्ट ने पावर बैंकअप का मुद्दा उठा दिया जिससे इसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया था।

सरकार के हित की उचित सुरक्षा के बिना संविदा मूल्य के 30 प्रतिशत मोबालाइजेशन अग्रिम भुगतान के सत्यता के मद्देनजर रा0खे0सं0स0 का उत्तर संतोषजनक नहीं था। यह न केवल के0नि0आ0 के निर्देशों का उल्लंघन करते हुये बैंक प्रतिभूति के स्थान पर चेक स्वीकार करने के लिये राजी हुआ था परन्तु मोबालाइजेशन अग्रिम की वसूली तक चेक की वैधता को बरकरार रखने में भी असफल रहा था।

इस प्रकार, रा0खे0सं0स0 द्वारा ठेकेदार को ₹ 2.60 करोड़ की अनुचित सहायता दी गई थी। परिणामस्वरूप, ठेकेदार को दी गई ₹ 2.60 करोड़ की मोबालाइजेशन अग्रिम वसूल होने की संभावना दूर हो गई।

<sup>5</sup> परिपत्र सं. 004/ओ.आर.डी./9 दिनांक 10 दिसम्बर 2004 और सं. 4 सी.सी.-1सी.टी.इ.-2 दिनांक 10 अप्रैल 2007।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2010) एवं इसके बाद अगस्त 2010 एवं अक्टूबर 2010 के मध्य स्मार पत्र जारी किये गये थे। उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

## 2.2 आधिक्य/अपव्ययी/निष्फल व्यय

### पथ निर्माण, जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता और भवन निर्माण विभाग

#### 2.2.1 आधिक्य भुगतान

संविदा की शर्तों में सरकारी निर्णयों का समाविष्ट नहीं होने/आंशिक समाविष्टि के परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 7.21 करोड़ आधिक्य भुगतान।

मंत्री-मंडल के अनुमोदन पर आधारित, झारखण्ड सरकार, पथ निर्माण विभाग, राँची द्वारा निर्णय लिया गया (26 मार्च 2002) कि ₹ 10 लाख से अधिक के संविदा के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों की आपूर्ति विभाग द्वारा नहीं करके संवेदक द्वारा ही किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि कार्य में संवेदकों द्वारा आपूर्ति और उपयोगित, ढुलाई एवं संवेदक लाभ सहित निर्माण सामग्रियों जैसे बिटुमिन, सीमेंट, स्टील, रॉड, पाईप एवं अन्य सामग्रियों की लागत पर संवेदकों को निविदित परिमाण विपत्र (प्रीमियम दर) के ऊपर "अनुमोदित प्रतिशत दर" भुगतान नहीं थी। यह पाया गया कि दर निर्धारण समिति द्वारा तैयार दरों की अनुसूची में सामग्रियों के लागत सहित प्रत्येक इकाई के लिए संवेदक के लाभ के रूप में 10 प्रतिशत सन्निहित था। मंत्री-मंडल के निर्देशन पर पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार सामग्रियों का प्रीमियम दर का भुगतान राज्य के सभी कार्य विभागों द्वारा नहीं किया जाना था। विभागों के सभी प्रधानों द्वारा समर्थित, आदेश राज्य गजट में मुद्रित किया गया था और प्रत्येक वर्ष दरों की अनुसूची में प्रकाशित किया जा रहा था।

छह प्रमंडलों<sup>6</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2009 और मार्च 2010) से ज्ञात हुआ कि कार्यपालक अभियंता द्वारा 3 से 34.25 प्रतिशत तक के प्रीमियम दरों पर ₹ 489.34 करोड़ की 17 संविदा (एफ-2 अनुबंध) क्रियान्वित किये गये (2006-07 और 2008-09 के मध्य)। यह भी अवलोकित किया गया कि उपरोक्त अंकित सरकारी निर्णय का उपेक्षा किया गया और यह शर्त कि सामग्रियों के लागत पर प्रीमियम दरों का भुगतान नहीं किया जायेगा, किसी भी संविदा में समाहित नहीं किया गया था। यह पाया गया कि केवल एक संविदा के मामले में यह अंकित था कि मात्र बिटुमिन के लागत पर प्रीमियम दर का भुगतान नहीं किया जायेगा। संविदा/अनुबंधों में समुचित शर्तों के अभाव में सरकारी आदेश का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए ₹ 42.01 करोड़ के ढुलाई एवं लाभ सहित संवेदकों द्वारा स्वयं की आपूर्ति एवं उपयोगित सामग्रियों के लागत पर ₹ 7.21 करोड़ की राशि का प्रीमियम दरों पर अनियमित भुगतान (परिशिष्ट 2.1) किया गया।

इस प्रकार, संविदा की शर्तों में सरकारी निर्णयों को समाविष्ट नहीं करने/आंशिक समाविष्टि करने के कारण संवेदकों को ₹ 7.21 करोड़ का आधिक्य भुगतान हुआ। सरकारी आदेशों की उपेक्षा करने और संवेदकों को ₹ 7.21 करोड़ के आधिक्य (मई 2010) भुगतान करने कि लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सरकार को मामला प्रतिवेदित किया गया (जून 2010)। संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग एवं अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बताया गया (सितम्बर 2010) कि मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ, बिहार, पटना (दिसम्बर 1983, जून

<sup>6</sup> (1) पथ प्रमंडल, गढ़वा (11) स्वर्णरेखा नहर प्रमंडल, गंगुडीह (11) स्वर्णरेखा नहर प्रमंडल, जमशेदपुर (4) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जमशेदपुर (5) पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, सरायकेला, और (6) भवन निर्माण विशेष प्रमंडल, राँची।

1989 एवं सितम्बर 1989) के अनुसार संवेदकों को मजदूरी के साथ-साथ उनके द्वारा क्रय किये गये सामग्रियों पर प्रीमियम दर की अनुमति होगी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि झारखण्ड सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा मार्च 2002 में पारित संकल्प का अनुपालन नहीं किया गया यद्यपि यह सभी विभागों में लागू था, जो पूर्ववर्ती आदेशों को स्वतः ही हटा दिये।

## पथ निर्माण विभाग

### 2.2.2 आधिक्य भुगतान

**संविदा के बंधों एवं शर्तों की गलत व्याख्या के कारण ₹ 1.32 करोड़ के अमान्य राशि के भुगतान के जरिये संवेदक को अनुचित वित्तीय लाभ।**

मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), राँची के अनुमोदन (मई 2006)के आधार पर कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लातेहार द्वारा ₹ 30.28 करोड़ के तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन के विरुद्ध ₹ 29.47 करोड़ के कुल लागत पर कुटमु-गारू-महुदार पथ (0 से 84 कि.मी.) के चौड़ीकरण और सशक्तीकरण के लिए मेसर्स मीनी कंस्ट्रक्शन डाल्टेनगंज के साथ अनुबंध क्रियान्वित (अगस्त 2006) किया गया। कार्य को मानक नीलामी दस्तावेज के जरिये से इकाई दर संविदा आधार पर आबंटित किया गया, जहाँ इकाई दरों को संवेदक द्वारा स्वयं ही प्रस्तावित किया गया था जिसमें उनका लाभ भी सम्मिलित था। कार्य को पूर्ण करने का नियत समय 24 महीने यानि जुलाई 2008 था। पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं. 405 (एस.) दिनांक 31 जनवरी 2004 के अनुसार लिये गये निर्णय के आधार पर संविदा के बंध एवं शर्तों में प्रदत्त था कि कार्य में आपूरित एवं उपयोगित बिटुमिन का "वास्तविक क्रय के विरुद्ध मूल बीजकों के आधार पर मूल्य" और "अनुबंध के अनुसार स्वीकार्य दर" के बीच अंतर लागत की प्रतिपूर्ति करना था। बिटुमिन के अंतर लागत पर संवेदक लाभ के भुगतान के लिए प्रावधान नहीं था।

पथ निर्माण प्रमंडल, लातेहार के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2010) से ज्ञात हुआ कि संवेदक द्वारा ₹ 30.03 करोड़ (नवम्बर 2009 तक भुगतित) मूल्य का कार्य क्रियान्वित किया गया और पथ कार्यों में 3,847.25 मी.ट. बिटुमिन का उपयोग किया गया था। का.अ., लातेहार द्वारा अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण अंचल, डाल्टेनगंज के अनुमोदन पर ₹ 7.48 करोड़ की राशि दुलाई सहित बिटुमिन के अंतर लागत का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि राशि में दुलाई सहित बिटुमिन के बीजकीय लागत पर संवेदक लाभ (10 प्रतिशत) के रूप में ₹ 1.32 करोड़ सम्मिलित थे, जो विभाग की अधिसूचना और संविदा की शर्तों के अनुसार अनुमत नहीं थे। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, बिटुमिन का अंतर लागत बिटुमिन के मूल्य में बढोत्तरी के आलोक में संवेदक को क्षतिपूर्ति किया जाना था लेकिन अंतर लागत की क्षतिपूर्ति के अलावा बढे हुए मूल्य पर 10 प्रतिशत का संवेदक लाभ भी अनुमान्य किया गया जो अनुमत नहीं था।

इस प्रकार, का.अ./अ.अ. द्वारा संविदा के बंधों एवं शर्तों की गलत व्याख्या संवेदक को अमान्य वित्तीय लाभ देने के लिए किया गया, जिसके कारण ₹ 1.32 करोड़ की गैर-अनुमत राशि का आधिक्य भुगतान हुआ। अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, विभाग के संबद्ध अधिकारियों या संवेदक से राशि वसूलनीय थी जिसे अभी तक नहीं किया गया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2010)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2010)।

## भवन निर्माण विभाग

### 2.2.3 आधिक्य भुगतान

**निविदा आमंत्रण सूचना के प्रावधानों का उल्लंघन कर सीमा शुल्क की वापसी के फलस्वरूप एक संवेदक को ₹ 13.81 करोड़ का अधिक भुगतान एवं अनुचित लाभ।**

कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामलों के विभाग (ए.सी.एस.वाई.ए.डी.), झारखण्ड सरकार ने राष्ट्रीय खेल 2007 के आयोजन के लिए ₹ 206 करोड़ के अनुमोदित प्राक्कलित राशि पर होटवार (राँची) में एक वृहत् खेल परिसर के निर्माण का निर्णय लिया (मार्च 2005)। विशेष कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग (भ.नि.वि.), राँची, झारखण्ड को यह कार्य चार भागों में कराना था। द्वि-निविदा पद्धति के तहत निविदायें आमंत्रित की गईं (मई 2005) थीं। परामर्शी मेनहर्ट एस.ए.ए. ने मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (एन.सी.सी.एल.) को इस आधार पर पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया (जुलाई 2005) कि एजेंसी के पास निविदा आमंत्रण सूचना में निर्दिष्ट आवश्यक अनुभव नहीं था। इसके बावजूद, सचिव ए.सी.एस.वाई.ए.डी. के आदेशानुसार निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों में ढील देते हुए एन.सी.सी.एल. की दर पर निविदा खोली गई (फरवरी 2008) तथा कम्पनी को उसके उद्धृत दर ₹ 171.48 करोड़ पर भाग-II के लिए न्यूनतम निविदादाता घोषित किया गया जो कि इस भाग के लिए प्राक्कलित राशि ₹ 130.33 करोड़ से 31.57 प्रतिशत अधिक था। भाग-II के कार्यों के अन्तर्गत मुख्य स्टेडियम के छतरी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले 13,278 वर्ग मीटर पी.टी.एफ.ई.<sup>7</sup> लेपित तन्ययुक्त फाइबर ग्लास चादर का निरूपण, अभियांत्रिकी, निर्माण तथा अधिष्ठापन ₹ 13,090 प्रति वर्ग मीटर के उद्धृत दर पर करना था, जिसमें सभी कर एवं शुल्क सम्मिलित थे। कार्य आबंटन के अनुमोदन के दौरान सचिव, ए.सी.एस.वाई.ए.डी. ने अत्यधिक लागत के आधार पर पी.टी.एफ.ई. छत कार्य को संविदा के कार्यक्षेत्र से हटाने का निर्णय लिया (मई 2006) तथा एन.सी.सी.एल. के साथ ₹ 152.22 करोड़ की कुल लागत पर एक एकरारनामा किया (मई 2006)।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कार्य आबंटन की तिथि से 21 महीने के पश्चात् विभाग ने पी.टी.एफ.ई. छतरी के निर्माण का निर्णय लिया (फरवरी 2008) जो पहले एन.सी.सी.एल. को आबंटित संविदा के कार्यक्षेत्र से इस आधार पर हटा लिया गया था (मई 2006) कि प्रस्तावित पी.टी.एफ.ई. की लागत बहुत अधिक थी, उसे एन.सी.सी.एल. को अतिरिक्त मद के रूप में ₹ 13,549 प्रति वर्ग मीटर के बढ़े हुए समझौता दर पर आवंटित किया गया जो ₹ 459 प्रति वर्ग मीटर अधिक था।

कार्यपालक अभियंता, विशेष कार्य प्रमंडल, भ.नि.वि., राँची के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी एवं मार्च 2010 के मध्य) में निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

- हालांकि पूर्व एकरारनामा के अनुसार पी.टी.एफ.ई. छत का मूल्य ₹ 17.38 करोड़ था, परन्तु विभाग ने जब पुनः उसी पी.टी.एफ.ई. छत के प्रयोग का निर्णय लिया तो वर्तमान बाजार मूल्य का आकलन करने के लिए कार्य का पुनर्निविदा नहीं किया। प्रस्तावित कार्य के मूल्यांकन हेतु संवेदक से इस अतिरिक्त मद का दर विश्लेषण भी नहीं लिया गया। लेखापरीक्षा ने हालांकि पी.टी.एफ.ई. छत के लिए संवेदक की प्राप्ति एवं संवेदक के व्यय का स्वयं विश्लेषण किया जो ₹ 9.94 करोड़ के अधिक भुगतान को इंगित करता था (परिशिष्ट 2.2)। दर विश्लेषण किये बगैर समझौता के आधार पर एकमात्र पक्ष को कार्य आबंटन, झारखण्ड लोक निर्माण कार्य विभाग (झा.लो.का.वि.) संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध था।

<sup>7</sup> उच्च गुणवत्ता वाले पी.टी.एफ.ई. के परत वाले फाइबर ग्लास तन्य मेम्ब्रेन फॅब्रिक के निरूपण, अभियांत्रिकी, पैटर्निंग, फॅब्रीकेशन, आपूर्ति एवं अधिष्ठापन।

- उचित विकल्प का निर्धारण किये बगैर भाग-II की संविदा से पी.टी.एफ.ई. छत को हटाना तथा बाद में इसी कार्य को उसी एजेंसी से बढ़े हुए दर पर कराने के फलस्वरूप ₹ 51.88 लाख<sup>8</sup> का परिहार्य व्यय हुआ।
- निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त 73.1 के अनुसार एकरारित दर के अंदर आयातित विशिष्ट वस्तु के संदर्भ में समस्त लागत, अधिभार, शुल्क, कर आदि का भुगतान संवेदक को करना था। कार्य संपादन के पश्चात् संवेदक ने सीमा शुल्क की वापसी की मांग इस आधार पर की (जनवरी 2009) कि पी.टी.एफ.ई. छत के लिए इसका दर सीमा शुल्क को छोड़कर था। यह पाया गया कि विभाग की सहमति के पश्चात् संवेदक को सीमा शुल्क के रूप में ₹ 1.40 करोड़ वापस कर दिये गये (परिशिष्ट 2.3)। यह संवेदक को अनुचित लाभ प्रदान करना था।
- सीमा शुल्क की अदायगी के लिए प्रस्तुत चालान के अनुसार संवेदक ने यद्यपि केवल 9,866 वर्ग मीटर पी.टी.एफ.ई. छत चादर का आयात किया था, परन्तु प्रमंडल ने 11,302.357 वर्ग मीटर मात्रा की मापी की तथा तदनुसार भुगतान किया जिसके कारण ₹ 1.95 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा पृच्छा के उत्तर में कार्यपालक अभियंता ने जबाव दिया कि सचिव के आदेशानुसार भुगतान किया गया, परन्तु आगे उत्तर के लिए मामले को संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

इस प्रकार, परामर्शी के मत के विपरीत एन.सी.सी.एल. को कार्य आवंटन, पी.टी.एफ.ई. छत को संविदा के कार्यक्षेत्र से हटाना, पुनर्निविदा के बगैर उसी कार्य को बढ़े हुए दर पर पुनः आबंटित करना, पी.टी.एफ.ई. छत की अधिक मापी तथा निविदा आमंत्रण सूचना के प्रावधानों का उल्लंघन कर सीमा शुल्क की अदायगी के फलस्वरूप संवेदक को ₹ 13.81 करोड़ का अधिक भुगतान तथा अनुचित लाभ दिया गया। वित्तीय अनियमितता तथा सरकार को हानि पहुँचाने के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध मई 2010 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2010)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

## पथ निर्माण विभाग

### 2.2.4 निरर्थक व्यय

निम्न स्तर के कार्य संपादन से अवगत होने के बावजूद कार्यपालक अभियंता ने ₹ 9.92 करोड़ का भुगतान किया जो निरर्थक साबित हुआ। वे ₹ 1.06 करोड़ की क्षतिपूर्ति की वसूली तथा ₹ 77.97 लाख के बैंक प्रतिभूति को भुनाने में भी विफल रहें।

केन्द्रीय सड़क निधि के तहत सारठ-पालजोरी सड़क (20 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति पोत-परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ₹ 15.97 करोड़ के लिए प्रदान की गई (मार्च 2007) तथा तकनीकी स्वीकृति (मई 2007) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची द्वारा ₹ 16.54 करोड़ के लिए प्रदान की गई। कार्यपालक अभियंता (का.अ.) ने संवेदक के साथ ₹ 15.59 करोड़ का एक एकरारनामा किया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 25 जुलाई 2007 थी तथा समाप्ति की निर्धारित तिथि 24 जनवरी 2009 थी। त्रुटि दायित्व अवधि सड़क के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि से एक वर्ष पश्चात् तक थी।

<sup>8</sup> मात्रा जिसका दावा किया गया - 11302.537 वर्ग मी. x ₹ 459 ।



संविदा की शर्तें 13 के अनुसार, संविदा के अनुकूल कार्य नहीं होने पर संवेदक अपनी लागत पर पूर्ण अथवा आंशिक कार्य को पुनः करने या ठीक करने के लिए उत्तरदायी था अथवा खराब कार्य/दोषयुक्त या अदक्षतापूर्ण कार्य या निम्न दर्जे की सामग्री से किये गये कार्य के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी था। अन्यथा, ऐसे कार्य को संवेदक के जोखिम एवं लागत पर किसी दूसरे एजेंसी से कराना था।

का.अ. पथ निर्माण प्रमंडल (प.नि.प्र.), देवघर के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2009 एवं मार्च 2010) में निम्नलिखित उद्घाटित हुए:

- संवेदक ने अगस्त 2007 में कार्य प्रारम्भ किया तथा ₹ 91.23 लाख के प्रथम चालू विपत्र का भुगतान 30 अक्टूबर 2007 को पाया। जबकि का.अ., प.नि.प्र., देवघर ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया (12 अक्टूबर 2007) तथा ग्रेनुलर सब बेस (जी.एस.बी.) के निर्माण में अनियमितता पाया जहाँ जस्ली अनुपात में पत्थर मेटल एवं पत्थर चूर्ण का उचित मिश्रण नहीं था तथा बड़े आकार के मेटल का उपयोग किया गया था। निम्न आकार के मेटल तथा पत्थर चूर्ण के उचित मिश्रण के इस्तेमाल के बिना दरार/रिक्त उत्पन्न होता। पुनः यांत्रिक मिश्रण के लिए रोटेटर (एक मशीन) का इस्तेमाल नहीं किया गया था तथा संपीडन बगैर उचित पानी छिड़काव एवं रौलींग के किया गया था। चूँकि संवेदक विशिष्टता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा था, तत्कालीन का.अ. ने संवेदक को जी.एस.बी. में उत्पन्न दोष को सुधारने का निर्देश दिया (15 अक्टूबर 2007) क्योंकि ये दोष जी.एस.बी./ वाटर बाउण्ड मैकाडेम (डब्ल्यू.बी.एम.) में निश्चित रूप से रिक्त स्थान उत्पन्न करता एवं अन्ततोगत्वा सड़क परत टूट जाती। का.अ., प.नि.प्र. ने यह भी कहा कि वे इस तरह के अनुचित कार्य के भुगतान के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
- का.अ. द्वारा पाये गये दोषों के मद्देनजर, अधीक्षण अभियंता (अ.अ.) पथ निर्माण अंचल, दुमका ने का.अ. को पुराने कार्यों को रद्द करने का निर्देश दिया (13 नवम्बर 2007) तथा यह सुनिश्चित करने को कहा कि परिमाण विपत्र के मुताबिक आवश्यक मशीनों एवं उपकरणों को इस्तेमाल करते हुए दोषपूर्ण कार्यों का पुनर्कार्यान्वयन गुणवत्ता के साथ हो अन्यथा सड़क टूट जायेगी। यह देखा गया कि संवेदक द्वारा दोषयुक्त कार्यों का सुधार नहीं किया गया। कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, का.अ. तथा अ.अ. ने पुनः जी.एस.बी. में बड़े आकार के पत्थर मेटल का उपयोग एवं डब्ल्यू.बी.एम. पर पानी के छिड़काव का नहीं होना पाया (दिसम्बर 2007 से फरवरी 2008 के मध्य)। सामग्रियों के इस्तेमाल में अनियमितता तथा निम्न स्तर के कार्य सम्पादन को उजागर करने के उपरांत भी संवेदक ने दोषों को सुधार किये बगैर कार्य को 5 दिसम्बर 2008 तक (अंतिम मापी की तिथि) जारी रखा तथा तत्कालीन का.अ. ने अक्टूबर 2007 से दिसंबर 2008 के मध्य 10 चालू विपत्रों के माध्यम से ₹ 9.92 करोड़ का भुगतान किया।
- का.अ. ने आगे सड़क परत निर्माण में दोषपूर्ण मिट्टी एवं डब्ल्यू.बी.एम. कार्य तथा उनका संपीडन, संविदा में दी गई मुटाई से कम मुटाई में अलकतरा परत<sup>9</sup> की कार्य जैसी अनियमितताएँ पाया (फरवरी 2009) तथा संवेदक को दोषों को सुधारने के लिए स्मारित किया (फरवरी से जून 2009 के मध्य) क्योंकि ये दोष भविष्य में सड़क के टूट जाने का कारण बनते। संवेदक ने मार्च 2010 तक न तो दोषों का निवारण किया और न ही कार्य को पूरा किया। फलस्वरूप, मिट्टी कार्य का संपीडन/रौलींग न होने तथा जी.एस.बी. तथा डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य विशिष्टि के अनुरूप न होने के कारण बनी हुई सड़क परत लगभग सम्पूर्ण लम्बाई में पूरी तरह टूट गई। उपायुक्त, देवघर (सितम्बर 2009) तथा का.अ.,

<sup>9</sup> वील्ट अप स्त्रे ग्राउट 75 मि.मी. के बदले 48 से 58 मि.मी. की मोटाई बिटुमिनस मैकेडम 50 मि.मी. के बदले 32 से 42 मि.मी. की मोटाई और बिटुमिनस मैकेडम का सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट से प्रावधान के अनुसार तुरंत नहीं ढका गया।



प.नि.प्र., देवघर (अक्टूबर 2009) ने सड़क के टूटने का प्रतिवेदन क्रमशः सचिव तथा उप-सचिव, पथ निर्माण विभाग को प्रेषित किया (सितम्बर और अक्टूबर 2009)। इस तथ्य के बावजूद कि सड़क कार्य निम्न स्तर का था तथा सड़क परत पूरी तरह टूट गई, संविदा की शर्तों के अनुसार का.अ., अ.अ. तथा विभाग द्वारा संवेदक के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गयी।

- संवेदक ने जमानत के रूप में ₹ 77.97 लाख की दो बैंक प्रतिभूतियाँ (बैं.प्र.) जमा की थी जो जुलाई 2009 तक वैध थीं। संवेदक ने न तो कार्य पूर्ण किया न ही बैं.प्र. की वैधता अवधि विस्तारित की। विभाग समय रहते बैं.प्र. के पुनर्वैधीकरण को सुनिश्चित करने में विफल रहा। का.अ. भी बैं.प्र. की शर्तों के अनुसार इन्हें भुनाने के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहें।
- समय से कार्य पूर्ण नहीं होने के पश्चात भी संविदा की शर्तों के अनुसार ₹ 1.56 करोड़ (प्राक्कलित संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत) की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली संवेदक से नहीं की गई।

इस प्रकार, निम्न स्तर के कार्य संपादन तथा संवेदक द्वारा गंभीर अनियमितताएं किये जाने से अवगत रहने के बावजूद तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा ₹ 9.92 करोड़ का भुगतान निरर्थक साबित हुआ। इसके अलावे, संवेदक से ₹ 1.06 करोड़ (₹ 1.56 करोड़-प्रतिभूति जमा से समायोजित/वसूल ₹ 49.58 लाख) की क्षतिपूर्ति राशि तथा ₹ 77.97 लाख का जमानत राशि वसूलनीय था। विभाग द्वारा उस का.अ. के विरुद्ध जो निम्न स्तर के कार्य के लिए अक्टूबर 2010 तक भुगतान किया, कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसे उद्घृत करने पर का.अ. ने जवाब (अप्रैल 2010) में कहा कि संवेदक को दोषपूर्ण कार्य को सुधारने के लिए तथा आवश्यक जमानत जमा करने के लिए स्मारित किया गया था। उन्होंने पुनः कहा कि मामला पहले ही उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जा चुका था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 2010)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

### 2.2.5 निरर्थक व्यय

**भूमि का अधिग्रहण किये बगैर कार्य संपादन के फलस्वरूप बीच में ही कार्य में रुकावट एवं ₹ 1.83 करोड़ का निरर्थक व्यय के अलावे ₹ 19.01 लाख की सरकार को हानि।**

झारखण्ड लोक निर्माण लेखा संहिता<sup>10</sup> में यह प्रावधान है कि ऐसी परियोजना जिसमें भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है उसको तकनीकी रूप से स्वीकृत तथा उसमें कार्यों का आबंटन केवल अधिग्रहण के पश्चात ही किया जाए। झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 126 में यह निर्दिष्ट है कि निर्माण कार्य शुरू करने के पूर्व सभी कार्यों का उचित एवं विस्तृत प्राक्कलन अवश्य तैयार किया जाय तथा सक्षम पदाधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय। पुनश्च, एक सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए भारतीय रोड काँग्रेस के मानकों के अनुसार सड़क के यातायात घनत्व के आकलन के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

राहे-सीताफल सड़क (लम्बाई 11.4 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), राँची द्वारा ₹ 6.03 करोड़ के लिए प्रदान की गई (अगस्त 2005)। निविदा (सितम्बर 2005) के पश्चात् कार्यपालक अभियंता (का.अ.), पथ निर्माण प्रमंडल, राँची (ग्रामीण) ने संवेदक के साथ ₹ 5.89 करोड़ का एकरारनामा (मार्च 2006) किया जहाँ कार्य समाप्ति की निर्धारित अवधि जून 2007 तक थी। एकरारनामा इस तथ्य के बावजूद किया गया कि कार्य की तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गई थी।

<sup>10</sup> परिशिष्ट 'ए' मंत्री-मंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सतर्कता कोषांग) संकल्प सं.-948 दिनांक 16 जुलाई 1986, कंडिका 4.5।

वस्तुतः, कार्य आबंटन के आठ माह पश्चात नवम्बर 2006 में मुख्य अभियंता, केंद्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची द्वारा ₹ 5.83 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। तकनीकी स्वीकृति के बगैर कार्य का आबंटन झा.लो.नि.वि. संहिता<sup>11</sup> का स्पष्ट उल्लंघन था। तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न तकनीकी टिप्पणी के अनुसार सड़क पथ एवं परिवहन पथ की चौड़ाई का प्रावधान क्रमशः 9 मीटर एवं 5.5 मीटर था। तथापि उपलब्ध भूमि की चौड़ाई मात्र एक/2.5 मीटर से सात मीटर के बीच थी।

का.अ., पथ निर्माण प्रमंडल, राँची के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2010) में यह उद्घाटित हुआ कि आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए का.अ. ने उपायुक्त, राँची के यहाँ एक आवेदन जमा किया (9 अगस्त 2007) जो स्वीकृत नहीं हुआ क्योंकि यह 1971-72 के सर्वेक्षण नक्शा पर आधारित था जो सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं था। मार्च 2010 तक का.अ. 1932-33 के वांछित नक्शे के अनुरूप अभिलेख जमा कराने में सक्षम नहीं हुए क्योंकि यह संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध नहीं था और इस प्रकार मार्च 2010 तक आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ। इसी बीच, संवेदक ने एक कि.मी. से 8.6 कि.मी. तक उपलब्ध भूमि पर बॉक्स कटिंग एवं सड़क पर मिट्टी कार्य, ग्रेनुलर सब बेस (जी.एस.बी.) तथा वाटर बाउण्ड मैकाडम (डब्ल्यू.बी.एम.) - II एवं III का कार्य कर दिया। वाहनों के निर्विघ्न आवागमन तथा सड़क को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए जस्सी डब्ल्यू.बी.एम. के ऊपर अलकतरा परत का कार्य बिलकुल नहीं किया गया। संवेदक ने आरेखित एवं बननेवाले 36 पुलियों में से केवल 17 पुलियों पर ही कार्य किया। यद्यपि अनुमोदित नक्शे/आरेखन के अनुरूप 9 मीटर की पूर्ण चौड़ाई में कार्य नहीं हुआ, फरवरी 2008 तक निष्पादित ₹ 1.83 करोड़ मूल्य के कार्य को का.अ. द्वारा स्वीकृत किया गया तथा भुगतान कर दिया गया। अन्ततः का.अ. ने एकरारनामा को विखण्डित कर दिया (मई 2009) तथा अंतिम मापी ले लिया (जून 2009)।

पुनश्च संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि पूर्व में नौवां चालू विपत्र तक भुगतान की गई राशि ₹ 1.83 करोड़ के विरुद्ध दसवां एवं अंतिम विपत्र केवल ₹ 1.64 करोड़ का तैयार हुआ। यह राशि वसूल नहीं हो सकी क्योंकि जमानत जमा के रूप में प्राप्त ₹ 29.47 लाख का बैंक प्रतिभूति (बैं.प्र.) कालातीत हो गया एवं का.अ. इसका पुनर्विधीकरण कराने या इसकी वैधता की अवधि के भीतर इसको भुनाने में विफल रहा। अधिक मापी तथा बैं.प्र. के कालातीत हाने के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की (मार्च 2010)। लेखापरीक्षा में पुनः यह देखा गया कि पूर्ण चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण किये बिना संहिता के प्रावधानों के विपरीत कार्य आवंटित किया गया तथा कार्य की शुरुआत की गई जिसके फलस्वरूप सीमित चौड़ाई में ही सड़क का आंशिक कार्य (1 से 8.6 कि.मी. तक) किया गया जिसके लिए भूमि उपलब्ध थी और वह भी केवल डब्ल्यू.बी.एम.-III तक। कुछ खण्डों में सड़क केवल 2.5 मीटर की चौड़ाई में बनी जो वाहनों के चालन के लिए पर्याप्त<sup>12</sup> नहीं था जिसके कारण इसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना थी। अधीक्षण अभियंता (अ.अ.), पथ अंचल, प.नि.वि., राँची ने मुख्य अभियंता (यातायात) को एक प्रतिवेदन प्रेषित किया (जून 2008) जिसमें कहा गया कि सड़क पर वाहनों का परिचालन न्यूनतम था, यातायात घनत्व कम था तथा पथ में वहाँ भी जहाँ चौड़ाई 3 मीटर से कम थी अलकतरा कार्य को पूरा करने के पश्चात ही उद्देश्य को पूरा किया जा सकता था। यह भी कहा गया कि पथ के 8.6 कि.मी. से 11.4 कि.मी. के बीच फिर से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की जरूरत थी। अ.अ. ने कार्य को पूरा करने हेतु ₹ 7.94 करोड़ की एक पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया (फरवरी 2010) जो स्वीकृत प्राक्कलन से 31.77 प्रतिशत अधिक था। इसको अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया था।

<sup>11</sup> झारखण्ड लोक कार्य विभाग संहिता के नियम 126।

<sup>12</sup> वाहनों के परिचालन हेतु 5.5 मीटर कैरेज पथ आवश्यक थी।

इस प्रकार, भू-अधिग्रहण, उचित सर्वेक्षण तथा योजना के बगैर सड़क कार्य का आबंटन, शुरुआत एवं कार्यान्वयन के फलस्वरूप बीच में ही कार्य में रूकावट एवं ₹ 1.83 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ। इसके अलावे, वैधता अवधि के भीतर बैं.प्र. को भुनाने में का.अ. की विफलता के कारण ₹ 19.01 लाख की सरकारी हानि की वसूली नहीं हो सकी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2010)। सरकार ने मामले को स्वीकार किया तथा कहा (सितम्बर 2010) कि मूल संवेदक के जोखिम एवं लागत पर अवशेष कार्य को पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है तथा क्षतिग्रस्त डब्ल्यू.बी.एम. कार्य के लिए ₹ 19.01 लाख की राशि की वसूली के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

## कल्याण विभाग

### 2.2.6 निरर्थक व्यय

जनजाति कल्याण आयुक्त का एम.ओ.यु. में हस्ताक्षर करने के पूर्व उचित उद्यम का प्रयोग करने में असफलता एवं अकादमी को ₹ 2.27 करोड़ के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने को सुनिश्चित करने में विफलता के कारण ₹ 91 लाख का निरर्थक व्यय।

जनजाति कल्याण आयुक्त (ज.क.आ.), झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के युवाओं को व्यवसायिक पायलट प्रशिक्षण देने के अनुक्रम में इसके प्रबंध के लिए अपनी इच्छित रूचि की अभिव्यक्ति (इ.रू.अ.) हेतु पायलट प्रशिक्षण अकादमी/ संस्थानों से विचार विवरणी पेश करने के लिए कहा गया (अगस्त 2007) था जिसमें उन्हें सौंपे गये कार्य को संभालने की योग्यता, हवाई अड्डा से संबद्धता का प्रमाण (उन मामलों में, जिसमें उनका अपना हवाई अड्डा न हो), अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संस्था का प्राधिकार पत्र (अ.ह.प.सं.), विस्तृत पाठ्यक्रम एवं प्रत्येक बैच/वर्ष/सत्र में छात्रों की संख्या, संस्थान की रूपरेखा एवं वर्तमान क्रियाकलाप की विवरणी, शुल्क संरचना एवं विगत तीन वर्षों का इतिहास जिसमें उन कम्पनियों का विवरण हो जो संस्थान में कैम्पस चयन हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित हुए हैं। प्रशिक्षण के लिए चयन किये गये संस्थान को नागरिक विमानन के महानिदेशक (ना.वि.म.नि.) द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक था। झारखण्ड वित्तीय नियामावली के नियम 437 के अनुसार जब भी किसी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए सरकार के साथ किसी व्यवसायी संघ का अनुबंध किया जायेगा, तब अनुबंध की पूर्णता हेतु आवश्यक प्रतिभूति दी जायेगी एवं अनुबंध में उचित प्रतिभूति के संबंध में उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी।

विमानन एवं विमानन सुरक्षा संस्थान (वि.वि.सु.सं.), मुम्बई जो ₹ 20.50 लाख प्रति छात्र की शुल्क के साथ निम्नतम निविदादाता थे, को कार्यादेश दिया गया (नवम्बर 2007)। इनके इनकार (जून 2008) के बाद अंतिम रूप से वि.वि.सु.सं.अहमदाबाद विमानन एवं एअरोनॉटिक्स (पी.) लि., जो इसके द्वितीय निम्नतम निविदादाता थे, को कार्य दिया गया। वि.वि.सु.सं. सेवा का प्रबंध करने से इनकार करने के कारण इनके इन्कार के बाद अन्तिम रूप से मे. स्पाईका एयरलाईन्स एवं एवियेशन अकादमी (पी.) लि., हैदराबाद (स्पा.ए.ए.अ.) जो तीसरे निम्नतम निविदादाता था को कार्यादेश दिया गया। दर को स्वीकार किया गया। यह सत्य था कि ना.वि.प्र.नि. के वेबसाईट में व्यवसायिक पायलट प्रशिक्षण के लिए दिखाये गये अनुमोदित संस्थानों के नामों में मे. स्पाईका एयरलाईन्स एवं एवियेशन अकादमी (पी.) लि., हैदराबाद का नाम नहीं होने की ज.क.आ. द्वारा अनदेखी कर दी गई थी। ज.क.आ. के साथ स्पा.ए.ए.अ. द्वारा ₹ 20.50 लाख प्रति छात्र की दर से समझौता ज्ञापन (स.ज्ञ.) (फरवरी 2009) हस्ताक्षरित हुआ था। अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2009) में यह पाया गया कि स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रधान सचिव द्वारा स्पा.ए.ए.अ. की आधारभूत संरचना उपलब्धता के निरीक्षण करने की इच्छा व्यक्त की गई थी (जनवरी 2009)। तथापि, विशेष सचिव द्वारा दिनांक 16 से 17 फरवरी

2009 को निरीक्षण के पूर्व ज.क.आ. द्वारा त्वरित स्त्र से दिनांक 5.2.2009 को स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर कर दिया गया था।

विशेष सचिव द्वारा निरीक्षण के उपरांत यह सूचित किया गया था कि प्रशिक्षणार्थियों के लिए दी जाने वाली छात्रावास व्यवस्था समुचित नहीं थी बेगमपेट हवाई अड्डा पर प्रशिक्षण के लिए चिन्हित एयरक्राफ्ट उपलब्ध नहीं था। विशेष सचिव द्वारा विशेष रूप से स्पा.ए.ए.अ. को ना.वि.म.नि. के अनुमति/अनुज्ञापत्र दिखाने के लिए कहा गया जिसे दिखाने में वे असफल हुए थे।

इसके अतिरिक्त संबद्ध अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि समिति स्पा.ए.ए.अ. को कार्य सौंपने के समय उल्लेखित अकादमी (सितंबर 2007) द्वारा जनजाति कल्याण विभाग उपलब्ध कराये गये सूचना पर विश्वास किया। परिकल्पना प्रति की विवरणी के अनुसार यह कहा गया था कि ना.वि.म.नि. की अनुमति/अनुज्ञापत्र संलग्न था। तथापि, यह संलग्नित नहीं पाया गया था। यद्यपि विशेष सचिव द्वारा इस सत्य को सूचित करते हुए सुस्पष्ट रूप से ज.क.आ. को सलाह दी गई थी कि इस मामले की जाँच की जाये पर ज.क.आ. ने इस पर विचार नहीं किया था।

ई.रू.अ. की आवश्यकतानुसार परिकल्पना प्रति के विवरणी में विगत तीन वर्षों का इतिहास जिसमें उन कंपनियों का विवरण हो जो संस्थान में कैम्पस चयन हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित हुए थे एवं छात्रों की संख्या जिन्हें चयनित किया गया था को दिखाना चाहिए था। निरीक्षण में यह पाया गया कि इस अनिवार्य अत्यावश्यकता को अनुशंसा समिति द्वारा उपेक्षा की गई थी। चूंकि स्पा.ए.ए.अ. वर्ष 2007 में अस्तित्व में आया, अतः अकादमी द्वारा तीन वर्षों की शर्त को पूरा कर पाना असंभव था। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि प्रशिक्षण के लिये प्रायोजित (मार्च 2009) 30 छात्रों के ₹ 6.15 करोड़ शुल्क के विरुद्ध ₹ 2.67 करोड़ का भुगतान किया गया था। यद्यपि, यह भुगतान बैंक जमानत (बैं.ज.) के बिना ही किया गया था।

अत्यावश्यक सुविधाओं एवं अनिवार्य आधारभूत संरचना के अभाव के अवलोकन के बाद सरकार ने (अप्रैल 2009) बाध्य होकर प्रशिक्षुओं को लौटाने के लिए कहना पड़ा एवं स्पा.ए.ए.अ. को भुगतान की गई ₹ 2.67 करोड़ की शुल्क राशि लौटाने के लिए कहा गया। स्पा.ए.ए.अ. द्वारा केवल ₹ 1.75 करोड़ लौटाया गया (दिसंबर 2009 तक)। चूंकि इस अग्रिम का भुगतान, बैं.ग. के बिना की गई थी, ज.क.आ. शेष ₹ 91 लाख की शुल्क राशि वसूल करने में असफल रहे थे।

ज.क.आ. ने अपने उत्तर (मई 2010) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया था एवं कहा कि बकाये ₹ 91 लाख की वसूली के लिए कार्रवाई की जायेगी।

इस तरह, ज.क.आ. द्वारा सं.ज्ञा. पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उचित उद्यम का प्रयोग नहीं करने के कारण एवं स्पा.ए.ए.अ. को ₹ 2.27 करोड़ अग्रिम का भुगतान बैं.ग. के विरुद्ध प्रदान करने में सुनिश्चित नहीं होने के फलस्वरूप सरकार का ₹ 91 लाख का निरर्थक व्यय हुआ था एवं समाज के कमजोर वर्गों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में असफल रहा।

मामले सरकार के पास प्रतिवेदित किये गये थे (अप्रैल 2010 एवं जून 2010 के मध्य)। सरकार द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया एवं कहा कि इस असफलता पर संज्ञान लिया था एवं ज.क.आ. को भविष्य में सावधान रहने के लिए निर्देश निर्गत किया गया था। सरकार द्वारा यह भी कहा गया था कि विधि विभाग से इस मामले में राय मांगी गई थी (जुलाई 2010)।

## कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

### 2.2.7 निष्फल व्यय

अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही वन क्षेत्र में कार्य आरंभ होने के कारण बीच में ही कार्य बंद किया जाना और ₹ 3.32 करोड़ का निष्फल व्यय होना।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन क्षेत्र में कोई भी असैनिक कार्य भारत सरकार की

अनुमति के बिना प्रारंभ नहीं किया जा सकता था। साथ ही, झारखण्ड लोक कार्य लेखा संहिता<sup>13</sup> के अनुसार वन क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण, कार्य के प्राक्कलन व कार्यादेश के पहले निर्धारित कर लेना चाहिए।

गोड्डा जिला में एक कृषि महाविद्यालय का निर्माण, जिसके लिए भूमि स्थल, चुनाव समिति<sup>14</sup> द्वारा चिन्हित (फरवरी 2006) किए गए थे, ₹ 15.02 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (मार्च 2006) जिसमें ₹ 12.19 करोड़ भवन निर्माण (महाविद्यालय, हॉस्टल, क्वार्टर इत्यादि) एवं मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा ₹ 15.43 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (नि.प.प्र.) (अगस्त 2006) अनुमोदन के शर्त पर की गई थी (अक्टूबर 2006)। निविदा के उपरांत (अप्रैल 2006), कार्य दो संवेदकों को ₹ 15.43 करोड़ में अक्टूबर 2008 तक पूर्ण करने के लिए दी गई (अक्टूबर 2006)।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2010) में उदघाटित हुआ कि सरकार ने विश्वविद्यालय को चार करोड़ रुपये का अनुदान इस शर्त के साथ विमुक्त (जून 2007) किया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति एवं वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद सम्पूर्ण राशि का तीन किशतों में आहरण किया जायेगा एवं बिरसा कृषि महाविद्यालय को व्यय विवरणी उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। यह देखा गया कि बि.कृ.वि. ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन के पूर्व ही निविदा आमंत्रित की (अप्रैल 2006) तथा कार्यादेश भी दिया (जुलाई 2006)। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जुलाई 2006 में सरकार को समर्पित किया गया था किन्तु उनपर अनुमोदन अब तक (मार्च 2010) अप्राप्त थे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने भवन निर्माण का कार्य दो संवेदकों, प्रत्येक को ₹ 7.71 करोड़ के कार्यादेश दिया गया, जो कि स्वीकृत राशि से ₹ 3.24 करोड़<sup>15</sup> अधिक था। बि.कृ.वि. के उप-निदेशक (कार्य एवं संयंत्र) ने संवेदकों को कार्य शुरू करने का निर्देश दे दिया (अक्टूबर 2006) जबकि न तो भूमि का अधिग्रहण किया गया था न ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्य आरम्भ करते समय निधि की उपलब्धता को भी सुनिश्चित नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि कार्य को मध्य में ही वन विभाग ने रोक दिया (फरवरी 2007) क्योंकि कार्य स्थल वन क्षेत्र में था एवं भारत सरकार से अनुमति भी नहीं ली गई थी, जो कि अनिवार्य था। कार्य को अक्टूबर 2010 तक आरम्भ नहीं किया गया। स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिरसा कृषि महाविद्यालय ने चार करोड़ रुपये एक ही किशत में आहरित किया (मार्च 2008) एवं ₹ 3.32 करोड़ दोनों संवेदकों को फरवरी 2007 तक किये गये कार्य के विरुद्ध भुगतान करने में उपयोग किया। स्थल का भौतिक सत्यापन (अप्रैल 2010) करने पर यह उदघाटित हुआ कि भवन के कुछ भाग ध्वस्त हो गये थे एवं अपसर्जित कर दिये गये थे।

इस प्रकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिना सरकार से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति लिए, स्वीकृति राशि निकालना एवं बिना वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिये वन भूमि पर निर्माण कार्य आरम्भ करने की वजह से कार्य को मध्य में ही रोकना पड़ा, जिसकी वजह से ₹ 3.32 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2010) था। उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

<sup>13</sup> परिशिष्ट अ - मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय विभाग (गोपनीय कोषांग) बिहार लो.नि.ले. में समाविष्ट संकल्प सं. 948 दिनांक 16 जुलाई 1986 का 4.5।

<sup>14</sup> चयन समिति के सदस्यों (1) संयुक्त निदेशक, कृषि, संथाल परगना प्रक्षेत्र (2) परियोजना निदेशक, आत्मा दुमका (3) जिला कृषि पदाधिकारी, गोड्डा (4) प्रतिनिधि, अधिष्ठाता (कृषि), बि.कृ.वि., राँची।

<sup>15</sup> ₹ 3.24 करोड़ से अधिक = निवेदित राशि (₹ 15.43 करोड़) घटाव स्वीकृत राशि (₹ 12.19 करोड़)।

## 2.3 निष्फल/अप्राप्ति/अनुचित व्यय

### पथ निर्माण विभाग

#### 2.3.1 निष्फल व्यय

विशिष्टता एवं गुणवत्ता के अनुरूप उच्च स्तरीय पुल के पूरा नहीं होने तथा डेक स्लैब की ढलाई नहीं होने के कारण ₹ 1.32 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावे संवेदक से ₹ 31.60 लाख की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं हुई।

देवघर-मधुपुर रोड में पतरो नदी पर सप्तारघाट में आर.सी.सी. सबमर्सिबल पुल का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बि.रा.पु.नि.नि.लि.) को ₹ 1.48 करोड़ की लागत पर अर्बटित किया गया। पुल निर्माण में 66 स्तंभ, डेक स्लैब एवं सहबद्ध कार्य सम्मिलित थे। 66 स्तंभों में से 22 स्तंभों का निर्माण ₹ 2.58 करोड़ की लागत पर बि.रा.पु.नि.नि.लि. द्वारा वर्ष 2002-03 में किया गया। सप्तारघाट पर स्थल के चयन पर स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कार्य 2002-03 से बन्द रहा। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) की कंडिका 4.2.1 में इस बिन्दु को पूर्व में ही सम्मिलित किया गया था। इसके बाद, पुल के अवशेष 44 स्तंभों, डेक-स्लैबों एवं सहबद्ध कार्यों के निर्माण के लिए ₹ 2.89 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (अप्रैल 2007) तथा ₹ 2.90 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (मई 2007) पथ निर्माण विभाग, राँची द्वारा प्रदान की गई। कार्यपालक अभियंता (का.अ.), पथ निर्माण प्रमंडल (प.नि.प्र.), देवघर द्वारा एक संवेदक के साथ 44 स्तंभों, डेक-स्लैबों एवं संगत कार्यों के निर्माण के लिए ₹ 3.16 करोड़ का एक एकरारनामा किया गया (दिसम्बर 2007) जहाँ कार्य समाप्ति की निर्धारित अवधि जून 2009 तक थी। एकरारनामा की शर्तों के अनुसार चयनित संवेदक को संविदा लागत के पाँच प्रतिशत के बराबर जमानत राशि नगद रूप में कोषागार में जमा था सरकारी प्रतिभूतियों<sup>16</sup> के रूप में का.अ. को प्रतिज्ञप्त करना था। इसके बावजूद संवेदक ने ₹ 15.81 लाख के अंतशेष/जमा के साथ आठ पास बुक<sup>17</sup> जमा किया। पुराने खजांची द्वारा पास-बुकों का हस्तांतरण नहीं होने के कारण पास-बुक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे पास-बुकों के स्वरूप का आकलन नहीं किया जा सका।

प्रमंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2009 तथा जनवरी 2010) में निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

- कार्य के निपादन के दौरान का.अ. ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया (मई 2008) तथा पाया कि डेक-स्लैबों की ढलाई के लिए लगाया गया सटरिंग पर्याप्त नहीं था। का.अ. ने संवेदक को निर्देश दिया (मई 2008) कि लगाये गये सटरिंग को सुधारे अन्यथा डेक-स्लैबों के क्षतिग्रस्त होने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक ने यद्यपि सटरिंग अधिष्ठापन में सुधार नहीं किया, जो बाद में डेक-स्लैब के झुलने से प्रमाणित हो गया एवं उस डेक-स्लैब की ढलाई करने की इजाजत दे दी गई तथा इस कार्य के लिए संवेदक को ₹ 32.62 लाख का भुगतान किया गया (जून 2008)। संवेदक ने केवल 29 स्तंभों तथा 6 डेक-स्लैबों एवं इससे संबंधित कार्यों को किया तथा उसको ₹ 1.31 करोड़ का भुगतान किया गया (जून 2008 तक)। मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, राँची ने भी कार्यस्थल का निरीक्षण किया

<sup>16</sup> बिहार लोककार्य लेखा संहिता के नियम 416: राष्ट्रीय प्रमाणपत्र, म्यूनिसिपल डिवेन्चर और पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, डाकघर बचत पासबुक, राज्य विकास ऋण या राष्ट्रीय योजना ऋण प्रमाणपत्र और भारतीय स्टेट बैंक के जमा रसीद के अलावे सरकारी प्रतिभूतियाँ।

<sup>17</sup> पासबुक का प्रकार अभिलेखित नहीं था।



(मई 2009) तथा पाया कि कार्य की प्रगति काफी धीमी थी एवं ढलाई किये गये दो नये डेक-स्लैब झुक गये थे। सचिव, पथ निर्माण विभाग ने स्तंभ 25 एवं स्तंभ 26 के बीच के डेक-स्लैब को तोड़ने एवं उसकी पुर्नढलाई का निर्देश (अक्टूबर 2009) का.अ. को दिया। हालांकि सरकार के निर्देशों के पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। का.अ., प.नि.प्र., देवघर ने पुल निर्माण के पूर्व सभी 28 (22 पुराने एवं 6 नये) डेक-स्लैब पट्टियों के भार वहन क्षमता एवं झुकाव क्षमता की जाँच का प्रस्ताव दिया (अक्टूबर 2009) जो संवेदक द्वारा किया जाना चाहिए था। हालांकि इस प्रकार की कोई जाँच अब तक नहीं की गई थी।

- यद्यपि संवेदक द्वारा कार्य जून 2008 से बंद कर दिया गया था, विभाग ने एकरारनामा को विखंडित करने तथा दोषी संवेदक के जोखिम एवं लागत पर अवशेष कार्यों को संपादित करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। का.अ. एकरारनामा की शर्त के अनुसार ₹ 31.60 लाख (संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत) की क्षतिपूर्ति राशि भी वसूल करने में विफल रहे।
- एकरारनामा की शर्तों के अनुसार प्रत्येक चालू विपत्र से पाँच प्रतिशत की राशि की कटौती अवशेष जमानत जमा के रूप में करनी थी। उसके विरुद्ध, केवल ₹ 6.58 लाख की कटौती तीन चालू विपत्रों के कुल मूल्य से की गई। चूँकि कार्य पूरा नहीं हुआ अतः अवशेष ₹ 9.23 लाख की कटौती नहीं की गई।

इस प्रकार, एकरारनामा की शर्तों के मुताबिक संवेदक के विरुद्ध स-समय कार्रवाई करने में का.अ. की विफलता के फलस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ के निष्फल व्यय के अलावा ₹ 31.60 लाख की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 2010)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

## नागर विमानन विभाग

### 2.3.2 निष्फल व्यय

**आवश्यक तैयारी के बिना एयरक्राफ्ट खरीदने के परिणामस्वरूप उनके सेवा के अयोग्य हो जाने से ₹ 3.98 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।**

नागर विमानन विभाग (ना.वि.वि.) ने विश्वव्यापी निविदा को अंतिम रूप देने के उपरांत ₹ 3.78 करोड़ की लागत पर तीन पायलट प्रशिक्षण विमान एवं एक मोटर ग्लाइडर क्रय करने का निश्चय किया था (जून 2006)। इस उद्देश्य के लिए मेसर्स वर्मन एवीएशन प्राइवेट लिमिटेड (व.ए.प्रा.लि.), बंगलोर एवं झारखण्ड सरकार के मध्य में एक अनुबंध कार्यान्वित किया गया था (जुलाई 2006)। तदनुसार, प्रधान सचिव, न.वि.वि. द्वारा ₹ 3.78 करोड़ नागर विमानन प्राधिकरण, झारखण्ड सरकार (ना.वि.प्रा.) को स्वीकृत एवं आबंटित किया गया था (फरवरी 2007)। मेसर्स व.ए.प्रा.लि. ने ₹ 3.98 करोड़ की कीमत पर तीन जेड.एल.आई.एन. 143 एल विमान एवं एक मोटर ग्लाइडर (सितम्बर 2007) की आपूर्ति किया था।

ना.वि.वि. के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2010) में उद्घाटित हुआ कि ये विमान बेकार पड़े हुए थे एवं सेवा के अयोग्य हो गये थे। निरीक्षण में यह भी पाया गया था कि ना.वि.वि. में इन एयरक्राफ्टों को उड़ाने के लिए कोई पायलट नहीं था यद्यपि विक्रेता द्वारा प्रति एयरक्राफ्ट के लिए एक पायलट, एक मिस्त्री एवं एक अभियंता को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था थी। यह प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सका था क्योंकि इस तरह का कोई कर्मचारी अस्तित्व में नहीं था।

लेखापरीक्षा पूछ-ताछ के उत्तर में ना.वि.वि. द्वारा कहा गया (मई 2010) कि वार्षिक रख-रखाव अनुबंध (वा.र.अ.) के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर था। सरकार द्वारा उत्तर दिया गया था (अगस्त 2010) कि वा.र.अ. फरवरी 2009 तक ही वैध था एवं इसके उपरान्त अतिरिक्त पूर्णों की कमी के कारण एयरक्राफ्टों सेवा के अयोग्य हो गये थे।

सरकार का यह उत्तर एयरक्राफ्टों की सेवा की अयोग्यता की पुष्टि की, परंतु पायलटों की नियुक्ति एवं विक्रेता की ओर से प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था में असफलता के संबंध में मौन था।

इस तरह उपयुक्त आवश्यक तैयारी जैसे कि पायलटों की नियुक्ति, रख-रखाव का व्यवस्थित कार्यक्रम एवं अतिरिक्त पूर्णों की निश्चित आपूर्ति सुनिश्चित किये बिना एयरक्राफ्टों का क्रय किये जाने के परिणामस्वरूप एयरक्राफ्ट सेवा के अयोग्य हो गये थे एवं उन पर ₹ 3.98 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया था।

## स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

### 2.3.3 निष्फल व्यय

#### समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ₹ 50 लाख का निष्फल व्यय।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा.चि.प.क.वि.) ने राज्य के स्वास्थ्य उप-केन्द्रों से भौतिक एवं वित्तीय अनुपालन डाटा निकालने के लिए प्रभावकारी अनुश्रवण हेतु स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना पद्धति (स्वा.प्र.सू.प.) स्थापित करने के लिए निविदा आमंत्रित किया था (जून 2008)। परियोजना के प्रधान कार्य में अध्ययन अवस्था (वर्तमान डाटा संग्रह अध्ययन पद्धति एवं बाउजर आधारित रूपांतरण पद्धति), सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के अधिष्ठापन एवं कमीशनिंग, राज्य से ब्लॉक तक के लिए नेटवर्क संबंध स्थापित करना, वाई-फाई प्रक्षेत्र लागू करना, प्रशिक्षण, कार्यान्वयन के बाद सहायता एवं कार्यान्वयन पद्धति सम्मिलित था।

स्वा.चि.प.क.वि. के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2010) में यह पाया गया कि सचिव, स्वा.चि.प.क.वि. द्वारा उपरोक्त कार्यों को 31 मार्च 2009 तक पूर्ण करने हेतु मेसर्स आईबील्ट टेक्नॉलॉजी लिमिटेड (आई.टी.एल.) को ₹ 10.50 करोड़ की शुल्क का कार्यादेश निर्गत किया गया था (सितंबर 2008)। मेसर्स आई.टी.एल. को कुल कीमत का 90 प्रतिशत अनुपालन जमानत<sup>18</sup> बैंक प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित जमा देने के बाद भुगतान किया जाना था।

राज्य प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (रा.प्र.शि.स्वा.) कार्यालय द्वारा कथित कार्यादेश के बाद नया कार्यादेश (मार्च 2009) व्योम टेक्नॉलॉजी लिमिटेड (भी.टी.एल.) पहले आई.टी.एल. के नाम से ज्ञात, को उसी कीमत पर 31 दिसंबर 2009 तक पूर्ण करने के लिए एक नया समय-सारणी दिया गया था। समय सीमा विस्तृत करने के कारणों का कोई अभिलेख नहीं था। मेसर्स आई.टी.एल. को एवं मेसर्स भी.टी.एल. का प्रतियोगी बोली के आधार पर पूर्व में कार्यादेश देने संबंधी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। कार्यादेश के अनुसार, मे.आई.टी.एल. को निष्पादन जमानत के लिए सुरक्षित जमा हेतु बैंक प्रतिभूति के रूप में ₹ 50 लाख देना अपेक्षित था।

बजाय इसके, मेसर्स आई.टी.एल. को ₹ 50 लाख (मार्च 2009) अग्रिम भुगतान किया गया था। कथित पक्ष द्वारा दी गई कोई भी बैंक प्रतिभूति पेश करने संबंधी कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध था। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड द्वारा कहा गया था (मार्च 2010) कि संचिका के साथ-साथ बैंक प्रतिभूति कार्यालय में उपलब्ध नहीं था।

<sup>18</sup> निष्पादन गारंटी यह सुनिश्चित करता है कि क्रय की गई वस्तुयें या सेवा प्रबंध विनिर्देशन के अनुरूप था जबकि बैंक गारंटी क्रय की गई वस्तुओं के विनिर्देशन के अनुरूप नहीं होने पर क्रेता के हित की रक्षा करता है।

मेसर्स भी.टी.एल. ने दावा किया कि राज्य प्र.शि.स्वा. कार्यालय में एक अध्ययन अपेक्षित पद्धति (अ.अ.प.) प्रस्तुत किया गया था (मई 2009) एवं वाई-फाई कनेक्टीविटी जोन स्थापित किया गया था (जून 2009)। कार्यादेश के अनुसार, अ.अ.प. को सरकार द्वारा स्वा.प्र.सू.प. के कार्य को जारी रखने के लिए अनुमोदित होना आवश्यक था। यद्यपि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध की गई अभिलेखों में पाया गया कि वाई-फाई कनेक्टीविटी कार्य नहीं कर रहा था (अक्टूबर 2010)।

इस प्रकार, प्रतियोगी बोली के बिना कार्यादेश एवं समय पर कार्य पूर्ण करने में विफलता के कारण इस पर की गई ₹ 50 लाख का व्यय निष्फल हो गया था।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये थे (अप्रैल 2010)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

## वन एवं पर्यावरण विभाग

### 2.3.4 निष्फल व्यय

#### एक मछली घर एवं एक सांप घर के निर्माण पर ₹ 1.35 करोड़ का निष्फल व्यय।

भगवान बिरसा जैविक (भ.बि.जै.) उद्यान, ओरमांझी में "अभ्यारण्य विकास योजना" के अंतर्गत ₹ 1.40 करोड़ की (मछली घर: ₹ 1.02 करोड़<sup>19</sup> एवं सांप घर: ₹ 37.47 लाख) प्राक्कलित राशि पर एक मछली घर एवं एक सांप घर के निर्माण के लिये नवम्बर 2004 में प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था। भवन हिस्से के लिये मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड ने ₹ एक करोड़<sup>20</sup> की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया था (मार्च 2005)। वनसंरक्षक (व.सं.) सह निदेशक, भ.वि.जै. उद्यान, ओरमांझी के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2009) में निम्नलिखित उद्घाटित हुआ।

#### मछली घर

मछली घर के निर्माण कार्य 2004-05 में प्रारम्भ किया गया था एवं इसे 2005-06 तक पूर्ण किया जाना था। संवीक्षा में पाया गया कि मछली घर के मुख्य भवन का निर्माण (₹ 68.99 लाख), अन्य संबंधित कार्यों<sup>21</sup> (₹ 12.77 लाख) एवं मछली घर के बाहरी क्षेत्र का विकास (₹ 15.91 लाख) 2005-09 के दौरान कुल ₹ 97.67 लाख के व्यय पर पूर्ण कर लिया गया था। तथापि, वित्तीय वर्ष के अंत में निधि की विमुक्ति के कारण अन्ततः जो अभ्यर्पित हुआ था, मछली घर के वास्तविक निर्माण कार्य को शुरू नहीं किया जा सका था (नवम्बर 2009) निधि की विमुक्ति में विलंब के कारण मनोनीत एजेंसी ने कार्य को पर्याप्त समयाभाव के कारण करने में असमर्थता व्यक्त की थी। इस प्रकार, अनुपयुक्त योजना के कारण एवं नियत तिथि की समापन के तीन वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी मछली घर पूर्ण नहीं हो सका था एवं जनता के लिए खोला नहीं जा सका था।

<sup>19</sup> मछली घर का मुख्य भवन: ₹ 63.87 लाख, उचित मछली घर: ₹ 32.90 लाख एवं पानी आपूर्ति के लिये व्यवस्था: ₹ 5.68 लाख।

<sup>20</sup> मछली घर भवन: ₹ 62.95 लाख (मछली घर के निर्माण कार्य में उपयुक्त कांच का कार्य, पानी को रोकने की व्यवस्था, विशिष्ट प्रकाश व्यवस्था, ताजा/सामुद्रिक जलीय प्राणी की व्यवस्था इत्यादि एवं पानी आपूर्ति की व्यवस्था के लिए ₹ 5.68 लाख पर प्राक्कलित व्यय ₹ 32.90 लाख के अलावा) एवं सांप घर: ₹ 37.27 लाख।

<sup>21</sup> पहुँच पथ, गेट इत्यादि।

## सांप घर

इसी प्रकार सांप घर का निर्माण कार्य 2004-05 में प्रारंभ किया गया था एवं इसे मार्च 2006 तक पूर्ण किया जाना था। इस प्रयोजन के लिये ₹ 37.47 लाख का आबंटन दिसंबर 2004 एवं जून 2005 के मध्य प्राप्त किया गया था।

संवीक्षा में पाया गया कि सांप घर का निर्माण नियत अवधि में अर्थात् 31 मार्च 2006 तक ₹ 37.47 लाख के व्यय पर पूर्ण कर लिया गया था। तथापि, इसके निर्माण के तीन वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी, इसे जनता के लिए खोला नहीं गया था (नवम्बर 2009), जिसका कोई कारण अभिलेख में नहीं था।

इसे बताये जाने पर, वन संरक्षक सह निदेशक ने (नवम्बर 2009) लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। विभाग द्वारा उत्तर दिया गया था कि सांपों की अनुपलब्धता के कारण सांप घर को प्रारंभ नहीं किया जा सका था।

इस प्रकार, अनुपयुक्त योजना एवं योजना को कार्यान्वित करने में वचनबद्धता की कमी के कारण मछली घर (₹ 97.67 लाख) एवं सांप घर (₹ 37.47 लाख) निर्माण पर कुल ₹ 1.35 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ एवं योजना के उद्देश्य विफल हो गये।

तदन्तर संवीक्षा में यह पाया गया कि वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा एक अधिसूचना (सितंबर 2007) के तहत सांप घर में आगंतुकों के प्रवेश हेतु क्रमशः ₹ 15 एवं ₹ 8 प्रति वयस्क एवं बच्चे के लिये निर्धारित किया था। यद्यपि, सांप घर का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण भ.बि.जै. उद्यान में आगंतुकों के प्रवेश के लिए टिकट के रूप में सरकार को संभावित राजस्व ₹ 68.91 लाख<sup>22</sup> की हानि उठाना पड़ा था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2010)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

### 2.3.5 वर्तमान निवल मूल्य एवं वनरोपण क्षतिपूर्ति लागत का कम/नहीं वसूली होना

वनस्पति घनत्व के अवनिर्धारण एवं गलत संगणना के कारण वर्तमान निवल मूल्य पर ₹ 5.19 करोड़ का कम मांग करना एवं वनरोपण क्षतिपूर्ति मांग कम/ नहीं होने से ₹ 3.17 करोड़ का अनुवर्ती वसूली का कम/ नहीं होना।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि को गैर वन प्रयोजन में परिवर्तित करने का भारत सरकार का अनुमोदन अनुबंधित शर्तों को पूरा करने पर, जिसमें वर्तमान निवल मूल्य का (व.नि.मू.) भुगतान, अधिदेशात्मक क्षतिपूर्ति वनरोपण (क्ष.व.) का वहन, क्षे.व. का भारपाई लागत, सुरक्षित क्षेत्र का सृजन इत्यादि शामिल है को प्राप्त होता है। इस लागत को उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जाता है।

### वर्तमान निवल मूल्य का कम मांग करना: ₹ 5.19 करोड़

सर्वोच्च न्यायालय के अक्टूबर 2002 के निर्णय एवं वनरोपण क्षतिपूर्ति निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (व.क्ष.नि.प्र.यो.प्रा.) द्वारा अक्टूबर 2006 में निर्गत आदेश के अनुसार, परिवर्तनाधीन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली वन की विशेषता, वनस्पतियों का घनत्व, पौधों की किस्म के आधार पर ₹ 5.80 लाख एवं ₹ 9.20 लाख प्रति हेक्टेयर व.नि.मू.का निर्धारण किया जाना था।

<sup>22</sup> भ.बि.जै.उ. में 13 सितम्बर 2007 और 31 अक्टूबर 2009 की अवधि में आगन्तुकों के प्रवेश के आधार पर संगणित जैसा उद्यान अधिकारियों द्वारा शुल्क पंजी में संधारित है।

तदनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा व.नि.मू. की गणना के लिए एक सूत्र<sup>23</sup> तैयार की गई (फरवरी 2006) जो मार्च 2008 तक प्रचलित था। तथापि, सर्वोच्च न्यायालय के मार्च 2008 के आदेश के आलोक में वन भूमि को छः संवर्गों<sup>24</sup> में वर्गीकृत करते हुए इस दर को बदल कर ₹ 4.38 लाख से ₹ 10.43 लाख प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया था। झारखण्ड के वन भूमि को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था जैसे कि ईको- श्रेणी-I एवं ईको-श्रेणी-III (दर- ₹ 6.26 लाख से ₹ 10.43 लाख के बीच)।

तीन वन प्रमण्डलों<sup>25</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी एवं मार्च 2010 के मध्य) में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा 592.5326 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वन भूमि प्रयोजन के लिए परिवर्तित करने हेतु आठ उपयोगकर्ता एजेंसियों को सैद्धांतिक रूप से/अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था (दिसम्बर 2004 और दिसम्बर 2008 के बीच)। व.नि.मू. की ₹ 43.74 करोड़ दिसंबर 2004 एवं फरवरी 2009 के मध्य मांग की गई थी एवं उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा दिसंबर 2004 एवं मार्च 2009 के मध्य भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि प्रमंडलीय वन पदाधिकारियों (प्र.व.प.) (दक्षिणी चतरा, कोडरमा एवं सारंडा वन प्रमंडलों) द्वारा दिसंबर 2004 एवं फरवरी 2009 के दौरान, वनस्पतियों का घनत्व का अवनिर्धारण एवं गलत संगणना के कारण व.नि.मू. की ₹ 5.19 करोड़ की कम मांग की गई थी (प्र.मु.व.सं. द्वारा तैयार किया गया सूत्र एवं भारत सरकार द्वारा मार्च 2008 में नियत की गई दर के आधार पर) (परिशिष्ट-2.4)।

इन मामलों को बाताये जाने पर प्र.व.प., सारंडा वन प्रमंडल, चाईबासा द्वारा (मार्च 2010) कहा गया कि इन मामलों की समीक्षा की जायेगी एवं उसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी। प्र.व.प., चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा (मार्च 2010) कहा गया कि गलतियों को सुधारने की कार्रवाई की जायेगी जबकि प्र.व.प., कोडरमा वन प्रमंडल द्वारा (जनवरी 2010) कहा गया कि स्थानांतरित भूमि गैरवन/रैयती भूमि थी जो कि वनरोपण क्षतिपूर्ति के तहत एक पट्टेदार द्वारा हस्तांतरित किया गया था। इसलिए, व.नि.मू. की राशि की गणना खेती के लिए नियत दर पर किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि प्रश्नांकित भूमि पर खड़े पेड़ प्राकृतिक वर्ग के थे एवं उपरोक्त कथित भूमि पर विभाग द्वारा कोई पौधारोपण कार्य नहीं किया गया था।

#### वनरोपण क्षतिपूर्ति के तहत मांग का कम/ नहीं उगाही करना

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि को परिवर्तित करने से प्रतिकूलता के प्रभाव को कम करने के लिये, क्ष.व. के विरुद्ध अनुबंधित, उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा बराबर क्षेत्र की भूमि पर क्ष.व. करना था भ्रष्ट वन भूमि से दोगुना क्षेत्र यदि उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराया जा सकता हो, भारत सरकार के अनुमोदन के लिए नियत था। अनुमोदन प्रदान किया जाना था। ऐसा क्ष.व. का लागत उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, वनरोपण क्षतिपूर्ति की मांग की उगाही में एक समानता को कायम रखने के लिये के लिये, प्र.मु.व.सं. सह कार्यकारी निदेशक, उजाड़ भूमि विकास समिति, झारखण्ड,

<sup>23</sup> व.नि.मू. रूपये (प्रति हेक्टेयर) में = 5.8 1/3 विशेषता (9.2-5.8) घनत्व (9.2-5.8) स्पेसीज (9.2-5.8) गुणवत्ता - (क) शून्य जड़भंडार के साथ खाली क्षेत्र या उघड़ी हुई मोरम/ कंकड़: मूल्य - शून्य (ख) मुख्य वन समर्थित क्षेत्र: मूल्य-1 (ग) वर्ग क एवं ख में पड़ने वाली क्षेत्र को छोड़कर: मूल्य-0.5 घनत्व-क्षेत्र निरीक्षण के अनुसार अंतरित 0 से 1 के बीच। भूमि पर खड़े स्पेसीज - (क) प्राकृतिक वर्ग के लिए - 1 (ख) वनरोपण के लिए - 0.5 ।

<sup>24</sup> इको -श्रेणी-I। उष्णकटीबंधीय जलीय सदाबहार वन, उष्णकटीबंधीय अल्पजलीय सदाबहार वन एवं उष्णकटीबंधीय नम पतझड़ी वन, इको - श्रेणी -II तटीय दलदल से बने वन इको -श्रेणी -III। उष्णकटीबंधीय सुखा पतझड़ी वन इको -श्रेणी -4, उष्णकटीबंधीय कंटीय वन एवं उष्णकटीबंधीय सुखा सदाबहार वन इको- श्रेणी -5, उप उष्णकटीबंधीय चौड़ी पत्तियों वाली पहाड़ी वन, उप-उष्णकटीबंधीय चीड़, देवदार वन एवं उप-उष्णकटीबंधीय सूचना सदाबहार वन एवं इको -श्रेणी- 6, पर्वतीय जलीय स्वभाव के वन, हिमालयान नम स्वभाव के वन, हिमालयान सूखे स्वभाव के वन, नम ऊँची पर्वतीय एवं सूखे पर्वतीय झाड़ी।

<sup>25</sup> चतरा दक्षिणी, कोडरमा एवं सारंडा।

राँची ने विभिन्न पौधारोपण योजना के लिये (मई 2001 में भारत सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार सात वर्षों के लिए गणना के आधार पर), एक दर सूची जारी किया था (जून 2007)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी एवं मार्च 2010 के मध्य) में पाया गया कि तीन वन प्रमंडलों<sup>26</sup> में, भारत सरकार द्वारा वन भूमि को गैर वन प्रयोजन के लिए परिवर्तित करने हेतु 833.5744 हेक्टेयर भूमि पर अनुबंधित क्ष.व. छः उपयोगकर्ता एजेंसियों को सैद्धांतिक रूप से/ अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था। तथापि, क्ष.व. के कीमत की मांग की उगाही या तो नहीं किया गया था या कम उगाही किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मांग की उगाही नहीं/कम हुआ था एवं ₹ 3.17 करोड़ का अनुवर्ती कार्यान्वयन नहीं/कम हुआ था (परिशिष्ट 2.5)।

इसे बताये जाने पर, प्र.व.प., सारंडा वन प्रमंडल, चाईबासा द्वारा कहा (मार्च 2010) गया कि मामलों की समीक्षा की जायेगी एवं उसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी। प्र.व.प., धालभूम वन प्रमंडल द्वारा कहा (अगस्त 2009) गया कि प्राक्कलनों की जाँच की जायेगी एवं यदि मांग में कमी पाई गई तो उपयोगकर्ता एजेंसी से वसूली की जायेगी, जबकि प्र.व.प., लातेहार वन प्रमंडल द्वारा कहा गया (जनवरी 2010) गया कि मांग उगाही की जायेगी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (31 मार्च 2009 को समाप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 1.1.9.3 एवं 1.1.9.4) में इसके सदृश मामले को बताया गया था। इसके बावजूद, विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी एवं त्रुटियाँ यथावत रहने के परिणामस्वरूप ₹ 5.19 करोड़ की व.नि.मू. की मांग की उगाही कम की गई थी एवं मांग की उगाही नहीं/कम की गई थी तथा वनस्पति घनत्व के अवनिर्धारण एवं गलत संगणना के कारण क्ष.व. के लेखे ₹ 3.17 करोड़ की उगाही नहीं/कम की गई थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2010)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

## पथ निर्माण विभाग

### 2.3.6 संवेदक को अनुचित सहायता

**आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के बिना कार्य का आवंटन तथा मोबेलाइजेशन अग्रिम की वसूली नहीं करने के फलस्वरूप संवेदक को ₹ 2.30 करोड़ की अनुचित सहायता एवं ₹ 35.10 लाख के ब्याज की हानि।**

झारखण्ड लोक निर्माण लेखा (झा.लो.नि.ले.) संहिता<sup>27</sup> के प्रावधानों के अनुसार प्रथम चरण में केवल भूमि अधिग्रहण का प्राक्कलन स्वीकृत होना था एवं भूमि को अधिग्रहण किया जाना था। इसके बाद ही कार्य को शुरू करने के लिए निर्माण कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत होना था।

पथ निर्माण विभाग ने पाकुड़-बरहरवा पथ (13 से 29 कि.मी.) तथा बड़हरवा-दिघी मोड़ (राष्ट्रीय उच्च पथ-80 लिंक पथ तक-0 से 3.65 कि.मी.) पथ के पुनर्निर्माण के लिए ₹ 36.18 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (जनवरी 2008)। कार्यपालक अभियंता (का.अ.), पथ निर्माण प्रमंडल (प.नि.प्र.), साहेबगंज ने मार्च 2009 तक कार्य को पूरा करने के लिए एक संवेदक के साथ ₹ 23.01 करोड़ का एकरारनामा किया (मार्च 2008)। विस्तृत

<sup>26</sup> धालभूम, लातेहार एवं सारंडा।

<sup>27</sup> परिशिष्ट ए: का मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गोपनीय कोषांग) संकल्प सं.-948 दिनांक 16 जुलाई 1986 जो झा.लो.का.ले.सं. में समाविष्ट है।



परियोजना प्रतिवेदन के मुताबिक 79 पुलियों के निर्माण के साथ-साथ फारमेशन में पथ को 12 मीटर तथा पेवमेंट (कैरेज वे) में 7 मीटर चौड़ा करना था। इसके विरुद्ध उपलब्ध भूमि की औसत चौड़ाई केवल 8.19 मीटर थी। कार्य. अभि. ने भू-अर्जन पदाधिकारी (भू.अ.प.) के पास पथ के मध्य से दोनो तरफ 15 मीटर तक की भूमि को अधिग्रहित करने का आवेदन (अप्रैल 2008) कार्य की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात दिया जो झा.लो.नि.ले. संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था। शुरु में आवेदन को अपर्याप्त अभिलेखों के कारण किनारे कर दिया गया था परन्तु अन्ततोगत्वा सितम्बर 2008 में ₹ 2.97 करोड़ की भू-मुआवजा के माँग के साथ इसे स्वीकृत कर लिया गया। का.अ. ने उक्त राशि को कार्य समाप्ति की निर्धारित अवधि मार्च 2009 के बाद जमा करा दिया (मार्च 2009)। यह जमीन जुलाई 2010 तक अधिग्रहित नहीं की गई।

का.अ., प.नि.प्र., साहेबगंज के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2008 एवं जनवरी 2010) एवं पुनः एकत्रित सूचना (जुलाई 2010) से उद्घाटित हुआ कि संवेदक को ₹ 57.50 लाख प्रत्येक की चार बैंक प्रतिभूतियाँ (बैं.प्र.), जो 31 मार्च 2009 तक वैध थी (बाद में मार्च 2011 तक वैधता अवधि बढ़ाई गई), को जमा करने के बाद ₹ 2.30 करोड़ का सूद रहित मोबेलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया (मार्च 2008)। संविदा की शर्तों की धारा 51.2 के अनुसार तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी (अप्रैल 2007) दिशा-निर्देशों के तहत मोबेलाइजेशन अग्रिम का इस्तेमाल कार्य में विशिष्ट रूप में प्रयुक्त होनेवाले मशीन एवं उपकरण की खरीद तथा उनके परिवहन पर किया जाना था तथा संवेदक को संबंधित चालानों एवं अभिलेखों को मुहैया कराना आवश्यक था। इस प्रकार के अग्रिम की वसूली कार्य की प्रगति से जुड़ा हुआ न होकर समय आधारित होना था जिसमें विलंब से वसूली पर ब्याज प्रभारित करने का स्पष्ट उल्लेख होना था। इस प्रकार के अग्रिम की वसूली बैं.प्रति. को भुनाकर सुनिश्चित किया जा सकता था। यह पाया गया कि ₹ 34.29 लाख मूल्य के पुलियों (79 में से 11 पर) के आंशिक निर्माण को छोड़कर संवेदक ने न तो कोई चालान/अभिलेख उपलब्ध कराया, न तो कोई मशीन/उपकरण कार्य-स्थल पर लाया और न ही पथ निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। और ₹ 24.18 लाख के समायोजन के पश्चात भुगतान किया गया (मार्च 2010) तथा मोबेलाइजेशन अग्रिम की अवशेष राशि ₹ 2.06 करोड़ की वसूली जुलाई 2010 तक नहीं हो सकी।

पुनश्च, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दुमका ने का.अ. को निर्देश दिया (जून 2008) कि यदि संवेदक उसके निर्देशों का पालन करने तथा निर्धारित अवधि में कार्य को पूरा करने में विफल रहता है तो संवेदक से ब्याज के साथ मोबेलाइजेशन अग्रिम की वसूली किया जाय। इसके बावजूद का.अ. द्वारा जुलाई 2010 तक अग्रिम की वसूली नहीं की गई।

इस प्रकार, झारखण्ड लो.नि.ले. संहिता में वर्णित चरणबद्ध तरीके से कार्य को लेने में विफलता एवं बाद में मोबेलाइजेशन अग्रिम की वसूली न करने के फलस्वरूप संवेदक को ₹ 2.30 करोड़ का अनुचित आर्थिक सहायता जो दो वारों से ज्यादा समय से संवेदक के पास पड़ा था तथा ₹ 35.10 लाख<sup>28</sup> की ब्याज की क्षति के साथ-साथ पुलियों के आंशिक निर्माण पर ₹ 34.29 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (अक्टूबर 2010)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

<sup>28</sup> संगणना: छह महीने के लिए ₹ 2.30 करोड़ का 7.91 प्रतिशत एवं 18 महीने के लिए ₹ 2.15 करोड़ का 7.91 प्रतिशत = ₹ 9.10 लाख + ₹ 26 लाख = ₹ 35.10 लाख।

## 2.4 निधि का अवरोधन

### पर्यटन विभाग

#### 2.4.1 निधि का अवरोधन

**निधि का उपयोग नहीं होने से ₹ 2.96 करोड़ अवरोधित रहना एवं इसके अतिरिक्त ₹ 23.88 लाख के सूद की हानि।**

पर्यटन विभाग ने विभिन्न विषयों पर 10 लघु प्रसंगों पर चलचित्र बनाने का निर्णय लिया था (मार्च 2008)। इस प्रयोजन के लिए, विभाग ने दो भागों में जैसे कि तकनीकी एवं वित्तीय मानक स्थापित करते हुए कि संभावित बोली लगानेवाले प्रत्येक चलचित्र को ₹ पाँच लाख से अधिक में प्रस्तुत कर सके एवं जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र से संबंधित चलचित्र बनाने का अनुभव हो, के लिए खुली निविदा आमंत्रित (मार्च 2008) किया था। तीन बोलीदार, मे. जेनेसिस मिडिया (पी.) लिमिटेड, नई दिल्ली, मे. सीने इंडिया इन्टरनेशनल एवं मे. जेनेसिस, मुम्बई तकनीकी बोली के मूल्यांकन के उपरांत उपयुक्त पाई गई थीं। निम्नतम निविदादाता में जेनेसिस मिडिया, नई दिल्ली को अनवर्कबल दर के कारण हटा दिया गया। शेष दो निविदादाताओं में मे. जेनेसिस, मुम्बई की दर निम्नतम थी एवं इसके अनुसार उन्हें ₹ 6.29 करोड़ में दो भाषाओं<sup>29</sup> में आठ प्रसंगों पर चलचित्र बनाने का आदेश (जनवरी 2009) दिया गया था।

मंत्री-मंडल द्वारा अनुमोदन की वर्तमान व्यवस्था के आदेश का उल्लंघन करते हुए संबंधित मंत्री द्वारा ₹ 5 करोड़ से ऊपर का यह आदेश अनुमोदित किया गया। 2009-10 की अवधि के दौरान विभाग के योजना विनिधान में कटौती करने के कारण आदेश के क्षेत्र एवं मूल्य को अनुवर्ती रूप से परिवर्तित (मार्च 2009) करते हुए केवल ₹ 3.15 करोड़ में चार प्रसंगों का चलचित्र बनाने का आदेश दिया गया।

पर्यटन विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल एवं मई 2010 के मध्य) निम्नांकित तथ्य पाया गया:

- मेसर्स जेनेसिस मीडिया (पी.) लिमिटेड, नई दिल्ली एवं मे. गुलबाहेर सिंह द्वारा क्रमशः ₹ 3.25 लाख एवं ₹ 3.45 लाख में 2004-05 के दौरान, पर्यटन विभाग के लिए पारसनाथ एवं ईको पर्यटन पर 15-20 मिनट प्रति की अवधि का चलचित्र तैयार किया गया था। पर्यटन एवं विनिवेश को प्रोत्साहित एवं आकर्षित करने तथा राज्य में निवेश के लिए अतिरिक्त उँची कीमत पर जो कि ₹ 75.84 लाख प्रति चलचित्र की दर से समान प्रसंगों पर चलचित्र तैयार करने के लिए विभाग द्वारा दोबारा मेसर्स जेनेसिस, मुम्बई को आदेश दिया गया था (जनवरी 2009)। मेसर्स जेनेसिस मिडिया (पी.) लिमिटेड, नई दिल्ली, जो कि निम्नतम बोलीदार थे के साथ मेसर्स जेनेसिस, मुम्बई को दी गई आदेश की तुलनात्मक कुल अंतर राशि ₹ 2.63 करोड़ निकाली गई थी।
- पारसनाथ एवं ईको पर्यटन पर अत्यन्त कम कीमत पर चलचित्र तैयार किया गया था एवं राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न बाजार/ उत्सव/सम्मेलन/सेमिनार में अब तक इन चलचित्रों को प्रदर्शित किया जा रहा था। इसके अवलोकन से, विभाग द्वारा नियत मानक में विगत तीन वर्षों में चलचित्रों को ₹ 5 लाख से अधिक में प्रस्तुत करना (इस सीमा को नियत करने संबंधी कोई कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था) मनमानी था। इसके अतिरिक्त, मेसर्स जेनेसिस मिडिया (प्रा.) लिमिटेड,

<sup>29</sup> अंग्रेजी एवं हिन्दी।

की बोली को कार्य करने योग्य नहीं समझने का निर्णय भी न्यायोचित नहीं था।

- यह भी पाया गया कि, मंत्री को दिये गये सचिव, पर्यटन विभाग की टिप्पणी दिनांक फरवरी 2009 में ₹ 5 करोड़ से अधिक के आदेश कि लिए मंत्री-मंडल की अनुमोदन की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया था।
- विभाग द्वारा ₹ 18.91 लाख (देवघर से संबंधित प्रसंगों का चलचित्र प्रस्तुत करने के लिए कर को छोड़कर फिल्म की कीमत का 25 प्रतिशत) मेसर्स जेनेसिस, मुम्बई को भुगतान किया गया था (अगस्त 2009) तथा जून एवं अक्टूबर 2009 के मध्य चलचित्रों का अंतिम आलेख, कच्चा कतरन एवं अंतिम कतरन प्रस्तुत करने की तिथि नियत किया था, परन्तु मई 2010 तक चलचित्र तैयार नहीं हो पाया था।
- कोषागार से ₹ 3.15 करोड़ आहरित की गई थी (मार्च 2009) एवं इसके बाद इसे झारखण्ड पर्यटन विकास निगम, राँची के व्यक्तिगत जमा लेखे में रख दी गई थी (मार्च 2009)। इस लेखे में ₹ 2.96 करोड़ की अव्ययित राशि अब तक (जून 2010) पड़ी हुई थी। इस प्रकार, निधि अवरोधित रहने से सरकार के पर्यटन प्रोत्साहन का उद्देश्य विफल हो गया था।

इस प्रकार, अभिकर्ता के चयन के लिए अन्यायोचित मानक नियत करने से निविदादाताओं को अत्यधिक उँची कीमत पर कार्य देना पड़ा एवं निधि अव्ययित रहने से ₹ 2.63 करोड़ का अपरिहार्य दायित्व का सृजन हुआ तथा ₹ 27.70 लाख<sup>30</sup> लाख के सूद की हानि हुई।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2010)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

## 2.5 सामान्य

### लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई

#### 2.5.1 व्याख्यात्मक टिप्पणी (कृत कार्रवाई) का उपस्थापन नहीं किया जाना

बिहार सरकार के वित्त विभाग के अनुदेशों की पुस्तिका (1998) (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के अनुसार संबंधित विभागों के सचिवों को लोक लेखा समिति की सूचना का इन्तजार किए बिना विधान मंडल के सम्मुख लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के उपस्थापना की तिथि के दो माह के अंदर लेखापरीक्षा द्वारा जांचित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (ले.प.प्र.) में सन्निहित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर विधानसभा के सचिवालय को व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना आवश्यक था और उसे ऐसी अनियमितताओं और विहित मानकों से विचलन होने के कारणों और परिस्थितियों को इंगित करते हुए उनपर प्रस्तावित कार्रवाईयों या किए गए कार्रवाईयों को बतलाना था।

इसके अलावा, लेखा एवं लेखापरीक्षा के विनियमों के नियम 213 (नवम्बर 2007) के अनुसार संघ, राज्यों एवं विधानसभा वाले संघ शासित क्षेत्रों जिसमें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऐक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) को जाँच करें, सरकार के संबंधित विभागों के सचिवों को दो प्रतियों में स्वयं प्रारूपित व्याख्यात्मक ऐक्शन टेकेन नोट्स प्रधान महालेखाकार को, संबंधित फाइलों और दस्तावेजों जिसके लिए व्याख्यात्मक नोट्स सूत्रित किया गया है, उचित रूप से संदर्भित एवं संबद्ध कर भेजा जाना चाहिए। यह लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित स्व-व्याख्यात्मक ऐक्शन टेकेन नोट्स के उपस्थापन हेतु निर्णित समय सीमा के अंदर करना था।

<sup>30</sup> 14 माह के लिए 8.03 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना किया गया था (2.96 करोड़ रुपये X 8.03 प्रतिशत /12 X 14)।

जुलाई 2010 तक सात विभागों द्वारा विधानमंडल के सम्मुख 13 अगस्त 2010 तक प्रस्तुत 2000-01 से 2008-09 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 227 कंडिकाओं/समीक्षाओं में से 151 की अनुपालन या व्याख्यात्मक/एक्शन टेकेन नोट्स प्रस्तुत नहीं किया गया था।

### 2.5.2 लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं किया जाना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं के निष्पादन हेतु अनुदेशों की पुस्तिका के अनुसार, विभागों को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर अनुशंसाओं की प्राप्ति के दो महीने के अंदर ऐक्शन टेकेन नोट्स (ए.टी.एन.) उपस्थापित करना था।

यह देखा गया कि जुलाई 2010 तक लोक लेखा समिति द्वारा 134 कंडिकाओं पर चर्चा की गई एवं नवम्बर 2000 और जुलाई 2010 के बीच 27 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ की गई थीं। इनमें से नवम्बर 2010 तक सिर्फ सात मामलों में ए.टी.एन. प्राप्त हुए थे।

### 2.5.3 प्रतिक्रिया का अभाव

लेन-देन की नमूना जाँच एवं विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखे एवं अन्य अभिलेखों के सत्यापन हेतु प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक लेखापरीक्षा निरीक्षण संचालित करने की व्यवस्था की जाती है। ये निरीक्षण, निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) द्वारा अनुसारीत होते हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणी पर उसके अनुश्रवण एवं उसके निपटारा हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों पर एक अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन विभाग के प्रधान सचिव/सचिव का भेजा जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदन में रखे गये अवलोकनों का उत्तर कार्यालय प्रधान एवं बाद के उच्चाधिकारियों द्वारा देना आवश्यक है एवं प्रतिवेदन के अनुसार दोषों एवं भूल-चूकों को तत्परता के साथ परिशोधित कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार (ले.प.) को भेजना है।

जून 2008, जून 2009 एवं जून 2010 के अन्त तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/ कंडिकाओं की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

मद	के अन्त में लंबित कंडिकाएँ		
	जून 2008	जून 2009	जून 2010
निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3744	3924	3658 <sup>31</sup>
कंडिकाओं की संख्या	20866	20942	20047

30 जून 2010 तक लंबित 3,658 नि.प्र./20,047 कंडिकाओं में से 1092 नि.प्र./6813 कंडिकाओं के प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे। इन नि.प्र. एवं कंडिकाओं की वर्षवार विवरणी **परिशिष्ट-2.6** में दर्शायी गयी है। प्रधान सचिवों/सचिवों जो कि अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से इस स्थिति से अवगत थे, वे भी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा तत्परता एवं समय से कार्रवाई किये जाने को सुनिश्चित नहीं कर सके।

### 2.5.4 लेखापरीक्षा समिति का गठन

शकधर समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सभी विभागों में आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विकसित करने एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन को अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया (फरवरी 2005)। सचिव, वित्त विभाग को सदस्य (समन्वयन) एवं सभी विभागीय सचिवों एवं

<sup>31</sup> लंबित नि.प्र. कंडिकाओं की संख्या घट गयी।

प्रधान महालेखाकार को समिति का सदस्य बनाया गया। अक्टूबर 2009 से सितम्बर, 2010 के बीच समिति की बैठक नहीं हुई।

अठारह विभागों में लेखापरीक्षा समितियाँ बनायी गयी और अप्रैल 2009 से मार्च 2010 के बीच 18 अवसरों पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकें हुईं जिसके परिणामस्वरूप 51 निरीक्षण प्रतिवेदन और 892 कंडिकार्यें निपटाये गए। सूचित करने के बावजूद प्रधान सचिव/सचिव एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हुए।

यह लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गयी त्रुटियों को सुधारने हेतु विभागों की गंभीरता की कमी को दर्शाता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को तत्परता से (i) विभाग और जिला स्तर पर लेखापरीक्षा समिति का गठन करना चाहिए, (ii) लंबित नि.प्र. एवं कंडिकाओं के तीव्र निपटान हेतु लेखापरीक्षा समिति की नियमित बैठक होनी चाहिए, (iii) प्रधान महालेखाकार के नि.प्र. पर ससमय एवं उचित प्रत्युत्तर को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और (iv) निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठायी गयी आपत्तियों के आलोक में तुरन्त वसूली होनी चाहिए।

## 3.1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

### विशिष्टताएँ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का लक्ष्य जनसाधारण के बीच वैज्ञानिक जागरूकता को उन्नत करना और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना था। तकनीकी शिक्षा के मूल्य एवं शक्ति में बढ़ोत्तरी तथा राज्य के विद्यार्थियों को उसकी सहज उपलब्धता प्रदान करने के लिए, विभाग द्वारा प्रौद्योगिक महाविद्यालयों, पोलिटेक्निक और विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के विभागों में उच्च स्तर के अध्ययन के केन्द्र जैसे नये संस्थानों का संस्थापन करने सहित व्यापक एवं विशाल क्षमता वाले कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए योजना बनायी गयी। विभाग में अपर्याप्त संचालन नियंत्रण पाया गया। संचालन संवर्ग में व्यापक स्तर पर रिक्तियाँ थीं। शिकायतों का प्रभावपूर्ण सुधार, सतर्कता और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अप्राप्त थे। हस्तगत विभिन्न परियोजनाओं के मूल्यांकन और उनका अनुश्रवण प्रभावशाली ढंग से नहीं किया गया था।

बजटीय नियंत्रण की कमी थी क्योंकि प्राक्कलन अवास्तविक थे। 2005-10 के दौरान प्राक्कलन उच्चतर थे जिसके कारण व्यापक बचत हुआ जिसे समय पर अभ्यर्पित नहीं किया गया और व्यपगत होने दिया गया।

[कंडिका 3.1.7.1]

विभाग द्वारा 2005-10 के दौरान बजट प्राक्कलन के प्रस्तुतीकरण में 66 से 131 दिनों का लगातार विलम्ब हुआ।

[कंडिका 3.1.7.3]

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पर निकासी किये गये ₹ 81 करोड़ का विस्तृत आकस्मिक विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत नहीं किया गया।

[कंडिका 3.1.7.4]

केवल मार्च के दौरान इकाईयों का व्यय कुल व्यय के 27 और 61 प्रतिशत के मध्य था।

[कंडिका 3.1.7.6]

विभाग द्वारा ₹ 2.60 करोड़ का भुगतान किया गया और अनुबंधीय कर्मचारियों के वेतन पर ₹ 2.36 करोड़ के उत्तरदायित्व का सृजन हुआ जो अनियमित था।

[कंडिका 3.1.7.7]

पहुँच पथ के निर्माण और जलापूर्ति के प्रावधान नहीं होने के कारण लड़कों के छात्रावास के निर्माण पर किया गया ₹ 1.24 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

[कंडिका 3.1.8.3]

प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों और पोलिटेक्निक विद्यालयों में मानवशक्ति की घोर कमी थी। परिणामस्वरूप, पर्याप्त मानवशक्ति के अभाव में तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता से समझौता किया गया।

[कंडिका 3.1.9]

विभाग में अनुश्रवण प्रणाली प्रभावशाली नहीं थी।

[कंडिका 3.1.10]



### 3.1.1 प्रस्तावना

विभाग द्वारा जनसाधारण के बीच वैज्ञानिक जागरूकता को उन्नत करने एवं गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना लक्षित था। तकनीकी शिक्षा के मूल्य एवं शक्ति में बढ़ोत्तरी और राज्य के विद्यार्थियों को इसकी सहज सुलभता प्रदान करने के लिए, विभाग द्वारा प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों, पोलिटेक्निक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विभागों में उन्नतिशील अध्ययन केन्द्रों जैसे नये संस्थानों को स्थापित करने सहित व्यापक एवं विशाल क्षमता वाले कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए योजना बनायी गयी। विभाग की दृष्टि तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान प्रयोग द्वारा समाज में धन और समृद्धि का सृजन था। विभाग का लक्ष्य बेहतर ज्ञान के अंतरण के लिए आधुनिक संसाधनों सहित अध्यापन केन्द्रों को सुसाध्य बनाना, वैश्विक स्तर के श्रेष्ठता मापदण्डों को पाने के लिए केन्द्रों की स्थापना और विभाग के तकनीकी लोगों को प्रशिक्षित करने हेतु उनके अध्ययन से संबंधित क्षेत्रों में विद्यार्थियों को तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रवीणता सुनिश्चित करना और अन्य श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के साथ ज्ञान के आदान-प्रदान और विचार विमर्श के अवसरों को प्रदान करना था।

### 3.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रधान सचिव विभाग के प्रधान थे जिन्हें एक उप-सचिव एवं दो अवर सचिवों द्वारा सहयोग किया जाता था। प्रधान सचिव विभाग के नियंत्री पदाधिकारी थे। विभाग में एक निदेशालय था जिसके प्रधान निदेशक थे और जिन्हें एक क्षेत्रीय स्तर के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त निदेशक, तीन उप-निदेशक और दो सहायक निदेशक एवं सहायक कर्मचारियों द्वारा सहयोग किया जाता था। राज्य में तकनीकी शिक्षा को उन्नत/प्रदान करने के लिए एक प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, 13 पोलिटेक्निक संस्थान, पाँच महिला औद्योगिक विद्यालय, (डब्ल्यू.आई.एस.) तकनीकी शिक्षा के लिए एक राज्य बोर्ड (एस.बी.टी.ई.) और एक राज्य परियोजना सुविधा इकाई (एस.पी.एफ.यू.) थे।

राज्य में विज्ञान संबंधित गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में विभाग के सचिव के अन्तर्गत झारखंड विज्ञान और तकनीकी परिषद (जे.सी.एस.टी.) कार्यरत था।

### 3.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा में विभाग के कार्य की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी कि :

- विभाग की योजना उपयुक्त और प्रभावी थी;
- वित्तीय प्रबंधन सफल एवं प्रभावी था;
- कार्यक्रम का कार्यान्वयन उपयुक्त एवं प्रभावी था;
- मानव शक्ति प्रबंधन प्रभावी था; और
- विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण उपयुक्त था और विभाग एवं संस्थाओं के बीच समुचित समन्वय था।

### 3.1.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

निम्नलिखित मापदण्डों के उपयोग द्वारा लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी:

- झारखण्ड सरकार का 2010 का संकल्पना दस्तावेज;
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) के मानक;
- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के मार्गदर्शिका और परियोजना (टी.इ.क्यू.आई.पी.) विवरण और
- झारखण्ड बजट नियमावली, झारखण्ड वित्तीय नियम (जे.एफ.आर.) और झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी. सी.)

### 3.1.5 लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं पद्धति

विज्ञान एवं तकनीकी विभाग का मुख्य नियंत्रि पदाधिकारी आधारित 2005-10 की अवधि को आच्छादित करता सिंपल रैंडम पद्धति के आधार पर चयनित सचिवालय, झारखण्ड विज्ञान एवं तकनीकी परिषद, राज्य सुसाध्य तकनीकी परियोजना, एक प्राद्योगिकी महाविद्यालय<sup>1</sup> एवं 13 तकनीकी विद्यालयों में से नौ<sup>2</sup> पाँच में से तीन महिला औद्योगिक विद्यालयों<sup>3</sup> के अभिलेखों की लेखा परीक्षा अप्रैल एवं जुलाई 2010 के मध्य नमूना जाँच के द्वारा सम्पादित की गयी।

विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के प्रधान सचिव के साथ 9 मार्च 2010 को प्रारम्भिक बैठक में लेखा परीक्षा के उद्देश्य, मापदण्ड और पद्धति पर विचार विमर्श किया गया। प्रधान सचिव, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के साथ अंतिम बैठक 23 अक्टूबर, 2010 को हुई थी जिसमें लेखा परीक्षा निकर्षों, परिणाम एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गई।

### लेखापरीक्षा के परिणाम

#### 3.1.6 योजना

विभाग द्वारा 2009-10 से पूर्व कोई वार्षिक योजना तैयार नहीं की गयी थी। किसी परिपेक्ष्य योजना को भी तैयार नहीं किया गया था। राज्य के तकनीकी शिक्षा के मूल्य और शक्ति के वृद्धि के साथ राज्य के विद्यार्थियों को इसे सहज सुलभ बनाने हेतु सरकार द्वारा 11वें पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान ₹ 392.50 करोड़ की निधि आवंटित की गई।

#### 3.1.7 वित्तीय प्रबंधन

##### 3.1.7.1 अनियमित बजट एवं अवास्तविक बजट आकलन

झारखण्ड बजट नियमावली के नियम 65 एवं 112 के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभाग द्वारा बजट प्राक्कलन समेकित किया जाना था। बजट प्राक्कलन यथा संभव सही होना था और बचत की स्थिति में सामयिक पुनर्विनियोग/प्रत्यार्पण सुनिश्चित करने का दायित्व नियंत्रि पदाधिकारी पर था। आगे, झारखण्ड बजट नियमावली के नियम 57 के अनुसार अतिरिक्त प्राक्कलन से बचना था और जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना था कि वैसे रकम का प्रावधान नहीं किया जाये जिसे व्यय नहीं किया जाना हो। समीक्षा

<sup>1</sup> बिहार तकनीकी संस्थान, सिन्दरी।

<sup>2</sup> बोकारो ( बालक एवं बालिकाएं), धनबाद ( बालक ), दुमका ( बालक ), जमशेदपुर (बालिका) खरसावाँ (बालक), लातेहार (बालक) और राँची (बालक एवं बालिकाएं)।

<sup>3</sup> बोकारो, डाल्टेनगंज और जामताड़ा।

की अवधि के दौरान विभाग का वार्षिक आवंटन एवं व्यय **तालिका-1** में दिया गया है।

**तालिका-1 : आवंटन एवं व्यय की विवरणी**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान	वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	वास्तविक अनुदान की राशि	व्यय	व्यय का अनुदान से प्रतिशत	बचत का अनुदान से प्रतिशत
2005-06	172.49	0.00	172.49	123.09	71	29
2006-07	147.22	1.90	145.32	77.55	53	47
2007-08	186.81	0.00	186.81	133.34	71	29
2008-09	224.07	0.75	223.32	141.40	63	37
2009-10	173.22	40.66	132.56	98.81	75	25
<b>कुल</b>	<b>903.81</b>	<b>43.31</b>	<b>860.50</b>	<b>574.19</b>	<b>67</b>	<b>33</b>

(स्रोत : विनियोग लेखे)

2005-10 के दौरान आकलन उच्चतर दिशा में थे जिससे वृहत बचतें हुईं जो 25 से 47 प्रतिशत के मध्य था और समय पर अभ्यर्पित नहीं की गईं

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2005-10 के दौरान आकलन उच्चतर दिशा में थे जिसके परिणामस्वरूप 25 से 47 प्रतिशत तक की लगातार बचतें हुईं जबकि व्यय 53 और 75 प्रतिशत के मध्य था जैसे कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है। विभाग की तरफ से यह अनियमित बजटीकरण को प्रदर्शित करता था।

यद्यपि विभाग के नियंत्री पदाधिकारी पर निधि के सामयिक पुनर्विनियोग/प्रत्यार्पण को सुनिश्चित करने का दायित्व था, यह अवलोकित हुआ कि 2005-10 के दौरान बचतों को समय पर प्रत्यार्पित नहीं किया गया और व्यपगत होने दिया गया।

**3.1.7.2 व्यय का अनुश्रवण**

झारखण्ड बजट नियमावली के नियम 121 एवं 122 के अनुसार, सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को कोषागार से मिलान की हुई व्यय विवरणियों को नियंत्री पदाधिकारियों को प्रस्तुत करना वांछित था। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा इन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के अभिलेखों से मिलान किया जाना वांछित था। यदि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा आवंटन से अधिक व्यय से संबंधित कोई त्रुटि पायी गयी तो चूक करने वाले निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के विरुद्ध नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि व्यय विवरणियों को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा नियंत्री पदाधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप, महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के आँकड़ों से मिलान नहीं किया गया। इससे व्यय के अनुश्रवण और वास्तविक बजट प्राक्कलन की तैयारी पर विपरीत प्रभाव पड़ा परिणामस्वरूप नियमित रूप से विशाल बचतें हुईं जिन्हें इस प्रतिवेदन के **कंडिका 3.1.7.1** में विमर्शित किया गया है।

**3.1.7.3 बजट प्राक्कलनों का विलंबित प्रस्तुतीकरण**

झारखण्ड बजट नियमावली के नियम 72 (अध्याय -III) के अनुसार, नियंत्री पदाधिकारी द्वारा चालू वर्ष का संशोधित प्राक्कलन और अगले वर्ष का बजट प्राक्कलन वित्त विभाग को प्रत्येक वर्ष के 14 अक्टूबर तक या वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित तिथि तक प्रस्तुत करना था।

विभाग द्वारा 2005-10 के दौरान बजट प्राक्कलन के प्रस्तुतीकरण में 66 से 131 दिनों का लगातार विलम्ब हुआ

बजट प्राक्कलन के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा 2005-10 के दौरान बजट प्राक्कलन के प्रस्तुतीकरण में 66 से 131 दिनों का लगातार विलम्ब किया गया जिसे **तालिका 2** में दिया गया है।

**तालिका - 2 : बजट प्राक्कलनों का विलम्बित प्रस्तुतीकरण**

वर्ष	वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित प्रस्तुतीकरण की नियत तिथि	प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तिथि	दिनों में विलम्ब
2005-06	06.10.04	14.02.05	131
2006-07	12.09.05	16.12.05	95
2007-08	13.09.06	11.12.06	89
2008-09	01.10.07	06.12.07	66
2009-10	01.10.08	लागू नहीं	लागू नहीं

(स्रोत : विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अभिलेख)

वर्ष 2009-10 के संबद्ध अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

#### 3.1.7.4 लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 319 एवं 320 के अनुसार, पूर्व माह के अंतिम दिन तक आहरित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों (ए.सी.बिल ) के विरुद्ध नियंत्री पदाधिकारी को प्रति हस्ताक्षरित के लिए समर्पित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों (डी.सी.बिल ) के आशय का प्रमाण पत्र को प्रत्येक माह के 10 वीं तिथि के बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत प्रथम ए.सी.बिल के साथ संलग्न करना था। बिना प्रमाण पत्र के माह के 10वीं तिथि के बाद प्रस्तुत ए.सी.बिल का भुगतान किसी भी अवस्था में नहीं करना था।

विस्तृत आकस्मिक विपत्र के समर्पण में असामान्य विलम्ब हुआ जो अप्रभावी वित्तीय नियंत्रण और अनुश्रवण को प्रदर्शित करता था

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग के अपने स्वयं के अभिलेखों के अनुसार, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पर 2006-10 के दौरान आहरित ₹ 81 करोड़ के लिए बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को महालेखाकर (ले.एवं ह.) को प्रस्तुत नहीं किया गया था (जून 2010) जैसा कि **तालिका 3** में दिया गया है।

**तालिका -3: असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.बिल )**

वर्ष	असमायोजित ए.सी.बिल ( ₹ करोड़ में)	विलंब की अवधि (महीने में)
2006-07	16.90	38
2007-08	5.75	26
2008-09	40.55	14
2009-10	17.80	02
<b>कुल</b>	<b>81.00</b>	

(स्रोत : विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2006-10 के दौरान ₹ 81 करोड़ का संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र असमायोजित पड़ा था। संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के समायोजन में ऐसे अत्यधिक विलम्ब छल-कपट/दुर्विनियोग के खतरों से भरा था।

### 3.1.7.5 रोकड़ बही का अनुपयुक्त संधारण

झारखण्ड कोषागार संहिता (खण्ड I) के नियम 86 (ii) के अनुसार सभी मौद्रिक लेन देन को करते ही उसे रोकड़ बही में दर्ज करना चाहिए एवं कार्यालय के प्रधान के द्वारा उसे सत्यापित किया जाना चाहिए। रोकड़बही को प्रत्येक दिन नियमित रूप से पूर्ण जाँच एवं बंद और मिलान किया जाना चाहिए। रोकड़बही के योग का सत्यापन कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाना चाहिए या रोकड़ बही के लिखने वाले के अलावे किसी अन्य जिम्मेवार अधीनस्थ द्वारा किया जाना चाहिए और इसे सही पाया गया के आशय का संक्षिप्त हस्ताक्षर करना चाहिए। प्रत्येक माह के अन्त में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा रोकड़बही में रोकड़ शेष को सत्यापित करना चाहिए और उस प्रभाव का तिथि युक्त हस्ताक्षर दर्ज करना चाहिए।

सभी 16 नमूना जाँच किये गये इकाईयों में रोकड़बही के संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि पाँच<sup>4</sup> इकाईयों में समुचित रूप से रोकड़बही का संधारण नहीं किया गया था। यह अवलोकित हुआ कि इन इकाईयों में समीक्षा अवधि के दौरान रोकड़ बही के लिखने वाले के अलावा किसी अन्य जिम्मेदार अधीनस्थ द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ शेष के सत्यापन का प्रमाण पत्र अभिलिखित नहीं किया गया था और न ही कार्यालय के प्रधान द्वारा किया गया था। रोकड़ बही के संधारण में विहित क्रियाविधियों के अनुपालन में विफलता के कारण सरकारी राशि के दुर्विनियोग का खतरा अन्तर्ग्रस्त था।

### 3.1.7.6 मार्च में व्यय की अचानक वृद्धि

झारखण्ड बजट नियमावली के नियम 113 में प्रदत्त है कि राशि को जल्दी बाजी में या अविवेचित रूप से इसलिए व्यय नहीं करना चाहिए कि यह उपलब्ध है या अनुदान के व्यपगत होने से बचा जा सके। वित्तीय वर्ष के अन्त में महीनों में व्यय की अचानक वृद्धि वित्तीय नियमितता का उल्लंघन है।

सभी नमूना जाँच किये गये इकाईयों में 2007-10 के अवधि के संबद्ध अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च के दौरान इकाईयों द्वारा किया गया व्यय कुल व्यय के 27 और 61 प्रतिशत के मध्य था जैसा कि परिशिष्ट-3.1 में दिया गया है।

### 3.1.7.7 अनियमित भुगतान और दायित्व का सृजन

"पोलिटैक्निक शिक्षा के सशक्तीकरण" नामक विश्व बैंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 106 व्यक्तियों को तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया (अक्टूबर 1996)। कथित परियोजना अक्टूबर 1998 के बाद नहीं चली। संविदित कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सितम्बर 1998 तक विश्व बैंक परियोजना से किया गया और उसके बाद इन संविदा पदों के लिए नियमित कर्मचारी को विभाग द्वारा नियुक्ति के शर्त पर संविदा के विस्तारित अवधि जून 2007 तक मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर विभाग के बजट से भुगतान किया गया।

सात इकाईयों<sup>5</sup> के दस्तावेजों के नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि विभाग द्वारा तकनीकी संस्थानों में अनुबन्धित पदों पर नियमित कर्मियों की नियुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। यह भी अवलोकन किया गया कि फरवरी 2007 के बाद उन कर्मचारियों का न तो सेवा विस्तार किया गया और न ही उनकी सेवा समाप्त की गई। फिर भी, उनके द्वारा किये गये कार्यों के लिए फरवरी 2007 के बाद वेतन भुगतान नहीं किया गया।

<sup>4</sup> बिहार तकनीकी संस्थान, सिन्दरी, सरकारी पोलिटैक्निक विद्यालय, बोकारो, धनबाद, दुमका और राँची।

<sup>5</sup> राजकीय पोलिटैक्निक, बोकारो (बालक एवं बालिकाएं), धनबाद (बालक) दुमका (बालक) लातेहार (बालक), राँची (बालक एवं बालिकाएं)।

केवल मार्च में इकाईयों का व्यय कुल व्यय के 27से 61 प्रतिशत के मध्य था

विभाग ने ₹ 2.60 करोड़ का भुगतान एवं ₹ 2.36 करोड़ का वेतन मद में दायित्व का सृजन किया जो अनियमित था

इस दौरान प्रवासी विभाग ने दिसम्बर 2000 से फरवरी 2007 के बीच ₹ 2.60 करोड़ का अनियमित भुगतान किया (**परिशिष्ट 3.2**) तथा मार्च 2007 से फरवरी 2010 के बीच ₹ 2.36 करोड़ के दायित्व का सृजन वेतन मद में किया गया जबकि प्रवासी विभाग द्वारा कभी भी वित्त विभाग से उनके वेतन भुगतान और सेवा विस्तार की स्वीकृति नहीं लिया गया था। यह अवलोकन किया गया कि उनके वेतन भुगतान का आदेश मुख्यमंत्री ने इस शर्त पर जारी की थी कि प्रवासी विभाग चयन प्रक्रिया को प्रारम्भ करेगा लेकिन विभाग द्वारा अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया (नवम्बर 2010)।

### 3.1.7.8 उपयोगिता प्रमाण पत्र का समर्पित नहीं होना

सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश और अनुदेशों के अनुसार कार्यकारी अभिकरणों द्वारा उनको प्राप्त आवंटन के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को समर्पित करना था।

लेखों के जाँच से ज्ञात हुआ कि विभाग ने कोषागार से ₹ 126.60 करोड़ की निकासी 2005-10 के दौरान कर उनका स्थानांतरण विभिन्न कार्यकारी अभिकरणों जैसे कार्यपालक अभियंताओं, भवन निर्माण विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.), पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एन.बी.सी. सी. एल.) तथा उपायुक्तों को जमीन खरीदने, निर्माण कार्य, भवन मरम्मत एवं पुनरुद्धार तथा अन्य उद्देश्यों के लिए 51 योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिया गया। नीचे की **तालिका 4** में कार्यकारी अभिकरणों को राशि की निकासी एवं स्थानांतरण का वर्षवार ब्यौरा दिया गया है।

**तालिका- 4: विभाग द्वारा कार्यकारी अभिकरणों को आवंटित किये गये कार्यों का ब्यौरा**

वर्ष	राशि ( ₹ में )	कार्यों की संख्या
2005 -06	2,19,39,700	11
2006 -07	28,13,86,983	06
2007 -08	35,75,73,338	27
2008 -09	42,69,27,326	04
2009 -10	17,80,10,170	03
<b>कुल</b>	<b>1,26,58,37,517</b>	<b>51</b>

(स्रोत-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)

पुनः यह अवलोकित किया गया कि कार्यकारी अभिकरणों द्वारा अभी तक कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया था (नवम्बर 2010)। फिर भी, विभाग ने न तो उपयोगिता प्रमाण पत्र को समर्पित करने का आग्रह किया और न ही अपने लेखा का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के अभिलेखों से किया। उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में विभाग को प्रत्येक योजना के विरुद्ध खर्च की गई राशि की जानकारी नहीं थी।

### 3.1.8 कार्यक्रम कार्यान्वयन

झारखण्ड सरकार के संकल्पना दस्तावेज 2010 में अन्य बातों के अलावा संस्थागत ढाँचा सुदृढीकरण करने की परिकल्पना की ताकि आमजन की पहुँच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तक हो, वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले तथा जनमानस से समाज में फैले भ्रांतियां एवं कुप्रथा को मिटाना, वास्तविक ई-शासन स्थापना के लिए वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना ताकि जनमानस को साफ-सुथरी, पेपरविहीन एवं सेवा तुरन्त उपलब्ध हो सके एवं राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और जीव-प्रौद्योगिकी योजनाओं का विकास किया जा सके।

<sup>6</sup> राशि की गणना झारखण्ड बनने के बाद की अवधि के लिए की गई है।



तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टी.ई.क्यू.आई.पी.) के तत्वावधान में पूर्वी क्षेत्र के लिए अप्रैल 2007 में आयोजित भारतीय औद्योगिक संगठन की कार्यशाला में उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रों का लगातार पलायन होते रहने के बारे में आम सहमति बनी। यह भी अवलोकन किया गया कि छात्रों को विभिन्न राज्यों में जीवन यापन के लिए अधिक व्यय करना पड़ा तथा अधिक शुल्क भुगतान करनी पड़ी तदनुसार यह महसूस किया गया कि राज्य का दायित्व बनता था कि देश की कार्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योग्य युवकों को तकनीकी अर्हताओं से सुसज्जित करते हुए उपयुक्त मार्ग उपलब्ध कराया जाए।

### 3.1.8.1 तकनीकी संस्थानों की स्थापना न होना

सरकार के संकल्पना दस्तावेज में नामांकन क्षमता को बढ़ाने की योजना बनाई गई लेकिन अभी तक तकनीकी संस्थानों की संख्या में कोई वृद्धि न होने के कारण नामांकन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुआ। केवल एक नया पोलिटेक्निक झारखण्ड राज्य के बनने के बाद (नवम्बर 2000) खरसावां में शुरू किया गया (2006)।

सरकार ने ₹ 36 करोड़ की अनुमानित लागत प्रत्येक पर, रामगढ़, चाईबासा एवं दुमका में तीन अभियंत्रण कॉलेज और ₹ 16 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रत्येक पर, नौ नये पोलिटेक्निकों<sup>7</sup> का राज्य में स्थापना का निर्णय लिया यथा (दिसम्बर 2006 से अगस्त 2007 के बीच)। इन अभियंत्रण कॉलेजों एवं पोलिटेक्निकों के भवन निर्माण का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों उदाहरणस्वरूप राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एन.पी.सी.सी.एल.), राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एन.बी.सी. सी. एल.) एवं अभियंत्रण परियोजना (आई.) लि. (ई.पी.आई.एल.) को टर्न-की आधार पर दिया गया (फरवरी 2007 और अप्रैल 2010 के बीच)।

निर्माण कार्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 29.42 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम बिना जमीन की उपलब्धता को सुनिश्चित किये हुये दिया गया (मार्च 2007 तथा मार्च 2008 के बीच) जबकि सरकार के द्वारा केवल तीन अभियंत्रण कॉलेजों एवं तीन पोलिटेक्निकों (खरसावां, सिल्ली तथा भागा) के लिए जमीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उपलब्ध करवाया गया। शेष छः पोलिटेक्निकों के लिए जून 2010 तक जमीन उपलब्ध कराया जाना था।

जाँच से पुनः ज्ञात हुआ कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 16 से 22 महीने (जून 2010) बीत जाने के बाद भी भवनों के निर्माण कार्य अपूर्ण थे जो **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाया गया है। अतः संकल्पना दस्तावेज में विभाग के योजनानुसार तकनीकी संस्थानों की स्थापना की परिकल्पना, योजनानुसार अधूरी रही।

### 3.1.8.2 मरम्मत एवं पुनरुद्धार पर व्यय

विभाग ने ₹ 38.67 लाख के व्यय के बाद राजकीय पोलिटेक्निक, भागा की मरम्मत/पुनरुद्धार/निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया

विभाग ने मार्च 2008, में राजकीय पोलिटेक्निक, भागा के मरम्मत/पुनरुद्धार/निर्माण कार्य के लिए 83.57 लाख रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया तथा कार्य को कार्यपालक अभियंता, एन.आर.ई.पी. धनबाद को अप्रैल 2008 में दिया गया।

लेखों के जाँच से ज्ञात हुआ कि विभाग ने सितम्बर 2008 में प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक, भागा एवं कार्यकारी अभिकरण को कार्य तुरन्त रोकने का आदेश दिया क्योंकि एक नया पोलिटेक्निक भवन ₹ 17 करोड़ की अनुमानित लागत से भागा, धनबाद में बनने जा रहा था जो कि जून 2009 में बन कर तैयार हो जाता जिससे ऐसे मरम्मत/पुनरुद्धार/निर्माण की जरूरत नहीं थी। इस दौरान ₹ 38.67 लाख का व्यय हो चुका था। अंकेक्षण में यह देखा गया कि शेष

<sup>7</sup> बहरागोड़ा, भागा, चान्दिल, गढ़वा, गोला, जगन्नाथपुर, खरसावां, पाकुड़ एवं सिल्ली।

राशि ₹ 45 लाख अभी तक अभिकरण के पास पड़ा हुआ था (सितम्बर 2010)।

अतः वर्तमान पोलिटेक्निक पर मरम्मत एवं पुनरुद्धार की स्वीकृति बिना आवश्यकता के मूल्यांकन किये जबकि नया पोलिटेक्निक भवन था, के कारण ₹ 38.67 लाख की राशि का परिहार्य व्यय हुआ और साथ ही ₹ 45 लाख की राशि को अवरुद्ध किया गया।

### 3.1.8.3 त्रुटिपूर्ण आकलन के कारण लड़कों का छात्रावास चालू करने में देरी

₹ 1.24 करोड़ व्यय होने के बावजूद छात्रावास भवन प्रयोग के लायक नहीं थे

राजकीय पोलिटेक्निक लातेहार के प्रांगण में 100 बिस्तर वाला लड़कों के दो छात्रावास को निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा ₹ 1.24 करोड़ का दिया गया (सितम्बर 2004) जिसकी ₹ 1.38 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग (भ.नि.वि.) ने प्रदान की (नवम्बर 2005)। कार्य का आवंटन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, लातेहार को दिया गया।

लेखों के जाँच से ज्ञात हुआ कि मुख्य अभियंता, भ.नि.वि. द्वारा तैयार तकनीकी आकलन में छात्रावास के लिए पहुंच पथ एवं जलापूर्ति का प्रावधान सम्मिलित नहीं था। इसके फलस्वरूप, छात्रावास ₹ 1.24 करोड़ का व्यय होने के बाद बन कर तैयार होने (अक्टूबर, 2009) के बाद भी इसे उपयोग में नहीं लाया जा सका था (जून 2010)।

### 3.1.8.4 ए.आई.सी.टी.ई. प्रावधानों के तहत योजनाओं का क्रियान्वित न होना

अपने कार्यों के तहत, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) तकनीकी संस्थानों में शोध एवं विकास कार्यों को बढ़ाने, उद्योग संस्थान के पारस्परिक क्रिया के तहत विभिन्न योजनाओं के अधीन जैसे उद्यमिता विकास कोश (ई.डी.सी.), उद्योग संस्थान साझेदारी कोश (आई.आई.पी.सी.), अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी में औद्योगिक सहयोग के साथ राष्ट्रीय सुविधाएं (एन.ए.एफ.ई.टी.आई.सी.) तथा अनुसंधान एवं संस्थागत विकास ब्यूरो के द्वारा तकनीकी विषयों में राष्ट्रीय समन्वित परियोजनाओं (एन.सी.पी.) उद्योग संस्थान के पारस्परिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

#### (I) प्रस्ताव का ए.आई.सी.टी.ई. को समर्पित न किया जाना

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित पोलिटेक्निकों एवं स्नातक तकनीकी संस्थानों के छात्रों को कैरियर विकल्प के रूप में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता विकास कोश (ई.डी.सी.) की स्थापना की गई। उद्यमी क्षेत्र में प्रशिक्षण देने तथा प्रबंधन की महत्ता को बढ़ाने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ए.आई.सी.टी.ई. के पास प्रस्ताव भेजा जाना आवश्यक था। ई.डी.सी. योजना के तहत प्रस्तावों को ए.आई.सी.टी.ई. के पास यह विधिवत प्रमाणित करते हुए कि संस्थान अपने दायित्वों का निर्वाह करेगा, समर्पित करना था।

जाँच से ज्ञात हुआ कि किसी भी नमूना जाँचित पोलिटेक्निकों ने इस संबंध में ए.आई.सी.टी.ई. को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। इसके फलस्वरूप, संस्थान ए.आई.सी.टी.ई. से वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठा सके तथा छात्रों को अभिप्रेत लाभों से वंचित रहना पड़ा।

#### (II) उद्योग संस्थान भागीदारी कोश के तहत प्रस्ताव को ए.आई.सी.टी.ई. को समर्पित न किया जाना।

औद्योगिक अपेक्षाओं (व्यवहार) एवं शैक्षणिक प्रस्तुतियों (सिद्धान्त) के बीच के अन्तर को कम करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों में ए.आई.सी.टी.ई. ने उद्योग संस्थान भागीदारी कोश योजना को प्रारम्भ किया। इस योजना के तहत ए.आई.सी.टी.ई. से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, परियोजनाओं का प्रस्तावना संस्थानों के द्वारा ए.आई.सी.टी.ई. को भेजा जाना था।

जाँच से ज्ञात हुआ कि किसी भी नमूना जाँचित पोलिटैक्निकों ने इस संबंध में ए.आई.सी.टी.ई. को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। इसके फलस्वरूप, संस्थान ए.आई.सी.टी.ई. से वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठा सके तथा छात्रों को अभिप्रेत लाभ से वंचित रहना पड़ा।

### (III) संकायों को प्रशिक्षण एवं निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था का अभाव

ए.आई.सी.टी.ई. के 6.2.11 एवं 6.2.12 के मानदण्डों के अनुसार, शिक्षकों के लिए एक निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था की स्थापना करना था जो कि संस्थागत कार्यों के साथ अच्छी तरह समेकित हो, विकास जरूरतों एवं व्यक्तिगत प्रशिक्षण की पहचान करे तथा गुणवत्ता उन्नत प्रोग्राम जो कि उद्योग अनुकूलित तथा व्यवहारिक स्तर का हो, के माध्यम से शिक्षकों को अपनी योग्यता सुधार के लिए अवसर प्रदान करना था।

लेखों के जाँच से ज्ञात हुआ कि संस्थानों द्वारा न तो निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था स्थापित किया गया और केवल बिहार प्रौद्योगिकी संस्थान, सिंदरी को छोड़कर, न ही किसी भी नमूना जाँचित संस्थानों में संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

#### 3.1.8.5 टी.इ.क्यू.आई.पी. योजना का कार्यान्वयन

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (टी.इ.क्यू.आई.पी.) जो विश्व बैंक के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा मार्च 2003 में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु एवं गत्यात्मक, आवश्यकतापरक, गुणवत्तापरक, दक्षतापूर्ण अनुसोची पद्धति तीव्र आर्थिक और तकनीकी विकास हेतु जवाबदेह, जो राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर होनी थी, शुरू की गयी थी।

योजना के लिए निधि विश्व बैंक के कर्ज द्वारा उपलब्ध कराना था। ऋण का पुनर्भुगतान केन्द्र और राज्य सरकारों को 30:70 के अनुपात में करना था।

राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए मई 2004 में संकल्प पारित किया और दिसम्बर 2005 में काम शुरू किया। राज्य स्तर पर टी.इ.क्यू.आई.पी. का क्रियान्वयन राज्य परियोजना सरलीकरण इकाई (एस.पी.एफ.यू.) के द्वारा किया जाना था।

इस प्रोजेक्ट के चार घटक थे यथा शैक्षणिक उत्कृष्टता विकास, नेटवर्किंग, समुदाय की सेवा, मितव्ययता और प्रबंधकीय क्षमता का विकास पहले चरण में क्रियान्वित किया जाना था। शुरुआत में, चार<sup>8</sup> तकनीकी संस्थानों को पहले चरण में जो वर्ष 2005-09 तक विकसित हुए थे, चुना गया। एस.पी.एफ.यू. झारखण्ड को भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट क्रियान्वयन इकाई (एन.पी.आइ.यू.), के माध्यम से (अगस्त 2007) ₹ 31.87 करोड़ जीवन भर के आवंटन (एल.टी.ए.) के रूप में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त हुए।

तीन<sup>9</sup> यूनिट के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि -

- टी.इ.क्यू.आई.पी. गाइडलाइन के अनुसार, चयनित संस्थानों को शैक्षणिक, प्रशासनिक, प्रबंधकीय और वित्तीय स्वायत्तता का होना अनुदान प्राप्त करने के लिए जरूरी था। राज्य सरकार ने इस बारे में मई 2004 में एक संकल्प जारी किया परन्तु यह पाया गया कि अनुदान प्राप्त करने के लिए इकाईयों को शैक्षणिक, प्रशासनिक, प्रबंधकीय और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी। नमूना जाँचित एक मात्र संस्थान बिहार इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिंदरी में कुछ हद तक शैक्षणिक प्रशासनिक प्रबंधकीय और वित्तीय स्वायत्तता थी। इसके बावजूद इन संस्थानों को यथोचित अर्हताओं को पूरा किये बिना टी.इ.क्यू.आई.पी. योजना में एस.पी.एफ.यू. को भारत सरकार के द्वारा निधियां दी गई।

<sup>8</sup> बिहार तकनीकी संस्थान, सिन्दरी, बिरला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राजकीय पोलिटैक्निक, दुमका और राँची।

<sup>9</sup> बिहार तकनीकी संस्थान, सिन्दरी, राजकीय पोलिटैक्निक, दुमका और राँची।

- टी.ई.क्यू.आइ.पी. योजना के अनुसार सांस्थानिक स्तर पर नीतिगत निर्णय लेने और संस्थानों के समग्र प्रबंधन के लिए नियंत्रक मंडल का होना जरूरी था। राजकीय पोलिटेक्निक, राँची और दुमका में नियंत्रक मंडल की स्थापना नहीं की गयी थी। इसके अलावा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और स्थानीय लोगों के बीच वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सौर प्रणाली को लोकप्रिय बनाने, जल के गुणता मूल्यांकन, वाटर हार्वेस्टिंग आदि उनके द्वारा आयोजित नहीं किए गए जो टी.ई.क्यू.आइ.पी. के अधीन करना आवश्यक था।
- टी.ई.क्यू.आइ.पी. परियोजना के अनुसार निकाय निधि, एक कर्मचारी विकास निधि, एक अनुरक्षण निधि और एक ह्रास निधि का सृजन परियोजना अवधि से आगे सुधार प्रक्रिया जारी रखे जाने के लिए की जानी थी। इस निधि के स्रोत छात्रों से शुल्क संग्रहण, प्रखंड अनुदानों से बचतें, दान करने वाले संस्थाओं के दान से, आन्तरिक संसाधन से उत्पादन (आई.आर.जी.) और उसके अनुरूप अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त की जानी थी।
- राजकीय पोलिटेक्निक, राँची और दुमका के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उन्होंने ₹ 1.80 करोड़ प्राप्त किया परन्तु सुधार प्रक्रिया जारी रखे जाने के लिए किसी निधि की स्थापना नहीं की थी।
- इस प्रोजेक्ट का दूसरा घटक नेटवर्किंग की स्थापना चयनित संस्थानों में साधनों के उत्तमता और संसाधन बाँटने के लिए, संकाय विकास पाठ्यक्रम की सूची के विकास, शोध सहभागिता, सूचनाओं का विस्तार और संकायों और विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगी प्रकृति लाना सहयोगी संस्थानों में की जानी थी।
- अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग ने उन संस्थानों को नहीं पहचाना था जहाँ नेटवर्किंग की स्थापना की जानी थी (जून 2010)। एस.पी.एफ.यू. को राज्य स्तर पर उन संस्थानों को पहचानना था जहाँ टी.ई.क्यू.आइ.पी. योजना के अन्तर्गत नेटवर्किंग के जरिये मानव संसाधन का आदान-प्रदान किया जा सकता था। यह भी पाया गया कि ₹ 7.93 लाख के नेटवर्किंग के उपकरण दो संस्थानों यथा राँची और दुमका के द्वारा वर्ष 2005-09 के दौरान खरीदे गये थे लेकिन कॉन्फ्रेंसिंग मशीनों के अभाव में नेटवर्किंग के उपकरण चालू नहीं किये जा सके।

### 3.1.8.6 जिला विज्ञान केन्द्र सह-तकनीकी पुस्तकालयों की स्थापना नहीं किया जाना

विभाग ने साधारण लोग और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का प्रसार करने के लिए एवं विज्ञान को जिला स्तर पर प्रसिद्ध और प्रचलित करने के लिए (2001-02) जिला विज्ञान केन्द्रों-सह-तकनीकी पुस्तकालयों की स्थापना करने का संकल्पना किया।

इस क्रम में छः<sup>10</sup> जिलों में विज्ञान केन्द्रों-सह-तकनीकी पुस्तकालयों के निर्माण के लिए ₹ 41 लाख प्रति की स्वीकृत दर पर प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2001-02 में प्रदान की गई और अतिरिक्त ₹ 26 लाख में विज्ञान केन्द्र-सह-तकनीकी पुस्तकालय देवघर में तारामण्डल के निर्माण के लिए 2004-05 के दौरान प्रदान की गई। कार्य को डेढ़ साल में पूरा करना आवश्यक था।

जे.सी.एस.टी. के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ₹ 2.54 करोड़ की राशि संबंधित जिला अधिकारियों को तीन किस्तों में इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए अक्टूबर 2002 और जनवरी 2007 के बीच दिये गये। यह प्रोजेक्ट यद्यपि आठ सालों के बीत जाने के बावजूद पाँच<sup>11</sup>

<sup>10</sup> बोकारो, डाल्टेनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका और हजारीबाग ।

<sup>11</sup> बोकारो, डाल्टेनगंज, धनबाद, दुमका और हजारीबाग ।

केन्द्रों में पूरा नहीं किया जा सका (अप्रैल 2010) विभाग के द्वारा कार्य की प्रगति का अनुश्रवण नहीं किया गया और सिर्फ मार्च 2010 में उपायुक्तों से विभाग के द्वारा कार्य के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के बारे में पूछा गया। डी.सी. ने उत्तर नहीं दिया (अक्टूबर 2010)।

विभाग ने (फरवरी 2009 तक) ₹ 1.05 करोड़ व्यय कर लिए थे। व्यय का अद्यतन विवरण यद्यपि मांगा गया था (अगस्त 2010) परन्तु प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2010)।

विभाग के अनुचित अनुश्रवण और कार्य के क्रियान्वयन में देरी करने के कारण लाभार्थियों को समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

### **3.1.8.7 क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र का चालू न होना**

भारत सरकार ने राँची में एक विज्ञान केन्द्र की स्थापना का विचार किया। प्रोजेक्ट की कीमत केन्द्र सरकार के वास्ते नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम (एन.सी. एस.एम.) को और राज्य सरकार को 50: 50 अनुपात में वहन करना था। इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य मजबूत आधारभूत संरचना के साथ क्रियाकलाप आधारित विज्ञान शिक्षण केन्द्र का विकास करना था। ₹ 5 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति फरवरी 2002 में दी गयी जिसे संशोधित कर ₹ 6.50 करोड़ किया गया (अक्टूबर 2004)। राज्य सरकार द्वारा निधियां प्रोजेक्ट के लिए नवम्बर 2003 और मार्च 2006 के बीच विमुक्त की गयी। जमीन का अधिग्रहण चिरौंदी ग्राम (राँची) में किया गया (अगस्त 2005)।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र के निर्माण का कार्य नेशनल काउन्सिल ऑफ साइंस म्यूजियम (एन.सी.एस.एम.) कोलकाता को टर्न-की आधार पर दिया गया (अक्टूबर 2002)। कार्य को प्रोजेक्ट शुरू करने की तिथि के उपरांत 30 महीनों के अन्दर किया जाना था जिसकी गणना कार्यकारी एजेन्सी को जगह का हस्तान्तरण की तिथि से होता। जगह का हस्तान्तरण जनवरी 2007 में किया गया तदनुसार जुलाई 2009 तक निर्माण कार्य पूरा किया जाना था। यह पाया गया कि विज्ञान केन्द्र को लेखा परीक्षा की तिथि (जून 2010) तक न तो पूरा किया और न ही क्रियाशील बनाया गया।

### **3.1.8.8 तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं किया जाना**

राज्य सरकार ने 2005-06 में राँची में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया जिसे तकनीकी संस्थानों को संबद्धता देने वाला विश्वविद्यालय होना था और पाठ्यक्रम में सुधार सहित चतुर्दिक विकास और अनुसंधान सुनिश्चित करना था। इसके अलावा तकनीकी विश्वविद्यालय को सभी तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के इम्तिहानों को संचालित कर समय पर परीक्षाफल प्रकाशित करना और साथ ही साथ पाठ्यक्रम कैलेण्डर में एकरूपता सुनिश्चित करना था। यह पाया गया कि ऐसा कोई विश्वविद्यालय राज्य में स्थापित नहीं किया गया था (जून 2010) जिसके कारण राज्य में तकनीकी शिक्षा का उत्थान करने और उसको व्यवस्थित करने में विघ्न उपस्थित हुआ।

### **3.1.9 मानव संसाधन प्रबंधन**

किसी भी संस्थान का कार्य और योजना का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यकतानुसार मानवसंसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मानव संसाधन प्रबंधन का विश्लेषण करने पर पाया गया कि इंजीनियरिंग महाविद्यालय और पोलिटेक्निकों में मानव संसाधनों की काफी कमी थी।

### (क) इंजीनियरिंग महाविद्यालय

सरकारी क्षेत्र में एकमात्र इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिहार इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिन्दरी था। जाँच में पाया गया कि यहाँ मानव संसाधनों की काफी कमी थी जो निम्नलिखित तालिका-5 में वर्णित थी:

तालिका - 5 : बिहार इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिन्दरी में मानव संसाधन की कमी

क्रम सं.	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियां
1	निदेशक	01	01	Nil
2	प्रोफेसर	26	02	24 (92)
3	सहायक प्रोफेसर	42	05	37 (88)
4	व्याख्याता	128	76	52 (41)
कुल		197	84	113 (57)

(स्रोत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) (कोष्ठक में अंक प्रतिशत के द्योतक हैं)

यह भी देखा जा सकता है कि शिक्षण संवर्ग में रिक्तियों का प्रतिशत 41 से 92 के बीच थी। इस संकट से बचने के लिए छोटे अवधियों के लिए तदर्थ नियुक्तियां संस्था के द्वारा की गयी। रिक्तियों को इस उत्कृष्ट इंजीनियरिंग महाविद्यालय में स्थायी रूप से भरने में विभाग के नाकाम रहने के कारण अनुभवी संकाय से महाविद्यालय वंचित रहा। इतने बड़े स्तर पर रिक्तियों के कारण संस्थान का क्रियाकलाप बुरी तरह प्रभावित हुआ।

ए.आई.सी.टी.ई. के मानकों के अनुसार विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात 15:01 का होना चाहिए था। नामांकित 2924 विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों की संख्या 195 होने चाहिए थे जबकि कार्यरत बल की संख्या केवल 84 ही थी। यह पाया गया कि विभाग ने इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

### (ख) पोलिटेक्निक

राजकीय पोलिटेक्निकों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मियों की भारी कमी थी

ए.आई.सी.टी.ई. के मानकों के अनुसार विद्यार्थी और शिक्षक का वांछित और न्यूनतम अनुपात 11:01 और 16:01 का क्रमशः होना चाहिए था। ए.आई.सी.टी.ई. मानकों के विद्यार्थी और शिक्षकों के अनुपात के अनुसार नामांकित 5634 विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों की संख्या क्रमशः 512 और 352 होने चाहिए थे। जाँच से पता चला कि ए.आई.सी.टी.ई. के मानकों के अनुसार स्वीकृत बल 352 होनी चाहिए थी लेकिन शिक्षकों की संख्या मात्र 240 थी। राजकीय पोलिटेक्निकों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मियों की भारी कमी थी जो तालिका-6 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-6: शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात की विवरणी

क्रम सं.	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	प्राचार्य	12	01	11 (92)
2	विभागाध्यक्ष	15	02	13 (87)
3	व्याख्याता	209	90	119 (57)
4	कार्यशाला अधीक्षक	04	Nil	04 (100)
	कुल	240	93	147 (61)

(स्रोत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) (कोष्ठक में अंक प्रतिशत के द्योतक हैं)

यह देखा गया कि विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों का प्रतिशत 57 से 100 के बीच था। कर्मियों की ऐसी भीषण कमी के कारण पोलिटेक्निक के क्रियाकलाप बुरी तरह प्रभावित हुआ। वास्तविक कार्यरत बल 93 बिल्कुल ही अपर्याप्त था। इसी तरह प्रयोगशाला सहायक की संख्या केवल 20

थी जबकि स्वीकृत बल 44 की थी। यह पाया गया कि विभाग ने इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई प्रयास नहीं किया (अक्टूबर 2010)।

इस प्रकार पोलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों को मुहैया कराई गई तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता से पर्याप्त मानव संसाधन की कमी के कारण समझौता किया गया था।

### 3.1.10 अनुश्रवण और आन्तरिक नियंत्रण

विभाग के मुख्य उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, संरचना का दृढ़ीकरण और सारपूर्ण तरीके के उत्थान और तकनीकी शिक्षण को मूल्य और शक्ति प्रदान करना था ताकि राज्य के विद्यार्थियों की सरल पहुँच हो सके। प्रबंधकीय उद्देश्य को मितव्ययी, गुणशाली और प्रभावशाली तरीके से प्राप्त करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण की एक तर्क संगत आश्वासन पद्धति का होना जरूरी था।

जाँच में यह पाया गया कि विभाग के अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले तकनीकी संस्थानों के कार्य-पद्धति मूल्यांकन/निरीक्षण/पुनरीक्षण और प्रबंधकीय सूचना प्रणाली की विकास की कोई क्रियाविधि को विकसित नहीं किया था। विभाग का अपना कोई मैनुअल नहीं था। विभाग ने कार्यकारी एजेन्सियों से निधि की उपयोगिता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में प्रभावशाली कदम नहीं उठाया और चालू रहने वाले कार्यों की स्थिति से अनभिज्ञ रहा। विभाग में शिकायत निवारण तंत्र नहीं था।

यह भी देखा गया कि विभाग का अपना आन्तरिक लेखा-परीक्षा संकाय नहीं था। राज्य सरकार के वित्त विभाग के आन्तरिक लेखा-परीक्षा संकाय ने 2005-10 के दौरान 16 नमूना जाँच इकाईयों में से सिर्फ एक इकाई में लेखा परीक्षा की थी। विभाग का अपना कोई निगरानी तंत्र नहीं था। कुछ उदाहरण कंडिकाएँ 3.1.8.6 एवं 3.1.8.7 में दिये गए हैं जहाँ विभाग ने प्रभावशाली तरीके से कार्यकलापों का अनुश्रवण नहीं किया जिसके कारण उससे होने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा।

### 3.1.11 पिछले सालों के बकाया लेखापरीक्षा अवलोकन

विभाग की नियमबद्ध लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा योजना के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखंड, राँची के द्वारा नियमित रूप से की गयी और तदनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्गत किए गए थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों में लंबित लेखा परीक्षा अवलोकनों का सार तालिका-7 में दिया गया है:-

तालिका-7 : दिनांक 31.03.2010 को निरीक्षण प्रतिवेदन में लेखा परीक्षा अवलोकनों का सार

वर्ष	निर्गत किए गए नि.प्र. की संख्या	निर्गत कंडिकाओं की संख्या	कंडिका निपटाए गए	लंबित कंडिका	जिनके प्रारंभिक उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2005-06	6	27	2	25	5
2006-07	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2007-08	5	41	9	32	3
2008-09	3	20	1	19	2
2009-10	2	14	-	14	2
कुल	16	102	12	90	12

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखंड, राँची का कार्यालय)



उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 90 कंडिकाएं 4 से 60 महीने तक लंबित है जबकि लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन के लिए लगातार स्मरणपत्र विभाग को निर्गत किये जाते रहे थे। विभाग ने पुराने कंडिकाओं को निष्पादन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। (जुलाई 2010)

### 3.1.12 निष्कर्ष

बजट मैनुअल के प्रावधानों को ठीक से पालन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप बड़ी बचतें देखी गयीं। रोकड़ बही का संधारण ठीक ढंग से नहीं किया गया था। ए.सी बिल के जरिये निकाले गये पैसे के डी.सी. बिल समय पर जमा नहीं किये गये। परिचालन नियंत्रण की कमी विभाग में देखी गयी। परिचालन संवर्ग में बड़े स्तर पर रिक्तियां थीं। प्रभावशाली शिकायत निवारण तंत्र का विभाग में अभाव था। निगरानी और आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों का पूर्णतः अभाव था। विभिन्न प्रोजेक्ट जो हाथों में थे, का मूल्यांकन और उनके प्रभावशाली ढंग से अनुश्रवण की व्यवस्था नहीं थी।

### 3.1.13 अनुशंसार्यें

- बजट अनुमान संस्थानों के आंकड़ों को प्राप्त कर समय पर बनाये जायें और समय पर उसे विभाग को भेजा जाये।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी निकासी और व्ययन पदाधिकारी से व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को भेजे जाये।
- वित्तीय नियमों और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
- परियोजना का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- मानव संसाधन की कमी को प्रभावशाली ढंग से निपटना चाहिए।
- कार्य की प्रगति के अनुश्रवण की समुचित प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए।
- विभाग में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा संकाय को स्थापित किया जाना चाहिए।

## 4.1 लोक क्षेत्र उपक्रमों का विहंगावलोकन

### प्रस्तावना

**4.1.1** राज्य के सार्वजनिक लोक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यू.) में राज्य की सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थापना की गई है। झारखण्ड में राज्य के अर्थव्यवस्था में पी.एस.यू. का एक लघु स्थान है। सितम्बर 2010 तक अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार वर्ष 2009-10 में पी.एस.यू. ने ₹ 1565.52 करोड़ का आवर्त पंजीकृत किया था। यह आवर्त राज्य के घरेलू उत्पाद का 1.88<sup>1</sup> प्रतिशत है। पी.एस.यू. एवं सांविधिक निगम का मुख्य कार्यकलाप उर्जा क्षेत्र पर केन्द्रित है। वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य के पी.एस.यू. द्वारा उनके अद्यतन अंतिम लेखों के समापन के अनुसार कुल ₹ 442.43 करोड़ का घाटा हुआ। वे 31 मार्च 2010 तक कुल 8385 कर्मचारियों को नियुक्त किए थे। राज्य पी.एस.यू. 31 विभागीय उपक्रम (डी.यू.) को शामिल नहीं करते हैं जो वाणिज्यिक संचालन को कार्यान्वित करते हैं किन्तु वे सरकारी विभाग के अंग हैं। उन विभागीय उपक्रमों की लेखा परीक्षा निकर्षों को झारखण्ड सरकार के 31 मार्च 2010 को समाप्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) में सम्मिलित किया गया है।

**4.1.2** 31 मार्च 2010 तक दस सरकारी कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) थे। उनमें से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे।

**4.1.3** वर्ष 2009-10 के दौरान एक पी.एस.यू.<sup>2</sup> स्थापित हुआ और कोई भी पी.एस.यू./सांविधिक निगम बन्द नहीं हुआ।

### लेखा परीक्षा अधिदेश

**4.1.4** सरकारी कम्पनियों का लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619 के द्वारा संचालित किया जाता है। धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कम्पनी वह है जिसका प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के पास है। एक सरकारी कम्पनी में सरकार द्वारा नियंत्रित कम्पनी सम्मिलित रहता है। इसके सिवाय कम्पनी अधिनियम के धारा 619 बी के अनुसार एक कम्पनी जिसका प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकारों, सरकारी कम्पनियाँ और निगम के पास होता है जिसको सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है उसे एक सरकारी कम्पनी (डीम्ड सरकारी कम्पनी) माना जाता है।

**4.1.5** सरकारी कम्पनियों के लेखों (यथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा संचालित की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी सी.ए.जी. के द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

**4.1.6** सांविधिक निगमों का लेखापरीक्षा उसके संबन्धित विधान के द्वारा संचालित किया जाता है। झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद का सी.ए.जी. एकल लेखापरीक्षक है।

<sup>1</sup> प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम आकलित आँकड़े पर आधारित है।

<sup>2</sup> कर्णपुरा इर्नर्जी लिमिटेड, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड की पूरक कम्पनी है।

## राज्य के सरकारी लोक उपक्रमों में निवेश


**4.1.7** 31 मार्च 2010 के अन्त में 11 पी.एस.यू. (एक सांविधिक निगम के साथ) में कुल निवेश (पूँजीगत तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 4900.87 करोड़ था जिसका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)


सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
140.60	674.18	814.78	-	4,086.09	4,086.09	4,900.87

पी.एस.यू. में सरकारी निवेश की सारांशकृत स्थिति के ब्यौरे **परिशिष्ट 4.1** में दिए गये हैं।

**4.1.8** 31 मार्च 2010 को पी.एस.यू. में कुल निवेश 2.87 प्रतिशत पूँजी के लिए एवं 97.13 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के लिए था। निवेश में 2004-05 में 815.69 करोड़ से 2009-10 में ₹ 4900.87 करोड़ की 500.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई जैसा की नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है।



**4.1.9** विभिन्न प्रमुख क्षेत्र में 31 मार्च 2005 एवं 31 मार्च 2010 के अन्त में निवेश एवं उनका प्रतिशत निम्नवार बार चार्ट में दर्शाया गया है।



(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दिखाता है)

छः वर्षों के दौरान पी.एस.यू. में निवेश का केन्द्र उर्जा क्षेत्र में था जो वर्ष 2004-05 में ₹ 802.89 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 4860.07 करोड़ हो गया जो सरकार एवं अन्य के द्वारा झा.रा.वि.बो. को दी गई ₹ 4086.09 करोड़ के ऋण के साथ ही कर्णपुरा इनर्जी लिमिटेड तथा झारखण्ड को अगस्त 2007 में स्थानान्तरित किये गये। टी.वी.एन.एल. में निवेश के कारण 505.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य क्षेत्रों वर्ष 2009-10 में सीमान्त वृद्धि में हुई।


### बजट के जावक, अनुदान/ सहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण

**4.1.10** राज्य पी.एस.यू. के सम्बन्ध में मार्च 2010 के अन्त में बजट की इक्विटी में जावक, ऋण तथा अनुदान/ सहाय्य, जारी प्रत्याभूतियों, ऋण का नष्ट समझ लेना, ऋण का इक्विटी में स्थानान्तरण एवं ब्याज के त्याग के विस्तृत ब्यौरे **परिशिष्ट 4.3** में दिये गए हैं। तीन वर्षों का 2009-10 में अन्तवर्ष का सारांशीकृत ब्यौरा निम्न दिये गए हैं।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2007-08		2008-09		2009-10	
		पी.एस.यू. की संख्या	राशि	पी.एस.यू. की संख्या	राशि	पी.एस.यू. की संख्या	राशि
1.	बजट से इक्विटी पूँजी जावक	2	4.10	2	10.40	4	2.75
2.	बजट से दिये गये ऋण	1	347.34	1	224.91	1	362.76
3.	अनुदान/सहाय्य प्राप्त	1	921.14	1	80.00	2	401.80
4.	कुल जावक <sup>3</sup>	3	1272.58	3	315.31	6	767.31

**4.1.11** पिछले छः वर्षों का बजट के इक्विटी में जावक, ऋण तथा अनुदान/ सहाय्य को निम्न ग्राफ में दिए गए हैं।



बजट अनुदान के रूप में झा.रा.वि.बो. को देने के कारण, बजटीय जावक वर्ष के दौरान ₹ 315.31 करोड़ (2008-09) में से बढ़कर 2009-10 में ₹ 767.31 करोड़ हो गया।

### वित्त लेखाओं से सामंजस्य

**4.1.12** राज्य के पी. एस.यू. के अभिलेख के अनुसार इक्विटी, ऋण एवं प्रत्याभूति से संबंधित आँकड़ों को राज्य के वित्त लेखा में अंकित आँकड़ों से सामंजस्य होना चाहिए। यदि आँकड़ों की सहमति नहीं होती है तो संबंधित पी.एस.यू. और वित्त विभाग द्वारा अंतर का सामंजस्य कार्यान्वित करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2010 तक की स्थिति नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

संबंधित बकाया	वित्त लेखा के अनुसार	पी.एस.यू. के अभिलेख के अनुसार	अन्तर
अंश	19.30	140.55	121.25
ऋण	6137.33	4592.51	1544.82

<sup>3</sup> कुल जावक पी.एस.यू. के कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है।

**4.1.13** लेखापरीक्षा अवलोकन किया कि झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद (सांविधिक निगम) सहित सात<sup>4</sup> पी.एस.यू. के सम्बन्ध में आँकड़ों में अन्तर पाया गया और 2001-02 से ही उनका सामंजस्य होना लंबित था। अन्तर के जाँच के बाद सामंजस्य करने के लिए महालेखाकार द्वारा सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार एवं प्रबन्धन के पास मामला उठाया। सरकार और पी.एस.यू. को अन्तर का सामंजस्य के लिए एक समय सीमा के तहत ठोस कदम उठाना चाहिए।


#### पी.एस.यू. के निष्पादन

**4.1.14** पी.एस.यू. के वित्तीय परिणामों, वित्तीय स्थिति और कार्यरत सांविधिक निगमों के कार्यपरिणाम का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4.2** और **4.5** में है। राज्य का जी.डी.पी. एवं पी.एस.यू. के आवर्त का अनुपात राज्य के अर्थव्यवस्था में उसके महत्व को दिखाता है। नीचे की तालिका में 2004-05 से 2009-10 की अवधि में कार्यरत पी.एस.यू. के कुल आवर्त और राज्य की जी.डी.पी. का विस्तृत विवरण दिया गया है।

(₹ करोड़ में)						
विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
आवर्त <sup>5</sup>	1,216.37	1,216.12	30.77	364.90	1,552.32	1565.52
राज्य का जी.डी.पी.	57,939	62,239	73,579	87,620	75,710.78	83077.90 <sup>6</sup>
राज्य के जी.डी.पी. से आवर्त का प्रतिशत	2.10	1.95	0.04	0.42	2.05	1.88

पी.एस.यू. का आवर्त प्रतिशत वर्ष 2008-09 में 2.05 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009-10 में 1.88 प्रतिशत हो गया यद्यपि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के आवर्त एवं राज्य के जी.डी.पी. में वृद्धि हुई।

**4.1.15** 2004-05 से 2009-10 की अवधि में राज्य के कार्यरत पी.एस.यू. द्वारा अर्जित (उपगत) किए गये लाभ (हानि) नीचे बार चार्ट में दिए गए हैं।



(कोष्ठक के आँकड़े अंतिम रूप से तैयार लेखाओं के आधार पर संबंधित वर्षों में कार्यरत पी.एस.यू. की संख्या दर्शाता है।)

<sup>4</sup> तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड रेशम कपड़ा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, ग्रेटर राँची विकास एजेंसी लिमिटेड, झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड एवं झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद्।

<sup>5</sup> 30 सितम्बर 2010 को हाल का अंतिम रूप से तैयार लेखों के आधार पर आवर्त

<sup>6</sup> 2009-10 के जी.डी.पी. के अग्रिम आँकड़े जून 2009, के चालू कीमतों पर आधारित हैं।

अद्यतन अंतिम लेखाओं के अनुसार 11 कार्यरत पी.एस.यू. में चार पी.एस.यू. ने ₹ 4.05 करोड़ लाभ अर्जित किया और तीन पी.एस.यू. को ₹ 446.48 करोड़ की हानि उठानी पड़ी। उपर्युक्त में वर्ष 2000-01 तथा 2010-11 में अंतिम रूप से तैयार किये गए वर्ष 1993-94 तथा 2001-02 के क्रमशः तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल.) (₹ 70.94 करोड़) तथा झा.रा.वि.बो. (₹ 374.13 करोड़) के लेखों में उठाई गई भारी हानियाँ सन्निहित थी। इन सभी पी.एस.यू. से संबंधित लेखाएँ बकाये में थे। शेष चार पी.एस.यू. के न तो कोई क्रियाकलाप थे न ही उन्होंने लेखा तैयार की थी।

**4.1.16** पी.एस.यू. की हानियाँ मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, योजना, परियोजना के कार्यान्वयन, उनके संचालन और अनुश्रवण में कमी के कारण आरोपित है। सी.ए.जी. के अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दिखाता है कि राज्य के पी.एस.यू. में ₹ 2978.89 करोड़ के व्यर्थ निवेश बेहतर प्रबंधन द्वारा नियंत्रणीय थे। लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के विस्तृत विवरण वर्षवार नीचे बतलाये गए हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	कुल
शुद्ध हानि	121.40	122.02	442.43	685.85
सी.ए.जी. के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियंत्रण हानियाँ	1779.36	57.25	1142.38	2978.89
व्यर्थ निवेश	57.81	16.49	0.41	74.71

**4.1.17** भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये उपर्युक्त हानियाँ सरकारी कम्पनियों के अभिलेखों की जाँच पर आधारित है। वास्तविक नियंत्रणीय हानियाँ बहुत अधिक होने चाहिए। उपर्युक्त तालिका दिखाता है कि बेहतर प्रबंधन द्वारा हानियों को कम किया जा सकता है (या दूर किया जा सकता है या वास्तविक लाभों को बढ़ाया जा सकता है) सरकारी कम्पनियाँ अपनी भूमिका दक्षतापूर्वक तभी निर्वाह कर सकती है जब वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो। उपर्युक्त परिस्थितियों संकेत करती है कि सरकारी कम्पनियों के क्रियान्वयन में व्यवसायिकता एवं जवाब देही की जरूरत है।

**4.1.18** राज्य के सरकारी कम्पनियों से संबंधित कुछ अन्य प्राचल कुंजी नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ऋण	808.14	2466.07	2537.65	3550.89	3774.90	4760.27
आवर्त <sup>7</sup>	1,216.37	1,216.12	30.77	364.90	1,552.32	1565.52
ऋण/आवर्त अनुपात	0.66:1	2:1	82:1	10:1	2:1	3.04:1
ब्याज भुगतान	-	-	3.61	6.00	-	123.55
संचय हानि	44.76	43.86	42.90	265.45	269.30	589.81

**4.1.19** राज्य सरकार कोई लाभांश नीति प्रतिपादित नहीं किया था जिसके अंतर्गत सभी सरकारी कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा अंशदान किए गए प्रदत्त अंश पूँजी पर न्यूनतम वापसी को भुगतान करने की आवश्यकता थी। अंतिम रूप से तैयार सत्यापित लेखाओं के आधार पर चार<sup>8</sup> सरकारी कम्पनियों ने ₹ 4.05 करोड़ का सकल लाभ उपार्जित किया लेकिन कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

<sup>7</sup> 30 सितम्बर को हाल का अंतिम रूप से तैयार लेखे के आधार पर लोक क्षेत्र उपक्रमों का कुल आवर्त।

<sup>8</sup> जे.एस.एफ.डी.सी., जे.आई.आई.डी.सी.को., जे.पी.एच.सी. तथा जे.टी.डी.सी

## लेखाओं के समापन में बकाया

**4.1.20** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619 बी के अंतर्गत कम्पनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखा का समापन उस वित्तीय वर्ष के अंत से छः महीनों के अंदर होना है। उसी तरह, सांविधिक निगम के मामले में उनसे संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखे का समापन, लेखापरीक्षा और विधानमण्डल में प्रस्तुत किया जाना है। नीचे दिए गए सारणी सितम्बर 2010 तक कार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखों की समापन की प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

क्रं. सं.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	कार्यरत सरकारी कम्पनियों की संख्या	6	8	9	10	11
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखों की संख्या	2	6	3	7	14
3.	बकाए लेखे की संख्या	18	24	43	48	46
4.	प्रत्येक सरकारी कम्पनी का बकाया औसत (3/1)	3.00	3.00	4.78	4.80	4.18
5.	बकाया लेखे के साथ कार्यरत सरकारी कम्पनियों की संख्या	6	8	9	10	11
6.	बकाये की सीमा (वर्षों में)	1 से 4	1 से 5	1 से 14	1 से 15	1 से 16

**4.1.21** विगत वर्षों के दौरान पी.एस.यू. के बकाया लेखों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2005-06 के दौरान छः कार्यरत पी.एस.यू. के बकाया लेखों की संख्या 18 थी। जो वर्ष 2009-10 में 11 कार्यरत पी.एस.यू. के मामले में बढ़कर 46 हो गया था। बकाये लेखे की वृद्धि अगस्त 2007 में तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल.) का लेखा परीक्षा बिहार से झारखण्ड स्थानान्तरण करने के कारण हुआ जिसका लेखा 1994-95 से बकाया था। झारखण्ड सिल्क, टेक्सटाईल एण्ड सिल्क हैण्डिक्राफ्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि. (झारक्राफ्ट) का लेखा चार वर्षों से बकाया था। वर्ष 2009-10 के दौरान कर्णपुरा इनर्जी लिमिटेड के लेखों का बकाया दो वर्षों से था। हालाँकि झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद और झारखण्ड पर्यटन विकास निगम का भी लेखा क्रमशः वर्ष 2002-03 तथा 2004-05 से बकाया था।

**4.1.22** राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान 11 सरकारी कम्पनियों (एक संवैधानिक निगम शामिल) में ₹ 4408.34 करोड़ (इक्विटी ₹ 28.25 करोड़, ऋण ₹ 1826.20 करोड़, अनुदान ₹ 2553.89 करोड़) निवेश किया जिसके लेखाओं का समापन नहीं हुआ है जैसा **परिशिष्ट 4.4** में विस्तृत किया गया है। लेखाओं और उनके अनुवर्ती लेखा परीक्षा के अभाव में और खर्चों का लेखा जोखा सही तरीकों से किया जाना और राशि के निवेश किये जाने का उद्देश्य प्राप्ति सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और इन सरकारी कम्पनियों में सरकारी निवेश राज्य विधान मण्डल के संवीक्षा की परिधि के बाहर रहा। लेखाओं के समापन में विलम्ब कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन के साथ साथ सरकारी पैसे की धोखाधड़ी एवं लिकेज के खतरे से भरा था।

**4.1.23** प्रशासनिक विभागों का उत्तरदायित्व है कि इन कम्पनियों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि ये सरकारी कम्पनियाँ अपने लेखों का समापन एवं अंगीकार नियत अवधि में करें। यद्यपि, सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को लेखा परीक्षा द्वारा निरंतर लेखे के समापन में बकाये की सूचना दिया गया पर कोई उपचारी कारवाई नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप इन सरकारी कम्पनियों के निवल परिसम्पत्तियों का निर्धारण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका। इन बकाये लेखे के मामले को प्रधान महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग को अप्रैल 2010 में अवगत कराया गया था तथा बकाये लेखों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र निष्पादन के लिए अनुरोध किया गया था।



**4.1.24** उपर्युक्त बकाये के स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, सरकार द्वारा संबंधित सरकारी कम्पनियों को लेखों का शीघ्र समापन की प्रक्रिया अपनाने एवं उसे शीघ्रता से अद्यतन करने हेतु दबाव डाला जाए।

#### लेखों की टिप्पणियों एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा

**4.1.25** वर्ष 2009-10 के दौरान 30 सितम्बर 2010 तक पाँच कार्यरत कम्पनियों ने अपने नौ लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रधान महालेखाकार को अग्रसारित किया था। इनमें से चार कम्पनियों के सात लेखाओं को पूरक लेखा परीक्षा हेतु चयन किया गया था। झालको के सम्बन्ध में वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लेखों को कम्पनी ने अग्रसारित किया जिनमें वर्ष 2007-08 के लिए नान रिव्यु सर्टिफिकेट निर्गत किया गया। वर्ष 2008-09 के लेखों का लेखा परीक्षा प्रगति पर था। सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और सी.ए.जी. का पूरक प्रतिवेदन इंगित करता है कि लेखाओं के रख रखाव की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। वैधानिक लेखा परीक्षकों और सी.ए.जी. के टिप्पणियों के समग्र मुद्रा मूल्य का विस्तृत विवरण नीचे दिये गये हैं।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09		2009-10	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ की कमी	1	0.37	2	0.74
2.	हानि की वृद्धि	3	3.13	1	0.03
3.	आर्थिक तथ्यों का अप्रकटीकरण	-	-	2	-

(कुल मुद्रा मूल्य केवल सी.ए.जी. के टिप्पणियों पर आधारित है)

**4.1.26** वर्ष 2009-10 के दौरान, 5 सरकारी कम्पनियों के आठ लेखाओं का अंतिमीकरण हुआ। इनमें से एक लेखाओं पर वैधानिक लेखा परीक्षकों ने आयोग्य प्रमाण पत्र और सात लेखाओं पर योग्य प्रमाण पत्र दिया था। लेखा मानकों पर कम्पनियों का अनुपालन अपर्याप्त रहा, जैसा कि वर्ष के दौरान दो लेखाओं में अनुपालनहीनता के दो दृष्टांत पाये गए।

**4.1.27** कम्पनियों के लेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे वर्णित हैं।

#### झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2008-09) और (2007-08)

- लेखों में केंदू पत्ती तोड़ने वाले मजदूरों को भुगतने के संचालन व्यय के लिए संग्रहण लागत एवं खलिहान व्यय की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है यद्यपि अंतिम शेष स्टॉक के मूल्यांकन में संग्रहण लागत और खलिहान व्यय शामिल किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप संचालन व्यय के साथ वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान का कम आँका जाना तथा लाभ के साथ-साथ इन्वेन्टरी का आंकलन ₹ 13.17 लाख अधिक दिखाया गया।
- कर्मचारियों को ग्रेज्युटी और छुट्टी नकदीकरण के भुगतान का प्रावधान दायित्वों की बीमांकित आकलन के पश्चात लेखाओं में नहीं किया गया जो कि लेखा मानक 15 के प्रावधानों के विरुद्ध था।
- केंदू पत्ती के भण्डार का आग और वर्ष से क्षति का अपलिखित न किए जाने तक कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिसके कारण ₹ 35.30 लाख के प्रावधान का कम आकलन और अंतिम शेष भण्डार के मूल्य का अधिक आकलन हुआ परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ उक्त राशि तक ज्यादा दर्शाया गया।

- 31 मार्च 2007 के लेखाओं को वार्षिक आम सभा में अंगीकृत नहीं किया गया जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210 के साथ पठित धारा 166 के अनुसार आवश्यक है। इसके अलावा वैधानिक लेखा परीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में यह वर्णित नहीं किया कि पूर्व वर्षों के लेखाओं को वार्षिक आम सभा में नहीं रखा गया है।

#### **झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड (2008-09)**

- वित्तीय वर्ष 2002-03 और 2003-04 (कर निर्धारण वर्ष 2003-04 और 2004-05) में क्रमशः ₹ 2.48 लाख एवं ₹ 2.56 लाख उचित प्राधिकार के पास घोषित लाभांश पर कर जमा नहीं किया गया, जो कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 ओ के अंतर्गत आवश्यक है।
- वित्तीय वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए देय लाभांश क्रमशः ₹ 19.80 लाख और ₹ 20.00 लाख भुगतान नहीं किए गए और न ही “अनपेड डीविडेंड एकाउण्ट” के रूप में किसी अनुसूचित बैंक के विशेष बैंक खाते में अन्तरण किया गया, जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 ए (8) के अंतर्गत आवश्यक है।

#### **झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (2004-05)**

- 17 जुलाई 2009 को अविभाजित बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (बी.एस.एम.डी.सी.लि.) के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा परवर्ती कम्पनियों के बीच बी.एस.एम.डी.सी. का 31 मार्च 2002 के वित्तीय विवरणी के आधार पर शुद्ध परिसम्पत्तियों का 24.33 प्रतिशत (बिहार) और 75.67 प्रतिशत (झारखण्ड) के अनुपात में किया गया जो झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एम.एम. डी.सी. लि.) की स्थापना अर्थात् 7 मई 2002 से लागू हुआ। तदनुसार जे.एस.एम.डी.लि. ने बी.एस.एम.डी.सी.लि. को 24 सितम्बर 2009 को ₹ 8.90 करोड़ का भुगतान किया। यह महत्वपूर्ण एवं वस्तुपरक घटना वित्तीय विवरण बनाने के बाद हुआ जिस पर लेखा मानक-4 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता थी, जिसे प्रतिवेदित नहीं किया गया।

**4.1.28** झा.रा.वि.बो. जो एक सांविधिक निगम है ने 2001-02 से 2006-07 (जिसमें संशोधित लेखा 2001-02 शामिल थे) तक अपने 6 लेखाओं को सी.ए.जी. द्वारा एकल लेखापरीक्षा के लिए अग्रसारित किया। संशोधित लेखा 2001-02 का लेखा परीक्षा को अंतिम रूप दे दिया गया और शेष लेखाओं का लेखापरीक्षा किए जा रहे थे। सी.ए.जी. के एकल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह इंगित करता है कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से सुधार की जरूरत है। सी.ए.जी. के टिप्पणियों का कुल मुद्रा मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10	
		लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-
2.	हानि में वृद्धि	1	8.50
3.	आर्थिक तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	-
4.	वर्गीकरण में त्रुटि	1	-
	<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>8.50</b>

(कुल मुद्रा मूल्य सी.ए.जी. के टिप्पणी पर आधारित है)

#### 4.1.29 सांविधिक निगम के लेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे वर्णित है।

##### झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद (2001-02)

- भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के दिशा निर्देश के अनुसार ₹ 2343.00 करोड़ की राशि को अचल सम्पत्ति, विनियोग एवं चालू सम्पत्ति (कर्मचारी को दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा कर्मचारी से वसूली योग्य राशि को छोड़कर) में आकलन करना था। लेकिन, परिषद ने ₹ 2284.80 करोड़ की राशि की सम्पत्ति का आकलन किया जिसमें उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित नहीं की गई सम्पत्ति शामिल है। जिसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्ति को ₹ 58.20 करोड़ से कम आँका गया।
- भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के दिशा निर्देशानुसार ₹ 2583.88 करोड़ की राशि चालू दायित्व (कर्मचारियों से सम्बन्धित दायित्व तथा विद्युत कर और सरकार को देय अन्य लेवी को छोड़कर) एवं पूंजीगत दायित्व (राज्य सरकार के ऋण को छोड़कर) में आकलन करना था। लेकिन परिषद ने ₹ 1552.45 करोड़ की राशि को दायित्व में आकलन किया जिसमें उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित नहीं की गई दायित्व शामिल है। जिसके परिणाम स्वरूप दायित्व को ₹ 1031.43 करोड़ कम आँका गया।
- बिहार अल्यूमिनियम स्टील एलॉय लिमिटेड (परिसमाप्त) तथा सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड को विक्रय की गई पानी का लागत क्रमशः ₹ 0.86 करोड़ तथा ₹ 1.55 करोड़ विविध लेनदारों में शामिल है। संदिग्ध लेनदारों के लिए प्रावधान नहीं होने के कारण प्रावधान को कम आँका गया तथा लेनदारों का अत्यधिक आँकलन हुआ।
- ₹ 0.84 करोड़ तथा ₹ 1.67 करोड़ के अनुपयोगी सम्पतियाँ क्रमशः एस.आए.एच.पी. तथा पी.टी.पी.एस में दर्शाई गई जिसका विस्तृत विवरण इकाई में अनुपलब्ध था जिसके कारण सम्पत्ति को अत्याधिक आँका गया। इसके अलावा ₹ 0.90 करोड़ मूल्य का दो वेंटरा लोकोमोटिव्स आग के दुर्घटना के कारण जून 1998/मार्च 2000 से अनुपयोगी पड़ा हुआ था जिसका इस शीर्ष में अन्तरण नहीं किया गया था।
- ऋण तथा अग्रिम में ₹ 4.16 करोड़ वेतन संशोधन अग्रिम के रूप में शामिल था जिसको अग्रिम के स्थान पर वर्तमान दायित्व के विरुद्ध दर्शाना था। गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप ऋण एवं अग्रिम का ज्यादा आँका जाना और कर्मचारी संबंधित दायित्व को उक्त राशि तक अत्यधिक आँका गया।
- विविध लेनदारों में ₹ 4.64 करोड़ की राशि रेलवे से खोई हुई कोल वैगन के प्राप्य के रूप में दर्शाई गई लेकिन बाद में वैगन प्राप्त होने पर खोई हुई वैगन के दावे को विपरीत नहीं करने के कारण प्राप्य को ₹ 2.34 करोड़ अत्याधिक आँका गया।
- ऋण एवं अग्रिम में दायित्व के रूप में ₹ 38.97 करोड़ तथा आई.ओ.सी. के विरुद्ध पी.टी.पी.एस. पतरातु से संबंधित ₹ 28.83 करोड़ अग्रिम शामिल था। आपूर्ति के विरुद्ध दिए गए अग्रिम के गैर समायोजन के कारण चालू दायित्व और ऋण एवं अग्रिम दोनों को ₹ 28.83 करोड़ ज्यादा आँका गया।
- ब्याज एवं वित्तीय प्रभार में जी.पी.एफ. पर ब्याज आरंभिक शेष पर 9.5 प्रतिशत के दर से परिकलन कर शामिल था और ब्याज उपयुक्त दर से नहीं लगाया गया जिसका परिकल्क ₹ 4.99 करोड़ था। जिसके परिणामस्वरूप ब्याज को ₹ 4.99 करोड़ तथा उक्त रकम का वित्तीय प्रभार और कर्मचारी संबंधित दायित्व कम आँका गया।
- एम.ओ.पी.द्वारा बाँटे नहीं जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा दी गई ऋण को ब्याज एवं वित्तीय प्रभार के संकलन के लिए शामिल नहीं किया गया। यह तथ्य लेखे के टिप्पणी में प्रकट करना आवश्यक था।

**4.1.30** वैधानिक लेखा परीक्षक (चाटर्ड एकाउण्टेंट) को सी.ए.जी. के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गए दिशा निदेशों के अनुरूप, लेखा परीक्षित की गई कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने की आवश्यकता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करनी है जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। वर्ष 2009-10 के दौरान तीन कम्पनियों<sup>9</sup> के अंतिमीकृत लेखों के सम्बन्ध में आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली तथा सम्भावित सुधार पर वैधानिक लेखा परीक्षकों के द्वारा दिए गए मुख्य टिप्पणियों का सारांश सोदाहरण नीचे दिये गए हैं।

क्र. सं.	वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	अनुशांसाए की गई कम्पनियों की संख्या	परिशिष्ट-2 के संदर्भ में कम्पनियों का क्रम संख्या
1.	कम्पनी के प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का अभाव।	02	अ-01, अ-03
2.	मात्रात्मक विवरण, परिस्थिति, पहचान संख्या, अधिग्रहण की तारीख, अचल सम्पत्तियों का अवमूल्यन मान तथा उनकी अवस्थिति की पूर्ण विवरणी को दर्शाती उपयुक्त अभिलेखों का संधारण नहीं होना।	01	अ-02

### लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

**4.1.31** वर्ष 2009-10 के औचित्य लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न लोक उपक्रमों/ निगम के प्रबंधनों को ₹ 3.33 करोड़ की वसूली विनिर्देशित किए गए थे जिसमें से कोई भी राशि की वसूली लोक उपक्रम/निगम के द्वारा अब तक नहीं की गई।

### लोक उपक्रमों विनिवेश, निजीकरण और पुनर्संरचना

**4.1.32** राज्य में कोई भी लोक उपक्रम विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्संरचना के अंतर्गत नहीं है।

### उर्जा प्रक्षेत्र में सुधार

**4.1.33** राज्य में विद्युत दरों का बुद्धिसंगत व्याख्या, राज्य में विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण के संबंध में सुझाव देने और लाइसेंस निर्गत करने हेतु अप्रैल 2003 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अधीन झारखण्ड विद्युत नियामक आयोग (आयोग) का गठन किया गया। वर्ष 2009-10 के दौरान जे.ई.आर.सी. ने वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं के संबंध में कोई भी आदेश निर्गत नहीं किया, परन्तु अन्य मामलों में 12 आदेश निर्गत किए।

**4.1.34** अप्रैल 2001 में केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार के मध्य उर्जा क्षेत्र में चिन्हित लक्ष्यों के साथ सुधार कार्यक्रमों को लागू करने हेतु संयुक्त वचनबद्धता पर समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यु.) पर हस्ताक्षर हुआ। महत्वपूर्ण लक्ष्यों के संबंध में अभी तक प्रगति की प्राप्ति निम्नलिखित है।

क्र. सं.	लक्ष्य	प्राप्ति	
1.	संचरण एवं वितरण हानियों में 100 प्रतिशत कमी	62.84 प्रतिशत (2009-10)	
2.	सभी उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत मीटर उपलब्ध कराना	एक फेज (शहरी)	मार्च 2010 तक 88.66 प्रतिशत
		तीन फेज (एल.टी.सी.टी. एवं पूर्ण करंट)	मार्च 2010 तक 96.89 प्रतिशत
		उच्च विभव	मार्च 2010 तक 98.08 प्रतिशत

<sup>9</sup> परिशिष्ट -2 में क्र. सं. अ-01 अ-02 तथा अ-03

## अनुभाग 'अ' निष्पादन समीक्षा

### 4.2 झारखण्ड में विद्युत उत्पादन उपक्रमें

#### प्रस्तावना

**4.2.1** जीवन के सभी पहलुओं के लिए उर्जा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है एवं मनुष्य के मौलिक जरूरत के रूप में मान्य है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वृद्धि बनाये रखने के लिए प्रतियोगी दरों पर विश्वसनीय एवं गुणवत्ता विद्युत की उपलब्धता बहुत निर्णायक है। विद्युत अधिनियम 2003, ऊर्जा क्षेत्रों के विकास में सहायता के लिए एक ढाँचा प्रस्तुत करने के साथ-साथ प्रतियोगिता एवं पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। इस अधिनियम के अनुभाग 3 के अनुपालन में कोयला, गैस, नाभिकीय सामग्री, जल एवं गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत जैसे संसाधन के आदर्श उपयोग पर अधारित ऊर्जा क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकारें एवं केन्द्रीय विद्युत अभिकरण (सी.ई.ए.) के परामर्श से भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति (एन.ई.पी.) बनाई गई। नीति का उद्देश्य उर्जा क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए मार्गदर्शिका बनाना है। इसके अनुसार सी.ई.ए. को पाँच वर्षों में एक बार राष्ट्रीय विद्युत योजना बनाना है। यह योजना पाँच वर्षों का अल्पकालीन ढाँचा होगा एवं पंद्रह वर्षों का परिदृश्य प्रस्तुत करेगा।

वर्ष 2005-06 में झारखण्ड में 5344 मिलियन इकाई (एम.यू.) औसत विद्युत की आवश्यकता थी जिसमें 2065 एम.यू. विद्युत उत्पादन हुई जो आवश्यकता से 61.36 प्रतिशत अर्थात् 3279 एम.यू. कम थी। इसी तरह 2009-10 में 6833 एम.यू. विद्युत की आवश्यकता थी जिसके विरुद्ध 2945 एम.यू. विद्युत वास्तव में उत्पादन से उपलब्ध थी जो आवश्यकता से 56.9 प्रतिशत अर्थात् 3888 एम.यू. कम थी। वर्ष 2005-06 में राज्य में कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1390 मेगावाट (एम.डब्ल्यू.) (करयुक्त क्षमता 1320 एम.डब्ल्यू.) थी जो 2009-10 के अंत तक यथावत बनी रही।

झारखण्ड में विद्युत का उत्पादन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के परिणामस्वरूप मार्च 2001 में सृजित हुआ एवं तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल.) द्वारा किया जाता है जो झारखण्ड सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 1956 के आलोक में 26 नवम्बर 1987 को संस्थापित एक पूर्ण स्वामित्व सरकारी कंपनी है। झा.रा.वि.बो. का प्रबंधन एक बोर्ड करता है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य वित्त सहित चार सदस्य हैं। झा.रा.वि.बो. का दैनिक संचालन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो झा.रा.वि.बो. के मुख्य कार्यपालक है जिनकी सहायता पतरातु के ताप विद्युत प्रतिष्ठान (पी.टी.पी.एस.) (770 एम.डब्ल्यू.) के प्रमुख यानि महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता एवं सिकिदरी में सुवर्णरेखा जल विद्युत केन्द्र (एस.आर.एच.पी.) (130 एम.डब्ल्यू.) के परियोजना प्रबंधक करते हैं।

टी.वी.एन.एल. का प्रबंधन एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष सहित पाँच सदस्य हैं। टी.वी.एन.एल. के दैनिक कार्यों का संचालन प्रबंध निदेशक द्वारा ललपनिया प्रतिष्ठान के महाप्रबंधक की सहायता से किया जाता है। टी.वी.एन.एल. की अधिष्ठापित क्षमता 420 मेगावाट है।

झा.रा.वि.बो. द्वारा इनके विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठानों से उत्पादित विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व 2009-10 में ₹ 196.26 करोड़ थे जबकि टी.वी.एन.एल. में यह ₹ 377.73 करोड़ था। मार्च 2010 में पी.टी.पी.एस. एवं एस.आर.एच.पी. में कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 1486 और 148 थी। टी.वी.एन.एल. में 651 कर्मचारी थे।

## लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

**4.2.2** झा.रा.वि.बो एवं टी.वी.एन.एल. में 2005-06 से 2009-10 की अवधि में विद्युत उत्पादन निष्पादन पर फरवरी 2010 से अप्रैल 2010 के दौरान यह समीक्षा की गई। राज्य के तीनों विद्युत केन्द्र समीक्षा हेतु चयनित थे। यह समीक्षा मुख्य रूप से योजना, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, संचालन निष्पादन, पर्यावरणीय मुद्दे एवं उच्च प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण पर विचारित है। झा.रा.वि.बो. के मुख्यालय, इसके ताप विद्युत प्रतिष्ठान, पतरातु एवं सिकिदिरी के जल विद्युत केन्द्र; टी.वी.एन.एल. के मुख्यालय एवं इसके ताप विद्युत प्रतिष्ठान, ललपनिया के अभिलेखों की संवीक्षा लेखापरीक्षा जाँच में शामिल थे।

लेखा परीक्षा मापदण्ड के संदर्भ में लेखा परीक्षा उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनाये गये पद्धति में उच्च प्रबंधन को लेखा परीक्षा का उद्देश्य स्पष्ट करना, मुख्यालय तथा चयनित इकाईयों के अभिलेखों की संवीक्षा, लेखा परीक्षित के कार्मिक, लेखा परीक्षा मापदण्ड के संदर्भ में आँकड़ों का विश्लेषण, लेखा परीक्षा पृच्छाएँ जारी करना, प्रबंधन के साथ लेखा परीक्षा निकर्ष पर परिचर्चा तथा टिप्पणी के लिए प्रबंधन को प्रारूप समीक्षा निर्गत करना शामिल था।

## लेखापरीक्षा के उद्देश्य

**4.2.3** निपादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य थे:

### योजना एवं परियोजना प्रबंधन

- यह मूल्यांकन करना कि राज्य में विद्युत की कमी को पूरी करने के लिए किये गये/ किये जाने वाली क्षमता वृद्धि कार्यक्रम 2012 तक सभी के लिए विद्युत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार है;
- यह मूल्यांकन करना कि विद्यमान क्षमता से श्रेष्ठतम उत्पादन के लिए एक कार्य योजना है;
- यह सुनिश्चित करना कि संविदा का लाभकारी एवं पारदर्शी तरीके से आवंटन किया गया था; तथा
- यह सुनिश्चित करना कि परियोजना का क्रियान्वयन लाभकारी, प्रभावकारी एवं दक्षता पूर्वक किया गया था।

### वित्तीय प्रबंधन

- यह मूल्यांकन करना कि ऊर्जा विपत्र सहित सभी दावे और सहाय्य दावे की माँग की गई थी एवं दक्ष तरीके से वसूल किये गये थे; तथा
- उत्पादन उपक्रमों की वित्तीय स्थिति की मजबूती का मूल्यांकन करना।

### परिचालन निष्पादन

- यह मूल्यांकन करना कि विद्युत संयंत्र दक्षतापूर्वक संचालित थे और अनिवार्य आउटेज को कम करने के लिए विहित सुरक्षात्मक अनुरक्षण किये गये थे;
- यह मूल्यांकन करना कि प्रत्येक तरह के ईंधन की आवश्यकता का परिकलन वास्तविकता के आधार पर किया गया था, लाभकारी तरीके से अधिप्राप्त किया गया था और दक्षता पूर्वक उपयोग किया गया था;
- यह मूल्यांकन करना कि मानवशक्ति की आवश्यकता यथार्थपूर्क थी एवं इसका उपयोग अधिकतम था; और

- यह आकलन करना कि जीवन विस्तार (पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण) कार्यक्रम को सुनिश्चित किया गया तथा लाभकारी, प्रभावशाली तथा दक्षतापूर्वक तरीके से पालन किया गया।

#### पर्यावरण मुद्दा

- यह आकलन करना कि विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठान से उत्सर्जित विभिन्न प्रकार के प्रदूषक (वायु, जल, ध्वनी, तथा नुकसानदेह अवशेष) निर्धारित मापदण्ड तथा वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप थे; तथा
- अवशेष प्रबंधन प्रणाली और इसके क्रियान्वयन की पर्याप्तता का निर्धारण।

#### अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- यह सुनिश्चित करना कि अनुश्रवण तथा प्रभाव के मूल्यांकन हेतु पर्याप्त एम.आई.एस. व्याप्त थे तथा भविष्य की योजनाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का उपयोग किया जा रहा है।

#### लेखापरीक्षा के मापदण्ड

**4.2.4** लेखा परीक्षा उद्देश्यों की परिलब्धियों के मूल्यांकन के लिए अपनाये गये लेखापरीक्षा मापदण्ड थे:

- परियोजना के क्रियान्वयन एवं लागू करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत कार्यक्रम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) के मापदण्ड/दिशानिर्देश ;
- लाभकारी, प्रभावशाली एवं दक्षता के सिद्धांत के संदर्भ में निविदा देने की आर्दश प्रक्रिया;
- विद्युत उत्पादन के लक्ष्य का निर्धारण;
- संयंत्र की सुलभता, संयंत्र भार उत्पादन के लिए प्राचन का निर्धारण;
- क्षेत्र/देश के औसत में सर्वोच्च प्राप्तकर्ता का निष्पादन;
- नियोजित आउटेज के लिए निर्धारित मापदण्ड; एवं
- पर्यावरण कानून से संबंधित नियम।

#### वित्तीय स्थिति एवं परिचालन के परिणाम

**4.2.5** टी.वी.एन.एल. का वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की औपबंधिक वित्तीय स्थिति नीचे दिये गये हैं -

(₹ करोड़ में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
<b>क. देयता</b>					
प्रदत्त पूँजी	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
<b>उधार (उधारकोष)</b>					
सुनिश्चित					
असुनिश्चित	1870.91	1964.79	2051.50	2138.21	2224.92
वर्तमान देयता एवं प्रावधान	298.84	462.14	735.80	1030.90	1484.96
<b>कुल</b>	<b>2274.75</b>	<b>2531.93</b>	<b>2892.30</b>	<b>3274.11</b>	<b>3814.88</b>
<b>ख परिसम्पति</b>					
सकल खण्ड	1310.33	1317.77	1350.26	1351.90	1360.75
घटायें: अवमूल्यन	389.02	432.85	477.01	522.26	567.54
कुल निश्चित परिसम्पति	921.31	884.93	873.24	829.64	793.21
पूँजी कार्य प्रगति में	66.52	82.53	90.55	92.67	102.29
निवेश	28.04	73.75	143.90	169.34	177.91
वर्तमान परिसंपत्ति, कर्ज एवं अग्रिम	904.58	1155.34	1408.21	1790.51	2247.59
संचित घाटा	354.30	335.38	376.40	391.95	493.88
<b>कुल</b>	<b>2274.75</b>	<b>2531.93</b>	<b>2892.30</b>	<b>3274.11</b>	<b>3814.88</b>



हमने पाया कि वर्ष 2009-10 के अन्त में टी.वी.एन.एल. ने ₹ 177.91 करोड़ का निवेश सावधि जमा में किया था जबकि उक्त राशि का इस्तेमाल लाभप्रद उद्देश्य के लिए किया जा सकता था। झा.रा.वि.बो. तथा बि.रा.वि.बो. द्वारा अभुगतेय ऊर्जा विपत्र (वर्ष 2009-10 में ₹ 1910.05 करोड़) जो चालू सम्पत्ति, ऋण तथा अग्रिम का मुख्य अंश था अगर वसूल हो जाता तो इसका उपयोग क्षमता वृद्धि के लिए किया जा सकता था। वर्ष 1988 से निर्माणाधीन रेलवे साइडिंग (एम.जी.आर.) पर ₹ 102.29 करोड़ का व्यय भी कार्य प्रगति पूँजी में शामिल था और निर्माण में विलम्ब के कारण लम्बे समय तक कम्पनी पर्याप्त पूँजीगत व्यय के लाभ से वंचित था।

जे.एस.ई. आर.सी. ने समीक्षा की अवधि के दौरान 14 प्रतिशत की दर पर इक्विटी पर वापसी (आर.ओ.ई.) (₹ 105 करोड़) को स्वीकृत किया। तथापि परियोजना लागत का 30 प्रतिशत तक आर.ओ.ई मान्य था। इसके अनुसार, इक्विटी पर वापसी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत जो ₹ 406.70 करोड़ होता था उस पर वापसी स्वीकृत किया जाना था। टी.वी.एन.एल. ने ₹ 608.90 करोड़ के बकाया ऋण तथा ₹ 949.52 करोड़ के संचित ब्याज के एक भाग को परिवर्तित करते हुये अपनी इक्विटी पूँजी को बढ़ाकर ₹ 1100 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा। टी.वी.एन.एल. के बोर्ड ने पूँजी खण्ड वाक्य में बदलाव को समाहित करते हुये मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल आफ एसोसिएशन में संशोधन कर दिया तथा प्रधिकृत पूँजी में बढ़ोतरी के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार को ₹ 1.58 करोड़ का भुगतान जनवरी 2006 में किया। यद्यपि चार वर्षों से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है, सरकार का अनुमोदन अभी तक अप्राप्त है। इस तरह यह मामला असमान्य रूप से लंबे समय से लंबित है, जिसके फलस्वरूप कंपनी को आवर्ती हानि हो रही है जिससे बचा जा सकता था अगर झारखण्ड सरकार द्वारा त्वरित कारवाई की गई होती। इस तरह, निम्न पूँजीकरण के कारण टी.वी.एन.एल. का ₹ 199.94<sup>10</sup> करोड़ का अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध नहीं हो सका, जो अगर उपलब्ध होता तो क्षमता वृद्धि के लिए उपयोग किया जा सकता था।

**4.2.6.** झा.रा.वि.बो. के वर्ष 2002-03 से 2009-10 तक के लेखे अभी तक पूर्ण/ लेखा परीक्षित नहीं किये गये थे। प्रमाणित लेखों के अभाव में हम बोर्ड की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। प्रमाणित वित्तीय स्थिति के अभाव में जे.एस.ई.बी. प्रबंधन द्वारा भी प्रभावी नियंत्रण एवं निर्णय लेना संभाव्य नहीं था।


**4.2.7** पी.टी.पी.एस., एस.आर.एच.पी. और टी.वी.एन.एल. के कार्यों के परिणाम जैसे कि विद्युत उत्पादन की लागत, राजस्व वसूली, शुद्ध बचत/हानि एवं उपार्जन तथा प्रति इकाई संचालन लागत **परिशिष्ट 4.6** में दिया गया है। चूँकि बोर्ड ऊर्जा के संचरण एवं वितरण का कार्य भी करता है अतः केवल उत्पादन कार्य से संबंधित आँकड़े बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं थे। इस लिए उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय से प्राप्त राजस्व को उत्पादन राजस्व के तौर पर लिया गया है।

<sup>10</sup> ₹ 284.69 करोड़ { ₹ 56.94 करोड़ (₹ 406.70 करोड़ का 14 प्रतिशत) X5- } ₹ 84.75 करोड़ वास्तव में जे.एस.ई.आर.सी द्वारा अनुमान्य।

### लागत के घटक

**4.2.8** वर्ष 2009-10 के दौरान टी.वी.एन.एल., पी.टी.पी.एस. और एस.आर.एच.पी. के लागत प्रतिशतता में विश्लेषण पाई-चार्ट में नीचे दर्शाया गया है।

#### लागत के विभिन्न घटक के अवयव



टी.वी.एन.एल. में सम्मिलित रूप से मरम्मत एवं संरक्षण, ईंधन एवं उपभोज्य तथा अवमूल्यन कुल लागत का 75 प्रतिशत था एवं इस प्रकार लागत के मुख्य धारक थे। ब्याज एवं वित्तीय प्रभार 18 प्रतिशत भी बहुत अधिक थे। चूँकि टी.वी.एन.एल. के ऋण बिहार एवं झारखण्ड सरकार के द्वारा दिये गये थे जिन पर टी.वी.एन.एल. द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जा रहा था, यहाँ पर इन ऋणों पर ब्याज भुगतान हेतु नगद राशि का बहिर्गमन नहीं था।

पी.टी.पी.एस. में ईंधन एवं उपभोज्य कुल लागत के 62 प्रतिशत के बराबर था जो लागत का मुख्य घटक था जो तुलनात्मक रूप से राज्य का एक अन्य विद्युत उत्पादन उपक्रम टी.वी.एन.एल. से काफी अधिक अर्थात् 47 प्रतिशत था।


### राजस्व के घटक

**4.2.9** ऊर्जा विक्रय टी.वी.एन.एल. के राजस्व का मुख्य घटक था जो कुल राजस्व का 97 प्रतिशत था।


### परिचालन लागत की वसूली

**4.2.10** टी.वी.एन.एल. एवं पी.टी.पी.एस. दोनों अपनी संचालन लागत वसूली में सक्षम नहीं थे। वर्ष 2009-10 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के शुद्ध राजस्व को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है।

#### तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड



#### पतरातू थर्मल पावर स्टेशन



अगर टी.वी.एन.एल. तथा पी.टी.पी.एस. द्वारा अर्जित कुल राजस्व लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होते तो क्रमशः ₹ 321.26 करोड़ तथा ₹ 338.1 करोड़ की अतिरिक्त राशि क्षमता वृद्धि/जीवन काल वृद्धि कार्यक्रम के लिये उपलब्ध होती। पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण संयंत्रों के अपर्याप्त रख-रखाव, संयंत्रों की न्यूनतम उपलब्धि, अपर्याप्त क्षमता उपयोग, पूरक उपभोग का उच्च स्तर इत्यादि उत्पादन के अधिक लागत के मुख्य कारक थे।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

**4.2.11** 9 मार्च 2010 को आयोजित "प्रवेश सम्मेलन" में लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा के उद्देश्य को झारखण्ड विद्युत परिषद एवं तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड को वर्णित किया। लेखापरीक्षा निकर्षों को प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग एवं झा.रा.वि.बो. एवं टी.वी.एन.एल. के प्रबंधन को 7 जुलाई 2010 का प्रतिवेदित किया। 7 अक्टूबर 2010 को आयोजित "निर्गत सम्मेलन" में प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार, के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर विचार विमर्श किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा को अंतिम रूप देने के दौरान प्रबंधन के विचारों को ध्यान में रखा गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्भूत परिणामों का अनुवर्ती कंडिकाओं में परिचर्चा की जा रही है।

## परिचालन निष्पादन

**4.2.12** 2009-2010 में समाप्त हुए झा.रा.वि.बो./टी.वी.एन.एल. के पाँच वर्षीय परिचालन निष्पादन को **परिशिष्ट 4.7 एवं 4.8** में दर्शाया गया है। झा.रा.वि.बो./टी.वी.एन.एल.के परिचालन निष्पादन को विभिन्न क्रियात्मक मानकों में नीचे मूल्यांकित किया गया है। राज्य में उर्जा के बढ़ते माँग के साथ झा.रा.वि.बो./ टी.वी.एन.एल. के उर्जा क्षमता में वृद्धि के गति के साथ तालमेल की क्षमता का भी आकलन किया गया।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अनुवर्ती कंडिकाओं में परिचर्चा किया गया है। ये लेखापरीक्षा निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि हानियाँ नियंत्रित हो सकती थी एवं निष्पादन में सुधार की संभावना थी।

## योजना

**4.2.13** 2012 तक प्रति व्यक्ति 1000 इकाई विद्युत आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय विद्युत नीति में लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये यह आकलन किया गया कि वर्ष 2002-12 के बीच 1,00,000 एम.डब्ल्यू उर्जा क्षमता को आवश्यकता के आधार पर क्षमता वृद्धि की जरूरत थी। जिसके लिये सरकार ने वाष्प शक्ति की तुलना में कम खर्चीले उर्जा स्रोत जल विद्युत परियोजना के पूर्ण विकास पर जोर दिया। राज्य में विद्युत उर्जा उपलब्धता परिदृश्य को दर्शाने वाली स्वयं उत्पादन, उर्जा क्रय, उच्चतम माँग एवं शुद्ध कमी की स्थिति नीचे उल्लेखित है-

वर्ष 2005-10 के दौरान, वास्तविक उत्पादन उच्चतम माँग एवं औसत माँग की तुलना में कम थे जैसा नीचे दर्शाया गया है।

वर्ष	उत्पादन (एम.डब्ल्यू)	उच्चतम माँग (एम.डब्ल्यू)	औसत माँग (एम.डब्ल्यू)	उच्चतम माँग पर वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता	औसत माँग पर वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता
2005-06	236	706	610	33	39
2006-07	355	751	660	47	54
2007-08	275	847	720	32	38
2008-09	360	859	740	42	49
2009-10	336	897	780	37	43

उपरोक्त वर्णित के आलोक में, वास्तविक उत्पादन औसत माँग की तुलना में 38 प्रतिशत से 54 प्रतिशत के बीच में था एवं उच्च माँग की तुलना में 32 से 47 प्रतिशत था।

तथापि, उर्जा आयात के बावजूद उच्च माँग की पूर्ति हेतु कुल आपूर्ति पर्याप्त नहीं थे, जो नीचे दर्शित है-


वर्ष	उच्च माँग (एम.डब्ल्यू)	उच्च माँग की पूर्ति (एम.डब्ल्यू)	उच्च माँग पूर्ण करने का स्रोत (एम.डब्ल्यू)		उच्च कमी (उच्च माँग का प्रतिशतता)
			स्वयं का	आयात	
2005-06	706	696	236	460	1.5
2006-07	751	723	355	368	4.0
2007-08	847	753	275	478	11.0
2008-09	859	856	360	496	0.5
2009-10	897	842	336	506	6.0

आयात के बावजूद 3 एम.डब्ल्यू. से 94 एम.डब्ल्यू. (उच्च माँग का करीब 0.5 प्रतिशत से 11 प्रतिशत) की कमी रह गई। यह अवलोकित हुआ कि 2005-06 से 2009-10 के अवधि में बोर्ड द्वारा 2005-06 से 2009-10 के दौरान गैर अनुसूचित आदान प्रदान (यू.आई.) अधिभार पर ₹ 202.54 करोड़ खर्च करने के बावजूद राज्य में घोर कमी थी। फलतः जन आबादी पर परिक्रमण भार कटौती लागू करना पड़ा।

यह अनुभाग क्षमता वृद्धि तथा उपलब्ध सुविधाओं का अनुकूल उपयोग को वर्णित करता है। आगामी कंडिकाओं में बाद में, पर्यावरण पहलुओं की चर्चा की गई है।

### क्षमता वृद्धि

**4.2.14** वर्ष 2005-06 के आरम्भ में राज्य में कुल 1320 एम.डब्ल्यू. की प्रतिष्ठापित क्षमता थी जो वर्ष 2009-10 के अंत तक भी वही रही। 31 मार्च 2010 को वाष्प संचालित एवं जल विद्युत द्वारा उत्पाद क्षमता को पाई चार्ट द्वारा नीचे दर्शाया गया है।



यह अवलोकित हुआ कि राज्य में वर्ष 2009-10 में 780 एम.डब्ल्यू. उर्जा आवश्यकता के विरुद्ध 336 एम.डब्ल्यू. विद्युत का ही वास्तविक उत्पादन हुआ। संवीक्षा अवधि के दौरान यह पाया गया कि उर्जा के अत्यधिक कमी के बावजूद, कोई भी परियोजना न तो निर्माणाधीन थी न ही क्षमता वृद्धि की कोई प्रतिबद्धता थी। तथापि, 7070 एम.डब्ल्यू. की छः उत्पादन परियोजना आरंभिक दौर में थी जिनके लिये तीन कोयला क्षेत्र झा.रा.वि.बो. एवं टी.वी.एन.एल. प्रत्येक को आवंटित किये गये जिन्हें अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की जायेगी।

**4.2.15** समीक्षा अवधि के दौरान उत्पाद क्षमता, विद्युत आपूर्ति के साथ उच्च माँग की विवरणी नीचे वर्णित है-

क्र. सं.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	वर्ष के शुरुआत में क्षमता (एम.डब्ल्यू)	1320	1320	1320	1320	1320
2.	उच्चतम माँग (एम.यू.)	6184.56	6578.76	7419.72	7524.84	7857.72
3.	विद्युत आपूर्ति (एम.यू.)					
	क. उत्पादित ऊर्जा	2064.74	3111.48	2408.14	3152.60	2945.21
	ख. ऊर्जा क्रय	4392.29	3879.58	5066.12	5039.56	4582.88
	विक्रय के लिए उपलब्ध कुल ऊर्जा <sup>11</sup> (एम.यू.)	6457.03	6991.06	7474.26	8192.16	7528.09

**4.2.16** झारखण्ड सरकार ने राज्य में उर्जा की माँग की पूर्ति हेतु झा.रा.वि.बो. के माध्यम से 4,620 एम.डब्ल्यू उत्पादन क्षमता के तीन वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान एवं टी.वी.एन.एल. के माध्यम से 2450 एम.डब्ल्यू. उत्पादन क्षमता के तीन वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की स्थापना प्रस्तावित किया। हमने पाया कि-

- 1320 एम.डब्ल्यू. के प्रतिष्ठापित क्षमता वाली वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान को पतरातू में अवस्थित मूलभूत संरचना यथा जमीन, पानी इत्यादि के साथ प्रस्तावित किया जिसके लिये भारत सरकार ने बनहरदी कोयला प्रक्षेत्र को झा.रा.वि.बो. को आवंटित किया

<sup>11</sup> ट्रांसमिशन और वितरण की हानियाँ जो कि 37 से 49 प्रतिशत थी, लेख में नहीं ली गयी।

(अगस्त 2006)। आवंटन पत्र के अनुसार कोयला प्रक्षेत्र से खुले खदान के मामले में 42 माह तथा जमीनी सतह से नीचे खदान के मामले में 54 माह के अन्दर उत्पादन करना था। तथापि, झा.रा.वि.बो. द्वारा कोयला प्रक्षेत्र से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात् जमीन के सूचीपत्र, कोयला प्रक्षेत्र का नक्शा तथा आवेदन शुल्क जमा नहीं किये जाने के कारण खान एवं भूतत्व विभाग, जी.ओ.जे. ने संभावित अनुज्ञप्ति पत्र जारी नहीं किया। तदोपरान्त झारखण्ड सरकार ने मार्च 2010 में कोयला प्रक्षेत्र आवंटन के 43 माह बाद ₹ 21 करोड़ के शुल्क पर, पी.एफ.सी. परामर्शदाता लि. (पी.एफ.सी.सी.एल.) को उर्जा परियोजना स्थापित करने हेतु एक संयुक्त उपक्रम सहयोगी के चुनाव हेतु परामर्श दाता नियुक्त किया। पी.एफ.सी. सी. एल. ने 26 अप्रैल 2010 को इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया तथा निविदा पूर्व एक बैठक 10 मई 2010 को आयोजित करने का निर्णय किया। तथापि, आज तक (सितम्बर 2010) बैठक आयोजित नहीं हो सका। इस तरह झा.रा.वि.बो. भारत सरकार द्वारा नियत समयावधि का पालन न कर सका जिसके फलस्वरूप कोयला प्रक्षेत्र का आवंटन रद्द हो सकता है।

- झा.रा.वि.बो. ने 3 X 660 एम.डब्ल्यू. के एक नये वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की स्थापना हेतु प्रस्ताव रखा जिसके लिये भारत सरकार ने जुलाई 2007 में उरमापहाड़ीटोला कोयला प्रक्षेत्र को संयुक्त रूप से झा.रा.वि.बो. एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बी.एस.एम.डी.सी.) को आवंटित किया। तदनुसार, झारखण्ड एवं बिहार के मध्य एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी यथा झारबिहार को कोलयरी लिमिटेड (जे.सी.एल.) को संस्थापित किया गया। जून 2009 में एक वर्ष बाद जिन्फ्रा लिमिटेड को खनन विकास सह संचालक एम.डी.ओ./ जे.भी. के चयन हेतु जे.सी. एल. ने सलाहकार सेवा के लिये कार्यादेश निर्गत किया (अगस्त 2010)। इसी दौरान कोयला मंत्रालय भारत सरकार ने आवंटन पत्र के शर्तों के आधार पर समय अवधि का पालन नहीं करने के कारण कोयला प्रक्षेत्र के आवंटन रद्द करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया (सितम्बर 2009)। कोयला प्रक्षेत्र के नक्शे एवं अन्य आवश्यक नक्शे, जमीन की अनुसूची इत्यादि को खान एवं भूगर्भ विभाग, झारखण्ड सरकार को समर्पित नहीं किये जाने के कारण संभावित अनुज्ञप्ति पत्र अब तक जारी नहीं किये जा सके। पुनः झारखण्ड सरकार द्वारा नये उर्जा प्रतिष्ठान के लिये पानी का आवंटन अब तक नहीं किया गया जिसके चलते प्रतिष्ठान के जगह का चयन नहीं हो सके तथा भूमि सर्वेक्षण के लिए सलाहकार की नियुक्ति, संभाव्य प्रतिवेदन का कार्य एवं कोयला प्रक्षेत्र के अन्वेषण का कार्य के लिए जे.भी.सहयोगी का चयन टाल दिया गया। इस तरह से झा.रा.वि.बो. एवं झारखण्ड सरकार की चूक के कारण कोयला प्रक्षेत्र के विकास एवं नये उर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना में देरी हुई जिसके परिणाम स्वरूप कोयला प्रक्षेत्र का आवंटन भी रद्द हो सकता है।
- झा.रा.वि.बो. ने कोयला प्रक्षेत्र आवंटन के दो वर्षों के अन्तर्गत टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के रास्ते 2X 660 एम.डब्ल्यू हरितक्षेत्र वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान के कार्य आवंटन के लिए विशिष्ट उद्देश्य उपाय (एस.पी.भी.) की स्थापना की। जून 2009 में उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना के लिये मौर्या कोयला प्रक्षेत्र का आवंटन किया। इस कोयला प्रक्षेत्र से अंतिम प्रयोक्ता द्वारा उत्पादित उर्जा का उपयोग का बंटवारा झारखण्ड, बिहार एवं उत्तरप्रदेश के बीच 60:25:15 के भाग में करना था। उर्जा वित्तीय आयोग (पी.एफ.सी.) को मौर्या कोयला प्रक्षेत्र के साथ जुड़े प्रस्तावित वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान परियोजना के विकाशक को नियुक्त करने हेतु ₹ 14 करोड़ के शुल्क पर सलाहकार नियुक्त किया गया (फरवरी 2008)। एल.ओ.आई/एल.ओ.ए. को निर्गत्य करने हेतु पी.एफ.सी. को ₹ 3.93 करोड़ दिये गये। कोयला प्रक्षेत्र के लिए खनन पट्टा नहीं लिया गया तथा प्रतिष्ठान के लिए जगह का चयन नहीं किया गया था। उर्जा प्रतिष्ठान के लिये जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार ने अब तक पानी का आवंटन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप जे.भी. सहयोगी का चयन नहीं हुआ। तत्पश्चात्, उर्जा प्रतिष्ठान के लिये पानी का आवंटन नहीं होने से कोयला प्रक्षेत्र के विकास की प्रगति में वस्तुतः बाधक है एवं उर्जा परियोजना को लागू नहीं किये जाने के फलस्वरूप कोयला प्रक्षेत्र का आवंटन रद्द किया जा सकता है।

- टी.वी.एन.एल. ने 3X210 एम.डब्ल्यू. क्षमता वाली एक वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान को स्थापित करने हेतु योजना बनाई जिसके लिये भारत सरकार द्वारा बादाम कोयला प्रक्षेत्र आवंटित किया गया (जनवरी 2003)। टी.वी.एन.एल. ने मेसर्स डेजिन को परियोजना के लिये परामर्शदाता नियुक्त किया, 2004 में ग्लोबल निविदा आमंत्रित किया तथा मेसर्स स्कोडा एक्सपोर्ट चेक को एल-। निविदा दाता के रूप में अंतिमी करण किया। तथापि, परियोजना को वित्तीय मदद हेतु पी.एफ.सी. द्वारा देय कर्ज के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा प्रतिभूति नहीं देने के कारण परियोजना के वित्तीय अवरोध को समाप्त नहीं किया जा सका। मई 2009 में निविदा को निरस्त कर दिया गया एवं परियोजना बंद हो गई। उसी तरह, टी.वी.एन.एल. के दूसरी परियोजना को दामोदर वैली निगम के साथ 1X500 एम.डब्ल्यू के तीसरे चरण के विस्तार परियोजना के लिये गोन्डुलपाड़ा कोयला प्रक्षेत्र को आवंटित किया गया (जनवरी 2006)। टी.वी.एन.एल. के निदेशक मण्डल ने परियोजना के संभाव्य अध्ययन, सर्वेक्षण तथा डी.पी.आर. तैयार करने के लिए एन.टी.पी.सी. को सलाहकार नियुक्त करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया (मई 2009) जिसे अब तक झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। बादाम एवं गोन्डुलपाड़ा कोयला प्रक्षेत्र के खनन हेतु टी.वी.एन.एल. ने ई.एम.टी.ए. के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम बनाया। 2X660 एम.डब्ल्यू के दूसरे वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान के लिये राजबार कोयला प्रक्षेत्र को आवंटित किया गया (अगस्त 2006)। तथापि, जमीन के अधिग्रहण एवं जंगल मंजूरी नहीं मिलने के कारण इन कोयला प्रक्षेत्र के खनन का कार्य शुरू नहीं हो सका। इस प्रकार गोन्डुलपाड़ा एवं राजबार कोयला प्रक्षेत्र से जुड़े परियोजना लागू होने के आरंभिक दौर में ही थे।

यह पाया गया कि भारत सरकार द्वारा माइलस्टोन के रूप में वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान के स्थापना हेतु आवंटित कोयला प्रक्षेत्र को विकसित नहीं किया गया तथा भारत सरकार द्वारा आवंटन रद्द किया जा सकता है, जिससे प्रस्तावित वाष्प शक्ति प्रतिष्ठानों की स्थापना आशंका की स्थिति में पहुँच गई। साथ ही उर्जा परियोजना के लिये डी.पी.आर. को तैयार नहीं किया गया न ही परियोजना को लागू करने में कोई प्रगति हुई। इस तरह, भारत सरकार द्वारा नई परियोजनाओं के लिए छह कोयला प्रक्षेत्र के आवंटन के बावजूद समीक्षा अवधि में राज्य में उर्जा उत्पादन के लिए क्षमता वृद्धि में उपलब्धि नहीं हुई थी।

### विद्यमान सुविधाओं का इष्टतम उपयोग

राज्य के किसी भी इकाई जिनका आर. एण्ड एम./एल.ई कार्यक्रम लम्बित था, निधि की अनुपलब्धता के कारण वास्तव में नहीं करवाया गया

**4.2.17** बढ़ती उर्जा माँगों की पूर्ति के लिए, न सिर्फ अतिरिक्त क्षमता सृजित किये जाने की जरूरत है जैसा कि उम्र चर्चा किया गया है, वरन विद्यमान सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के लिए एक योजना की जरूरत है और विद्यमान सुविधाएँ जिन्होंने अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर लिया है अथवा करने को है, का ससमय मरम्मत/ रखरखाव के साथ साथ जीवन विस्तारीकरण कार्यक्रम/प्रतिस्थापन किये जाने की जरूरत है। पी.टी.पी.एस. में 10 इकाईयाँ तथा एस.आर.एच.पी. में दो इकाईयाँ है। सी.ई.ए. के प्रतिमानकों के अनुसार, संयंत्र का जिर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तारीकरण 25 वर्षों के उपरांत अथवा परिचालन के एक लाख घंटों के बाद किया जाना था।

हमने पाया कि पी.टी.पी.एस. की इकाई सं. 1 से 9 एवं एस.आर.एच.पी. की दो इकाईयाँ जो कि 1966 से 1984 के बीच स्थापित की गई थी, लगभग 26 से 44 वर्ष पुरानी थी और जिनका जिर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तारीकरण काफी पहले से क्रमशः वर्ष 1991-1997 (इकाई सं. 1-6), 2002-04 (इकाई सं. 7 एवं 8), 2009 ( इकाई सं. 9) तथा 2002-05 (एस.आर.एच.पी. की इकाई सं. 1 एवं 2) से लंबित थे। तथापि, निधि के अभाव के कारण किसी भी इकाई को वास्तव में नहीं कराया गया था। इस परिस्थिति की ओर उच्च स्तरीय प्रबंधन का सुधार कार्यवाही के लिए अविलंब ध्यानाकर्षण वांछित है।

### परिचालन निष्पादन

**4.2.18** उत्पादन कम्पनियों का परिचालन कार्यबल एवं सामग्री की आगत दक्षता और संयंत्र भार गुणक, संयंत्र उपलब्धता, क्षमता उपयोग, अनुपयोग काल एवं सहायक उपभोग से



संबंधित निर्गत दक्षता पर निर्भर करता है। इन पहलुओं पर चर्चा नीचे की गई है।

### आगत दक्षता

#### कोयला प्रापण की प्रक्रिया

**4.2.19** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) संयंत्र क्षमता, औसत संयंत्र भार गुणक एवं विगत प्रदर्शन के आधार पर ताप विद्युत प्रतिष्ठान (टी.पी.एस.) के लिए ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करता है। ऊर्जा उत्पादन कम्पनियाँ, इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य एवं विगत कोयला उपभोग प्रवाह के आधार पर कोयले की जरूरत का आकलन करती हैं। इस प्रकार आकलित कोयला जरूरत को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के स्थायी सहलग्नता समिति (एस.एल.सी.) को सम्प्रेषित किया जाता है, जो कि त्रैमासिक आधार पर टी.पी.एस. को किये जाने वाले कोयला आपूर्ति की स्रोत एवं मात्रा तय करती है। एस.एल.सी. द्वारा अनुमोदित सहलग्नता स्रोत के आधार पर ऊर्जा उत्पादन कम्पनियाँ कोलियरियों के साथ कोयला आपूर्ति अनुबंध (सी.एस.ए.) करती हैं।

**4.2.20** निर्धारण के आधार पर, झा.रा.वि.बो./ टी.वी.एन.एल. सेन्ट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड (सी.सी.एल.) से कोयला प्राप्त करती रही थी। तथापि, कोयला आपूर्ति के नियमों एवं शर्तों से विनिर्दिष्ट कोई अनुबंध सी.सी.एल. के साथ नहीं किया गया और नगद एवं वहन आधार पर कोयला प्राप्त की जा रही थी। ईंधन आपूर्ति अनुबंध के मानक प्रारूप के अनुसार कोयला विपत्रों का पूर्ण भुगतान साख-पत्र के माध्यम से किया जाना था और इससे बचने के लिए टी.वी.एन.एल. द्वारा ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ.एस.ए.) नहीं किया गया था। झा.रा.वि.बो. द्वारा एफ.एस.ए. नहीं करने का कारण एफ.एस.ए. से संबंधित संचिका का काफी दिनों से गुम होना है, जो कि एफ.एस.ए. किये जाने के संबंध में गंभीरता की कमी को इंगित करता है।

**4.2.21** वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान राज्य के सभी टी.पी.एस. की निर्धारित कोयला सहलग्नता, प्राप्त कोयला, विहित उत्पादन लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन उपलब्धि की अवस्था निम्नानुसार थी:

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल
निर्धारित कोयला सहलग्नता (लाख मिट्रिक टन)	34.41	40.80	32.70	34.20	43.80	185.91
प्राप्त कोयले की मात्रा (लाख मिट्रिक टन)	20.71	36.84	19.42	31.02	28.64	136.63
प्राप्त कोयले की मात्रा में कमी	13.70	3.96	13.28	3.18	15.16	49.28
कमी की प्रतिशतता	39.81	9.71	40.61	9.30	34.61	26.51

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि राज्य में पाँच वर्षों के दौरान एस.एल.सी. द्वारा निर्धारित किये गये कोयले की कुल सहलग्नता 185.91 लाख मिट्रिक टन था। इसके विरुद्ध केवल 136.63 लाख मिट्रिक टन कोयला प्राप्त किया गया था परिणामस्वरूप 49.28 लाख मिट्रिक टन (26.51 प्रतिशत) कोयले की कम प्राप्ति हुई। कोयला कम्पनियों के साथ किसी अनुबंध की अनुपस्थिति के कारण, कोयले की आवंटित मात्रा प्राप्त करने में प्रबंधन विफल हुआ।

आगे, कोयले की गुणवत्ता एवं श्रेणी, आपूर्ति किये गये कोयले बाह्य सामग्रियों की उपस्थिति, कोयले की तौल आदि से संबंधित पी.टी.पी.एस. और टी.वी.एन.एल.के विविध दावों को सी.सी.एल. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। 31 मार्च 2010 तक पी.टी.पी.एस. एवं टी.वी.एन.एल. से संबंधित ऐसे दावों की कुल राशि क्रमशः ₹ 4.57 करोड़ एवं ₹ 17.25 करोड़ था।

#### मानक से अधिक परागमन हानि

**4.2.22** केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के मानकों के अनुसार पीट हेड उत्पाद इकाईयों के लिए कोयले के परिवहन पर 0.3 प्रतिशत परागमन हानि अनुमान्य था। टी.टी.पी.एस. जो कि

मानक से अधिक परागमन हानि की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 11.63 करोड़ मूल्य के ₹ 1.15 लाख मिट्रिक टन कोयले की हानि हुई

कोयले का परिवहन सड़क मार्ग से करवा रहा था, ने परिवहन संविदा में परागमन हानि एक प्रतिशत (जनवरी 2006 तक), 0.8 प्रतिशत (फरवरी 2006 से अक्टूबर 2008 तक) तथा 0.3 प्रतिशत (नवम्बर 2008 से) का प्रावधान किया था। हमने पाया कि अक्टूबर 2008 तक टी.टी.पी.एस. ने मानक से अधिक परागमन हानि की अनुमति दी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ मूल्य के 22,248 मिट्रिक टन कोयले की हानि हुई। पी.टी.पी.एस. में, जहाँ कोयले का परिवहन रेल मार्ग से कराया गया था, परागमन हानि समीक्षा अवधि के दौरान 0.91 प्रतिशत से 3.13 प्रतिशत के बीच परिवर्तशील रही। इस प्रकार, पी.टी.पी.एस. में 2005-06 से 2009-10 के दौरान मानक से अधिक ₹ 9.17 करोड़ मूल्य के 93,019.40 मिट्रिक टन कोयले की हानि परागमन में हुई थी। ₹ 11.63 करोड़ मूल्य के 1.15 लाख मिट्रिक टन कोयले की हानि झा.रा.वि.बो./ टी.वी.एन.एल. प्रबंधन द्वारा नियंत्रित किये जाने योग्य थी।

### कोयले की गुणवत्ता

**4.2.23** प्रत्येक ताप प्रतिष्ठान एक विशिष्ट श्रेणी के कोयले के इस्तेमाल के लिए अभिकल्पित किया जाता है। परिकल्पित श्रेणी के कोयले का इस्तेमाल ऊर्जा का इष्टतम उत्पादन और उत्पादन लागत का लाभकारी होना सुनिश्चित करता है। हमने पाया कि कोलियरी से प्राप्त कोयले की श्रेणी हमेशा ताप प्रतिष्ठानों द्वारा अपेक्षित विनिर्दिष्ट श्रेणी में नहीं थी और या तो निम्न थी या बिना किसी श्रेणी की थी।

उच्चतर श्रेणी के कोयले के लिए भुगतान के कारण ₹169.21 करोड़ का अधिक व्यय हुआ

टी.वी.एन.एल. संयंत्र एफ-श्रेणी की 4200 कि.कै./कि.ग्रा.जी.सी.वी. कोयले के लिए अभिकल्पित किया गया था। टी.टी.पी.एस. के प्रयोगशाला में किये जाने वाले दैनिक विश्लेषण के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार 2005-06 से 2009-10 के दौरान टी.टी.पी.एस. में प्राप्त कोयले ई-श्रेणी के थे। उसी कोलियरी से संग्रहित नमूना के टी.टी.पी.एस. के उसी प्रयोगशाला में विश्लेषण के आधार पर निर्धारित करने पर हमने पाया कि कोयले की श्रेणी अधिकांश मामलों में उच्चतर श्रेणी की थी जिसके लिए, टी.टी.पी.एस. भुगतान कर रहा था। 2005-06 से 2009-10 के दौरान सी.सी.एल. को ई-श्रेणी कोयले के 12.54 लाख मिट्रिक टन, ऊर्जा कोयले के 6.57 लाख मिट्रिक टन, वाशरी श्रेणी- IV कोयले के 56.45 लाख मिट्रिक टन के लिए भुगतान किया गया था। इस प्रकार, उच्चतर श्रेणी के कोयले के लिए भुगतान के कारण ₹ 169.21 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। संयंत्र प्रबंधन को सी.सी.एल. से परिकल्पित कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए।

### अपर्याप्त इंधन भण्डार के कारण उत्पादन हानि

**4.2.24** टी.वी.एन.एल. द्वारा न्यूनतम 45 दिनों का इंधन भण्डार नियत किया गया था जिसका पालन टी.वी.एन.एल. में नहीं किया गया और इसे इंधन की कमी की समस्या से जूझना पड़ा (**परिशिष्ट 4.9**)। हमने पाया कि टी.वी.एन.एल. के टी.टी.पी.एस. को वर्ष 2009-10 के दौरान कोयले की कमी और कोयला बंकर में कोयले की अनुपलब्धता के कारण आंशिक भार पर चलाना पड़ा था, परिणामतः कुल 20.73 एम.यू. उत्पादन की हानि हुई जिसका मूल्य ₹ 4.25 करोड़ था। यह कोयले की आपूर्ति/उपलब्धता की व्यवस्था करने में दोषपूर्ण योजना और कोयला बंकरों में कोयले के परिपूरण में खराब अनुश्रवण को इंगित करता है।

### इंधन का उपभोग

#### कोयले का अधिक उपभोग

**4.2.25** कोयले का उपभोग इसके कैलोरिफिक मांग पर निर्भर करता है। जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा राज्य में विविध ऊर्जा उत्पादन प्रतिष्ठानों के लिए ऊर्जा की एक इकाई के उत्पादन के लिए

नियत किये गये मानकों की तुलना में वर्ष 2009-10 को समाप्त हुए विगत पाँच वर्षों की अवधि में कोयले की अधिकतम एवं न्यूनतम उपभोग को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

(किलो में)

प्रतिष्ठान का नाम	जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा तय किये गये मानक	वर्ष के दौरान औसत अधिकतम उपभोग	वर्ष के दौरान औसत अधिकतम उपभोग
टी.वी.एन.एल.	0.577	0.655 (2007)	0.743 (2010)
पी.टी.पी.एस.	0.721	0.889 (2010)	0.960 (2006)

(कोष्ठक में अंक वर्ष को इंगित करते हैं जिसमें अधिकतम/न्यूनतम उपभोग प्राप्त किया गया था)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि समीक्षा के अन्तर्गत सभी वर्षों के दौरान पी.टी.पी.एस. और टी.वी.एन.एल. में मानक की तुलना में उपभोग उच्चतर रहा। इसके परिणामस्वरूप ताप विद्युत प्रतिष्ठानों में कोयले का अधिक उपभोग हुआ जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है।

क्र.सं.	विवरणी	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	उत्पादित इकाई (एम.यू.)	2375.49	3329.78	2491.50	3236.86	3179.84
2.	मानकों के अनुसार कोयले की आवश्यकता (लाख एम.टी.)	14.07	19.48	15.98	20.84	20.53
3.	उपभोगित कोयला (लाख एम.टी.)	18.59	23.71	19.08	25.34	25.48
4.	अधिक उपयोग (लाखा एम.टी.) (3-2)	4.52	4.23	3.11	4.51	4.95
5.	प्रति एम.टी. दर (₹) (औसत दर)	949.81	1003.62	1071.64	1109.16	1105.81
6.	प्रति इकाई उपभोगित कोयला (कि.ग्रा.) [(3 x 1000) / 1]	0.783	0.712	0.766	0.783	0.801
7.	अधिक कोयले का मूल्य (₹ करोड़ में) (4 x 5)	42.93	42.43	33.28	49.99	54.77

मानकों से अधिक कोयले का उपभोग ₹ 21.32 लाख एम.टी. था जिसका मूल्य ₹ 223.40 करोड़ था

उपरोक्त से यह प्रेक्षित किया जा सकता है कि मानकों से अधिक उपभोग के परिणामतः ₹ 223.40 करोड़ मूल्य के 21.32 लाख एम.टी. कोयला का अधिक उपयोग हुआ।

अधिक उपयोग जैसा कि हमारे द्वारा विश्लेषित किया गया है, के कारण उच्च दाब तापक का शुरूआत से ही अकार्यशील होना और मानक की तुलना में अधिक अज्वलित कोयला रहना था, जैसा कि नीचे परिचर्चा किया गया है।

**4.2.26** टी.टी.पी.एस. का परिकल्पन, निचले राख में 2 प्रतिशत अज्वलित कार्बन और उड़ते राख में 0.5 प्रतिशत अज्वलित कार्बन के लिए किया गया था। 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान निचले राख में वास्तविक अज्वलित कार्बन 8.87 प्रतिशत से 10.83 प्रतिशत के बीच रही और उड़ते राख में 3.74 प्रतिशत से 4.76 प्रतिशत के बीच रहा जिससे 1.22 लाख एम.टी. अधिक अज्वलित कार्बन परिणामित हुआ। 3.06 लाख एम.टी. कोयले से उत्सर्जित इस अज्वलित कार्बन के परिणामस्वरूप ₹ 33.77 करोड़ की हानि हुई। पी.टी.पी.एस. का परिकल्पन 5 प्रतिशत अज्वलित निचले राख और एक प्रतिशत अज्वलित उड़ते राख के लिए किया गया था। 2006-07 के दौरान, अज्वलित निचला राख 10.17 प्रतिशत था तथा अज्वलित उड़ता राख 1.32 प्रतिशत था जिससे मानक से अधिक 3,044 एम.टी. अज्वलित कार्बन पैदा हुआ परिणामतः ₹ 69.03 लाख की हानि हुई। अधिक अज्वलित कार्बन का कारण संयंत्र के खराब परिचालन अवस्था की वजह से कम ज्वलनशील होना था।

## द्वितीयक तेल का अधिक उपभोग

मानकों से अधिक तेल उपभोग के परिणामस्वरूप ₹ 110.49 करोड़ की हानि हुई

**4.2.27** जे.एस.ई.आर.सी. के मानकों के अनुसार टी.वी.एन.एल. के लिए आपेक्षिक तेल उपभोग 2 मि.ली./के.डब्ल्यू.एच. था जबकि पी.टी.पी.एस. के लिए यह सीमा 2 से 15.95 मि.ली./के डब्ल्यू.एच के बीच था। तथापि, वास्तव में टी.वी.एन.एल. में आपेक्षिक तेल उपभोग 2.043 से 3.49 मि.लि./के.डब्ल्यू.एच के बीच था और पी.टी.पी.एस. में 9.15 से 25.86 मि.ली./के.डब्ल्यू.एच. के बीच था, परिणामतः ₹ 110.49 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। पी.टी.पी.एस./टी.वी.एन.एल. के इकाईयों का बार-बार ट्रिपिंग/ ब्रेकडाउन होने और चालू होने के परिणामस्वरूप तेल का अधिक उपभोग हुआ।

## मानवशक्ति प्रबंधन

**4.2.28** सी.ई.ए. ने 2005-06 एवं 2006-07 के लिए अधिष्ठापित क्षमता का प्रति मेगावट के लिए 1.76 व्यक्ति की और वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए 1.58 व्यक्ति प्रति मेगावट की अनुशंसा की थी। झा.रा.वि.बो. और टी.वी.एन.एल. में वास्तविक मानवशक्ति, स्वीकृत बल तथा सी.ई.ए. अनुशंसा के अनुसार मानवबल की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
<b>पी.टी.पी.एस.</b>						
1	स्वीकृत बल	4053	4053	4053	4053	4053
2	सी.ई.ए. की अनुशंसा के अनुसार मानवशक्ति	1356	1356	1217	1217	1217
3	वास्तविक मानवशक्ति	2008	1737	1567	1540	1459
4	अधिक मानवशक्ति	652	381	350	323	242
5	वेतन पर व्यय (लाख ₹ में)	4797.29	4996.70	4415.87	4604.45	4432.10
6	सी.ई.ए. के मानको के प्रसंग में अतिरिक्त व्यय (लाख ₹ में) [(4/3) x (3-2)]	1557.68	1095.99	986.31	965.74	428.83
<b>टी.वी.एन.एल.</b>						
1	स्वीकृत बल	631	631	631	631	631
2	सी.ई.ए. अनुशंसा के अनुसार मानवशक्ति	739	739	667	667	667
3	वास्तविक मानशक्ति	651	651	654	651	651
4	वेतन पर व्यय (लाख ₹ में)	1073	1268	1259	1546	1806

पी टी.पी.एस. में वास्तविक मानवशक्ति सी.ई.ए. के मानकों की तुलना में अधिक थी परिणामस्वरूप ₹ 50.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ

उपरोक्त सारणी यह दर्शाता है कि वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान पी.टी.पी.एस. में वास्तविक मानवशक्ति सी.ई.ए. के मानकों से अधिक था परिणामस्वरूप ₹ 50.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। यद्यपि, समीक्षा अवधि में बोर्ड अधिक मानवशक्ति को 652 से घटकर 242 करने में योग्य रहा। अतिरिक्त मानवशक्ति रहने के बावजूद उत्पादन प्रतिष्ठानों ने, देखभाल, कोल हैंडलिंग संयंत्र सफाई, संघनक की सफाई इत्यादि नियमित कार्यों के लिए प्रायः अस्थायी/ अनुबंध कर्मी नियोजित किया था। हमने आगे पाया कि:

- तकनीकी संवर्ग में, टी.वी.एन.एल. में 210 कर्मियों की कमी थी और संयंत्र के महत्वपूर्ण परिचालनों के लिए पर्याप्त तकनीकी मानवशक्ति उपलब्ध नहीं था। यद्यपि, अकुशल एवं अन्य संवर्गों में 276 से 285 जनशक्ति अधिशेष थे, तथापि टी.वी.एन.एल. ने 2005-06 से 2009-10 के दौरान ₹ 24.31 करोड़ खर्च करके संवेदक के माध्यम से नियमित कार्यों पर 524 कर्मकारों को नियुक्त किया था। इसके अलावा टी.वी.एन.एल. ने 32 से 46 अभियन्ताओं और 47 से 59 कर्मकारों की प्रत्यक्ष अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जिसके लिए समीक्षा अवधि में ₹ 3.96 करोड़ का भुगतान वेतन के रूप में किया। अपने कर्मचारी संख्या को बुद्धिसंगत करने या उनका इष्टतम उपयोग के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

- पी.टी.पी.एस. में तकनीकी संवर्गों में 915 पद रिक्त थे। तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण संयंत्र का सामान्य परिचालन प्रभावित हो रहा था। वास्तव में, पी.टी.पी.एस. की एक इकाई यद्यपि, उत्पादन के लिए उपलब्ध होने के बावजूद अपर्याप्त मानवशक्ति के कारण जनवरी 2010 से मार्च 2010 के दौरान परिचालित नहीं किया जा सका परिणामस्वरूप ₹ 9.69 करोड़ मूल्य के 54.42 एम.यू. विद्युत पादन की हानि हुई।

## निर्गत दक्षता

### उत्पादन में कमी

#### 4.2.29 प्रत्येक वर्ष विद्युत उत्पादन का लक्ष्य झा.रा.वि.बो./टी.वी.एन.एल. द्वारा निर्धारित

पी.आर.वी.यू.एन.एल. के कोटा टी.पी.एस. की इकाई संख्या 6 द्वारा 101.10 प्रतिशत की उपलब्धि सभी राज्य क्षेत्र की इकाईयों में उच्च थी। (श्रोत: सी.ई.ए. द्वारा 2008-09 में वाष्प शक्ति विद्युत प्रतिष्ठानों का निष्पादन समीक्षा)

की जाती है एवं सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित की जाती है। लेखापरीक्षा में अवलोकित हुआ कि 2005-06 से 2009-10 के दौरान 20883 एम.यू.विद्युत उत्पादन उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध राज्य द्वारा कुल 14613 एम.यू. विद्युत

का उत्पादन हुआ। इस प्रकार 6270 मेगा इकाई का कुल कमी परिलक्षित हुआ जिसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	कमी
2005 -06	3960	2375	1585
2006 -07	4848	3330	1518
2007 -08	3580	2492	1088
2008 -09	4110	3236	874
2009 -10	4385	3180	1205
<b>कुल</b>	<b>20883</b>	<b>14613</b>	<b>6270</b>

अभिकल्प, वास्तविक उत्पादन, संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) के अनुसार वर्षवार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा परिशिष्ट 4.10 में दिया गया है।


परिशिष्ट का ब्यौरा निम्न बिन्दुओं को दर्शाता है:-

- 2009-10 तक इस पाँच वर्षों के दौरान अभिकल्प के आधार पर उत्पादन तथा पी.एल.एफ. से वास्तविक उत्पादन और वास्तविक पी.एल.एफ. काफी नीचे था।
- 2009-10 को समाप्त विगत पाँच वर्ष के दौरान टी.वी.एन.एल. तथा पी.टी.पी.एस. के 18396 एम.यू. और 26981 एम.यू. कुल परिकल्पित उत्पादन के विरुद्ध वास्तविक उत्पादन 10311 एम.यू. और 4302 एम.यू. था जिसके कारण क्रमशः 8085 और 22679 एम.यू. की कमी हुई, जिसे तकनीकी रूप से उत्पादित किया जा सकता था।
- चूंकि पी.एल.एफ. निविष्टों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अभिकल्पित था 2005-06 से 2009-10 के दौरान उत्पादन की उपरोक्त हानि (30763.33 एम.यू.) दर्शाता है कि अभिकल्प दोष, इकाईयों का अक्सर ब्रेकडाउन और समयानुकूल सुधार में विलम्ब के कारण साधन और क्षमता का इष्टतम स्तर पर उपयोग नहीं हो पाया जिसका वर्णन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।
- हमारा अवलोकन था, कि टी.वी.एन.एल. और पी.टी.पी.एस. द्वारा उत्पादित विद्युत को संचरण लाईन पर अधिक भार के कारण पूर्ण रूप से प्रेषित नहीं किया गया और उत्पादन कम करना पड़ा। परिणामस्वरूप टी.वी.एन.एल. को 244.06 एम.यू. के उत्पादन हानि सहना पड़ा जिसमें ₹ 46.85 करोड़ का राजस्व निहित था और पी.टी.पी.एस. को

77.287 एम.यू. उत्पादन हानि सहना पड़ा, जिसमें ₹ 13.67 करोड़ का राजस्व निहित था।

### निम्न संयंत्र भार घटक

**4.2.30** संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) अधिष्ठापित क्षमता पर वास्तविक उत्पादन और संभावित अधिकतम उत्पादन के बीच का औसत दर्शाता है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) द्वारा संस्थापित मानक के अनुसार वाष्प शक्ति उत्पादन संयंत्र का पी.एल.एफ. 80 प्रतिशत होना चाहिए, जिसके विरुद्ध 2005-2006 से 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय औसत क्रमशः 73.71 प्रतिशत, 77.03 प्रतिशत, 78.75 प्रतिशत, 77.22 प्रतिशत और 77 प्रतिशत था। समीक्षा अवधि के दौरान पी.टी.पी.एस., टी.वी.एन.एल. और एस.आर.एच.पी. का पी.एल.एफ. को दर्शाता हुए लाईन ग्राफ नीचे दिखाया गया है।



औसत प्राप्ति के साथ-साथ प्रति इकाई औसत लागत, पी.एल.एफ. उपलब्धि, राष्ट्रीय पी.एल.एफ. पर औसत प्राप्ति, पी.एल.एफ. जिस पर औसत लागत की वसूली की जा सकती है और पी.एल.एफ. में अन्तर का प्रतिशतता का विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
<b>पी.टी.पी.एस.</b>						
1.	औसत प्राप्ति (पैसा प्रति इकाई)	178	176	183	183	178
2.	औसत लागत (पैसा प्रति इकाई)	290	328	287	247	213
3.	वास्तविक पी.एल.एफ. (प्रतिशत)	12.55	9.31	10.45	16.00	14.20
4.	राष्ट्रीय पी.एल.एफ. पर औसत प्राप्ति (पैसा प्रति इकाई)	49.38	39.64	38.08	51.18	39.28
5.	पी.एल.एफ. जिस पर औसत मूल्य की वसूली (प्रतिशत) (2/1 X 3)	20.45	17.35	16.39	21.60	16.99
6.	अन्तर (प्रतिशत) (5 - 3)	7.90	8.04	5.94	5.60	2.79
<b>टी.वी.एन.एल.</b>						
1.	औसत प्राप्ति (पैसा प्रति इकाई)	185.66	190	193.09	205	205
2.	औसत लागत (पैसा प्रति इकाई)	275	193	226	2210	266
3.	वास्तविक पी.एल.एफ. (प्रतिशत)	41.69	73.92	48.47	60.31	55.52
4.	राष्ट्रीय पी.एल.एफ. पर औसत प्राप्ति (पैसा प्रति इकाई)	155.54	185.21	139.10	172.60	191.80
5.	पी.एल.एफ. जिस पर औसत मूल्य की वसूली (प्रतिशत) (2/1 X 3)	61.75	75.09	56.73	65.02	72.04
6.	अन्तर (प्रतिशत) (5 - 3)	20.06	1.17	8.26	4.71	16.52

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान टी.वी.एन.एल. और पी.टी.पी.एस. का राष्ट्रीय पी.एल.एफ. के तुलना में उत्पादन में अनुमानित कमी क्रमशः 3806.28 एम.यू. और 21579.72 एम.यू. था, जिससे अंशदान की हानि क्रमशः ₹ 945.84 करोड़ और ₹ 3876.08

करोड़ हुआ।

**4.2.31** लेखापरीक्षा में पाया गया कि अल्प संयंत्र लब्धता, अल्प क्षमता उपयोगिता, वृहत बन्दी और मरम्मती एवम् अनुरक्षण में विलम्ब कम पी.एल.एफ. का मुख्य कारण था।

#### निम्न संयंत्र उपलब्धता

**4.2.32** संयंत्र उपलब्धता का अर्थ वास्तविक परिचालित घंटों और किसी समय में उपलब्ध अधिकतम समभाव्य घंटों का अनुपात होता है। टी.टी.पी.एस. और पी.टी.पी.एस विद्युत प्रतिष्ठानों का 2009-10 तक के पाँच वर्षों का औसत संयंत्र उपलब्धता, सी.ई.आर.सी. के 2004-09 के दौरान 80 प्रतिशत और 2009-10 के 85 प्रतिशत के संयंत्र उपलब्धता का मानक के विरुद्ध क्रमशः 62.6 प्रतिशत और 22.91 प्रतिशत था।

कुल उपलब्ध घंटों, कुल परिचालित घंटों, योजनागत अनुपयोग काल, विवश अनुपयोग काल और समग्र संयंत्र उपलब्धता का विवरण नीचे दर्शाया गया है।


क्र.सं.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
<b>टी.वी.एन.एल.</b>						
1.	कुल उपलब्ध घंटे	17520	17520	17520	17520	17520
2.	परिचालित घंटे	8607	14406	9138	11245	11526
3.	योजनागत अनुपयोग काल (घंटे में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	विवश अनुपयोग काल (घंटे में)	8912	3078	6222	6275	5994
5.	संयंत्र उपलब्धता (प्रतिशत)	49	82	52	64	66
<b>पी.टी.पी.एस.</b>						
1.	कुल उपलब्ध घंटे	87600	87600	87840	87600	87600
2.	परिचालित घंटे	20456	14817	16153	23395	25578
3.	योजनागत अनुपयोग काल (घंटे में)	747	669	573	2143	1607
4.	विवश अनुपयोग काल (घंटे में)	66397 (75.80)	72114 (82.32)	71114 (80.96)	62062 (70.85)	60415 (68.97)
5.	संयंत्र उपलब्धता (प्रतिशत)	23.35	16.91	18.39	26.71	29.20

विद्युत संयंत्र के निम्न उपलब्धता का कारण मरम्मती और अनुरक्षण में अत्यधिक विलम्ब के कारण अनुपयोग काल लम्बी अवधि का होना माना गया है। टी.वी.एन.एल. में योजनाबद्ध अनुपयोग काल और निवारक अनुरक्षण नहीं किया गया था। साथ ही, पी.टी.पी.एस. द्वारा निर्धारित योजनाबद्ध अनुपयोग काल सी.ई.ए. द्वारा अनुमान्य 10 प्रतिशत के विरुद्ध बहुत कम 0.65 प्रतिशत से 2.45 प्रतिशत के बीच था। परिणामस्वरूप टी.पी.एस. में ट्रीपिंग्स की संख्या बहुत उच्च था। वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान संयंत्र में 367 ट्रीपिंग्स घटित हुआ और अनुरक्षण में 13,170 घंटा व्यतीत हुआ परिणामस्वरूप 1939.16 एम.यू. उत्पादन हानि हुई। अगर संयंत्र में निवारण अनुरक्षण किया गया होता तो इसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता था। इसके अलावा पूँजीगत अनुरक्षण की योजना नहीं बनायी गयी थी और संयंत्र को निष्क्रिय रखकर अनुमोदन प्राप्ति एवं आदेश निर्गत करने जैसी प्रशासनिक औपचारिकताएँ इत्यादि किया गया जिसकी योजना पहले ही बनाने से पूँजीगत अनुरक्षण के समय को कम किया जा सकता था।

#### निम्न क्षमता उपयोग

**4.2.33** परिचालन के वास्तविक घंटों के दौरान वास्तविक संभावित उत्पादन के अनुपात को क्षमता उपयोग कहा जाता है। लेखापरीक्षा विश्लेषण में उजागर हुआ कि अधिष्ठापित क्षमता का 30.03 प्रतिशत और 15.88 प्रतिशत क्रमशः पी.टी.पी.एस. और टी.वी.एन.एल. में अनुपयोगी रहा।





2005-2010 के दौरान उपलब्ध क्षमता का कम उपयोग का मुख्य कारण जिसे लेखा परीक्षा विश्लेषण में पाया गया, वो निम्न है:-

- इकाईयों का परिचालन आंशिक भार/बिना भार के;
- पुराने इकाईयों की घटाई हुई क्षमता; तथा
- संचरण क्षमता में रूकावट

#### अनुपयोग काल

**4.2.34** अनुपयोग काल का संदर्भ उस अवधि से किया जाता है जब संयंत्र योजनाबद्ध/विवश अनुरक्षण हेतु बन्द रहता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित त्रुटियाँ योजनाबद्ध तथा विवश अनुरक्षण में पायी गई: -

मानक से अधिक विवश अनुपयोग काल के परिणामस्वरूप 3.16 लाख घंटों की हानि हुई जिससे ₹ 5600 करोड़ मूल्य के 30,884 एम.यू. विद्युत उत्पादन होती

- सी.ई.ए. द्वारा अनुरक्षण और मरम्मती हेतु 10 प्रतिशत अनुपयोग काल स्वीकृत है। लेखापरीक्षा ने पाया कि पी.टी.पी.एस. और टी.वी.एन.एल में अधिकतर अनुपयोग काल योजनाबद्ध अनुरक्षण के दौरान नहीं था और पूंजीगत अनुरक्षण विवश अनुपयोगकाल के दौरान किया गया, जिससे पूंजीगत अनुरक्षण में अनावश्यक रूप से अत्यधिक समय व्यतीत हुआ। पी.टी.पी.एस. में निवारक अनुरक्षण प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी और सिर्फ ब्रेकडाउन अनुरक्षण किया जाता था। विवश बन्दी के कारण रोटर का मुड़ना, टयूब का रिसाव, बॉयलर में कम दबाव, ब्रेकर में फ्लैसींग भारी विद्युत धक्का, लौ की विफलता, अत्यधिक उच्च तथा निम्न ड्रम स्तर इत्यादि थे। टी.वी.एन.एल. में विवश अनुपयोग काल 17.57 प्रतिशत से 50.87 प्रतिशत के परास में था तथा पी.टी.पी.एस. में यह 68.97 प्रतिशत से 82.32 प्रतिशत के परास में था।
- अगर 2005-06 से 2009-10 की अवधि में टी.वी.एन.एल. में विवश बन्दी सी.ई.ए. के मानक के अनुसार रखा जाता तो उत्पादन के लिए संयंत्र को उपलब्धता में अतिरिक्त 21721 घंटों की बढ़ोतरी होती, परिणामस्वरूप ₹ 579.19 करोड़ का 2936.49 एम.यू. का उत्पादन होता।
- उसी प्रकार पी.टी.पी.एस. में संयंत्र की उपलब्धता में अतिरिक्त 2.94 लाख घण्टों की बढ़ोतरी होती, फलस्वरूप ₹ 5,024.92 करोड़ का 27,947.43 एम.यू. का उत्पादन होता।

### उर्जा का सहायक उपभोग

**4.2.35** विद्युत प्रतिष्ठानों द्वारा अपने स्वयं के उपस्करों और सामान्य सेवा के परिचालन में उर्जा के उपभोग को सहायक उपभोग कहा जाता है। जे.एस.ई.आर.सी. के मानक के अनुसार टी.वी.एन.एल. के लिए सहायक उपभोग 9 प्रतिशत था। पी.टी.पी.एस. के पुराने और जर्जर संयंत्र होने के कारण जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा उच्चतर सहायक उपभोग 2005-06 और 2006-07 में 9 प्रतिशत, 2007-08 में 10.55 प्रतिशत और 2008-09 और 2009-10 में 10.50 प्रतिशत अनुमान्य किया गया था:

मानक से अधिक सहायक उपभोग के कारण ₹ 73.58 करोड़ मूल्य का 396.24 एम.यू. उर्जा ग्रिड को प्रेषित नहीं की जा सकी

- टी.वी.एन.एल. का वास्तविक सहायक उपभोग 2005-06 से 2009-10 के दौरान 8.66 प्रतिशत से 14.67 प्रतिशत था। मानक से अधिक सहायक उपभोग ₹ 44.45 करोड़ मूल्य का 233.47 एम.यू. था।
- पी.टी.पी.एस. में 2005-06 से 2009-10 के दौरान सहायक उपभोग जे.सी.ई.आर. सी. के 9 प्रतिशत से 10.55 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध 12.14 प्रतिशत से 16.56 प्रतिशत था। मानक से अधिक सहायक उपभोग ₹ 29.13 करोड़ मूल्य का 162.77 एम.यू. था।

इस तरह ₹ 73.58 करोड़ मूल्य का 396.24 एम.यू. उर्जा ग्रिड को प्रेषित नहीं किया जा सका।

जे.एस.ई.सी.एल.के वनकबारी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान 2008-09 के दौरान न्यूनतम सहायक उर्जा उपभोग किया था। स्रोत - केन्द्रीय उर्जा प्राधिकरण द्वारा 2008-09 का वाष्प शक्ति प्रतिष्ठानों का अनुपालन संवीक्षा

पी.टी.पी.एस. में उर्जा के अधिक सहायक उपभोग का कारण कूलिंग टावर पँखों का लगातार चलना, सी.डब्ल्यू पंखे का भीगें हुए जगह पर रहना, ए.सी सील तेल पम्प और अन्य उपस्करों का इकाईयों के बन्द होने के

बाद माइनस स्तर में रहना था। टी.वी.एन.एल. में उच्च सहायक उपभोग का मुख्य कारण उत्पादन प्रतिष्ठान के फीड पम्प, कूलिंग वाटर पम्प, वायू पंखे, कोल ग्राइन्डींग मिल्स, राख हैन्डलिंग उपकरण, समान सहायकों इत्यादि जैसे उपकरणों का क्षमता के अनुसार काम नहीं करना था। हाँलाकि ये कारणे नियंत्रण योग्य थी, और संयंत्र प्रबन्धन को इसे नियंत्रण में रखना चाहिए था।

### उर्जा का उच्च रूपान्तरण हानि

स्विच यार्ड एवं बस बार के न्यून अनुरक्षण के कारण ₹ 18.40 करोड़ के 103 एम.यू. उर्जा की हानि

**4.2.36** पी.टी.पी.एस के संचालन एवं अनुरक्षण के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार उत्पादन इकाई से स्वीच यार्ड बस बार आदि तक उर्जा के स्थानान्तरण की प्रक्रिया में ₹ 18.40 करोड़ मूल्य के 103 एम.यू. उर्जा स्थानान्तरण एवं अन्य हानि के रूप में था। उपरोक्त उर्जा की हानि स्वीच यार्ड एवं बस बार आदि के न्यून अनुरक्षण के कारण था जिसे नियंत्रित किया जा सकता था। यद्यपि, सी.ई.ए. द्वारा ऐसी हानि अनुमान्य नहीं है।

### मरम्मत एवं अनुरक्षण

**4.2.37** निष्पादन का दीर्घावधि संपोषण स्तर सुनिश्चित करने के लिए आवर्ती अनुरक्षण अनुसूची का पालन करना महत्वपूर्ण है। उपकरणों की दक्षता एवं उपलब्धता वार्षिक अनुरक्षण एवं उपकरणों के मरम्मत अनुसूची का सख्त अनुपालन करने पर निर्भर करता है। अनुसूची का सख्त अनुपालन नहीं करने के कारण उपकरण का अधिक कोयला एवं ईंधन तेल की खपत एवं विवश अनुपयोग काल का जोखिम होता है जिससे उपकरण के मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य का आवश्यक हो जाते हैं। यह सब कारक उपकरणों की कमी के कारण उर्जा उत्पादन की लागत बढ़ाते हैं जिससे कुल उत्पादित उर्जा प्रभावित होती है।

सी.ई.ए. के अनुसार बॉयलर का पूंजीगत अनुरक्षण प्रत्येक दूसरे वर्ष में 30 दिनों की अवधि में किया जाना था तथा टर्बो जेनरेटर का बॉयलर सहित पूंजीगत अनुरक्षण पाँच वर्ष में एक बार किया जाना था तथा 50 दिनों की अवधि से अधिक नहीं होना था।

**4.2.38** टी.वी.एन.एल. के 1996 में स्थापना के बाद इकाई सं. 1 और 2 का बॉयलर और टर्बो जेनरेटर का पूंजीगत अनुरक्षण 31 से 37 माह के विलम्ब से मात्र दो बार किया गया और वृहत खराबी के कारण इकाई का विवश अनुपयोग काल हो जाने के समय ही किया गया। पूंजीगत अनुरक्षण में 7 से 23 माह का समय लिया गया जो सामान्य से बहुत अधिक है।

**4.2.39** लेखा परीक्षा द्वारा पाया गया कि पतरातु वाष्प शक्ति प्रतिठान के इकाई सं.3,5,6,8 तथा 9 का पूंजीगत अनुरक्षण 8 से 15 वर्ष तक नहीं किया गया जबकि इकाई अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर चुका था। इकाईयों का पूंजीगत अनुरक्षण 6 से 10 वर्षों के विलम्ब से किया गया। कोई निवारक अनुरक्षण नहीं किया गया केवल ब्रेकडाउन अनुरक्षण किया गया। फलस्वरूप, संयंत्र की परिस्थिति बिगड़ती गई और इकाई बारंबार ब्रेकडाउन का शिकार हुआ जिससे उत्पादन में हानि हुआ।

निवारक अनुरक्षण के अभाव में संयंत्र के ब्रेकडाउन के परिणामस्वरूप ₹ 104.60 करोड़ मूल्य के 582.38 एम.यू. उर्जा का उत्पादन हानि हुई

**4.2.40** इकाई सं. 3 और 5 क्रमशः अगस्त 2003 और अप्रैल 2004 से बंद थे। पी.टी.पी.एस. में कोई निवारक अनुरक्षण की पद्धति नहीं थी और केवल ब्रेकडाउन अनुरक्षण किया जा रहा था। इकाई सं. 3 और 5 का पी.एल.एफ. क्रमशः 17.54 तथा 6.97 प्रतिशत था। सी.ई.ए.ने निर्देश दिया कि इकाईयों को पुनर्स्थापित किया जाए तथा पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण से पहले उत्तम परिचालन एवं अनुरक्षण प्रक्रिया को अपनाकर 60 प्रतिशत पी.एल.एफ. एवं स्थिर उर्जा उत्पादन की उपलब्धता हासिल करनी थी। इकाई सं. 3 और 5 का पुनर्स्थापन जुलाई 2007 में क्रमशः ₹ 25.29 करोड़ तथा ₹ 35.88 करोड़ के अनुमानित लागत पर प्रस्तावित किया गया था। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए अगस्त 2008 में निविदा आमंत्रित किया गया। यद्यपि निधि की अनुपलब्धता के कारण फरवरी 2010 में निविदा को रद्द कर दिया गया। इस प्रकार, संयुक्त रूप से 130 एम.डब्ल्यू उत्पादन क्षमता की इकाईयों 6 वर्षों से अधिक समय तक बन्द रहा और ₹ 104.60 करोड़ मूल्य के 582.38 एम.यू. का उत्पादन हानि हुआ।

पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं कराने फलस्वरूप उत्पादन इकाई का पुनः स्थापन में विलम्ब जिससे ₹ 141.10 करोड़ के 661.91 मेगा इकाई का उत्पादन हानि

**4.2.41** आग दुर्घटना के कारण पी.टी.पी.एस. के इकाई संख्या 9 और 10 (प्रत्येक 110 एम.डब्ल्यू) बन्द रहा। इकाईयों के पुनर्स्थापन का प्रारम्भिक लागत ₹ 98 करोड़ अनुमानित किया गया था। बोर्ड ने मूल संयंत्र निर्माता (ओ.ई.एम.) भारत हेवी इंजिनियरिंग लिमिटेड द्वारा समझौता दर पर टर्न की आधार पर इकाई को पुनर्स्थापन करने का निर्णय लिया तथा सितम्बर 2006 में खुला आदेश निर्गत किया। इकाई के पुनर्स्थापन के लिए बोर्ड ने ₹ 244.14 करोड़ का अनुमानित व्यय संशोधित किया (जून 2007)। भारत हेवी इंजिनियरिंग लिमिटेड को ₹ 160.52 करोड़ का क्रय आदेश/कार्यादेश दिया गया (अगस्त 2007) और इकाई को क्रमशः अगस्त 2008 और अक्टूबर 2008 में अधिष्ठापित करना था। तथापि, अब तक इकाई की अधिष्ठापना नहीं हो सकी है।

यद्यपि व्यय के लिए वित्तीय व्यवस्था झारखण्ड सरकार/ पी.एफ.सी. से ऋण द्वारा किया जाना था, यह देखा गया कि परियोजना की शुरुआत के पहले निधि उपलब्ध नहीं कराया गया। झारखण्ड सरकार द्वारा मात्र ₹ 116.75 करोड़ का प्रबंध किया गया, झा.रा.वि.बो. भारत हेवी इंजिनियरिंग लिमिटेड को समय पर भुगतान करने में असफल रहा और इकाई के पुनर्स्थापना करने के लिए अन्य कार्यों को नहीं किया जा सका। ₹ 190.91 करोड़ का कुल व्यय किया गया (जुलाई 2010)। इस दौरान कार्य को पूरा करने के लिए कर एवं अधिभार सहित अनुमानित व्यय ₹ 350 करोड़ तक पहुँच गया। इस प्रकार, कार्य के मूल्य का अनुपयुक्त

अनुमान तथा झारखण्ड सरकार द्वारा पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने में असफलता के कारण 220 एम.डब्ल्यू उत्पादन क्षमता के इकाई की पुनर्स्थापना में विलम्ब हुई, जिससे इकाई के साढ़े तीन साल तक बेकार पड़े रहने के कारण ₹ 141.10 करोड़ मूल्य का 661.91 एम.यू. की उत्पादन हानि हुआ।

इस प्रकार, संयंत्र का पूंजीगत अनुरक्षण के साथ आवर्ति अनुरक्षण नहीं किया गया परिणामस्वरूप उपकरणों की निम्न कार्यकुशलता एवं उपलब्धता, अत्यधिक विवश अनुपयोगकाल तथा कोयला और ईंधन का अत्यधिक खपत हुआ जैसा कि प्रतिवेदन के संबंधित कंडिकाओं में परिचर्चा किया गया है। उपरोक्त का मुख्य कारण निधि अनुपलब्ध होना था, जैसा कि झारखण्ड सरकार द्वारा उचित निधि इस उद्देश्य हेतु समय पर उपलब्ध न कराना तथा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को व्यय पूरा करने के लिए आन्तरिक संसाधन न होना था।

### पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण

**4.2.42** पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण (आर.एण्ड एम.) तथा फिर से नवीकरण की क्रिया में टी.पी.एस. की इकाईयों की समस्यायें चिन्हित करना, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करना तथा इन कार्यों से लाभ प्राप्ति जानने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करना सन्निहित है। आर.एण्ड एम. का उद्देश्य व्यापक कमी, परिकल्पन कमी के द्वारा परिचालित इकाईयों में आनेवाली समस्याओं का समाधान करना तथा पुनः औजारीकरण, आधुनिकीकरण और नवीन तकनीक/पद्धति द्वारा उसके कार्यक्षमता में वृद्धि करना था। आर.एण्ड एम. क्रियाकलाप वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान में 40 प्रतिशत और अधिक पी.एल.एफ. पर परिचालित होनेवाले इकाईयों की निष्पादन और उनकी आवश्यकता का मूल्यांकन के बाद लिया जाता है। सी.ई.ए. के मानक के अनुसार पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण (आर.एण्ड एम.) /जीवन विस्तारण ( एल.ई. ) संयंत्र के 25 वर्ष या 1 लाख घंटे परिचालन के बाद किया जाना चाहिए। पी.टी.पी.एस. तथा एस.आर.एच.पी. के 11 इकाइयों 26 से 44 वर्ष के हैं, जहाँ आर एण्ड एम./एल.ई कार्यक्रम अपेक्षित है, एक भी इकाई में नहीं किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित का अवलोकन किया गया-

- झा. रा. वि. बो. ने अगस्त 2003 में पी.टी.पी.एस. के इकाई सं. 1 से 8 के लिए शेष जीवन मूल्यांकन ( आर.एल.ए. ) का संचालन करने का निर्णय लिया। तथापि, मात्र इकाई सं.4 और 7 का आर.एल.ए. क्रमशः 2003-04 और 2005-06 में संचालन किया गया यद्यपि इकाई सं.4 और 7 के लिए अभी तक आर.एण्ड एम. नहीं किया गया। इकाई सं. 8 के बॉयलर तथा टरबाइन का भी आर.एल.ए. संचालित किया गया (मई 2010)।
- इकाई सं. 8 अक्टूबर 2005 से बंद था। बोर्ड द्वारा ₹ 500 करोड़ की अनुमानित लागत पर इकाई सं. 7 और 8 का पुनरूद्धार, आधुनिकीकरण तथा 110 एम.डब्ल्यू से 120 एम.डब्ल्यू तक क्षमता वृद्धि (आर.एम.एण्ड यू.) के लिए कार्य प्रस्तावित था। तथापि, उक्त इकाई के लिए आर.एम.एण्ड यू. अभी तक नहीं किया गया।
- एस.आर.एच.पी. की दो इकाईयों जिसके लिए वर्ष 2002/2005 मद्ध आर.एण्ड एम/एल.ई. लंबित था बोर्ड द्वारा वर्ष 2005-06 के बजट में आर. एण्ड एम. प्रस्तावित था। तथापि एस.आर.एच.पी. के दो इकाईयों का आर. एण्ड एम. नहीं किया जा सका, क्योंकि झारखण्ड सरकार द्वारा आवश्यक निधि उपलब्ध नहीं किया गया।

इस प्रकार, पी.टी.पी.एस. के 9 इकाईयों और एस.आर.एच.पी. के 2 इकाईयों का आर.एण्ड एम./एल.ई. यद्यपि लम्बित था, इसे पूरा नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण झारखण्ड सरकार द्वारा पुराने एवं जीवन व्यतीत कर चुके इकाईयों के लिए पूंजीगत मरम्मत एवं अनुरक्षण, आर. एण्ड एम./एल.ई. के लिए उचित निधि की व्यवस्था नहीं करना था। भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ए.जी.एस. और पी. योजना के तहत सूद की रियायती दर पर ₹ 300 करोड़ पतरातू टी.पी.एस. के लिए चिन्हित किया है। यह निधि झा. रा. वि. बो. को पी.एफ.सी./आर.ई.सी. के द्वारा उपलब्ध कराया जाना था। बोर्ड द्वारा ए.जी.एस.और पी. योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा गया और भारत सरकार द्वारा इकाईयों का प्रतिस्थापन/आर. एण्ड एम. के लिए रियायती ऋण का लाभ नहीं उठाया गया।

#### **परिचालन एवं अनुरक्षण**

**4.2.43** परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एण्ड एम.) लागत में कर्मचारियों पर व्यय, भण्डार एवं उपभोग वस्तुओं सहित मरम्मत एवं अनुरक्षण, पूंजीगत पुर्जे का उपयोग पूंजीगत लागत छोड़कर सुरक्षा व्यय, प्रशासनिक व्यय आदि के अतिरिक्त उत्पादन प्रतिष्ठान के प्रत्येक इकाई में बाँटे गए सम्मिलित व्यय ईंधन पर व्यय छोड़कर सन्निहित है।

**4.2.44** पुनः अप्रैल 2004 के पहले स्थापित संयंत्र के लिए उत्पादन दर अधिनियम 2004, के अनुसार 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि सहित पूंजीगत लागत का 2.5 प्रतिशत ओ.एण्ड एम. व्यय होना चाहिए था। तदनुसार, जे.एस.ई.आर.सी. ने वर्ष 2005-06 से 2009-10 के ओ.एण्ड एम. व्यय ₹ 316.01 करोड़ अनुमोदित किया, यद्यपि उक्त अवधि में ₹ 437.31 करोड़ वास्तविक व्यय किया गया जो जे.एस.ई. आर.सी. के मानक से ₹ 121.30 करोड़ अधिक था। इस प्रकार जे.एस.ई.आर.सी. के मानक से अधिक ओ.एण्ड एम. व्यय के परिणामस्वरूप ₹ 121.30 करोड़ की हानि हुई।

#### **वित्तीय प्रबंधन**

**4.2.45** किसी की संगठन के लिए कुशल कोष प्रबंधन का होना आवश्यक है। यह निर्णय लेने, उपलब्ध संसाधन का इष्टतम उपभोग और सही समय पर लाभदायक परिस्थितियों में उधार लेने का यंत्र का काम भी करता है। इसलिए उर्जा क्षेत्र की कंपनी को उनकी पद्धति को कारगर तरीके से निश्चित करना चाहिए कि

- निधि को बेकार सम्पत्ति में निवेशित नहीं किया गया है।
- लंबित अग्रिम का समायोजन/वसूली किया गया है।
- निधि को वास्तविक आवश्यकता के अग्रिम में नहीं लिया गया है।

निधि का मुख्य स्रोत उर्जा का विक्रय, राज्य/केन्द्र सरकार से सहाय्य, राज्य सरकार/बैंक/वित्तीय संस्था (एफ.आई.) से ऋण आदि था। इस निधि का उपयोग मुख्य रूप से उत्पादन लागत पूरा करने, उर्जा क्रय विपत्र का भुगतान, ऋण सेवा, कर्मचारी तथा प्रशासनिक लागत और पूंजीगत और राजस्व प्रकृति के प्रणाली का विकास में किया गया।

**4.2.46** वर्ष 2005-06 से 2009-10 के लिए रोकड़ अंतर्वाह तथा बहिर्वाह का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है -

**टी.वी.एन.एल.**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
<b>रोकड़ अंतर्वाह</b>						
1.	शुद्ध लाभ/(हानि)	(116.14)	(2.72)	(41.02)	(15.55)	(101.76)
2.	जोड़: समायोजन	128.84	129.70	130.88	131.96	132.10
3.	संचालन क्रियाकलाप	201.03	186.68	205.40	217.03	321.57
4.	विनियोग क्रियाकलाप	19.53	8.90	2.54	4.28	1.52
5.	वित्तीय क्रियाकलाप	5.00	-	-	-	-
<b>कुल</b>		<b>238.26</b>	<b>322.56</b>	<b>297.78</b>	<b>337.72</b>	<b>353.43</b>
<b>रोकड़ बहिर्वाह</b>						
6.	संचालन क्रियाकलाप	199.38	263.23	202.46	279.99	330.87
7.	विनियोग क्रियाकलाप	18.54	44.87	63.82	16.74	2.32
8.	वित्तीय क्रियाकलाप	15.47	12.53	35.66	18.09	17.39
<b>कुल</b>		<b>233.39</b>	<b>320.63</b>	<b>301.94</b>	<b>314.82</b>	<b>350.58</b>
रोकड़ के समतुल्य शुद्ध वृद्धि/हास		4.87	1.93	(4.14)	22.90	2.85

उपरोक्त से यह अवलोकित हुआ कि 2007-08 को छोड़कर समीक्षा अवधि में रोकड़ में वृद्धि हुई। 2006-07, 2008-09 और 2009-10 की अवधि में संचालन क्रियाकलाप से शुद्ध रोकड़ का बाह्य प्रवाही का मुख्य कारण अपर्याप्त वसूली/उर्जा आपूर्ति विपत्र की वसूली में विलम्ब था। तत्कालिक रूप से अनावश्यक सम्पत्ति में निधि के अवरोधन तथा पर्याप्त आगम के बिना अत्यधिक पूंजीगत व्यय के कारण रोकड़ की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसलिए, राष्ट्रीय स्तर पर पी.एल.एफ. की वृद्धि करके अधिकतम आन्तरिक स्रोत उत्पादन करने और बकाया विपत्र का तेजी से अनुसरण करने के साथ ही उर्जा विपत्र का प्रभावी वसूली करने की आवश्यकता थी। दूसरे तरफ, कंपनी निर्धारित उद्देश्य के लिए उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं कर सकी और उक्त बड़ी निधि को सावधि जमा में रखा गया।

वित्तीय प्रबंधन में निम्नलिखित त्रुटियाँ देखी गई -

- झा.रा.वि.बो. पूंजीगत व्यय के लिए प्रत्येक वर्ष बजट अनुमान को तैयार करता था। अपना स्रोत नहीं रहने के कारण, बजट प्रावधान यह मानते हुए तैयार किया जाता था कि झारखण्ड सरकार से निधि की प्राप्ति होगी। 2005-06 से 2009-10 की अवधि में बजट प्रावधान तथा झारखण्ड सरकार से निधि की प्राप्ति नीचे दर्शाया गया है:-

(₹करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	निधि की प्राप्ति
2005-06	183.00	103.13
2006-07	359.00	शून्य
2007-08	470.00	63.88
2008-09	1237.00	शून्य
2009-10	101.06	61.75

- उपरोक्त साक्ष्य से पता चलता है कि झारखण्ड सरकार से निधि की प्राप्ति बजट प्रावधान के अनुरूप नहीं था। झा.रा.वि.बो. द्वारा वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि में पूंजीगत योजना के लिए वार्षिक बजट में ₹ 2,350.06 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध झारखण्ड सरकार से मात्र ₹ 228.76 करोड़ की प्राप्ति हुई। झा.रा.वि.बो.द्वारा न तो



आन्तरिक/अन्य स्रोत से व्यवस्था की गई, न ही वित्तीय संस्था से व्यवस्था किया गया। इस प्रकार, सुनियोजित पूँजीगत योजना/ परियोजना या तो शुरू नहीं किया गया या पूरा नहीं किया गया और सुनियोजित समय के अनुसार इकाई का पूँजीगत अनुरक्षण नहीं किया जा सका।

- सी.ई.आर.सी. के दिशानिर्देश के अनुसार, वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (टी.पी.एस.) को प्रत्येक मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के लिए ₹ 4 लाख के उपकरण का संधारण करना चाहिए था। सी.ई.आर.सी. के दिशानिर्देश के अनुसार वाष्प शक्ति प्रतिष्ठानों द्वारा संधारित किए जाने वाले उपकरणों का मूल्य टी.वी.एन.एल. में ₹ 16.80 करोड़ थे। तथापि, टी.वी.एन.एल. के पास वर्ष 2005 से 2009 के बीच ₹ 45.83 करोड़ से ₹ 66.75 करोड़ मूल्य के उपकरण का भण्डार था जो मानक से अधिक था। वर्ष 2009 की समाप्ति पर, टी.टी.पी.एस.के पास ₹ 66.75 करोड़ मूल्य के उपकरण का भण्डार था जो जे.सी.ई.आर.सी. के मानक से ₹ 49.95 करोड़ अधिक था। इसके परिणामस्वरूप निधि का अवरोधन के साथ ब्याज की हानि हुई।

#### **झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के साथ उर्जा क्रय अनुबंध**

**4.2.47** टी.वी.एन.एल. ने झा.रा.वि.बो. के साथ उर्जा क्रय अनुबंध (पी.पी.ए.) में सम्मिलित हुआ (जुलाई 2005)। पी.पी.ए. के अनुसार झा. रा. वि.बो. के लिए ऊर्जा विक्रय की दर का निर्धारण जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा वितरण बिन्दु पर मान्य होगा। जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित दर स्थायी तथा परिवर्तनशील भार सहित एकल भाग दर होगा और उसमें क्षमता भार की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं था। पुनः जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा दर निर्धारण के लिए अनुमोदित ऊर्जा से टी.वी.एन.एल. द्वारा कम शुद्ध ऊर्जा उत्पादन होने की स्थिति में यह सम्पूर्ण स्थायी लागत की वसूली के योग्य नहीं होगा। इसमें देखा गया कि -

- जे.सी.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित ऊर्जा की मात्रा का उत्पादन टी.वी.एन.एल. द्वारा नहीं किया जा रहा था और 2005-06 और वर्ष 2007-08 से 2009-10 में ऊर्जा का शुद्ध उत्पादन काफी कम था। तदनुसार, ₹ 97.92 करोड़ का स्थायी लागत वसूली कम था।
- एम.ओ.पी. द्वारा जनवरी 2006 में अधिसूचित टैरिफ नीति के अनुसार उर्जा क्रय अनुबंध द्वारा पर्याप्त और बैंक में भुगतान योग्य सुरक्षा व्यवस्था उत्पादक कंपनी को सुनिश्चित करना था। तथापि, झा.रा.वि.बो. के साथ उर्जा क्रय अनुबंध में "एस्करो लेखा" या "लेटर ऑफ क्रेडिट" के रूप में कोई भी भुगतान सुरक्षा प्रणाली निश्चित नहीं था। तदनुसार झा.रा.वि.बो. द्वारा 31.3.2010 तक ऊर्जा विपत्र का भुगतान नहीं करने के कारण ₹ 555.50 करोड़ की बड़ी राशि बकाया थी। इस प्रकार, इस अवधि में अत्यधिक कार्यशील पूँजी अवरूद्ध थी, जिसकी वसूली के लिए प्रभावशाली अनुसरण की आवश्यकता थी।
- झा.रा.वि.बो. द्वारा टी.वी.एन.एल. के ऊर्जा विपत्र की पूरी राशि का भुगतान नहीं करने के कारण टी.वी.एन.एल. के बोर्ड द्वारा जुलाई 2003 से विलम्ब भुगतान अधिभार (डी.पी.एस.) प्रभारित करने का निर्णय लिया। टी.वी.एन.एल. के बोर्ड के निर्णय के बावजूद प्रबंधन द्वारा पी.पी.ए. में डी.पी.एस. के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। तथापि टी.वी.एन.एल. द्वारा प्रति माह डी.पी.एस. माँग जारी रखा गया। झा.रा.वि.बो. द्वारा डी.पी.एस. का कोई भी भुगतान नहीं करने के कारण 31.3.2010 को ₹ 1,106.06 करोड़ का बकाया था। इस प्रकार, पी.पी.ए. में निर्धारित प्रावधान नहीं रहने के कारण टी.वी.एन.एल. द्वारा राशि की वसूली मुश्किल थी।

उर्जा क्रय अनुबंध में निर्धारित प्रावधान के अभाव में तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड ₹ 1106.06 करोड़ का डी.पी.एस. वसूली नहीं कर सका



## दर निर्धारण

**4.2.48** उर्जा उत्पादक कंपनी को प्रति वर्ष प्रारंभ होने के 120 दिनों के पहले या जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित अन्य तिथि के अन्दर उत्पादन दर के अनुमोदन के लिए आवेदन दायर करने की आवश्यकता होती है। आयोग आवेदन को संशोधन/शर्तों के अनुसार जैसे उचित समझे स्वीकार करते हैं तथा लोक जन तथा अन्य साझेधारकों द्वारा दिए गए सुझाव एवं आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदन प्राप्ति के 120 दिनों के अन्दर उत्पादन दर सहित नियंत्रणाधीन बिन्दुओं के लिए आदेश जारी करता है।

आयोग नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष बिन्दुओं या प्रतिमानकों के लिए निष्पादन लक्ष्य को निर्धारित करती है जो नियंत्रण योग्य मानी जाती है, जिसमें प्रतिष्ठान उष्मा दर उपलब्धता, सहायक उर्जा उपभोग, द्वितीयक इंधन तेल उपभोग, संचालन और अनुरक्षण व्यय, संयंत्र भार कारक, वित्तीय लागत जिसमें उधार लागत सम्मिलित हो, इक्विटी की लागत और अवमूल्यन शामिल है। इस दर के द्वारा उपरोक्त प्रतिमानकों के निष्पादन में कमी के कारण वित्तीय हानि वसूली योग्य नहीं है।

दर निर्धारण हेतु आवेदन में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 5.68 करोड़ की हानि

इस संबंध में देखा गया कि टी.वी.एन.एल. ने 10 माह विलम्ब के बाद वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए सितम्बर 2005 में आवेदन दायर किया जिसपर जे.एस.ई.आर.सी. द्वारा मार्च 2006 में प्रति इकाई ₹ 1.90 उर्जा दर निर्धारण कर दर आदेश निर्गत किया। चूँकि टी.वी.एन.एल. ने दर आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत किया, आयोग ने 1 अप्रैल 2005 के स्थान पर 1 जनवरी 2006 से प्रभावी रूप से दर लागू किया। परिणामस्वरूप टी.वी.एन.एल. को अप्रैल 2005 से दिसम्बर 2005 तक पुनरीक्षण पूर्व दर पर उर्जा विक्रय करना पड़ा। इस प्रकार, विलम्ब से दर निर्धारण हेतु आवेदन दायर करने से ₹ 5.68 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

## पर्यावरण मुद्दे

**4.2.49** पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम और विधि निर्गत किया गया। राज्य स्तर पर इस अधिनियम और विधि की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जे.एस.पी.सी.बी.) नियामक संस्था है। विभिन्न स्थितियों में पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एण्ड एफ.) भारत सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) को भी विभिन्न विधि के अंतर्गत शक्ति प्रदान की गई है।

इस संबंध में विभिन्न अधिनियमों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षा जाँच में निम्नलिखित को पाया गया -

### संयंत्र का बिना सहमति के संचालन

**4.2.50** टी.वी.एन.एल. के संयंत्र को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत जनवरी 2005 से दिसम्बर 2005 तक निश्चित परिस्थितियों में वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान को परिचालन के लिए अनुमोदित किया गया था। जे.एस.पी.सी.बी. द्वारा टी.वी.एन.एल. के वायु एवं जल सहमति के लिए नवीकरण के आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया था। यद्यपि टी.वी.एन.एल. ने कहा कि उनके द्वारा अधिकतम परिस्थितियों का पालन किया गया था, 100 प्रतिशत राख जल पुनः परिवहन, परिसर के बाहर के उपभोक्ताओं के लिए साइलो पद्धति मुहैया कराने की शर्त का पालन नहीं किया। इस प्रकार जनवरी 2006 से जे.एस.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन के बिना संयंत्र का परिचालन हो रहा था जिसके लिए वर्ष 2005 से अनेक बार टी.वी.एन.एल. को कारण बताओ ज्ञापन जारी किया गया। वास्तव में टी.वी.एन.एल. को लोक स्वास्थ्य एवं

पर्यावरण के हित में इनके वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान को बन्द करने की चेतावनी भी दी गई।

**4.2.51** जे.एस.पी.सी.बी. द्वारा (जनवरी 2007) पी.टी.पी.एस. को बहिस्त्राव जल के सरपेंडेड पार्टिक्यूलेट मैटर स्तर तथा टी.एस.एस.स्तर मानक से अत्यधिक रहने के आधार पर 80 मेगा वाट तक विद्युत उत्पादन की अनुमति दिया गया। चूँकि बहिस्त्राव जल के एस.पी.एम स्तर और टी.एस.एस. स्तर को सीमा में प्रयोग में नहीं लाया गया, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 80 मेगा वाट से अधिक विद्युत उत्पादन की क्षमता नहीं बढ़ाया और वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा का अनादर करते हुए विद्युत का उत्पादन किया गया।

### वायु प्रदूषण

**4.2.52** कोल एश सूक्ष्म बारीक पदार्थ है, जो वायु आधारित होने पर और वातावरण में इसकी नियत आयतन से सान्द्रता उच्च होने की स्थिति से प्रदूषण वाहक होता है। धूल अर्थात् फ्लू गैस में एस.पी.एम के स्तर को नियंत्रित करना थर्मल पावर स्टेशन की जवाब देही है। इक्लेट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (इ.एस.पी.) फ्लू गैस में धूल की सान्द्रता कम करने के लिए व्यवहार किया जाता है। इ.एस.पी. की प्रभावकारी एवं दक्षता पूर्वक क्रिया पर धूल के स्तर को नियंत्रित करना निर्भर करता है।

### निर्धारित एस.पी.एम. स्तर की अप्राप्ति

**4.2.53** पी.टी.पी.एस में फ्लू गैस में एस.पी.एम. का स्तर 241 म्यू.ग्रा./एन.एम<sup>3</sup> से 910 म्यू.ग्रा./एन.एम<sup>3</sup> है जबकि जे.एस.पी.सी.बी. का मानक 150 म्यू.ग्रा./एन.एम<sup>3</sup> है। उच्च एस.पी.एम. को कम करने के लिए इ.एस.पी. का प्रतिस्थापन/ संशोधन आवश्यक है। तथापि, इकाई संख्या 10 का इ.एस.पी. को वर्ष 2003 में संशोधित किया गया और शेष इकाईयों के इ.एस.पी. के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं था। टी.वी.एन.एल में समीक्षा के वर्षों में 150/म्यू.ग्रा./एन.एम<sup>3</sup> के अभिकल्पित स्तर की तुलना में अभिलेखित एस.पी.एम. स्तर 217 म्यू.ग्रा./एन.एम<sup>3</sup> से 235 म्यू.ग्रा./एन.एम<sup>3</sup> की परास में था।

### एश निपटान

**4.2.54** एम.ओ.इ. एण्ड एफ ने नोटिफिकेशन सितम्बर 1999 जारी किया कि सभी विद्यमान वाष्प शक्ति विद्युत संयंत्रों को कालबद्ध रूप में 2013-14 तक शत प्रतिशत एश उपयोगिता की उपलब्धि प्राप्त करनी है। वाष्प शक्ति संयंत्रों को भवन सामग्री निर्माण इकाईयों को न्यूनतम 10 वर्ष तक मुफ्त में फ्लाई एश की आपूर्ति करनी थी। उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने वाष्प शक्ति संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में प्रयोक्ता के लिए मुफ्त सूखा फ्लाई एश संग्रहण एवं भण्डार सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जहाँ से प्रयोक्ता को व्यवहार के लिए एश का उठाव करना था। पी.टी.पी.एस. में स्लरी बनाने के लिए फ्लाई एश को पानी में मिलाया जाता है और एश पॉण्ड में बाहर निकाला जाता है। फरवरी 2006 में पी.टी.पी.एस ने 2 वर्ष के समय में सूखा एश भण्डारण सुविधा स्थापित करने की भारत सरकार के समक्ष प्रतिबद्धता दी। महामहिम उच्च न्यायालय, झारखण्ड के निदेशानुसार पी.टी.पी.एस. को अक्टूबर 2007 तक सूखा फ्लाई एश संग्रहण प्रणाली का निर्माण करना था जिससे कि फ्लाई एश का मूल्य आधारित उत्पाद में व्यवहार किया जा सके। महामहिम उच्च न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को झा.रा.वि.बो. द्वारा किए गए उपायों पर समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया। झा.रा.वि.बो. ने पी.टी.पी.एस. के यूनिट सं. 1 से 6 में सूखा फ्लाई एश संग्रहण प्रणाली निर्माण/सिलो (SILO) स्थापना के लिए अगस्त 2005 में सलाहकार नियुक्त किया और

अगस्त 2008 तीन वर्षों के पश्चात ₹ 21.00 करोड़ के एकमुश्त राशि का कार्यदेश निर्गत किया। अप्रैल 2009 तक कार्य पूर्ण किया जाना था। तथापि कार्य अभी तक संपन्न नहीं हुआ।

**4.2.55** टी.वी. एन.एल. में सूखा फ्लाई एश संग्रहण प्रणाली और सिलो (SILO) अभी तक निर्मित नहीं हुआ था तथा सूखा फ्लाई एश संग्रहण प्रणाली तथा सिलो के लिए केवल जी.पी.आर बनाने का आदेश दिया गया था। 2005-10 की अवधि तक टी.वी.एन.एल. ने किसी भी ईट व सीमेन्ट निमाता को एश का विक्रय नहीं किया था। तथापि नीचे स्थित क्षेत्रों को भरने में टी.वी.एन.एल. द्वारा कुल 24.48 लाख एम.टी. उत्पादित एश में 18.96 लाख एम.टी. का ₹ 11.65 करोड़ की लागत से उपयोग कर लिया गया। चूँकि ऐश पॉण्ड पूरा भरा हुआ था, उसे खाली करने के लिए समुचित राशि व्यय करने की आवश्यकता थी।

यह दर्शाता है कि पी.टी.पी.एस./टीवी.एन.एल. द्वारा सूखा ऐश संग्रहण प्रणाली के निर्माण में प्रभावकारी कदम नहीं उठाए गए। यदि एम.ओ.इ.एफ, एम.ओ.पी. के निर्देशानुसार ड्राई एश संग्रहण प्रणाली का निर्माण किया गया होता तो न्यूनतम खर्च में ड्राई एश का निपटान होता और टी.वी.एन.एल. द्वारा ऐश खाली कराने के लिए व्यय किए गये ₹ 11.65 करोड़ को टाला जा सकता था।

#### ध्वनि प्रदूषण

**4.2.56** ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 वातावरण में वायु की गुणवत्ता के रख-रखाव के उद्देश्य से ध्वनि उत्पादक एवं प्रसारक स्रोत पर नियमन एवं नियंत्रण करता है। उपरोक्त उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कोलाहन (उच्च ध्वनि) निकालने वाले संयंत्र को स्रोत को नियंत्रित करना, अनेकों उच्च ध्वनि वाले स्रोत पर पर्याप्त साइलेंसिंग संयंत्र लगाना और संयंत्र क्षेत्र के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित करके उच्च ध्वनि के फैलाव को रोका जाना चाहिए। थर्मल पावर स्टेशनों को उपरोक्त नियमों के आधार पर क्षेत्र में उच्च ध्वनि के स्तर को अभिलेखित करना चाहिए।

#### जल प्रदूषण

**4.2.57** उर्जा संयंत्र का दूषित जल, जल प्रदूषण का स्रोत है। जल ( प्रतिरोध एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अधीन टी.पी.एस. को जे.एस.पी.सी.बी. से अन्य आवश्यक शर्तों एवं प्रतिपादनों संबंधी जल प्रदूषण के कारकों का अनुपालन करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करना चाहिए था। जे.एस.पी.सी.बी. द्वारा विहित मानकों के आधार पर टी.पी.एस. द्वारा उत्सर्जित प्रवाह में टी.पी.एस. की मात्रा 100म्यू.ग्रा. /लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा देखा गया कि टी.पी.एस. के द्वारा उत्सर्जित प्रवाह में टी.एस.एस. की मात्रा उनके सामने अंकित वर्षों में निर्धारित मानक से अधिक है जैसा निम्नलिखित है।

क्र.सं.	वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान का नाम	मानक	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
			वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
1.	पतरातु थर्मल पावर स्टेशन	100	462	164	77	94	2071
2.	तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन	100	16	2567	220	424	250

2005-06 में पी.टी.पी.एस. से उत्सर्जित प्रवाह में टी.एस.एस. की मात्रा 462 म्यू.ग्रा./लीटर थी जो 2009-10 में बढ़कर 2071 म्यू.ग्रा./लीटर हो गया। उस अवधि में टी.टी.पी.एस. में टी.एस.एस. का प्रतिशत 16 से 2567 म्यू.ग्रा./लीटर के परास में थी। टी.एस.एस. का मानकों से वृद्धि का मुख्य कारण सेडिमेंटेशन टैंक का अभाव, उत्सर्जन प्लाण्टों का अप्रभावकारी ट्रीटमेंट क्रिया और एश स्लरी पाईप में लिकेज और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सलाह के अनुसार एश पोण्ड क्षेत्र का रख रखाव नहीं रहना है। कारण नियंत्रित होने से प्रभावकारी एवं समयबद्ध

कदमों से जल पदार्थों को नुकसान होने से बचाया जा सकता था।

### उच्च प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण

#### एम.आई.एस. डाटा और सेवा प्रतिमानकों का अनुश्रवण

**4.2.58** झा.रा.वि.बो./टी.वी.एन.एल. राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ऐसे विशाल संगठन को लाभकारी, दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी परिचालन में सफलता के लिए प्रलेखित परिचालन प्रणाली प्रबंधन, सेवा मानदण्ड एवं लक्ष्य होना चाहिए। आगे, प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) होना चाहिए जो मानक एवं लक्ष्य की प्राप्ति को प्रतिवेदित करता है। उपलब्धियों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि कमियों की पहचान की जा सके और अगले वर्षों के लक्ष्य निर्धारित किया जा सके। सामान्यतः लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि उपलब्धियाँ संगठन को आत्मनिर्भर बनाए। वर्तमान प्रणाली के संबंध में लेखा परीक्षा निम्नलिखित को दर्शाता है:

- यद्यपि झा.रा.वि.भो./टी.वी.एन.एल. एम.आई.एस. प्रणाली से सुसज्जित हैं जिससे परिचालन मानदण्ड/लक्ष्य संबंधी सूचनाएँ अपने मुख्यालय को मासिक/त्रैमासिक आधार पर उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन बोर्ड/कम्पनी मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से अनुगामी कार्रवाई नहीं की जाती है।
- इस दौरान देखा गया कि टी.वी.एन.एल. के अध्यक्ष का पद अनेक अवसरों पर 25 महीने तक के लिए रिक्त पाया गया। फलस्वरूप निदेशक मंडल की बैठक नियमित रूप से नहीं हो पाई तथा 2005-06 से 2009-10 तक मात्र 10 बैठकें हुई जबकि कम्पनी अधिनियम 1956, के अधीन 20 बैठकें होनी चाहिए थीं। 2006-07 से 2009-10 तक एक भी वार्षिक आम बैठक नहीं हुई। अतः शीर्ष स्तर पर कम्पनी के कार्यवाहियों का अनुश्रवण प्रभावकारी ढंग से नहीं किया गया। पुनः यह देखा गया कि रोटर खराब होने के कारण 31.5.2007 से इकाई संख्या 1 विवश अनुपयोग काल पर रहा। बोर्ड के अनुमोदन पर रोटर के पूर्ण मरम्मत का कार्य भेल को प्रदान करना था। अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण बोर्ड से अनुमोदन दिसंबर 2007 में लेना पड़ा जिससे इकाई के प्रतिष्ठापना में 7 महीने का विलंब हुआ और उर्जा उत्पादन में परिणामित क्षति हुई। इस कारण इकाई का सामान्य परिचालन प्रभावित हुआ और कम्पनी को ₹ 140.77 करोड़ की उत्पादन हानि हुई।
- टी.वी.एन.एल. के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति तदर्थ आधार पर की जाती रही। झारखण्ड सरकार ने नवंबर 2004 में सदस्य (तकनीकी), झा.रा.वि.बो.को अधिकतम 6 महीने के लिए निदेशक (तकनीकी) सह प्रबन्ध निदेशक, नियुक्त किया और इसे अक्टूबर 2007 तक विस्तारित कर दिया गया। उसके बाद महाप्रबन्धक सह मुख्य अभियंता, झा.रा.वि.बो. को दिसंबर 2007 में तीन महीने के लिए टी.वी.एन.एल. का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया जो आवधिक विस्तार के साथ वर्तमान अवधि तक पद संधारित किए हुए थे। समीक्षा काल तक प्रबंध निदेशक का पद 207 दिनों तक रिक्त रहा। उच्च प्रबन्धन पद को भरने में और प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति में असफलता से प्रबन्धन की गुणवत्ता में ह्रास और महत्वपूर्ण निर्णयों के कार्यान्वयन में विलम्ब हुई।

#### निष्कर्ष

- 2012 तक नेशनल पॉलिसी ऑफ पावर फॉर ऑल के अधीन उर्जा माँग को पूरी करने की दिशा में 2005-10 की अवधि में उर्जा उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई।
- क्षमता वृद्धि, पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण /जीवनवृद्धि, इकाईयों के पूंजीगत अनुसंधान तथा बन्द इकाईयों के पुनर्चालन के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा पर्याप्त निधि नहीं दिए गए।

- मानव बल का तार्किक आकलन नहीं किया गया और टी.वी.एन.एल. में नियुक्ति संबंधी कोई नीति नहीं थी।
- अकुशल परिचालन/विद्युत संयंत्रों के अनुरक्षण के अभाव में झा.रा.वि.बो./टी.वी.एन.एल. की विद्यमान वाष्प शक्ति संयंत्रों से उत्पादन अत्यन्त निम्न स्तर पर थी।
- झा.रा.वि.बो. में बचाव के लिए रख-रखाव प्रणाली नहीं थी और टी.वी.एन.एल. में पूँजीगत अनुरक्षण के लिए योजनाबद्ध शट डाउन नहीं किए गए।
- जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण/जीवन वृद्धि और राज्य के पुराने और मृत प्राय संयंत्रों के पर्याप्त पूँजीगत रख-रखाव नहीं किए गए।
- अध्यक्ष का पद अधिकतम समय तक रिक्त रहने तथा प्रबन्ध निदेशक के पद पर तर्दथ नियुक्ति के कारण टी.वी.एन.एल. का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया गया।

### अनुशंसाएँ

यह अनुशंसा की जाती है कि:

- सरकार को क्षमता वृद्धि के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं विशेषकर पी.टी.पी.एस/टी.वी.एन.एल. में उपलब्ध आधारभूत संरचना के साथ सम्मिलित योजनाओं का अविलम्ब कार्यान्वयन करना चाहिए।
- झारखण्ड सरकार / झा.रा.वि.बो. को पी.टी.पी.एस. के ईकाईयों के जीर्णोद्धार/पुरस्तथान तथा आधुनिकीकरण और पी.टी.पी.एस. की बन्द ईकाईयों के पुर्नचालन के लिए बिना विलम्ब पर्याप्त निधि उपलब्ध करानी चाहिए।
- मानव बल का तार्किक आकलन उनके अनुकूल उपयोगिता प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए।
- पी.टी.पी.एस./टी.वी.एन.एल. में अधिकतम उत्पादन एवं विवश अनुप्रयोग काल को नियंत्रित करने के लिए परिचालित ईकाईयों के लिए नियत निवारण रख-रखाव तथा त्वरित गड़बड़ी की रोकथाम के उपाय किया जाना चाहिए।
- झा.रा.वि.बो. /टी.वी.एन.एल. में पूँजीगत मरम्मत/रख-रखाव के लिए योजना बद्ध शट डाउन जाना चाहिए।
- झारखण्ड सरकार और बोर्ड को पी.टी.पी.एस./टी.वी.एन.एल. के ईकाईयों का जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण/जीवन वृद्धि के साथ पूँजीगत रख-रखाव के लिए योजनाबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए।
- झारखण्ड सरकार को टी.वी.एन.एल. में बोर्ड स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण एवं प्रबंध निदेशक के पद पर चयन प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति सुनिश्चित करना चाहिए।

## खण्ड -ब लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार की कंपनियों/निगमों के लेन-देन के नमूने जाँच करने पर पाये जाने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निकर्ष सन्निहित है।

### सरकारी कंपनियाँ

#### झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड

#### 4.3 कार्य का अनियमित आवंटन

**पोर्टेबल हट्स के निर्माण में वित्तीय औचित्य का अभाव तथा ठेकेदार को परिवहन व्यय के रूप में ₹ 1.84 करोड़ का परिहार्य भुगतान**

झारखण्ड सरकार के द्वारा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को आवास उपलब्ध कराने हेतु पोर्टेबल हट्स का निर्माण कार्य झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.) को ₹ 31.60 करोड़ की लागत पर सौपा गया (मार्च 2006)। पोर्टेबल हट्स के निर्माण में नींव एवं प्लिन्थ का निर्माण, सुपूर्दगी एवं स्थापना के कार्य भी शामिल हैं, और यह पूरा कार्य दरों की अनुसूची (एस.ओ.आर.) के अधीन नहीं थे। झारखण्ड सरकार के संकल्प (फरवरी 2002) के अनुसार एस.ओ.आर. के अधीन न आने वाले कार्यों के लिए जे.पी.एच.सी.एल. को निविदा आमंत्रित करनी थी।

हालांकि, हमने यह पाया (अक्टूबर 2009) कि मेसर्स सीन्टेक्स इण्डस्ट्री लिमिटेड (एस.आई.एल.) कलोल, गुजरात (संवेदक) को उसके द्वारा प्राप्त स्वनिर्देशित प्रस्ताव के आधार पर डी.जी.एस.एण्ड डी.<sup>1</sup> दर पर कार्य समाप्ति हेतु कार्य प्रदान किया गया। संवेदक ने ना तो अनुसूची 'सी'<sup>2</sup> उपलब्ध कराया न ही जे.पी.एच.सी.एल. के द्वारा उपलब्ध श्रोतों से इसकी प्राप्ति की गई, ताकि डी.जी.एस.एण्ड डी. के तहत समानान्तर मितव्ययी संविदा दर की खोज की जा सकी। 29 मार्च 2006 को गठित जे.पी.एच.सी.एल. की समिति ने निकटवर्ती स्थानों जैसे कोलकाता में स्थित समान्तर दर वाले संविदा धारक के दरों पर विचार नहीं किया तथा एस.आई.एल., कलोल, गुजरात के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया (31 मार्च 2006)।

वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के परिपत्र (अक्टूबर 2003) के अनुसार डी.जी.एस. एण्ड डी. के दरों पर वस्तुओं का क्रय स्थानीय स्तर पर करनी चाहिए ताकि सरकार की लागत कम हो। परिपत्र यह भी कहता है कि झारखण्ड राज्य के अधीन डी.जी.एस. एण्ड डी. के विक्रेता सूची में कोई अधिकृत डीलर हो तो वस्तु उसी विक्रेता से क्रय की जाए। हमने यह भी देखा कि ₹ 1.84 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को पोर्टेबल हट्स का कलोल, गुजरात से झारखण्ड तक परिवहन हेतु किया गया। यदि कार्य का आवंटन निविदा आमंत्रित कर या स्थानीय ठेकेदार को किया जाता तो उक्त व्यय को बचाया जा सकता था। पूर्व में, ठेकेदार के स्थानीय डीलर ने झारखण्ड शस्त्र पुलिस (जैप) I के राँची बटालियन को बिना परिवहन लागत के आपूर्ति की थी। यह पुनः पाया गया कि डी.जी.एस. एण्ड डी. संविदा दर के आधार पर पोर्टेबल हट्स की आपूर्ति, कलोल, गुजरात से करनी थी परन्तु पोर्टेबल हट्स की आपूर्ति उलुबेरिया, पश्चिम बंगाल से की गई तथा ठेकेदार के द्वारा कलोल, गुजरात से अतिरिक्त परिवहन लागत प्रभारित की गयी, यद्यपि वस्तुओं को उलुबेरिया, पश्चिम बंगाल से ही प्रेषित किया गया।

<sup>1</sup> महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपादन

<sup>2</sup> अधिसूची 'सी' समानान्तर दरों के निविदा धारकों की सूची उपलब्ध कराता है।

हमने पुनः पाया कि डी.जी.एस. एण्ड डी. के द्वारा किया जाने वाला गुणवत्ता निरीक्षण को ठेकेदार के सुझाव पर नहीं किया गया जो यह दर्शाता है कि कार्य की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए डी.जी.एस.एण्ड डी. पदाधिकारियों द्वारा गुणवत्ता निरीक्षक नहीं की गई। गुणवत्ता निरीक्षण के अभाव में निर्मित पोर्टेबल हट्स खराब गुणवत्ता की थी तथा उपयोगकर्ताओं के द्वारा अधिक संख्या में निम्नगुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त हुईं। पोर्टेबल हट्स के निर्माण कार्य का मुख्य घटक प्लिन्थ एवं नींव का निर्माण और आपूर्ति एवं स्थापन थे। लेकिन मापी केवल प्लिन्थ और नींव कार्य का अंकित किया गया तथा पोर्टेबल हट्स की आपूर्ति एवं स्थापन के लिए कोई भी मापी अंकित नहीं था। पोर्टेबल हट्स के भण्डार लेखा का भी संधारण नहीं था। कार्य स्थापन के निष्पादन के बाद प्रेषक द्वारा निरीक्षण करना था, लेकिन ऐसा कोई भी निरीक्षण जे.पी.एच.सी.एल. द्वारा नहीं किया गया।

इस प्रकार, बिना निविदा किए पोर्टेबल हट्स के निर्माण का कार्य प्रदान करना निर्धारित नियम एवं विनियम का उल्लंघन था तथा परिवहन के रूप में ₹ 1.84 करोड़ अपरिहार्य व्यय देने के कारण सरकार के वित्तीय हित की रक्षा नहीं की गई तथा ₹ 28.70 करोड़ का भुगतान डी.जी.एस. एण्ड डी. के विनिर्देशों के अनुरूप कार्य समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के बिना किया गया।

प्रबंधन ने यह स्वीकार (अक्टूबर 2010) किया की अनुसूची “सी” जो कि समानान्तर दर के संविदाधारक से संबंधित तथा एस.आई.एल. को छोड़कर अन्य अभिकर्ताओं का वैकल्पिक प्रस्ताव पोर्टेबल हट्स के क्रय के लिए जे.पी.एच.सी.एल. के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। पुनः यह कहा गया कि तकनीकी समिति ने अन्य विभागों के विभिन्न कार्यादेशों की समीक्षा तथा झारखण्ड शस्त्र पुलिस जैप-1, राँची में विनिर्मित पोर्टेबल हट्स के स्थलों का निरीक्षण कर संवेदक की तकनीकी कार्यों में अनुभव का आकलन किया। यह भी कहा गया कि जे.पी.एच.सी.एल. के स्थल अभियंताओं के द्वारा इसकी जाँच और संतुष्टि उपरान्त ही पोर्टेबल हट्स की सुपुर्दगी की गई।

उत्तर सही नहीं थे क्योंकि जिस समय तकनीकी समिति ने मार्च 2006 में प्रतिवेदन समर्पित किया था जैप-1, राँची का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था तथा अन्य विभागों के द्वारा संवेदक को संविदा/निविदायें आमंत्रण की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कार्य दिए गये थे। सामग्रियों की वास्तविक प्राप्ति माप पुस्तिका में निश्चित नहीं हो रही थी तथा जे.पी.एच.सी.एल. अभियंताओं के द्वारा प्रभार सुपुर्दगी/ प्रभार ग्रहण अभिलेख नहीं दिया गया। आगे, माप पुस्तिका में डी.जी.एस. एण्ड डी. विनिर्देश के अनुसार कार्य समाप्ति का प्रमाण-पत्र अंकित नहीं था।

मामला सरकार को जून 2010 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी (अक्टूबर 2010)।

### सांविधिक निगम

#### झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

#### 4.4. वित्तीय औचित्य का अभाव

मीटर बॉक्स केबल के क्रय में वित्तीय औचित्य की कमी एवं मीटर बॉक्सों की प्रतिष्ठापन न होने से ₹ 3.13 करोड़ ब्याज की हानि के साथ ₹ 10.50 करोड़ की राशि अवरूद्ध रही।

बोर्ड ने (नवम्बर 2005) में 1,20,000 एकल फेज इलेक्ट्रॉनिक मीटर की अधिप्राप्ति की। ऊर्जा की चोरी पर नियंत्रण तथा राजस्व उगाही अभिवृद्धि हेतु बोर्ड ने उपभोक्ता के परिसर में एकल



फेज मीटर तथा मीटर बॉक्सों की प्रतिष्ठापन का निर्णय लिया (मई 2006) तथा मीटर बॉक्सों की अधिप्राप्ति के लिए विद्युत आपूर्ति क्षेत्र कार्यालय के मुख्य प्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता (जी.एम.सह.सी.ई.) को प्राधिकृत किया।

इसके अनुरूप विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, दुमका ने 20,000 एकल फेज मीटर बॉक्सों की अधिप्राप्ति हेतु निविदा आमंत्रित की (जून 2006) जिसमें मेसर्स डी.एन. इन्जिनियरींग, को ₹ 501 प्रति मीटर बॉक्स के मूल्य पर सबसे कम दर का निविदादाता पाया। तथापि, ₹ 501 प्रति मीटर बॉक्स की दर पर 32,700 मीटर बॉक्सों का क्रय आदेश (मार्च 2007) 11 पार्टियों के मध्य बाँटते हुए जारी किया गया। इसी प्रकार, 50 किलोमीटर केबल की क्रय हेतु निविदा में (जुलाई 2007) मेसर्स राजा इन्टरप्राइजेज को ₹ 72000 प्रति मिलोमीटर की दर पर एल-। निविदादाता था। तथापि, 50 किलोमीटर केबल क्रय करने का क्रय आदेश तीन निविदादाताओं के मध्य बाँटा गया। इसी मूल्य पर अतिरिक्त 150 किलोमीटर केबल के क्रय का पुनः क्रय आदेश मेसर्स राजा इन्टरप्राइजेज (जून 2008) को दिया गया।

मुख्य अभियंता (भण्डार एवं क्रय) के द्वारा अन्य विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों को मीटर बॉक्सों की प्राप्ति हेतु निविदा प्रक्रिया को पूर्ण कर एल-। निविदादाता से विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, दुमका द्वारा प्राप्त की गई मीटर बाक्स के बराबर मूल्य अथवा उससे कम मूल्य रखने हेतु मोल-तोल करने का निर्देश दिया गया (मई 2007)। तथापि, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र मेदनीनगर एवं धनबाद ने एल-। मूल्य अर्थात् ₹ 501 प्रति मीटर बॉक्स एवं ₹ 72,000 प्रति किलोमीटर की दर से केबल जैसा कि मुख्य अभियंता भण्डार एवं क्रय द्वारा निर्धारित मूल्य को ही अपनाते हुए मीटर बॉक्स तथा केबल की खरीद हेतु मनोनयन के आधार पर बिना निविदा आमंत्रण के क्रय आदेश दिया। बोर्ड द्वारा जुलाई 2007 से नवम्बर 2008 तक ₹ 13.23 करोड़ की कुल लागत पर कुल 1,51,443 मीटर बॉक्स तथा 783 किलोमीटर मीटरिंग केबल क्रमशः 58 तथा 37 क्रय आदेश जारी कर अधिप्राप्ति की गई।

हमने पाया कि वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियम 9 (ब) जिसके तहत बोर्ड की केन्द्रीय क्रय समिति (समिति) को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकार किया गया है कि अवहेलना करते हुए (मई 2009/जनवरी 2010) तकनीकी सदस्य के द्वारा मुख्य प्रबंधक सह-मुख्य अभियंता को ₹ 2 करोड़ की वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित की गई (जून, 2007)। वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियम एवं शर्तों (क्र.स.5) के अनुसार कार्यों को शक्तियों के अधीन लाने के लिए कार्यों को विभाजित नहीं किया जाना था जिसकी अवहेलना करते हुए पाँच विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों के मुख्य प्रबंधक-सह-मुख्य अभियंताओं के द्वारा ₹ 7.67 करोड़ के मूल्य का क्रय आदेश विभाजित कर दिया गया ताकि इन क्रय आदेश को ₹ 10.00 करोड़ की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के अधीन लाया जा सके। मुख्य प्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता को सामग्रियों की खरीद के लिए प्रत्येक मामले में 10.00 लाख रुपये की वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित थी (नियम 9 (ब) (2), वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) परन्तु इसके विपरीत ₹ 10.00 लाख से अधिक के कुल ₹ 5.57 करोड़ के 10 क्रय आदेश तीन विद्युत आपूर्ति क्षेत्र<sup>3</sup> के मुख्य प्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता के द्वारा दिये गये थे। पुनः केन्द्रीय निगरानी आयोग के निविदा सिद्धान्तों के दिशा निर्देशों<sup>4</sup> के अनुसार, केवल उन निविदादाताओं की मूल्य निविदा खोली जायेगी जो तकनीकी रूप से योग्य हो। इसके विपरीत विद्युत आपूर्ति क्षेत्र दुमका के द्वारा 6 ऐसे निविदादाताओं की निविदा खोली गई जो तकनीकी रूप से अयोग्य थे एवं उन्हें क्रय आदेश दिया गया।

1,51,443 मीटर बॉक्स एवं 783 कि.मी. मीटरिंग केबल में से केवल 22,059 मीटर बॉक्स

<sup>3</sup> मेदनीनगर, जमशेदपुर, हजारीबाग।

<sup>4</sup> क.अ.सं.44/09/03 के अनुसार।

तथा 224.78 किलोमीटर केबल की प्रतिष्ठापना की गई (अक्टूबर 2010) और शेष 1,29,384 मीटर बॉक्स एवं 558.22 कि.मी. केबल जिसका मूल्य ₹ 10.50 करोड़ है 16 से 38 महीनों तक बेकार पड़े रहे जिससे ₹ 10.50 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही और परिणामतः ₹ 3.13 करोड़<sup>5</sup> ब्याज की हानि हुई। मीटर बॉक्सों एवं केबल की अधिप्राप्ति के अंतिमिकरण से पूर्व आकलन नहीं किया गया, अतः ये क्रय आदेश जल्दबाजी लिये गये तथा वित्तीय औचित्य विहीन थे।

बोर्ड ने अपने अंतरिम जवाब ( सितम्बर 2010) में यह स्वीकार किया कि विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, दुमका संबंधित अधिक मात्रा में अधिप्राप्ति का औचित्य नहीं था साथ ही सभी 5 विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों में प्राप्त हुए 50 प्रतिशत से 91.40 प्रतिशत मीटर बॉक्स अप्रयुक्त पड़े हुए थे। बोर्ड ने पुनः कहा कि सभी संलिप्त दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही शुरू की गई जिन्होंने नियम एवं विनियमों से विपरीत ऐसी व्यर्थ अधिप्राप्ति की हम अनुशंसा करते हैं कि अत्यधिक मात्रा में सामग्रियों का क्रय केन्द्रीय रूप से आवश्यकता के आकलन एवं बोर्ड की निर्धारित नितियों/नियमों का पालन करते हुए बोर्ड की क्रय शाखा के द्वारा करनी चाहिए।

मामला बोर्ड/सरकार को जनवरी 2010 में प्रतिवेदित किया गया उनके उत्तर की प्रतिक्षा थी (अक्टूबर 2010)।

#### 4.5 मांग प्रभार के कम आरोपण के कारण राजस्व हानि

**भार के आकलन में विलम्ब तथा उच्च विभव सेवा उपभोक्ता के मामलों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के पालन न करने से बोर्ड ₹ 0.94 करोड़ की राजस्व से वंचित रहा।**

विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जमशेदपुर में मेसर्स बिमलदीप स्टील (प्रा) लि.<sup>6</sup> जो 11 के.भी. के साथ 600 के.भी.ए. के समझौता मांग वाले उच्च विभव सेवा के उपभोक्ता ने बोर्ड को यह निवेदन (जून 2008) किया कि उनका भार वृद्धि कर उच्च विभव विशिष्ट सेवा टैरिफ के अन्तर्गत 33 के.भी. पर 4800 के.भी.ए. कर दिया जाये जो कि बोर्ड के द्वारा अनुमोदित किया गया (अगस्त 2008) उपभोक्ता ने पुनः निवेदन (नवम्बर 2008) किया कि उसका भार में वृद्धि कर 7000 के.भी.ए. कर दिया जाये जिसे बोर्ड ने मान लिया (नवम्बर 2008) उपभोक्ता के द्वारा एकरारनामा (फरवरी 2009) किया गया तथा महाप्रबंधन-सह-मुख्य अभियंता, जमशेदपुर ने लाईन टैपिंग के लिए बोर्ड द्वारा अंतिम अनुमोदन के पूर्वानुमान में विद्युत संबंध को विद्युतिकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया। विद्युत संबंध को लाईन ट्रेपिंग के द्वारा चालू (अप्रैल 2009) किया गया।

हमने यह देखा (जनवरी 2010) कि ताप भट्टे के टनेज का वास्तविक भार आवश्यकता के आकलन के बिना टैपिंग की अनुमति (मई 2009) दी गई जो कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के टैरिफ अधिसूची का उल्लंघन था जिसके अनुसार उच्च विभव विशिष्ट सेवा उपभोक्ता जिनके पास ताप भट्टा हो उन्हें स्वीकृत भार ताप भट्टा के टनेज के भार आवश्यकता के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करनी थी तथा इस माप दण्ड के नीचे आपूर्ति प्रदान नहीं करनी थी। माह के दौरान मीटर में अंकित वास्तविक मांग या समझौता मांग के 100 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो पर मांग प्रभार प्रभारित करना चाहिए। यद्यपि, मार्च 2009 में बोर्ड के द्वारा ताप भट्टे के गलन पात्र की क्षमता की माप पहले ही निर्धारित की गई थी, बोर्ड ने 10800 के.भी.ए. मात्र ही लोड आवश्यकता सात माह की देरी से अक्टूबर 2009 में निर्धारित की। बोर्ड ने पुनः यह निर्देश दिया कि क्षेत्रीय कार्यालय निम्नतम समझौता मांग 33 के.भी. लाईन पर 11000

<sup>5</sup> बोर्ड के द्वारा राज्य सरकार से ली गई राशि पर 13 प्रतिशत ब्याज दर से गणना की गई।

<sup>6</sup> उपभोक्ता सं. एच.जे.ए.पी.-163

के.भी.ए. करने की सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली जाये। हमने पुनः देखा कि बोर्ड के निर्देशों के बावजूद विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ता के साथ औपचारिकताओं को पूरा करने में कोई विचार नहीं किया और अप्रैल 2009 से 7000 के.भी.ए. समझौता मांग के आधार पर मांग प्रभार का आरोपण किया गया। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2009 से मई 2010 तक ताप भठ्ठे के अनुरूप वास्तविक भार का आकलन न हो पाने के कारण मांग प्रभार की वसूली ₹ 0.94 करोड़ कम रही।

बोर्ड ने यह स्वीकार किया (सितम्बर 2010) तथा कहा कि उपभोक्ता का भार 11000 के.भी.ए.(जून 2010) तक बढ़ा दिया गया और उपभोक्ता को ₹ 1.31 करोड़ अतिरिक्त मांग प्रभार के रूप में अतिरिक्त पूरक विपत्र जारी किया गया।

बोर्ड ने पुनः कहा कि उपभोक्ता ने याचिका दाखिल किया और कोर्ट ने अंतरिम राहत में यह निर्देश दिया कि यदि वादी वर्तमान बिल का भुगतान करे तो उसका विद्युत संबंध काटा नहीं जाये। तथ्य उपस्थित है कि विद्युत आपूर्ति की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया की अनुपालन न होने से तथा उपभोक्ता के साथ एकरानामा के पूर्ण न होने के कारण बोर्ड ₹ 0.94 करोड़ की वसूली नहीं कर सका।

मामला सरकार को मार्च 2010 में प्रतिवेदित किया गया उनके उत्तर की प्रतिक्रिया थी (अक्टूबर 2010)।

#### 4.6 परिहार्य व्यय

**कम्प्यूटरीकृत विपत्र में सूचनाओं के समक्रमण के अभाव में ₹ 1.36 करोड़ का परिहार्य व्यय।**

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के विद्युत आपूर्ति क्षेत्र जमशेदपुर में मीटर पाठन से लेकर मासिक ऊर्जा विपत्र निर्माण, ऊर्जा विपत्र वितरण, मीटर की निगरानी, हार्डबॉर्ड (पेपर बाउण्ड) बाइन्डिंग, उपभोक्ता आकलन खाता का निर्माण, राजस्व विवरणी -I एवं अन्य प्रतिवेदन, चूककर्ता उपभोक्ता की सूची/सम्बन्धविच्छेदित उपभोक्ता इत्यादि से संबंधित सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकृत कार्य तीन अभिकरणों नामतः विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जमशेदपुर के अधीन मेसर्स क्रिस्टल कम्प्यूटर इन्फॉरमेटिक सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, राँची, मेसर्स प्राकृति इन्टरप्राइजेज, पटना तथा विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल आदित्यपुर के अधीन मेसर्स इन्फो- सॉफ्ट डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर को बाह्यस्त्रोत किया गया (अगस्त 2002)।

मेसर्स क्रिस्टल कम्प्यूटर इन्फॉरमेटिक सेंटर, मेसर्स इन्फो सॉफ्ट डाटा सर्विसेज तथा मेसर्स प्राकृति इन्टरप्राइजेज के साथ हुए करार (सितम्बर 2002) के अनुसार अन्य कार्यों के साथ-साथ राजस्व विवरणी -I के निर्माण एवं प्रमण्डल के सभी उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाओं का संकलित प्रतिवेदन शामिल था। हमने देखा (जनवरी 2010) कि मेसर्स क्रिस्टल कम्प्यूटर इन्फॉरमेटिक सेंटर तथा मेसर्स इन्फो सॉफ्ट डाटा सर्विसेज ने श्रेणीवार तथा टैरिफवार राजस्व विवरणी-I बनाया और मेसर्स प्राकृति इन्टरप्राइजेज ने प्रमण्डलवार तथा उप-प्रमण्डलवार राजस्व विवरणी -I बनाया। करार के अनुसार राजस्व विवरणी-I के निर्माण हेतु प्रत्येक श्रेणी को अलग-अलग प्रति-उपभोक्ता प्रति माह प्रति कॉपी ₹ 0.09 की दर से भुगतान करना था। तदनुसार बोर्ड ने राजस्व विवरणी -I के निर्माण (श्रेणीवार, टैरिफवार) हेतु दो अभिकरणों<sup>9</sup> तथा एक अभिकरण<sup>10</sup> को (अलग-अलग प्रमण्डलवार तथा उप-प्रमण्डलवार) हेतु भुगतान किया। राजस्व विवरणी-I में निहित श्रेणीवार/टैरिफवार या प्रमण्डलवार/उपप्रमण्डलवार सूचनाएँ समान थी तथा सभी उपभोक्ताओं के संबंध में मात्र एक विपत्र या तो श्रेणीवार या तो टैरिफवार निर्माण

<sup>7</sup> 10800 के.भी.ए. के समझौता मांग पर विकलित।

<sup>8</sup> अप्रैल 2009 से मई 2010 के दौरान 11000 के.भी.ए. के समझौता मांग पर बोर्ड के द्वारा विकलित।

<sup>9</sup> मेसर्स इन्फोसॉफ्ट डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स क्रिस्टल कम्प्यूटर इन्फॉरमेटिक्स सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड।

<sup>10</sup> मेसर्स प्राकृति इन्टर प्राइजेज

की जाती तो भी उद्देश्य पूर्ण होता। पुनः, बोर्ड ने राजस्व विवरणी -IV श्रेणीवार एवं टैरिफवार अलग-अलग निर्माण करने के लिए मेसर्स इन्फोसॉफ्टडाटा को भुगतान किया, जिसमें सूचनाओं का दोहराव था। बोर्ड ने इन अभिकरणों को 2007-08 से 2008-09 की अवधि के दौरान ऐसे प्रतिवेदनों के लिए ₹ 12 लाख का भुगतान किया जिससे बचा जा सकता था।

पुनः इन अभिकरणों ने विभिन्न संकलित प्रतिवेदन बनाया अर्थात् (i) सभी उपभोक्ताओं का टैरिफवार आकलन (ii) गैर सरकारी उपभोक्ताओं का टैरिफवार आकलन (iii) सरकारी तथा गैर सरकारी उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण स्थिति (iv) सभी उपभोक्ताओं का टैरिफवार संग्रहण (v) गैर सरकारी उपभोक्ताओं का टैरिफवार संग्रहण (vi) टैरिफवार आकलन (vii) रोकड़बही संग्रहण (viii) गैर सरकारी उपभोक्ताओं के चालू बकाये की श्रेणीवार विवेचना (ix) सरकारी तथा गैर सरकारी उपभोक्ताओं के चालू बकाये की श्रेणीवार विवेचना (x) सरकारी तथा गैर-सरकारी उपभोक्ता के चालू बकाये की श्रेणीवार विवेचना (xi) गैर-सरकारी उपभोक्ताओं के बकाये की श्रेणीवार विवेचना (xii) खातों की विवरणी (xiii) वर्तमान माह का श्रेणीवार कुल आकलन (xiv) वर्तमान माह में श्रेणीवार विक्रय की गई एकाई (xv) मीटर पाठन एवं विपत्रीकरण, श्रेणीवार तथा अनुभागवार इत्यादि एवं प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह प्रत्येक प्रति ₹ 0.09 की दर से प्रभारित किया। बोर्ड ने अप्रैल 2007 से मार्च 2009 की अवधि के दौरान ऐसी सूचनाओं के संकलन हेतु इन अभिकरणों को ₹ 1.24 करोड़ का भुगतान किया जो कि उपभोक्ता आकलन बही तथा राजस्व विवरणी -I में पूर्व से ही सम्मिलित थे जिनका उपयोग किया जा सकता था।

हमने पुनः देखा कि विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/बोर्ड के पास कोई उपयुक्त प्रणाली नहीं था जिससे कि इन अभिकरणों के द्वारा निर्मित सूचनाओं/प्रतिवेदन/विवरणी की आवश्यकता का जाँच या सत्यापन किया जा सके जो कि उपभोक्ता आकलन बही की सूचनाओं के समान था या उसमें निहित था। विद्युत आपूर्ति क्षेत्र ने न तो प्रतिवेदनों/विवरणों के अनुकूल आवश्यकता की समीक्षा की और न ही इन दोहराए सूचनाओं तथा इनके एकाधिक प्रतियों पर परिहार्य व्यय पर नियंत्रण नहीं कर सका जिसका भुगतान बोर्ड ने किया। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष ने यह निर्देश दिया (फरवरी 2008) की कम्प्यूटरीकृत विपत्रीकरण की प्रचलित प्रथा की समीक्षा के साथ-साथ अभिकरणों को समयवृद्धि नहीं दी जाये और नई निविदाओं को आमंत्रित किया जाये। तथापि, बोर्ड के द्वारा इस संदर्भ में कोई प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की गई और सभी तीन अभिकरणों को सितम्बर 2009 तक नियमित अन्तराल पर समयवृद्धि दी गई। तथापि बोर्ड ने मार्च 2009/जुलाई 2009 तक इन अभिकरणों का भुगतान किया और कम्प्यूटरीकृत विपत्रीकरण में सलग्न इन अभिकरणों के सभी भुगतान को विलंबित करने का आदेश दिया (मई 2010)।

अतः सूचनाओं के कम्प्यूटरीकृत विपत्रीकरण से उत्पन्न प्रतिवेदनों से समक्रमण की अकार्यवाही तथा ढूलमूल खर्चा के कारण बोर्ड को ₹ 1.36 करोड़ के परिहार्य व्यय की हानि उठानी पड़ी।

मामला बोर्ड/सरकार को जून 2010 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी (अक्टूबर 2010)।

#### 4.7 अनुचित अधिप्राप्ति

**ताम्बे के नियंत्रण केबल की ₹ 2.29 करोड़ की अनुचित अधिप्राप्ति तथा परिणामतः ₹ 79 लाख ब्याज की हानि।**

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने मेसर्स इनसूकॉन केबल एण्ड कण्स्ट्रक्सन (प्रा.) लि. को राँची, दुमका और जमशेदपुर संचरण जोन के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर 33 के.भी खण्ड के संवर्धन एवं निर्माण के लिए ₹ 2.53 करोड़ के कुल अभार लागत विभिन्न आकारों तथा कोर के 140 किलोमीटर एफ.आर.एल.एस. पी.भी.सी. कॉपर कण्डक्टर नियंत्रण केबल का एक क्रय

आदेश निर्गत किया गया (दिसम्बर 2006) अप्रैल 2007 में सुपुर्दगी पूर्ण हुई।

हमने देखा (मई 2009) कि नई आवश्यकताओं के आकलन के बिना तथा 143.439 कि.मी. कॉपर नियंत्रण केबल की भण्डार में उपलब्धता (नवम्बर 2007), के बिना मेसर्स अशोका इण्डस्ट्रीज तथा मेसर्स इन्सूकॉन केबल एण्ड कण्डक्टर प्रा.लि. को ₹ 2.29 करोड़ की कुल लागत पर 136 कि.मी. उक्त सामग्री को उसी नियम और शर्तों के अन्तर्गत आपूर्ति के लिए दो उत्तरवर्ती क्रय आदेश निर्गत किये गए। सामग्री की सुपुर्दगी फरवरी 2008 में पूर्ण हुई। कॉपर कण्डक्टर नियंत्रण केबल की फरवरी 2008 में अधिप्राप्ति के बाद अक्टूबर 2010 तक केवल 68.493 कि.मी. केबल निर्गत किये गए थे। कॉपर कण्डक्टर केबल की यह आवश्यकता विभिन्न संचारण क्षेत्रों के विभिन्न भण्डारों में उपलब्ध भण्डार (नवम्बर 2007) से आसानी से पूरी की जा सकती थी। यह दर्शाता है कि कॉपर कण्डक्टर नियंत्रण केबल के लिए उत्तरवर्ती क्रय आदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। अतः 136 कि.मी. कॉपर नियंत्रण केबल की अधिप्राप्ति अनुचित थी, जिसके कारण ₹ 2.29 करोड़ की राशि अवरूद्ध रही साथ ही साथ ₹ 79 लाख<sup>11</sup> की परिणामस्वरूप ब्याज हानि हुई क्योंकि बोर्ड द्वारा अपनी कार्यशील पूँजी के लिए उधार लिया जाता है।

मामला बोर्ड/सरकार को जून 2010 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर की प्रतिक्रिया थी (अक्टूबर 2010)।

#### 4.8 अपव्ययी अधिप्राप्ति

**स्पेस क्लाइमा बॉयलर अनुरक्षण प्लेटफार्म की अधिप्राप्ति तथा उसके उपयोग न कर पाने के परिणामतः ₹ 40.47 लाख का अलाभकारी व्यय।**

एक उत्पादक मेसर्स ट्रेक्टल टिरफोर इण्डिया प्रा. लि. ने झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) को जुलाई 2004 में ताप विद्युत संयंत्र के बॉयलर के मरम्मत में कम समय लगाने तथा अधिक विद्युत उत्पादन के लिए आन्त्रिक दिवारों की सफाई तथा अनुरक्षण के लिए स्पेस क्लाइमा बॉयलर की आपूर्ति के लिए एक प्रस्ताव के साथ सम्पर्क किया। इसकी उपयोगिता तथा आवश्यकता के आकलन हेतु मुख्य प्रबंधक, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र (पी.टी.पी.एस.) ने औचित्य आधार पर एक सेट की अधिप्राप्ति का सुझाव (जनवरी 2005) दिया। पी.टी.पी.एस. ने इसकी तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता के निर्धारण (फरवरी एवं अप्रैल 2005) के साथ लागत लाभ विवेचना के पश्चात यह सूचित किया (मई 2005) की स्पेस क्लाइमा, केवल स्टेशन-बी<sup>12</sup> के लिए उपयोगी होगा। चूँकि पी.टी.पी.एस. के पास स्पेस क्लाइमा उपलब्ध नहीं था, उनके लिए कोई लागत लाभ विवेचन करना सम्भव नहीं था। जे.एस.ई.बी. ने पुनः (दिसम्बर 2005) पी.टी.पी.एस. को स्टेशन-ए<sup>13</sup> के रूस निर्मित 50 एम.डब्ल्यू बॉयलर की अनुकूलता के विषय में पूछा, परन्तु उत्तर कि प्रतिक्रिया किये बिना सी.ई. (उत्पादन) ने (दिसम्बर 2005) केन्द्रीय क्रय समिति (सी.पी.सी.) के समक्ष एक कार्यावली उक्त अधिप्राप्ति हेतु रखा।

हमने देखा (मार्च 2010) कि सी.पी.सी. के अनुमोदन के पूर्व रूची-पत्र (एल.ओ.आई.) निर्गत (जनवरी 2006) किया गया। उपकरण की सुपुर्दगी की निश्चित अवधि एल.ओ.आई. की प्राप्ति तिथि से 10 से 12 सप्ताह की थी। तथापि, सी.पी.सी. ने इसकी अधिप्राप्ति अनुमोदित (मार्च 2006) की तथा एक सेट स्पेस क्लाइमा की ₹ 40.47 लाख की कुल अंभार लागत पर अधिप्राप्ति का आदेश (जून 2006) दिया। पी.टी.पी.एस. में उपकरण की प्राप्ति हुई (जून 2006)।

<sup>11</sup> ब्याज की गणना 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

<sup>12</sup> पी.टी.पी.एस. का प्रत्येक 110 एम.डब्ल्यू की इकाइयाँ समाविष्ट।

<sup>13</sup> छः इकाइयाँ समाविष्ट (50 एम.डब्ल्यू के 4 इकाइयाँ एवं 10 एम.डब्ल्यू के 2 इकाइयाँ प्रत्येक)

हमने पुनः देखा कि स्पेस क्लार्ईमा बॉयलर अनुरक्षण प्लेटफार्म की अधिप्राप्ति औचित्य आधार पर बिना कोई निविदा प्रक्रिया के तथा पी.टी.पी.एस. के स्टेशन-ए और स्टेशन-बी के लिए इसके तकनीकी-आर्थिक सम्भावयता निश्चित किए बिना की गई, परंतु यह उपकरण मार्च 2010 तक लगभग चार वर्षों तक बेकार पड़ी रही। लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित करने पर बोर्ड ने इसे अवशिष्ट आकलन (आर.एल.ए.) के लिए निर्गत (अप्रैल 2010) किया। अतः ₹ 40.47 लाख जो इसकी खरीद पर व्यय किया गया वह अलाभकारी साबित हुआ।

बोर्ड ने कहा (सितम्बर 2010) कि उपकरण भण्डार से निर्गत (अप्रैल 2010) किया गया तथा इकाई संख्या 8 में अवशिष्ट आकलन अध्ययन हेतु उपयोग में लाया गया और इसका उपयोग स्टेशन-बी के 110 मेगावट बॉयलर के अनुरक्षण हेतु भी आवश्यकतानुसार उपयोग में लाया जायेगा। बोर्ड का उत्तर सही प्रतीत नहीं होता है तथा उपकरण को उसके क्रय उद्देश्य से अलग उद्देश्य के लिए निर्गत किया गया। उपकरण लगभग चार वर्षों तक भण्डार में बेकार रखा गया तथा लेखापरीक्षा के इंगित करने पर भण्डार से आर.एल.ए. अध्ययन के लिए निर्गत किया गया। उपकरण की खराबी तथा खराब कार्य के लिए वारंटी/गारंटी मई 2007 में ही समाप्त हो गई थी।

मामला सरकार को जून 2010 में प्रतिवेदित किया गया उनके उत्तर की प्रतिक्षा थी (अक्टूबर 2010)।

राँची,  
दिनांक



(राकेश कुमार वर्मा )  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)  
झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,  
दिनांक

विनोद राय  
( विनोद राय )  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट- 1.1  
( संदर्भ कंडिका 1.1.7.1; पृष्ठ - 5 )

जे.एस.आर.आर. डी.ए. द्वारा पी.आई.यू.ज. को विमुक्त निधि और उसके उपयोग से संबंधित विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पी.आई.यू.ज. का नाम	अथशेष	विमुक्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	जे.एस.आर. आर.डी.ए. को अभ्यर्पित राशि	व्यय	अंतशेष
2005-06	बोकारो	7.44	0	7.44	0	2.97	4.47
	चाईबासा	6.31	0	6.31	0	1.85	4.46
	चक्रधरपुर	3.40	0	3.40	0	1.26	2.14
	डाल्टेनगंज	7.38	0	7.38	0	2.36	5.02
	देवघर	5.83	0	5.83	0	2.85	2.98
	दुमका	4.68	4.59	6.67	2.60	0.84	5.83
	गिरिडीह	0	5.05	5.05	0	5.00	0.05
	गुमला	6.32	0	6.32	0	2.46	3.86
राँची	9.95	0	9.95	0	4.70	5.25	
<b>उप-योग</b>		<b>51.31</b>	<b>9.64</b>	<b>58.35</b>	<b>2.60</b>	<b>24.29</b>	<b>34.06</b>
2006-07	बोकारो	4.47	1.68	6.15	0	2.34	3.81
	चाईबासा	4.46	1.07	4.38	1.15	1.66	2.72
	चक्रधरपुर	2.14	0	2.14	0	0.85	1.29
	डाल्टेनगंज	5.02	2.67	7.69	0	1.95	5.74
	देवघर	2.98	1.74	4.72	0	2.24	2.48
	दुमका	5.83	2.84	8.67	0	5.03	3.64
	गिरिडीह	0.05	5.44	5.49	0	4.32	1.17
	गुमला	3.86	1.46	5.32	0	1.90	3.42
राँची	5.25	4.13	9.38	0	4.13	5.25	
<b>उप-योग</b>		<b>34.06</b>	<b>21.03</b>	<b>53.94</b>	<b>1.15</b>	<b>24.42</b>	<b>29.52</b>
2007-08	बोकारो	3.81	7.27	11.08	0	3.71	7.37
	चाईबासा	2.72	1.65	4.37	0	2.22	2.15
	चक्रधरपुर	1.29	1.24	1.24	1.29	0.14	1.10
	डाल्टेनगंज	5.74	8.65	8.93	5.46	3.77	5.16
	देवघर	2.48	6.25	8.73	0	4.62	4.11
	दुमका	3.64	5.25	6.33	2.56	2.62	3.71
	गिरिडीह	1.17	8.45	9.62	0	4.47	5.15
	गुमला	3.42	4.32	2.88	4.86	2.14	0.74
राँची	5.25	6.78	7.42	4.61	4.65	2.77	
<b>उप-योग</b>		<b>29.52</b>	<b>49.86</b>	<b>60.60</b>	<b>18.78</b>	<b>28.34</b>	<b>32.26</b>
2008-09	बोकारो	7.37	22.84	30.21	0	27.46	2.75
	चाईबासा	2.15	5.61	7.76	0	5.39	2.37
	चक्रधरपुर	1.10	4.25	4.25	1.10	3.23	1.02
	डाल्टेनगंज	5.16	10.49	11.81	3.84	10.56	1.25
	देवघर	4.11	9.75	13.86	0	9.69	4.17
	दुमका	3.71	7.12	7.96	2.87	5.43	2.53
	गिरिडीह	5.15	29.44	31.52	3.07	28.13	3.39
	गुमला	0.74	6.68	7.24	0.18	5.60	1.64
	राँची	2.77	10.39	10.99	2.17	8.22	2.77
एच.एस.सी.एल.	0	0.31	0.31	0	0.14	0.17	
<b>उप-योग</b>		<b>32.26</b>	<b>106.88</b>	<b>125.91</b>	<b>13.23</b>	<b>103.85</b>	<b>22.06</b>



(₹ करोड़ में)

वर्ष	पी.आई.यू.ज. का नाम	अथशेष	विमुक्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	जे.एस.आर. आर.डी.ए. को अभ्यर्पित राशि	व्यय	अंतशेष
2009-10	बोकारो	2.75	43.71	46.46	0	46.46	0.00
	चाईबासा	2.37	20.79	18.63	4.53	18.63	0.00
	चक्रधरपुर	1.02	12.42	10.83	2.61	10.73	0.10
	डाल्टेनगंज	1.25	12.28	12.28	1.25	12.24	0.04
	देवघर	4.17	10.80	14.97	0	14.97	0.00
	दुमका	2.53	25.44	19.65	8.32	19.65	0.00
	गिरिडीह	3.39	77.75	70.57	10.57	70.57	0.00
	गुमला	1.64	23.53	21.26	3.91	21.26	0.00
	राँची	2.77	11.06	11.07	2.76	11.06	0.01
	एच.एस.सी.एल.	0.17	1.38	1.55	0	0.59	0.96
<b>उप-योग</b>		<b>22.06</b>	<b>239.16</b>	<b>227.27</b>	<b>33.95</b>	<b>226.16</b>	<b>1.11</b>
<b>योगफल</b>		<b>51.31</b>	<b>426.57</b>	<b>477.88</b>	<b>69.71</b>	<b>407.06</b>	<b>1.11</b>

परिशिष्ट - 1.2  
( संदर्भित कंडिका 1.1.7.5; पृष्ठ - 7 )  
सॉयल्टी की कम कटौती से संबंधित विवरणी

(रि लाख में)

पी.आई.यूज का नाम	एजेंसियों की विवरणी		फेज संख्या/ पैकेज संख्या	वा. संख्या तिथि	कटौती योग्य सॉयल्टी	काटी गयी सॉयल्टी	कम कटौती
	संख्या	नाम					
डाल्टेनगंज	1	कुमार ए.एस. कंस्ट	I/ JH1506	1/03-01-04	0.96	0.48	0.48
	2	कुमार कंस्ट	II/ JH 1705	2/03-01-04	0.20	0.10	0.10
	3	ए.एस. कंस्ट	I/ JH1506	1/01-02-04	1.00	0.50	0.50
	4	कृष्णा नंद	II/ JH1501	2/20-02-04	0.20	0.10	0.10
	5	ए.के. पाण्डेय	II/ JH 1704	3/28-02-04	0.30	0.15	0.15
	6	मे. कुमार कंस्ट	II/ JH 1705	4/28-02-04	1.28	0.64	0.64
	7	मे. दुर्गा कंस्ट	II/ JH 1703	5/28-02-04	0.52	0.26	0.26
	8	मे. सुनील तिवारी	II/ JH 1701	7/28-02-04	0.82	0.41	0.41
	9	मे. लाल सूरज	II/ JH 1702	1/20-03-04	0.20	0.10	0.10
	10	मे. ए.के. पाण्डेय	II/ JH 1704	2/31-03-04	0.20	0.10	0.10
	11	मे. सुनील तिवारी	II/ JH 1701	3/31-03-04	0.96	0.48	0.48
	12	मे. लाल सूरज	II/ JH 1702	1/16-04-04	0.34	0.17	0.17
	13	वही	II/ JH 1702	1/04-06-04	0.16	0.08	0.08
	14	मे. दुर्गा कंस्ट	II/ JH 1703	2/04-06-04	0.50	0.25	0.25
	15	मे. कुमार ए.एस. कंस्ट	I/ JH1506	3/04-06-04	0.50	0.25	0.25
	16	मे. लाल सूरज	II/ JH 1702	6/16-06-04	0.58	0.29	0.29
	17	मे. सुनील तिवारी	II/ JH 1701	7/16-06-04	0.30	0.15	0.15
	18	मे. लाल सूरज	II/ JH 1702	1/21-07-04	2.92	1.46	1.46
	19	मे. सुनील तिवारी	II/ JH 1701	1/09-08-04	0.10	0.05	0.05
	20	वही	वही	2/10-08-04	1.18	0.59	0.59
	21	मे. कुमार कंस्ट	III/ JH 1703	1/14-09-04	0.46	0.23	0.23
	22	मे. लाल सुरज	III/ JH 1702	2/15-09-04	0.68	0.34	0.34
	23	मे. कुमार कंस्ट	III/ JH 1703	2/10-11-04	2.28	1.14	1.14
	24	मे. लाल कंस्ट	II/ JH 1702	3/24-11-04	0.22	0.11	0.11
	25	मे. कुमार कंस्ट	III/ JH 1703	1/07-12-04	2.26	1.13	1.13
	26	मे. दुर्गा कंस्ट	II/ JH 1703	3/07-12-04	0.42	0.21	0.21
	27	मे. कुमार ए.एस. कंस्ट	I/ JH 1506	4/08-12-04	0.22	0.11	0.11
	28	मे. शिवम प्लेनेट्स	III/ JH 1705	5/16-12-04	1.40	0.70	0.70
	29	मे. लाल सूरज	II/ JH 1702	6/21-12-04	1.34	0.67	0.67
	30	मे. कृष्णा नन्दन	I/ JH 1503	9/29-12-04	0.72	0.36	0.36
	31	वही	I/ JH 1503	10/31-12-04	0.12	0.06	0.06
	32	मे. शिवम प्लेनेट्स	III/ JH 1705	2/25-01-05	1.54	0.77	0.77
	33	मे. दुर्गा कंस्ट	II/ JH 1703	1/09-02-05	0.40	0.20	0.20
	34	मे. कुमार ए.एस. कंस्ट	I/ JH 1506	2/09-02-05	0.18	0.09	0.09
	35	मे. शिवम प्लेनेट्स	III/ JH 1705	2/21-03-05	0.82	0.41	0.41
	36	मे. कुमार कंस्ट	III/ JH 1703	3/29-03-05	0.94	0.47	0.47
	37	वही	वही	4/29-03-05	0.34	0.17	0.17
	38	मे. शिवम प्लेनेट्स	पटखोरिया से डबरा	3/09-05-05	1.04	0.52	0.52
	39	मे. दुर्गा कंस्ट	II/ JH 1702	2/04-06-05	0.42	0.21	0.21
	40	मे. लाल सुरज	II/तरहारी मध्य विद्यालय पकरी	3/28-06-05	0.24	0.12	0.12

(रिखाय में)

पी.आई.यूज का नाम	एजेंसियों की विवरणी		फेज संख्या/ पैकेज संख्या	वा. संख्या तिथि	कटौती योग्य रॉयल्टी	काटी गयी रॉयल्टी	कम कटौती
	संख्या	नाम					
	41	मे. शिवम प्लेनेट्स	V/धुब से बसरिया	1/17-07-05	0.42	0.21	0.21
	42	वही	III/पटखोलिया से डबारा	2/17-07-05	0.22	0.11	0.11
	43	मे. कुमार ए.एस. कंस्ट	I/ JH 1506	6/22-07-05	0.24	0.12	0.12
	44	मे. शिवम प्लेनेट्स	III/ JH 1705	1/03-12-05	1.02	0.51	0.51
	45	मे. सुनील तिवारी	II/ JH 1701	3/07-12-05	4.98	2.49	2.49
	46	मे. लाल सूरज	II/ JH 1702	4/08-12-05	0.84	0.42	0.42
	47	मे. दुर्गा कंस्ट	II/ JH 1703	6/12-12-05	1.96	0.98	0.98
	48	मे. कुमार ए.एस. कंस्ट	I/ JH 1506	10/13-12-05	1.06	0.53	0.53
	49	मे. लाल सूरज	II/ JH 1702	11/13-12-05	0.42	0.21	0.21
	50	मे. ए.के. पाण्डेय	II/ JH 1704	12/26-12-05	0.50	0.25	0.25
	51	मे. लाल सूरज	II/संगवार मेन रोड से कुंवर	1/17-02-06	0.28	0.14	0.14
	52	मे. लाल सूरज	II/PWD रोड सुरजवान से डंडकला	2/17-02-06	0.38	0.19	0.19
	53	मे. शिवम प्लेनेट्स	III/ JH 1705	3/09-03-06	0.50	0.25	0.25
	54	मे. सुनील तिवारी	BMDC खान से बेदमा बधंडी	4/29-03-06	1.08	0.54	0.54
	55	मे. लाल सूरज	II/ JH 1702	1/06-11-06	1.52	0.76	0.76
	56	मे. दुर्गा कंस्ट	II/ JH 1703	2/03-11-06	0.76	0.38	0.38
	57	मे. सुनील तिवारी	II/ JH 1701 चोरहाट से रामगढ़	1/26-12-06	0.20	0.10	0.10
	58	मे. अरविन्द कंस्ट	IV/ JH 1702	1/05-01-07	4.64	2.32	2.32
	59	मे. शिवम प्लेनेट्स	III/ JH 1705	10/09-03-07	0.28	0.14	0.14
	60	वही	III/ JH 1705	11/09-03-07	0.58	0.29	0.29
	61	मे. अरविन्द कंस्ट	IV/ JH 1702	12/10-03-07	5.26	2.63	2.63
	62	वही	IV/ JH 1702	17/31-03-07	2.84	1.42	1.42
	63	मे. कुमार कंस्ट	III/ JH 1703	1/05-04-07	2.66	1.33	1.33
	64	मे. अरविन्द कंस्ट	IV/ JH 1701	6/10-05-07	0.01	0.00	0.01
	65	मे. कुमार ए.एस. कंस्ट	I/ JH 1506	7/10-05-07	5.12	2.56	2.56
	66	वही	I/ JH 1506	12/10-05-07	0.82	0.41	0.41
	67	मे. अरविन्द कंस्ट	IV/ JH 1701बांसी मोड से पटकोली	1/04-06-07	0.82	0.41	0.41
	68	वही	IV/ JH 1701जपला डांग रोड से महुआर	2/04-06-07	1.02	0.51	0.51
	69	वही	IV/ JH 1701 गोराडीह से भोला	3/04-06-07	0.62	0.31	0.31
	70	वही	IV/ JH 1701हैदरनगर पांसा रोड से काबरा कोला	4/04-06-07	1.14	0.57	0.57
	71	वही	जे.एम. रोड से मोखार कला/ JH 1701	5/04-06-07	0.74	0.37	0.37
	72	मे. अरविन्द कंस्ट	सीगी से लहर/ JH 1702	6/04-06-07	1.02	0.51	0.51
	73	वही	जपला डंगवार से महुआरी	3/26-07-07	0.36	0.18	0.18
	74	वही	IV/ JH 1701हैदरनगर से पांसा रोड	2/08-10-07	0.22	0.11	0.11

(₹ लाख में)

पी.आई.यूज का नाम	एजेंसियों की विवरणी		फेज संख्या/ पैकेज संख्या	वा. संख्या तिथि	कटौती योग्य रॉयल्टी	काटी गयी रॉयल्टी	कम कटौती
	संख्या	नाम					
	75	वही	IV/ JH 1701गोराडीह से भोली	5/08-10-07	0.24	0.12	0.12
	76	वही	IV/ JH 1701 डंगवार से महुआरी	6/08-10-07	0.24	0.12	0.12
	77	मे. चण्डी इंटरप्राइजेज	V/ JH 1704 पी.डब्लू. डी. रोड से भवर	1/30-05-08	1.78	0.89	0.89
	78	वही	V/ JH 1704 अरारूआखद से त्वरी	2/30-05-08	1.48	0.74	0.74
	79	मे. दुर्गा कंस्ट	II/ JH 1703 हैदरनगर से खरगेरा	10/30-06-08	0.28	0.14	0.14
	80	मे. सिंह एवं बाथला	V/ JH 1705 धावाडीह से एकता	1/14-07-08	1.06	0.53	0.53
	81	वही	V/ JH 1705बंसारी सं कल्हवा	2/14-07-08	1.48	0.74	0.74
	82	वही	V/ JH 1705सोनेपरा से जंघोसी	3/14-07-08	1.14	0.57	0.57
	83	मे. गंगा कंस्ट	V/ JH 1707 बरहीबील से चथरा	2/30-08-08	2.38	1.19	1.19
	84	मे. इंडियन एलेक्ट्रिकल्स	V/ JH 1707 बरहीबील से चथरा	3/15-10-08	1.76	0.88	0.88
	85	मे. आशुतोष कंस्ट	V/ JH 1702 बिश्रामपुर से घरटिया	4/25-10-08	5.72	2.86	2.86
	86	मे. त्रिवेणी कंस्ट	V/ JH 1708 नवागढ़ से भदनिया	5/25-10-08	0.56	0.28	0.28
	87	मे. सिंह एवं बाथला	V/ JH 1705 बंजन से कल्हुआ	6/25-10-08	3.10	1.55	1.55
	88	मे. कलावती कंस्ट	V/ JH 1706 आशोहार से खुश्री	7/25-10-08	0.86	0.43	0.43
	89	मे. कलावती कंस्ट	V/ JH 1706बोराडीह से केल्वे	8/25-10-09	0.42	0.21	0.21
	90	वही	V/ JH 1706चाँपी से सकलदीपार	9/25-10-10	0.42	0.21	0.21
	91	वही	V/ JH 1706बेदानी मोड से डेल्हा	10/25-10-08	1.72	0.86	0.86
	92	वही	V/ JH 1706 शहद से ओडिया	11/25-10-08	0.68	0.34	0.34
	93	मे. सिंह एवं बाथला	V/ JH 1705 धावाडीह से एकता	5/26-11-08	3.28	1.64	1.64
	94	मे. चण्डी इंटरप्राइजेज	V/ JH 1704 जपला चतरपुर से हीरासिकरिया	4/31-03-08	3.16	1.58	1.58
	95	मे. चण्डी इंटरप्राइजेज	V/ JH 1704 आरारूआखद से तुरी	5/31-12-08	0.92	0.46	0.46
	96	मे. इंडियन एलेक्ट्रिकल्स	V/ JH 1703महुआरी से लक्ष्मीपुर	6/06-12-08	0.38	0.19	0.19
	97	मे. आशुतोष कंस्ट	V/1702 स्लमडॉग से उर्सुला	7/29-12-08	4.42	2.21	2.21

(रुलाख में)

पी.आई.यूज का नाम	एजेंसियों की विवरणी		फेज संख्या/ पैकेज संख्या	वा. संख्या तिथि	कटौती योग्य रॉयल्टी	काटी गयी रॉयल्टी	कम कटौती
	संख्या	नाम					
पी.आई.यूज	98	वही	V/ JH 1702 विश्रामपुर से घरटिया	8/29-12-08	0.50	0.25	0.25
	99	मे. इंडियन एलेक्ट्रिकल्स	V/ JH 1703 मुरुडांग से सिलदाकुर्द	9/29-12-08	1.54	0.77	0.77
	100	मे. सिंह एवं बाथला	V/ JH 1705 धावाडीह से एकता	10/29-12-08	1.06	0.53	0.53
	101	वही	V/ JH 1705 बंजारी से कलुआ	11/29-12-08	0.38	0.19	0.19
चाईबासा	102	अशोक कु. प्रधान	I/ JH 1804	1/31-01-04	1.24	0.62	0.62
	103	वही	I/ JH 1804	1/23-05-04	0.92	0.46	0.46
	104	वही	I/ JH 1804	1/18-10-04	0.76	0.38	0.38
	105	वही	I/ JH 1804	1/29-11-04	0.32	0.16	0.16
	106	वही	I/ JH 1804	1/25-02-05	0.16	0.08	0.08
	107	मो. क्यामुद्दीन खान	I/ JH 1801	1/31-03-05	0.48	0.24	0.24
	108	वही	I/ JH 1801	1/25-08-05	0.78	0.39	0.39
	109	अशोक कु. प्रधान	I/ JH 1804	1/17-08-06	0.76	0.38	0.38
	110	मे. संजय ट्रांस. एजेंसी	II/ JH 2202	1/25-12-03	4.20	2.10	2.10
	111	मे.के.के. बिल्डर	II/ JH 2201	2/26-12-03	7.00	3.50	3.50
	112	वही	II/ JH 2201	1/22-01-04	3.48	1.74	1.74
	113	मे. संजय ट्रांस. एजेंसी	II/ JH 2202	1/06-02-04	1.18	0.59	0.59
	114	वही	II/ JH 2202	1/27-03-04	2.74	1.37	1.37
	115	वही	II/ JH 2202	1/18-06-04	1.74	0.87	0.87
	116	वही	II/ JH 2202	2/19-10-04	0.06	0.03	0.03
	117	वही	II/ JH 2202	1/29-11-04	0.12	0.06	0.06
	118	वही	II/ JH 2202	1/07-10-05	0.28	0.14	0.14
	119	मे. के.के. बिल्डर	II/ JH 2201	1/28-09-07	2.80	1.40	1.40
	120	मे. संजय ट्रांस. एजेंसी	II/ JH 2202	1/29-07-09	12.36	6.18	6.18
	121	मे. के.के. बिल्डर	III/ JH 2203	1/08-10-04	3.14	1.57	1.57
	122	वही	III/ JH 2203	1/08-12-04	3.18	1.59	1.59
	123	मो. क्यामुद्दीन खान	III/ JH 2201	2/20-10-04	0.62	0.31	0.31
	124	मे. के.के. बिल्डर	III/ JH 2203	1/28-01-05	3.72	1.86	1.86
	125	मो. क्यामुद्दीन खान	III/ JH 2201	1/11-03-05	2.12	1.06	1.06
	126	वही	III/ JH 2201	2/11-03-05	4.04	2.02	2.02
	127	मे. के.के. बिल्डर	III/ JH 2203	3/11-03-05	3.18	1.59	1.59
	128	मे. लखेशवरी बिल्डर	III/ JH 2202	5/31-03-05	1.74	0.87	0.87
	129	मो. क्यामुद्दीन खान	III/ JH 2201	6/31-03-05	1.66	0.83	0.83
	130	मे. लखेशवरी बिल्डर	III/ JH 2202	3/18-05-05	4.02	2.01	2.01
	131	मे. के.के. बिल्डर	III/ JH 2203	1/15-06-05	3.78	1.89	1.89
	132	मो. क्यामुद्दीन खान	III/ JH 2201	1/17-08-05	0.70	0.35	0.35
	133	वही	III/ JH 2201	1/21-03-06	1.44	0.72	0.72
	134	मे. लखेशवरी बिल्डर	III/ JH 2202	1/25-04-06	3.28	1.64	1.64
	135	वही	III/ JH 2202	1/18-05-06	4.50	2.25	2.25
	136	वही	III/ JH 2202	1/20-09-06	0.96	0.48	0.48
	137	मो. क्यामुद्दीन खान	III/ JH 2201	1/14-11-06	0.92	0.46	0.46
	138	मे. लखेशवरी बिल्डर	III/ JH 2202	1/16-01-07	1.50	0.75	0.75

(₹ लाख में)

पी.आई.यूज का नाम	एजेंसियों की विवरणी		फेज संख्या/ पैकेज संख्या	वा. संख्या तिथि	कटौती योग्य रॉयल्टी	काटी गयी रॉयल्टी	कम कटौती
	संख्या	नाम					
139	मो.	क्यामुद्दीन खान	III/ JH 2201	1/14-03-07	0.76	0.38	0.38
140	मे.	लखेश्वरी बिल्डर	III/ JH 2202	1/17-04-07	2.04	1.02	1.02
141	मे.	परमजीत सिंह बेदी	IV/ JH 2202	1/23-03-07	2.86	1.43	1.43
142	मे.	ओझा एवं ब्रदर	IV/ JH 2206	2/31-03-07	1.40	0.70	0.70
143	मे.	परमजीत सिंह बेदी	IV/ JH 2202	1/12-04-07	1.00	0.50	0.50
144	मे.	ओझा एवं ब्रदर	IV/ JH 2206	2/17-04-07	1.20	0.60	0.60
145	वही		IV/ JH 2206	1/04-06-07	0.48	0.24	0.24
146	मे.	परमजीत सिंह बेदी	IV/ JH 2202	1/02-07-07	1.50	0.75	0.75
147	मे.	ओझा एवं ब्रदर	IV/ JH 2206	2/25-07-07	0.82	0.41	0.41
148	मे.	परमजीत सिंह बेदी	IV/ JH 2202	1/29-08-07	1.00	0.50	0.50
149	वही		IV/ JH 2202	1/08-12-07	1.14	0.57	0.57
150	मे.	ओझा एवं ब्रदर	IV/ JH 2206	2/10-01-08	1.56	0.78	0.78
151	मे.	परमजीत सिंह बेदी	IV/ JH 2202	1/26-03-08	0.78	0.39	0.39
152	वही		IV/ JH 2202	1/15-09-08	1.26	0.63	0.63
153	मे.	ओझा एवं ब्रदर	IV/ JH 2206	1/12-11-08	0.74	0.37	0.37
154	वही		IV/ JH 2206	4/27-12-08	0.22	0.11	0.11
155	वही		IV/ बुशबाथा से बमबासाई	1/01-09-09	2.24	1.12	1.12
156	वही		IV/ आर ई ओ पिचरा रोड	2/01-09-09	0.20	0.10	0.10
157	मे.	परमजीत सिंह बेदी	V/ JH 2204	1/05-06-08	2.12	1.06	1.06
158	वही		V/ JH 2204	1/21-08-08	3.90	1.95	1.95
159	माँ शक्ति कंस्ट		V/ JH 2202	1/16-09-08	0.36	0.18	0.18
160	वही		V/ JH 2202	2/25-09-08	1.18	0.59	0.59
161	मे.	परमजीत सिंह बेदी	V/ JH 2204	1/22-10-08	0.50	0.25	0.25
162	वही		V/ JH 2204	1/27-11-08	1.00	0.50	0.50
163	माँ शक्ति कंस्ट		V/ JH 2202	2/27-11-08	1.46	0.73	0.73
164	माँ शक्ति कंस्ट		V/ JH 2202	1/09-01-09	0.44	0.22	0.22
165	मे.	परमजीत सिंह बेदी	V/ JH 2204	2/28-01-09	2.76	1.38	1.38
166	मे.	सत्यम बिल्डर	V/ JH 2203	1/04-02-09	7.24	3.62	3.62
167	माँ शक्ति कंस्ट		V/ JH 2202	1/29-07-09	0.90	0.45	0.45
168	मे.	सत्यम बिल्डर	V/ JH 2203	2/29-07-09	2.18	1.09	1.09
169	मे.	परमजीत सिंह बेदी	V/ JH 2204	3/29-07-09	1.74	0.87	0.87
170	मे.	सत्यम बिल्डर	VI/ JH 2204	2/16-07-09	9.70	4.85	4.85
171	मे.	परमजीत सिंह बेदी	VI/ JH 2217	3/17-07-09	6.82	3.41	3.41
172	वही		VI/ JH 2217	4/17-07-09	2.14	1.07	1.07
173	वही		VI/ JH 2216	5/17-07-09	6.52	3.26	3.26
174	मे.	ईश्वर च. विद्यासागर	VI/ JH 2208	6/17-07-09	4.32	2.16	2.16
175	मे.	आर.वी. कंस्ट	VI/ JH 2215	7/17-07-09	3.98	1.99	1.99
176	मे.	कोल्हान डेवलपर	VI/ JH 2210	8/17-07-09	2.54	1.27	1.27
177	वही		VI/ JH 2210	9/17-07-09	2.14	1.07	1.07
178	मे.	कोल्हान डेवलपर	VI/ JH 2210	10/17-07-09	3.38	1.69	1.69
179	मे.	ए.के. कंस्ट	VI/ JH 2209	11/17-07-09	8.16	4.08	4.08
180	मे.	प्रेमचंद चौधरी	VI/ JH 2201	12/17-07-09	7.72	3.86	3.86

(रुलाख में)

पी.आई.यूज का नाम	एजेंसियों की विवरणी		फेज संख्या/ पैकेज संख्या	वा. संख्या तिथि	कटौती योग्य रॉयल्टी	काटी गयी रॉयल्टी	कम कटौती
	संख्या	नाम					
	181	वही	VI/ JH 2224	13/17-07-09	6.74	3.37	3.37
	182	मे. परमजीत सिंह बेदी	VI/ JH 2225	15/17-07-09	1.34	0.67	0.67
	183	वही	VI/ JH 2226	16/17-07-09	0.42	0.21	0.21
	184	मे. सत्यम बिल्डर	VI/ JH 2227	17/29-07-09	0.44	0.22	0.22
	185	माँ शक्ति कंस्ट	VI/ JH 2228	18/29-07-09	7.26	3.63	3.63
	186	मे. पिंटु इंजीनियरिंग	VI/ JH 2229	19/29-07-09	1.18	0.59	0.59
	187	मे. पिंटु इंजीनियरिंग	VI/ JH 2230	20/29-07-09	2.22	1.11	1.11
	188	वही	VI/ JH 2231	21/29-07-09	0.74	0.37	0.37
	189	मे. सत्यनारायण अग्रवाल	VI/ JH 2232	23/29-07-09	1.28	0.64	0.64
	190	मे. गर्ग एवं कंपनी	VI/ JH 2233	25/29-07-09	1.70	0.85	0.85
	191	मे. सत्यम बिल्डर	VI/ JH 2234	26/29-07-09	1.08	0.54	0.54
	192	मे. प्रेमचंद चौधरी	VI/ JH 2235	27/29-07-09	1.44	0.72	0.72
	193	वही	VI/ JH 2236	28/29-07-09	0.80	0.40	0.40
	194	मे. कोल्हान डेवलपर	VI/ JH 2237	29/29-07-09	1.50	0.75	0.75
	195	वही	VI/ JH 2238	30/29-07-09	1.28	0.64	0.64
बोकारो	196	मे. इस्ट इंडिया कंस्ट कं.	III/ JH 0101	...	13.42	7.30	6.12
गिरिडीह	197	मे. ए.पी. बरियार एन्ड सन्स	V/ JH 0803	...	49.35	15.49	33.86
<b>कुल</b>					<b>397.22</b>	<b>190.01</b>	<b>207.21</b>



**परिशिष्ट - 1.3**  
(संदर्भ कडिका 1.1.7.6; पृष्ठ - 7)  
कालातीत बैंक गारंटियों की विवरणी

(₹ लाख में)

पी.आई.यूज	फेज	पैकेज सं.	एजेंसियों का नाम	बैं.गा.सं. एवं तिथि	राशि	बैं.गा.के कालातीत होने की तिथि
गुमला	IV	JH 1001	मे. आदर्श कंस्ट पलामू	10911 LG 00306	7.50	06.04.07
				10911 LG 000606	9.10	13.11.07
	VI	JH 1003	मे. के.एन.पी. सिंह	490/IPEB GO 90066	1.09	30.11.09
	III	JH 1002	मे. क्लासीक कोल कंस्ट (प्रा.)लि. हजारीबाग	46/13 दि. 15.9.2004	15.56	14.09.05
	VI	JH 1002	मे. गंगा कंस्ट	90062 दि. 30.5.09	10.50	30.05.10
				JH 1007	विजयकांत पाण्डेय	090073 दि. 4.6.09
	VI	JH 1001	महेश नारायण सिंह	090033 दि. 16.7.09	2.35	16.12.09
				4910 F1B.G. 0900059	9.35	16.05.09
	VI	JH 1014	आर.डी. इंटरप्राइजेज प्रा.लि.	RMB/B.G/02 10021/8009	5.91	26.02.10
				दि. 7.5.09		
	VI	JH 1009	कृष्णा कंस्ट	28/2009 दि. 26.2.09	5.90	25.08.09
				JH 1008	कृष्णा कंस्ट	15/2009 दि. 2.02.09
VI	JH 1001	मे. गंगा कंस्ट	490/JPE B.G 090057 दि. 8.5.09	7.60	07.11.09	
			JH 1002	मे. मनीष कंस्ट राँची	7/6/1950	9.35
दुमका	V	JH 0501	मे. भूपेंद्र इंजीनियरिंग एवं कंस्ट (प्रा.)लि.	अनुपलब्ध	14.65	08.12.08
चाईबासा	IV	JH 2206	मे. ओझा एवं ब्रदर	अनुपलब्ध	4.51	01.12.07
				JH 2202	मे. लखेश्वरी ब्रदर्स (प्रा. लि.)	0009606BG 000139
	III	JH 2203	मे. के.के. बिल्डर (प्रा.) लि.	46/04 दि. 9.8.04	11.90	08.08.07
				कारपोरेशन बैंक, जमशेदपुर	7.95	22.08.04
	III	JH 2201	मो. क्यामुद्दीन खान एन्ड कंपनी	61/4/12/7 केनरा बैंक, बिस्टुपुर	28.00	20.03.05
				13/4/96/6 केनरा बैंक, बिस्टुपुर	4.00	21.09.06
				53/6/24/7 केनरा बैंक, बिस्टुपुर	5.98	15.02.07
59/8/45/7 केनरा बैंक, बिस्टुपुर				0.83	15.01.10	
डाल्टेनगंज	V	JH 1708	मे. त्रिवेणी कंस्ट डाल्टेनगंज	01071LG 000608 केनरा बैंक बिस्टुपुर	9.30	15.10.07
	IV	JH 1702	मे. अरविंद कंस्ट	210021/55/06	9.71	15.10.07

(रुलाख में)

पी.आई.यूज	फेज	पैकेज सं.	एजेंसियों का नाम	बैं.गा.सं. एवं तिथि	राशि	बैं.गा.के कालातीत होने की तिथि
गिरिडीह	V	JH 0813	मे. ए.पी. बरियार एण्ड सन्स	0211149/143/08 दि. 24.1.08 इलाहाबाद बैंक हरमु, राँची	7.51	04.05.10
राँची	IV	JH 1802	मे. गंगा कंस्ट	FG 06-07/40	9.20	06.12.08
				FG 06-07/53 बैंक ऑफ इंडिया	12.00	06.12.08
	V	JH1807	मे. अरुणा दित्य प्रोजेक्ट एन्ड मिनरल्स	CBG-20080000006, कॉरपोरेशन बैंक, राँची	28.12	06.06.10
चक्रधरपुर	III	JH 2205	मे. हाइवे हाइडल प्रोजेक्ट (प्रा.) लि.	सं. -38/06 दि. 6.9.06	8.70	06.09.06
	III	JH 2204	मे. ग्रिजेश कु. सिंह	सं. 46/04 दि. 21.6.04 केनरा बैंक, गोलमुरी	4.19 5.49	20.12.04 08.08.05
<b>कुल</b>					<b>283.42</b>	

परिशिष्ट - 1.4  
( संदर्भ कंडिका 1.1.7.7; पृष्ठ - 8)

बीमाकृत नहीं किये गये सड़कों की विवरणी

(रिखाख में)

पी.आई.यूज का नाम	कार्य का ब्यौरा		पैकेज/फेज सं.	एग्रीमेंट मूल्य
	क्र. सं.	नाम		
बोकारो	1	(i) आर.ई.ओ. रोड मोदीडीह से शककुरी (9 कि.मी.) (ii) सावरा मोड से कुम्हारटोला वाया आसानबनी (5.20 कि.मी.)	JH 0111/V	432.26
	2	(i) चंदनकियारी से लालपुर (8.00 कि.मी.) रोड का निर्माण (ii) शिलफोर मोड से बाबुडीह रोड का निर्माण	JH 0101/III	218.91
	3	चंघारी से अद्राकुली (10.80 कि.मी.)	JH 0105/V	342.68
	4	(i) रा.प.32 से निरधा वाया अगरसा रोड (3.375 कि.मी.) (ii) कि.मी.32 से पाडडीह रोड (7.50 कि.मी.)	JH 0109/V	353.63
	5	(i) पी.डब्ल्यू.डी. रोड कटघरा मोड से कोदवाडीह नाना रोड लम्बाई 2.80 कि.मी.का निर्माण (ii) भांडविढा के पास 7वां कि.मी. हिरक रोड से चिरुडीह रोड लम्बाई 4.45 कि.मी. (iii) तुरुटोला गोवींदपुर से लहरियाटाँड रोड लम्बाई 2.075 कि.मी.	JH 0110/V	300.20
	6	अराजू से आस्की (9.7 कि.मी.)	JH 0113/V	242.10
	7	(i) चिरुडीह तेलो रोड से बेरमो प्रखंड सीमा दयाडीह (6.10 कि.मी.) रोड का निर्माण (ii) पी. डब्ल्यू.डी. रोड से अमलो (1.3 कि.मी.) का निर्माण	JH 0104/V	292.82
	8	(i) जैना मोड से टाँड मोहनपुर (2.15 कि.मी.) (ii) रा.प.23 से कल्याणपुर (3.80 कि.मी.) (iii) गंगजोरी से बिरासाराम (4.50 कि.मी.)	JH 0114/ V	246.48
	9	(i) रा.प. 23 (होली क्रॉस स्कूल) से धरमपुरा रोड (8.00 कि.मी.) (ii) रा.प.32 (कुरा उच्च विद्यालय) से कुरमा रोड (6.38 कि.मी.)	JH 0103/ IV	289.98
	10	(i) पी.डब्ल्यू.डी. रोड नावाडीह से अरगामो वाया कुरपावा (3.70 कि.मी.) (ii) पी.डब्ल्यू.डी. रोड सुरथी (असुरबाँध) से अहारडीह (2.375 कि.मी.) (iii) पी.डब्ल्यू.डी. रोड नावाडीह से खरपिटो (1.50 कि.मी.)	JH 0104/ IV	197.78
	11	(i) खैरा चतर से नावाडीह (4.00 कि.मी.) एवं (ii) शिव मंदिर से मल्हेन टाँड (1.50 कि.मी.)	JH 0103/ V	158.15
	12	हरदागदा से धवईया रोड (7.25 कि.मी.)	JH 0107/ V	202.14
	13	कुंदा से चरगी (8 कि.मी.)	JH 0115/ V	283.51
चाईबासा	14	(i) नाईटोला से मुंदासाई (4.90 कि.मी.) एवं (ii) काँका से मोहालीपोखर (3 कि.मी.)	JH 2202/ V	218.36
	15	(i) आर ई ओ रोड से पिचुआ (1.5 कि.मी.) एवं (ii) बोंबासाई से बुरुबोरता (8 कि.मी.)	JH 2206/ IV	174.85
	16	परसा से सपरामगुट्टु रोड (12 कि.मी.)	JH 2202/ III	292.52
	17	तालासाई से बासासाई वाया कंजेरा रोड (13.55 कि.मी.)	JH 2203/ III	396.74
	18	कुमारडुंगी प्रखंड से उलीहातु से गोरालायुम (10.50 कि.मी.)	JH 2204/ V	285.12
	19	पटेटा से बाइटेरकिया रोड	JH 2201/ III	182.93
	20	बिरसाबासा बोर्डर से बूँद (15.25 कि.मी.)	JH 2203/V	464.95
	21	कांता बिला से पुखरारीसिया (लम्बाई 4.85 कि.मी.)	JH 2202 of फेज IV	148.82
	22	गोडरमा से नावागढ़ (12.5 कि.मी.से 18.6 कि.मी.) (लम्बाई 6.10 कि.मी.)	JH 1708/ V	185.82
डाल्टेनगंज	23	बुधीबीर से चोथासा रोड (5.10 कि.मी.)	JH 1707/ V	128.66
	24	सिगसीगी से लहरबंजारी (9 कि.मी.)	JH 1702/ IV	194.21

(रु. लाख में)

पी.आई.यू.ज का नाम	कार्य का व्यौरा		पैकेज/फेज सं.	एग्जीक्यूटिव मूल्य	
	क्र. सं.	नाम			
	25	(i) पी.डब्ल्यू.डी. रोड से भवर (4.25 कि.मी.) (ii) आरागुआ से तुरी (3.10 कि.मी.) (iii) जपला छतरपुर रोड से हिरसिकनी (4 कि.मी.)	JH 1704/ V	300.79	
	26	(i) धुब से बसरिया वाया पकरिया रोड (10.50 कि.मी.) (ii) आरागुआ से तुरी (7 कि.मी.)	JH 1705/ III	249.63	
	27	(i) हैदरनगर बरेवा से जमुआ (2 कि.मी.) (ii) बिलासपुर से सरीया (4 कि.मी.) (iii) जपला चतरपुर रोड से बैरवाँ (2.70 कि.मी.) (iv) जे एम रोड से बिरघवार (2.50 कि.मी.) (v) पोलडीह से उरदवार (5 कि.मी.)	JH 1702/ V	409.92	
	28	(अ) बेदानी मोड से डेल्हा (लम्बाई 3.00 कि.मी.) (ब) चापी कुर्द से सकलपीपा (4.50 कि.मी.) (स) बोरोडीरी से कवल (4.10 कि.मी.) (द) साहेद से ओरिया (1.50 कि.मी.) (य) आसाहेर से कुसरी (5 कि.मी.)	JH 1706/ V	516.81	
	29	(i) हैदरनगर पांसा रोड से बकरा (6 कि.मी.) (ii) गोरालीह से भोली (1.92 कि.मी.) (iii) जपला डंगवार रोड से महुवारी (4.4 कि.मी.) (iv) जे एच रोड से मोखनी कोयुएन (5.475 कि.मी.) एवं (v) बंशी मोड से त्पतरिया (2.10 कि.मी.)	JH 1701/ IV	481.39	
	30	सिंघना से ललगारा वाया रिशियापा रोड (लम्बाई 9.36 कि.मी.)	JH 1703/ III	134.72	
	31	(i) बंजोरी से कोल्हुआ (6.10 कि.मी.) (ii) धावाडीह से एकता (8.125 कि.मी.) (iii) किशुनपुर से जंगासी (3.50 कि.मी.) मोहम्मदगंज से महुआडांड	JH 1705/ V	474.97	
		बिरमाटी से सिमला रोड (5.07 कि.मी.)	JH 1705/ V	759.20	
	देवघर	32	(i) करोन से सलतार रोड (ii) पथरा से गपजेबारी (iii) तंदेरी से गांविंदपुर (iv) नावाडीह बिल रोड से जामुनी	JH 0304/ III	119.23
		33	(i) पी.डब्ल्यू.डी रोड से करचुबानी और (ii) गोपीबांध से झिलुआ रोड	JH 0304/ III	389.25
	34	पिण्डरा से जमुना रोड (लम्बाई 6.75 कि.मी.)	JH 0305/ IV	167.30	
	35	(i) बिचगरहा से मानीकपुर रोड के पथ का निर्माण (ii) बिरजपुर से कोराबांदा रोड का निर्माण (iii) बसमरिया से बिजा रोड का निर्माण (iv) बारा करम दंगल से बालीडीह रोड का निर्माण	JH 0301/ VI	211.43	
	36	(i) बलथार से बाबुपुर (4.05 कि.मी.) (ii) नावाडीह से झारखण्डी (1.70 कि.मी.) (iii) सोनेबदिया से रघुनाथापुर (भंगिया पहाड़ी) (1.62 कि.मी.) (iv) घोरमारा से कुल्हरिया भंगिया पहाड़ी	JH 0303/ V	413.18	
	37	पंचनिया से चेतनारी रोड	JH 0308/ V	286.07	
	38	(i) रतनपुर से पुनसिया (ii) पी.डब्ल्यू.डी. नोखिल मोड से नकटी (i) तमघाट से गंगटी (2.10 कि.मी.)	JH 0301/ III	164.54	
	39	(ii) मथुरापुर से कशाटी (6.10 कि.मी.) (iii) महुआडाबर से सिमला (7.23 कि.मी.)	JH 0303/ III	131.76	
	40	(i) जमुआसोल से पी.डब्ल्यू.डी रोड (2.50 कि.मी.) के पथ का निर्माण (ii) करमातलझारी से करोन रोड (3.65 कि.मी.) के पथ का निर्माण (iii) पी.डब्ल्यू.डी. खैराबनी से बगदोगरा (9.28 कि.मी.) के पथ का निर्माण	JH 0302/ III	353.55	
			JH 0304/ V	434.77	

(रि.लाख में)

पी.आई.यूज का नाम	कार्य का ब्यौरा		पैकेज/फेज सं.	एग्रीमेंट मूल्य
	क्र. सं.	नाम		
	41	(i) बांधडीह से चुपक्यारी रोड लम्बाई 3.425 कि.मी. के पथ का निर्माण (ii) मधुपुर एस एच से टेकरा रोड लम्बाई 3.775 कि.मी. के पथ का निर्माण (iii) तेलियाडीह से मझतार रोड लम्बाई 1.975 कि.मी. के पथ का निर्माण	JH 0307/ V	286.09
	42	(i) राँगामटिया से सिंगटुटा (2.35 कि.मी.) (ii) मधुपुर एस एच से टेकरा रोड लम्बाई (2.78 कि.मी.) (iii) पी.डब्ल्यू डी रोड से श्री अमरा (2.23 कि.मी.) (iv) आर इ ओ रोड से बारटोली (2.71 कि.मी.)	JH 0503/ V	305.34
	43	गुमरो से बारस्कीडीह रोड	JH 0504/ V	574.53
	44	(i) जोरडीन से कोरीडीह (4.50 कि.मी.) (ii) सलटोलिया से लटुलिया रोड (4.40 कि.मी.)	JH 0504/ III	182.13
दुमका	45	(i) आर इ ओ रोड (चोटा चपुरिया) से झुनकी (3.50 कि.मी.) (ii) शिकारीपाडा और गापी कांदर प्रखंड से चिरुडीह से मधुबान (3.50 कि.मी.)	JH WB 0505	206.75
	46	असंथार से तापसी (6.265 कि.मी.) रोड	JH 0506/ IV	168.25
	47	(i) पोटाबांधडीह से लखनपुर (4.38)कि.मी. के पथ का निर्माण (ii) मोहनपुर से फिटकोरिया (8.75 कि.मी.) के पथ का निर्माण	JH 0502/ V	439.96
	48	धोलपाथार से सिलथा बलिखोरा रोड	JH 0501/ V	289.67
गिरिडीह	49	शिकारपुर मोड से सुगापहाड़ी (8 कि.मी.)	JH WB 0501	181.56
	50	(i) खेटको से बालक (5 कि.मी.) और (ii) डाबरसैनी गुरहा रोड से खारीडीह	JH 0814/ V	200.45
	51	टू 1 से फूलजोरी	JH 0813/ V	375.43
	52	जी टी रोड खुलगो खास मधुपुर से भारखार (5.525 कि.मी.)	JH 0801/ V	161.54
	53	एस एच गिरिडीह डुमरी (कटवारा) मोड से भंडरो रोड	JH 0803/ III	229.28
	54	(i) एस एच (गिरिडीह-डुमरी)घनवाराटाँड से अटकी (5.20 कि.मी.) और (ii) रा.प. 2 (गोपालडीह) से खेटको वाया पिचोरी	JH 0805/ II	211.45
	55	(i) एस एच बेंगाबाद चतरो (सियातीर) से नवाडीह (4.85 कि.मी.) और (ii) घोडथंभा नवाडीह चोटी राज (कुबरी)से चंद्राखो (4.30 कि.मी.)	JH 0802/ III	214.32
	56	टू 4 (जमुआ पचंबा) से सुगासोर	JH 0802/ V	169.65
	57	मनिकबाद कोदाम्बरी (लवनिया) जमखुखरो रोड	JH 0802/ IV	290.31
	58	जमुआ पचंबा रोड कोरीडीह से बेरहोबाद	JH 0815/ V	114.42
	59	एस एच गिरिडीह मधुपुर (करमजोशी) गंदो रोड	JH 0801/ III	192.56
	60	बंदेर कुप्पी मोड से बरडोंगा (i) कोडरमा खोरी महुआ रोड से भलुताँर (5.20 कि.मी.)	JH 0809/ V	162.06
	61	(ii) घोडथंभा से गुंदरी रोड (3.30 कि.मी.) (iii) कोडरमा खोरी महुआ रोड से गरजासरन (2 कि.मी.) (iv) कोरीडीह झारखंडीधाम से अरगाली (2 कि.मी.)	JH 0801/ V	295.00
	62	हेसला-कपिलो-बेको (घिरवा)से कोयरीडीह रोड (लम्बाई 8.50 कि.मी.)	JH 0804/ V	148.61
	63	लक्ष्मीपुर से नीमडीह रोड	JH 0803/ IV	228.37
	64	टू 4 गाण्डेय मनकादीहा से बंगुवा	JH 0816/ V	298.69
गुमला	65	(i) अम्बा टोली से सिकरी वाया पगुरा रोड (6.00 कि.मी.) (ii) आर.इ.ओ. रोड नटवाल से दीना वाया कटगाँव रोड (8 कि.मी.)	JH 1001/ IV	331.92

(₹लाख में)

पी.आई.यूज का नाम	कार्य का ब्यौरा		पैकेज/फेज सं.	एग्रीमेंट मूल्य
	क्र. सं.	नाम		
	66	(i) सामल से ओलमिडा (लम्बाई 9.225 कि.मी.) (ii) पी डब्लू डी रोड से सुरहु रोड (लम्बाई 2.00 कि.मी.)	JH 1001/ III	179.53
	67	टू 3 से बानपुर वाया सिराँचेगरी (7 कि.मी.)		
	68	(i) छारदा से अरको (लम्बाई 12 कि.मी.) (ii) बी.पी.डी.पी. रोड से पुशो (लम्बाई 4.50 कि.मी.)	JH 1002/ III	285.61
	69	रा.पा. 23 डुम्बो से बुटकारी रोड (11 कि.मी.)		
<b>कुल</b>				<b>19516.86</b>

परिशिष्ट - 1.5  
(संदर्भ कंडिका 1.1.8.1; पृष्ठ - 9)

कार्य का फेजवार प्रगति एवं पी.आई.यूज. नमूना जाँचित व्यय को दर्शानेवाली विवरणी

क्र. सं.	वर्ष	पी.आई.यूज का नाम	फेज सं.	एन.आर.आर.डी.ए. द्वारा अनुमोदित परियोजना			पूर्ण परियोजना		
				सड़कों की सं.	सड़कों की लम्बाई कि.मी.में	अनुमानित लागत	पूर्ण सड़कों की संख्या कोष्ठक में प्रतिशतता दर्शायी गयी	सड़कों की लंबाई कि.मी. में	व्यय (₹ लाख में)
1	2005-06	बोकारो		राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव की संस्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण किसी भी पी.आई.यूज को कार्य आवंटित नहीं किया गया।					
		डाल्टेनगंज (पलामू)							
		देवघर							
		दुमका							
		गिरिडीह							
		गुमला							
2	2006-07	बोकारो		राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव की संस्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण किसी भी पी.आई.यूज को कार्य आवंटित नहीं किया गया।					
		डाल्टेनगंज (पलामू)							
		देवघर							
		दुमका							
		गिरिडीह							
		गुमला							
3	2007-08	बोकारो	V	25	146.500	4825.66	22	127.990	4156.18
		डाल्टेनगंज (पलामू)	V	24	105.750	2518.38	5	45.200	1614.22
		देवघर	V	33	116.310	3346.23	20	76.048	2432.94
		दुमका	V	12	65.370	2021.66	4	34.646	1299.19
		गिरिडीह	V	21	150.260	4219.33	16	120.955	3173.05
		गुमला	V	8	35.880	1065.01	2	20.690	881.81
		राँची	V	21	64.930	1788.96	13	45.838	1322.55
		प. सिंहभूम	V	9	70.350	2243.90	6	50.250	1364.03
		<b>कुल</b>		<b>153</b>	<b>755.350</b>	<b>22029.13</b>	<b>88 (58)</b>	<b>521.617</b>	<b>16243.96</b>
4	2008-09	बोकारो	VI	65	267.333	8315.86	0	70.715	3481.43
		डाल्टेनगंज (पलामू)	VI	16	87.775	2630.391	0	3.700	605.56
		देवघर	VI	2	9.750	305.09	0	1.555	147.04
		दुमका	VI	32	165.190	5189.71	0	13.125	1276.57
		गिरिडीह	VI	82	414.104	13183.42	0	189.433	7835.06
		गुमला	VI	24	198.230	5568.92	0	13.632	1816.24
		राँची	VI	24	94.850	2813.64	0	0.595	666.44
		प. सिंहभूम	VI	54	225.445	6861.34	0	15.365	2594.14
		<b>कुल</b>		<b>299</b>	<b>1462.677</b>	<b>42237.98</b>	<b>0</b>	<b>308.120</b>	<b>18422.48</b>
5	2009-10	बोकारो	VII	0	0	0	0	0	0
		डाल्टेनगंज (पलामू)							
		पी.आई.यू. एच.एस.सी.एल.	VII VII	35 90	160.515 279.550	40.76 80.37	0 0	0 0	0 0



क्र. सं.	वर्ष	पी.आई यूज का नाम	फेज सं.	एन.आर.आर.डी.ए. द्वारा अनुमोदित परियोजना			पूर्ण परियोजना		
				सड़कों की सं.	सड़कों की लम्बाई कि.मी.में	अनुमानित लागत	पूर्ण सड़कों की संख्या कोष्ठक में प्रतिशतता दर्शायी गयी	सड़कों की लंबाई कि.मी. में	व्यय (₹ लाख में)
		देवघर	VII	0	0	0	0	0	0
		दुमका	VII	0	0	0	0	0	0
		गिरिडीह	VII	0	0	0	0	0	0
		गुमला	VII	11	55.250	13.22	0	0	0
		राँची	VII	0	0	0	0	0	0
		प. सिंहभूम	VII	0	0	0	0	0	0
		<b>कुल</b>			<b>136</b>	<b>495.315</b>	<b>134.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	2009-10	बोकारो	VIII	65	209.545	58.14	0	0	0
		डाल्टेनगंज (पलामू)	VIII	0	0	0	0	0	0
		देवघर	VIII	2	4.775	1.21	0	0	0
		दुमका	VIII	107	338.380	91.81	0	0	0
		गिरिडीह	VIII	0	0	0	0	0	0
		गुमला	VIII	71	316.485	75.73	0	0	0
		राँची	VIII	1	4.800	1.35	0	0	0
प. सिंहभूम	VIII	0	0	0	0	0	0		
<b>कुल</b>			<b>246</b>	<b>873.985</b>	<b>228.24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

परिशिष्ट - 1.6  
(संदर्भ कंडिका 1.1.8.6; पृष्ठ - 13)

बीजकों के स्पेयर/डुप्लीकेट/क्रॉस कॉपी पर भुगतान

(₹ लाख में)

पी.आई.यूज.	क्र. सं.	फेज सं.	पैकेज सं.	एजेंसी	एग्रीमेंट मूल्य	बीजकों का ब्यौरा		
						बीजकों की सं.	मात्रा मि.ट. में	मूल्य
दुमका	1	V	JH 0504	मे. कंक्रीट आसनसोल	574.52	11	128.200	40.56
	2	IV	JH 0506	मे. सिंह सन आर्क कंस्ट (प्रा.)लि. देवघर	175.26	3	45.385	10.63
बोकारो	3	III	JH 0101	मे. इस्ट इंडिया कंस्ट क. बोकारो	218.9	2	18.154	3.40
	4	IV	JH 0103	मे. जगजीत सिंह एवं क. राँची	289.97	4	45.542	11.63
चाईबासा	5	V	JH 2202	मे. शक्ति कंस्ट (प्रा.)लि.	218.36	2	30.674	10.04
	6	III	JH 2203	मे. के.के. बिल्डर्स (प्रा.) लि.	374.64	7	127.078	18.44
	7	V	JH 2204	मे. पी.एस. बेदी	285.12	7	96.800	31.69
	8	IV	JH 2202	मे. पी.एस. बेदी	148.81	4	63.852	15.48
देवघर	9	IV	JH 0303	मे. सिंह सन आर्क कंस्ट (प्रा.)लि. देवघर	370.45	7	127.078	38.46
	10	IV	JH 0305	मे. रॉयल एसोसिएट्स देवघर	178.54	6	53.836	15.41
गिरिडीह	11	III	JH 0805	मे. सुरेन्द्र प्र. एवं क. नवादा	211.44	6	63.539	9.58
	12	III	JH 0802	वही	214.31	2	18.154	3.40
	13	III	JH 0801	मे. ए.पी. बरियार एवं सन्स	192.56	6	63.539	11.04
चक्रधरपुर	14	III	JH 2205	मे. हाइवे एवं हायडल प्रोजेक्ट (प्रा.) लि.	173.6	9	81.693	12.78
<b>कुल</b>						<b>76</b>	<b>963.524</b>	<b>232.54</b>

**परिशिष्ट - 1.7**  
(संदर्भ कंडिका 1.1.8.9; पृष्ठ -16 )

**सी.एन.सी.पी.एल. में योजना के विरुद्ध अतिरिक्त लंबाई कार्यान्वित को दर्शाने वाली विवरणी**

(₹ लाख में)

पी.आई. यूज का नाम	क्र. सं.	पैकेज सं/ फेज सं	सड़कों के नाम	एग्रीमेंट के अनुसार सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	सी.एन.सी.पी.एल. के अनुसार सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	सड़कों की अधिक लम्बाई (कि.मी.)	दर प्रति कि.मी.	राशि
देवघर	1	III/ JH 0302	मथुरापुर रेलवे स्टेशन से कसाठी	6.10	1.25	4.85	22.91	111.11
	2	IV/ JH 0303	कारोन से सातार रोड	2.15	2.00	0.15	27.44	4.12
	3	V/ JH 0301	(a) पथरिया से चरकटा पी.डब्ल्यू.डी. रोड	4.45	3.50	0.95	33.48	31.81
	4		(b) सबीजोर पी.डब्ल्यू.डी. रोड से तिताहिबैंक	4.35	4.00	0.35	33.48	11.72
	5		(c) सुगापहाड़ी पी.डब्ल्यू.डी. रोड से आस्ता	2.50	2.00	0.50	33.48	16.74
	6	V/ JH 0302	(a) भालपहाड़ी रोड से सिंघो	2.83	2.50	0.33	29.05	9.59
	7		(b) तिंघारा रोड से सुगापहाड़ी रोड	5.35	5.00	0.35	29.05	10.17
	8		(c) झिलवा से गगनपुर	2.03	1.50	0.53	29.05	15.40
	9	V/ JH 0304	करमा तलझोरी से करोन रोड	3.65	2.00	1.65	28.17	46.48
	10	V/ JH 0306	(a) बिरनिया से गंजोरा रोड	2.00	1.75	0.25	33.33	8.33
	11		(b) संग्राम लोरिया से लखंघरिया रोड	2.60	1.50	1.10	33.33	36.66
	12		(c) जसीडीह एस.एच. से जताही रोड	2.05	1.50	0.55	33.33	18.33
	13	V/ JH 0308	बालथर से बाबुपुर रोड	4.05	3.00	1.05	28.84	30.28
	14	V/ JH 0309	डुब्राजपुर से पथलघटिया रोड	2.50	2.00	0.50	29.11	14.56
	15	V/ JH 0310	(a) घरमपुर से नकटी रोड	4.70	1.50	3.20	29.46	94.27
	16		(b) पोखरिया से रंगनटिया रोड	4.30	4.00	0.30	29.46	8.84
	17		(c) उपरबंधा से कांकी रोड	3.47	2.50	0.97	29.46	28.58
	18	VI/ JH 0302	पी.डब्ल्यू.डी. रोड से किसनडीह से दहिजोर	2.00	1.00	1.00	41.56	41.56
गिरिडीह	19	V/ JH 0803	धनवार सरिया से रुपैडीह	9.00	8.00	1.00	29.68	29.68
	20	V/ JH 0805	कोवर कोडरमा से बारी	5.15	5.00	0.15	34.76	5.21
	21	V/ JH 0809	बंदेरकुम्पी से बेरडोंगा	6.25	6.00	0.25	25.93	6.48
	22	V/ JH 0810	कोवर कोडरमा से मंझलाडीह	11.20	10.00	1.20	29.82	35.78
	23	V/ JH 0812	जमुबा पंचबा सामाडीह नवाडीह वाया मेरहो, चपरकतो	3.80	3.00	0.80	30.78	24.62
	24	V/ JH 0815	जमुआ पंचबा कारुडीह से बरहोबाद	5.00	4.50	0.50	22.88	11.44
	25	V/ JH 0818	टू 3 से अंगैया	10.60	7.50	3.10	31.73	98.36
	26	VI/ JH 0801	टू 1 से अमानारी	15.20	15.00	0.20	26.20	5.24
	27	VI/ JH 0807	गिरीडीह जमुआ रोड बलबोला से बालगो	7.00	6.50	0.50	31.45	15.73
	28	VI/ JH 0807	डोमन पहाड़ी दुरागागार्द रोड से नावाडीह	1.75	1.50	0.25	31.45	7.86
	29	VI/ JH 0808	टू 3 गिरीडीह चिरकी पलमा हिरापुर मोड से टुड्यो	5.20	5.00	0.20	32.54	6.51
	30	VI/ JH 0810	टू 2 से बथनिया	3.16	3.00	0.16	29.94	4.79
	31	VI/ JH 0813	कोवर कोडरमा से कुसमई	6.63	5.50	1.13	35.22	39.80

(₹ लाख में)

पी.आई. यूज का नाम	क्र. सं.	पैकेज सं/ फेज सं	सड़कों के नाम	एग्रीमेंट के अनुसार सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	सी.एन.सी.पी. एल. के अनुसार सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	सड़कों की अधिक लम्बाई (कि.मी.)	दर प्रति कि.मी.	राशि
	32	VI/JH 0814	गोस्थम्भा इटासानी रोड से गलवाटी	7.50	4.00	3.50	29.35	102.73
	33	VI/JH 0815	कोवर कोडरमा से सारंडा	15.10	11.00	4.10	34.03	139.53
	34	VI/JH 0816	टार्न बिगहा से गादी खुर्द	10.10	10.00	0.10	30.11	3.01
	35		जमुआ से हरला	2.97	1.00	1.97	30.11	59.32
	36	VI/JH 0817	भंडरो नावाडीह से भवननंद	9.68	9.00	0.68	27.73	18.86
	37	VI/JH 0817	टू 7 से छोटकी बेरगी	4.34	4.00	0.34	27.73	9.43
	38	VI/JH 0818	तीसरी से खटपोंग	10.10	10.00	0.10	34.43	3.44
	39	VI/JH 0818	टू 4 से खरसान	5.40	2.00	3.40	34.43	117.06
	40	VI/JH 0819	टू 2 धनवार सोनिया से मनगागो	6.30	4.00	2.30	34.13	78.50
	41	VI/JH 0819	टू 2 धनवार सोनिया से जसिघा	7.50	5.00	2.50	34.13	85.33
	42	VI/JH 0822	टू 7 से जितकुडी	7.58	6.00	1.58	34.37	54.30
	43	VI/JH 0823	कोराडीह परसान से कैलाधाब	4.00	3.00	1.00	33.15	33.15
	44	VI/JH 0823	खोरीमहुआ नीमडीह से भभनी	5.45	3.50	1.95	33.15	64.64
	45	VI/JH 0825	टू 1 से डाबर से चोरवा	8.00	3.00	5.00	38.84	194.20
	46	VI/JH 0826	घोरथम्भा इटासानी से ओरखार	3.75	2.00	1.75	32.69	57.21
	47	VI/JH 0827	अस्नासिघा से डुमरचुटिया	3.62	2.00	1.62	34.09	55.23
	48		टू 8 बरगंदा से जरिडीह	5.32	4.00	1.32	34.09	45.00
	49	VI/JH 0828	टू 1 से झरकटा	8.00	7.00	1.00	33.59	33.59
	50	VI/JH 0829	कुरहाबिंदो गम्हारडीह रोड से धरमपुर	2.05	1.25	0.80	32.40	25.92
	51		बंगाबेद चटरो से गोरो	1.43	1.00	0.43	32.40	13.93
	52		कैयारोडीह से ओखेरसाल	2.53	1.25	1.28	32.40	41.47
	53	VI/JH 0830	बरजो इटाचौंच से सपमारन	3.85	2.50	1.35	30.88	41.69
	54	VI/JH 0830	कोवर कोडरमा से डोभी	4.20	3.50	0.70	30.88	21.62
	55	VI/JH 0831	टू 7 खुरजो से मंगलुआहार	4.70	4.50	0.20	33.80	6.76
	56	VI/JH 0832	चटरो नयासंखो से बंसाडीह	2.00	1.00	1.00	29.81	29.81
	57		टू 3 जमुआ तीसरी से खटानी	9.70	8.00	1.70	29.81	50.68
	58		टू 1 चटरो देवरी नावाडीह से बेरोडीह	2.08	1.50	0.58	29.81	17.29
	59	VI/JH 0833	टू 4 से करमो	1.60	1.50	0.10	31.11	3.11
	60	VI/JH 0834	टू 1 से पसनौर	12.00	7.00	5.00	39.67	198.35
दुमका	61	V/ JH 0502	पताटाँड़ से लखनपुर	4.38	3.00	1.38	33.51	46.24
	62		मोहरनपुर से फिटकोरिया	8.75	8.50	0.25	33.51	8.38
	63	V/ JH 0503	पी.डब्ल्यू.डी. से श्री अमारा	2.23	2.00	0.23	28.61	6.58
	64	V/ JH 0505	कलीचुआँ से रामजम	6.23	5.00	1.23	32.70	40.22
	65	VI JH 0507	पी.डब्ल्यू.डी रोड से बिलयफनर	10.30	5.00	5.30	30.64	162.39

(रि लाख में)

पी.आई. यूज का नाम	क्र. सं.	पैकेज सं/ फेज सं	सड़कों के नाम	एग्रीमेंट के अनुसार सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	सी.एन.सी.पी. एल. के अनुसार सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	सड़कों की अधिक लम्बाई (कि.मी.)	दर प्रति कि.मी.	राशि
डाल्टेनगंज	66	VI/ JH 0509	करसोल से सिकटिया	7.56	6.00	1.56	27.39	42.73
	67		उपरसितुआ से हाटमाझीनडीह	6.17	4.00	2.17	27.39	59.44
	68		आर.ई.ओ. रोड से मुरजलानी	3.50	1.00	2.50	27.39	68.46
	69	VI/ JH 0510	अस्त्योरा से हथियापाथर	11.22	10.00	1.22	28.15	34.34
	70		हिदयोरी से पुटबेरिया	10.92	9.00	1.92	28.15	54.05
	71	VI/ JH 0501	जवारी भट्टरिया पानगढ़ से भटोरिया डलोबार	7.35	5.50	1.85	32.05	59.29
	72	VI/ JH 0504	आर.ई.ओ. रोड से गादीझोपा	6.15	5.50	0.65	30.38	19.75
	73	VI/ JH 0505	सरैहाट से मधुडीडा	8.45	8.00	0.45	27.99	12.60
	74	VI/ JH 0506	बेहरापहाड से बांकी जोरी	5.70	4.50	1.20	32.54	39.05
	75	V/ JH 1704	पी.डब्ल्यू डी 1 से भवर	4.25	4.00	0.25	26.50	6.63
	76	VI/ JH 1702	गुआ सर्राइ से जमारी	8.50	8.00	0.50	29.48	14.74
	77	V/ JH 1703	मदनपुर से कन्हानपुर	2.00	1.50	0.50	28.17	14.09
	78	V/ JH 1706	चौपाखुर्द से संगेलडोपा	4.50	3.00	1.50	26.37	39.56
	79	V/ JH 1706	बोरीदीरी से केवाल	4.10	4.00	0.10	26.37	2.64
	80	V/ JH 1705	बेंजारी से कोथुआ	6.10	6.00	0.10	26.80	2.68
	81	V/ JH 1706	आसर से कुसरी	6.50	5.00	1.50	26.37	39.56
	82	V/ JH 1705	धाहाडीह से व्यकता	8.12	6.00	2.12	26.80	56.82
	83	VI/ JH 1705	रामगढ़ से बाघी	4.00	3.00	1.00	29.77	29.77
	84	V/ JH 1707	बुरहीबेर से चोथोसा	5.10	5.00	0.10	25.23	2.52
	85	VI/ JH 2219	बैदमारा से टेंडा	5.17	3.00	2.17	31.35	68.03
चक्रधरपुर	86	VI/ JH 2221	(अ) टोयबो से कोटसाय रोड वाया होयाहातु	3.30	3.00	0.30	30.10	9.03
	87		(ब) टोकलो से सरजमहातु वाया रामदा	4.00	3.50	0.50	30.10	15.05
	88		(स) बैहातु लादुरसाय रोड से नायक टोला	2.20	2.00	0.20	30.10	6.02
	89	VI/ JH 2222	पी डब्ल्यू डी रोड से बेरातुलंडा	3.00	2.56	0.44	29.55	13.00
	90	VI/ JH 2223	(अ) मेन रोड से खरवाँ	3.00	2.50	0.50	31.13	15.57
	91		(ब) कियुतुका से बंगरासाय	3.00	2.50	0.50	31.13	15.57
	92	VI/ JH2224	मनोहरपुर आम बगान से पथरबासा	4.00	3.50	0.50	32.41	16.20
	93	VI/ JH 2225	(अ) सागिपी से घंघमारा वाया ह्मिगिया	3.00	2.50	0.50	30.16	15.08
	94		(ब) डोमरदीहा से परिया रोड	2.20	2.00	0.20	30.16	6.03
	95	VI/ JH 2226	दुनिया से नवगाँव वाया बेलपोस	4.00	3.00	1.00	29.52	29.52
96	VI/ JH2227	(अ) बैहातु सुरचुरा रोड से जामताड़ा	11.00	1.50	9.50	27.51	261.34	
97		(ब) झारग्राम से कसरुआ	2.40	2.00	0.40	27.51	11.00	
98	VI/ JH2228	आर ई ओ रोड चरकाटुंगरी से तुमसाई	4.88	4.00	0.88	30.49	26.83	
राँची	99	V/ JH 1082	आर ई ओ रोड पतराचावली मोड़ से पतराचावली	1.65	1.40	0.25	23.43	5.86
	100	V/ JH 1807	जारगा से अम्बाझरिया	9.10	9.00	0.10	31.95	3.19
	101	V/ JH 1809	बुद्धा खोखारा रोड से महुआजोरी	2.65	2.50	0.15	29.17	4.37
	102	V/ JH 1809	टांगरबसुली रोड से पोरयागो	2.05	2.00	0.05	29.17	1.46

(रु.लाख में)

पी.आई. यूज का नाम	क्र. सं.	पैकेज सं/ फेज सं	सड़कों के नाम	एग्रीमेंट के अनुसार सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	सी.एन.सी.पी. एल. के अनुसार सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	सड़कों की अधिक लम्बाई (कि.मी.)	दर प्रति कि.मी.	राशि	
	103	V/ JH 1810	मंझलाटोला से तुरूप	4.65	4.00	0.65	31.81	20.68	
	104	V/ JH 1810	रॉंची पुरलिया रोड से लापुंग	2.06	2.00	0.06	31.81	1.91	
	105	VI/ JH 1805	कुम्होरिया से संग्रामपुर वाया बोंहारा	3.20	2.50	0.70	28.67	20.07	
	106	VI/ JH 1805	उमेदंदा से केदुली	5.73	2.00	3.73	28.67	106.94	
	107	VI/ JH 1806	बेटांगी (उमेदंदा से केदुली)	4.85	3.00	1.85	29.83	55.18	
	108	VI/ JH 1807	चोलरा सताकी रोड से बानपुर	3.50	3.00	0.50	28.48	14.24	
	109	VI/ JH 1807	सुरसु से हरजहोम	2.50	2.00	0.50	28.48	14.24	
	110	VI/ JH 1808	कोरमडीह से सायारोमार्स	10.70	9.00	1.70	29.79	50.64	
	गुमला	111	IV/ JH 1001	अम्बाटोली से सकरी	6.00	3.00	3.00	23.71	71.13
		112	V/ JH 1003	टू 1 से कोरेल	2.25	2.00	0.25	32.10	8.02
113		V/ JH 1004	नवाटोली से सरंगसोर	3.18	3.00	0.18	30.47	5.48	
114		VI/ JH 1001	परवल से मालाडोन	12.30	9.00	3.30	30.70	101.31	
115		VI/ JH 1002	पुटो से लुडगो	13.05	11.00	2.05	32.07	65.74	
116		VI/ JH 1004	पी डब्ल्यू डी करमटोली से वाया लोडरा	7.00	6.00	1.00	33.28	33.28	
117		VI/ JH 1005	पी डब्ल्यू डी भोंडराटोली से सेरेंदा	7.48	6.00	1.48	31.10	46.03	
118		VI/ JH 1001	बी पी डी पी रोड से लालगोरी	6.30	5.00	1.30	29.44	38.27	
119		VI/ JH 1012	टू 4 भथौटी से डोकापा से पी ए एस-ए	12.50	11.00	1.50	29.68	44.52	
120		VI/ JH 1013	बी पीडी पी रोडसे लालपुर से गरवालीमाडा	15.40	9.00	6.40	28.68	183.55	
121		VI/ JH 1016	(अ) टिकरोना से कोचेडेगा	5.10	4.50	0.60	28.27	16.96	
122			(ब) चेंदाली से बंसिया	4.50	4.00	0.50	28.27	14.14	
123		VI/ JH 1017	लियोनकेल से किलरी पोल -II	12.30	6.00	6.30	28.92	182.19	
124		VI/ JH 1018	कोसिन से कायनजोन रोड	4.70	3.90	0.80	29.25	23.40	
125		VI/ JH 1008	दहुदार से मारदा	17.10	1.50	15.60	29.96	467.38	
चाईबासा	126	VI/ JH 2201	(अ) जोड़ापोखर से असुआ रोड	7.60	7.00	0.60	27.92	16.75	
	127		(ब) जेतिया से कोटिमंडा रोड	7.43	5.00	2.43	24.34	59.14	
	128	VI/ JH 2203	दुमतिसाय से बरामुडी	2.50	2.00	0.50	30.30	15.15	
	129	VI/ JH 2204	कुंता से अबरू	7.15	6.00	1.15	26.25	30.19	
	130	VI/ JH 2205	(अ) आर ई ओ रोड से बोलकांद	1.95	1.40	0.55	30.40	16.72	
	131		(ब) आर ई ओ रोड से लामझारी	1.77	1.00	0.77	29.89	23.01	
	132		(स) पोरघा से कदेलबोरा	2.35	2.00	0.35	28.65	10.03	
	133	VI/ JH 2206	(अ) गुलबासाचुक से उनेलकुटी पुनिया	2.70	2.00	0.70	26.36	18.45	
	134		(ब) बिंगबुरासाई से कोटसना	3.80	2.00	1.80	30.68	55.22	
	135		(स) तुहबोसा से पथगुरिया	1.95	1.00	0.95	28.39	26.97	
	136		(द) सिफोरी से तेरोपी	3.20	2.50	0.70	24.08	16.85	
	137	VI/ JH 2210	(अ) सोरबोल खास से महुअदिल लेमांग	6.23	3.50	2.73	30.63	83.62	
	138		(ब) बोराकुंडरीहॉस से जरया फोरस्ट	2.42	2.00	0.42	31.13	13.07	

(₹ लाख में)

पी.आई. यूज का नाम	क्र. सं.	पैकेज सं/ फेज सं	सड़कों के नाम	एग्रीमेंट के अनुसार सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	सी.एन.सी.पी. एल. के अनुसार सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	सड़कों की अधिक लम्बाई (कि.मी.)	दर प्रति कि.मी.	राशि
	139		(स) जोतिया बॉम्बसीत से लम्पोहिंसा	4.32	3.50	0.82	29.51	24.20
	140	VI/ JH 2211	पीडब्ल्यूडी लोकेसाई से जेतिया रोड	6.40	4.50	1.90	30.51	57.97
	141	VI/ JH 2212	बाराकुंडरीझा से राको फॉरेस्ट	6.10	4.50	1.60	30.44	48.70
	142	VI/ JH 2213	मुडाराम से आइहोपिक	7.00	5.00	2.00	26.86	53.72
	143	VI/JH0101	ओरमो से मधुकरपुर	3.60	2.00	1.60	29.83	47.73
	144	VI/JH 0101	पॉलिटिकनीक से खुटरी	4.20	2.00	2.20	30.21	66.46
	145	VI/JH 0104	पिलपिलो मोड़ पिपराडीह रोड से बेरमो प्रखंड सीमा	3.90	1.00	2.90	30.50	88.45
	146	V/JH 0102	हरदागडा से सिमराबेडा	12.05	11.00	1.05	35.98	37.78
	147	V/JH 0106	पिपलोसे लहिया वाया पिपराडीह	11.38	10.00	1.38	30.96	42.72
	148	V/JH 0112	चिरुडीह से भेंडरा वाया तिलैया तॉर बोडरो	8.00	3.00	5.00	37.51	187.55
	149	VI/JH 0103	मानपुर बिजुलिया रोड से सियालजोरी रोड	7.10	5.00	2.10	30.91	64.91
	150	V/JH 0109	रा.प. 32 से पदनडीह रोड	7.50	5.00	2.50	32.10	80.25
	151	V/JH 0105	आर इ ओ रोड से अदराकुली रोड	10.80	9.00	1.80	29.50	53.10
	152	V/JH 0110	7 कि.मी. हिरक रोड नजदीक भंडराडीह	4.45	3.00	1.45	35.89	52.04
बोकारो	153	VI/JH 0107	करमा से हिंसिम	6.30	5.00	1.30	29.30	38.09
	154	VI/JH 0113	जनमडीह से रानीचिरका रोड	3.40	2.00	1.40	30.93	43.30
	155	do	रा.प. 32 से बारपोखर	4.00	2.00	2.00	29.51	59.02
	156	VI/JH 0108	हन्ही से कांदेर	8.10	6.50	1.60	29.51	47.22
	157	VI/JH 0115	बारीडीह से मिसिरडीह	6.70	4.00	2.70	30.82	83.21
	158	VI/JH 0117	दहवा टॉड से गोडरो टॉड	3.20	1.00	2.20	33.90	74.58
	159	IV/JH 0103	रा.प. 32 कुरा उच्च विद्यालय कुरमा	6.38	4.00	2.38	18.41	43.81
	160	VI/JH 0117	नावाडीह से कुरलीलवा वाया टारटा	3.80	2.00	1.80	29.30	52.74
	161	VI/JH 0111	जिला पशिद से कुमारदगा रोड	13.00	10.00	3.00	25.75	77.25
	162	VI/JH 0118	रा.प. 32 से सिजुआ	3.00	1.50	1.50	30.50	45.75
	163	VI/JH 0105	बँचतरा से लोधी रोड	10.54	7.00	3.54	30.56	108.18
	164	VI/JH 0118	आर ई ओ रोड से कलिकापुर रोड	3.10	2.00	1.10	30.30	33.33
	165	VI/JH 0117	बारीडीह से दहियारी नॉर्थ टोला	5.60	3.00	2.60	27.76	72.18



(रुलाख में)

पी.आई. यूज का नाम	क्र. सं.	पैकेज सं/ फेज सं	सड़कों के नाम	एग्रीमेंट के अनुसार सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	सी.एन.सी.पी. एल. के अनुसार सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	सड़कों की अधिक लम्बाई (कि.मी.)	दर प्रति कि.मी.	राशि
	166	VI/JH 0112	चिपारी से नरकंडी	7.60	6.00	1.60	29.11	46.57
	167	VI/JH 0118	मोहनपुर से चिरदा रोड	3.50	2.00	1.50	30.42	45.63
	168	VI/JH 0122	चुटे से तिसारी	5.60	4.00	1.60	25.75	41.20
	169	VI/JH 0121	मधुनिया रोड से लाबुडीह रोड	7.70	4.00	3.70	28.35	104.89
	170	VI/JH 0106	माईन्स बोर्ड रोड से कथको	9.60	7.50	2.10	26.81	56.30
	171	VI/JH 0120	चिलगादा से गोपालपुर	3.20	2.50	0.70	25.93	18.15
	172	VI/JH 0119	लिपो रा.प. 23 रोड से मुंगासरेला	3.10	2.50	0.60	26.85	16.11
	173	VI/JH 0119	डुमरी से गोसाय	3.50	2.70	0.80	25.05	20.04
	174	V/JH 0115	कुंदा से चगरी	8.00	6.00	2.00	35.43	70.86
	175	VI/JH 0115	पिपिलो पिपराडीह से मिसिरडीह वाया जुरा थाना	5.60	5.00	0.60	31.15	18.69
<b>कुल</b>				<b>993.27</b>	<b>731.96</b>	<b>261.31</b>		<b>7914.04</b>

**परिशिष्ट - 1.8**  
(संदर्भ कंडिका 1.1.8.10; पृष्ठ - 16 )

**लिक्विडेटेड हानि का कम/नहीं आरोपन को दर्शानेवाली विवरणी**

(₹ लाख में)

पी.आई.यूज.	कार्यों का ब्यौरा		पैकेज सं.	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	आरोपित होनेवाली लिक्विडेटेड हानि	वास्तविक आरोपित की गई लिक्विडेटेड हानि	लिक्विडेटेड हानि का कम आरोपण
	क्र. सं.	नाम						
बोकारो	1	(i) आर ई ओ रोड मोदीडीह से शाकाकुरी (9 कि.मी.)	JH 0111 फेज V	25.05.09	अपूर्ण	43.23	0.00	43.23
		(ii) शावरामोड़ से कुमहार टोला वाया आसनबनी (5.20कि.मी.)						
	2	पिपलो से लोहिया वाया पिराडीह (11.375 कि.मी.)	JH 0106 of Phase V	27.10.08	अपूर्ण	37.42	0.00	37.42
	3	(i) चंदकियारी से लालपुर (8.00 कि.मी.) के पथ का निर्माण	JH 0101 फेज III	08.04.09	अपूर्ण	21.89	11.62	10.27
		(ii) शिलफोर मोड़ से बाबुडीह के पथ का निर्माण						
	4	चंधारी से अदराकुली (10.80 कि.मी.)	JH 0105 of Phase V	08.04.09	अपूर्ण	34.27	0.00	34.27
	5	(i) रा.प. 32 से निरधा वाया अगरसा रोड (3.375 कि.मी.)	JH 0109 फेज V	08.04.09	21.11.09	35.36	0.00	35.36
		(ii) रा.प. 32 से पादुडीह रोड (7.50 कि.मी.)						
	6	आरजू से भास्की (9.60 कि.मी.)	JH 0113 of Phase V	08.04.09	28.07.09	24.21	0.00	24.21
7	(i) जैना मोड़ से टाँड मोहनपुर (2.15 कि.मी.)	JH 0114 फेज V	29.04.09	29.07.09	24.65	0.00	24.65	
	(ii) रा.प. 23 से कल्याणपुर (3.80 कि.मी.)							
	(iii) गांगजोरी से बिरसाराम (4.50 कि.मी.)							
8	(i) रा.प. 23 (होली क्रॉस स्कूल) से धरमपुरा रोड (8.00 कि.मी.)	JH 0103 फेज IV	25.08.07	अपूर्ण	26.65	11.57	15.08	
	(ii) रा. प. 32 (कुरा उच्च विद्यालय)से कुरमा रोड (6.38 कि.मी.)							
9	(i) खैरा चातर से नावाडीह (4.00 कि.मी.) और (ii) शिव मंदिर से	JH 0103 फेज V	14.09.09	अपूर्ण	15.82	0.00	15.82	

(रुलाख में)

पी.आई.यूज.	कार्यों का ब्यौरा		पैकेज सं.	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	आरोपित होनेवाली लिक्विडेटेड हानि	वास्तविक आरोपित की गई लिक्विडेटेड हानि	लिक्विडेटेड हानि का कम आरोपण
	क्र. सं.	नाम						
		मलहेन टॉड (1.50 कि.मी.)						
	10	हरदगदा से धवैया रोड (7.25 कि.मी.)	JH 0107 फेज V	23.04.09	24.03.10	20.21	4.25	15.96
	11	कुंदा से चरगी (8 कि.मी.)	JH 0115 फेज V	23.05.09	अपूर्ण	28.35	0.00	28.35
देवघर	12	(i) पी डब्ल्यू डी रोड से करचुबानी और (ii) गोपीबांध से झिलुआ रोड	JH 0305 फेज IV	03.01.08	अपूर्ण	16.73	0.34	16.39
	13	(i) बिचगरहा से मानिकपुर रोड के पथ का निर्माण	JH 0303 फेज V	22.07.09	अपूर्ण	41.32	0.00	41.32
		(ii) बसमारिया से बिंजा के पथ का निर्माण						
		(iii) बसमारिया से बिंजा के पथ का निर्माण						
		(iv) बारा करम दंगल से बारीडीह के पथ का निर्माण						
	14	(i) तभाघाट से कसाटी (2.10कि.मी.)के पथ का सुधार	JH 0302 फेज III	21.06.05	31.01.07	35.35	0.00	35.35
(ii) मथुरापुर से कसाटी (6.10 कि.मी.) के पथ का								
(iii) महुआडाबर से सिमला (7.23 कि.मी.) के पथ का सुधार								
गिरिडीह	15	(i) खेतको से बालक (5 कि.मी.)	JH 0814 फेज V	7.11.09	अपूर्ण	20.04	0.00	20.04
		(ii) डाबर साइनी गुरहा रोड से खरीडीह						
	16	टू 1 से फुलजोरी	JH 0813 फेज V	23.05.09	अपूर्ण	37.54	0.00	37.54
	17	एस एच गिरीडीह डुमरी (कटवारा)मोड़ से भंडरो रोड	JH 0803 फेज III	22.06.05	अपूर्ण	22.93	0.00	22.93
18	(i) एस एच (गिरीडीह-डुमरी) धावाटांड से अड़की (5.20 कि.मी.)	JH 0805 फेज II	23.10.03	18.12.04	21.15	0.00	21.15	

(₹ लाख में)

पी.आई.यूज.	कार्यों का ब्यौरा		पैकेज सं.	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	आरोपित होनेवाली लिक्विडेटेड हानि	वास्तविक आरोपित की गई लिक्विडेटेड हानि	लिक्विडेटेड हानि का कम आरोपण	
	क्र. सं.	नाम							
		(ii) रा.प. 2 (गोपालडीह) खेतको वाया पचोरी							
	19	टू 4 (जमुआ पचंबा) से सुगासोर	JH 0802 फेज V	09.04.09	अपूर्ण	16.97	0.00	16.97	
	20	मानीकबाद कोदांबरी (लवणिया) जमखुखरो रोड	JH 0802 फेज IV	23.05.07	अपूर्ण	28.48	0.56	27.92	
	21	जमुआ पचंबा रोड कोरीडीह से बेरहोबाद	JH 0815 फेज V	11.04.09	अपूर्ण	11.45	0.00	11.45	
	22	एस एच गिरिडीह मधुपुर (करमजोशी) गंडो रोड	JH 0801 फेज III	04.07.05	16.03.06	17.7	3.6	14.1	
	23	बंडेर कुप्पी मोड़ से बेरदोंगा	JH 0809 फेज V	10.04.09	अपूर्ण	16.2	0.00	16.2	
	24	(i) कोडरमा खोरी महुआ रोड से भालुटाँड़ (5.20कि.मी.)	JH 0801 फेज V	08.05.07	अपूर्ण	29.5	0.00	29.5	
(ii) घोरथम्मा से गुंदरी रोड (3.30 कि.मी.)									
(iii) कोडरमा खोरी महुआ रोड से गुरजसरन (2 कि.मी.)									
(iv) कोरीडीह झारखंडीधाम से अरगली (2 कि.मी.)									
	25	टू 4 गांडे मनिकाडीहा से बंगुवा	JH 0816 फेज V	03.04.09	अपूर्ण	29.87	2.03	27.84	
चाईबासा	26	(i) नाईटोला से मुंडासाई (4.90कि.मी.)	JH 2202 फेज V	21.04.08		21.83	1.36	20.47	
		(ii) कांता से महलीपोखर (3 कि.मी.)							
		(i) आर ई ओ रोड से पिचुआ (1.50 कि.मी.) और	JH 2206 फेज IV	14.12.07	अपूर्ण	17.48	1.35	16.13	
		(ii) बोम्बासाई से बुरुबोरता (8 कि.मी.)							
		27	तालासाई से बासासाई वाया केंजरा रोड (13.55 कि.मी.)	JH 2203 फेज III	22.05.05	20.06.08	37.46	0.00	37.46
		28	उलिहातु से गोरालायोंग (10.50कि.मी.)	JH 2204 फेज V	16.04.09	10.07.09	28.51	0.97	27.54
		29	पटेटा से बैटेरकिया रोड	JH 2201 फेज III	28.05.05	अपूर्ण	18.29	0.94	17.35

(रु.लाख में)

पी.आई.यू.ज.	कार्यों का ब्यौरा		पैकेज सं.	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	आरोपित होनेवाली लिक्विडेटेड हानि	वास्तविक आरोपित की गई लिक्विडेटेड हानि	लिक्विडेटेड हानि का कम आरोपण
	क्र. सं.	नाम						
	30	बिरसाबासा बॉर्डर से बंड (15.25 कि.मी.)	JH 2203 फेज V	05.12.09	अपूर्ण	46.49	0.00	46.49
	31	कांता बिला से पुखारिसाय (4.85 कि.मी.)	JH 2202 फेज IV	24.10.07	28.03.08	14.89	0.00	14.89
डाल्टेनगंज	32	गोदरमा से नवागढ़ (12.5 कि.मी. से 18.6) (लम्बाई 6.10 कि.मी.)	JH 1708 फेज V	30.09.07	अपूर्ण	18.58	0.00	18.58
	33	बुधीबीर से चौथासा रोड (5.10 कि.मी.)	JH 1707 फेज V	26.05.09	अपूर्ण	12.87	0.00	12.87
	34	(i) पी डब्ल्यू डी रोड से भवर (4.25 कि.मी.)	JH 1704 फेज V (2007-08)	01.05.09	अपूर्ण	30.08	0.00	30.08
		(ii) अररुआ से तुरी (3.10 कि.मी.)						
		(iii) जपला छतरपुर रोड से हिरा सिकनी (4 कि.मी.)						
	35	(i) धूप से बसरिया वाया पकरिया रोड (10.50 कि.मी.)	JH 1705 फेज III	06.06.05	06.03.07	24.96	0.00	24.96
		(ii) पातखौलिया से डाबरा वाया गंठा रोड (7 कि.मी.)						
	36	(i) हैदरनगर बोरेवा से जमुआ (2 कि.मी.)	JH 1702 फेज V	04.05.09	अपूर्ण	40.99	3.83	37.16
		(ii) बिलासपुर से सरिया (4 कि.मी.)						
		(iii) जपला छतरपुर रोड बैरवाँ (2.70 कि.मी.)						
		(iv) जे.एम. रोड से बिरघावर (2.50 कि.मी.)						
(v) पौलडीह से उरदवार (5 कि.मी.)								
37	(i) बेदानी मोड़ से डेल्हा (लम्बाई 3.00 कि.मी.)	JH 1706 फेज V	18.05.09	अपूर्ण	51.68	3.17	48.51	
	(ii) चापीखुर्द से सकलदीपा (4.50 कि.मी.)							
	(iii) बोरोडीरी से कवल (4.10 कि.मी.)							
	(iv) सहेद से ओरिया (1.50 कि.मी.)							
		(v) अशाहेर से कुशरी (5 कि.मी.)						

(₹ लाख में)

मी.आई.यूज.	कार्यों का ब्यौरा		पैकेज सं.	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	आरोपित होनेवाली लिक्विडेटेड हानि	वास्तविक आरोपित की गई लिक्विडेटेड हानि	लिक्विडेटेड हानि का कम आरोपण
	क्र. सं.	नाम						
दुमका	38	(i) हैदर नगर पाँसा रोड से कोबरा (6 कि.मी.)	JH 1701 फेज IV	23.10.07	अपूर्ण	48.14	5.59	42.55
		(ii) गोराडीह से भोली (1.92 कि.मी.)						
		(iii) जपन्ला डंगवार रोड से महुआरी (4.4 कि.मी.)						
		(iv) जे एच रोड से मोखनी कोयेन (5.475 कि.मी.)						
		(v) बंशी मोड़ से (2.10 कि.मी.)						
	39	(i) बंजोरी से कोल्हुआ (6.10 कि.मी.)	JH 1705 फेज V	12.05.09	अपूर्ण	47.5	0.18	47.32
(ii) धावाडीह से एकता (8.125 कि.मी.)								
(iii) किशुनपुर से जंगासी (3.50 कि.मी.)								
दुमका	40	(i) रांगामटिया से सिंगटुटा (2.35 कि.मी.)	JH 0503 फेज V	14.06.09	अपूर्ण	30.53	0.00	30.53
		(ii) आर इ ओ 4था कि.मी. से बांसकुटी (2.78 कि.मी.)						
		(iii) पी डब्ल्यू डी रोड से श्री अमरा (2.23 कि.मी.)						
		(iv) आर ई ओ रोड से बरटोली (2.71 कि.मी.)						
	41	गुमरो से बासुकीडीह रोड	JH 0504 फेज V	21.05.09	अपूर्ण	57.45	1.76	55.69
	42	पी एम जी एस वाई पैकेज सं. के अंतर्गत आसंधार से तापरी (6.265 कि.मी.) रोड	JH 0506 फेज IV	10.11.07	25.10.08	16.82	0.00	16.82
	43	(i) पोताबांधडीह से लखानपुर (4.38 कि.मी.) के पथ का निर्माण	JH-0502 of फेज V	08.05.09	अपूर्ण	43.95	0.00	43.95
(ii) मोहनपुर से फिटकोरिया (8.75 कि.मी.) पथ का निर्माण								
44	धोलपाथर से सिलथा बालीखोरा रोड	JH 0501 फेज V	14.06.09	अपूर्ण	28.97	0.00	28.97	
गुमला	45	शिकारपुर मोड़ से सुगापहाड़ी (8 कि.मी.)	JH WB-0501	20.12.06	31.01.07	18.16	10.17	7.99
	46	(i) अम्बाटोली से सिकरी वाया पागुर रोड (6.00) कि.मी.	JH 1001 फेज-IV	19.08.07	20.02.09	33.19	0.00	33.19
(ii) आर ई ओ रोड नटवाल से दीना वासा काटागाँव रोड								

(₹लाख में)

पी.आई.यूज.	कार्यों का ब्यौरा		पैकेज सं.	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	आरोपित होनेवाली लिक्विडेटेड हानि	वास्तविक आरोपित की गई लिक्विडेटेड हानि	लिक्विडेटेड हानि का कम आरोपण
	क्र. सं.	नाम						
		रोड (8 कि.मी.)						
	47	(i) समाल से आलमिडा (लम्बाई 9.225 कि.मी.) (ii) पी डब्ल्यू डी रोड से सुरहु रोड (लम्बाई 2.00कि.मी.)	JH-1001 फेज III	08.06.05	अपूर्ण	17.95	13.58	4.37
	48	टू 3 से बानपुर वाया सियाँचेगरी(7 कि.मी.)	JH 1003 फेज VI	29.05.10	अपूर्ण	20.4	0.00	20.4
	49	(i) छारदा से अड़को (लम्बाई 12 कि.मी.) (ii) बी.पी.डी.पी. रोड से पुसो (लम्बाई 4.50 कि.मी.)	JH-1002 फेज-III	26.06.05	05.05.06 10.12.06	28.56	19.66	8.9
	50	रा.प. 23 डुम्बो से बुटकारी बुटकारी रोड (11 कि.मी.)	JH 1002 फेज V	20.05.09	अपूर्ण	35.68	1.19	34.49
<b>कुल</b>						<b>1448.70</b>	<b>97.72</b>	<b>1350.98</b>



**परिशिष्ट - 1.9**  
(संदर्भ कंडिका 1.1.8.12; पृष्ठ - 17 )

**अपूर्ण कार्यों पर निष्फल व्यय का ब्यौरा दर्शानेवाली विवरणी**

पी.आई. यूज.	क्र. सं.	पैकेज एवं फेज सं.	कार्यों का नाम	एग्रीमेंट की तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	एग्रीमेंट मूल्य	अबतक का व्यय	अभ्युक्तियाँ
						(लाख रुपये में)		
गढ़वा	1	JH 0702/II	चिनिया से रंगपुर	12.09.02	11.06.03	188.46	134.52	कार्य डब्ल्यू बी एम स्तर तक क्रियान्वित की गई
	2	वही	बिरजपुर से खुटवा	12.09.02	11.06.03	98.37	57.22	कार्य डब्ल्यू बी एम स्तर तक क्रियान्वित की गई
गोड्डा	3	JH 905/II	दोनांग से सुंदमोड	10.09.02	10.06.03	337.55	198.38	कार्य. अभि. को कार्य त्यागने और अभिकर्ता को काली सूची में डालने हेतु निर्देशित किया गया
लातेहार	4	JH 1401/III	पी डब्ल्यू डी रोड अजमारे से कुई	16.08.02	15.05.03	172.19	188.88	वन समस्या
गिरिडीह	5	JH 803/III	एस एच गिरिडीह डुमरी रोड से भंडरो	23.09.04	22.06.05	229.78	197.46	वन समस्या। वन विभाग द्वारा एक आई आर दर्ज किया गया
गोड्डा	6	JH 901/III	(अ)आर ई ओ रोड फुलवरिया से पियाराम	27.08.04	26.05.05	235.76	52.10	बाद के कारण सड़क बर्बाद हो गया। पुरनरीक्षित प्राक्कलन तैया किया गया।
	7		(ब)परसंतो बिजवसखामी					
हजारीबाग	8	JH 1107/III	परनाडी टोला से पिंदरकनुरिया काकुर	07.09.04	26.09.05	219.03	199.03	वन समस्या। शुरु से ही (500 मी) कार्य प्रारंभ नहीं किया गया
पलामू	9	JH 1705/III	पटखोलिया से डबरा	07.09.04	06.06.05	96.23	41.01	वन समस्या
लातेहार	10	JH 1401/III	आथेपाटा से मसियाटु	15.10.04	17.07.05	247.42	223.57	अनुबंध रद्द किया गया
लोहरदगा	11	JH 1501/III	फतेहपुर से टुलमुह	16.08.04	15.05.05	101.00	24.70	वन समस्या
साहेबगंज	12	JH 1901/III	बिंदुपाडा से काकजोल रोड	09.10.04	08.07.05	117.55	35.60	कार्य रद्द किये जाने का आदेश जारी किया गया
हजारीबाग	13	JH WB1103-B/Tranch I	पी डब्ल्यू डी बुरकु से पचाडा	18.09.07	17.09.08	240.69	155.70	कार्य रोक दिया
चतरा	14	JH 203/IV	सिद्दीकी मोड से घुमरवार	04.02.07	03.10.07	489.77	50.57	वन समस्या
	15		टू 2 से मनिघाट					
धनबाद	16	JH 402/IV	बडकी टॉड से दिघनगर	18.08.06	17.08.07	31.60	17.99	वन समस्या
गुमला	17	JH 701/IV	कामता से जालरो बंजारी	04.10.06	03.07.07	206.32	137.56	बिटुमिन के अभाव के कारण प्रिमिक्स कारपेट का कार्य अपूर्ण था
	18	JH 706/IV	बरवटी से चुदरो	29.08.06	28.05.07	153.25	92.96	कार्य को रद्द कर दिया गया

पी.आई. यूज.	क्र. सं.	पैकेज एवं फेज सं.	कार्यों का नाम	एग्रीमेंट की तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	एग्रीमेंट	अबतक का	अभ्युक्तियाँ
						मूल्य	व्यय	
						(लाख रुपये में)		
	19		बिरजपुर से बलिगढ			201.77	133.30	कार्य रद्द किये जाने का नोटिस जारी किया गया।
गोड्डा	20	JH 901/IV	बेहराम मोड से	01.06.08	06.07.08	350.86	58.32	
	21		सीमानपुर ठाकुर गंगटी से रसितकर					
गुमला	22	JH 1001/IV	नटवर से दीना	20.11.06	19.11.07	376.11	376.11	
लोहरदगा	23	JH 1501/IV	फतेहपुर से तुलमुह	12.09.06	11.06.07	351.91	222.85	वन समस्या
पलामू	24	JH 1701/IV	(i) हैदरनगर पंसाह रोड से मतुसवारी	24.01.07	23.01.08	481.38	281.58	स्थानीय विवाद
	25		(ii) जपला बंगबार रोड मतुसवारी					
	26		(iii) बंसीमोड से पटालिया					
खुँटी	27	JH 1810/IV	सलगाडीह नहर से	22.08.06	22.08.07	363.75	274.54	कार्य रद्द कर दिया गया था
	28		जन्मापीरही साजमडीह से बिरगों					
साहेबगंज	29	JH 1902/IV	रा.प. 80 नया बाजार मोड से नारायणपुर दियारा	14.11.06	13.11.07	242.83	134.79	बंद करने के लिए जे एस आर आर डी ए को प्रस्ताव
पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा)	30	JH 2206/IV	बाँबथाली से बुरुबोरता रोड	15.03.07	14.12.07	174.86	112.62	वन समस्या
<b>कुल</b>							<b>3401.36</b>	

**परिशिष्ट - 1.10**  
(संदर्भ कंडिका 1.1.8.12; पृष्ठ -18)

बिटुमिनस कार्य नहीं किये जाने के कारण व्यर्थ व्यय

(₹ लाख में)

पी.आई.यू.ज.	फेज	पैकेज सं.	एजेंसी में.	एग्रीमेंट मूल्य	डब्ल्यू.बी.एम. कार्यान्वित कार्य क्यूबिक मीटर में		पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	मापी की तिथि	भुगतान किया गया
					ग्रेड II	ग्रेड III			
गुमला	V	JH 1004	तोहीद अख्तर कंस्ट (प्रा.)लि. गुमला	96.74	956.81	638.44	08.05.09	12.02.09	69.97
दुमका	V	JH 0501	ए.जी.एम. कंस्ट दुमका	289.66	2715.72	--	14.06.09	06.01.09	184.21
	V	JH 0502	ए.जी.एम.कंस्ट दुमका	439.96	2429.98	421.87	08.05.09	22.04.09.	170.55
बोकारो	V	JH 0111	जगजीत सिंह एवं कं राँची	457.60	130.61	282.49	25.05.09.	21.04.09	122.25
	V	JH 0106	सोनू इंटरप्राइजेज	374.23	3455.15	2559.33	26.10.09	09.10.09	244.01
	V	JH 0115	गौतम कंस्ट	283.51	1653.60	1385.12	23.05.09	29.03.09	181.57
चाईबासा	IV	JH2206	ओझा एवं ब्रदर	174.86	2414.78	1743.75	14.10.07	21.08.09	100.23
डाल्टेनगंज	V	JH 1704	चंडी इंटरप्राइजेज		1185.24	942.75	01.05.09	20.09.09	207.00
				300.79	1215.48	--			
					3343.47	--			
	V	JH 1702	अभय इंटरप्राइजेज	409.92	3934.63	--	04.05.09		204.65
गिरिडीह	V	JH 0814	मंडल इंटरप्राइजेज	200.45	1532.24	601.43	07.11.09	30.11.09	141.32
<b>कुल</b>				<b>3027.72</b>					<b>1625.76</b>

परिशिष्ट - 1.11  
(संदर्भ कंडिका 1.1.8.14; पृष्ठ - 19)

बिना पुल वाले अंतराल के साथ पथो पर की गयी व्यय को दर्शानेवाली विवरणी

पी.आई.यूज.	क्र. सं.	फेज सं./ पैकेज सं.	पथ का नाम	व्यय (₹ लाख में)	बिना पुल वाले अंतराल की लम्बाई (मीटर में)
गिरिडीह	1	II/JH 0801	परवतपुर से मनिकाडीह	107.30	175
	2	IV/JH 0803	लक्ष्मीपुर से नीमडीह	224.48	50
	3	V/JH 0813	टू 1 से फूलजोरी	348.37	प्रत्येक 50 मीटर पर 2 अंतराल
	4	V /JH 0814	खेतको से बालक	103.60	6
	5	V /JH 0803	धनवार सरिया से रूपैडीह	203.39	420
	6	V /JH 0819	धनवार सरिया से पण्डरिया	167.93	410
	7	V /JH 0804	तुलसीडीह से नैतौर	156.52	40
	8	V /JH 0807	पंचबा-जमुआ (चितरडीह से कुरहोबिंदो)	206.91	52
	9	VI/JH 0824	टू 5 से पहाडपुर	92.28	50 मीटर, 10 मी., 100 मी. एवं 30 मी. पर चार अंतराल
	10	VI/JH 0808	टू 3 से खारपोखा	34.46	40
	11		टू 3 से दुइयो		50
	12	II/JH 0805	जी टी रोड से खेतका	98.96	70
	13	VI/JH 0809	टू 2 (जी टी) रोड से पीपराडीह	131.33	50 मी. और 80 मी. पर दो अंतराल
	14	VI/JH 0814	ईटासानी से गोलवाटी	225.56	70
	15	VI/JH 0830	कावॉर-कोडरमा से डाबरी	146.53	300
	16		द्वारपहाडी से केडवारा	95.16	215
	17	VI/JH 0812	मेखमार्गो चान्हो से बँगेराकलॉ	101.29	100
	18	VI/JH 0815	मेखमार्गो चान्हो से बँगेराकलॉ	371.48	207
	19	VI/JH 0813	कावॉर-कोडरमा से सरेण्डा	73.65	150
	20		धनवार सरिया से पेटरिया सालडीह	186.00	70
	21	VI/JH 0819	टू 2 (धनवार सरिया से) जरिसिंघा	136.47	350
	22	VI/JH 0803	जमुआ से पतरा	28.37	45
	23	VI/JH 0816	ताम बिगहा से गदीखुर्द	239.07	प्रत्येक 15 मी. पर दो अंतराल
	24	VI/JH 0832	चतरो नयाशंखो से बारिसडीह	42.34	40
	25	VI/JH 0832	जमुआ तीसरी से खतोरी	196.49	45
	26	VI/JH 0801	टू 1 से अम्नारी	193.61	100
	27	VI/JH 0817	भंडरो नावाडीह से भवानन्द	157.39	50
	28	VI/JH 0827	असंसिंघा से डोमरचुटिया	43.22	175
	29	VI/JH 0831	टू 7 खुरजी से मंगलौहार	64.59	70
देवघर	30	V/ JH 0301	पथरिया से चोरकट्टा रोड	112.25	250 मी. और 350 मी. पर दो अंतराल
	31	V/ JH 0307	करो राँगा से मँझतार रोड	49.02	350 मी.
	32	V/ JH 0308	सनबदिया से भँगियापहाडी रोड	52.81	प्रत्येक 1 मी. पर दो पुलिया
	33	V/ JH 0304	खैरबानी से बगोदबरा रोड	260.02	100 मी.
	34	IV/ JH 0305	गोपीबाँध से झीलवा रोड	110.85	70 मी.
	35	V/ JH 0304	कर्मा तलझोरी रोड	79.97	300 मी.

पी.आई.यूज.	क्र. सं.	फेज सं./ पैकेज सं.	पथ का नाम	व्यय (₹ लाख में)	बिना पुल वाले अंतराल की लम्बाई (मीटर में)	
	36	V/ JH 0303	बरबुटिया/बैरमेरिया से बिंझा रोड	56.82	50 मी.	
	37	V/ JH 0310	धरमपुर से नकटी रोड	119.64	25 मी. और 40 मी. पर दो अंतराल	
	38	III/ JH 0302	महुआडाबर से शिमला रोड	168.43	50 मी.	
	39	II/ JH 0301	बदरिया बैंक से मानिकपुर रोड	157.11	100 मी., 150 मी. और 300 मी. पर तीन अंतराल	
बोकारो	40	VI/ JH 0114	ऐयार से टिकाहारा	10.85	20 मी.	
	41	VI/ JH 0119	लेने रा.प. 23 से मुँगासरला	44.30	20 मी.	
	42	VI/ JH 0122	चुट्टे से तीसरी	82.10	30 मी.	
	43	VI/ JH 0106	बिरहाटॉर सिद्धवारा से बडकी सिद्धवारा	59.46	20 मी.	
	44	II/ JH0103	गँगापुर से हेरदागद्दा	145.88	6 मी. और 40 मी. पर दो अंतराल	
	45	VI/ JH0105	मी.बंचतरा से लोधी रोड	148.39	40 मी. और 16मी. पर दो अंतराल	
	46	VI/ JH 0108	गँगापुर से ऐयार	113.29	25 मी.	
	47	I/ JH 0103	ललपरनिया हिराक से गँगापुर	42.41	50 मी.	
	48	V/ JH 0115	कुंदा से चगरी (तेघा कुंदा से चगरी रोड)	281.31	40 मी.	
	49	IV/ JH0103	रा.प. 23 होली क्रॉस स्कूल से धरमपुर	142.68	120मी., 30 मी. और 30 मी. पर तीन अंतराल	
	50	IV/ JH 0103	बंधुडीह से मधुडीह	66.08	80 मी.	
	51	VI/ JH 0121	मधुरिया रोड से लबुडीह रोड	91.12	80 मी.	
	52	V/ JH 0109	रा. प. 32 से पादुडीह रोड	238.31	50 मी.	
	53	V/ JH 0109	रा. प. 32 से चहुलिया	26.13	12 मी.	
	54	VI/ JH 0121	गलगतॉड अम्डीहा रोड से तेकुरा	20.37	80 मी.	
	55	VI/ JH0113	आर इ ओ रोड से कटिया पावर	50.54	60 मी.	
	56	I/ JH 0102	बंदीडीह से चिरका	60.22	15 मी.	
	57	VI/ JH 0107	गंगजोरी से बरमसिया	50.18	30 मी.	
	58	VI/ JH 0101	ओरमो से मधुकरपुर	84.55	15 मी.	
	59	VI/ JH 0117	बारीडीह से दहियारी उत्तर टोला	100.92	16 मी.	
	60	IV/ JH0104	पी डब्ल्यू डी रोड असुरबंडीह (सुरही से) से आहरडीह	54.11	140	
	61	VI/ JH 0104	पाँक महुआटॉड से सिआरी मोड भाया मुँगो राँगामाटी	107.67	प्रत्येक 35 मी. पर दो अंतराल	
	62	V/ JH 0101	पी डब्ल्यू डी रोड से भेंदरा वाया गुजुदिस सहरिया	117.15	145 मी.	
	63	III/ JH 0103	तेलो से तरंगा हिरक रोड	127.73	45 मी.	
	दुमका	64	II/ JH 0501	करधा मोड से कारूडीह	3.87	280 मी.
		65	V/ JH 0504	गोमरो से बुस्कीडीह	5.40	150 मी. और 100 मी. पर दो अंतराल
	गुमला	66	V/ JH 1003	टू 1 से कोरल	35.02	80 मी.
		67	I/ JH 1001	धंगरा से अरंगी	156.21	30 मी.
68		VI/ JH 1013	बी पी डी पी रोड लालपुर से गरवाली मादा	145.22	40 मी.	
69		VI/ JH 1001	परवल से मालोडोन	181.29	50 मी.	
	70	V/ JH 1003	बी पी डी पी रोड पल्हाकपुर से जासारीटोली	73.63	80 मी.	
डाल्टेनगंज	71	II /JH 1703	हैदरनगर परता रोड	65.01	20m	
	72	III /JH 1703	पी डब्ल्यू डी रोड (बैरा) सिघना लालगढवा	134.72	प्रत्येक 20 मी. पर दो अंतराल	
	73	IV /JH 1702	रिंगिसिगी से लहाग बंजारी (पौडियापुर)	177.73	50 मी.	
	74	V/JH 1702	सुमनबाग से उरसेला	112.19	50 मी.	
	75	V/ JH 1704	अरररूआ से तुरी	74.69	100 मी.	

पी.आई.यूज.	क्र. सं.	फेज सं./ पैकेज सं.	पथ का नाम	व्यय (₹ लाख में)	बिना पुल वाले अंतराल की लम्बाई (मीटर में)
	76	V/ JH 1705	बंजोरी से कॉन्हुआ	146.64	50 मी. और 20 मी. पर दो अंतराल
	77	V/JH 1706	बोरीडीह से कोवल	21.65	80 मी. और 20 मी. पर दो अंतराल
	78	VI/ JH 1702	गौसारिया से जमारी	47.95	50 मी.
	79	VI/ JH 1702	विश्रामपुर से कौडिया	21.97	35 मी.
राँची	80	III/ JH 1805	उरुगुट्टु मालसरिंग रोड (संगा स करकेट्टा)	111.37	100 मी.
	81	VI/ JH 1803	जीतुबारा रायचंद रोड	45.75	75 मी.
	82	VI/ JH 1807	सिकिदरी हरातु रोड	30.83	200 मी.
चक्रधरपुर	83	VI/ JH 2221	टायबो से कोटसाइ रोड भाया होयाहातु	63.45	150 मी. और 200 मी. पर दो अंतराल
	84	VI/ JH 2223	कियुटोका से बंगरासाई	95.66	50 मी.
	85	VI/ JH 2227	बायहातु सुरुचुरा रोड से जमतुती	225.20	18.3 X 8.00(स्लैब)
	86	VI/ JH 2224	पी डब्ल्यू डी रोड से अमरा वाया कोलेडा	25.83	50 मी.
<b>कुल</b>				<b>9610.68</b>	

परिशिष्ट -1.12  
(संदर्भ कंडिका 1.2.9; पृष्ठ -34 )

पी एम एस एस वाई के अंतर्गत हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा आपूरित यंत्र जिसकी स्थापना नहीं हुई का ब्यौरा

क्र. सं.	यंत्र का नाम	रिम्स को आपूर्ति की तिथि	मात्रा (संख्या)	इकाई लागत	कुल लागत	कुल राशि (₹ में)
1	बाह्य एवं आंतरिक पैडल्स और बाह्य पेस मेकर के साथ डेफिब्रिलेटर	15-02-2010	3	\$ 6082	\$ 18246	842965
2	ए.जी.बी. मशीन	10-10-2009	4	₹ 291200	₹ 1164800	1164800
3	मल्टीपारा मीटर मॉनीटर	30-11-2009	29	\$ 7525	\$ 218225	10081995
4	ए.जी.बी. मशीन	10-10-2009	4	₹ 291200	₹ 1164800	1164800
5	ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप	15-01-2010	1	यूरो 82574	यूरो 82574	5037014
6	सिरिज इन्फ्यूजन पंप	03-10-2009	12	₹ 24181	₹ 290172	290172
7	मल्टी पारा मीटर मॉनीटर	10-10-2009	26	\$ 7525	\$ 195650	9039030
8	मल्टी पारा मीटर मॉनीटर	14-12-2009	16	\$ 7525	\$ 120400	5562480
9	एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन	20-02-2010	6	\$ 39700	\$ 238200	11004840
10	सेल सेवर मशीन	20-11-2009	1	\$ 29400	\$ 58800	2716560
		29-12-2009	1			
11	एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन	20-02-2010	9	\$ 39700	\$ 357300	16507260
12	सिरिज इन्फ्यूजन पंप	03-10-2009	25	₹ 24181	₹ 604525	604525
13	कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी उपकरण एसेसरीज	25-02-2010	1	\$ 68000	\$ 68000	3141600
		29-04-2010	-	₹ 436800	₹ 436800	436800
14	भेंटीलेटर हाई इण्ड (आई.सी.यू.)	13-01-2010	23	\$ 15500	\$ 356500	16470300
15	सिरिज इन्फ्यूजन पंप	03-10-2009	16	₹ 24181	₹ 386896	386896
16	स्वचालित फिल्म प्रोसेसर	17-09-2009	1	₹ 187200	₹ 187200	187200
17	भेंटीलेटर हाई इण्ड (आई.सी.यू.)	13-01-2010	6	\$ 17001.92	\$ 102011.52	4712932
18	गोकुलेसन एनर्लाइजर	13-01-2010	4	यूरो 21543.38	यूरो 86173.52	5256585
19	डिजिटल रेडियोग्राफी प्रणाली 1000 एम ए (एसेसरीज एवं टर्न की कार्य)	20-11-2009	1	\$ 204500	\$ 204500	9447900
				₹ 2559000	₹ 2559000	2559000
20	एन आइ बी पी/ वाइटल साइन मॉनीटर	23-11-2009	2	\$ 1925	\$ 3850	177870
<b>कुल</b>			<b>191</b>			<b>106793524</b>

(रूपांतरण दर : 06-08-2010 को 1 \$ = ₹ 46.20, 1 यूरो = ₹ 61.00)



परिशिष्ट – 1.13  
(संदर्भ कंडिका 1.2.10.4; पृष्ठ -40 )

मार्च 2010 के लिए वार्डों में दवाओं की कम आपूर्ति

विभाग	वार्ड	दवा का नाम	20% मनीटोल 300 मि. लि. बोतल में	इंजेक्शन					नॉर्मल स्लाइन
				रैनटेक 150 मि ग्रा एम्मुल	रेगलन	डाइलोना	डेक्सोना	टैक्सिम 1 ग्रा.	
न्यूरो साईंस	आइ सी यू (एन एस सी)	वार्ड से मांग	-	600	600	400	-	-	300
		मेडिकल स्टोर से आपूर्ति	-	250	150	150	-	-	150
		मांग के तुलना में कम आपूर्ति (प्रतिशत)	-	350(58)	450(75)	250(63)	-	-	150(50)
तथैव	एन एस डी 2	वार्ड से मांग	800	1500	1400	1500	400	-	200
		मेडिकल स्टोर से आपूर्ति	500	500	200	400	300	-	150
		मांग के तुलना में कम आपूर्ति (प्रतिशत)	300(38)	1000(67)	1200(86)	1100(73)	100(25)	-	50(25)
तथैव	एन एस सी 1 एच डी यू	वार्ड से मांग	1200	700	600	700	-	-	500
		मेडिकल स्टोर से आपूर्ति	600	400	200	300	-	-	250
		मांग के तुलना में कम आपूर्ति (प्रतिशत)	600(50)	300(43)	400(67)	400(57)	-	-	250(50)
ई एन टी	ई एन टी	वार्ड से मांग	-	300	-	500	-	400	-
		मेडिकल स्टोर से आपूर्ति	-	50	-	250	-	शून्य	-
		मांग के तुलना में कम आपूर्ति (प्रतिशत)	-	250(83)	-	250(50)	-	400(100)	-
सर्जरी	सर्जरी	वार्ड से मांग	-	300	-	200	50	-	100
		मेडिकल स्टोर से आपूर्ति	-	100	-	100	50	-	शून्य
		मांग के तुलना में कम आपूर्ति (प्रतिशत)	-	200(67)	-	100(50)	शून्य	-	100(100)
कुल		वार्ड से मांग	2000	3400	2600	3300	450	400	1100
		मेडिकल स्टोर से आपूर्ति	1100	1300	550	1200	350	शून्य	550
		मांग के तुलना में कम आपूर्ति (प्रतिशत)	900(45)	2100(62)	2050(79)	2100(64)	100(22)	400 (100)	550(50)
सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर में 31 मार्च 2010 को शेष			6252	2814	223	2233	3642	5572	5594

## परिशिष्ट – 1.14

( संदर्भ कंडिका 1.2.12.3; पृष्ठ -44 )

वर्ष 2005-10 के दौरान लिए गए असैनिक कार्यों की विवरणी

क्र सं	कार्य का नाम और वर्ष	प्राक्कलित राशि (में)	कार्यादेश की तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	कार्यकारी एजेंसी	अभ्युक्ति
1	900 (200000) क्षमता वाले पंप के निर्माण (2006-07)	28,86,825	07.02.2006	-	डी डब्ल्यू एवं एस प्रमंडल, गोंडा, राँची	-
2	सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट का निर्माण (2006-07)	1,97,92,300	29.06.2006	-	डी डब्ल्यू एवं एस प्रमंडल, गोंडा, राँची	-
3	डेंटल कॉलेज का निर्माण (2007-08)	8,00,00,000	07.09.2007	18 महीना	एन आर ई पी 2, राँची	अपूर्ण
4	300 शैया वाले नर्सिंग छात्रावास का निर्माण (2007-08)	5,17,00,000	25.01.2008	12 महीना	एन आर ई पी 2, राँची	अपूर्ण
5	ऑडिटोरियम का निर्माण (2008-09)	6,88,72,600	25.01.2008	18 महीना	एन आर ई पी 2, राँची	अपूर्ण
6	100 शैया वाले पी जी बालिका छात्रावास का निर्माण (2008-09)	2,89,03,000	27.11.2008	18 महीना	एन आर ई पी 2, राँची	अपूर्ण
7	सामुदायिक भवन का निर्माण (2008-09)	1,57,46,000	18.11.2008	6 महीना	एन आर ई पी 2, राँची	पूर्ण एवं अप्रैल 2010 में हस्तांतरित
8	बेसमेंट का पुनरुद्धार (2008-09)	6,32,60,600	22.08.2008	18 महीना	एन आर ई पी 2, राँची	अपूर्ण
9	गेस्ट हाउस का पुनरुद्धार (2008-09)	1,03,35,000	12.09.2008	18 महीना	एन आर ई पी 2, राँची	अपूर्ण
10	डेंटल कॉलेज छात्रावास का निर्माण (2007-08)	6,88,47,800	27.11.2008	30 महीना	जिला परिषद, राँची	अपूर्ण
11	मोटर साइकिल शेड का निर्माण (2007-08)	13,68,000	05.10.2007	-	जिला परिषद, राँची	-
12	आवासित एरिया में चहारदिवारी का निर्माण (2008-09)	60,37,850	06.06.2008	3 महीना	एन आर ई पी 1, राँची	-
13	नर्सिंग क्वार्टर में पी सी सी सड़क का निर्माण (2008-09)	5,91,200	11.06.2008	-	बी सी प्रमंडल 2, राँची	-
कुल		41,83,41,175				

(नोट: क्रम संख्या 3 से 10 का लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किया गया।)

## परिशिष्ट – 1.15

(संदर्भ कंडिका 1.2.12.6; पृष्ठ -46 )

वर्ष 2005-10 के दौरान संग्रहित और त्यागे गए रक्त का विवरणी

वर्ष	संग्रहित कुल इकाइयों की संख्या	त्यागे गए कुल इकाइयों की संख्या	त्यागे गए का कारण इकाइयों की संख्या						
			हेमोलाईज्ड रक्त	एक्सपायर्ड रक्त	बी डी आर एल पॉजिटिव	एंटीजेन मलेरिया जाँच	एच.सी.भी पॉजिटिव	एच.आई.वी पॉजिटिव	एच.वी एस सिलवर
2006	8335	86	22	शुन्य	1	56	3	4	शुन्य
2007	9471	142	45	5	3	57	31	1	शुन्य
2008	11,687	241	51	9	3	50	14	4	110
2009	11,085	230	58	21	शुन्य	9	5	4	133
<b>कुल</b>	<b>41,120</b>	<b>699</b>	<b>176</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>172</b>	<b>53</b>	<b>13</b>	<b>243</b>

(स्रोत: रक्त अधिकोष, रिम्स द्वारा दिये गये आँकड़े)

## परिशिष्ट - 1.16

(संदर्भ कंडिका 1.2.12.7; पृष्ठ -46)


रिम्स में क्वार्टर्स की उपलब्धता और कमी का विवरणी

क्र. सं.	कार्यालय सेवकों की श्रेणी	स्वीकृत बल	कार्यरत बल (31 मार्च 2010)	उपलब्ध क्वार्टरों की संख्या	कमी		स्वीकृत बल के आधार पर कमी का प्रतिशत	कार्यरत व्यक्तियों के आधार पर कमी की प्रतिशतता
					स्वीकृत बल के आधार पर	कार्यरत व्यक्तियों के आधार पर		
1	चिकित्सक / शैक्षिक निकाय	592	225	70	522	155	88	69
2	पैरामेडिकल / वर्ग सी के स्टाफ	208	182	100	108	82	52	45
3	नर्सिंग स्टाफ	768	497	16	752	481	98	97
4	रेसिडेंट चिकित्सक	150	23	16	134	7	89	30
5	वर्ग घ	598	282	72	526	210	88	74


(स्रोत: रिम्स द्वारा दिए गए आँकड़ें)

परिशिष्ट - 1.17  
( संदर्भ कंडिका 1.3.2; पृष्ठ -49 )

मूल सेट-अप



क्षेत्रीय स्थापना



## परिशिष्ट -1.18

(संदर्भ कंडिका 1.3.7; पृष्ठ -51 )

बजट प्रावधान, आबंटन एवं व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
		बजट	आबं.	व्यय	बजट	आबं.	व्यय	बजट	आबं.	व्यय	बजट	आबं.	व्यय	बजट	आबं.	व्यय
1	एस एन पी	157.12	145.31	128.33	171.78	167.88	119.51	171.73	171.10	166.89	207.55	200.10	182.01	289.19	289.19	246.79
2	आई सी डी एस की स्थापना	82.53	71.96	71.67	88.89	72.25	71.47	95.14	90.86	88.95	123.21	97.44	87.13	156.63	150.08	142.10
3	इन्वेंटिव योजना	0.32	0.32	0.30	0.32	0.32	0	0.32	0.32	0.22	0.32	0.32	0	0.29	0	0
4	दवा किट्स	1.47	0.51	0	1.47	1.47	0	1.47	1.47	0	1.94	1.94	0	1.75	0	0
5	प्री-स्कूल किट्स	1.22	0	0	1.22	1.22	0	1.22	1.22	0	1.62	1.62	0	1.46	0	0
6	आई ई सी	0.13	0	0	0.13	0.13	0	0.13	0.13	0	0.13	0.13	0.11	0.11	0	0
7	किशोरी शक्ति योजना	2.24	0.55	0.54	1.87	1.12	0	2.24	2.24	1.98	2.24	1.12	1.12	1.50	0	0
8	प्रशिक्षण	1.50	1.49	1.24	1.50	0.85	0.83	1.00	1.00	1.00	1.50	1.40	1.40	1.50	1.50	1.50
9	एन पी ए जी	1.79	0	0	1.83	1.83	0	1.50	1.50	0.15	1.00	0.75	0.75	1.00	0	0
10	यूटेंसिल्स	0	1.68	1.06	7.65	6.62	4.66	0.05	0.05	0	0.50	0.40	0.39	1.57	1.57	1.10
11	भार मशीन एवं वृद्धि चार्ट	0	0	0	0.99	0.99	0	1.00	1.00	0.55	1.00	1.00	0.46	0.64	0.20	0.15
12	अतिरिक्त पारितोषिक	10.29	0	0	20.05	16.12	10.97	20.69	20.69	16.73	21.35	21.35	18.73	32.66	32.66	21.80
13	ए डब्ल्यू सी भवन का निर्माण	5.45	5.45	5.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.50	3.50	2.62
14	ए डब्ल्यू सीज पर हैण्ड पंप	2.32	2.32	2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	सी डी पी ओ भवन का निर्माण	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>कुल</b>		<b>266.63</b>	<b>229.84</b>	<b>211.16</b>	<b>297.70</b>	<b>270.80</b>	<b>207.44</b>	<b>296.49</b>	<b>291.58</b>	<b>276.47</b>	<b>362.36</b>	<b>327.57</b>	<b>292.10</b>	<b>491.80</b>	<b>478.70</b>	<b>416.06</b>

(स्रोत: निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार)

**परिशिष्ट -1.19**  
( संदर्भ कंडिका 1.3.9.2; पृष्ठ -57)

**पूरक पोषण के वितरण में व्यवधान की अवधि**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	केन्द्र का नाम	कोड सं.	इन्टरप्शन की तिथि	दिनों की सं.
1	सी डी पी ओ, चास (ग्रामीण), बोकारो	कुसुम टिकरी	298	1.9.2009 से 31.12.2009	120
2	सी डी पी ओ, देवघर (ग्रामीण)	रूपसागर	79	16.10.2005 से 21.3.2007	157
3	सी डी पी ओ, सारठ, देवघर	मोरावारी	114	7.3.2006 से 6.9.2006	184
		रौतारा	132	20.10.2007 से 27.1.2008	100
4	सी डी पी ओ, ओरमांझी, राँची	हरचंदा	27	26.4.2005 से 25.10.2005	183
		पिस्का	77	26.5.2005 से 3.9.2005	101
		बान लोटवा	61	अप्रैल 2005 से जुलाई 2005	120
		कामता	60	मई 2005 से अगस्त 2005	120
5	सी डी पी ओ, सारठ, देवघर	संथालडीह	128	7/06, 8/06, 9/06 और 10/ 06	123

**परिशिष्ट -1.20**  
(संदर्भ कंडिका 1.3.15; पृष्ठ - 62 )

**राष्ट्रीय योजना के तहत किशोरी बालिका लाभुकों को अन्न वितरण की अवधि**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ए डब्ल्यू सी का नाम	लाभुकों की संख्या	अनाज के वितरण का माह				
				पहला	दूसरा	तीसरा	चौथा	पाँचवा
1	चाईबासा	बारागुतुसाई	25	10/ 2006	10/2009	11/2009	-	-
2	वही	हिंद चौक	25	11/2006	03/2009	01/2010	05/2010	-
3	वही	धुनिया टोली	25	11/2006	03/2009	05/2010	-	-
4	वही	मदकामहातु	18	09/2006	12/2008	08/2009	10/2009	05/2010
5	वही	मंडुआडेल	10	09/2006	10/2009	06/2010	-	-
6	वही	तोरांगबासा गुतुसाई	25	11/2006	10/2009	03/2009	04/2010	-
7	वही	नरसंडा	25	09/2006	10/2009	11/2009	-	-
8	वही	तमारबैंड-ए	25	10/2006	10/2008	10/2009	-	-
9	वही	बाराखुंटा	25	09/2006	10/2008	01/2009	11/2009	06/2010
10	वही	फुलहातु	13	11/2006	03/2009	01/2010	05/2010	-
11	वही	तुईवीर खास	16	10/2006	12/2008	07/2009	10/2009	-
12	झींकपानी	जोडा पोखर ताँती टोला	34	10/2006	03/2007	03/2009	01/2010	05/2010
13	वही	टुंगरुसाई	15	10/2006	11/2008	05/2009	01/2010	-
14	वही	नवगाँव (लतसाई)	18	10/2006	02/2007	09/2008	05/2009	05/2010
15	वही	नवगाँव खास	14	10/2006	02/2007	09/2008	05/2009	01/2010
16	वही	केलेडे	39	10/2006	11/2008	05/2009	01/2010	-
17	वही	दिकुपी-1	24	10/2006	02/2007	10/2008	05/2009	05/2010
18	वही	गुरा गौद टोली	27	10/2006	06/2009	12/2009	06/2010	-
19	वही	गुरा डोम टोली	13	10/2006	01/2007	07/2009	12/2009	06/2010
20	वही	स्कूल साई गुरा	13	10/2006	01/2007	06/2009	12/2009	06/2010
21	वही	गुरा ताँती टोली	13	10/2006	01/2007	06/2009	12/2009	06/2010

**नोट: एक लम्बे अंतराल के बाद अनाजों के वितरण का उल्लेखित उदाहरण**

परिशिष्ट - 2.1  
( संदर्भ कंडिका 2.2.1; पृष्ठ -74 )

अदेय मदों पर प्रीमियम दर की स्वीकृति के कारण अधिक भुगतान

( ₹ लाख में )

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	एग्रीमेंट सं.	प्राक्कलित लागत	प्रतिशत में प्रीमियम दर	एग्रीड मूल्य	किये गये कार्य का मूल्य	वस्तुओं की लागत	दुलाई	वस्तुओं पर संवेदक का लाभ	उपयोगित वस्तुओं का कुल मूल्य	अधिक भुगतान
1	प.नि.प्र., गढ़वा	1F2/07-08	1373.00	7.00	1400.00	1311.38	305.39	0.00	30.54	335.93	23.52
2	प.नि.प्र., गढ़वा	8 F2/07-08	1611.00	9.50	2017.40	1942.10	504.77	0.00	50.48	555.25	52.75
3	वि.प्र.नि.प्र., गंगुडीह	6 F2/07-08	189.07	4.50	197.58	157.18	40.73	13.17	4.07	57.97	2.61
4	वि.प्र.नि.प्र., गंगुडीह	10 F2/07-08	17.53	4.75	18.36	5.00	2.92	0.11	0.29	3.32	0.16
5	वि.प्र.नि.प्र., गंगुडीह	4 F2/08-09	236.66	4.50	247.31	121.54	33.09	10.62	3.31	47.02	2.12
6	वि.प्र.नि.प्र., जमशेदपुर	15 F2/06-07	91.16	3.99	94.81	75.23	18.59	11.69	1.86	32.14	1.28
7	वि.प्र.नि.प्र., जमशेदपुर	17 F2/06-07	100.29	3.99	103.00	103.00	27.43	18.06	2.74	48.23	1.92
8	वि.प्र.नि.प्र., जमशेदपुर	7F2/08-09	23.92	4.89	25.09	20.66	6.47	2.12	0.65	9.24	0.45
9	रा.उ.प.प्र., जमशेदपुर	1F2/07-08	371.68	4.80	389.52	383.92	240.54	0.00	24.05	264.59	12.70
10	रा.उ.प.प्र., जमशेदपुर	7F2/06-07	401.58	4.90	417.19	321.02	117.08	0.00	11.71	128.79	6.31
11	रा.उ.प.प्र., जमशेदपुर	17 F2/07-08	270.79	3.00	277.95	256.34	108.15	0.00	10.82	118.97	3.57
12	रा.उ.प.प्र., जमशेदपुर	20F2/07-08	370.17	15.00	425.70	405.55	220.03	0.00	22.00	242.03	36.30
13	रा.उ.प.प्र., जमशेदपुर	19 F2/07-08	136.57	15.00	157.66	156.27	83.78	0.00	8.38	92.16	13.82
14	पे.ज. एवं स्व.प्र., सेरायकेला	5F2/08-09	714.84	10.00	786.32	626.93	414.27	1.11	41.43	456.81	45.68
15	भ.नि.वि.प्र., राँची	1/2F2/06-07	-	34.25	11671.97	-	614.21	487.19	0.00	1101.40	377.23
16	भ.नि.वि.प्र., राँची	11/1F2/06-07	-	25.50	17147.60	-	234.73	176.11	0.00	410.84	104.76
17	भ.नि.वि.प्र., राँची	11/3F2/06-07	-	12.09	13516.41	-	171.51	124.60	0.00	296.11	35.80
<b>कुल</b>					<b>48933.87</b>		<b>3143.78</b>	<b>844.78</b>	<b>212.32</b>	<b>4200.79</b>	<b>720.99</b>

(संकल्प सं. 1680 (एस) तिथि 26.3.2002)



परिशिष्ट -2.2

( संदर्भ कंडिका 2.2.3; पृष्ठ - 76 )

पी टी एफ ई रूफिंग कार्य के लिए संवेदक का “ संविदा प्राप्ति” और वस्तुओं आदि के साथ कार्यान्वयन की लागत को दर्शानेवाली विवरणी

संवेदक की प्राप्ति		
11,302.537 स्क्वा. मी. @ ₹ 13,549/स्क्वा. मी. ...		...₹ 1531.38 लाख (अ)
संवेदक के द्वारा व्यय		
पी टी एफ ई रूफिंग वस्तुएँ (हार्डवेयर सहित)		
ऑस् \$ 10,27,140 @ ₹ 31.5 = ₹ 323.55 लाख		
ऑस् \$ 1,97,900 @ ₹ 33.15 = ₹ 65.60 लाख		
ऑस् \$ 2,30,859 @ ₹ 32.70 = ₹ 75.49 लाख		₹ 464.64 लाख
कोलकाता पोर्ट से वस्तुओं का परिवहन		
रॉंची मेगा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स साईट पर		
46,244 कि.ग्रा. अर्थात 5 लोड ट्रक @ ₹ 20,000 प्रति ट्रक		₹ 1.00 लाख
श्रम प्रभार:		
अर्द्ध निपुण श्रमिक		
1750 मानव दिवस @₹ 200/day = ₹ 3.50 लाख		
फोरमैन		
250 मानव दिवस @₹ 500/day = ₹ 1.25 लाख		₹ 4.75 लाख
वस्तुओं की लागत का 3 प्रतिशत यंत्र एवं संयंत्र (विशेष)		₹ 13.94 लाख
10 प्रतिशत संवेदक का लाभ		₹ 48.23 लाख
1 प्रतिशत आकस्मिकता		₹ 4.82 लाख
		₹ 537.38 लाख (ब)
संवेदक को अधिक भुगतान किया गया	(अ) – (ब)	= ₹ 994.00 लाख

परिशिष्ट - 2.3  
(संदर्भ कंडिका 2.2.3; पृष्ठ - 77)

फैब्रिक रूफ का आयात और संवेदक द्वारा सीमा शुल्क का भुगतान को दर्शानेवाली विवरणी

बीजक सं.	वस्तुएँ	मात्रा (मी. <sup>2</sup> )	दर (प्रति मी. <sup>2</sup> ऑफ्. \$ में)	मूल्य (ऑफ्. \$ में)	भुगतान किया गया सीमा शुल्क (₹ में)
MMK0810-4 दिनांक 30-10-08	PTFE (31 यूनिट)	8056	127.50	10,27,140.00	1,03,60,174
MMK0810-5 दिनांक 27-11-08	हार्डवेयर	--	--	1,97,900.00	17,78,992
MMK0810-7 दिनांक 05-03-09	PTFE (57 रोल)	1810	127.50	2,30,859.00	18,62,026
कुल		9866	127.50	14,55,899.00	1,40,01,192

परिशिष्ट - 2.4  
(संदर्भ कंडिका 2.3.5; पृष्ठ - 89)

वर्तमान कुल मूल्य के लिए मांग की कम वृद्धि को दर्शानेवाली विवरणी

प्रमंडल का नाम	उपयोग करने वाले अभिकर्ताओं का ब्यौरा		विचलित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	मुक्त होनेवाले एन पी वी	मुक्त एन पी वी (₹ लाख में)	एन पी वर्ष का कम करारोपण	अभ्युक्तियाँ
	सं.	नाम					
सारंडा वन प्रमंडल, चार्डबासा	1	मेसर्स उडिसा मैंगनीज एवं मिनरल प्रा.लि.	141.447	1328.19	1247.29	80.90	भारत सरकार 141.447 हेक्टेयर के विचलन का अनुमोदन किया परन्तु भूमि का 8.615 हेक्टेयर सुरक्षात्मक जोन के जैसा व्यवहृत सिर्फ 132.832 हेक्टेयर के लिए एन पी वी प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप एन पी वी का कम करारोपण हुआ।
	2	मे. मिश्री लाल जैन एवं सन्स	49.195	399.99	312.91	87.08	पी सी सी एफ (फरवरी 2006) के द्वारा दिये गये फॉर्मूला को उल्लंघन करते हुए, एन पी वी गणना के समय सिर्फ दो घटक अर्थात घनत्व और मात्रा को लेखा में लिया गया। इसके परिणामस्वरूप एन पी वी का कम करारोपण हुआ।
	3	मे. शाह ब्रदर्स	24.856	206.14	181.68	24.46	यथोपरि
	4	मे. देविकाबाई वेलजी	15.57	127.85	103.14	24.71	यथोपरि
	5	मे. सेल	55.90	482.60	458.24	24.36	यथोपरि
	6	मे. सेल	24.23	220.17	200.62	19.55	यथोपरि
	7	मे. उषा मार्टिन इण्डस्ट्रीज लि.	29.4648	267.74	267.45	0.29	यथोपरि
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	8	मे. सेन्द्रल कोलफिल्ड्स लि.	96.72	776.66	605.47	171.19	क्षेत्र सत्यापन के अनुसार, विचलन के अंतर्गत क्षेत्रफल का घनत्व 0.5 निर्धारित किया गया, लेकिन एन पी वी के गणना के समय, घनत्व को 0 से 0.4 के बीच लिया गया जिसके परिणामस्वरूप एन पी वी का कम करारोपण हुआ।
	9	मे. दामोदर घाटी निगम	155.1498	1084.50	997.61	86.89	विचलन के अंतर्गत क्षेत्र में स्थित प्रजातियाँ प्राकृतिक प्रजातियाँ थीं (मूल्य: 1) लेकिन एन पी वी के लिए गणना के समय यह पौधारोपण समझा गया (मूल्य:0.5)। इसके परिणामस्वरूप एन पी वी का कम करारोपण हुआ।
कुल			592.5326	4893.84	4374.41	519.43	

**परिशिष्ट -2.5**  
(संदर्भ कंडिका 2.3.5; पृष्ठ- 90)

**क्षतिपूरक वनरोपण की लागत के लिए कम/नहीं मांग का आरोपण को दर्शानेवाली विवरणी**

प्रमंडल का नाम	क्र. सं.	उपयोग करने वाले अभिकर्ता का नाम	क्षतिपूरक वनरोपण के लिए लिए गए वन भूमि का क्षेत्रफल	विमुक्त क्ष.व. की लागत	विमुक्ति योग्य क्ष.व. की लागत	क्ष.व. की लागत का कम करारोपण	अभियुक्ति
				(₹ लाख में)			
सारंडा वन प्रमंडल, चाईबासा	1	मे. उड्डिसा मैंगनीज एवं मिनरल प्रा.लि.	282.894	0.00	97.42	97.42	जब भारत सरकार क्षतिपूरक वनरोपण की लागत का निर्धारित करारोपण वन भूमि के स्थानांतरण के लिए अनुमोदन किया तब भी मांग आरोपित नहीं किया गया।
	2	मे. मिश्री लाल जैन एवं सन्स	98.39	6.92	42.41	35.49	सुरक्षात्मक जोन के लिए क्षतिपूरक वनरोपण की लागत की गणना सात वर्ष के जगह पाँच वर्ष के लिए किया गया और यद्यपि भारत सरकार द्वारा निर्धारित थी, तथापि लागत की मांग नहीं आरोपित कि गई।
	3	मे. शाह ब्रदर्स	49.712	2.50	20.62	18.12	सुरक्षात्मक जोन के लिए क्षतिपूरक वनरोपण की लागत की गणना सात वर्ष के जगह चार वर्ष के लिए किया गया और यद्यपि भारत सरकार द्वारा निर्धारित थी, तथापि लागत की मांग नहीं आरोपित कि गई।
	4	मे. रामेश्वर जूट मिल्स	269.9984	0.00	92.98	92.98	जब भारत सरकार क्षतिपूरक वनरोपण की लागत का निर्धारित करारोपण वन भूमि के स्थानांतरण के लिए अनुमोदन किया तब भी मांग आरोपित नहीं किया गया।
लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	5	जे एस एम डी सी	48.58	0.00	62.62	62.62	जब भारत सरकार वन भूमि के स्थानांतरण के लिए क्षतिपूरक वनरोपण की लागत का निर्धारित करारोपण, क्षतिपूरक वनरोपण दंड की लागत और क्षतिपूरक वनरोपण की लागत का अनुमोदन किया तब भी मांग आरोपित नहीं किया गया।
धालभूम वन प्रमंडल, जमशेदपुर	6	पॉवरग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	84.00	36.80	47.39	10.59	विभाग द्वारा वितरित निर्धारित दर के पालन नहीं किया जाने के कारण क्षतिपूरक वनरोपण की लागत का कम आरोपण हुआ।
<b>कुल</b>			<b>833.5744</b>	<b>46.22</b>	<b>363.44</b>	<b>317.22</b>	

**परिशिष्ट – 2.6**  
(संदर्भ कंडिका 2.5.3; पृष्ठ -94 )  
**30 जून 2010 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ**

वर्ष	कार्य			नदी घाटी परियोजना			ओ.ए.डी.		
	नि.प्र.	कंडिका		नि.प्र.	कंडिका		नि.प्र.	कंडिका	
		अनु-अ	अनु-ब		अनु-अ	अनु-ब		अनु-अ	अनु-ब
1984-85	2	1	2	-	-	-	-	-	-
1985-86	0	0	0	-	-	-	-	-	-
1986-87	2	3	1	-	-	-	-	-	-
1987-88	1	0	1	5	4	4	-	-	-
1988-89	7	2	10	2	0	4	-	-	-
1989-90	6	2	8	1	0	1	-	-	-
1990-91	11	5	8	3	5	4	-	-	-
1991-92	10	1	9	13	24	9	-	-	-
1992-93	5	1	5	4	0	4	-	-	-
1993-94	21	12	15	6	17	1	-	-	-
1994-95	17	11	11	5	2	5	-	-	-
1995-96	27	10	34	1	0	1	-	-	-
1996-97	33	42	27	5	3	5	-	-	-
1997-98	15	34	21	1	1	1	-	-	-
1998-99	22	9	22	19	29	70	-	-	-
1999-00	28	19	26	11	18	46	-	-	-
2000-01	74	59	328	18	31	63	-	-	-
2001-02	109	57	437	48	34	204	-	-	-
2002-03	148	156	575	31	22	64	-	-	-
2003-04	126	120	517	40	51	228	99	86	461
2004-05	122	147	479	32	37	145	340	420	1697
2005-06	128	165	506	46	46	311	364	371	1757
2006-07	171	222	882	44	52	174	232	433	889
2007-08	131	232	694	35	16	131	267	384	1211
2008-09	127	277	606	37	25	128	314	162	1622
2009-10	57	71	298	29	2	89	206	82	1181
<b>कुल</b>	<b>1400</b>	<b>1658</b>	<b>5522</b>	<b>436</b>	<b>419</b>	<b>1692</b>	<b>1822</b>	<b>1938</b>	<b>8818</b>

**परिशिष्ट - 3.1**  
(संदर्भ कंडिका 3.1.7.6; पृष्ठ - 102)  
मार्च के महीने में व्यय का प्रवाह

(₹ लाख में)

क्र सं	इकाई का नाम	वर्ष 2007-08		वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10	
		कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय	मार्च में व्यय
1	राजकीय पोलिटेकनीक, लातेहार	52.43	29.42	39.05	16.58	35.64	13.22
2	बिहार प्रौद्योगिकी संस्थान, सिदरी	819.61	180.31	930.39	236.36	951.04	164.12
3	राजकीय महिला पोलिटेकनीक, बोकारो	296.36	182.03	257.08	128.10	262.03	66.23
4	राजकीय पोलिटेकनीक, राँची	206.05	110.46	249.75	64.05	198.68	46.00
5	राजकीय पोलिटेकनीक, दुमका	57.19	14.30	75.44	34.93	61.87	9.61
6	राजकीय महिला पोलिटेकनीक, जमशेदपुर	207.77	19.34	76.41	22.12	88.25	3.77
7	राजकीय पोलिटेकनीक, धनबाद	283.27	118.19	285.93	102.94	278.20	56.01
8	राजकीय महिला पोलिटेकनीक, राँची	84.91	48.86	64.07	23.37	68.64	10.24
9	राजकीय पोलिटेकनीक, खुटरी, बोकारो	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	127.11	62.51	142.44	33.74
10	राजकीय पोलिटेकनीक, खरसाँवा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	26.00	17.72	51.57	11.36
11	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का सचिवालय	5538.78	3547.25	6964.16	4865.99	6315.19	1842.13
<b>कुल</b>		<b>7546.37</b>	<b>4250.16</b> (56%)	<b>9095.39</b>	<b>5574.67</b> (61%)	<b>8453.55</b>	<b>2256.43</b> (27%)

{ स्रोत: झारनेट (झारखण्ड नेटवर्किंग) से लिया गया आँकड़ा }

परिशिष्ट - 3.2  
(संदर्भ कंडिका 3.1.7.7; पृष्ठ - 103 )  
सरकार द्वारा अनियमित भुगतान

योजना शीर्ष	वर्ष जिसमें भुगतान किया गया	भुगतान किया गया (₹ में)
2203	2000-01	60,51,724
2203	2001-02	61,83,120
2203	2002-03	82,40,228
2203	2006-07 के पूर्व	55,30,000
<b>कुल</b>		<b>2,60,05,072</b>

( स्रोत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)

सरकार को दायित्व का अनियमित सृजन

क्र सं.	संस्थान का नाम	मार्च 2007 और फरवरी 2010 के मध्य सृजित दायित्व की राशि (₹ में)
1	राजकीय पोलिटेकनीक, लातेहार	73,62,864
2	राजकीय पोलिटेकनीक, जमशेदपुर	20,72,765
3	राजकीय पोलिटेकनीक, बोकारो (बालक)	11,70,780
4	राजकीय पोलिटेकनीक, धनबाद	20,39,052
5	राजकीय पोलिटेकनीक, राँची (बालिका)	42,49,000
6	राजकीय पोलिटेकनीक, राँची (बालक)	49,36,396
7	राजकीय पोलिटेकनीक, बोकारो (बालिका)	17,69,327
<b>कुल</b>		<b>2,36,00,184</b>

( स्रोत: उपरोक्त संस्थान द्वारा आँकड़े उपलब्ध कराये गये)

## परिशिष्ट - 3.3

( संदर्भ कंडिका 3.1.8.1; पृष्ठ -104)

निर्माण कार्यों के पूर्ण होने में विलंब का ब्यौरा

क्र सं	निर्माण कार्यों का नाम	संस्वीकृति तिथि	संविदा मूल्य (₹ करोड़ में)	प्रारंभ होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	30.6.2010 को स्थिति
1	अभियंत्रण महाविद्यालय, रामगढ़	22.12.06	36.00	19.02.07	18.02.09	अपूर्ण
2	अभियंत्रण महाविद्यालय, चाईबासा	22.12.06	36.00	19.02.07	18.02.09	अपूर्ण
3	अभियंत्रण महाविद्यालय, दुमका	07.08.07	32.71	24.04.10	29.04.12	-
4	राजकीय पोलिटेकनीक, बहरागोरा	22.12.06	16.00	19.02.07	18.08.08	कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका
5	राजकीय पोलिटेकनीक, भागा	22.12.06	16.00	19.02.07	18.08.08	अपूर्ण
6	राजकीय पोलिटेकनीक, चांडिल	22.12.06	16.00	19.02.07	18.08.08	कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका
7	राजकीय पोलिटेकनीक, गढ़वा	22.12.06	16.00	19.02.07	18.08.08	कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका
8	राजकीय पोलिटेकनीक, गोला	22.12.06	16.00	19.02.07	18.08.08	कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका
9	राजकीय पोलिटेकनीक, जगरनाथपुर	22.12.06	16.00	19.02.07	18.08.08	कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका
10	राजकीय पोलिटेकनीक, खरसाँवा	22.12.06	16.00	19.02.07	18.08.08	अपूर्ण
11	राजकीय पोलिटेकनीक, पाकुड़	22.12.06	16.00	19.02.07	18.08.08	कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका
12	राजकीय पोलिटेकनीक, सिल्ली	22.12.06	16.00	19.02.07	18.08.08	अपूर्ण



## परिशिष्ट- 4.1

(संदर्भ कड़िका 4.1.7; पृष्ठ -114)

सरकारी कर्मियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2010 को भुगतान की गई पूंजी, बकाया ऋण तथा मानवशक्ति की अद्यतन विवरणी)

(कालम 5 (क) से 6 (ग) के आँकड़े लाख रुपये में हैं)

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समाहित करने का माह एवं वर्ष	भुगतान की गई पूंजी \$			2009-10 के अंत बकाया ऋण **			2009-10 के ऋण इन्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव बल (31.3.2010 को कर्मचारियों की संख्या)		
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार			अन्य	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
<b>क. कार्यरत सरकारी कर्मियों</b>													
कृषि एवं सहबद्ध													
1.	झारखण्ड राज्य वन (विकास) निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.)	वन एवं पर्यावरण	27.3.2002	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	392
2.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र लिमिटेड सिव्हाई निगम लिमिटेड (झालको)	जल संसाधन	22.3.2002	500.00	-	-	500.00	525.00	-	-	525.00	1.05:1 (1.05:1)	261
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>				<b>505.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>505.00</b>	<b>525.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>525.00</b>		<b>653</b>
<b>संरचना</b>													
3.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जे.आई.आई.डी.सी.ओ.)	उद्योग	15.12.2004	800.00 (300.00)*	-	-	800.00 (300.00)*	-	-	-	-	-	17
4.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.)	गृह	13.03.2002	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	68
5.	ग्रेटर रॉकी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.)	नगर विकास	23.01.2003	1200.00 (1150.00)	-	-	1200.00 (1150.00)	-	-	-	-	-	15
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>				<b>2200.00 (1450.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2200.00 (1450.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>निर्माण</b>													
6.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एण्ड हैंडीक्राफ्ट विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट)	उद्योग	23.08.2006	550.00 (150.00)	-	-	550.00 (150.00)	-	-	-	-	-	38
7.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.)	खान एवं भूविज्ञान	07.05.2002	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	437
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>				<b>750.00 (150.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>750.00 (150.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>475</b>
<b>ऊर्जा</b>													
8.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	26.11.1987	10500.00	-	-	10500.00	66500.00	-	-	66500	6.33:1	677
9.	कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड	ऊर्जा	19.09.2008	-	-	5.00	5.00	-	-	393.00	393.00	78.6:1	-
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>				<b>10500.00</b>	<b>-</b>	<b>5.00</b>	<b>10505.00</b>	<b>66500.00</b>	<b>-</b>	<b>393.00</b>	<b>66893.00</b>	<b>6.37:1</b>	<b>677</b>

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समाहित करने का माह एवं वा	भुगतान की गई पूंजी <sup>5</sup>		2009-10 के अंत तक का ऋण <sup>**</sup>				2009-10 के ऋण इतिवृत्ति का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव बल (31.3.2010 को कर्मचारियों की संख्या)	
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल			6 (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(8)
	सेवा											
10.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	22.3.2002	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	105
	प्रक्षेत्रवार कुल			100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	105
	कुल क (प्रक्षेत्रवार कुल सभी कार्यरत सरकारी कर्मचारियों)			14055.00 (1600.00)		5.00	14060.00 (1600.00)	67025.00	-	393.00	67418.00	2010
	ख. कार्यरत सविविधिक निगम											
	कुर्जा											
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	कुर्जा	20.3.2001	-	-	-	-	392226.00	-	16383.00	408609.00	6375
	प्रक्षेत्रवार कुल			-	-	-	-	392226.00	-	16383.00	408609.00	6375
	कुल ख. (प्रक्षेत्रवार कुल सभी कार्यरत सविविधिक निगम)			-	-	-	-	392226.00	-	16383.00	408609.00	6375
	सकल योग (क + ख) (अंश आवेदन राशि)			14055.00 (1600.00)	-	5.00	14060.00 (1600.00)	459251.00	-	16776.00	476027.00	8385
	ग. अकार्यरत सरकारी कर्मचारियों	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	घ. अकार्यरत सविविधिक निगम	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	सकल योग (क + ख + ग + घ) (अंश आवेदन राशि)			14055.00 (1600.00)	-	5.00	14060.00 (1600.00)	459251.00	-	16776.00	476027.00	8385

(कॉलम 5 (क) एवं (घ) के कोष्ठक में दर्शाए आंकड़े अंश आवेदन राशि को दर्शाते हैं)।

\$ भुगतान की गई पूंजी में अंश आवेदन राशि शामिल है।

\* राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान अंश आवेदन राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये विमुक्त किये गये जो कम्पनी के अंश पूंजी परिवर्तित हो सके।

परिशिष्ट- 4.2  
(संदर्भ कंडिका 4.1.14; पृष्ठ -116)  
अद्यतन वर्ष के लिए लेखे तैयार किए गए थे, के लिए सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किए गए	निवृत्त लाभ (+)/हानि (-)		मूल्य ह्रास	निवृत्त लाभ/हानि		टर्न ओवर	लेखा टिप्पणी का प्रभाव #	भुगतान की गई पूंजी	संचयी लाभ (+)/ हानि (-)	निवृत्त पूंजी* निवृत्त पूंजी**	निवृत्त पूंजी से वापसी* निवृत्त पूंजी से वापसी**	निवृत्त पूंजी से वापसी का प्रतिशत
				व्याज एवं मूल्य ह्रास से पूर्व निवृत्त लाभ/हानि	व्याज		5 (क)	5 (ख)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
क. कार्यरत सरकारी कंपनियाँ															
कृषि एवं सहबद्ध															
1.	जे.एस.एफ.डी.सी.	2008-09	2010-11	210.97	-	13.17	197.80	4647.95	(-27.51)	5.00	403.53	408.69	197.80	48.40	
2.	झालको	2007-08	2009-10	(-139.83)	-	0.92	(-140.75)	65.64	-	500.00	(-565.85)	124.28	(-140.75)	-	
प्रक्षेत्रवार कुल				71.14	-	14.09	57.05	4713.59	(-27.51)	505.00	(-162.32)	532.97	57.05	10.70	
संरचना															
3.	जे.आई.आई.डी.सी.ओ.	2006-07	2010-11	46.91	-	1.33	45.58	0.00	-	300.00	69.55	697.19	45.58	6.54	
4.	जे.पी.एच.सी.एल.	2008-09	2010-11	146.66	-	7.33	139.33	352.76	-	200.00	674.90	873.56	139.33	15.95	
5.	जी.आर.डी.ए.	2005-06	2009-10	-	-	-	-	-	-	50.00^	-	-	-	-	
प्रक्षेत्रवार कुल				193.57	-	8.66	184.91	352.76	-	550.00	744.45	1570.75	184.91	11.77	
विनिर्माण															
6.	झारकाष्ट	-	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	जे.एस.एम.डी.सी.	2004-05	2010-11	-	-	-	-	-	-	200.00	-	132.29	-	-	
प्रक्षेत्रवार कुल				-	-	-	-	-	-	200.00	-	132.29	-	-	
ऊर्जा															
8.	टी.वी.एन.एल.	1993-94	2000-01	(-7093.85)	-	-	(-7093.85)	33482.79	-	10000.00	(-22182.84)	58852.10	(-7093.85)	-	
9.	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	2008-09	\$\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
प्रक्षेत्रवार कुल				(-7093.85)	-	-	(-7093.85)	33482.79	-	10000.00	(-22182.84)	58852.10	(-7093.85)	-	
सेवा															
10.	जे.टी.डी.सी.	2003-04	2008-09	23.94	-	1.62	22.32	47.59	(-37.01)	25.00	32.87	56.92	22.32	39.21	
प्रक्षेत्रवार कुल				23.94	-	1.62	22.32	47.59	(-37.01)	25.00	32.87	56.92	22.32	39.21	
कुल क (प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सरकारी कंपनियों)				(-6805.20)	-	2.437	(-6829.57)	38596.73	(-64.52)	11280.00	(-21567.84)	61145.03	(-6829.57)	-	

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	लेख की अवधि	वर्ष जिसमें लेख तैयार किए गए	निवल लाभ (+)/ हानि (-)			टर्न ओवर	लेखा टिप्पणी का प्रभाव #	भुगतान की गई पूंजी	संचयी लाभ (+)/ हानि (-)	निवल पूंजी	निवल पूंजी से वापसी	निवल पूंजी से वापसी	निवल पूंजी से वापसी का प्रतिशत
				व्याज	मूल्य हास	निवल लाभ/ हानि								
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (घ)	5 (ग)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
<b>ख. कार्यरत सांविधिक निगम</b>														
<b>ऊर्जा</b>														
1.	जे.एस.ई.बी	2001-02	2010-11	(-)18597.46	12354.62	6461.30	117955.43	(-) 850.00	-	(-37413.38	18857.52	(-)25058.76	-	
	प्रक्षेत्रवार कुल			(-)18597.46	12354.62	6461.30	117955.43	(-)850.00	-	(-37413.38	18857.52	(-)25058.76	-	
	कुल ख. (प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सांविधिक निगम)			(-)18597.46	12354.62	6461.30	117955.43	(-)850.00	-	(-37413.38	18857.52	(-)25058.76	-	
	<b>सकल योग (क + ख)</b>			(-)25402.66	12354.62	6485.67	156552.16	(-)914.52	11280.00	(-)58981.22	80002.55	(-)31888.33		

टिप्पणी: झारखण्ड राज्य में कोई अकार्यरत सरकारी कंपनी/सांविधिक निगम नहीं है।

# लेखा टिप्पणी के प्रभाव में वैधानिक लेखापरीक्षक एवं नियंत्रण-महालेखरीक्षक की टिप्पणियों का निवल प्रभाव शामिल है, और लाभ में वृद्धि/हानि में कमी को (+) तथा लाभ में कमी/हानि में वृद्धि को (-) से दर्शाया गया है।

@ निवेशित पूंजी निवेष्टि स्थिर परिसंपत्तियों (जहाँ पूंजीगत कार्य सहित) जोड़ कार्यरत पूंजी, वित्तीय कंपनियों/निगमों को छोड़ कर जिनमें निवेशित पूंजी निकाली गई है, भुगतान की गई पूंजी, मुक्त संचयों, वॉन्ड्स, जमा और बॉरोइंग्स (पुन वित्त सहित) के प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों के कुल औसत से।

\$ निवेशित पूंजी से वापसी लाभ एवं हानि लेख में भारत लाभ तथा व्याज को जोड़कर निकाली गई है।

\*\* वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान कोई वित्तीय गतिविधियाँ नहीं होने के कारण, लाभ-हानि लेखा तैयार नहीं किया गया।

\*\*\* अभी तक कम्पनी द्वारा कोई खाता तैयार नहीं किया गया है।

\*\*\*\* वित्तीय वर्ष के दौरान कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं किया गया।

\$\$ कम्पनी सितम्बर 2008 में समाप्तित हुई और अभी तक लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रदत्त पूंजी में अंश आवेदन पूंजी लांबित आवंटन सम्मिलित है।

**परिशिष्ट- 4.3**  
**(संक्षेप कडिका 4.1.10; पृष्ठ -115)**  
**मार्च 2010 की समाप्ति पर गारंटी प्रतिबद्धता एवं वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य सहायता एवं अनुदान, प्राप्त गारंटियों, बकायों की माफ़ी, अपलिखित ऋण तथा इक्विटी में परिवर्तित ऋण को दर्शाने वाली विवरणी**

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त इकिटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता एवं अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियों और वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता			वर्ष के दौरान बकाए की माफ़ी		
		इकिटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	अपलिखित की गई ऋण पुनःअदायगी	इकिटी में परिवर्तित ऋण	समाप्त किए गए ब्याज/एण्ड	कुल
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
<b>क. कार्यरत सरकारी कंपनियों</b>													
कृषि एवं सहबद्ध													
1.	जे.एस.एफ.डी.सी.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	झालको	-	-	-	180.00	-	180.00	-	-	-	-	-	-
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संरचना													
3.	जे.आई.आई.डी.सी.ओ.	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	जे.पी.एच.सी.एल.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	जी.आर.डी.ए.	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>		200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निर्माण													
6.	झारकाष्ट	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	जे.एस.एम.डी.सी.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>		50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऊर्जा													
8.	टी.पी.एन.एल.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	के.ई.एल.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सेवा													
10.	जे.टी.डी.सी.	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>		25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल क. (प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सरकारी कंपनियों)</b>		<b>275.00</b>	-	-	<b>180.00</b>	-	<b>180.00</b>	-	<b>180.00</b>	-	-	-	-

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त इकिटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता एवं अनुदान			वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियों और वर्ष के अंत में प्रतिवद्धता				वर्ष के दौरान बकाए की माफ़ी		
		इकिटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिवद्धता	अपलिखित की गई ऋण पुनःआवृत्ति	इकिटी में परिवर्तित ऋण	समाप्त किए गए ब्याज/दण्ड ब्याज	कुल
(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
	क. कार्यरत सांविधिक निगम												
	ख. कार्यरत सांविधिक निगम												
	उर्जा												
	1. जे.एस.ई.बी.	-	36276.00	-	40000.00	-	40000.00	-	-	-	-	-	-
	प्रक्षेत्रवार कुल	-	36276.00	-	40000.00	-	40000.00	-	-	-	-	-	-
	कुल ख. (प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सांविधिक निगम)	-	36276.00	-	40000.00	-	40000.00	-	-	-	-	-	-
	सकल योग (क ख)	275.00	36276.00	-	40180.00	-	40180.00	-	-	-	-	-	-

**परिशिष्ट- 4.4**  
**(संदर्भ कडिका 4.1.22; पृष्ठ-118)**  
**राज्य सरकार द्वारा उन लोक क्षेत्र उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया में है, में किए गए निवेश दर्शाने वाली टिप्पणी**

क्र. सं.	लोकक्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक लेखाओं को पूर्ण किया गया है	अद्यतन पूर्ण किए गए लेखा के अनुसार प्रदत्त पूंजी	अवधि जिनके दौरान लेखा बकाये थे	राज्य सरकार द्वारा जिन वर्षों के लेखे बकाया में है, में किए गए निवेश		
					इंकिटी	ऋण	अनुदान
<b>कार्यरत सरकारी कंपनी</b>							
<b>क. सरकारी कंपनियों</b>							
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र लिफ्टसिंचाई निगम लिमिटेड (झालको)	2007-08	500.00	2008-09 2009-10	- -	- 180.00	- -
2.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.पी.एस.)	2008-09	200.00	2009-10	-	-	-
3.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी.)	2003-04	25.00	2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10	25.00 25.00 - - 25.00 -	- - - - - -	- - - - - -
4.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.)	2008-09	5.00	2009-10	-	-	-
5.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एस.डी.सी.)	2004-05	200.00	2005-06 से 2009-10	- -	- -	- -
6.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जे.आई.आई.डी.सी.ओ.)	2006-07	300.00	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10	200.00 100.00 100.00 100.00 50.00 - 110.00 940.00 100.00	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
7.	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.)	2005-06	-	1994-95 से 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06	- - - - - - -	- - 1500.00 1500.00 - 500.00 1400.00	- - - - - - -
8.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल.)	1993-94	10000.00				

(रुपये लाख में)



क्र. सं.	लोकक्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष जबतक लेखाओं को पूर्ण किया गया है	अद्यतन पूर्ण किए गए लेखा के अनुसार प्रदत्त पूंजी	अवधि जिनके दौरान लेखा बकाये थे	राज्य सरकार द्वारा जिन वर्षों के लेखे बकाया में है, में किए गए निवेश		
					इकित्ती	ऋण	अनुदान
				2006-07	-	800.00	-
				2007-08	-	-	-
				2008-09	-	-	-
				2009-10	-	-	-
			-	2006-07	200.00	-	-
				2007-08	200.00	-	-
				2009-10	150.00	-	-
9.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैन्डीक्राफ्ट विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट)	-	-	2008-09	-	-	-
10.	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	-	-	2009-10	-	-	-
	<b>कुल (क)</b>		<b>11230.00</b>		<b>2825.00</b>	<b>5700.00</b>	<b>180.00</b>
ख.	सांविधिक निगम						
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	2001-02	-	2002-03	-	14500.00	11482.00
				2003-04	-	8760.00	7500.00
				2004-05	-	27746.00	32265.00
				2005-06	-	27213.00	38848.00
				2006-07	-	5200.00	25000.00
				2007-08	-	34734.00	92114.00
				2008-09	-	22491.00	8000.00
				2009-10	-	36276.00	40000.00
	<b>कुल (ख)</b>				<b>-</b>	<b>176920.00</b>	<b>255209.00</b>
	<b>योग (क)+(ख)</b>		<b>11230.00</b>		<b>2825.00</b>	<b>182620.00</b>	<b>255389.00</b>

(स्रोत : सरकारी कम्पनी/सांविधिक निगम द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

परिशिष्ट-4.5  
(संदर्भ कंडिका:4.1.14;पृष्ठ-116)  
सांविधिक निगम का वित्तीय परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी

( ₹ करोड़ में)

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	
विवरण	2001-02
<b>क. सम्पत्ति</b>	
सकलयोग	1177.21
घटाव:मूल्य ह्रास	751.16
शुद्ध स्थाई सम्पत्ति	426.05
प्रगति में पूँजी खर्च	46.28
न उपयोग सम्पत्ति	4.05
विनियोग	39.94
कुल चालू सम्पत्ति	2114.48
कमी	374.13
<b>कुल क.</b>	<b>3004.93</b>
<b>ख. सम्पत्ति</b>	
पूँजी दायित्व का भुगतान बकाया	253.68
पूँजी दायित्व	126.83
राज्य सरकार से निधि	234.48
योगदान, अनुदान और परिदान	33.94
कुल चालू दायित्व	2356.00
<b>कुल ख.</b>	<b>3004.93</b>
<b>ग. विनियोजित पूँजी</b>	<b>188.58</b>

**परिशिष्ट-4.6**  
(संदर्भ कंडिका:4.2.7;पृष्ठ-126)  
चालू परिणाम के विवरण

( ₹ करोड़ में)

पतरातु वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान						
क्र. सं.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
<b>1.</b>	<b>आय</b>					
	राजस्व उत्पादन	125.69	93.07	109.22	162.94	175.72
	ब्याज/परिदान अन्य आय में सम्मिलित					
	<b>कुल आय</b>	<b>125.69</b>	<b>93.07</b>	<b>109.22</b>	<b>162.94</b>	<b>175.72</b>
<b>2.</b>	<b>कुल उत्पादन (एम.यू.में)</b>					
	घटाव सहायक उपयोग (एम.यू.में)	846.32	614.66	696.72	1013.44	1131.15
	संरक्षण एवं वितरण के लिए उपलब्ध (एम.यू. में)	140.19	85.87	99.87	123.07	143.95
	<b>कुल उत्पादन</b>	<b>706.13</b>	<b>528.79</b>	<b>596.85</b>	<b>890.37</b>	<b>987.20</b>
<b>3.</b>	<b>खर्च</b>					
(क)	<b>स्थायी लागत</b>					
(i)	नियोजित लागत	47.97	49.97	44.16	46.04	54.08
(ii)	प्रशासनिक एवं अन्य खर्च	9.09	8.60	8.20	9.61	12.38
(iii)	मूल्य ह्रास	18.00	13.90	14.33	12.12	9.00
(iv)	ब्याज और वित्त भार*					
	<b>कुल स्थायी लागत</b>	<b>75.06</b>	<b>72.47</b>	<b>66.69</b>	<b>67.77</b>	<b>75.46</b>
(ख)	<b>परिवर्तनीय लागत</b>					
(i)	ईंधन उपयोग					
	क. कोयला	73.87	53.72	60.89	97.30	107.81
	ख. तेल	43.52	32.29	25.53	36.44	31.65
	ग. अन्य खर्च	0.62	2.29	2.27	2.16	2.40
(ii)	पानी की लागत (वाष्प/ताप/गैस/अन्य)	0.51	0.34	0.61	1.09	1.61
(iii)	ल्यूब्रिकेंट एवं उपभोग्य	1.35	1.25	1.64	2.11	2.46
(iv)	मरम्मत और देखभाल	9.74	11.18	13.31	13.03	14.30
	<b>कुल परिवर्तनीय लागत</b>	<b>129.61</b>	<b>101.07</b>	<b>104.25</b>	<b>152.13</b>	<b>160.23</b>
(ग)	<b>कुल लागत 3 (क) + (ख)</b>	<b>204.67</b>	<b>173.54</b>	<b>170.94</b>	<b>219.90</b>	<b>235.69</b>
<b>4.</b>	वसूली ( ₹ प्रति यूनिट)	1.78	1.76	1.83	1.83	1.78
<b>5.</b>	स्थायी सम्पत्ति ( ₹ प्रति यूनिट)	1.06	1.37	1.12	0.76	0.76
<b>6.</b>	परिवर्तन ( ₹ प्रति यूनिट)	1.84	1.91	1.75	1.71	1.62
<b>7.</b>	कुल लागत (5+6) ( ₹ प्रति यूनिट)†	2.90	3.28	2.87	2.47	2.38
<b>8.</b>	योगदान (4-6) ( ₹ प्रति यूनिट)	(0.06)	(0.15)	0.08	0.12	0.16
<b>9.</b>	<b>लाभ (+) हानि (-)(4-7) ( ₹ प्रति यूनिट)</b>	<b>( 1.12)</b>	<b>(1.52)</b>	<b>(1.04)</b>	<b>(0.64)</b>	<b>(0.60)</b>
	<b>स्वर्णरेखा हाइडल प्रोजेक्ट</b>					
<b>1.</b>	<b>आय</b>					
	राजस्व उत्पादन	<b>8.93</b>	<b>36.50</b>	<b>39.57</b>	<b>43.00</b>	<b>20.54</b>
	ब्याज/परिदान अन्य आय में सम्मिलित	8.93	36.50	39.57	43.00	20.54
	<b>कुल आय</b>					
<b>2.</b>	<b>कुल उत्पादन (एम.यू.में)</b>					
	घटाव सहायक उपयोग (एम.यू. में)	50.41	207.60	216.46	235.20	115.66
	संरक्षण एवं वितरण के लिए उपलब्ध	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
	<b>कुल उत्पादन (एम.यू. में)</b>	<b>50.17</b>	<b>207.36</b>	<b>216.22</b>	<b>234.96</b>	<b>115.42</b>
<b>3.</b>	<b>खर्च</b>					
(a)	<b>स्थायी लागत</b>					
(i)	नियोजित लागत	5.25	5.41	6.41	6.65	6.92
(ii)	प्रशासनिक एवं अन्य खर्च	0.59	0.64	0.42	0.46	0.33

\* पी.टी.पी.एस. को संविभाजित ब्याज तथा वित्तीय भार उपलब्ध नहीं था।

† ब्याज तथा वित्तीय भार, संरक्षण तथा वित्तीय लागत छोड़कर।

(iii)	मूल्य ह्रास	0.74	0.72	0.76	0.77	0.78
(iv)	ब्याज और वित्त भार†					
	<b>कुल स्थाई लागत</b>	<b>6.58</b>	<b>6.77</b>	<b>7.59</b>	<b>7.88</b>	<b>8.03</b>
(ख)	<b>परिवर्तनीय लागत</b>					
(i)	पानी की लागत (वाष्प/ताप/गैस/अन्य)	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08
(ii)	ल्यूब्रिकेंट एवं उपभोग्य	0.02	0.03		0.03	
(iii)	मरम्मत और देखभाल	1.44	0.96	2.20	1.84	0.92
	<b>कुल परिवर्तनीय लागत</b>	<b>1.63</b>	<b>1.07</b>	<b>2.28</b>	<b>1.95</b>	<b>1.00</b>
(ग)	<b>कुल लागत 3 (क) + (ख)</b>	<b>8.21</b>	<b>7.84</b>	<b>9.87</b>	<b>9.83</b>	<b>9.03</b>
4.	वसूली ( ₹ प्रति यूनिट)	1.78	1.76	1.83	1.83	1.78
5.	स्थायी लागत ( ₹ प्रति यूनिट)	1.31	0.33	0.35	0.34	0.70
6.	परिवर्तनीय लागत ( ₹ प्रति यूनिट)	0.33	0.05	0.11	0.08	0.09
7.	कुल लागत ( ₹ प्रति यूनिट) (5 + 6)	1.64	0.38	0.46	0.42	0.78
8.	योगदान (4-6) ( ₹ प्रति यूनिट)	1.45	1.71	1.72	1.75	1.70
9.	लाभ (+) हानि (-)(4-7) ( ₹ प्रति यूनिट)	<b>0.14</b>	<b>1.38</b>	<b>1.37</b>	<b>1.41</b>	<b>1.00</b>
<b>तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड</b>						
1.	<b>आय</b>					
	उत्पादन राजस्व	243.39	451.35	308.76	415.57	377.73
	ब्याज/परिदान अन्य आय में सम्मिलित	1.24	3.78	12.46	15.43	9.85
	<b>कुल आय</b>	<b>244.18</b>	<b>455.13</b>	<b>321.37</b>	<b>431.00</b>	<b>387.58</b>
2.	<b>उत्पादन</b>					
	कुल उत्पादन (एम.यू. में)	1529.17	2715.12	1794.78	2223.42	2048.78
	घटाव : सहायक उपयोग (एम.यू. में)	220.61	339.60	194.97	196.27	206.19
	संरक्षण एवं वितरण के लिए उपलब्ध (एम.यू. में)	<b>1308.56</b>	<b>2375.52</b>	<b>1599.81</b>	<b>2027.15</b>	<b>1842.59</b>
3.	<b>खर्च</b>					
(क)	<b>स्थायी लागत</b>					
(i)	कर्मचारी लागत	11.14	13.33	13.27	16.19	19.43
(ii)	प्रशासनिक एवं अन्य खर्च	7.83	6.23	6.88	11.14	13.60
(iii)	मूल्य ह्रास	43.78	43.82	44.17	45.25	45.29
(iv)	ब्याज और वित्त भार	85.06	85.97	86.81	86.81	86.82
	<b>कुल स्थाई लागत</b>	<b>147.81</b>	<b>149.36</b>	<b>151.12</b>	<b>159.39</b>	<b>165.14</b>
(ख)	<b>परिवर्तनीय लागत</b>					
(i)	<b>ईंधन उपयोग</b>					
	क. कोयला	141.08	231.71	161.75	199.53	206.74
	ख. तेल	14.05	18.50	7.94	24.28	24.71
	ग. अन्य ईंधन सम्बंधित खर्च	1.18	1.73	1.22	0.60	1.13
(ii)	पानी की लागत (वाष्प/ताप/गैस/अन्य)	0.39	0	0	0	0
(iii)	ल्यूब्रिकेंट एवं उपभोग्य	30.06	0.02	0	0	0
(iv)	मरम्मत और देखभाल	25.76	56.51	40.36	62.75	92.31
	<b>कुल परिवर्तनीय लागत</b>	<b>212.52</b>	<b>308.49</b>	<b>211.27</b>	<b>287.17</b>	<b>324.89</b>
(ग)	<b>कुल लागत 3 (क)+(ख)</b>	<b>360.33</b>	<b>457.85</b>	<b>362.39</b>	<b>446.56</b>	<b>490.63</b>
4.	वसूली ( ₹ प्रति यूनिट)	1.86	1.90	1.93	2.05	2.05
5.	स्थायी लागत ( ₹ प्रति यूनिट)	1.13	0.63	0.94	0.79	0.90
6.	परिवर्तनीय लागत ( ₹ प्रति यूनिट)	1.62	1.30	1.32	1.42	1.76
7.	स्थायी लागत ( ₹ प्रति यूनिट)	2.75	1.93	2.26	2.21	2.66
8.	वसूली (4-6) ( ₹ प्रति यूनिट)	0.24	0.60	0.61	0.63	0.29
9.	लाभ (+) हानि (-)(4-7) ( ₹ प्रति यूनिट)	<b>(0.89)</b>	<b>(0.03)</b>	<b>(0.33)</b>	<b>(0.16)</b>	<b>(0.61)</b>

† एस.आर.एज.पी. को संविभाजित ब्याज तथा वित्तीय भार उपलब्ध नहीं था।

## परिशिष्ट-4.7

(संदर्भ कंडिका:4.2.12; पृष्ठ-129)

## संचालित निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी (झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड)

क्र. सं.	विवरणी	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	स्थापित क्षमता			(मेगा वाट)		
(क)	तापीय	770	770	770	770	770
(ख)	हाइडल	130	130	130	130	130
(ग)	गैस	-	-	-	-	-
(घ)	अन्य	-	-	-	-	-
	<b>कुल</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
2.	सामान्य उच्चतम माँग	706	751	847	859	897
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+) /कमी (-)	-	6.37	12.78	1.42	4.42
3.	ऊर्जा उत्पादन	(मेगा.किलो.वाट.घंटा.)				
(क)	तापीय	846.324	614.660	696.716	1013.444	1131.152
(ख)	हाइडल	50.03	206.905	213.57	235.107	115.66
(ग)	गैस	-	-	-	-	-
(घ)	अन्य	-	-	-	-	-
	<b>कुल</b>	<b>896.354</b>	<b>821.565</b>	<b>910.286</b>	<b>1248.551</b>	<b>1246.812</b>
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+) /कमी (-)	-	(-).8.34	10.80	37.16	(-) 0.14
	घटाव- सहायक उपयोग					
(क)	तापीय	140.186	85.866	99.868	123.068	143.953
	(प्रतिशत)	16.56	13.97	14.33	12.14	12.73
(ख)	हाइडल	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
	(प्रतिशत)	0.47	0.11	0.11	0.10	0.002
(ग)	गैस	-	-	-	-	-
	(प्रतिशत)	-	-	-	-	-
	<b>कुल</b>	<b>140.426</b>	<b>86.106</b>	<b>100.108</b>	<b>123.308</b>	<b>144.193</b>
	(प्रतिशत)	15.67	10.48	11.00	9.88	11.56
5.	शुद्ध उत्पादित ऊर्जा	755.928	735.45	810.178	1125.243	1102.619
6.	कुल माँग (एम.यू.में)	6184.56	6578.76	7419.72	7524.84	7857.72
7.	ऊर्जा की कमी (एम.यू. में){6-(5+8(i))}	4120.072	3467.781	5009.732	4372.447	4910.211
8.	<b>ऊर्जा क्रय</b>					
(क)	राज्य के अन्दर					
	(i) सरकारी (टी.वी.एन.एल.)	1308.56	2375.52	1599.81	2027.15	1844.89
	(ii) निजी					
(ख)	अन्य राज्य	4392.29	3879.58	5066.12	5039.56	4582.88
	<b>कुल ऊर्जा क्रय/विक्रय</b>	<b>5700.85</b>	<b>6255.10</b>	<b>6665.93</b>	<b>7066.71</b>	<b>6427.77</b>
9.	शुद्ध घाटा/कमी, खाली नहीं होने के कारण	-	-	-	-	-

## परिशिष्ट-4.8

(संदर्भ कंडिका:4.2.12; पृष्ठ-129)

## संचालित निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी (तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड)

क्र. सं.	विवरणी	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	स्थापित क्षमता			(मेगा वाट)		
(क)	तापीय	420	420	420	420	420
(ख)	हाइडल	-	-	-	-	-
(ग)	गैस	-	-	-	-	-
(घ)	अन्य	-	-	-	-	-
	<b>कुल</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
2.	सामान्य उच्चतम माँग	420	420	420	420	420
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+) /कमी (-)	-	-	-	-	-
3.	ऊर्जा उत्पादन			(मेगा.किलो.वाट.घंटा.)		
(क)	तापीय	1529.17	2715.12	1794.78	2223.42	2048.78
(ख)	हाइडल	-	-	-	-	-
(ग)	गैस	-	-	-	-	-
(घ)	अन्य	-	-	-	-	-
	<b>कुल</b>	<b>1529.17</b>	<b>2715.12</b>	<b>1794.78</b>	<b>2223.42</b>	<b>2048.78</b>
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+) /कमी (-)	-	15.32	77.56	(-33.90)	23.88
	घटाव : सहायक उपयोग					
(क)	तापीय	220.61	339.60	194.97	196.27	206.19
	(प्रतिशत)	14.43	12.51	10.86	8.83	9.95
(ख)	हाइडल	-	-	-	-	-
	(प्रतिशत)	-	-	-	-	-
(ग)	गैस	-	-	-	-	-
	(प्रतिशत)	-	-	-	-	-
	<b>कुल</b>	<b>220.61</b>	<b>339.60</b>	<b>194.97</b>	<b>196.27</b>	<b>203.80</b>
	(प्रतिशत)	14.43	12.51	10.86	8.83	9.95
5.	शुद्ध उत्पादित ऊर्जा	1308.56	2375.52	1599.81	2027.15	1842.59
6.	कुल माँग (एम.यू.में)	-	-	-	-	-
7.	कमी (-)/+ आधिक्य (+) ऊर्जा (एम.यू.में)	-	-	-	-	-
8.	<b>ऊर्जा विक्री</b>					
(क)	राज्य के अन्दर					
	(i) सरकारी	1308.56	2375.52	1599.81	2027.15	1842.59
	(ii) निजी	-	-	-	-	-
(ख)	अन्य राज्य	-	-	-	-	-
	<b>कुल ऊर्जा विक्रय</b>	<b>1308.56</b>	<b>2375.52</b>	<b>1599.81</b>	<b>2027.15</b>	<b>1842.59</b>
9.	शुद्ध घाटा/कमी, खाली नहीं होने के कारण	-	-	-	-	-

**परिशिष्ट-4.9**

(संदर्भ कंडिका: 4.2.24; पृष्ठ-134)

टी.वी.एन.एल. में कोयला भंडार में कमी को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कोयले की आवश्यकता (एम.टी. में)	निम्नतम कोयला भंडार की आवश्यकता (एम.टी. में)	हर माह के अंत में औसत कोयला भंडार (एम.टी. में)	कमी (एम.टी. में)
2005-06	18,24,000	2,24,877	1,35,907	88,970
2006-07	24,00,000	2,95,890	2,71,038	24,852
2007-08	19,20,000	2,36,712	2,41,208	कोई कमी नहीं
2008-09	21,60,000	2,66,301	1,14,445	1,51,856
2009-10	27,00,000	3,32,877	1,23,985	2,08,892

**परिशिष्ट-4.10**

(संदर्भ कंडिका:4.2.29;पृष्ठ-137)

पी.टी.पी.एस. और टी.वी.एन.एल. में विस्तृत स्टेशनवार/वर्ष वार डिजाईन के अनुसार ऊर्जा उत्पादन, वास्तविक उत्पादन और संयंत्र भार कारक (डिजाईन और वास्तविक दोनों) के अनुसार दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	ऊर्जा उत्पादन (म.यू.)		संयंत्र भार कारक (प्रतिशत)	
	डिजाईन के अनुसार	वास्तविक	सी.ई.आर.सी. के अनुसार	वास्तविक
<b>पी.टी.पी.एस.</b>				
2005-06	5396.16	846.32	80	12.55
2006-07	5396.16	614.66	80	9.31
2007-08	5396.16	696.72	80	10.45
2008-09	5396.16	1013.44	80	16.00
2009-10	5396.16	1131.15	80	14.20
<b>कुल</b>	<b>26980.80</b>	<b>4302.29</b>		
<b>टी.वी.एन.एल.</b>				
2005-06	3679.20	1529.17	80	41.69
2006-07	3679.20	2715.12	80	73.92
2007-08	3679.20	1794.78	80	48.47
2008-09	3679.20	2223.42	80	60.31
2009-10	3679.20	2048.69	85	55.52
<b>कुल</b>	<b>18396.00</b>	<b>10311.18</b>		
<b>सकल योग</b>	<b>45376.80</b>	<b>14613.47</b>		



## शब्दावली

ए.सी.एस.वाई.डी.	कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग
ए.आई.सी.टी.ई.	तकनीकी शिक्षा का अखिल भारतीय परिषद
ए.आई.आई.एम.एस.	चिकित्सा विज्ञान का अखिल भारतीय संस्थान
ए.एम.सी.	वार्षिक अनुसंधान संविदा
ए.डब्ल्यू.सी.	आंगनबाड़ी केन्द्र
ए.डब्ल्यू.एच.	आंगनबाड़ी सहायिका/सहायक
ए.डब्ल्यू.टी.सी.	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र
ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
बी.ए.यू.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
बी.सी.डी.	भवन निर्माण विभाग
बी.डी.ओ.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बी.ई.	बजट प्राक्कलनों
बी.जी.	बैंक गारन्टी
बी.एच.ई.एल.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
बी.ओ.जी.	अध्यक्ष-परिषद
बी.ओ.क्यू.	मात्रा का बिल
बी.पी.एल.	गरीबी रेखा के नीचे
बी.आर.पी.एन.एन.एल.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
बी.एस.ई.बी.	बिहार राज्य विद्युत परिषद्
बी.एस.एम.डी.सी.एल.	बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
सी.ए.	क्षतिपूर्ति वनरोपण
सी.ए.ए.	नागर विमानन अभिकरण
सी.ए.डी.	नागर विमानन विभाग
सी.ए.एम.पी.ए.	क्षतिपूर्ति वनरोपण प्रबंधन एवं योजना अभिकरण
सी.ए.आर.ई.	सर्वत्र सहायता एवं राहत हेतु सहयोग
सी.सी.एल.	सेन्ट्रल कोल्फील्डस लिमिटेड
सी.सी.ओ.	मुख्य नियंत्रक पदाधिकारी
सी.डी.पी.ओ.	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
सी.ई.	मुख्य अभियंता
सी.ई.ए.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसीटी ऑथोरिटी
सी.ई.ओ.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सी.ई.आर.सी.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसीटी रेगुलरिटी कमीशन
सी.एफ.	वन संरक्षक
सी.आई.आई.	भारतीय उद्योगों का महासंघ
सी.एम.सी.	व्यापक अनुसंधान की संविदा
सी.एन.सी.पी.एल.	व्यापक नवीन संयोजन की प्राथमिकता सूची
सी.ओ.	नियंत्रक पदाधिकारी
सी.पी.सी.	सेन्ट्रल परचेज कमिटी
सी.पी.सी.बी.	सेन्ट्रल पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड
सी.पी.डब्ल्यू.डी.	केन्द्रीय लोक कार्य विभाग
सी.एस.ए.	कोल सप्लाई एग्रीमेंट
सी.यू.पी.एल.	व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची
सी.भी.सी.	केन्द्रीय निगरानी आयोग

डी.ए.ओ.	जिला कृषि पदाधिकारी
डी.सी.बिल	विस्तृत आकस्मिक बिल
डी.सी.	उपायुक्तों
डी.डी.ओ.	आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी
डी.एफ.ओ.	प्रमंडलीय वन पदाधिकारी
डी.जी.एस. एंड डी.	डायरेक्टर जेनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूसन
डी.ओ.टी.	परिवहन विभाग
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
डी.पी.एस.	डीलेड पेमेन्ट सरचार्ज
डी.आर.आर.पी.	जिला ग्रामीण सड़क परियोजना
डी.एस.डब्ल्यू.ओ.	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
डीयूज	डीपार्टमेंटल अन्डरटेकिंग्स
डी.डब्ल्यू.एस.डी.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
ई.डी.सी.	उद्यमिता विकास सेल
ई.ई.	कार्यपालक अभियंता
ई.ओ.एल.	ब्याज अभिव्यक्ति
ई.पी.आई.एल.	इंजीनियरी परियोजना (आई.) लिमिटेड
ई.एस.ए.	इलेक्ट्रीक सप्लाई एरिया
ई.एस.डी.	इलेक्ट्रीक सप्लाई डिविजन
ई.एस.पी.	इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रीसीपीटेटर
एफ.डी.	वित्त विभाग
एफ.पी.एस.	उचित मूल्य दुकान
एफ.एस.ए.	फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट
जी.बी.	शासी निकाय
जी.डी.पी.	गरोस डोमिस्टिक प्रोडक्ट
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.आर.डी.ए.	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड
जी.एस.बी.	ग्रेनुलर सब-बेस
एच.एल.एल.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड
एच.एम.एफ.डब्ल्यू.डी.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग
एच.एम.आई.एस.	स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र
एच.ओ.डी.	विभागाध्यक्ष
एच.टी.एस.	हाइ टेन्शन सर्विस
एच.टी.एस.एस.	हाइ टेन्शन स्पेशल सर्विस
आई.ए.ए.एस.	विमानन और विमानन सुरक्षा संस्थान
आई.ए.टी.ए.	अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संगठन
आई.सी.डी.एस.	समेकित बाल विकास सेवा
आई.ओ.सी.	भारतीय तेल निगम
आई.पी.डी.	अंतः रोगी विभाग
आई.आर.जी.	आंतरिक संसाधन उत्पादन
जे.ए.पी.	झारखण्ड आर्म पुलिस

जे.सी.एल.	झारखिहार कोलियरी लिमिटेड
जे.सी.एस.टी.	झारखंड विज्ञान और तकनीकी परिषद
जे.इ.आर.सी.	झारखण्ड इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमिशन
जे.एफ.आर.	झारखण्ड वित्तीय नियम
झालको	झारखण्ड हील एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
झारक्राफ्ट	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैन्डीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
जीडको	झारखण्ड इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
जे.एम.एम.सी.	झारखण्ड लघु खनिज अनुदान
जे.पी.एच.सी.एल.	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
जे.पी.डब्ल्यू.डी.	झारखण्ड लोक कार्य विभाग
जे.एस.ई.बी.	झारखण्ड स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड
जे.एस.ई.आर.सी.	झारखण्ड स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमिशन
जे.एस.एफ.डी.सी.	झारखण्ड स्टेट फोरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
जे.एस.एम.डी.सी.	झारखण्ड स्टेट मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
जे.एस.पी.सी.बी.	झारखण्ड स्टेट पोलयुशन कंट्रोल बोर्ड
जे.एस.आर.आर.डी.ए.	झारखण्ड राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी
जे.टी.सी.	झारखण्ड कोषागार संहिता
जे.टी.डी.सी.	झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
जे.वी.	जोइंट वेंचर
के.ई.एल.	कर्णपुरा इनर्जी लिमिटेड
के.एस.वाई.	किशोरी शक्ति योजना
के.वी.	किलो वोल्ट
के.वी.ए.	किलो वोल्ट एम्पीयर
एल.ए.ओ.	भू-अर्जन पदाधिकारी
एल.ई.	लाइफ एक्सटेंशन
एल.ओ.आई.	लेटर ऑफ इंडेन्ट
एल.टी.ए.	आजीवन आवंटन
एम.ए.डब्ल्यू.सी.	लघु आंगनबाड़ी केन्द्र
एम.सी.आई.	भारतीय चिकित्सा केन्द्र
एम.डी.ओ.	मान डेवलपमेंट-कम-ऑपरेटर
एम.जी.एम.सी. एवं एच.	महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
एम.आई.एस	मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम
एम.एल.टी.सी.	मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र
एम.ओ.ई.	मिस्ट्री ऑफ इनर्जी
एम.ओ.आर.डी.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एम.यू.	मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
एम.पी.आर.	मासिक प्रगति प्रतिवेदन
एम.टी.सी.	कुपोषण उपचार केन्द्र
एम.यूज.	मिलियन यूनिटस्
एम.डब्ल्यू.	मेगा वाट्
एन.ए.एफ.ई.टी.आई.सी.	औद्योगिकी सहयोग के साथ इंजीनियरी और तकनीकी में राष्ट्रीय सुविधाएं
एन.बी.सी.सी.एल.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड

एन.सी.सी.एल.	नार्गाजुन निर्माण कम्पनी लिमिटेड
एन.सी.पी.	राष्ट्रीय समन्वय परियोजना
एन.जी.ओ.सी.	राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति
एन.आई.पी.सी.सी.डी.	जन सहयोग और बाल विकास का राष्ट्रीय संस्थान
एन.आई.टी.	निविदा आमंत्रण सूचना
एन.ओ.सी.	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एन.पी.ए.जी.	किशोरी लड़कियों का पोषण कार्यक्रम
एन.पी.सी.सी.एल.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
एन.पी.आई.यू.	राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई
एन.पी.भी.	निवल वर्तमान मूल्य
एन.क्यू.एम.	राष्ट्रीय गुणवत्ता सलाहकार
एन.आर.ई.पी.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
एन.आर.आर.डी.ए.	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी
ओ.पी.डी.	बाह्य रोगी विभाग
पी.सी.सी.एफ.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
पी.आई.यू.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयां
पी.एम.जी.एस.वाई.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी.एम.एस.एस.वाई.	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
पी.पी.पी.	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पी.डब्ल्यू.डी.	लोक/जन निर्माण विभाग
आर.सी.डी.	पथ निर्माण विभाग
आर.डी.डी.	ग्रामीण विकास विभाग
आर.एच.टी.सी.	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र
रिम्स	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान
आर.आर.डी.ए.	राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
आर.डब्ल्यू.डी.	ग्रामीण कार्य प्रमंडल
एस.ए.ए.ए.	स्पाइका विमान कंपनी और विमानन अकादमी
एस.बी.डी.	मानक बोली दस्तावेज
एस.बी.टी.ई.	तकनीकी शिक्षा का राज्य परिषद
एस.सी.	अनुसूचित जातियां
एस.ई.	अधीक्षण अभियंता
एस.एल.एस.सी.	राज्य स्तरीय स्थायी समिति
एस.एन.पी.	अनुपूरक पोषण कार्यक्रम
एस.ओ.ई.	व्यय की विवरणी
एस.ओ.आर.	शेड्यूल ऑफ रेट्स
एस.पी.एफ.यू.	राज्य प्रोजेक्ट सरलीकरण इकाई
एस.पी.एम.	सस्पेंडेड पार्टीकुलर मैटर
एस.क्यू.सी.	राज्य गुणवत्ता समन्वयक
एस.क्यू.एम.	राज्य गुणवत्ता प्रशिक्षक
एस.आर.सी.एच.	राज्य पुनरुत्पादक बाल स्वास्थ्य
एस.आर.एच.पी.	स्वर्णरेखा हाइडल प्रोजेक्ट
एस.टी.ए.	राज्य तकनीकी एजेन्सी

एस.टी.	अनुसूचित जन-जातियां
टी.ई.क्यू.आई.पी.	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
टी.एच.आर.	राशन घर लाना
टी.पी.एस.	थर्मल पावर स्टेशन
टी.एस.एस.	टोटल शस्पेंडेड शोलिड
टी.टी.पी.एस.	तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन
टी.वी.एन.एल.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड
टी.डब्ल्यू.सी.	जन जातीय कल्याण आयुक्त
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण पत्र
यू.जी.सी.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यू.एच.टी.सी.	शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र
यू. आई.	अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज
भी.ए.पी.एल.	वर्मन विमानन प्राइवेट लिमिटेड
भी.टी.एल.	वायम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
डब्ल्यू.बी.एम.	वाटर बाउण्ड मेकाडम
डब्ल्यू.आई.एस.	महिला औद्योगिक विद्यालय
डब्ल्यू.टी.पी.	जल शोधन संयंत्र